Vol-18, July-December 2023

ISSN : 2319-7137
IIFS IMPACT FACTOR 5.125

INTERNATIONAL Literary Quest

An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

Prof. Ashok Singh
(Editor in Chief)

Dr. Vikash Kumar
(Editor)

Dr. Surendra Pandey
(Editor)

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

INTERNATIONAL LITERARY QUEST

[An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal]

Chief Editor
Prof. Ashok Singh

Editors
Dr. Vikash Kumar
Dr. Surendra Pandey

Published by
Akhand Publishing House, Delhi (India)
L-9/A, First Floor, Street No.42, Sadatpur Extension, Delhi
Mob. 9968628081, Email: akhandpublishing@yahoo.com

Note: The responsibility of the facts given and opinions expressed in articles of journal is solely that of individual author and not to the publisher.

Email:internationalliteraryquest@gmail.com

Website:https://internationalliteraryquest.com/

Mob. 9470828492, 9451173404

Chief Editor

Prof. Ashok Singh
Vice Chancellor, Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja, Ambikapur, Chhattisgarh

Editor

Dr. Vikash Kumar
Assistant Professor, Department of Hindi, Shri Varshney College, Aligarh, U.P

Dr. Surendra Pandey
Assistant Professor, Department of Hindi, Kooba P.G. College, Dariapur, Newada, Azamgarh

Deputy Editor

Dr Santosh Bahadur Singh
Assistant Professor
Department of English
Lady Irwin College, University of Delhi

Dr. Vinay Kumar Shukla
Assistant Professor,
HOD, Department of Hindi,
Ramanuj Pratap Singhdev
P.G. College, Koriya, Chhattisgarh.

Executive Editor

Dr Arun Kumar Mishra
Assistant Professor, Department of Hindi, Munishwar Dutt Snatkottar Mahavidyalaya, Pratapgarh, Uttar Pradesh

Dr Mohammad Aadil
Assistant Professor, Department of History, Bhavan's Mehta P. G. College, Kaushambi, Uttar Pradesh, Delhi University

Sub Editor

Dr Varsha Singh
Associate Professor, Department of English, Deshbandhu College, University of Delhi

Dr Satyendra Kumar
Assistant Professor
Kirori Mal College, University of Delhi

Dr Atul Arora
Assistant Professor
Department of Law, Shri Varshney College Aligarh

Managing Editor

Rana Avdhut Kumar
Research Scolar, Bhojpuri, Adhyayan Kundra
Banaras Hindu University

INTERNATIONAL LITERARY QUEST

......An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

Editorial Board

1. Prof. Anita Singh, Department of English, Banaras Hindu University, Varanasi.
2. Prof. Ravindrnath Singh, Department of AIHC and Archeological, Banaras Hindu University, Varanasi.
3. Prof. Prabhakar Singh, Department of Hindi, Banaras Hindu University, Varanasi
4. Prof. S.R. Jaishree, Department of Hindi, Kerala University, Kerala.
5. Prof. B. Ganesan, Banglore University, Karnataka.
6. Prof. Miki Nishioka, Research Division of Asian, Language and Culture III Research Institute of World Language, Osaka University, Japan.
7. Prof. Kim Ou Jo, Department of Indian Study, Hoseo University, South Korea.
8. Prof. Sunita Singh, Faculty of Education, Le Moyne College, South New York, US.
9. Prof. Mritunjay Singh, Department of Hindi, S.P. Jain College, Sasaram, Bihar.
10. Prof. Savitri Singh, Department of Sanskrit, Mahila Mahavidyalaya, Sasaram, Rohtas, Bihar.
11. VeowQati Rathi, Head, Department of Hindi, Dharm Samaj Mahavidyalaya, Aligarh.
12. Prof. Ramcharan Meena, Department of Hindi, Motilal Nehru College, University of Delhi Prof.
13. Dr. Santosh Patel, Assistant Registrar, Delhi Teacher University, Delhi.
14. Dr. Narendra Shukla, President, Research and Publication Division, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.
15. Dr. Digvijay Singh, Department of Hindi, K.D.B. Degree College, Dubahar, Balia, UP.

16. Dr. Rajkumar Upadhaya Mani, President, Department of Prayojanmulak, Sant Gahira Vishwavidyalaya, Sarguja, Ambikapur, Chhattisgarh.
17. Dr. Ashutosh Kumar Singh, Associate Professor, Department of Hindi, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, Uttar Pradesh.
18. Dr. Devendra Pratap Singh, Associate Professor, Department of Hindi, Koba P.G. College, Dariapur, Nevada, Azamgarh.
19. Dr. Vikash Kumar Singh, Assistant Professor, Department of AIHC and Archeological, Banaras Hindu University, Varanasi.
20. Dr. Sapna Bhushan, Assistant Professor, Department of Hindi, Vasant Kanya Mahavidyalaya, Kamchchha, Varanasi.
21. Dr. Bhartendu Pathak, Assistant Professor, Kashmir University, Hazratbal, Srinagar.
22. Dr. Preeti Jaiswal, Assistant Professor, Department of Hindi, Mahatam Gandhi Banaras Vidyapeeth, Varanasi.
23. Dr. Kamlesh Singh, Assistant Professor, Department of Hindi, Dharm Samaj Mahavidyalaya, Aligarh, Uttar Pradesh.
24. Dr. Sunil Kumar Singh, Assistant Professor, HOD, Department of History, Armapur P.G. College, Kanpur, Uttar Pradesh.
25. Sudarsan Chakradhari, Assistant Professor, Department of History, BBAU Lucknow, Uttar Pradesh.

विषय-सूची
Contents

PART–I

1. असाध्य वीणा : एक सम्यक् अनुशीलन 3
—शिवा अग्निहोत्री

2. "आत्मकथा' की अवधारणा 9
—सरोज कसौधन

3. मन्नू भण्डारी की आत्मकथा : एक कहानी यह भी में चित्रित जीवन दर्शन 18
*— *डॉ० बलराम गुप्ता, **सरोज कसौधन*

4. तुलसीदास का दार्शनिक चिन्तन : रामचरितमानस के आलोक में 29
—डॉ० अरुण कुमार मिश्र

5. संघर्षशील महिला की कथा : रमणिका गुप्ता की हादसें 43
—सरोज कसौधन

6. भारत के आत्मनिर्भर अभियान में सौर ऊर्जा की भूमिका 53
—डॉ० कौशल किशोर मिश्र

7. भारतीय संगीत में थाटों का क्रमिक विकास 59
—डॉ० कविता शर्मा

8. डॉ० विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति की विवेचना 69
—डॉ० अरुण कुमार मिश्र

9. चम्पारण के जन कवि स्व.बृज बिहारी प्रसाद "चूर' जी 83
—डॉ. संतोष पटेल

10. महिला सशक्तिकरण : चुनौतियां एवं समाधान 94
—डॉ रश्मि

11. भारत-नेपाल खुली सीमा और आंतरिक सुरक्षा की समस्या 99
*— *रंजीत कुमार मौर्य, **प्रो. नरेंद्र कुमार शर्मा*

12. वर्तमान में भारत–म्यांमार सम्बन्ध के विविध आयाम 104
—डॉ० राघवेन्द्र पाण्डेय

13. अमृतपुरुष डॉ. अमरेन्द्र रो अंगिका बाल–साहित्य 109
—डॉ० श्वेता भारती

14. हिन्द महासागर का भारत की सुरक्षा में स्त्रातेजिक महत्व 118
*— *डॉ० विरेश कुमार, **डॉ० नरसिंह पाल सिंह*

15. रीतिकालीन काव्य में शिल्प विधान 126
—डॉ० वनीत कौर

16. अंगिका लोकगाथा बिहुला केरो अंतरलोक 131
—डॉ० श्वेता भारती

17. वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों का विश्व समुदाय पर बढ़ता प्रभाव एक संक्षिप्त विवेचन 138
*— *डॉ० नीलम सिंह, **नितेश कुमार सिंह*

18. महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुवाद दृष्टि के विविध पक्ष 145
—सदरे आलम

19. सैयद फजल–उल–हसन हसरत मोहानी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 151
*— *डॉ० मोहम्मद आदिल, **मोहम्मद राहिल*

20. दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में मानव के अधिकार एवं कर्त्तव्य 163
—डॉ० वन्दना कुमारी

21. 1857 और उर्दू पत्राकारिता 170
*— *डॉ० रेफाक अहमद, **मो० ज़ैद*

22. महिला सशक्तिकरण पर आधुनिकीकरण का प्रभाव : भारत के संदर्भ में एक अध्ययन 177
—डॉ० रॉली कुमारी

23. 'अदहन' भोजपुरी कविता संग्रह 184
—सुरसेन बहादुर

24. भारतीय ऋषि परम्परा : विज्ञान एवं विश्व कल्याण 191
—अलका केशरी

25. उत्तर शती के हिन्दी उपन्यास में दलित चेतना का विकास 195
—डॉ० सुरेन्द्र पाण्डेय

26. दलित चेतना के निर्माण में दलित आंदोलन की भूमिका: एक अवलोकन 200
—डॉ० विजय लक्ष्मी गुप्ता

27. रघुवीर सहाय की रचनाओं में लोकतंत्र की अभिव्यक्ति 206
—डॉ० विकास कुमार

28. मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएँ 217
—डॉ० रवेन्द्र राजपूत

29. महादेवी वर्मा के आत्मकथा मे स्त्री चिंतन 228
—राजश्री

30. हिंदी कहानियों में स्त्री विमर्श विशेष संदर्भ : कृष्णा सोबती 233
*— *डॉ० वर्षा रानी, **निशा*

31. प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत 238
—सत्य बहादुर सिंह

32. "आदिवासी और उनका मानवीय मूल्य" 249
—प्रदीप कुमार सौर

PART–II

1. An Evaluation of GooosQ and Services Tax (GST) Compliance: With an emphasis on Individual Taxpayers 3
—Puneet Kumar Jaiswal, Prof. (Dr.) Jai Shanker Shukla

2. Yoga and Naturopathy 9
—Dr. Chandra Bhanu Mishra

3. Sleep Deprivation and Stress among Indians during COVID-19 17
—Anusha Popli

4. Problem and prospects of Indian MSMEs: A Review 28
*—*Shivam Kabir, ¸Dr. Veerandra Singh Matsaniya*

5. Domestic Violence and Role of Women Education With Special Referenc To North-East-India 39
—Md. Nozmul Hoque

6. Nissim Ezekiel and his Relationship with India in his poems 47
—Dr. Jyoti Srivastava

7. Thomas Gray as a Graveyard Poet with a Special Reference to his Poem 'Elegy Written in a Country Churchyard' 56
—Dr. Shikha Garg

8. Navigating the LanosQcape of Blended Learning in Teacher Education: Challenges and Opportunities 62
—Dr. Sachin Sinduria

9. Swami Vivekananda's Contribution Regeneration of India 72
—Shubham Rai

9. Management of Non-Performing assets with reference to Public and Private Sector Bank in India: A Comparative Study 77
—Dr. Shashimala Kumari

PART – I

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

असाध्य वीणा : एक सम्यक् अनुशीलन

शिवा अग्निहोत्री
शोधार्थिनी
डी.ए.वी. कॉलेज
छत्रापति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (कानपुर)

प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक, प्रयोगवाद एवं नई कविता के सेतु सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने हिंदी साहित्य जगत में अपने रचना संसार द्वारा अनेक मौलिकताओं का समावेश कर हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया। दृश्य जगत के यथार्थ चित्राण में तथा मनोभावों के चित्राण में अज्ञेय की लेखनी सदैव तत्पर रही। अज्ञेय ने उन कवियों को नेतृत्व प्रदान किया जो काव्य में प्रयोगों की नवीनता की आकांक्षा रखते थे। वैचारिक दृढ़ता से संपन्न कवि ने विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। प्रयोगवाद व नई कविता को मार्ग दिखाने में अज्ञेय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इन दोनों काव्य धाराओं को पुष्ट किया। अज्ञेय ने तारसप्तक का प्रकाशन करके उसमें वर्णित कवियों की कविताओं को प्रयोगवादी कहकर काव्य के नये युग प्रयोगवाद का सूत्रपात किया तथा बाद में नई कविता के कर्णधार बने और हिंदी कविता को एक अभिनव रूप प्रदान किया। इनकी कविताओं में विचारों और भावों की जो गहराई दृष्टिगत होती है, उसने हिंदी साहित्य जगत में नई ऊर्जा का संचार किया। अपने नवीन प्रयोगों के द्वारा अज्ञेय ने पूर्ववर्ती काव्य धाराओं को नवीन दिशा में परिवर्तित किया। अज्ञेय ने कवि कथाकार संपादक तथा उपन्यासकार अनेक रूपों में हिंदी साहित्य समृद्धि में अपना अमूल्य योगदान दिया। बौद्धिकता और भावों का सम्मिश्रण उनकी कविताओं में इस प्रकार है कि स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कवि भावों को अधिक महत्व दे रहा अथवा वैचारिकता को, बौद्धिकता को। वे नवीनता के आग्रही थे इसलिए उन्होंने परम्परागत उपमानों, बिम्बों के स्थान पर नवीन बिम्बों, उपमानों के प्रयोग पर बल देकर कविता के शिल्प पक्ष को समृद्ध किया। उन्होंने अनुभूतियों पर बल देकर कविता के द्व ारा मानवीय संवेदनाओं को जागृत कर कविता को मानवीय संवेदना का वाहक बनाया। अज्ञेय ने मनुष्य के अस्तित्व स्वातंत्रय पर बल दिया। परिवेश बोध, अनुभव वैचित्रय, सघन अनुभूतियों, मानव मन की प्रवृत्तियों तथा जीवन के गहन भावों को अभिव्यक्ति देने में इन्हें विशेषता प्राप्त है। अज्ञेय ने कई रचनाओं से हिंदी काव्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी जिनमें से प्रमुख काव्य संग्रह हैं– चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, अरी ओ करुणा प्रभामय, कितनी नावों में कितनी बार, भग्नदूत, बावरा अहेरी, सुनहले शैवाल आदि।

अज्ञेय द्वारा रचित आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह 1961 में प्रकाशित हुआ। यह काव्य संग्रह तीन खण्डों में विभक्त है– अन्तः सलिला, चक्रांत शिला, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा अज्ञेय कृत एक लंबी कविता है, जो जापानी लोक कथा पर आधारित जीवन के गहरे सूत्र अपने अंदर समेटे हुए हैं। अज्ञेय ने उस जापानी लोक कथा में भारतीयता का समावेश कर उसे पाठकों के सम्मुख रखा। लंबी कविताएं अपनी तहों में ज्ञान के मोती समेटे होती हैं उसी प्रकार असाध्य वीणा अपने अंदर ज्ञान के विविध मोती समेटे हुए हैं। इसमें पूरी कहानी एक कविता के रूप में रची गई। इसका कथानक जापान में प्रचलित ओकाकुरा की पुस्तक 'द बुक ऑफ टी' में संकलित 'टेमिंग ऑफ़ दि हार्फ' से लिया गया। असाध्य वीणा प्रतीकात्मक कविता है, इसमें कवि ने ब्रह्म और समष्टि का प्रतीक किरीटी तरु को और साधक और जन जीव का प्रतीक प्रियंवद को बनाया तथा असाध्य वीणा में वर्णित वीणा साधन मार्ग का प्रतीक है। वज्रकीर्ति ने अपने सैकड़ों वर्षों की साधना द्वारा जिस वीणा का निर्माण किया, कोई भी कलाकार उस वीणा को साध नहीं पाता क्योंकि अपने अहम् का परित्याग कर स्वयं को पूर्णरूपेण उसमें लीन नहीं करता परंतु प्रियंवद अपनी इयत्ता का परित्याग कर उस वीणा से स्वर निकालने में समर्थ सिद्ध होता है क्योंकि वह स्वयं को उसमें मिला देता है। साधना तब ही पूर्णता को प्राप्त होती है जब साधक और परम ब्रह्म में अंतर नहीं रह जाता और साधक स्वयं को उस परम ब्रह्म में तिरोहित कर देता है। कवि की वैचारिकता यहाँ पर इस प्रकार स्पष्ट होती है कि अज्ञेय व्यक्ति की स्वतंत्राता पर बल देते हैं पर उसका अस्तित्व समाज से पृथक नहीं करते बल्कि व्यष्टि और समष्टि के परस्पर संबंध की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं। यदि व्यष्टि समष्टि में समाहित नहीं है तो समष्टि का कोई अस्तित्व नहीं। समष्टि सार्थकता को तभी प्राप्त करती है जब उसमें व्यष्टि का अहम् तिरोहित हो जाए। यहाँ कवि ने नवीन अर्थ की सर्जना की। प्रियंवद (व्यष्टि) सर्वप्रथम स्वयं को पूर्णरूपेण लीन करके स्वयं को साधने का प्रयास करता है और स्वयं को भली–भाँति साधने के पश्चात आत्मदान करता है। कवि का यहाँ अभिप्राय है कि समष्टि में स्वयं को तिरोहित करने हेतु सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने अस्तित्व की खोज करनी होगी, स्व के अस्तित्व से परिचित होना होगा।

जिस समय कवि ने असाध्य वीणा कविता की रचना की थी उस काल भौतिक संसाधनों की आपा–धापी चहुँ ओर फैली थी। अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य को अपने जीवन में लाने में बिल्कुल संकोच का अनुभव नहीं कर रहा था। इस कविता में राजा भी उसी प्रकार के भौतिकवादी जीवन को ग्रहण किये था, परंतु जब वीणा का सत्य संगीत उसे सुनाई देता है तब उसका हृदय उस वीणा के सत्य संगीत में स्वयं को न्योछावर कर देता है तब उसमें कलुषता का अंश नहीं रहता–

राजमुकुट सहसा हल्का हो आया था
मानो हो फूल सिरिस का

ईष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता
सभी पुराने लुगड़े से झर गए, निखर आया
था जीवन–कांचन
धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा।

यह कविता इलियट के निर्वैयक्तिकता से भी प्रभावित मानी जा सकती है कि प्रियंवद स्वयं को विस्मृत कर वीणा में समर्पित कर देता है और निजी अनुभूतियों के प्रभाव से मुक्त होकर वीणा में स्वयं का समर्पण करता है।

कुछ विद्वानों का मत है कि बुद्धवाद का प्रभाव अज्ञेय पर दृष्टिगोचर होता है। बुद्धवाद यह मानकर चलता है कि बुद्ध की भाँति बोधि प्राप्त कराने का साधन एकमात्रा ध्यान ही है। असाध्य वीणा में भी जब प्रियंवद पूर्णरूपेण उस वीणा के ध्यान में लीन हो जाता है, बाकी सांसारिकता को विस्मृत कर, स्वयं को भी उसमें समाहित कर देता है तब ही वह वीणा को साधने में सफलता प्राप्त करता है। अहंकार के विलयन द्वारा ही साधक परिणति तक पहुँचने में समर्थ सिद्ध हो पाता है।

भूल गया था केशकम्बली राज–सभा को
कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था।

यहाँ पर स्पष्टतः कवि अस्तित्ववाद से प्रभावित दिखाई देते हैं कि वैयक्तिक होने पर, मात्रा स्वयं के अस्तित्व के द्वारा ही साधक सृजन शक्ति का अनुभव करने में समर्थ हो पता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अपने अस्तित्व को विस्मृत कर देना यहाँ पर अस्तित्ववाद का प्रभाव किस प्रकार है तो ध्यातव्य है कि जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध होगा तब ही व्यक्तित्व विलयन की स्वयं को सृजन शक्ति के लिए विस्मृत कर देने की प्रक्रिया संभव हो सकती है। अज्ञेय यह मानते थे कि सृजनात्मकता ही ऐसा साधन है जिसकी ओर सर्वसत्तावादी, निरर्थकताबोध में फंसे मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। कुछ विद्वान असाध्य वीणा को मिथकीय प्रतीक पर आधारित मानते हैं। ध्यातव्य है कि यह कविता सृजन तत्व के संबंध में चिंतन करने के कारण वैचारिकता के सिंधु में गोते खाते दिखाई देती है।

गहरे बौद्धिक विवेक से युक्त कवि की कविताएं चिंतनशील मन की उपज है। अज्ञेय की कविताएं व्यक्ति का समाज से स्वतंत्रा अस्तित्व नहीं मानती बल्कि समाज में व्यक्ति के स्वतंत्रा अस्तित्व की पक्षपाती है। व्यष्टि और समष्टि के पारस्परिक पूरक संबंधों को वर्णित करने में असाध्य वीणा कृति ने अत्यधिक सफलता अर्जित की। जिस प्रकार वीणा बजने से पहले सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों का अस्तित्व स्वतंत्रा था लेकिन कला के ब्रह्मानंद में सभी एक साथ निमग्न होते हैं परन्तु निमग्न एक साथ होने के पश्चात प्रत्येक अलग–अलग अर्थ ग्रहण करके आनंदित होते हैं और पुनः सबका स्वतंत्रा

अस्तित्व सामूहिकता में रहने के पश्चात भी हो जाता है। जीवन के अर्थ की तलाश प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार करनी होती है, जिस प्रकार सभी को अलग-अलग संगीत सुनाई दिया।

डूब गए सब एक साथ
सब अलग-अलग एकाकी पार तिरे।

असाध्य वीणा में रहस्यवाद भी अपने नवीन रूप में विद्यमान है। रहस्यवादी दृष्टि से असाध्य वीणा को देखने पर इसमें साधना की चार अवस्थाओं को कथा से जोड़कर चित्रित किया गया है। अज्ञेय का रहस्यवाद परंपरा को ग्रहण करते हुए कुछ नवीनता को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। असाध्य वीणा में ब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग ज्ञान मार्ग के स्थान पर आत्म साधना के मार्ग को बताया गया है। सृजन के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति में नव्य रहस्यवाद की झलक दिखाई देती है। संयम से आपूरित रहस्यवाद की झलक असाध्य वीणा में दृष्टव्य है-

वह महामौन
अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित अप्रेमय
जो शब्दहीन
सबमें गाता है।

असाध्य वीणा कविता भारतीय और पाश्चात्य के कुछ सिद्धांतों से प्रभाव ग्रहण करके अज्ञेय की मौलिक रचना दृष्टि से निर्मित आध्यात्मिक तत्वों को अपने अंदर समेटे सारगर्भित रचना है। इस कविता में चिंतन का उच्च स्वर दिखाई देता है। आधुनिक कविता में प्रकृति को नवीन रूप में देखने का प्रयत्न किया गया। इस कविता में भी प्रकृति की उपस्थिति दिखाई देती है। प्रकृति के चित्राण में नवीनता लाने का कवि का प्रयास सराहनीय है-

ओ विशाल तरु!
शत-सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा।
कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी
दिन भौंरे कर गए गुंजरित
रातों में झिल्ली ने
अनथक मंगल गान सुनाएं
सांझ सवेरे अनगिन
अनचीन्हे खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा काकलि
डाली-डाली को कपां गयी।

प्रकृति के नूतन स्वरूप द्वारा कवि की लेखनी प्रभावकारी अभिव्यंजना प्रस्तुत करने में पूर्ण सफल रही है। प्रकृति अपने विविध रूपों में अज्ञेय की कविताओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करती है।

असाध्य वीणा के शिल्प पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित करें तो अपनी अन्य कविताओं के समान इस कविता में भी कवि ने अत्यधिक संवेदनशीलता से बिम्बों की अनुपम सृष्टि से कविता में ताजगी का समावेश किया है। असाध्य वीणा में बिम्बों की बहुलता है। अज्ञेय ने कविता के भाव के अनुरूप इंद्रिय बिम्ब, ध्वनि बिम्ब और श्रव्य बिम्ब का प्रयोग करके कविता को शैली पक्ष से भी समृद्ध किया है। दृश्य बिम्ब का सुंदरतम प्रयोग दृष्टव्य है–

नयी वधू की सहमी सी पायल ध्वनि

बिम्बों के सावधानीपूर्ण चयन में अज्ञेय की प्रतिभा बेजोड़ है। बिम्बों के माध्यम से अभिव्यक्ति को अत्यधिक प्रभावशाली बनाकर अज्ञेय ने असाध्य वीणा को नई कविता की अप्रतिम रचना सिद्ध किया। परम ब्रह्म की व्यापकता के लिए अज्ञेय ने जिन बिम्बों का प्रयोग किया, वे कविता के सौंदर्य को द्विगुणित कर रहे हैं।

असाध्य वीणा में प्रतीक योजना के कारण कवि ने एक से अनेक अर्थों को इस कविता में समाहित किया। जहाँ वीणा और प्रियम्वद प्रतीकात्मक रूप में है वहीं अर्थानुरूप प्रतीकों की योजना की गई है। चूँकि यह कविता सामाजिक व दार्शनिक दोनों पक्षों का संगुफन है। इसी कारण अज्ञेय की यह लम्बी कविता अर्थ की विभिन्न प्रकारों से व्याख्या करती है।

भाषा अज्ञेय के चिंतन में विशिष्ट स्थान प्राप्त रही है। असाध्य वीणा में अधिकांशतः संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग हुआ है। शब्द योजना बेहद संयत ढंग से हुई है। शब्दों के द्वारा अनुभूति में प्रभावशीलता का समावेश दिखाई देता है। तत्सम शब्दों के साथ–साथ कविता में कुछ स्थानीय शब्दों का प्रयोग कर कवि ने सहजता से कविता में आत्मीयता खोल दी।

बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सोंधी खुदबुद।

इस प्रकार कवि की कविता में तद्भव तत्सम दोनों का मिश्रण दिखाई देता है जो उनकी भाषिक क्षमता का परिचय देता है। संस्कृतनिष्ठ भाषा का एक उदाहरण दृष्टव्य है–

ओ स्वर सभांर
नादमय संसृति
ओ रस प्लावन
मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी।

कहीं–कहीं पर कवि ने इस कविता में अत्यंत दुरूह शब्दावली का प्रयोग किया है और कहीं पर शुद्ध देशज शब्दों का प्रयोग इस कविता में दिखाई देता है जो कविता की मिठास में वृद्धि करता है।

अलंकारों की सुंदर छटा इस कविता के शिल्पगत सौंदर्य में वृद्धि कर रही है अज्ञेय ने यथास्थान अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, पुनरुक्तिप्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकारों के सुंदर प्रयोग ने असाध्य वीणा के काव्य सौंदर्य में वृद्धि कर दी। उत्प्रेक्षा अलंकार से युक्त एक सुंदर पंक्ति दृष्टव्य है–

राजमुकुट सहसा हल्का हो आया था,
मानो हो फूल सिरिस का।

इस प्रकार असाध्य वीणा सृजन तत्व को व्याख्यायित करती हुई गहरे बौद्धिक चिंतन को प्रकट करती है। नवीन बिम्ब योजना और नवीन प्रतीक विधान से युक्त अज्ञेय की यह कविता सृजन तत्व के सम्बंध में समग्रता से विचार व्यक्त करती हुई, अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों पक्षों से समृद्ध हिंदी साहित्य की अत्यधिक वैचारिकता से युक्त लम्बी कविता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय– आंगन के पार द्वार, वाणी प्रकाशन, भारतीय ज्ञानपीठ, 15वां संस्करण
2. डॉ. शुभा श्रीवास्तव– असाध्य वीणा एक मूल्यांकन, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण–2011
3. डॉ. भागीरथ मिश्र– पाश्चात्य काव्यशास्त्रा इतिहास सिद्धांत और वाद, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, षष्ठ संस्करण–2011

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

‘आत्मकथा’ की अवधारणा

सरोज कसौधन
शिवहर्ष *किसान पी०जी० कॉलेज, बस्ती*

भूमिका :

हिन्दी गद्य की विधा में आत्मकथा महत्वपूर्ण विधा है। इसे स्वयं का विश्लेषण, संश्लेषण और आत्मनिरीक्षण भी कहते है। इसका लेखक उत्तम पुरुष शैली में स्वयं की कथा कहता है। प्रस्तुत लेख में इसकी परिभाषा स्वरूप इत्यादि का विश्लेषण किया गया है।

संकेत शब्द : आत्मकथात्मक, विश्लेषण, संश्लेषण, आत्मनिरीक्षण

गद्य, पद्य तथा नाटक की तरह आत्मकथा लेखन भी हिंदी साहित्य का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा स्वयं के जीवन की मुख्य घटनाओं का लेखा-जोखा कहा जा सकता है जो सत्य एवं यथार्थ के धरातल पर अवस्थित होता है। इसमें लेखक आत्मनिरीक्षण करते हुए स्वयं समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है। आत्मकथा को मानव जीवन के अंतर्जगत तथा वाह्य जगत के बीच सत्य के आधार पर स्थापित संबंधों अथवा अनुभव की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। आत्मकथा के अंतर्गत रचनाकार समाज के सामने अपने स्वयं के जीवन के रहस्यों को उद्घाटित करता है। जीवन में किए गए पुरुषार्थ तथा लाभ हानि का लेखा-जोखा आत्मकथा के माध्यम से व्यक्त हो जाता है। इस प्रकार यदि यह कहा जाए की आत्मकथा किसी भी लेखक के जीवन के गुण दोष का हिसाब किताब करने का दस्तावेज है, तो गलत न होगा। आत्मकथा के माध्यम से कोई भी रचनाकार अपने जीवन के भोगे हुए सुख-दुख, आशा-निराशा तथा हर्ष एवं विषाद का प्रकटीकरण करता है। यद्यपि आत्मकथा लेखन में सबसे बड़ी समस्या रचनाकार का निष्पक्ष होना है। कभी-कभी रचनाकार अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को छिपाने का प्रयास भी करता है, जबकि कुछ तथ्यों को बल पूर्वक स्थापित करने का प्रयास करता है। वह इस प्रयास में सदैव लगा रहता है कि कहीं उसके जीवन के कुछ नकारात्मक पक्ष समाज के सम्मुख प्रस्तुत न हो जाए। इसलिए आत्मकथाकार की सत्यता तथा निष्पक्षता सदैव शंका के दायरे में बनी रहती है। यद्यपि आत्मकथा संस्मरण, जीवनी तथा रेखा चित्रा से साम्य रखती है तथापि मूलभूत तत्वों में अंतर होने के कारण यह सर्वथा एक पृथक विधा के रूप

में हिंदी साहित्य जगत में स्थापित है। आत्मकथा साहित्य को गद्य की कथेतर विधा के अंतर्गत बहुत ही अल्प चर्चा प्राप्त होती है, फिर भी इसे हिंदी साहित्य की स्थापित विधा के रूप में माना जाता है। कुछ साहित्यकार आत्मकथा को आत्मश्लाघा तथा आत्म प्रशंसा की विषय वस्तु मानते हैं, इसलिए इस विधा से सर्वथा दूरी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। किंतु आधुनिक काल में आत्मकथा लेखन के क्षेत्रा में निरंतर अप्रतिम वृद्धि इस विधा के अद्‌भुत विकास की ओर संकेत करती है। आत्मकथा लेखन में कथाकार का प्रामाणिक, ईमानदार तथा निष्ठावान जैसे गुणों से परिपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में वह कभी भी निष्पक्ष आत्मकथा लेखन नहीं कर सकता और उसका लेखन संदेह की परिधि में प्रविष्ट हो जाएगा। यद्यपि यदि आत्मकथाकर के भीतर ईमानदारी जैसे गुणों का समावेश हो तो किसी–न–किसी प्रकार से उसके द्वारा उसके जीवन के विपरीत पहलुओं को भी अभिव्यक्ति मिल जाती है। उसके द्वारा उसके संबंध में ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण भी हो जाता है जिसके द्वारा कोई पाठक उस लेखक की विचारधारा तथा उसके

दृष्टिकोण से परिचित हो जाता है, साथ ही समाज पर उसके पड़ने वाले प्रभाव से भी अनभिज्ञ नहीं रहता। आत्मकथा कार्य की अभिव्यक्ति पाठकों को समकालीन युग और उसके संपर्क में आए हुए लोगों के विषय में भी जानकारी प्रदान कर देता है इस प्रकार कहा जा सकता है की आत्मकथाकर अपने जीवन की कहानी का निर्माण करता है और स्वयं ही उसका नायक होता है। डॉ० सुकुमार भंडारे के शब्दों में– “आत्मकथा साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें आत्मकथाकर अपने–अपने विस्तृत जीवन के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को क्रियाकलापों के आधार पर निष्पक्ष एवं सुस्पष्ट कर चित्रित करता है। आत्मकथाकर का व्यक्तित्व, उसका चरित्रा उसका मानसिक संतुलन एवं वाह्य क्रियाकलाप आत्मकथा में प्रतिबिंबित होते हैं।”[1]

डॉ० सरयू प्रसाद मिश्र के शब्दों में– “मनुष्य में मानवीय चरित्राों एवं अनुभवों के बारे में जानने की अनबूझ प्यास होती है। आत्मकथा विधा लेखक के ताजा तरीन अनुभवों को पाठकों तक पहुँचाने का सबसे प्रभावशाली साधन है।”[2]

आत्मकथा लेखन वह विधा है जिसमें लेखक के द्वारा कही गयी बातों पर विश्वास करना पड़ता है और उसके कहे प्रत्येक शब्द को सच माना जाता है। लेखक द्वारा कही गई समस्त बातों का साक्षी वह स्वयं होता है और उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार भी होता है। आत्मकथा के अंतर्गत आत्मकथाकार के जीवन एवं व्यक्तित्व का उद्‌घाटन संभव होता है, साथ ही उसके द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक तत्वों की प्रमाणिकता भी स्वयं उसके द्वारा ही सिद्ध की जाती है। इसी कारण यह विधा महान बन जाती है। आत्मकथा लेखन का उद्देश्य लेखक द्वारा स्वयं का आत्मनिर्माण एवं आत्मपरीक्षण करना होता है तथा उस के साथ–साथ अतीत की स्मृतियों को पुनजह्नवित करने का भी प्रयास करता है। आत्मकथा

लेखन लेखक के आत्मावलोकन तथा आत्मोन्नयन का साधन भी बनता है। आत्मकथा लेखन द्वारा वह स्वयं संसार में पुनः प्रविष्टि हो जाता है और उसका वर्णन करते हुए उसकी अंतरंगता में पाठकों को भी दाखिल कर लेता है।

1.2. 'आत्मकथा' की व्युत्पत्तिक विवेचना :

आत्मकथा अंग्रेजी के ऑटोबायोग्राफी शब्द का समानांतर स्वरूप है जिसमें लेखक स्वयं के जीवन का क्रमिक विवरण प्रस्तुत करता है। हिंदी भाषा में इसे ही आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मकथा, लेखक की स्वयं की अनुभूति होती है जिसका विवरण वह विभिन्न घटना प्रसंगों के माध्यम से आम पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा वह अपने अंतरजगत को वाह्यजगत के सामने प्रस्तुत करता है और साथ ही वह आत्म विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। आत्मकथा लेखन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक स्वयं अपने विषय में लिखने का साहस करता है और प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को ही समाज के सम्मुख उपस्थित कर देता है, जिसके कारण समाज उसके जीवन के समस्त पहलुओं से परिचित हो जाता है। आत्मकथा को परिभाषित करने से पहले हम इस शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे।

'आत्मकथा' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'आत्मन' तथा 'कथा' शब्द से हुई है। इसका अर्थ– 'स्वयं का' आत्मचरित, आत्मकथा, आत्मकथन होता है। इन समस्त शब्दों को सामान्यतः एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत व्याकरण के विभक्ति तत्पुरुष नियम के अनुसार पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाने के कारण इसे आत्मकथा कहा जाता है। यदि हम इस शब्द का विग्रह करने का प्रयास करें तो यह आत्मनः कथा, 'आत्मना कथा' अथवा 'आत्मने कथा' के रूप में किया जाएगा। इसीलिए संस्कृत के प्रकांड विद्वान आत्मकथा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं– 'आत्मनः विषये यस्यां सा आत्मकथा'। अर्थात् जहाँ स्वयं के विषय में बात की जाती है, वही आत्मकथा है। दूसरे भाव के अनुसार– 'आत्मना–आत्मने लिखिता आत्मनः कथा'। अर्थात् अपनी कहानी स्वयं अपने द्वारा लिखने अथवा कहने को आत्मकथा कहते हैं। इस विधा में लेखक स्वयं के अतीत का दर्शन करता है और स्वयं के शब्दों में उसका वर्णन भी करता है। इसीलिए इसे 'आत्मवृत्त' भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी शब्दकोश में आत्मकथा शब्द को स्त्रीलिंगी संज्ञा में ग्रहण किया गया है तथा इसका अर्थ स्वयं द्वारा लिखा गया जीवन चरित्रा, जीवनी, आपबीती अथवा आत्म कहानी के रूप में ग्रहण किया गया है। डॉ० बापू राव देसाई अपनी पुस्तक 'हिंदी आत्मकथा विधा शास्त्रा और इतिहास' के पृष्ठ–25 पर लिखते हैं– "आत्मकथा, यह स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें अपनी जीवन कहानी होती है। आपबीती के माध्यम से व्यष्टि अपना आत्मचरित कथन करता है, वह आत्मकथा है।"[3]

वैसे देखा जाए तो आत्मकथा का प्रारंभिक शब्द आत्म है। आत्म शब्द को विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से अनेकों शब्द निर्मित होते हैं। जैसे आत्मकथा, आत्म निवेदन, आत्मचरित्रा, आत्मवृत्त, आत्म कहानी इत्यादि। कुल मिलाकर इन सबका अर्थ समान ही होता है। वास्तव में गद्य साहित्य में अन्य विधाओं के विकास की तरह ही आत्मकथा पद्धति का विकास भी आधुनिक युग में ही माना जाता है। डॉ० आँचल कुमारी के शब्दों में– “हिन्दी साहित्य के नव्य परिवर्तन एवं विकास में आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता है...... साहित्यिक रूपों और प्रवृत्तियों की विविधता। गद्य–साहित्य की अपूर्व और अत्यधिक उन्नति निःसंदेह इसी युग में हुई। उपन्यास, कहानी, नाटक, समालोचना, निबन्ध और उपयोगी साहित्य इत्यादि साहित्यिक विधाओं के सुव्यवस्थित एवं बहुमुखी विकास के साथ–साथ संस्मरण तथा आत्मकथा जैसी सर्वथा नवीन विधाओं का पल्लवन और विकास भी इसी गद्य–युग में विकसित हुआ। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं पालि ग्रंथों में उपलब्ध बीजांकुरों के कारण यद्यपि आत्मकथा को नितान्त आधुनिक विधा नहीं माना जा सकता तथापि भारतीय मेघा लौकिक जगत् की उपेक्षा कर उससे परे चिरन्तन सत्य की खोज में तत्पर रही और इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ही ये लघु बीज अपने वास्तविक स्वरूप में फलने–फूलने नहीं पाए। आधुनिक युग में ही आत्मकथात्मक साहित्य का सृजन पर्याप्त मात्राा में हुआ और उसका सुव्यवस्थित स्वरूप सामने आया।”[4]

1.3. आत्मकथा की परिभाषाएं :

आत्मकथा अथवा आत्मवृत्त की अवधारणा पर अनेक विद्वानों के द्वारा सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उन विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आत्मकथाकार अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं, मानवीय अनुभूतियों, भावों विचारों तथा कार्यकलापों को निष्पक्षता एवं स्पष्टता से आत्मकथा के रूप में उद्‌घाटित करता है। इसके माध्यम से वह अपने जीवन की उचित एवं अनुचित घटनाओं का सच्चा चित्राण करने का प्रयास करता है। इसमे वह अपने जीवन की अनोखी स्मृतियों को शामिल करता है, जो आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान तथा आत्म–न्याय के आधार पर संचित की गई होती है। इसलिए आत्मकथा को हम सम्पूर्ण व्यक्तित्व के उद्‌घाटन की विधा के रूप में भी स्वीकार करते हैं। चर्चा के अगले बिंदु पर हम आत्मकथा के स्वरूप तथा परिभाषा पर व्यक्त किए गए विचारों पर प्रकाश प्रक्षेपित करने का प्रयास करेंगे।

1.3.1. विभिन्न हिन्दी कोशों के अनुसार आत्मकथा की परिभाषाएं :

विभिन्न प्रकार के हिंदी कोशों में आत्मकथा की परिभाषाएं निम्नवत दी गई हैं-

1. मानक हिन्दी कोश के अनुसार- "जीवन की मुख्य बातों के वर्णन को आत्मकथा का प्रधान गुण माना जाता है।"[5]

2. वृहद हिन्दी कोश के अनुसार- "'इसमें आत्मकथा शब्द का विग्रह करके अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, यह आत्मन शब्द का समास व्यवहृत रूप है। जिसका अर्थ है- जीवन कहानी। अतः आत्मकथा का अर्थ हुआ-स्वलिखित जीवन-चरित्रा।"[6]

3. हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार- "आत्मकथा लेखक के जीवन का संबद्ध वर्णन है।"[7]

4. आदर्श हिन्दी कोश के अनुसार- "स्वजीवन का वृत्तान्त आत्मचरित्रा है।"[8]

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न हिंदी कोषों में भी आत्मकथा को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश प्रक्षेपित किया गया है।

1.3.2. पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं :

विविध पाश्चात्य विद्वानों ने भी आत्मकथा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं पर प्रकाश डाला गया है।

1. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार- "आत्मकथा, व्यक्ति के जिये हुए जीवन का ब्यौरा है, जो स्वयं उस के द्वारा लिखा जाता है।"[9]

2. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर में आत्मकथा को परिभाषित करते हुए कहा है कि- "आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी हुई अपने जीवन की कहानी है।"[10]

3. एच० जी० वेल्स के अनुसार- "अपने ही जीवन की विवेचना और गुत्थिया सुलझाते हुए स्वान्तः सुखाय रचना करने को 'आत्मकथा' का नाम दिया गया है।"[11]

4. जॉनसन के अनुसार- "आत्मकथा में सत्य और ईमानदारी महत्वपूर्ण होती है। आत्मकथा लेखक की योग्यता की कसौटी है। असाधारण अन्तर्दृष्टि की कसौटी इसकी अनिवार्य शर्त है।"[12]

5. डॉ० रॉय पास्कल के अनुसार- "एक विशिष्ट परिवेश के मध्य जिए गए। विशिष्ट क्षणों का पुनः सृजन आत्मकथा है। इस प्रक्रिया का मुख्य केन्द्र 'स्व' है, परिवेश नहीं।"[13]

6. जे.टी. शिप्ले के अनुसार– "आत्मकथा मूलतः लेखक के जीवन का सत्यतापूर्ण विवरण होता है, जिसमें मुख्यतः आत्म–निरीक्षण और अपने जीवन की सार्थकता को वाह्य परिवेश में प्रस्तुत किया जाता है।"[14]

7. डॉ० डी०जी० नाइक के अनुसार– "आत्मकथा में आत्मा का महत्व होता है इसमें अंतः जगत वाह्य प्रकाशन पर बल दिया जाता है।"[15]

1.3.3. भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं :

हिन्दी साहित्य के अलग–अलग विद्वानों के द्वारा भी आत्मकथा की अलग–अलग परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई है जिनका अवलोकन निम्नवत किया जा सकता है–

1. डॉ. सुधा राठी की दृष्टि में– "आत्मकथा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने विगत जीवन अनुभवों को निष्पक्ष रुपेण प्रस्तुत करने का प्रयास है, जो आत्मकथाकार को जीए हुए जीवन में पुनः प्रवेश का अवसर प्रदान करती है, वहीं पाठकों की उसकी दुर्बलताओं, सबलताओं आदर्शों, विवशताओं व बाधाओं आदि से परिचित करवाती हुई उचित पथ प्रदर्शन प्रदान करती है।"[16]

2. हरिवंशराय बच्चन कहते हैं– "आत्मकथा, लेखन की वह विधा है, जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है।"[17]

3. डॉ० नगेन्द्र ने आत्मकथा को इस प्रकार परिभाषित किया है– "आत्मकथाकार अपने संबंध में किसी मिथक की रचना नहीं करता कोई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता, वरन् अपने गत जीवन के खट्टे–मीठे, उजाले अंधेरे, प्रसन्न–विषण्ण, साधारण–असाधारण संचरण पर मुड़कर एक दृष्टि डालता है, अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है और अपने वर्तमान तथा अतीत के मध्य सूत्रों का अन्वेषण करता है।"[18]

4. डॉ० शान्ति खन्ना के अनुसार– "आत्मकथा गद्य का रूप है, जिसमें लेखक व्यक्तिगत जीवन का विवेचन विश्लेषण निःसंकोच रूप से रखता है, इसके साथ ही वाह्य विश्व से संबंधित मानसिक क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं का विवेचन कलात्मक रूप से करता है।"[19]

5. डॉ० त्रिगुणायत ने आत्मकथा की परिभाषा इस प्रकार दी है– "आत्मकथा लेखक की दुर्बलताओं–सबलताओं आदि का वह संतुलित और व्यवस्थित चित्राण है जो उस के संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होता है।"[20]

6. इसी परिभाषा से मेल खाती हुई परिभाषा डॉ० चंद्रभानु सोनवणे की है। वे कहते हैं- "आत्मकथा वह गद्य विधा है जिस में लेखक निजी जीवन एवं व्यक्तित्व का सर्वांगीण अध्ययन तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से करता है।"[21]

7. भवानीलाल भारतीय कहते हैं- "अपने आरंभिक जीवन की कटु यथार्थता तथा उसके मंगलोन्मुख होने की कहानी आत्मकथा कहलाती है।"[22]

8. डॉ. स्नेहलता शर्मा प्रख्यापित करती हैं कि- "आत्मकथा मानव के अनुभवों का आत्मिय शैली में प्रस्तुत किया गया लेखा जोखा है।"[23]

9. डॉ. बाबूराव देसाई के अनुसार- "आत्मकथा में लेखक की जिंदगी का एक शृंखलाबद्ध ऐसा विवेचन होता है, जिसमें वह अपने विशाल जीवन सामग्री की पृष्ठभूमि में से समग्र महत्वपूर्ण बातों को लेकर उनको व्यवस्थित ढंग से सामने रखता है।"[24]

10. शशिकला राय के अनुसार- "आत्मकथा के मूल में स्मृतियाँ होती है, उन्हीं के आधार पर आत्मकथा का ताना-बाना बुना जाता है।"[25]

11. डॉ. शान्तिस्वरूप गुप्त के अनुसार- "आत्मकथा लिखना सुखद कार्य तो है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को अपने विषय में कहने का अवसर मिलता है, पर वह कठिन इसलिए है कि उसमें लेखक को निष्पक्ष होना पड़ता है, अपने दोषों को भी प्रस्तुत पड़ता हैं, जो सहज कार्य नहीं।"[26]

12. डॉ. मैनेजर पांडेय के अनुसार- "पूरा-पूरा सच बोलना आत्मकथा जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं शर्त भी है।"[27]

13. सरोज जग्गी के शब्दों में- "आत्मकथा वस्तुत: किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखित अपने जीवन का इतिहास है। उसके 'स्व' की कहानी है, जहाँ वह अपने अन्तर्बाह्य जीवन की सुंदर झाँकी प्रस्तुत करता है।"[28]

14. रामअवतार अरुण पोद्दार के अनुसार- "आत्मकथा व्यक्ति के संघर्षमय जीवन का वह सत्यांकित इतिहास है, जो स्वयं मेघ की तरह उमड़कर बरस जाता है, जो स्वयं की तरह खिलकर झड़ जाता है। अनासक्त अभिव्यक्ति के बिना साहित्य की सत्य धर्मी विधा अपनी स्पष्ट प्रमाणिकता नहीं स्थापित कर सकेगी। आत्मकथा का शाब्दिक जलप्रपात बुद्धि से नहीं अंत:करण से निकलता है।"[29]

15. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी कहा है- "पूर्व स्मृतियों को आलोकित कर टुकड़ों-टुकडों में अभिव्यक्त यादगारी, हकीकत जब किसी व्यक्ति की कहानी में रुपांतरित होती है, वह आत्मकथा है।"[30]

16. डॉ. किरण बेदी के अनुसार– "आत्मकथा दृष्टिगत अनुभवों का जैसे का वैसे प्रामाणिक अभिव्यक्त दस्तावेज है।"[31]

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय तथा पाश्चात्य सभी विद्वानों ने आत्मकथा को स्वयं लेखक के जीवन की कथा स्वीकार करते हुए इसके महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि इसमें रचनाकार के गुण दोषों के अतिरिक्त उसके अन्य विचारों तथा भावनाओं का भी प्रकटीकरण बड़ी आसानी से हो जाता है।

संदर्भ-संसूचिका :

1. डॉ० सुकुमार भंडारे, मन्नू भंडारी तथा माधवी देसाई की आत्मकथा और उपन्यास साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, प्रथम संस्करण–2017, पृष्ठ–11, विकास प्रकाशन, कानपुर
2. वही, पृष्ठ–11
3. डॉ० मीना घूमे (मुंगरे), महिला आत्मकथाओं में नारी संवेदना, पृष्ठ–10, प्रथम संस्करण–2019 एबीएस पब्लिकेशन, वाराणसी
4. डॉ० अंचल कुमारी, समकालीन महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं में नारी विमर्श, पृष्ठ–11, प्रथम संस्करण–2023 वान्या पब्लिकेशंस, कानपुर
5. डॉ० पूनम चौरसिया, महिला आत्मकथाओं में नारी–दशा एवं दिशा, पृष्ठ–17, प्रथम संस्करण–2023, विकास प्रकाशन, कानपुर
6. वही, पृष्ठ–17
7. वही, पृष्ठ–17
8. वही, पृष्ठ–17
9. डॉ० सुकुमार भंडारे, मन्नू भंडारी तथा माधवी देसाई की आत्मकथा और उपन्यास साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ–12, प्रथम संस्करण–2017, विकास प्रकाशन, कानपुर
10. डॉ० मीना घूमे (मुंगरे), महिला आत्मकथाओं में नारी संवेदना, पृष्ठ–10, प्रथम संस्करण–2019, एबीएस पब्लिकेशन, वाराणसी
11. डॉ० पूनम चौरसिया, महिला आत्मकथाओं में नारी– दशा एवं दिशा, पृष्ठ–16, प्रथम संस्करण–2023, विकास प्रकाशन, कानपुर
12. डॉ० मीना घूमे (मुंगरे), महिला आत्मकथाओं में नारी संवेदना, पृष्ठ–11, प्रथम संस्करण–2019, एबीएस पब्लिकेशन, वाराणसी
13. डॉ० पूनम चौरसिया, महिला आत्मकथाओं में नारी–दशा एवं दिशा, पृष्ठ–16, प्रथम संस्करण–2023, विकास प्रकाशन, कानपुर

14. डॉ० मीना घूमे (मुंगरे), महिला आत्मकथाओं में नारी संवेदना, पृष्ठ–10, प्रथम संस्करण–2019, एबीएस पब्लिकेशन, वाराणसी
15. डॉ० पूनम चौरसिया, महिला आत्मकथाओं में नारी–दशा एवं दिशा, पृष्ठ–16, प्रथम संस्करण–2023, विकास प्रकाशन, कानपुर
16. डॉ० मीना घूमे (मुंगरे), महिला आत्मकथाओं में नारी संवेदना, पृष्ठ–12, प्रथम संस्करण–2019, एबीएस पब्लिकेशन, वाराणसी
17. डॉ० रेनू बाली, महिला कथाकारों की आत्मकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ–26, प्रथम संस्करण–2021, वान्या पब्लिकेशंस कानपुर
18. डॉ० मीना घूमे (मुंगरे), महिला आत्मकथाओं में नारी संवेदना, पृष्ठ–11, प्रथम संस्करण–2019, एबीएस पब्लिकेशन, वाराणसी
19. वही, पृष्ठ–12
20. वही, पृष्ठ–11
21. डॉ० सुकुमार भंडारे, मन्नू भंडारी तथा माधवी देसाई की आत्मकथा और उपन्यास साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ–12, प्रथम संस्करण–2017, विकास प्रकाशन, कानपुर
22. डॉ० मीना घूमे (मुंगरे), महिला आत्मकथाओं में नारी संवेदना, पृष्ठ–12, प्रथम संस्करण–2019, एबीएस पब्लिकेशन, वाराणसी
23. वही, पृष्ठ–12
24. डॉ० पूनम चौरसिया, महिला आत्मकथाओं में नारी–दशा एवं दिशा, पृष्ठ–17, प्रथम संस्करण–2023, विकास प्रकाशन कानपुर
25. वही, पृष्ठ–17
26. वही, पृष्ठ–17
27. वही, पृष्ठ–17
28. डॉ० मीना घूमे (मुंगरे), महिला आत्मकथाओं में नारी संवेदना, पृष्ठ–12, प्रथम संस्करण–2019, एबीएस पब्लिकेशन वाराणसी
29. डॉ० पूनम चौरसिया, महिला आत्मकथाओं में नारी–दशा एवं दिशा, पृष्ठ–17, प्रथम संस्करण–2023, विकास प्रकाशन, कानपुर
30. डॉ० मीना घूमे (मुंगरे), महिला आत्मकथाओं में नारी संवेदना, पृष्ठ–12, प्रथम संस्करण–2019, एबीएस पब्लिकेशन, वाराणसी
31. वही, पृष्ठ–12

मन्नू भण्डारी की आत्मकथा : एक कहानी यह भी में चित्रित जीवन दर्शन

शोध पर्यवेक्षक
डॉ० बलराम गुप्ता
शोध छात्रा
सरोज कसौधन
शिवहर्ष किसान पी०जी० कॉलेज, बस्ती

भूमिका :

समाज और अर्थ के क्षेत्रा में सबसे ज्यादा स्थितियों और विडम्बनाओं में स्त्राी ही जीती है। उसी को विविध प्रकार के झंझावातों को झेलना पड़ता है। इसी समस्याओं को लिपिबद्ध करती हैं- आत्मकथाकार। इनका मूल उद्देश्य अपनी स्थितियों परिस्थितियों को समाज एवं अर्थ के क्षेत्रा में दिखाना होता है। प्रस्तुत लेख में उपर्युक्त समस्याओं का व्यापक चित्राण किया गया है।

संकेत शब्द : प्रख्यापित, परिस्थितियाँ, झंझावात, आत्मकथात्मक, विश्लेषण, संश्लेषण, आत्मनिरीक्षण

पूर्व के प्रसंगों में यह प्रख्यापित किया जा चुका है कि सदैव से नारी उपेक्षा का ही शिकार रही। इसे एक स्त्राी के जीवन की विडंबना ही कहा जा सकता है या फिर उसकी नियति कि उसे प्रत्येक परिस्थितियों में शोषण का ही शिकार होना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए सशक्त और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी स्त्राी होने का दंश उसे झेलना पड़ता है। वह अपनी शर्तों पर जीवन निर्वाह नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसे साझा शर्तों पर भी जीवन जीने की अनुमति नहीं होती। किसी भी सभ्य समाज के लिए उसकी आकांक्षाएं महत्वपूर्ण नहीं होती। कभी वह संतान के लिए तो, कभी परिवार के लिए अपनी आकांक्षाओं का गला घोंट देती है। विवाह के पश्चात भी पति की इच्छाओं तथा परिवार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसमें उसका स्वयं का जीवन अर्थ हीन बनकर रह जाता है। दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में वह स्वयं का अस्तित्व भी भूल बैठती है। फिर भी परिवार में

उसे वह प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती जो एक पुरुष को प्राप्त हो जाती है। सामाजिक रूप से देखा जाए तो नारी पुरुष की सहचरी है, किन्तु समाज में उसे अनुचरी बनाकर रखा है। समाज के सम्मुख अहम प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक स्त्राी परिवार, संतान यहाँ तक की समाज के बोझ तले दबी रहेगी? आखिरकार उसे इन नारकीय परिस्थितियों से निकलना ही पड़ेगा। उसे अपनी संवेदनाओं पर नियंत्राण करना ही पड़ेगा। प्राय देखा गया है कि एक उन्नत विचारों से युक्त शिक्षित एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी नारी भी व्यक्तिगत जीवन में हताशा और निराशा की शिकार हो जाती है और पुरुषवादी सत्ता के समक्ष नतमस्तक हो जाती है। इन्हीं परिस्थितियों से रूबरू कराती हुई आत्मकथा 'एक कहानी यह भी' की रचनाकार प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। इस कहानी को मन्नू भंडारी के लेखकीय जीवन की कहानी माना जाता है जिसमें उनके स्वयं के व्यक्तित्व का प्रक्षेपण हुआ है। इस आत्मकथा रूपी कहानी के माध्यम से उन्होंने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं तथा परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा उनकी रचना यात्राा को एक उल्लेखनीय आयाम प्राप्त हो सका। सच्चे अर्थों में यह कहानी उनकी अपनी कहानी है। यद्यपि वे इसे आत्मकथा के रूप में स्वीकार नहीं करती है, फिर भी तात्विक रूप से इसे आत्मकथा ही कहा जा सकता है। मन्नू भंडारी के ही शब्दों में- "अपनी कहानी लिखते समय सबसे पहले तो मुझे अपनी कल्पना के पर ही कतर कर एक ओर सरका देने पड़े, क्योंकि यहाँ तो निमित्त भी मैं ही थी और लक्ष्य भी मैं ही-यह शुद्ध मेरी ही कहानी है और इसे मेरा ही रहना था, इसलिए न कुछ बदलने- बढ़ाने की आवश्यकता थी, न काटने छाँटने की यहाँ मुझे केवल उन्हीं स्थितियों का ब्योरा प्रस्तुत करना था, वो भी जस-का-तस जिनसे मैं गुजरी..... दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो कुछ मैंने देखा, जाना, अनुभव किया, शब्दश: उसी का लेखा-जोखा है यह कहानी।"[1]

मन्नू भंडारी एक प्रख्यात लेखक राजेंद्र यादव की पत्नी थी। मन्नू भंडारी की दृष्टि में राजेंद्र यादव एक जिद्दी प्रकृति के व्यक्ति थे। घर की जरूरत को पूरा करने में उन्हें नाको चने चबाने पड़ते। उस पर भी पति का दबाव इतना रहता कि उसे झेलना मुश्किल हो जाता। साथ ही उनकी अपनी लेखकीय ज़रूरतें जिसे इस पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत पूरा कर पाना संभव नहीं था। आत्मकथा के "लैप पर अंकित यह तथ्य अवलोकनीय है- "एक ख्यात लेखक की जीवन-संगिनी होने का रोमांच और एक जिद्दी पति की पत्नी होने की बाधाएँ, एक तरफ अपनी लेखकीय जरूरतें और दूसरी तरफ एक घर को संभालने का बोझिल-दायित्व, एक धुर आम आदमी की तरह जीने की चाह और महान उपलब्धियों के लिए ललकता, आस-पास का साहित्यिक वातावरण ऐसे कई-कई विरोधाभासों के बीच से मनु जी लगातार गुजरती रही।"[2]

वैसे तो नामचीन हस्तियों की पत्नी होना सम्मान का विषय होता है, किन्तु राजेंद्र यादव जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार की पत्नी होना मन्नू भंडारी के लिए कोई सुखद अनुभव नहीं रहा। दोनों के बीच मतभेदों

की चरम सीमा उत्पन्न हो चुकी थी। यद्यपि गलतियाँ एक तरफ से नहीं होती, इसीलिए जितनी उंगलियाँ राजेंद्र की तरफ उठती उतनी ही मन्नू की तरफ। अपने जीवन में इन्हें भी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अनेक प्रश्नों और आरोपों का सामना करना पड़ा। उन आरोपों का प्रति उत्तर भी मन्नू भंडारी ने अपने इस आत्मकथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1921 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गाँव में हुआ था। अपने जन्म के बारे में मन्नू जी कहती हैं– "जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गाँव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस दो मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी मंजिल में पिता का साम्राज्य था। वहाँ निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों–पत्रिाकाओं और अखबारों के बीच या तो वे कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ– सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर।"[3]

इस प्रकार स्पष्ट होता है की मन्नू कालीन भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज ही था जिसमें पुरुषों का ही आदेश अनुदेश चलता था। इन परिस्थितियों से मन्नू जी के पारिवारिक वातावरण का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अत: यह कहना गलत न होगा की इनका जन्म और पालन–पोषण एक ऐसे पितृसत्तात्मक समाज में हुआ जहाँ स्त्राी को दोयम दर्जे का माना जाता था। ऐसा परिवार स्त्राी को सदैव स्त्राी होने का एहसास कराता रहता है। पारिवारिक संबंधों में सबसे बड़ी नकारात्मकता तब उत्पन्न होती है जब बच्चों के बीच तुलनात्मक विवेचन होता है और किसी को श्रेष्ठ तथा किसी को हीन सिद्ध किया जाता है। मन्नू जी के पिताजी अपनी संतानों में कुछ ऐसा ही करते थे और मन्नू के कालेपन पर उसे चिढ़ाते रहते। इसी कारण बचपन से ही सांवले रंग के कारण मन्नू कुंठा का शिकार हो गई। आत्मकुंठा के विषय में वह लिखती हैं कि– "मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था। सो बचपन में मुझे दो साल बड़ी, खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक में उससे उबर नहीं पाई।"[4]

मन्नू भंडारी को पिता द्वारा बात–बात पर अपनी अन्य संतानों से उनकी तुलना करना पसंद नहीं था, किन्तु उनका प्रतिवाद भी तो नहीं कर सकती थी। इसीलिए उनके मन में हीन भावना का जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें एक स्वतंत्रा पहचान मिली और इनका विश्वास जागृत हुआ। युवा होने पर उनकी मित्राता राजेंद्र यादव नाम के प्रख्यात साहित्यकार से होती है। राजेंद्र लेखन के क्षेत्रा में अग्रणी थे। यद्यपि राजेंद्र अन्य वर्ग से संबंध रखते थे, इसलिए मन्नू के साथ उनका वैवाहिक संबंध सामाजिक दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं होगा, ऐसा सोचकर मन्नू परेशान हो जाती। मन्नू और राजेंद्र के

विवाह में तो सबसे बड़े रोड़ा उनके पिताजी ही थे। अंतर्जातीय संबंधों को वह कदापि मान्यता नहीं देते थे, क्योंकि इससे जग हंसाई का भय रहता था। किन्तु मन्नू खुले विचारों वाली महिला थी। उन्हें सिर्फ मानवीयता का संबंध दिखाई देता था। इसलिए उन्होंने राजेंद्र के साथ मित्राता को रोमानी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मन्नू के शब्दों में– "राजेंद्र की मित्राता अब धीरे–धीरे दूसरी दिशा की ओर मुड़ चली और यह परिवर्तन एक तरफ़ा तो था नहीं, उसमें मेरी बराबरी की सहमति ही नहीं, सहयोग भी था। परिणाम यह हुआ कि मेरे लेखकीय उत्साह उमंग में रोमानी रंग भी भरने लगे।"[5]

अपनी उच्च शिक्षा के कारण मन्नू ने समाज में एक स्वतंत्रा पहचान बना ली थी और इसलिए उनका विश्वास पूरी तरह से पक्का हो चुका था। उन्हें पिता के विरुद्ध जाना भी अब कोई कठिन कार्य नहीं लगा। राजेंद्र तथा मन्नू ने अपने अतीत के पन्नों को एक दूसरे से साझा किया और भविष्य की योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दिया। राजेंद्र मित्राता को संबंध तक ले जाने के लिए एक आर्थिक आधार की तलाश कर रहे थे, जिससे कि गृहस्थी को ठीक से चलाया जा सके। मन्नू के मन को भी यह बात प्रेरित कर रही थी कि राजेंद्र और उनका पेशा एक ही है, इसलिए जीवन में कहीं भी टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मन्नू के शब्दों में– "सब लोग सोचते थे और मुझे भी लगता था की एक ही रूचि, एक ही पेशा कितना सुगम रहेगा जीवन! मुझे अपने लिखने के लिए तो जैसे राजमार्ग मिल जाएगा।"[6]

राजेंद्र यादव कुछ खास किस्म के विचारों के व्यक्ति थे। उन्हें सामाजिक रीति–रिवाज से कोई अधिक लेना देना न था। इसीलिए कुछ साहित्यकार उन्हें वामपंथी विचारधारा से प्रभावित भी मानते हैं। उन्होंने बिना विवाह की रस्मों को अदा किये ही मन्नू का हाथ पकड़ लिया और उनकी बड़ी बहन सुशीला जी से कहने लगे– "सुशीला जी, आप तो जानती ही हैं कि रस्म–रिवाज में न तो मेरा कोई खास विश्वास है न दिलचस्पी..... बट वी आर मैरिड।"[7]

मन्नू भंडारी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य लेखन की दिशा में आगे बढ़ना था इसलिए उन्होंने अपने लेखकीय भविष्य के संरक्षण के निमित्त अपने पिता के विरुद्ध कदम उठाने में संकोच नहीं किया। यह पूरी तरह से किया गया उनका पहला आत्मनिर्णय था। मन्नू के मन में युवा राजेंद्र यादव के क्रांतिकारी विचारों ने एक अमिट छाप छोड़ रखी थी, इसलिए मन्नू को उनके प्रति आकर्षक हो चुका था और उन्हें यह लगने लगा था मानो उनके हौसलों को उड़ान के लिए कोई पंख मिल गया है। किन्तु जल्द ही मन्नू की यह अपेक्षाएं धूमिल होती चली गई। पिता के विरोध के बावजूद राजेंद्र और मन्नू ने विवाह किया, किन्तु विवाह के समय ही राजेंद्र ने उन्हें लेखक की अनिवार्यता के नाम पर कुछ अनपेक्षित बातें भी कह दीं। कुल मिलाकर मन्नू और राजेंद्र के मध्य बिखराव की पहली लकीर जाने अनजाने गुप्त रूप से खिंच चुकी थी। राजेंद्र ने उन्हें समानांतर जीवन का पैटर्न जो पकड़ा दिया

था। राजेंद्र ने कहा– "देखो छत जरूर हमारी एक होगी, लेकिन जिंदगियाँ अपनी–अपनी होंगी– बिना एक–दूसरे की जिन्दगी में हस्तक्षेप किए, बिल्कुल स्वतन्त्रा, मुत्त और अलग।"[8]

पता नहीं राजेंद्र यादव के दिल में मन्नू को लेकर क्या चल रहा था किन्तु जो कुछ भी था वह मन्नू भंडारी के लिए असहनीय था। क्या यह केवल राजेंद्र यादव की लेखन के क्षेत्रा में स्वतंत्राता हासिल करने की ललक थी अथवा कुछ और? मन्नू के अंदर भी स्वतंत्रा लेखन की आकांक्षा थी। लेखन की स्वतंत्राता चाहने वाली नई के लिए तो यह स्थिति सहज कहीं जा सकती है किन्तु एक पत्नी के लिए पति का इस प्रकार की बात वज्रपात से कम नहीं कही जा सकती। मन्नू ने कभी भी इस तरह के समानांतर पैटर्न की कल्पना तक नहीं की थी। वह अपने लेखकीय जीवन के साथ–साथ दाम्पत्य जीवन भी सफलतापूर्वक जीने की अभिलाषा रखती थी। राजेंद्र की बातों से उसके सपनों को गहरा आघात लगा था। उसे ऐसा आभास हुआ कि जैसे राजेंद्र ने तो– "सर पर छत का आश्वासन देकर जैसे पैर के नीचे की जमीन ही खींच ली हो। एक ही प्रश्न मेरे मन पर हथौड़े की तरह चोट करता रहा कि फिर इस छत की भी क्या जरूरत थी? क्या प्रयोजन था? छत तो राजेंद्र के सिर पर भी थी और मेरे सिर पर भी सो इतना तो समझ में आ गया कि राजेंद्र के दिमाग में एकाएक समानांतर जिंदगी की जो यह अवधारणा पैदा हुई है निश्चित ही उसके सूत्रा कहीं और ही हैं।"[9]

स्वाभाविक प्रश्न यही था की समानांतर जिंदगी की अवधारणा के पीछे राजेंद्र का सूत्रा क्या था? समानांतर शब्द के स्वाभाविक अर्थ में तो बराबरी निहित होती है। अत: स्वाभाविक था की जो अधिकार राजेंद्र को मिलते, वह मन्नू को भी प्राप्त होने चाहिए थे। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक दायित्व तथा आर्थिक प्रबंधन सब कुछ में बराबर का योगदान चाहिए था, क्योंकि विवाह तो दोनों ने ही किया था। किन्तु वास्तविक रूप से ऐसा नहीं था। घर की सारी जिम्मेदारी तथा आर्थिक समस्याएं सब कुछ मन्नू ने संभाला और राजेंद्र समानांतर जीवन का पाठ पढ़ाते रहे। उनका यह प्रयोग सिर्फ उनकी वैचारिकी में ही झलकता रहा। घर के साझा दायित्व में उनकी भूमिका नगण्य ही रही। अपनी वैचारिकता का रूपांतरण राजेंद्र व्यवहारिकता में नहीं कर पा रहे थे। मन्नू भंडारी के शब्दों में– "अपनी–अपनी जिंदगी का जो बटवारा हुआ उसमें घर की सारी जिम्मेदारियाँ और समस्याएं– आर्थिक से लेकर दूसरी तरह की– मेरे जिम्मे थी, जिसमें मुझे राजेंद्र की दिलचस्पी की ही नहीं सहयोग की भी जरूरत रहती थी। लेकिन उसे तो राजेंद्र ने मेरा अधिकार क्षेत्रा घोषित कर रखा था। मेरे अधिकार क्षेत्रा में कभी भी न झांकने की, न किसी तरह की दिलचस्पी लेने की और न ही कोई हस्तक्षेप करने की बेहद उदारवादी मुद्रा ओढ़ कर एक बड़ी वाजिब और तर्कसंगत अपेक्षा यह करते थे कि मैं भी उनके अधिकार क्षेत्रा में न कभी झांकूँ, न किसी तरह की दिलचस्पी लूं। इनके अधिकार क्षेत्रा में थे, उनके निजी संबंध और सरोकार।"[10]

समझ में नहीं आता कि एक लेखक इतना कठोर हृदय कैसे हो सकता है? आम तौर पर संसार में जब लोग नव विवाहिता पत्नी के प्रति सहज ही आकर्षित रहते हैं, इस परिस्थिति में राजेंद्र मन्नू को कोई भी महत्व नहीं देते। यहाँ तक की जब उसकी तालु में छाला हो जाता है और धीरे-धीरे वह घाव में बदल जाता है तो भी वह उसे डॉक्टर के पास न ले जाकर काफी हाउस चले जाते हैं। राजेंद्र की यह उदासीनता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक की मन्नू की पुत्राी पैदा होने पर भी वह उसे देखने तक नहीं जाते। यद्यपि मन्नू का मन बहुत करता कि राजेंद्र कभी तो उसके लिए समय निकाले और उसके साथ बैठकर दो-चार बातें करें और अपनी बेटी का दीदार करें, किन्तु राजेंद्र को कुछ ना कुछ बहाना अवश्य मिल जाता। जब कभी आते भीड़ के साथ आते और भीड़ के साथ ही वापस चले जाते। मन्नू लिखती हैं- ह्मेरा बड़ा मन करता था कि कभी तो राजेन्द्र मेरे पास अकेले में आकर बैठे- बच्ची को देखें, पर नहीं, ये तो मिलने के निर्धारित समय पर भीड़ के साथ आते थे और भीड़ के साथ लौट जाते थे।"[11]

राजेंद्र और मन्नू के बीच में जैसी परिस्थितियों उत्पन्न हो रही थी उससे किसी भी स्त्राी का कातर व दु:खी होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में मनु और राजेंद्र के बीच कुछ कहा सुनी भी हुई। इसे भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कभी सहयोग नहीं रहा बल्कि एक समय तो उनकी संयुक्त रचना 'एक इंच मुस्कान' के नाम से भी प्रकाशित हुई जिसका प्रथम अध्याय राजेंद्र ने तथा दूसरा अध्याय मन्नू भंडारी ने लिखा था। किन्तु विषम स्थिति तब उत्पन्न हुई जब पाठकों के पत्रा संपादक को प्राप्त होने लगे और उसमें प्रथम अध्याय की निंदा और दूसरे अध्याय की प्रशंसा लिखी मिलने लगे। यही से राजेंद्र का आत्म प्रभावित होता है। उनके अहंकार को चोट पहुँचती है और वह मन्नू से मन ही मन ईर्ष्या रखने लगते हैं। संपादक में जब प्रथम अध्याय के लिए राजेंद्र से बात की गई और मन्नू की तारीफ की पत्रा दिखाए गए तो राजेंद्र बोल पड़े- "देखो देवड़ा एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मेरे लेखन में गंभीरता है, गहराई है, चिंतन है-तुम क्या सोचते हो।"[12]

राजेंद्र यादव संपादक की बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। राजेंद्र के मन में अजीब सी खीझ संपादक के साथ-साथ मन्नू के प्रति भी दिखाई पड़ रही थी। वह अपनी साफगोई में कुछ न कुछ कहते जा रहे थे। बात बीच में ही काटकर ज्ञानोदय के संपादक शरद देवड़ा कहते हैं- "देखिये राजेन्द्र जी संपादक हूँ और मेरा एक अनुरोध है आपसे कि आपका यह चिंतन पाठकों की चिंता न बन जाए।"[13]

राजेंद्र यादव के मन में मन्नू को लेकर असमंजस की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। दो परस्पर अलग साहित्यकारों के बीच तो ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना एक सहज बात थी, किन्तु पति-पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं दो लोगों में इतनी ईर्ष्या, वह भी लेखन की सफलता और असफलता को

लेकर, सामान्य व्यक्ति के समझ से परे थी। इस प्रतिद्वंद्विता का कोई निदान भी नहीं था। मन्नू भंडारी की इस आत्मकथा में पग–पग पर असंतोष झलकता है। उस पर भी घर, परिवार तथा बेटी और नौकरी का बोझ उन्हें और भी बोझिल बना रहा था। इसके साथ ही इन सारी जिम्मेदारियाँ के बावजूद लेखन के क्षेत्रा में भी उन्हें डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा था। पारिवारिक समस्याओं के समानांतर लेखन वास्तव में बहुत कठिन कार्य होता है। वैसे भी जब किन्ही कारणों से मन में उद्विग्नता हो, तो भला साहित्य सृजन कैसे हो सकता है? आत्मकथा के प्रारंभ में लिखे गए मन्नू भंडारी के इस कथन से इस बात की पुष्टि होती है– "बेटी और घर (जिसकी पूरी–पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी) के साथ नौकरी (जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अनिवार्य थी) के बीच में से ही लिखने के लिए समय और सुविधा जुटानी पड़ती थी। और मैंने जो कुछ भी लिखा इन सबके बीच लिखा, इनकी कीमत पर कभी नहीं लिखा। लेकिन पहले हर स्तर पर संकट थे, कष्ट थे, समस्याएँ थी, नसों को चटका देने वाले आघात था पर उनके साथ लगातार लिखना भी था। जो भी जैसा भी। आज यह सारी समस्याएं, संकट समाप्तप्राय हैं पर लिखना तो बिल्कुल ही समाप्त है। तो क्या संघर्षपूर्ण और समस्याग्रस्त जीवन ही लिखने की अनिवार्य शर्त है?"[14]

मन्नू भंडारी का दायित्व तब और भी बढ़ गया जब उनके घर एक बच्ची का जन्म हुआ। राजेंद्र, बेटी के प्रति बिल्कुल उदासीन थे और कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते थे। राजेंद्र यादव कोई नौकरी नहीं करते थे इसलिए परिवार की आर्थिक मदद भी न के बराबर ही करते थे। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति दिनों–दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में मन्नू का दायित्व और भी अधिक बढ़ता चला जा रहा था। घर की आर्थिक समस्या के निदान के लिए मन्नू को रानी बिरला कॉलेज में पढ़ाना पड़ा। इस बीच उनकी बच्ची को अपनी मौसी सुशीला के घर रहना पड़ता, जिससे मन्नू काफी निराश रहती। वैसे भी उच्चतर कक्षा में पढ़ाने के लिए उन्हें अधिक तैयारी भी करनी पड़ती। कभी घर में काम करने वाली बाई के न आने पर समस्या और भी गंभीर हो जाती। घर चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता के कारण नौकरी करना मन्नू की मजबूरी बन गई थी। मन्नू के शब्दों में– "बच्ची के जन्म से बढ़ी जिम्मेदारियाँ ने, जिसका सारा बोझ भी मुझ पर आ पड़ा था, पहले बच्चे के जन्म की सारी खुशियों को ही सोख लिया। तभी रानी बिड़ला कॉलेज नया–नया खुला था और उन्होंने बहुत आग्रह करके मुझे हिंदी पढ़ने के लिए बुलाया। मिस बोस और बालीगंज शिक्षा सदन को छोड़ना... कैसे भावनात्मक उद्वेलन से गुजरी थी मैं! फिर भी गई, क्योंकि परिस्थितियों के दबाव ने मुझे मजबूर कर दिया था।"[15]

कॉलेज में नौकरी करने के कारण उनकी बेटी की उचित परवरिश नहीं हो पा रही थी। राजेंद्र इस काम को घटिया समझते थे और उनका अहंकार उन्हें इस कार्य की अनुमति नहीं देता था। मन्नू लिखती है– "उसे देखना न राजेंद्र के बस का काम था और न ही वे उसके लिए तैयार थे, क्योंकि

उनके मन की असली गांठ तो यह थी कि मेरे कॉलेज जाने के पीछे अगर उन्होंने बच्ची को देखा तो वह उसकी आया बनकर रह जाएंगे और उनका अहं उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था। हर बार की तरह आखिर इस संकट से भी सुशीला ने ही उबारा, पर परिणाम यह हुआ की तीन साल तक दोनों घरों के बीच लगातार बच्ची की शंटिंग होती रही।"[16]

यद्यपि मन्नू को राजेंद्र के नौकरी न करने से कोई तकलीफ न थी। वैसे भी राजेंद्र अपने खर्चे भर के लिए अपने लेखन से कमा लेते थे। नौकरी करना उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगता था। राजेंद्र यादव का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो चुका था की हंसी मजाक में कही गई बातें भी उनके आत्मसम्मान पर चोट कर जाती थी। आपस में कोई बातचीत हो जाने पर पूरी तरह से मौन धारण कर लेते और अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते। एक बार सुमित्राानंदन पंत द्वारा रेडियो में कुछ नियुक्तियों के बारे में राजेंद्र को प्रस्ताव दिया गया, किन्तु राजेंद्र उसके लिए भी तैयार न हुए। मन्नू की दृष्टि में जब कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता तो भला किसी भी नौकरी का प्रस्ताव आने, न आने का क्या मतलब था? अंततः राजेंद्र उस नौकरी पर नहीं गए। उनके नौकरी पर न जाने पर मन्नू लिखती है– "मुझे इनकी नौकरी न करने से न कोई शिकायत थी और न तकलीफ। तकलीफ थी तो केवल इस बात से कि जब आप नौकरी कर ही नहीं सकते–करना ही नहीं चाहते तो कम से कम मेरे नौकरी करने और घर चलाने पर इतनी–इतनी कुंठाएं पाल कर मेरा और अपना जीवन इतना असहज और तकलीफदेह मत बनाइये।"[17]

मन्नू भंडारी का संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण एवं समस्या ग्रस्त रहा। यहाँ तक कि बीमारी में भी उन्हें अकेलापन ही प्राप्त हुआ। मानसिक तनाव तो आम बात हो चुकी थी। इन प्रतिकूल धाराओं में भी मन्नू उस कुशल तैराक की तरह थी जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था और जीवन के लिए अनेक सपने सजाए जा रहा था। उनके अंदर की यही जिजीविषा उन्हें लिखने के लिए भाव भूमि प्रदान करती। समस्याओं के बावजूद वह लिखने के लिए स्पेस तैयार कर लेती। उनकी लेखन क्रिया निरंतर चलती रहती और उसके छपने पर पाठकों की प्रशंसात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त होती रहती। इससे मन्नू को एक नया संबल प्राप्त हो जाता। उनके शब्दों में– कफ़अपनी दुखती रगों और खाली कोनों को अपने लेखन से पूरा करने की कोशिश करती रहती थी। हर कहानी के छपने पर पाठकों की जैसे प्रशंसात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती, उनकी हौसला अफ़जाई के लिए वहीं काफी था।"[18]

लिखना तो वास्तव में एक दुष्कर कार्य होता है। लेखन क्रिया के लिए शांत तथा प्रसन्न चित्त होना आवश्यक है। असहज मस्तिष्क कभी नव सृजन नहीं कर सकता। मन्नू के घर की परिस्थितियों सामान्य नहीं की और माहौल में भारीपन था। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का मर्म भला कैसे तलाश पाएगा? मन्नू की झुँझलाहट तथा अतृप्ति उनके लेखन में भी दिखाई पड़ने लगी थी। किन्तु इस झुंझलाहट का परिणाम और अधिक सार्थक होता जाता और उनकी रचनाओं में और

भी अधिक धार उत्पन्न हो जाती। तमाम परेशानियों के बावजूद मन्नू ने एक रचनाकार की भूमिका बखूबी निभाई। अलगाव के बाद राजेंद्र से न तो कोई प्रतिस्पर्धा रह गई न ही ईर्ष्या। वैसे प्रतिस्पर्धा तो अच्छी होती है किन्तु ईर्ष्या एक खतरनाक संप्रत्यय है। खासकर के ऐसी स्थिति में जब दोनों तरु प्रबुद्ध साहित्यकार हों। प्रत्येक व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और उन्हें साकार करना उनका दायित्व भी होता है। किन्तु जीवन के क्षेत्रा में विसंगति तब आती है जब एक दूसरे के पूरक कहे जाने वाले पति पत्नी के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ स्फलता तथा असफलता रूपी खाई उत्पन्न हो जाती है। पुरुष कितना भी शिक्षित हो, किन्तु महिला की सफलता उसे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि सभी पुरुष ऐसे नहीं होते, किन्तु मन्नू भंडारी तथा राजेंद्र यादव की कहानी से तो फिलहाल यही साबित होता है। इतिहास गवाह है की पुरुष के साथ स्पर्धा रखना स्त्राी के लिए हमेशा ही महंगा सौदा साबित हुआ है। इसी स्पर्धा ने मन्नू भंडारी के भी जीवन गति में अवरोध उत्पन्न किया।

यदि हम घटना चक्र का निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो हमें मन्नू भंडारी के वक्तव्य में अंतर विरोध दृष्टिगोचर होता है। मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव से विवाह इसलिए किया था जिससे उन्हें लेखन के क्षेत्रा में सहायता प्राप्त हो सके। विवाह से पहले उन्होंने इसे अपने लिए लेखन का राजमार्ग खुलने जैसा प्रख्यापित किया था। किन्तु विवाह होने के पश्चात जब उन्हें दाम्पत्य जीवन की यथार्थता का पता चला तब उनका राजेंद्र के प्रति आकर्षण कम होता गया। मन्नू लेखन के प्रति किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करना चाहती थी। किन्तु दुर्भाग्य बस जिस राजेंद्र का चयन उन्होंने लेखन की प्रखरता बढ़ाने के उद्देश्य से किया था, वही राजेंद्र उसमें बाधा सिद्ध होने लगे। वैवाहिक जीवन की अस्फलता से मन्नू में राजेंद्र के प्रति नैराश्य भाव दिखाई देता है। यद्यपि केवल राजेंद्र यादव का ही संपूर्ण दोष है, ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि मन्नू भंडारी उन पर विवाहेत्तर संबंधों का आरोप मढ़ती रहती थी। मन्नू के मन मस्तिष्क में सदैव यह बात चलती रहती थी कि संभवतः राजेंद्र के विवाहेत्तर संबंध भी है। इसके लिए मन्नू को भी दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजेंद्र पूरी तरह से खुले विचारों वाले मनुष्य थे। बिना रोक टोक किसी से भी मिल सकते थे। उन्होंने कभी भी मन्नू को अपने व्यक्तिगत मुद्दों में शामिल नहीं किया था, जिसके कारण मन्नू के मन में भी राजेंद्र के प्रति आशंका उठना स्वाभाविक था। यद्यपि मन्नू की दृष्टि में पुरुष स्त्राी से अपने अहं को पूर्ण करने की अभिलाषा हमेशा ही रखता रहा है। ऐसी स्थिति में यदि स्त्राी उसके अहं को सहलाने का कार्य न करें तो वैवाहिक संबंधों की स्फलता संदिग्ध हो जाती है। जब तक स्त्राी अपने को दीन हीन नहीं साबित करती तब तक पति के साथ उसके अहं का टकराव अवश्य ही होता रहता है। वह राजेंद्र पर लेखकीय स्वतंत्राता के नाम पर विवाहेत्तर संबंधों को रखने का आरोप लगाती है। पति तथा पत्नी को आपसी विश्वास का प्रतीक माना जाता है, और जब कभी इस विश्वास को ठेस पहुंचती है तो उसका परिणाम विलगाव ही होता है। दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि राजेंद्र यादव मन्नू को वह सुख प्रदान नहीं कर सके

जिसकी चाहत एक नव विवाहिता पत्नी अपने पति से करती है। मन्नू स्वयं भी राजेंद्र के दो स्वरूपों का उल्लेख करती हैं, जिसमें एक पति राजेंद्र का तथा दूसरा साहित्यकार राजेंद्र का। पता नहीं उन्हें राजेंद्र का कौन सा स्वरूप चुभता था। संभवत राजेंद्र से तो उन्हें लगाव था किन्तु साहित्यकार राजेंद्र से उन्हें प्रतिस्पर्धा थी और उन्हें पीछे छोड़ने का प्रयास करती थी। इसी बात से साहित्यकार राजेंद्र का अहं चोटिल हो जाता था। मन्नू की दृष्टि में उन्हें उसे राजेंद्र से दुराव था जो कभी भी पत्नी को नहीं समझ पाया और विवाहेत्तर संबंधों में ही लिप्त रहा। वह पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागता रहा और पिता के दायित्व को भी समझ पाने में असमर्थ रहा। यहाँ एक प्रश्न और उठ खड़ा होता है कि आखिरकार मन्नू भंडारी काल्पनिक कथाओं में ही वास्तविक संसार क्यों ढूँढती रह गई? जबकि वास्तविक संसार में वह एक कुशल ग्रहणी सिद्ध नहीं हो पाई। वास्तव में मन्नू प्रारंभ से ही गलतियाँ करती दिखाई पड़ती है। प्रथम गलती उन्होंने संतान के रूप में किया था जब उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर राजेंद्र यादव जैसे गैर जातीय युवक से विवाह किया था। हालांकि माता के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वखूबी किया। पत्नी के रूप में उन्हें वह स्तर प्रदान नहीं किया जा सकता जो किसी श्रेष्ठ पत्नी के लिए वांछनीय है। कुल मिला कर कहा जा सकता है कि यह आत्मकथा मन्नू भंडारी की खुद की कहानी है जिसे वह आत्मकथा के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पायी। वह इसे एक कहानी ही बताती रह गई जो उनकी स्वयं की थी।

संदर्भ- संसूचिका :

1. मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, संस्करण–2009, पृष्ठ–8, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
2. वही, पृष्ठ–8
3. वह, पृष्ठ–15
4. वही, पृष्ठ–18
5. वही, पृष्ठ–53
6. वही, पृष्ठ–56
7. वही, पृष्ठ–53
8. वही, पृष्ठ–56
9. वही, पृष्ठ–57
10. वही, पृष्ठ–57
11. वही, पृष्ठ–59
12. वही, पृष्ठ–64
13. वही, पृष्ठ–64

14. वही, पृष्ठ–13
15. वही, पृष्ठ–65
16. वही, पृष्ठ–65
17. वही, पृष्ठ–67
18. वही, पृष्ठ–67

तुलसीदास का दार्शनिक चिन्तन : रामचरितमानस के आलोक में

डॉ० अरुण कुमार मिश्र
असिस्टेण्ट प्रोफेसर (हिन्दी)
एम०डी०पी०जी० कॉलेज प्रतापगढ़

सारांश

रामकाव्य धारा के अमरकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अमर कृति रामचरितमानस में अपनी अद्भुत दानिक दृष्टि को प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस के बहुत सारे ऐसे प्रसंग स्थल है जहाँ भक्त कवि ने दर्शन के समस्त अवयवों की अपनी लेखनी से स्पष्ट किया है। तुलसी ने राम को ब्रह्म स्वरूप मानकर 'ब्रह्म' के सगुण तथा निर्गुण स्वरूपों की विवेचना की है। जीव, माया, ज्ञान, अज्ञान, धर्म, भक्ति, वैराग्य सभी की अदभुत विवेचना तुलसी वांग्मय में सन्निहित है। दानिक दृष्टि से तुलसी अद्वैतवादी वेदान्ती सिद्ध होते हैं क्योंकि वे द्वैतवाद को मान्यता प्रदान करते दृष्टिगत नहीं होते हैं। द्वैत सिद्धान्त को वे क्रोध तथा अज्ञान की जननी मानते हैं। भक्ति ही तुलसी दनिका आधार है। ज्ञान, वैराग्य के होते हुए भी व्यक्ति भक्ति के अभाव में 'ब्रह्म' की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तुलसी दर्शन का प्रमुख लक्ष्य राम रूपी 'ब्रह्म' की प्राप्ति करना है। तुलसी ने विविध दर्शनिक सिद्धान्तों द्वारा सगुण तथा निर्गुण के मध्य समन्वय स्थापित कर समस्त दानिक विवादों को समाप्त कर दिया है।

भारतीय दार्शनिक चिन्तन परम्परा में यूँ तो अनेक दर्शन स्त्रियों का उल्लेख किया जा सकता है, किन्तु भक्तिकालीन काव्य धारा में सन्त तुलसी को एक प्रमुख दार्शनिक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तुलसीदास का आध्यात्मिक चिन्तन भारतीय चिन्तन धारा का चरमोत्कर्श है। तुलसी न केवल सांस्कृतिक मूल्यों के प्रतिशठता हैं बल्कि वे एक युग प्रवर्तक कवि हैं। तुलसी समस्त जगत को राममय अर्थात् ई" वरमय घोशित करके उसे प्रणाम करते है–

सीय राम मय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी।।[1]
इस प्रकार तुलसी का दर्शन समन्वयवादी कहा जा सकता है।

वे जितने भी जड़–चेतन हैं सभी को राममय मानकर उनकी वन्दना करते हैं–

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि।
बन्दउँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि।।[2]

अर्थात् जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं सबके चरण कमलों की दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ। तुलसी सम्पूर्ण संसार के जड़ चेतन सभी अवयवों में राम के रूप में ईश्वर का ही दर्शन करते हैं। यद्यपि वेदान्त दर्शन को हिन्दू चिन्तन धारा का चरमोत्कर्श माना जाता है, तथापि तुलसी चिन्तन वेदान्त को पुष्ट करने के साधन के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम सन्त तुलसी को एक वेदान्ती के रूप में समझ सकते है। तुलसी के काव्य में नाना प्रकार के निगम और आगमों का निष्कर्श समाहित है। भक्त कवि इस तथ्य की उद्घोषणा अपने प्रमुख ग्रन्थ रामचरितमानस के आरम्भ में ही करते है–

नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद्
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि।
स्वात: सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा,
भाषा निबन्ध मति मंजुल मातनोति।।[3]

गोस्वामी जी के पूर्व प्रमुख रूप से चार दार्शनिक सिद्धान्त प्रचलित थे। जिनमें अद्वैतवाद तथा विष्टिाद्वैतवाद प्रमुख है। अद्वैतवाद का प्रमुख आचार्य भांकराचार्य तथा विष्टिाद्वैतवाद का प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य को माना जाता है। यद्यपि कुछ स्थानों पर तुलसी भांकर के अभिमत का समर्थन करते प्रतीत होते है तो कहीं पर रामानुजाचार्य के अभिमत को मान्यता प्रदान करते है। इस प्रकार तुलसी का दर्शन अद्वैत तथा विश्टिाद्वैत का समन्वयक कहा जा सकता है। भांकर की तरह तुलसी को एक ही स्वीकार करते हैं किन्तु रामानुज की तरह उसमें विश्टिगुणों की परिकल्पना करते हैं। तुलसी का ब्रह्म अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार ग्रहण करता है। इसलिए तुलसी को अवतारवादी भी कहा जा सकता है।

भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल।
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाल।।[4]

विद्वानों के मध्य तुलसी दर्शन को लेकर गहरा मतभेद है। कोई उन्हें अद्वैतवादी, कोई द्वैतवादी, कोई विश्टिाद्वैतवादी तो कोई द्वैताद्वैतवादी मानता है। वस्तुत: तुलसी चिन्तन म इन सभी दर्शनों का कुछ न कुछ स्वरूप अवश्य दृष्टिगोचर होता है। अधिकांश स्थलों पर तुलसी अद्वैतवादी दृष्टिकोण के अत्यन्त समीप दृष्टिगत होते है। इसीलिए प्रमुख विद्वान उन्हें अद्वैतवादी ही स्वीकार करते है। डॉ० बलदेव मिश्र के शब्दों में– "गोस्वामीजी कुछ खण्डन–मण्डन वाले आचार्य तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने पारमार्थिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोणों का यथास्थान उपयोग किया है और दोनों को पूरी महत्ता दी है। परन्तु उनके समूचे सिद्धान्त वाक्यों का भली भाँति स्वाध्याय करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका यथार्थ दार्शनिक सिद्धान्त अद्वैत है।"[5]

समस्त तुलसी दर्शन का आधार भक्ति है। तुलसी इस संसार को असत्य तथा स्वप्नवत मानते हैं। इस प्रकार केवल सूक्ष्म को ही सत्य मानते हैं। तुलसी ने भांकर के 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' की उक्ति को पुष्ट किया है। तुलसी के अनुसार ईश्वर एक तथा जीव अनेक है। ईश्वर स्वतंत्र तथा जीव परतंत्र है–

परवा जीव स्वबस भगवन्ता। जीव अनेक एक श्रीकन्ता।।[6]

तुलसी दर्शन में भक्ति को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है।

भक्ति के द्वारा जीव ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। रामचरितमानस में ब्रह्म, जीव, माया, ज्ञान व अज्ञान, भक्ति, वैराग्य सभी की अदभुत विवेचना तुलसी के दानिक दृष्टिकोण की परिचायक है। अब हम तुलसी वाङ्मय के आलोक में इन सभी दानिक तत्वों की विवेचना का प्रयास करेंगे।

तुलसी की ब्रह्म मीमांसा : राम ही ब्रह्म

तुलसी ने रामचरितमानस में राम को ही ब्रह्म माना है। राम ही तुलसी के ईश्ट है। ईश्ट के चरणों में अनुराग ही भक्ति है। भक्ति के वा में ही होकर ईश्वर अवतरित होता है–

राम ब्रहा परमारथ रूपा। अविगत अकथ अनादि अनूपा।।
सकल विकार रहित गत भेदा। कीह नित नेति निरूपहिं वेदा।।[7]

व पार्वती संवाद में भगवान शिव ने माता पार्वती को राम के रूप का दिग्दष नि कराया था।

राम सच्चिदानन्द दिनेसा। नहि तहँ मोह निसा लवलेसा।।
सहज प्रकाश रूप भगवाना। नहि तहँ पुनि विज्ञान विहाना।।
हरश विशाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना।।
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानन्द परेस पुराना।।
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ।
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ।।[8]

अर्थात् "श्रीराम सच्चिदानंदस्वरूप सूर्य हैं। मोहरूपी रात्रि वहाँ कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती है। वे स्वभावतः प्रकाश स्वरूप हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता क्योंकि अज्ञान रूपी रात्रि के अभाव में ज्ञान रूपी प्रातःकाल केसे हो सकता है? हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। राम तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्द स्वरूप परात्पर और पुराण पुरुष हैं। इसे सारा संसार जानता है। जो प्रसिद्ध पुरुष, प्रकाश के भण्डार, सब रूपों में प्रकट हैं, जो जीव, माया तथा जगत के स्वामी हैं वे ही रघुकुल शिरोमणि राम मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें अपना भीष झुकाया।"

भगवान शिव ने राम को ब्रह्म घोषित करते हुए ब्रह्म के समस्त गुणों का वर्णन भी कर दिया। एक अन्य प्रसंग में स्वयं राजा दशरथ ने राम को समस्त चर–अचर का स्वामी घोषित किया है–

सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं। राम चराचर नायक अहही।।[9]

गुरु वशिठ तथा श्रीराम के मध्य संवाद का वर्णन उत्तरकाण्ड में दृष्टव्य है–

राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपा सिंधु विनती कुछ मोरी।।
देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदय अपारा।।
महिमा अमिति वेदनहिं जाना। मैं केहि भाँति कहउँ भगवाना।।
उपरोहित्य कर्म अति मन्दा। वेद पुरान सुमृति कर निन्दा।।
जब न लेउँ मैं तब बिधि मोही। कहा लाभ आये सुत तोहीं।।
परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। होइहिं रघुकुल भूशन भूपा।।[10]

उपरोक्त संवाद में भी राम को परमात्मा तथा ब्रह्म घोषित किया गया है। भांकर की भाँति तुलसी ने ब्रह्म को एक ही कहा है परन्तु, रामानुज के मत से साम्य रखते हुए सगुण तथा निर्गुण स्वरूप का उल्लेख किया है। यद्यपि बाद में 'ब्रह्म' के सगुण तथा निर्गुण स्वरूप का समन्वय भी कर दिया है–

सगुणहिं–अगुणहिं नहिं कुछ भेदा। गावत मुनि पुरान बुध वेदा।।
जो गुण रहित सगुण सोइ केसे। जल हिम उपल विलग नहिं जैसे
अगुन अरुप अलख अज जोई। भगत प्रेमबस सगुन सो होई।।[11]

अर्थात् सगुन तथा निर्गुण स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ऐसा मुनि, पुराण तथा विहान लोग कहते है। जो निर्गुण अरुप (निराकार) अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण व साकार हो जाता है।

मूलरूप से तुलसी ब्रह्म के स्वरूप को निर्गुण ही घोषित करते है। निराकार होने के कारण तुलसी का ब्रह्म बिना किसी अंग–अवयव के समस्त संसार का संचालन करता है। भगवान व राम के निर्गुण स्वरूप का विवेचन करते हुए कहते है–

जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई।।
आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा।।
बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु कम करइ विधि नाना।।
आनन रहित सकल रस भागी। बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी।।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहर घ्रान बिनु बास असेशा।।
असि सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी।।
जेहि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान।
सोइ दशरथ सुत भगत हित, कोसलपति भगवान।।[12]

अर्थात– "हे पार्वती! जिसकी कृपा से समस्त भ्रम का नाश हो जाता है कृपाल श्रीराम वही हैं अर्थात् ब्रह्म हैं। जिनका आदि तथा अन्त किसी को भी ज्ञात नहीं है तथा वेदों ने अनुमान करके जो गाया है उसके अनुसार वह ब्रह्म बिना पैरों के ही चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के समस्त कार्य सम्पादित करता है, बिना मुख तथा जिह्वा के समस्त रसों का उपभोग करता है और बिना वाणी के ही बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना भारीर के ही स्प करता है तथा आँखों के बिना ही देखता है और बिना नाक के सभी गंधों को ग्रहण करता है। इस प्रकार उसकी करनी अलौकिक है और उसका बखान नहीं किया जा सकता। जिसका इस प्रकार वर्णन वेद तथा विद्वान लोग करते हैं तथा मुनि लोग जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नन्दन, भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान राम है।"

कागभुसुण्डि तथा गरुण के संवाद में भी ब्रह्म के स्वरूप का उल्लेख हुआ है। लोमस नाम के एक सिद्ध तपस्वी ने निर्गुण ब्रह्म के गुणों का वर्णन किया है–

ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी। मोहिं परम अधिकारी जानी।।
लागे करन ब्रह्म उपदेश। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा।।
अकल अनीह अनाम अरुपा। अनुभवगम्य अखण्ड अनूपा।।
मन गोतीत अमल अविनासी। निर्विकार निरवधि गुनरासी।।
सो तैं ताहि तोहिं नहिं भेदा। वारि बीचि इव गावहिं वेदा।।[13]

अर्थात– "ब्रह्मज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अर्थात् अन्तर्यामी है। वह बुद्धि के द्वारा पाया नहीं जा सकता। वह इच्छारहित, नामरहित, रूपरहित, अनुभव से जानने योग्य अखण्ड और उपमा : रहित है। वह मन तथा इन्द्रियों से परे, निर्मल, अविनाी, निर्विकार, असीम तथा समस्त सुखों का भण्डार है। वेदों के अनुसार तू भी वही है और जल तथा उसकी लहर की भाँति उसमे (ब्रह्म) और तुझमें (जीव) कोई भेद नहीं है।"

आराधना के दृष्टि से तुलसी 'ब्रह्म' के सगुण स्वरूप को ही श्रेयस्कर समझते हैं। क्योंकि मानव मन उसके सम्मुख उपस्थित चित्र को सहजता से अंगीकार कर पाता है। भक्त कवि के अनुसार भक्त का संकट तो सगुण स्वरूप धारी परमात्मा ही मिटा सकता है। इसीलिए सगुण स्वरूप अत्यन्त बोधगम्य है। राम के सगुण स्वरूप का वर्णन करते हुए विभीषण जी रावण से कहते हैं–

तात राम नहि नर भूपाला। भुवनेशवर कालहु कर काला।।
ब्रह्म अनामय अज भगवन्ता। व्यापक अजित अनादि अनन्ता।।
गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुश तनु धारी।।
जन रंजन भंजन खल बाता। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता।।
ताहि बयरू तजि नाइय माथा। प्रनतारति भंजन रघुनाथा।।[14]

तुलसी काव्यधारा में ईश्वर के दोनों स्वरूपों का वर्णन किया गया है तो उन सभी को राम पर प्रत्यारोपित किया है। इस प्रकार स्वयं निर्गुण ब्रह्म अपने साकार स्वरूप के साथ राम के रूप में अवतरित है। तुलसी का ब्रह्म निर्विकार तथा निर्वि" श है तथा घट-घट में व्याप्त है। उत्तरकाण्ड में राम की व्यापकता का वर्णन करते हुए भक्त कवि लिखते हैं-

सोई सच्चिदानन्द घन रामा। अज विग्यान रूप बल धामा।।
व्यापक व्याप्य अखण्ड अनन्ता। अकिल अमोध भाक्ति भगवन्ता।।
अगुन अदभ्र गिरा गोतीता। सब दरसी अनवद्य अजीता।।
निर्मम निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख सन्दोहा।।
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। ब्रह्म निरीह विरज अविनासी।।[15]

अर्थात- "श्रीराम जी वही सच्चिदानन्द घन हैं जो अजन्में, विज्ञानस्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्ण, अमोघशक्ति से परिपूर्ण है। वे निर्गुण, महान, वाणी तथा इन्द्रियों से परे सब कुछ देखने वाले, निर्दोश, अजेय, निर्मम, निराकार, मोहरहित, नित्य, पाप से परे, सुख की राशि हैं। वे प्रकृति से परे, सभो के स्वामी, सब के हृदय में बसने वाले, इच्छा व विकार रहित, अविना" ब्रह्म है।

इस प्रकार तुलसी की ब्रह्म मीमांसा अत्यन्त उच्चकोटि की है। जिसमें सगुण तथा निर्गुण दोनों स्वरूपों के साथ-साथ 'ब्रह्म' की समस्त विनिश्टतायें दृष्टिगोचर होती हैं।

तुलसी की माया मीमांसा

तुलसी वस्तुतः एक अद्वैतवादी वेदान्ती के रूप में ही अवलोकित किये जा सकते हैं। भांकराचार्य के द"न में माया का एक विशिट स्थान है। माया स्वयं ईश्वर की एक सृजनात्मिका भाक्ति के रूप में प्रतिश्ठित की जाती है। तुलसी इसी मत का समर्थन करते है-

मम माया संभव संसारा। जीव चराचर विविध प्रकारा।।[16]

माया के अन्दर दो विश्ट प्रकार की भाक्तियाँ समाहित होती है। पहली- आवरण भाक्ति तथा दूसरी विक्षेप भाक्ति माया अपनी आवरण भाक्ति द्वारा ईश्वर के सत्य स्वरूप का दिग्दर्शन नहीं करने देती और जीव को भ्रमित कर देती है। विक्षेप भाक्ति द्वारा माया किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को न दिखाकर उसे कुछ अन्य आभासिक स्वरूप में दिखाने लगती है। माया के वशीभूत होकर जीव स्वयं को भूल जाता है। हनुमानजी श्रीरामजी से कहते हैं-

तब मायाबस फिरइ भुलाना। ताते मैं नहिं प्रभु पहिचाना।।[17]

अर्थात- मैं तो आपकी मायावश भूला हुआ फिरता हूँ इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। जीव जब माया के वीभूत हो जाता है तो समस्त विकारों से उसी तरह भर जाता है जैसे बरसात का पानी धरती पर गिरकर मिट्टी से भर जाता है-

भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहिं माया लपटानी।।[18]

लक्ष्मणजी द्वारा श्रीराम से ग्यान, वैराग्य, भक्ति तथा माया से संबंधित प्रश्न पूँछे जाने पर श्रीराम ने माया का विवचन किया-

मैं अरु मोर तोर तैं माया। जेहिं बस कीन्हें जीव निकाया।।
गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई।।
तेहिं कर भेद सुनहु तुम सेऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ।।
एक दुश्ट अतष ाय दुख रूपा। जा बस जीव परा भव कूपा।।
एक रचइ जग गुन बस जाके प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके।।[19]

अर्थात- मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी को माया कहते है। इसने ही समय चराचर जीवों को अपने वस में कर रखा है। इन्द्रियगम्य विशयों और जहाँ तक मन जा सकता है, उन सभी को माया ही समझना। माया के दो रूप होते हैं- विद्या तथा अविद्या के वीभूत होकर जीव संसार रूपी कुँए में पड़ा रहता है और यह अत्यंत दु:खरूपा है। विद्या भगवान से प्रेरित होकर सृष्टि का निर्माण करती है तथा उसमें गुण ही गुण विद्यमान होते है। उसे सिर्फ भगवान का सहारा होता है, उसका अपना बल कुछ भी नहीं होता। माया से ही मोह की उत्पत्ति होती है जो समस्त दु:खों की सृष्टिकर्ता है-

मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेहिं ते हिय उपजहिं बहु सूला।
माया से ढ़के रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म दिखायी नहीं पड़ता।
मायाछन्न न देखिऐ जैसे निर्गुन ब्रह्म।।[21]

माया के वशीभूत मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाता है। माया उसकी बुद्धि पर एक तरह का आवरण प्रक्षेपित कर देती है। इसी माया के चक्कर में जीव संसार में भटकता रहता है। माया की सत्ता कुछ इस प्रकार की है कि यह प्रपंचवत है और स्वप्नवत। यह असत्य होते हुए भी दु:ख देती है-

यहि विधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दु:ख अहई।।[22]

तुलसी की जीव मीमांसा

तुलसी का जीव तत्व ईश्वर का ही अंग प्रख्यापित है। तुलसी ने ईश्वर को एक तथा जीव को अनेक बताया है।

वर अंजीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासो।।[23]

आत्मा और जीव में भेद सिर्फ इस बात का है कि आत्मा अपने मूल वरीय तत्व को समझ लेती है किन्तु जीव माया के वीभूत भ्रमित रहता है। यद्यपि तुलसी ने ईश्वर तथा जीव के मध्य किसी भी प्रकार के भेद को नहीं माना है। इस प्रकार तात्विक दृष्टि से जीव तथा आत्मा ब्रह्मस्वरूप है, किन्तु फिर भी भक्त यह अनुभव करता है कि चेतनस्वरूपा आत्मा जड़ माया केवा में होकर भ्रमित रहती है। जीव अथवा आत्मा की यह पराधीनता यद्यपि मिथ्या है तथापि व्यावहारिक रूप से यह भ्रम बना रहता है। यह छूटने में बड़ी कठिनाई है।

जड़ चेतनहि ग्रंथ परिगई। जदपि मृशा छूटत कठिनई।[24]

असत्य होते हुए भी ब्रह्म और जीव के मध्य माया विद्यमान होती है और

जीव ब्रह्म प्राप्ति नहीं कर पाता–

उभय बीच सिय सोहति केसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी।।

वर की माया विशाल गूलर के फल के समान है जिसके मध्य कुछ जन्तु विचरते रहते हैं। यही जन्तु जीव के सदृष है। अगस्त ऋशि ने रामजी को सम्बोधित करते हुए यह उक्ति कही है–

ऊमरि तक विशाल तव माया। फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया।।
जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर बसहिं न जानिह आना।।
ते फल भक्षक कठिन कराला। तब भय डरत सदा सोउ काला।।[25]

माया के वशीभूत होकर यह जीव चौरासी लक्ष योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार भारतीय दार्शनिक और धार्मिक मतवाद के सभी मनीशियों एवं रचयिताओं के समान तुलसी जन्मान्तरवाद के सिद्धान्त को पुष्ट करते हैं–

आकर चारि लाख चोरासी। जोनि भ्रमत यह जीव अविनासी।।
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन होरा।।
कबहुंक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही।।[26]

किन्तु जो जीव ईश्वर के चरणों में अनुराग रखता है उसे यह माया भ्रमित नहीं कर पाती। जिस प्रकार किसी नट का सेवक उसके प्रति प्रेम रखता है उसी प्रकार जीव भासमान संसार में रहते हुए सच्चिदानन्द राम के प्रति पुश्ट प्रेम द्वारा उस के द्वारा दिखाये जाने वाले खेल को समझ लेता है और उसे माया व्याप्त नहीं कर पाती ।

काल कर्म नहिं व्यापहिं तेही। रघुपति चरन प्रीति रति जोही।।
नरकृत कपट विकट खगराया। नट सेवकहिं न व्यापइ माया।।[27]

तलसी के जगत-मीमांसा

सन्त कबीर के अनुसार संसार या जगत की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्म द्वारा अपनी माया भाक्ति द्वारा किया जाता है। माया अपनी विद्यारूपी सृजन भाक्ति द्वारा सम्पूर्ण जगत की रचना करती है–

संसार में जितने भी पशु–पक्षी, देवता, असुर तथा मनुष्य समेत जितने भी चेतन तथा जड़ जीव हैं वह सब ईश्वर द्वारा ही उत्पन्न हुये हैं और उसमें जो कोई भी मद ओर माया छोड़कर स्मरण करते रहते हैं वे सभी ईश्वर को अत्यन्त श्रेय हैं।

एहि विधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव सुर असुर समेते।।
अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोहिं बराबरि दाया।।
तिन्ह मँह जो परिहरि मद माया। भजै मोहिं मन बच अरू काया।।
पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ।
सर्व भाव भज पकट तजि मोहि परम प्रिय सोइ।।[29]

जगत के सम्बंध में तुलसी का मत भांकर के मत से समानता रखता हुआ प्रतीत होता है। भांकराचार्य ने जगत की व्याख्या दो दृष्टिकोणों के आधार पर की है। पहला पारमार्थिक दृष्टिकोण तथा दूसरा व्यवहारिक दृष्टिकोण। पारमार्थिक दृष्टिकोण से यह संसार असत्य, अवास्तविक तथा क्षण भंगुर है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से यही संसार बिल्कल ही वास्तविक तथा सत्य है। वेदान्त दर्शन ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या घोषित किया है। संत तुलसी ने भी इसी मत का समर्थन किया है। भगवान वि माता पार्वती से कहते हैं–

उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सच सपना।।[30]

इस प्रकार तुलसी ने जगत को स्वप्नवत कहा है। जिस प्रकार स्वप्न में किसी का सिर काटा जाता है किन्तु जागने पर उसका भ्रम समाप्त हो जाता है उसी प्रकार जगत का स्वरूप जैसा दिखायी देता है, वैसा वास्तविक रूप से नहीं है। मानसकार के अनुसार भी जगत क्षण भंगुर, असत्य तथा नाशवान है। यह जगत ईश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है–

जगत प्रकास्य प्रकाशक रामू। मायाधीस ग्यान गुन धामू।।31
एहि विधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुःख अहई।।
जौ सपने सिर काटै कोई। बिनु जागे न दूरि दुःख होई।।
जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई।।[32]

तुलसी की ज्ञान वैराग्य मीमांसा

सन्त तुलसी के अनुसार ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान तत्व का प्रमुख सहकार है। ज्ञानमार्ग अत्यन्त कठिन है। ज्ञान से ही विवेक उत्पन्न होता है। ज्ञान मार्ग द्वारा देवी पारमार्थिक सत्ता (ईश्वर) से साक्षात्कार भारतीय दर्शन और धर्म का अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है। यही ज्ञान उपनिशदों में भी प्रत्याभूत है। ज्ञान के तात्पर्य ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान है। ब्रह्म को जानना ही ब्रह्मज्ञान है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है।

सोइ जानइ जेहिं देहु जनाई। जानत तुम्हहिं तुम्हइ होइ जाई।।[33]

तुलसी ने ज्ञान पंथ को कृपाण (दोधारी तलवार) के रूप मे वर्णित किया है और इस मार्ग पर चलना अत्यन्त कठिन है।

ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। परत खगेस होई नहिं बारा।।
जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई। सो केवल्य परम पद लहई।।[34]

ज्ञान में अहंकार उत्पन्न होने का खतरा सदैव विद्यमान रहता है। ज्ञानी मनुष्य मान (सम्मान) की अपेक्षा करता है। इसलिए सम्मान प्राप्त न होने पर उसमें द्वैतबुद्धि उत्पन्न हो जाती है तथा उसे क्रोध इत्यादि दुर्गुणों का कार होना पड़ता है। इस प्रकार जिसमें ज्ञान और मान दोनों का अभाव रहता है वही सम्पूर्ण संसार को ब्रह्ममय देखता है–

ग्यान मान जहँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब पाहीं।।
कहिय तात सो परम विरागी। हन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी।।[35]

अर्थात– ज्ञान वह है जिसमें मान आदि दोषों का सर्वथा अभाव होता है। वही प्राणी समस्त प्राणियों को ब्रह्मस्वरूप अवलोकित करता है। परम वैरागी वही हो सकता है जो समस्त सिद्धियों तथा तीनों गुणों का परित्याग कर चुका हो। विरक्ति का जन्म धर्माचरण से होता है तथा ज्ञान की उत्पत्ति योग से होती है। ज्ञान ही मोक्ष प्रदाता है–

धर्म ते विरति जोग ते ग्याना। ग्यान मोक्ष प्रद वेद बखाना।।[36]

इस तरह ज्ञान की परम पवित्रता 'नहिं ज्ञानेन सदृ' पवित्रमिह विद्यते तुलसी दर्शन में भी स्पष्ट होती है।

तुलसी की भक्ति मीमांसा

रामचरितमानस में ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन भक्ति को प्रख्यापित किया गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेमस्वरूपा तथा अमृत के समान बतलाया गया है। सन्त तुलसी ने भक्ति को

सुखों की मूल घोषित किया है–

भगतितात अनुपम सुख मूला। मिलइ जौ सन्त होहिं अनुकूला।।
भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी।।
पुण्य पुंज बिनु मिलहिं न सन्ता। सतसंगति संसृति कर अन्ता।।[37]

बल्लभाचार्य के अनुसार– भगवान में हेतु रहित निश्काम और निशठायुक्त अनवरत प्रेम का ही नाम ही भक्ति है। यही पुरुशों का परम धर्म है।

सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे।
अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।[38]

ईश्वर के कथारूपी गुणों का गान करते हुए जो गद्गद हो जाता है और उसका भारीर पुलकित हो जाता है, नेत्रों में अश्रुपात होने लग जाता है, वही भक्त है।

मम गुन गावत पुलक भारीरा। गद्गद् गिरा नयन बह नीरा।[39]

तुलसी के अनुसार भक्तिहीन मनुष्य बिना जल के बादलों के समान दिखायी देता है।

भगति हीन नर सोहइ केसा। बिनु जल वारिद देखिय जैसा।।[40]

भक्ति नौ प्रकार की प्रख्यापित की गयी है। इसी नवधा भक्ति का उपदेश श्रीराम ने भाबरी को दिया है।

तुलसी की कर्म मीमांसा

तुलसी के दष्न में कर्मफलवाद का सिद्धान्त स्पष्टतया परिलक्षित होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल होता है। सुख–दुःख मनुष्य को उसके कर्मफल के कारण ही प्राप्त होते है।

कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फल चाखा।।[41]

सुरसरि गंगा के तट पर निश्दराज गुह को समझाते हुए श्रीलक्ष्मण जी ने भी इसी सिद्धान्त का दिग्दर्शन कराया है–

बोले लखन मधुर मृदु बानी। ग्यान विराग भगति रससानी।।
काहु न कोउ सुख–दुखकर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।।[42]

गंगा के किनारे सिंसुपा वृक्ष की छाया में भूमि पर सोते हुए सीता और रामजी को देखकर निशादराज गुह अत्यन्त दुःखी हो जाते है ।

सिय रघुवीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोगू।।[43]

उपरोक्त सभी प्रसंगों में तुलसी का कर्म फल सिद्धान्त पुष्ट होता है।

तुलसी को धर्म-मीमांसा

तुलसी के लिए धर्म स्थापना अत्यन्त आवष यक है; इसीलिए तुलसी के दार्शनिक चिन्तन में धर्म चिन्तन समाहित है। तुलसी के ईश्ट धर्म की स्थापना के लिए ही धरती पर अवतरित है-

जब जब होई धरम के हानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।।
तब तब धरि प्रभु विविध सरीरा। हरहिं कृपा निधि सज्जन पीरा।।[44]

श्रीराम धर्म के पालक हैं। धर्म हेतु ही उनका अवतार हुआ है-

धरम सेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता।[45]

बालि ने भी अपने बध के समय राम के इस अवतार हेतु व्याख्या धर्म की स्थापना के निमित्त बतायी थी-

धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई। मारेहु मोंहि व्याध की नाई।।[46]

भरत जी में धर्म की प्रधानता हैं। इसीलिए उन्हें धर्म धुर धारा प्रख्यापित किया गया-

जौ न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरनि धरत को।।[47]

निश्कर्ष

तुलसी की चिन्तनधारा में अद्वैत दन की छटा परिलक्षित हाती है। तुलसी ने ब्रह्म की प्रतिपादना के साथ-साथ माया, जीव, जगत, ईश्वर प्राप्ति के मार्गो की भी विवेचना प्रस्तुत की है। इस प्रकार समस्त दार्शनिक तथ्य एवं अवयव तुलसी दार्शनिक चिन्तन धारा में समाहित है। द्वैतवाद का पूर्णतः खण्डन तुलसी दर्शन की विश्टिता है। तुलसी का ब्रह्म मायातीत है। ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति के पथ का अनुरोण करके तुलसी के 'ब्रह्म' की प्राप्ति की जा सकती है। माया का बंधन ज्ञान के आलोक से निःसृत हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त जीव मोक्ष का भागी होता है। तुलसी के अनुसार मनुष्य अपने-अपने कर्म फल के अनुसार इस नश्वर जगत में चौरासी लक्ष योनियों में भटकता हुआ अन्त में भशुभ कर्मो द्वारा मोक्ष प्राप्त कर ईश्वरमय हो जाता है। तुलसी का दर्शन दानिक चिन्तन परम्परा का चरमोत्कर्श है।

संदर्भ सूची

1. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
2. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड

3. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
4. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
5. डॉ० बलदेव मिश्र, तुलसी दर्शन, पृ० 210
6. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
7. तुलसीदास, रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड
8. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
9. तुलसीदास, रामचरितमानस, 8
10. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
11. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
12. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
13. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
14. तुलसीदास, रामचरितमानस, लंकाकाण्ड
15. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
16. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
17. तुलसीदास, रामचरितमानस, किश्किंधाकाण्ड
18. तुलसीदास, रामचरितमानस, किश्किंधाकाण्ड
19. तुलसीदास, रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड
20. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
21. तुलसीदास, रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड
22. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
23. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
24. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
25. तुलसीदास, रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड
26. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
27. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
28. तुलसीदास, रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड

29. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
30. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
31. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
32. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
33. तुलसीदास, रामचरितमानस, 8
34. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
35. तुलसी 28 अरण्यकाण्ड
36. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड
37. तुलसीदास, रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड
38. सुबोधिनी टीका, 10/02/06
39. तुलसीदास, रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड
40. तुलसीदास, रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड
41. तुलसीदास, रामचरितमानस, 8
42. तुलसीदास, रामचरितमानस, 8
43. तुलसोदास, रामचरितमानस, 8
44. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
45. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड
46. तुलसीदास, रामचरितमानस, किश्किंधाकाण्ड
47. तुलसीदास, रामचरितमानस, 8

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

संघर्षशील महिला की कथा : रमणिका गुप्ता की हादसें

सरोज कसौधन
शोध छात्रा, हिन्दी
शिवहर्ष किसान पी०जी० कालेज, बस्ती

भूमिका :

हिन्दी साहित्य के क्षेत्रा में स्त्रीवादी लेखिकाओं में रमणिका गुप्ता जाना माना नाम है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। साहित्य क्षेत्रा में उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में विशेषत आदिवासी विमर्श पर लेखन कार्यो की एक लम्बी फैहरिस्त है। हादसे (2005 ई.) एवं आपदुदरी (2014–15 ई.) अब तक उनकी दो आत्मकथाएँ प्रकाशित हो चुकी है। दोनों आत्मकथाओं को पढ़ने के पश्चात् पाठकों के मन में एक प्रश्न सदैव उठता रहा है कि रमणिका गुप्ता का कौन–सा रूप ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। लेखिका का या राजनीतिक महिला का? राजनीति के जरिए साहित्य में प्रवेश का क्या कारण था? इन समस्त प्रश्नों का उत्तर उनकी आत्मकथा में प्राप्त हो जाता है।

संकेत शब्द : संघर्षशील, राजनीतिक, मोहताज, फैहरिस्त, चालबाजियां

रमणिका गुप्ता एक संघर्षशील महिला के रूप में हिंदी साहित्य जगत में जानी जाती है। उनकी आत्मकथा को संघर्षो की अपराजेय गाथा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। रमणिका गुप्ता का मन सदा ही श्रमिकों, आदिवासी महिलाओं के शोषण तथा उत्पीड़न के प्रति द्रवित रहा। भू- माफियाओं तथा मिल मालिकों की मिली भगत से नित्य शोषण का यह क्रम चल रहा था। बिहार तथा झारखंड में कोयला खदानों में मजदूरी करने वाले मजदूरों के साथ सामंतवादी ताकतों का अत्याचार उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। वहाँ लोकतंत्रा का खूनी द्वंद तथा राजनीतिक चालबाजियां अपने चरम पर विद्यमान थीं, जिसके विरुद्ध उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ा। आदिवासी मुद्दों से सरोकार रखने के कारण उन्हें आदिवासी लेखन के क्षेत्रा में महान लेखिका माना जाता है। उनकी आत्मकथा का प्रथम भाग 'हादसे' नाम से सन 2005 में प्रकाशित हुआ। आदिवासियों के लिए उन्होंने उसे हर स्तर पर उतरकर संघर्ष किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके लिए उन्हें शासन से लेकर प्रशासन तक का सामना करना पड़ा। अपने संघर्षो के क्रम में वह आन्दोलन करती है, कई बार जेल जाती है, किन्तु

निर्दयी सरकार के सामने झुकती नहीं है। राजनीति में रहते हुए भी वह ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ी रही जो कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों का आंदोलन कहा जाता था। उनके शब्दों में– "मैं राजनीति में हूँ। उस पर भी ट्रेड यूनियन आन्दोलन से जुड़ी हूँ, वह भी कोयला खदानों में खटनेवाले मज़दूरों का आन्दोलन ऐसा आन्दोलन जो मालिकों, ठेकेदारों, उनके लठैतों और पहलवानों के दौर से गुजरता हुआ राष्ट्रीयकरण में बँधकर, यूनियनों के आपसी या भीतरी झगड़ों को झेलता हुआ अभी भी माफिया, लीडरों, छोटे-बड़े रंगदारों, महाजनों और सूदखोरों से जूझ रहा है। नौकरशाहों के पैंतरों की मार, नियम-कानूनों की एकतरुा रस्साकशी ने उसे भौंचक कर रखा है। 'परिवर्तन' की मुहिम की अगुवाई करने की क्षमता रखते हुए भी यह आन्दोलन आपसी टकराहट के अवरोधों के चलते कुछ कर नहीं पाया है।"[1]

उनके प्रयासों से ही कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण संभव हो सका और मजदूरों तथा कामगारों को रोजगार प्राप्त हो सका। अपने अंतहीन संघर्षों के विषय में वे कहती हैं– "जिस जद्दोजहद से हम गुजरे उसे आज भी याद कर मैं सिहर उठती हूँ लेकिन इस विश्वास से रोमांचित हो उठती हूँ कि मजदूरों की संगठन शक्ति कामयाब हुई बस इच्छा शक्ति का होना जरूरी होता है ऐसे समय में।"[2]

रमणिका गुप्ता का जन्म पटियाला के एक क्षत्रिाय राजपूत घराने में हुआ था। इनके पिता एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑफिसर थे। स्वभाव से रमणिका बचपन से ही अपने मन की करने वाली एक हठीली तथा जिद्दी किस्म की लड़की थी। किसी कार्य को एक बार ठान लेने पर बिना पूरा किए न हटना उनका स्वभाव था। दीन तथा दलितों के प्रति उनके मन मे गहरी संवेदनाएं थीं। उनके मन का साहस ही उन्हें आगे चलकर सामंती युग की कसौटियों को चुनौती देने की शक्ति देता है। जीवन के पहले कदम से ही उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया, जब अपने परिवार के विरुद्ध जाकर उन्होंने अपनी जात पाँत से अलग वेद प्रकाश गुप्ता नाम के युवक से प्रेम विवाह कर लिया, जो की एक बनिया बिरादरी से संबंध रखते थे। तत्कालीन परिस्थितियों में यह कोई सामान्य कदम नहीं था। इसके लिए उन्हें काफी पारिवारिक प्रतिरोध भी झेलना पड़ा, फिर भी रमणिका अपने निर्णय से नहीं डिगीं। विवाह के बाद पति के साथ झारखंड चली जाती हैं, किन्तु वहाँ भी वह चौखट में बंद होकर रहना स्वीकार नहीं करती और पति से विद्रोह करके मजदूरों, कामगारों तथा आदिवासियों के साथ उनके संघर्ष में शामिल हो जाती हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के सुखों को छोड़कर गरीबों तथा आदिवासियों के दुखों के निवारण के लिए उनकी आवाज बनकर उनके बीच ही रहने लगती हैं। प्रस्तुत आत्मकथा में उनके मिल मालिकों के साथ किए गए संघर्षो का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। इस आत्मकथा में उनका बोल्ड लेखन जहाँ तहाँ दिखाई पड़ जाता है। आदिवासी मजदूरों के के शोषण के विरुद्ध वह खुलकर खड़ी होती हैं और सामंतवादी ताकतों के साथ दो-दो हाथ करती हैं। आदिवासी श्रमिकों के प्रति अपने मनोभावों को चित्रित करते हुए रमणिका गुप्ता लिखती है– "मैं

अपना दु:ख–सुख मजदूरों के दु:ख–सुख में महसूस करती थी। इसलिए उनकी तकलीफ को देखकर मेरा गुस्सा बढ़ता था। मैं गुस्से में रोने लगती हूँ और फिर सघर्ष शुरु कर देती हूँ, और कड़े से कड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हूँ। मुकाबले होते भी थे बहुत तगड़े।"[3]

रमणिका गुप्ता एक राजनेता की तरह व्यवहार करती थी। यद्यपि पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति का ककहरा भी उन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि वह तो एक देशभक्त सैनिक परिवार से संबंध रखती थी। बिहार के राजनीतिक माहौल ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने राजनीति में भी अपने हाथ आजमाये। इसीलिए इस आत्मकथा को एक स्त्राी की आत्मकथा न मानकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उभरती महिला की कहानी माना जा सकता है। उनकी राजनीतिक कुशलता ने भारतीय राजनीति का गढ़ माने जाने वाले बिहार की राजनीतिक व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया। इसलिए इसे एक साहसिक क्रांतिकारी महिला की प्रेरणास्पद गाथा भी कहा जा सकता है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा तर्कशक्ति का उल्लेख करते हुए रमणिका लिखती हैं– "बचपन से ही मैं राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की धारणा से जुड़ी रही। पाँचवीं छठी कक्षा में पढ़ती थी तो 'सत्यार्थ प्रकाश' के समर्थन में मूर्ति–पूजा के ख़िलाफ़ घंटों बहस करती रहती थी। मेरी बहसों की शिकायत विक्टोरिया स्कूल व कॉलेज पटियाला की प्रिंसिपल मिस सेन के पास गई तो उन्होंने मुझे बुलाकर ख़ूब डाँटा वर्ष बाद जब मैं फिर उसी कॉलेज में इंटर में पढ़ती थी तो मैंने डटकर भगवान के विरुद्ध बहस करनी शुरू की। ऐसी बहसें करने में मुझे बड़ा मजा आता था। लगभग 14 वर्ष की उम्र से ही मैं स्कूल व कॉलेज में होनेवाले वाद–विवाद, खेलकूद, नाटक तथा के कार्यक्रमों में भाग लेती थी और सबसे आगे रहती थी। उस समय भी मैं अपने निर्णय खुद लेती थी और उनका अच्छा–बुरा फल भोगने को तैयार रहती थी।"[4]

उनकी राजनीतिक क्षमताओं को देखकर तत्कालीन कांग्रेस के कुछ नेताओं को उनसे चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी नेता की चाटुकारिता नहीं की। उन्होंने अपने दम पर अपने लिए रास्ता बनाया और राजनीति के क्षेत्रा में भी आगे बढ़ चलीं। कांग्रेस में उस समय चाटुकारिता का बोलबाला था। छोटे स्तर के नेता बड़े स्तर के नेताओं की चाटुकारिता करके अपने लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करते थे। स्त्राी और पुरुष का भेदभाव भी तत्कालीन कांग्रेस में दिखाई पड़ता था। रमणि ाका गुप्ता बिना किसी पुरुष राजनीतिज्ञ का सहारा लिए स्वयं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चली। इस संदर्भ में वह लिखती है– "कांग्रेस के बहुत से नेता मुझसे चिढ़ते थे क्योंकि मैंने उनकी कभी परवाह नहीं की थी। यहाँ लोग स्त्राी कार्यकर्त्ताओं को अपना कलेवा मानते थे जिसे भूंख लगने पर खाने का एक स्वार्जित जन्मसिद्ध अधिकार उन्होंने प्राप्त कर रखा था। उनकी नजर में बिना किसी पुरुष नेता वृक्ष का सहारा लिए महिला नेता–लता पनप और बढ़ नहीं सकती थी और मै लता बनने को तैयार नहीं थी।"[5]

रमणिका की जिजीविषा उस समय भी दिखाई देती है जब 1947 में देश को स्वतंत्राता प्राप्त हो

जाने के बाद विभाजन की विभीषिका भी उपस्थित हो गई। विभाजन के फलस्वरुप पाकिस्तान का गठन हुआ और लोगों की अदला बदली होने लगी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत आने लगे और भारत से मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे। यह सारा कार्य राजनीतिक तौर पर हो रहा था। देश में धर्म के नाम पर कत्लेआम प्रारंभ हो चुका था और इस कत्लेआम में ज्यादातर वही लोग शामिल थे जो 1946 में पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर भारत आए थे। इसमें स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत ही कम थी। कहने को तो वे शरणार्थी थे, किन्तु उन्होंने महिलाओं पर भी कहर ढाया। जो मुस्लिम औरतें पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार थी, उन्हें नंगा करके जुलूस निकाला गया। सेना ने हस्तक्षेप कर ऐसी औरतों को कैंप में भिजवाया था। इन सारी घटनाओं के पीछे कुछ चरित्राहीन अफसरों द्वारा घिनौने कार्य चल रहे थे। अफसरों के घरों में महिलाओं को केद करके रखा जाने लगा और उन्हें दासियों तथा रखेलों के रूप में रहना पड़ा। तात्कालिक परिस्थितियों को चित्रित करते हुए रमणिका लिखती है– "अफसरों के घरों में दासियों और रखैलों की संख्या बढ़ने लगी थी। हमारे घर में हर रोज कलह बढ़ रही थी। मैं इन लड़कियों की मदद करने के लिए जाना चाहती थी, पर मुझे रोका जाता था। गुस्से में मैं रोया करती थी। हमारे यहाँ भी पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान) से कई मित्रा परिवार समेत आ गए थे। कोयटा के हमारे मकान मालिक का परिवार भी हमारे ही यहां शरण लेकर रह रहा था।"[6]

देखते ही देखते उपद्रवियों तथा कुछ अफसरों द्वारा लड़कियों को अगवा कर लिया जाता था। छोटे स्तर के अधिकारी बड़े अधिकारियों के यहाँ लड़कियों की सप्लाई करते थे जहाँ उनके साथ घिनौना काम किया जाता था। पंजाब में लड़कों के विवाह की समस्या पहले से ही चली आ रही थी। इस दौरान कई लोगों ने कई–कई पत्नियाँ रख ली थी। लापता हुई लड़कियों की खोज बीन जारी थी। इसके लिए सुशीला नायर तथा पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्राी गुरमुख सिंह भी मुस्लिम महिलाओं की खोज में एक पाकिस्तानी टीम के साथ पटियाला आए थे। कुछ अधिकारी मंच से खड़े होकर लड़कियों की तलाश करने की बात कर रहे थे। रमणिका को ऐसी महिलाओं के बारे में पुख्ता जानकारी थी। ऐसी स्थिति में रमणिका मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए खुद को अर्पित कर देती है और खुले मंच से ऐसे चरित्राहीन तथा भ्रष्ट अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहती है– "ये जो यहाँ भाषण दे रहे है और लड़कियों को खोजने का आश्वासन दे रहे है, सब सब झूठ बोलते हैं। इनके घरों में ही तो लड़कियाँ है। इन्ही लोगों के घरों में जाइए, एक-एक के यहाँ पाँच-पाँच, दस-दस लडकियाँ मिल जाएँगी।"[7]

आजादी की लड़ाई के दौरान रमणिका पर गांधी जी का व्यापक प्रभाव पड़ा। एक लेखिका के साथ–साथ वह स्वतंत्रा जीवन जीने की चाहत रखने वाली नारी भी थीं, जो किसी की दासता स्वीकार नहीं कर सकती थी। गांधी जी के आवाहन पर उन्होंने भी खादी के वस्त्राों को पहनना प्रारंभ कर दिया। खादी उस समय महज कोई वस्त्रा नहीं था, अपितु राष्ट्र प्रेमियों की भावना का प्रतीक था।

भारतीय जन जन में एकता का सूत्राधार था। खादी केवल वही पहन सकता था जो जन कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहता था। अपने ऊपर महात्मा गांधी के प्रभाव को स्वीकार करते हुए वे लिखती है– "राष्ट्र की आजादी की लड़ाई और गांधीजी के प्रभाव में मैंने 15–16 वर्ष की उम्र में ही खादी पहनना शुरू कर दी थी। बचपन से ही मैं खुदसर थी, पंजाबी भाषा में कहूँ तो आपहूदरी थी। इसका मुझे कभी कोई मलाल नहीं रहा। यह प्रवृत्ति, यह जिद अगर मुझमे न होती तो संभवतः में कहीं गृहिणी बनी रोटियाँ पका पकाकर आठ–दस बच्चों को खिलाने में ही सन्तुष्ट रही होती। यदि राजनीति में आई भी होती तो या तो कहीं लता बन सहारे खोजती हुई भटक गई होती या फिर मेरे इर्द–गिर्द का पुरुष समाज मुझे लील गया होता। जिस मुकाम पर मे आज हूँ, वहाँ नहीं होती।"[8]

सन 1960 में रमणिका गुप्ता का परिवार पति प्रकाश के तबादला हो जाने के कारण धनबाद आ जाता है। प्रकाश धनबाद के सहायक श्रम आयुक्त बनाए गए थे। धनबाद आते ही समाज सेवा करते हुए राजनीति के क्षेत्रा में सक्रिय हो गई। उन्होंने भारत समाज कल्याण तथा भारत सेवक समाज जैसी कई संस्थाओं में अपनी सहभागिता निभाई और साथ ही महिला सिलाई प्रशिक्षण का काम भी करती रही। उनका प्रत्येक कार्य महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने को समर्पित रहा। जब उनके पति प्रकाश का तबादला कानपुर हो जाता है तो भी वे कानपुर जाने से मना कर देती है और बच्चों के साथ धनबाद ही रुक जाती है। इसी बीच उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में भी कार्य करने का मौका मिला। उनके जुझारूपन को देखते हुए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता भेजा, जिसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्रा दे दिया और सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस में उन्हें महिला कार्यकर्ता के तौर पर मानसिक शोषण का सामना करना पड़ा। सन 1962 से लेकर 1967 तक उनकी कांग्रेस के भीतर संघर्ष की लंबी यात्राा रही, जिसका पटाक्षेप उन्होंने यशपाल कपूर को लिखें अपने पत्रा में इस प्रकार से किया– "कांग्रेस पार्टी में केवल लताएँ ही फुनगी तक पहुँच सकती है। जो महिला स्वयं पेड़ बनने की क्षमता रखती हो उसे काट दिए जाने की मुहिम चलाई जाती है और मैं लता बनने को तैयार नहीं चूँकि मैं खुद निर्णय लेने में सक्षम हूँ। पति, पिता, भाई, बेटा या प्रेमी का सहारा लेकर बढ़ना मेरी आदत नहीं, इसलिए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मैं अपना रास्ता खुद खोज लूँगी या रास्ता ही मुझे खोज लेगा।"[9]

बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार गिरने के बाद रमणिका गुप्ता ने उसकी सदस्यता ग्रहण की थी जिससे कि उन पर सत्ता के लोभ का आरोप न लग सके। वैसे भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में कांग्रेस जितना महिलाओं का शोषण भी नहीं था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक छत्रा नेता कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। इस दौरान भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट घटनाक्रम तब घटा जब भारत सरकार ने कंजरकोट तथा छाड़बेट का इलाका पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तथा जन संघ ने संयुक्त रूप से इसका प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया। डॉ० राम मनोहर लोहिया ने गैर

कांग्रेसवाद का नारा बुलंद किया। संयुक्त मोर्चे का गठन कर कच्छ आंदोलन का फैसला लिया गया। कच्छ आंदोलन में भी लेखिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसने उनके राजनीतिक जीवन को नया मोड़ प्रदान किया। यहीं से उनके जीवन में राजनीति के नए रास्ते खुल जाते हैं। भारत सरकार के इस फैसले के विरुद्ध उन्होंने राष्ट्रीय पैमाने पर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के दौरान वह निम्नलिखित नारा लगाती थीं– "कंजरकोट हमारा है– छाड़वेट हमारा है– भारत सरकार निकम्मी है– कितनी लम्बी जेल तुम्हारी देख लिया है– दखेंगे।"[10]

रमणिका के कच्छ जाने के फैसले से कर्पूरी ठाकुर भी परेशान थे। हालांकि उनकी चिंता सिर्फ उनके महिला होने को लेकर थी। वह नहीं चाहते थे की रमणिका कुछ युवकों के साथ अनजान रास्ते पर अकेले जाए क्योंकि रास्ते में गुंडों और बदमाशों का खतरा भी तो था। इसलिए उन्होंने रमणिका को स्नेह मिश्रित डांट भी पिलाई, किन्तु रमणिका अपने फैसले से हटी नहीं। कर्पूरी ठाकुर ने उनसे कहा था– "रमणिका जी! रास्ते में आपको गुंडे बदमाश मिलेंगे, आप महिला होकर इन नौजवानों के साथ अकेली जा रही है। आप मत जाइए। आप मेरे साथ चलिएगा। हिच्च हाईक तरीके से या पैदल चलकर आप लोग वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाइएगा। आप पागल मत बनिए।"[11]

कर्पूरी ठाकुर जैसे सर्वमान्य नेता की बात भी रमणिका ने ठुकरा दिया। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को करारा जवाब दिया जिससे कर्पूरी ठाकुर उन्हें फिर कुछ न कह सके। लेखिका के शब्दों में– "मैं महिला के नाते नहीं एक कार्यकर्ता के रूप में जा रही हूँ। आप मुझे महिला के दायरे में शामिल कर महिलाओं को कमजोर साबित करने की कोशिश मत कीजिए। रास्ते में जो कुछ भी घटेगा वह हम सबके साथ घटेगा। एक बात और में आपके साथ जाऊँ तो आपकी परिभाषा के अनुसार तब भी मैं महिला ही रहूँगी न। आश्चर्य है आप भी स्त्राी–पुरुष के दायरे में सोचते हैं, जहाँ तक शर्त की बात है, तो रही शर्त। सच मानिए ठाकुरजी मैं अपने जत्थे के साथ आपका स्वागत करने के लिए आप से पहले वहाँ हाजिर रहूँगी।"[12]

रमणिका कच्छ के लिए प्रस्थान करती हैं। उनके इस फैसले से कुछ राजनीतिज्ञों में हलचल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह उनके आंदोलन को कमजोर करने के प्रयास में लग जाते हैं। उन्होंने सत्याग्रहियों के मनोबल को तोड़ने के अनेकों उपक्रम किये जिसके कारण मात्रा ग्यारह सत्याग्रहियों के साथ रमणिका कच्छ की यात्राा पर निकल जाती है। चलने के दिन पार्टी का कोई नेता जत्थे को विदा करने तक भी नहीं। सभी नेताओं को यह डर था की रमणिका कि इस तरह कच्छ जाने से उसकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और उसका कद ऊंचा हो जाएगा। पब्लिसिटी पानी की ईर्ष्या के कारण ही नेता लोग विदा करने तक नहीं आए। रमणिका लिखती है– "चलने के दिन पार्टी का कोई नेता हमे विदा करने नहीं आया। संध्या समय ही शहीद स्मारक पर फूल चढ़कर हम ग्यारह साथी कर्पूरीजी के

फ्लैट, जो वीर चंद्र पथ पर था, से विदा हुए।"[13]

रास्ते में उन्हें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि भोजन भी नसीब नहीं होता था। चंदा मांग कर दल के लोग भोजन की व्यवस्था करते, तो कभी भूखे ही रह जाते। अनेको कठिनाइयों के बावजूद जत्था कच्छ की दलदली जमीन पर सबसे पहले पहुँच जाने की शर्त जीत लेता है। कच्छ की भूमि पर पहुँचने पर आंदोलनकारियों के साथ वहां की सरकार द्वारा कड़ा व्यवहार किया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इसी बीच संसद में जूता फेंकने की घटना भी घटित हो जाती है जिससे माहौल और बिगड़ गया। कच्छ की भूमि पर ही लेखिका के जीवन में एक नया घटनाक्रम घटित होता है जब वहाँ रह रहे लालमोहन नामक युवक के साथ लेखिका को प्रेम हो जाता है। इस घटना पर राजनीति में रह रहे उनके पुरुष मित्राों ने अनेकों आरोप लगाए, यहां तक की पति के साथ भी उनके संबंध टूटने की कगार तक पहुंच गए। रमणिका के शब्दों में– "सन 1968 में कच्छ से वापसी पर मेरा राजनीति में सीधे प्रवेश, राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की क्षमता हासिल करना तथा विभिन्न राजनीतिक नेता मित्राों से दिन–रात उठक बैठक, घनिष्ठ मेलजोल मुझे पारिवारिक रिश्तों से दिनों दिन दूर करता गया। मेरे घनिष्ठ रिश्ते मधुर रिश्ते में परिभाषित होने लगे और मेरे राजनीतिक मित्राों से मेरे रिश्तो को लेकर उठाए गए प्रश्न या शक शुबहा पर मेरी तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश को सह्य नहीं थी। न ही मैं प्रकाश की प्रश्नों भरी नजरों या तेवर को सहने को तैयार थी। इसलिए मैं प्रकाश से तलाक लेने की एक बड़ी जिद लेकर एक बड़े फैसले से कटिबद्ध होकर लौटी थी –जो मेरे पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को दांव पर चढ़ा सकता था।"[14]

उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी क्योंकि बचपन से ही उन्होंने आत्मनिर्णय किया था। आखिर प्रकाश के साथ विवाह भी तो उन्होंने परिवार के विरोध के बावजूद किया था। यहाँ भी वह कठोर फैसला लेने में पीछे नहीं रहती और लालमोहन के साथ प्रेम करती रहती है। उन पर चौतरुा हमले होते रहे, किन्तु वे बेहिचक अपने काम में लगी रही। वह लिखती है कि– "मैं जो हूँ खुली किताब के रूप में सामने हूँ। मानों न मानों पर मेरा अस्तित्व है और रहेगा। इस विश्वास को लेकर चलती रही हूँ, तभी तो सब ओर के हमले भी मैं झेल पाई।"[15]

रमणिका जी का चुनावी स्र्र 1968 में प्रारंभ हुआ जब उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कांग्रेस के विरोध में मांडू से चुनाव लड़ने का फैसला किया। किन्तु उक्त चुनाव में वह कांग्रेस के शालिग्राम सिंह से 700 वोटो से हार जाती हैं। वह चुनाव भले हार गई हों, किन्तु उन्होंने आदिवासियों का दिल जीत लिया था और उनके बीच वह रानी मां या गुप्ता रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जनता को दिए गए वादे को निभाने के लिए वह मांडू में ही रुक गई और अगले दिन टाटा कंपनी के खिलाफ

आंदोलन का ऐलान कर दिया।

रमणिका गुप्ता की आत्मकथा पूँजीपतियों तथा मजदूर वर्ग के बीच नित नए संघर्षों की कथा है। उन्होंने सामंती समाज की कुरीतियों को उजागर किया। बिहार के अशिक्षित लोगों के लिए संघर्ष किया और उनकी भुखमरी समाप्त करने के लिए अनेकों प्रयास किये। मजदूरों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने शासन प्रशासन से डटकर मुकाबला किया। आदिवासियों के सम्मुख रोज नई-नई खादाने खुलने से संकट उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि खदानों के लिए जंगल काटे जा रहे थे, और यहां तक की कोयले की धूल उनके खेतों में जम जाती थी जिससे उनकी फसल नष्ट हो जाती थी। खादान बनाने के लिए किए जाने वाले बारूदी विस्फोटों से आसपास के गाँव के कुँए भी सूख जाते थे, जिससे पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो जाता था। पहले तो गाँव के आदिवासी मजदूर खदानों में काम करने से मना करते थे क्योंकि उनका गुजारा उनके अपने खेतों से आसानी से हो जाया करता था, किन्तु रोज नए-नए खदान खेती को चौपट कर रहे थे। उन्हें गहरा आघात तब लगा जब सरकार ने नए-नए कानून बनाकर उन्हें जंगल में प्रवेश करने से रोक दिया। इन कानून से जल जंगल और जमीन पर उनका पुश्तैनी अधिकार समाप्त होने लगा। प्रक्रिया से मजबूर होकर आदिवासी लोग भी कोयले की खदानों में मजदूर बन गए, जहाँ उन्हें बहुत ही कम वेतन प्राप्त होता था। इसलिए आदिवासी महिलाएं भी खदानों में काम करने लगीं, जहां उनके साथ अधिकारी तथा पूँजीपति लोग दुराचार तक करने की कोशिश करते थे। इस प्रकार न तो आदिवासियों का जीवन सुरक्षित था और न ही उनकी महिलाओं का। देश को आजादी मिलने के बाद भी बिहार में अराजकता की ही स्थिति बनी रही और कोयले की नगरी कहा जाने वाला धनबाद मुक्त नहीं हो पाया। राजाओं महाराजाओं तथा भूमाफियाओं का जमीन पर एकाधिकार हो चुका था। मजदूर सिर्फ मजदूर बनकर रह गए थे। भूमि स्वामित्व पर उनका कोई भी अधिकार नहीं था। प्राकृतिक वातावरण को भी खासा नुकसान पहुँच रहा था, क्योंकि जंगलों की हरियाली धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही थी। पूँजीपति लोग जातिवाद का जहर बोकर समाज को लड़ाने का काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लेखिका अपना पारिवारिक मोह छोड़कर उन आदिवासियों के लिए संघर्ष में लगी हुई थी। स्वतंत्राता प्राप्ति के पश्चात रियासतों का एकीकरण कर दिया गया। कोयले की खदानों को लेकर जंगल जमीन सब पर सरकारी अधिग्रहण होने लगा। सन 1952 में कंदला-झारखण्ड तथा 1957-58 में कोलरियों की बहाली के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1968 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने पानी की समस्या को दूर करने का वादा किया था। पानी की समस्या को दूर करने के लिए पाइप लाइन बनवाती है और घर घर में नल लगवाकर इस समस्या का निदान करती हैं। अपने इन जन सेवा के कार्यो से वे 'पानी की रानी' नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। उनके साहसिक कारनामों की खबरे अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पाने लगी। राजनीति के क्षेत्रा में उनका कद इतना बढ़ चला था की अन्य जिलों के मजदूर उन्हें यूनियन बनाने के लिए समर्थन देने लगे थे। यहीं से

उनके जीवन का अन्य अध्याय शुरू होता है जिसमें लंबी लड़ाई दिखाई पड़ती है। यह लड़ाई उनकी खुद के स्वार्थ पूर्ति की नहीं बल्कि समुदाय के हितों के रक्षण की थी। रमणिका लिखती हैं– "यूनियन का गठन मेरे जीवन की एक अहम घटना थी। बाद में मैंने पूरी तरह उस क्षेत्रा में जड़े जमा ली और एक के बाद एक कई आंदोलनों का तांता लग गया। यहाँ से जीवन की उस लम्बी लड़ाई की शुरुआत हुई जो व्यक्ति की नहीं निजत्व की नहीं बल्कि समूह, समष्टि और व्यवस्था के परिवर्तन से जुड़ी थी। उसमें अकेली मै नहीं बल्कि समष्टि थी समष्टि की प्रतीक मैं। एक व्यापक दृष्टि का रूप मैं। मैं समाहित हो गई थी उस समूह में और समूह व्याप्त हो गया था मुझ में।"[16]

सन 1909 में उन्होंने यूनियन का गठन किया था और उसका ऑफिस केदला में बनाया था। एक बार संघर्ष के दौरान किसी ठेकेदार द्वारा अश्लील शब्द कहे जाने पर रमणिका ने उसके मुँह पर थप्पड़ जड़ दिया जिससे वहाँ ठेकेदार के गुंडों व लठैतों में उत्तेजना व्याप्त हो गई और वह फरसा लेकर रमणिका की तरफ दौड़ पड़े। किन्तु एक पुलिस अधिकारी की सक्रियता से इनकी जान बच पाई। फिर इन्होंने रणचंडी का स्वरूप धारण कर लिया और भीड़ में लठैतों के पास जा जाकर उन्हें फरसा चलाने की चुनौती देने लगी– "लो हिम्मत है तो मारो, माँ का दूध पिया है तो चलाओ फरसा सामने खड़ी हूँ और देखती हूँ किसमें हिम्मत है जो मुझे रोके।"[17]

निष्कर्ष :

लेखिका के जीवन में संघर्षों का दौर निरंतर जारी रहा। सन 1970 में कुजू की घटना घटित होती है। कुजू की घटना में उन पर जान लेवा हमलों से उनकी कलाई की हड्डी टूट जाती है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं किन्तु इस अवस्था में भी उन्होंने नारे लगाकर मजदूरों का मनोबल बढ़ता जारी रखा। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दे रखी थी। मजदूरों में अपने नेता के घायल होने से डर व्याप्त हो गया था। उनकी राजनीतिक मेधा को देखकर श्रीमती इंदिरा गांधी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पायीं और उन्होंने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्राण दिया। इंदिरा के प्रस्ताव पर वह पुनः कांग्रेस में पदार्पित हुई और कांग्रेस ने उन्हें 20 सूत्राीय कार्यक्रम के सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिया। सन 1974 –75 के दौरान उन्हें कांग्रेस पार्टी की हजारीबाग जिला की अध्यक्ष बनाया गया। समाज सेवा हो अथवा राजनीति, सभी क्षेत्राों में उनके किए गए कार्यो की एक लंबी श्रृंखला विद्यमान है जो उनके स्वाभिमान तथा ईमानदारी का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने राजनीति में लंबा समय गुजारा और लगातार समाज सेवा में लगी रही। कभी–कभी तो उन्हें जीवन में ऐसे पलों का भी सामना करना पड़ा जब पार्टी प्रतिबद्धता तथा मानवीयता के बीच चुनाव करना पड़ा। आदिवासियों के प्रति उनके मन में प्रेम सदा ही उमड़ता रहता था और उन्होंने उनकी जमीनों को वापस दिलाने के लिए कानूनी दरवाजे

भी खटखटाये। कई बार दिल्ली तक की यात्राा की। एक सांसद के रूप में उन्होंने सदन की बेंच पर खड़ी होकर आदिवासियों के समर्थन में मांगे रखीं। इसलिए कहा जा सकता है कि रमणिका गुप्ता की यह आत्मकथा उनके राजनीतिक जीवन में तूफानी झंझावातों से गुजरने की अविस्मरणीय रचना भी है।

संदर्भ सूची ग्रंथ :

1. रमणिका गुप्ता, हादसे : औरत अगर खुदसर हो, पृष्ठ-16, तीसरा संस्करण-2019, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
2. रमणिका गुप्ता, हादसे : कोयले की बौछारों से आकाश करिया हो गया, पृष्ठ- 129, तीसरा संस्करण -2019 राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
3. रमणिका गुप्ता, हादसे : केदला की हड़तालों पर सौदेबाजी, पृष्ठ-132, तीसरा संस्करण -2019 राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
4. रमणिका गुप्ता, हादसे : औरत अगर खुदसर हो, पृष्ठ-16, तीसरा संस्करण-2019, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
5. रमणिका गुप्ता, हादसे : स्वयं सिद्धा होने का संकल्प, पृष्ठ-27, तीसरा संस्करण -2019, (राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली)
6. रमणिका गुप्ता, हादसे : विभाजन और दंगे, पृष्ठ-21, तीसरा संस्करण-2019, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
7. रमणिका गुप्ता, हादसे : विभाजन और दंगेद्व पृष्ठ-21, तीसरा संस्करण-2019, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
8. रमणिका गुप्ता, हादसे : औरत अगर खुदसर हो, पृष्ठ-17, तीसरा संस्करण-2019, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
9. रमणिका गुप्ता, हादसे : मेरी कच्छ-यात्राा, पृष्ठ-30, तीसरा संस्करण-2019, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
10. वही, पृष्ठ-46
11. वही, पृष्ठ-31
12. वही, पृष्ठ-31-32
13. वही, पृष्ठ-32
14. रमणिका गुप्ता, हादसे : अपराध-बोध और आत्मदया की ग्रन्थियाँ, पृष्ठ-53, तीसरा संस्करण-2019, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
15. वही, पृष्ठ-52
16. रमणिका गुप्ता, हादसे : यूनियन का गठन, पृष्ठ-79, तीसरा संस्करण-2019, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
17. रमणिका गुप्ता, हादसे : एक दिशा की ओर चल पड़े सैंकड़ों पाँव, पृष्ठ-89, तीसरा संस्करण-2019, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

भारत के आत्मनिर्भर अभियान में सौर ऊर्जा की भूमिका

डॉ० कौशल किशोर मिश्र
असिस्टेंट प्रोफेसर – भूगोल विभाग
लाल विजयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय
टिकरी अमेठी

सारांश :-

आत्मनिर्भर भारत अभियान में निश्चित रूप से भारत की सौर ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अवसरों के नए द्वार खोले है। प्रस्तुत पत्रा में सौर ऊर्जा में छिपा आत्मनिर्भर भारत की पूरी रूपरेखा का निरूपण किया गया है। पर्यावरण प्रबन्धन में भारत विश्व गुरू की भांति सम्पूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करते हुए एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड की अवधारणा प्रस्तुत कर पूरे विश्व का शुभचिन्तक होने का एहसास करा दिया है। 'मेड इन इंडिया' ने देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला खड़ा किया है जिसमें सौर ऊर्जा की भूमिका का निरूपण किया गया है। भारत में ऊर्जा की भारी कमी को पूर्ण करने में सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत की जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को साकार करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सौर ऊर्जा के योगदान को सविस्तार निरूपित किया गया है। सौर ऊर्जा तकनीक का उल्लेख कर महत्वाकांक्षी योजनाओं की ऊर्जा पूर्ति के अनेक उपायों को सुझाया गया है। क्लीन एनर्जी के उत्पादन पर देश जिस तरह निरन्तर प्रगतिशील है इससे 2050 तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य भी रखा गया है। कुसुम योजना का लाभ तथा आत्मनिर्भरता की तरु अग्रसर अनेक आयामों का वृहद विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द :- सौर ऊर्जा, आत्मनिर्भर, अवधारणा, अभियान, योजना, अर्थव्यवस्था, तकनीक, जलवायु, एनर्जी, मेगावाट, मॉड्यूल, सिलिकॉन, केर, सेल, मॉड्यूल, सोलर पैनल, संसाधन, ऊर्जा, उपकरण, परियोजना, किलोवाट, महत्वाकांक्षा।

प्रस्तावना :-

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है। कोयले और जल से प्राप्त बिजली ही देश के आत्मनिर्भर बनाने में सहायक नहीं है। विद्युत उत्पादन में रेडिएशन और प्रदूषण का खतरा भी कम नहीं। देश की बढ़ती आबादी और कारोबारी संभावनाओं के मद्देनजर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की तलाश बहुत पहले ही आरम्भ हो गई थी इस तलाश में भारत न केवल सफल हुआ बल्कि स्वच्छ और किफायती ऊर्जा बनाने के मामले में उसने दुनिया के शक्तिशाली देशों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रा का शुभारंभ भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि है। चार हजार करोड़ की लागत से बने इस सौर ऊर्जा संयंत्रा की स्थापना से रीवा, सफेद बाघ और नर्मदा के लिए ही नहीं, सौर पार्क के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाएगा। यहां उत्पन्न होने वाली वैकल्पिक, स्वच्छ और सस्ती सौर ऊर्जा का लाभ मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगा। सौर ऊर्जा भरोसेमंद, शुद्ध और सुरक्षित है। भारत अब दुनिया के सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष पांच देशों में शामिल हो गया है। इससे बड़ी उपलब्धि और प्रसन्नता की बात किसी देश के लिए भला और क्या हो सकती है। रीवा सौर पार्क की मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त उपक्रम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर द्वारा विकसित किया गया है।

प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी ने यह विश्वास दिलाया है कि इस संयंत्रा के सुचारू संचालन के साथ ही मध्य प्रदेश साफ-सुथरी और सस्ती बिजली का हब बन जाएगा। इससे किसानों, मध्यम और गरीब परिवारों और आदिवासियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बहुत आक्रामक तरीके से बढ़ावा दे रहे है इसका लक्ष्य भारत के घरेलू निर्माण क्षेत्रा को मजबूत बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है।

भारत की ऊर्जा उत्पादन एवं आवश्यकता :-

भारत में ऊर्जा की भारी कमी है। विश्व बैंक के अनुसार देश में अब भी 20 करोड़ लोगों के पास बिजली की सुविधा का अभाव है। वर्ष 2035 तक भारत में ऊर्जा की मांग में 4.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होगी जो दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे अधिक है। विश्व के ऊर्जा बाजार में भारत की मांग 2016 में पांच प्रतिशत थी जो 2040 तक बढ़कर 11 प्रतिशत हो जाएगी। चूंकि, भारत की जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयले और तेल पर निर्भरता वर्ष 2030 तक काफी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है ऐसे में कम कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा के स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा के माध्यम से भारत की आधी से अधिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके

अलावा भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा की मांग का 40 फीसद हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से पूरी करने का वादा किया है फिर भी भले ही भारत में सौर ऊर्जा के निर्माण की मांग 20 गीगावाट प्रति वर्ष हो लेकिन इसके संसाधनों की निर्माण क्षमता केवल 3 गीगावाट की जरूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम है। ऐसे में घरेलू सौर ऊर्जा निर्माण क्षेत्रा के विकास में और देरी होने से देश की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डालेगी।

भारत को तुरंत ही एक ऐसा नीतिगत ढांचा बनाने की जरूरत है, जिससे वो सौर ऊर्जा के उपकरणों जैसे सोलर मॉड्यूल के घरेलू निर्माण उद्योग और इनसे जुड़े अन्य उत्पादों के निर्माण को बढ़ाए और आयात पर अपनी निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर बने। इसलिए भारत को तुरंत ही एक ऐसा नीतिगत ढांचा बनाने की जरूरत है, जिससे वो सौर ऊर्जा के उपकरणों जैसे सोलर मॉड्यूल के घरेलू निर्माण उद्योग और इनसे जुड़े अन्य उत्पादों के निर्माण को बढ़ाए और इनके आयात पर अपनी निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर बने। ताकि देश को स्थायी और कम लागत वाले ऊर्जा संसाधन मिल सकें और इनके माध्यम से रोजगार के भी अधिक अवसर पैदा हों।

वर्ष 2011 तक सौर ऊर्जा के मॉड्यूल बनाने और इनके निर्यात में भारत अव्वल हुआ करता था। भेल, टाटा पावर, मोजर बियर, इंडोसोलर और लैंको जैसे निर्माताओं ने देश में इस उद्योग की शुरूआत की थी। लेकिन, सरकार की नीतियों में उलट फैर और वित्तीय मदद की कमी के कारण इस क्षेत्रा का औद्योगिक विकास आगे नहीं बढ़ सका। घरेलू उत्पादन के मुकाबले सस्ते चीनी आयात ने भारत के घरेलू सौर ऊर्जा उद्योग की तकनीक और निर्माण क्षेत्रा के विकास को रोक दिया। आज देश को राष्ट्रीय सोलर मिशन से मेल खाती हुई एक ऐसी आक्रामक रणनीति की जरूरत है, जिससे सौर ऊर्जा उद्योग का लंबी अवधि के लिए विकास किया जा सके और इसके माध्यम से मुनाफा बरकरार रखते हुए सस्ते आयात का मुकाबला करने लायक निर्माण किया जा सके। इसके लिए उचित दर पर वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिए। ताकि घरेलू निर्माण क्षमता की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। अगर भारत ऐसा कर पाता है, तो घरेलू सौर ऊर्जा निर्माण उद्योग का विकास होने से भारत वर्ष 2030 तक लगभग 42 अरब डॉलर के सौर ऊर्जा उपकरणों के आयात की बचत कर सकेगा। साथ ही साथ वो सौर ऊर्जा क्षेत्रा की आपूर्ति की सुरक्षा दे सकेगा। इससे देश में अगले पाँच वर्षों में 50 हजार नौकरियों का प्रत्यक्ष रूप से तो सवा लाख रोजगार का अप्रत्यक्ष रूप से सृजन हो सकेगा।

रीवा सौर ऊर्जा संयंत्रा स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष से 0.25 फीसदी ब्याज पर 40 साल की अवधि के लिए प्राप्त धन से तैयार भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है। यह भारत का पहला सोलर पार्क है जिसे विश्व बैंक से रियायती ऋण मिला है। इस परियोजना से राज्य डिस्कॉम को 4600 करोड़ रुपये

और दिल्ली मेट्रो को 1400 करोड़ रुपये की बचत होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। रीवा परियोजना में 250–250 मेगावॉट की तीन सौर उत्पादक इकाइयां हैं और यह सौर पार्क के अंदर 500 हेक्टेयर की जमीन पर स्थापित हैं। अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्रा के निर्माण के लिए 1542 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई गई है। जिसमें 1276.546 हेक्टेयर वन भूमि अधिग्रहीत की गई है, शेष निजी भूमि है। मुख्यमंत्राी शिवराज सिंह चौहान अगर यह कह रहे हैं कि विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं के जरिये मध्य प्रदेश भविष्य में 10 हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम योगदान देगा तो इससे उनके आत्मविश्वास और देश को आगे ले जाने की भावना ही झलकती है। शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। ओमकारेश्वर बांध पर तैरने वाला सौर ऊर्जा संयंत्रा लगा है, यह इस बात का द्योतक है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्रा में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी सोच के तहत यह सब किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा को श्योर, प्योर और सिक्योर बताते हुए प्रधानमंत्राी ने जो वजह बताई हैं, वे पूर्णतया वाजिब है। सूर्य हमेशा चमकता रहेगा। उससे इस देश को हमेशा ऊर्जा मिलती रहेगी। इससे पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित और सफ़–सुथरा बना रहेगा। इससे बिजली की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्राी ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड की बात कहकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रीवा के गुढ़ में स्थापित इस सौर ऊर्जा संयंत्रा परियोजना से पैदा हुई बिजली का 76% हिस्सा प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और 24% दिल्ली मेट्रो को मिल रहा है। 2 रुपए 97 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलना, इस परियोजना की बड़ी खासियत है। रीवा सौर परियोजना से हर साल 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रुकेगा। जाहिर है, इन अपार संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्रा में विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी होगी।

सौर ऊर्जा तकनीक :–

सोलर सेल का निर्माण करना एक प्रक्रिया है जिसमें उच्च तकनीक भी लगती है और काफी पूंजी भी लगानी पड़ती है और ऊर्जा के उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला में पॉली सिलिकॉन, केर, सेल और मॉड्यूल की असेंबली होती है सौर ऊर्जा से संबंधित भारत की अधिकतर कंपनिया अभी केवल मॉड्यूल असेंबली का काम करती हैं। भारत के पास ज्यादा लागत और तकनीकी सक्षमता वाले सिलिकॉन और इन्गॉट के उत्पादन का तकनीकी अनुभव नहीं है। भारतीय कंपनियों ने सौर ऊर्जा के क्षेत्रा में अब तक केवल 246 पेटेंट कराए हैं। साफ है कि सौर ऊर्जा तकनीक के क्षेत्रा में भारत की उपलब्धियां बेहद कम हैं जबकि भारत के मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उपकरण निर्माता चीन की कंपनियों ने 39 हजार 784 पेटेंट करा रखे हैं। सौर ऊर्जा के संसाधनों के निर्माण की तकनीक के क्षेत्रा में

लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें पूंजी की भी जरूरत होती है और जानकारी की भी। जहां तक नई तकनीक हासिल करने में आने वाली लागत की बात है, तो भारत को अपने रिसर्च और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ताकि स्वदेशी निर्माता कम लागत वाले स्वदेशी और अगली पीढ़ी के सोलर पैनल बनाने वाली तकनीक विकसित कर सकें।

अब चूंकि निर्माण की प्रक्रिया में तीन स्तर के कामगारों की जरूरत होती है। जिनके पास अलग–अलग तरह के हुनर हों। जैसे कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के इंजीनियर, बिल्डिंग सिस्टम के विशेषज्ञ, मॉडल बनाने वाले और असेंबली लाइन के श्रमिक। ऐसे में वैल्यू चेन के हर स्तर पर कौशल की कमी का विश्लेषण करके, क्षमताओं के विकास की नीतियां बनाना एक सही दिशा में उठाया जाने वाला कदम होगा। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (NISE) सौर ऊर्जा के क्षेत्रा में रिसर्च और अनुसंधान, परीक्षण, स्किल डेवेलपमेंट और सर्टिफिकेट देने का काम कर रहा है, लेकिन, इस संस्थान का पूरा ध्यान और ऊर्जा के उत्पादन पर है। एनएसआईई और अन्य बड़े तकनीकी संस्थानों जैसे कि आईआईटी, आइटीआई, सीएसआईआर और नेशनल स्किल डेवेलपमेंट काउंसिल मिल कर कौशल विकास के कार्यक्रम बना सकते हैं जिनके माध्यक से भारत सौर ऊर्जा के निर्माण क्षेत्रा का विकास कर आत्म निर्भर बन सकता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में सौर ऊर्जा का लक्ष्य :-

पिछले कुछ सालों में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रा में संभावनाएं बढ़ती जा रही है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्राी नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। उन्होंने वर्ष 2018 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा में 'एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड' की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य ही एक ग्रीन ग्रिड के माध्यम से पूरी दुनिया में अक्षय ऊर्जा में आपूर्ति संतुलन स्थापित करना और आपस में साक्षा करना था। ऐसी व्यवस्था से सातों दिन और 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा सकती है। हमारे देश के द्वारा प्रस्तुत की गई यह अवधारणा नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है और यह भी संकेत करता है कि भारत ऐसे अवधारणा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर तो बढ़ेगा ही साथ ही ऊर्जा के क्षेत्रा में पूरे विश्व का नेतृत्व भी करेगा। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्रा में काफी उपलब्धियां हासिल की है और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक यह साढ़े चार सौ गीगावाट तक ऊर्जा हरित साधनों से पैदा करेगा। हमारे देश में सौर ऊर्जा की प्रचुरता है और यह पर्यावरण की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है। हम सौर ऊर्जा के क्षेत्रा में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो रहे हैं,

यह अच्छी उपलब्धि है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा सोलर प्लांट लगाने को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष छूट दिये जा रहे हैं।

भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। भारत इस क्षेत्रा में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर सम्पूर्ण जनमानस के जीवन में बदलाव ला रहा है। भारत के किसान कुसुम योजना का लाभ लेकर अपने खेतों में सोलर पंप लगाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं और बहुत से लोगों को सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने से बिल आने की बजाय बिजली के पैसे भी मिल रहे हैं। गुजरात के मौढ़ेरा गाँव के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं जिसके फलस्वरूप सरकार बहुत से गाँवों को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाते हुए सूर्यग्राम में बदले जा रहे है। जिससे गाँवों में 24 घण्टे बिजली भी आ रही है ओर बिजली का बिल भी नहीं आ रहा है। ओडिशा के केन्दूझर जिले के आदिवासी महिलाओं को सोलर से चलने वाली रोलिंग मशीन पर रेशम कताई का प्रशिक्षण मिल रहा है जिससे वे अपने कुटीर उद्योग के पूर्णरूप से आत्मनिर्भर हो रही है। प्रधानमंत्राी द्वारा 'मिशन लाइफ' भी शुरू किया गया है यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। मिशन लाइ़फ का सीधा सिद्धांत है कि ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाए जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाये बिना विकास पथ पर अग्रसर होते हुए आने वाली पीढ़ियों के जीवन केा सुखमय बनाये रखें।

स्रोत :-

1. आत्मनिर्भर अभियान से भारत के सौर ऊर्जा की बदलती तस्वीर–अपनीराव।
2. By Air News October 30, 2022 page 137.
3. सौर ऊर्जा में छिपा आत्मनिर्भर भारत का सपना–सियाराम पाण्डेय।
4. Agniban 14 Jul-2020.

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

भारतीय संगीत में थाटों का क्रमिक विकास

डॉ० कविता शर्मा
विभागाध्यक्षा
सिम्बॉयजिया गर्ल्स कॉलेज

सारः-

संगीत मानव जीवन का ऐसा शुभ्र और शाश्वत अलंकार है जिसकी दीप्ति कम नहीं होती। वस्तुतः चराचर जगत में जो कुछ भी सौन्दर्यमय तत्त्व है, सब संगीतमय है। संगीत एक कला से अधिक वह अप्रतिम सुधा है, जो मानव मन में रागात्मक गुणों का संचार करती है।

भारतीय शास्त्रीय संगीत जो शास्त्रीय नियमों और सैद्धान्तिक सीमाओं में बँधा हुआ है, संगीत का सर्वाधिक परिष्कृत औपचारिक और जटिलतम रूप है। किसी भी स्थिति में इसके शास्त्रीय नियमों व सिद्धान्तों की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है तथा वैराग्य की ओर प्रेरित करता है। इसकी अभिव्यक्ति रागों व तालों के माध्यम से होती हैं जिनकी प्रस्तुति में भिन्न-भिन्न मौलिक तत्त्वों का समावेश होता है। संगीत के यह मौलिक तत्त्व हैं- नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, लय व थाट।

कोई भी पद्धति अनायास या एकाएक नहीं आ जाती वरन् शनैः शनैः विकास के क्रमिक सिद्धान्त से ही प्रकट होती है। भरत तथा शारंगदेव के समय तक 'मेल' का प्रचलन नहीं था। थाट पद्धति 11वीं, 12वीं, 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के सांगीतिक स्वरूप को जानने से स्पष्ट होती है। 12वीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक थाट पद्धति को पूर्ण विकसित होने में लगभग 800 वर्ष लगे। विकास की इस धारा में धीरे-धीरे परिवर्तन आये। आज जो थाट राग पद्धति प्रचलित है, यह किसी एक व्यक्ति के प्रयास का फल नहीं वरन् अनेकों विद्वानों के सतत् परिश्रम का परिणाम है।

मुख्य शब्दावली :- संगीत, संगीत के मौलिक तत्व, थाट, थाट का क्रमिक विकास

प्रस्तावनाः-

संगीत मानव जीवन का ऐसा शुभ्र और शाश्वत अलंकार है जिसकी दीप्ति कम नहीं होती। वस्तुतः चराचर जगत में जो कुछ भी सौन्दर्यमय तत्त्व है, सब संगीतमय है। संगीत एक कला से अधिक वह अप्रतिम सुधा है, जो मानव मन में रागात्मक गुणों का संचार करती है। इस मनोदशा में मानव की शुष्कता और नीरसता समाप्त हो जाती है और उसके इन्द्रिय लोक में मधुरता, संवेदनशीलता एवं समरसता की सरस सरिता प्रवाहित होने लगती है। मनुष्य के जीवन की प्रत्येक अवस्था के मूल में कोई न कोई चित्तवृत्ति अवश्य रहती है। सामान्य जीवन में इन चित्तवृत्तियों के साथ हमारा इतना तादात्म्य रहता है कि उनके प्रति हमारा विशेष लगाव रहता है। इन्हीं चित्तवृत्तियों में कलाऐं भी रहती हैं। प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई कला किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। इन्हीं कलाओं में संगीत कला भी है जिसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में मनुष्य से जुड़ा हुआ है। कला की सरलतम परिभाषा के अनुसार वह वस्तु अथवा कार्य, जो आनन्द प्रदान करे कला है।

संगीतः-

संगीत संस्कृत भाषा के दो शब्दों का यौगिक रूप है। प्रथम शब्द 'सम' तथा द्वितीय शब्द 'गीत' है। 'सम' का अर्थ है 'सम्यक्' अर्थात् उचित, उपयुक्त, प्रिय एवं मनोकूल तथा 'गीत' का अर्थ है 'गान' अर्थात् वह काव्य रचना जो गाई जा सके। संगीत का सम्यक आनन्दमय स्वरूप अपना अस्तित्व तब ग्रहण करता है जब गीत के साथ वाद्य निनादित हो रहे हों और नृत्य उसी रंजकता में वृद्धि कर रहा हो। अतः निष्कर्षरूप में संगीत का अर्थ गायन, वादन एवं नृत्य का समन्वित रूप है।

संगीत में गायन का प्रथम, वादन का द्वितीय एवं नृत्य का तृतीय स्थान है। यह श्रेणीबद्धता संगीत की चार विशेषताओं के आधार पर हुई है। प्रथम विशेषता है नाद अर्थात ध्वनि, दूसरी विशेषता है शब्द अर्थात बोल, तीसरी विशेषता है भाव तथा चतुर्थ एवं अन्तिम विशेषता है लय। गायन में यह सभी विशेषताऐं पाई जाती हैं। वादन में शब्द का किंचिद अभाव होता है तथा नृत्य में भाव प्रदर्शन की प्रधानता रहती है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे से पृथक हैं। वास्तविकता तो यह है कि गायन कला वस्तुतः वादन और भाव प्रदर्शन के अभाव में अपर्याप्त प्रतीत होती है तथा नृत्य कला गायन व वादन के बिना शारीरिक क्रिया मात्रा होती है। वस्तुतः संगीत की उपर्युक्त चारों विशेषताऐं एक दूसरे की पूरक हैं।

प्राचीन ऋषि मुनि, साधु संत, युग कवि तथा लोक मानव सदैव अपने उद्‌गारों की अभिव्यक्ति संगीत के माध्यम से करता रहा है। भारतीय आचार्यों ने संगीत को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों

पुरुषार्थों की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय माना है। संगीत को हृदय की विषय वस्तु मानते हुए श्री रिंगे जी लिखते हैं– "संगीत मानव मात्रा की आत्मा का ऐसा भोजन है, जिसके अभाव में मानवोचित गुण फल्कूल नहीं सकते। जिसे मानव के विकास की उत्कृष्ट इच्छा है, उसे भी कोई महात्मा अथवा योगी चित्त की स्थिरता के लिये संगीत का ही आश्रय लेने का परामर्श देता है।"

संगीत के मौलिक तत्वः-

भारतीय शास्त्रीय संगीत जो शास्त्रीय नियमों और सैद्धान्तिक सीमाओं में बँधा हुआ है, संगीत का सर्वाधिक परिष्कृत औपचारिक और जटिलतम रूप है। किसी भी स्थिति में इसके शास्त्रीय नियमों व सिद्धान्तों की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है तथा वैराग्य की ओर प्रेरित करता है। इसकी अभिव्यक्ति रागों व तालों के माध्यम से होती हैं जिनकी प्रस्तुति में भिन्न–भिन्न मौलिक तत्त्वों का समावेश होता है। संगीत के यह मौलिक तत्त्व हैं– नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, लय व थाट।

नाद और लय के सूक्ष्म तत्त्व संगीत में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर और स्वर से राग में परिणिति प्राणी को रसानुभूति के चरमोत्कर्ष की अनुभूति कराने में सहायक है। यह रसानुभूति प्राणी को तन्मय अवस्था तक ले जाती है, जहाँ रजोगुण और तमोगुण समाप्त होकर प्राणी के अन्तःकरण की चेतना में विशेष परिवर्तन हो जाता है और प्राणी काम क्रोध इत्यादि से मुक्ति पाकर आनन्द की प्राप्ति करता है। संगीत के यह मौलिक तत्त्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके बिना शास्त्रीय संगीत निराधार है।

सृष्टि के समस्त जड़ चेतन में नाद का वास माना गया है। जड़ में चेतन्य लाने वाला नाद ही है। इन्द्रियगोचर पंच भूतों में सर्वप्रथम गिनाया जाने वाला आकाश का गुण भी नाद है। संगीत में स्वर की उत्पत्ति आहत नाद से मान्य है। नाद के बिना न स्वर है, न वाद्य है और न नृत्य है। यहाँ तक कि जगत का सम्पूर्ण व्यवहार ही नाद पर अविलम्बित है, इसलिये नाद के बिना कुछ भी नहीं है। जीवन में चेतना का प्रतीक भी स्पन्दन रूप में नाद है। संगीत की कल्पना भी नाद के बिना नहीं की जा सकती। संगीतोपयोगी नाद से ही संगीत जगत में राग स्वरूप का निर्माण हुआ है। नाद के विषय में मतंग ने अपनी पुस्तक वृहद्देशी में कहा है–

न नादेन बिना गीतं न नादेन बिना स्वराः
न नादेन बिना नृत्यं तस्मान्नादत्मकं जगत।

ब्रह्मरूपी नाद की उत्पत्ति प्राणतत्त्व तथा अग्नितत्त्व के संयोग से मानी गई है। गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों के सामंजस्य से नाद अभिव्यक्त होता है। रागमाला में वर्णित हैं–

गीत वाद्य अरु नृत्य कौ कहो आतमा नाद।
तानसेनि संगीत मत, जामै उपजत स्वाद।।

शारंगदेव के मतानुसार गायन वादन तथा नृत्य तीनों नाद की अभिव्यक्ति के रूप हैं तथा नाद के अधीन हैं। संगीत रत्नाकर में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है–

गीत – नादात्मकं वाद्यं नादव्यक्तया प्रशस्यते।
तद्यानुनतं नृतं नादाधीनमतस्त्रायम्।।

नाद के पश्चात् श्रुति भारतीय स्वर सप्तक का मूलाधार है। श्रुति भारतीय संगीत की आत्मा है। आत्मा के तत्व को जानने वाला मानव परमानन्द को प्राप्त कर लेता है। सभी प्रकार की चिन्ताओं और दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रुति की साधना कर संगीतज्ञ सांसारिक चिन्ताओं से विमुक्त होकर सच्चिदानन्द ईश्वर के दर्शन करता है।

भरत ने सर्वप्रथम स्वर पर विवेचन किया तत्पश्चात श्रुति पर। नाट्यशास्त्रा में भरत ने सर्वप्रथम स्वरों के नामों का उल्लेख किया है और तत्पश्चात् उन स्वरों की श्रुतियों का वर्णन किया है। विभिन्न स्वरों में संवाद का सम्बन्ध रंजकता उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार के संवाद के लिये स्वरों के मध्य विशिष्ट श्रुति संख्या का होना अनिवार्य है।

संगीत का मौलिक उपकरण स्वर है जो आहत नाद से उत्पन्न होता है। संगीत के उपलब्ध ग्रन्थों में वृहदेशी में सर्वप्रथम स्वर की परिभाषा वर्णित है–

राज दीप्तावस्य धातोः स्वशब्द पूर्वकस्य च।
स्वयं ही राजते यस्मात्तस्मात्स्वर इति स्मृतः।।

अर्थात जो स्वयं प्रकाशित हो वह स्वर है।

श्रुति और स्वर परस्पर सम्बन्धित होते हुये भी किसी ध्वनि को श्रुति या स्वर नहीं कह सकते। इसी प्रकार किसी आघात मात्रा को 'श्रुति' नहीं कहा जा सकता। पत्थर पर किसी लकड़ी आदि के आघात से उत्पन्न ध्वनि श्रुति नहीं है, बल्कि उसमें गूँज होना आवश्यक है। जब यह गूँज स्थिर रूप में होने लगती है तो उसे अनुरणन कहते हैं और यही अनुरणनात्मक ध्वनि स्वर है।

डॉ० परांजये के अनुसार– "स्वर वह नाद है जो रंजक हो और जिसका अन्य नादों के मध्य विशिष्ट स्थान हो। केवल नाद के रंजक होने से वह नाद स्वर नहीं बन सकता। स्वर कहलाने के

लिये असका अन्य नादों से कोई सम्बन्ध होना अनिवार्य है। कोई ध्वनि ऋषभ या गन्धार या मध्यम तब कहलायेगी, जब षड़ज की सत्ता हमारे मन में स्थिर हो जाये।"

श्रुति तथा स्वर में परस्पर क्या सम्बन्ध है, इस विषय में प्राचीन ग्रन्थकारों के अनेक मत हैं। यदि श्रुति तथा स्वर दोनों में श्रवण योग्यता का गुण है तो इन दोनों में भिन्नत्व को स्पष्ट करते हुए कल्लिनाथ ने कहा है-

यद्यपि श्रवणयोग्यल्वमनुरणनात्मनः स्वरतानादि रूपेण दीर्घ दीर्घ स्थापि ध्वनेर्विद्यते, तथाखप्यत्रा माकताद्याहत्यनन्तरोत्पत्राप्रथमलक्षण वर्ति श्रवणमात्रायोग्य ध्वनेरेव श्रुतित्वामिति

तात्पर्य यह है कि प्रथमाघात रूप क्षणिक ध्वनि का नाम श्रुति है। इसके पश्चात् उत्पन्न होने वाली अनुरणनात्मक (गूँजने वाली) दीर्घ ध्वनि स्वर कहलाती है। नाद श्रवणावस्था में श्रुति और वयक्तावस्था में स्वर कहा जाता है। जो नाद प्रयुक्त नहीं हुआ वह श्रुति और जो प्रयुक्त हो गया वह स्वर नाम से पुकारा गया।

मतंग मुनि श्रुति और स्वर के पारस्परिक सम्बन्ध में जाति और व्यक्ति, मुख और दर्पण, कारण और कार्य, क्षीर और दधि इत्यादि की झलक देखते हैं और दामोदर पंडित स्वर को आकाश और श्रुति को पक्षी का विशेषण प्रदान करते हैं। उनके कथनानुसार जैसे आकाश में पंछी विचरता है वैसे ही स्वर में श्रुति की झांकी दिखाई देती है। जैसे तेल में चिकनाहट और लकड़ी में अग्नि विराजमान है वैसे ही स्वर में श्रुति के दर्शन होते हैं। जैसे आकाश में वायु और बिजली में चमक रहती है वैसे ही स्वर में श्रुति का विचरण होता है।

श्रुति स्वरों का ही मूलभूत उपादान है और स्वर में ही उसका प्रदर्शन होता है। श्रुतियों से ही स्वर की उत्पत्ति होती है। श्रुति और स्वर में समान्यतः कोई भेद प्रतीत नहीं होता है, परन्तु दोनों में सूक्ष्म भेद है। वे नाद श्रुतियां कहलाती हैं जो सूक्ष्म या अपुष्ट हैं। जब ये सूक्ष्म नाद धीरे-धीरे आगे बढ़कर क्रमानुसार पुष्ट होने लगते हैं, तब वे स्वर का रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वरों की पूर्ण सूक्ष्म अवस्था को भी श्रुति कहा जा सकता है, इसलिए स्वरों का जन्म श्रुतियों से मान्य है।

संगीत का विकास चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य सप्तक के विकास पर ही निर्भर करता है। संगीत की राग रागिनियाँ हों या पाश्चात्य हार्मनी दोनों का विकास एवं विस्तार सप्तक के विकास से सम्बन्धित है। भारतीय सप्तक का श्रीगणेश उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आदि स्वरों के द्वारा आदिकाल में ही हो चुका था। कुछ संगीतज्ञ इन उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों को केवल तीन स्वर और कुछ विद्वान इन्हें तीन प्रकार के स्वर मानते हैं। वेद मन्त्राों का गायन तीन स्वरों में ही होने से कुछ विद्वान इस स्वर लहरी को तीन ही स्वर मानते थे परन्तु पाणिनी द्वारा इन्हें तीन प्रकार के स्वर कहा

गया, जिसके आधार पर उदात्त के अन्तर्गत गन्धार व निषाद, अनुदात्त के अन्तर्गत ऋषभ और धैवत तथा स्वरित के अन्तर्गत षड़्ज मध्यम व पंचम स्वर प्रकट हुये। भरत ने अपने नाट्यशास्त्रा में इन स्वरों का परिचय 22 श्रुतियों के निवास स्थान में 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2 के विभाजन सिद्धान्त के रूप में दिया। यही स्वर सप्तक भरत मुनि का षड़्ज ग्राम है जो प्राचीन व मध्यकालीन संगीत का आधार बना।

थाट:-

प्राचीनकाल से आज तक संगीत शास्त्रा पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में मेल अथवा ठाठ का कोई नाम नहीं था। प्राचीनकाल में राग गायन के स्थान पर जाति गायन प्रचलित था एवं जातियों की उत्पत्ति मूर्च्छनाओं पर आधारित थी। संगीत रत्नाकर में मूर्च्छना तथा जाति के संयोग से मेलों की निर्मिति उल्लिखित है-

रत्नाकर दिग्रन्थेषु मूर्च्छनाजातियोगत:
रागमेलासमाख्याता रहस्यं तत् सुसम्म्तम्।।

अहोबल के अनुसार :-

मेल: स्यान्मूर्छनाधारों ग्रामाधारा तु मूर्च्छना।
स्वरेभ्यो ग्रामसम्भूति: श्रुतय: स्वरजन्मभू:।।

अर्थात् मेल मूर्च्छना पर आधारित है और मूर्च्छना ग्राम पर। ग्राम स्वरों से बनते हैं तथा स्वरों की जन्मभूमि श्रुतियाँ हैं।

रागों को मेलों में वर्गीकृत करने की व्यवस्था मध्ययुग में अस्तित्व में आई तथा विद्वानों के अनुसार, विद्यारण्य (14वीं शताब्दी) ने सर्वप्रथम 'मेल' शब्द का प्रयोग किया। विद्यारण्य द्वारा प्रवर्तित मेल राग पद्धति दक्षिण व उत्तर दोनों में मान्य हुई।

यूँ तो मेल का इतिहास विद्यारण्य लोचन आदि के समय से ही प्रारम्भ होता है, किन्तु सैद्धान्तिक रूप में इसे संगीत पद्धति में लाने का श्रेय पं० व्यंकटमुखी को है। 17वीं शताब्दी में 72 थाटों का सिद्धान्त सर्वप्रथम पं० व्यंकटमुखी ने दिया और इसी सिद्धान्त के आधार पर ही उत्तर भारत में पं० भातखण्डे जी ने अपना 32 थाट का सिद्धान्त प्रचलित किया। अत: मेल पद्धति मध्यकाल में विद्यारण्य से आरम्भ होकर भातखण्डे जी द्वारा पल्लवित हुई। आज इस मेल अथवा थाट पद्धति का संगीत में अत्यन्त महत्व है क्योंकि यह सभी रागों के आधार का कार्य करता है।

कोई भी पद्धति अनायास या एकाएक नहीं आ जाती वरन् शनैः शनैः विकास के क्रमिक सिद्धान्त से ही प्रकट होती है। भरत तथा शारंगदेव के समय तक 'मेल' का प्रचलन नहीं था। थाट पद्धति 11वीं, 12वीं, 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के सांगीतिक स्वरूप को जानने से स्पष्ट होती है। इस काल में जयदेव, विद्यापति, लोचन तथा अमीर खुसरो इत्यादि का नाम संगीत साहित्य में उल्लेखनीय है।

संगीत में लोचनकृत रागतरंगिणी नाम ग्रन्थ का विशेष उल्लेख है। लोचन ने मेल के स्थान पर 'संस्थान' शब्द का प्रयोग किया। राग तरंगिणी के 'संस्थान प्रकरण' में उन्होंने 12 संस्थानों का वर्णन इस प्रकार किया है-

भैरवी टोडिका तद्वत गौर कर्णाट एव च
केदार ईमनस्तद्वत सारंगो मेघ रागकः
धनाश्री पूर्वी किंच मुखरी दीपकस्तथाः
एतेषामेव संस्थाने सर्वे रागा व्यवस्थिताः
तत्रा यद्रागसंस्थाने ये ये रागाः व्यवस्थिताः
यथा यद्रागसंस्थानं तस्तथैव वादाम्यहम्

अतः आधुनिक ठाठ राग वर्गीकरण का बीजारोपण 'राग तरंगिणी' द्वारा हुआ।

पं० भातखण्डे जी ने लोचनकृत 12 संस्थानों के नाम इस प्रकार दिये हैं-

(1) भैरवी, (2) तोड़ी, (3) गौरी, (4) कर्णाट, (5) केदार, (6) ईमन, (7) सारंग, (8) मेघ, (9) धनाश्री, (10) पूर्वी, (11) मुखारी, (12) दीपक।

संगीत सुधा के लेखक गोबिन्द दीक्षित ने विद्यारण्य को मेल पद्धति का प्रवर्तक माना। विद्यारण्य ने 15 मेलों में रागों का वर्णन किया है। 1550 में हुमायूं के काल में दक्षिण में रामामात्य ने स्वरमेल कलानिधि नामक ग्रन्थ की रचना की जिसके मेल प्रकरण में उन्होंने 20 मेलों का वर्णन किया तथा सभी मेलों में मुखारी मेल को प्रथम माना।

हुमायूं के पश्चात् अकबर के काल में पुण्डरीक व्रिल ने अपने रागों का वर्गीकरण 19 मेलों में किया। अकबर के पश्चात् जहांगीर के काल में दक्षिण के पं० सोमनाथ ने 1660 में राग विबोध नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें सोमनाथ ने 23 मेल तथा उससे उत्पन्न रागों का वर्णन किया है। सोमनाथ ने राग विवोध ग्रन्थ में संस्थान, मेल तथा थाट इन तीनों पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। थाट शब्द का प्रयोग मेल के अर्थ में सर्वप्रथम सोमनाथ के ही ग्रन्थ में मिलता है।

गोविन्द दीक्षित तंजौर के नायक राजा अच्युत एवं उनके पुत्रा रघुनाथ नायक दोनों के दरबार के मुख्यमंत्राी थे। उन्होंने रघुनाथ नायक के साथ संगीत शास्त्रा में 'संगीत सुधा' की रचना की। इस ग्रन्थ का उल्लेख मात्रा इनके पुत्रा वैंकटमखी ने अपनी चतुर्दण्डि प्रकाशिका में किया है। संगीत सुधा में 15 मेलों को महत्वपूर्ण माना है तथा उस समय प्रचलित 50 रागों का विशद वर्णन किया गया है। संगीत सुधा 17वीं शताब्दी का ग्रन्थ है। इसके लेखक गोविन्द दीक्षित ने मेल पद्धति का प्रवर्तक चौदहवीं शताब्दी के विद्यारण्य को ही माना है।

गोविन्द दीक्षित के पुत्रा व्यंकटमखी ने शाहजहां के काल में चतुर्दण्डि प्रकाशिका ग्रन्थ की रचना की जिसमें गणित द्वारा 72 मेलों का सिद्धान्त प्रस्तुत किया परन्तु सारे 72 मेलों का प्रयोग रागों के वर्गीकरण में नहीं किया। राग वर्गीकरण के लिये केवल 19 मेलों का ही प्रयोग किया गया– ये 19 मेल इस प्रकार हैं–

(1) मुखारी, (2) सामवराली, (3) भूपाल, (4) हेजुज्जी, (5) बसन्त भैरवी, (6) गौल, (7) भैरवी, (8) आहीरी, (9) श्री, (10) कांभोजी, (11) शंकराभरण, (12) सामंत, (13) देशाक्षी, (14) नाट, (15) शुद्ध वराली, (16) पंतुवराल, (17) शुद्ध रामजी, (18) सिंहरव, (19) कल्याणी।

अहोबल ने 1650 में अपने ग्रन्थ संगीत पारिजात में 12 मेंलों के नामों का वर्णन किया है। इन 12 मेलों के नाम हैं–

(1) शुद्ध मेल, (2) गौरी मेल, (3) कल्याण मेल, (4) मालव, (5) बेलावली, (6) शंकराभरण, (7) आभीटी मेल, (8) वराटी, (9) श्री राग मेल, (10) नाट्य मेल, (11) भैरवी मेल, (12) मुखारी मेल।

औरंगजेव के शासन काल (1658–1707) में औरंगजेब ने संगीत की अमृतमयी धारा की गति पर रोक लगा दी फिर भी संगीत की धारा अपने प्रवाह से आगे बढ़ती गई और इस काल में भावभट् कृत अनूपसंगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूपांकुश तथा श्री कण्ठ कृत रस कौमुदी की रचना हुई।

श्री कण्ठ ने रस कौमुदी में 9 मेलों के नाम दिये हैं– (1) मालव गौड़, (2) श्री, (3) शुद्ध नाट, (4) कर्णाट गौड़, (5) केदार, (6) मल्लार, (7) देशाक्षी, (8) कल्याण, (9) सारंग।

1783 में संगीत सारामृत ग्रन्थ तंजौर के नरेश तुलजाजीराव भौंसले द्वारा लिखा गया जिसमें उन्होंने 21 थाट माने हैं। पं० तुलजाजीराव ने 106 रागों का वर्गीकरण 21 ठाठों में किया।

सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्राता संग्राम के बाद चारों ओर पुनर्जागरण के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। संगीत कला भी इस लहर से अछूती नहीं रही। संगीत का पुनरुत्थान करने वालों की एक परम्परा

चली। इनमें कृष्णनन्द व्यास, विष्णु नारायण भातखण्डे, डी०वी० पलुष्कर, पं फिरोज फ्रामजी, सादिक अली, ठाकुर नवाव अली खां इत्यादि प्रमुख हैं जिन्होंने भारतीय संगीत को नया जीवन दान दिया।

पं० भातखण्डे जी ने व्यंकटमुखी के 72 मेलों में से 10 थाट लेकर हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के समस्त रागों का वर्गीकरण किया। चतुर पंडित के निम्न श्लोक में 10 थाटों के नाम समाहित हैं–

कल्याणीमेलकस्त्वाद्यो बेलावली द्वितीयक:।

खमाजाख्यस्तृतीय: स्याद् भैरवाख्यश्चतुर्थक:।।

पे्चम: पूर्विकासंज्ञ: षष्ठ: स्यान्मारवाभिध:।

सप्तम: काफिसंज्ञ: स्यादासावरी तथाष्टम्:।।

नवमो भैरवी मेलो दशमस्तोड़िकादय:।

इत्येते दशमेलास्ते रागोत्पादनहेतव:।।

इस श्लोक के आधार पर क्रमश: 10 थाटों के नाम इस प्रकार हैं–

(1) कल्याण, (2) बिलावल, (3) खमाज, (4) भैरव, (5) पूर्वी, (6) मारवा, (7) काफी, (8) असावरी, (9) भैरवी, (10) तोड़ी।

इस प्रकार 12वीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक थाट पद्धति को पूर्ण विकसित होने में लगभग 800 वर्ष लगे। विकास की इस धारा में धीरे–धीरे परिवर्तन आये। आज जो थाट राग पद्धति प्रचलित है, यह किसी एक व्यक्ति के प्रयास का फल नहीं वरन् अनेकों विद्वानों के सतत् परिश्रम का परिणाम है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. झा, पं० रामाश्रय – *अभिनव गीतांजलि,* संगीत सदन प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. पं० भातखण्डे – *उ० भा० संगीत का संक्षिप्त इतिहास,* संगीत कार्यालय, हाथरस।
3. पं० भातखण्डे – *क्रमिक पुस्तक मालिका (भाग– 1–6),* संगीत कार्यालय, हाथरस।
4. पं० भातखण्डे – *श्री मल्लक्ष्यसंगीतम,* संगीत कार्यालय, हाथरस।
5. माथुर, शोभा – *भा०सं० में मेल अथवा थाट का ऐतिहासिक अध्ययन,* विश्व प्रकाशन, दिल्ली।

6. मतंग – *वृहद्देशी*, संगीत कार्यालय, हाथरस।

7. श्री बसन्त – *संगीत विशारद*, संगीत कार्यालय, हाथरस।

8. शर्मा, स्वतंत्रा – *भारतीय संगीत एक वैज्ञानिक विश्लेषण*, टी०एन भार्गव, एण्ड सन्स, इलाहाबाद।

9. पाठक, सुनन्दा – *हिन्दुस्तानी संगीत में राग की उत्पत्ति एवं विकास*, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

10. भट्, पं० विश्व मोहन – *संगीत कादम्बिनी*, संगीत कार्यालय, हाथरस।

11. https://saptswargyan.in

12. https://fizikamind.in

13. https://raagparichay.in

14. https://www.mgkvp.ac.in

डॉ० विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति की विवेचना

डॉ० अरुण कुमार मिश्र
असि०प्रो०, हिन्दी
एम०डी०पी०जी० कॉलेज, प्रतापगढ़

उद्देश्य :

भारतीय समाज में धर्म, राजनीति, अर्थ आदि के क्षेत्रा में मानवीय सोच जीवन में जो बिखराव आ रहा हैऋ उसे देखकर डॉ० विद्यानिवास मिश्र के निबंध साहित्य में जो हमारे मूल तत्व है उनकी आवश्यकता पड़ने लगी है और यह समाज के लिए नितांत आवश्यक भी है। इसी को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध डॉ० विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति की विवेचना का प्रयास किया गया है।

संकेत शब्द - अनिष्टकारी, भौतिक सम्पन्नता, काम्य स्थिति, नैसर्गिक मूल्य, गौरवान्वित।

किसी भी देश अथवा समाज के विकास की रीढ़ उसकी आर्थिक व्यवस्था ही होती है। अर्थव्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी, विकास उतनी तेज गति से होगा। भारतीय धर्म शास्त्रों में चार पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थ को दूसरे स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। यद्यपि भारत की आत्मा आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, किंतु कहीं भी दूसरे पुरुषार्थ का निषेध नहीं किया गया है। धन के बिना धर्म संभव नहीं होता, इसलिए कहीं न कहीं धर्म भी धन पर ही आधारित हो जाता है। दान यज्ञ तथा तीर्थाटन सब धन द्वारा ही संभव हो पाते हैं वर्तमान संदर्भ में धन और समाज में अन्योन्याश्रिता का संबंध है। भारतीय जीवन दर्शन में धर्म और दर्शन की महत्ता अधिक होने के कारण भौतिकवादी दृष्टिकोण के स्थान पर आनंद पूर्ण जीवन जीने को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, फिर भी जीवन के आर्थिक पक्ष को नकारा नहीं जा सकता। 'एस पी कनल' अपनी पुस्तक 'भारतीय संस्कृति के आधार' के पृष्ठ 95 पर इस बात का उल्लेख करते हुए लिखते हैं– "भारतीय संस्कृति अध्यात्म मूलक है, अर्थ मूलक नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अर्थार्जन के लिए नैतिक मार्ग के अनुसरण पर बल दिया गया है। भारतीय जीवन दर्शन में

भौतिक उन्नति को इसलिए महत्व प्रदान किया गया है क्योंकि उसके अभाव में तीर्थाटन, दान, यज्ञ आदि कर्तव्यों का निर्वाह संभव नहीं हो सकता। आधुनिक काल में अर्थ और समाज अन्योन्याश्रिता पर प्रकाश डालते हुए कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है कि किस प्रकार किसी समाज का ढांचा उस समाज की संस्कृति को निश्चित करता है।"[1]

व्यावहारिक स्तर पर अर्थ से तात्पर्य धन अथवा संपत्ति से ही लगाया जाता है। अर्थ के बिना जीवन चक्र चल पाना संभव नहीं होता, क्योंकि जीवन के लिए समस्त आवश्यक वस्तुएं इसी धन द्वारा प्राप्त होती है। जीवन के समस्त लेन देन धन के आधार पर ही गतिमान होते हैं। अर्थ का तात्पर्य उस धन अथवा संपत्ति से है जो नैतिकता पर अवलंबित होकर उपाल्र्जत की जाती है, क्योंकि अनैतिकता द्वारा अल्र्जत की गई धन–संपत्ति द्वारा किया गया धर्म भी अनिष्टकारी होता है। मिश्र जी के अनुसार– ह्व्यावहारिक स्तर पर अर्थ धन है, सम्पत्ति है और समस्त चर्चा और ज्ञान का स्थूल विषय भी है, क्योंकि वह पदार्थ भी है। इस अर्थ से सबका सरोकार है, काम काज इसके माध्यम से चलता है, लेन–देन चलता है, वार्ता चलती है, बहस चलती है। पर इस अर्थ के साथ भी कुछ जानी मानी अलिखित शर्तें होती हैं, वे सामाजिक स्वीकृति और परस्पर विश्वास पर आधारित होती हैं। आप को उस वाक्य वह रहे हैं उसके पीछे आपका मन्तव्य स्पष्ट है और वह वही है जो दूसरे को उस वाक्य से स्पष्ट लगता है। यह बात न हो तो आदमी एक–दूसरे से बात न करे। इसी वज़न पर हम किसी से कुछ लेते हैं तो देने वाले को विश्वास रहता है कि हमारी आवश्यकता सही माने में है, लेने वाले को विश्वास रहता है कि देने वाले के पास से वह वस्तु मिल जायेगी।"[2]

डॉ. विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंधों में ग्रामीण क्षेत्राों की आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया है। ग्रामीण क्षेत्राों में निर्धनता व्याप्त है, जिसके कारण ग्रामीण कृषक परेशान रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के अर्थशास्त्रा का ज्ञान नहीं होता। वह तो महज अपने फसलो के द्वारा प्राप्त होने वाले अच्छे उत्पादन पर ही निर्भर रहते हैं। उनकी इस अवस्था में परिवर्तन कृषि को प्रोत्साहन देने से ही किया जा सकता है। उसके लिए कृषि महोत्सव मनाए जाने के स्थान पर कृषि प्रयत्न तथा कृषि प्रोत्साहन की आवश्यकता है। किसानों की लक्ष्मी तो उनके फसलों की बाली में ही लटकती हैं। फँसलें ही उनका जीवन आधार है। ग्रामीण किसानो की परिस्थिति को दर्शाते हुए मिश्र जी लिखते हैं– "ये डॉलर क्षेत्रा नहीं जानते, ये पाउंड पावना से सरोकार नहीं रखते, इन्हें मुद्रास्फीति का अर्थ नहीं मालूम, पर इतना समझते हैं कि कागदों का अंबार राजलक्ष्मी का शयनकक्ष नहीं बन सकता। इनकी लक्ष्मी गेहूं जौ के नमन करो पर उसके रूप में उतरती है इनकी लक्ष्मी धान की बालियों के सुनहरे झुमको में झूमती हैं और इनके लक्ष्मी गांव की गोबर लोटपोट करती हैं उस लक्ष्मी के लिए वन महोत्सव से अधिक कृषि महोत्सव की आवश्यकता है कृषि महोत्सव से अधिक कृषि प्रयत्न की तथा कृषि प्रोत्साहन की आवश्यकता है।"[3]

भौतिक संपन्नता का एक ऋणात्मक पक्ष भी होता है। अधिक भौतिक संपन्नता होने पर विलासिता भी जन्म लेती है। ऐसी परिस्थिति में धन जीवन के लिए खर्च न होकर गलत कार्यों में खर्च होने लगता है। वर्तमान समय में धन और सम्पत्ति समाज को कई वर्गों में विभाजित कर चुकी है। जिस वर्ग के पास इसकी अधिकता है उसे उच्चवर्ग, जो मुश्किल से अपनी रोजी-रोटी चला पाता है उसे मध्यमवर्ग तथा जिसके पास धन का एक भी अंश प्राप्त नहीं है उसे निम्नवर्ग कहा जाता है। विद्यानिवास मिश्र ने "बढ़ती समृद्धि: बिखरती संस्कृति हनिबन्ध में यह चिन्तन प्रस्तुत किया है कि जब आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तब नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्यास होता है। तब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या समृद्धि इतनी बुरी है कि सजीव मनुष्य को निर्जीव वस्तु बना देती है। मिश्र जी 'अग्नि रथ' निबंध संग्रह के पृष्ठ 86-87 पर उद्धृत करते लिखते है- हहम जब गरीबी को मनुष्य के लिए अभिशाप मानते हैं, गरीबी की स्थिति को मनुष्य के लिए एक ग्लानि की स्थिति मानते हैं, तुलसीदास जैसे भगवद्‌भक्त स्वीकार करते हैं "नहि दरिद्र सम दु:ख जगमाही" तो क्या सम्पन्नता एक काम्य स्थिति नहीं है जिसे पाये बिना मनुष्य अपना आत्मीक विकास पूरी नहीं कर सकता पिछले सौ 200 वर्षों में उद्योग और तकनीकी का विकास किया बिना धन के, बिना संपन्नता के संभव था।"[4]

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक आधार पर ही समाज बिखरता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आर्थिक लालसा मनुष्य को पूरी तरह खोखला कर रही है। यही एक तत्व है जो पूरे समाज को सर्वाधिक विच्छिन्न करता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति को किसी एक दिन का प्रतिफल नहीं माना जा सकता बल्कि इसकी शुरूआत काफ़ी पहले ही हो गई थी। अब समाज ने इस आर्थिक दासता को स्वीकार कर लिया है। प्रत्येक कार्य के साथ अर्थ प्राप्ति का स्वार्थ जुड़ गया है। वर्तमान की इस स्थिति से मिश्र जी का मन खिन्न हो उठता है। वे कहते हैं- "हम इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आज की तस्वीर देखते हैं तो विस्मय भी होता है, विषाद भी, विषाद अधिक होता है। (आज अर्थ की दासता विवशता नहीं सिद्धांत है)। अर्थ आज राज्य का साधन नहीं, राज्य का नियामक है। इसके दो कारण हैं, एक तो अर्थ का राशिकरण, क्योंकि पूरी व्यवस्था ही समाज की या राजनीति की केन्द्रीकृत है, और दूसरा है अनियंत्रित भोग लिप्सा। पहले जंगली तरीके से लूट भी होती थी, जब-जब कोई सेना कहीं आक्रमण करती थी, पर उस लूट का हिस्सा बँटता था, किसी-न-किसी व्याज से एकत्रित धन वितरित होता था। राजनीति इस सुव्यवस्थित विवरण की व्यवस्था करती थी, केवल इस अर्थ में कि कहीं कोई अविचार न हो, अन्यथा वह सीधे नियंत्राण कम ही क्षेत्रों में (जैसे खनिज में) करती थी। राजकोष में धन भेंट से, लावारिस सम्पत्ति से, अर्थ दंड से अधिक आता था, करों से कम। इसका परिणाम यह था कि गांव का समाज अपनी व्यवस्था अपने ढंग से चलाता था, वह अपने उत्पाद पास के कस्बे या पास की मंडी में ले जाता था और वहां से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लाता था, दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे।"[5]

समाज का एक विशिष्ट वर्ग संपूर्ण धन संपदा पर एकाधिकार करके बैठा है। आवश्यकता से अधिक होने के कारण वह उसका गलत उपयोग कर रहा है। समाज कई वर्गों में विभक्त हो जाने के कारण अस्थिर हो चुका है। आज लक्ष्मी निठल्लों तथा निकम्मों के पास अधिक पहुंच चुकी है, जबकि श्रम करने वालों को श्रम का उचित फल भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। विद्यानिवास मिश्र जी ऐसी परिस्थिति पर व्यंग्य करते हैं– ह्लक्ष्मी को निठल्लों और निकम्मों की देवी मानने का ही राष्ट्रीय परिणाम है, राष्ट्रीय पैमाने का जुआ, लॉटरी। हमारी लक्ष्मी व्यवसाय सागर में निवास करती आम्र है और वह शक्ति रूपिणी है, वह जुआ खिलाती है, रुपए पैसे का नहीं समूचे जीवन का, जन्म जन्मार्जित पुण्य का, यहां तक कि केवल्य का।"[6]

डॉ. विद्यानिवास मिश्र उपभोक्ता संस्कृति को अनुचित मानते हैं। वर्तमान युग में अर्थ को आवश्यकता से अधिक महत्व दिए जाने पर वे लचतित होते हैं। आजकल तो आर्थिक संपन्नता ही सभ्यता की मापदंड बन गई है। जिसके पास जितना अधिक धन है वह उतना ही अधिक गुणवान है, और समाज में उसी की प्रतिष्ठा हो रही है। आवश्यकता से अधिक धन बटोरने की प्रवृत्ति ने देश को गर्त में धकेल दिया है। आधुनिक मनुष्य आधुनिकता की चकाचौंध में मूल्यों को तिरोहित करता जा रहा है। स्वार्थ की अंधी आंधी चल पड़ी है जो नैतिक मूल्यों को उड़ाती जा रही है। डॉ. विद्यानिवास मिश्र जी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को सीमित करने के पक्षधर हैं। वे एक सीमा से अधिक उपभोग करने वाले को धिक्कारते हैं। मिश्रजी लिखते हैं– ह्उपभोग की सामग्री के परिणाम से उसकी मात्राा से यदि सभ्यता का या उच्चतर जीवनमान का परिमापन किया जायेगा, यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर सभ्य समझा जायेगा कि कितना उपभोग करता है, उसके घर में कितने टी.वी. और वी. सी. आर. हैं, यह चीज, वह चीज है, इससे अगर परिमापन किया जायेगा कितनी चीनी हजम करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं सारे विश्व का लगभग 40 प्रतिशत उपभोग केवल अमेरिका अकेले करता है। उसी अनुपात में हम उपभोग करे तो बचेगा कहाँ? होगा कहाँ? मिलेगा कहाँ? उस उपभोग की कोई सीमा होनी चाहिए, आप की आवश्यकता की कोई सीमा होनी चाहिए, सबकी न्यूनतम आवश्यकता की पहचान होनी चाहिए।"[7]

सदियों से ही भारत की संस्कृति आनंद प्राप्त करने की संस्कृति रही है। किंतु विडंबना यह रही कि यह सदियों से दरिद्र रहा है। इस समाज की जिजीविषा इतनी अधिक रही है कि यहाँ का समाज दरिद्रता में भी जीवन का आनन्द प्राप्त करने का प्रयास करता था। किंतु वर्तमान संदर्भ में उसकी अर्थ पिपासा अत्यधिक बढ़ गई है, जिसके कारण वह समृद्ध होते हुए भी स्वयं को दरिद्र मान बैठा है। अब वह सम्पन्नता, सुविधा एवं भौतिक वस्तु के आकर्षण से प्रभावित होने के कारण अपने आप को दरिद्र मानने लगा है। 'अंगद की नियति' निबंध संग्रह के पृष्ठ 80–81 पर मिश्र जी लिखते हैं– "हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी करुणान्त गाथा है, वह यह नहीं है कि आर्थिक दृष्टि से वह दरिद्र है, इतना वह दरिद्र

नहीं है आर्थिक दृष्टि से। इस दरिद्रता पर उसने कुछ काबू भी पा नया है..... दरिद्रता तो यह है कि वह एक आधारहीन सम्पन्ता की लालसा का शिकार हो गया है।"[8]

उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में आर्थिक परिस्थितियों की व्यापक पैमाने पर समीक्षा की गई है। ऐसे अनेकों स्थल है जहां इस विचार विनिमय को संपादित किया गया है।

किसी भी राज्य के संचालन की व्यवस्था प्रक्रिया को राज व्यवस्था कहा जाता है। राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य से संबंधित समस्त प्रकार के नियम कानून तथा आदर्श शामिल होते हैं। किसी भी राष्ट्र का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास अर्थव्यवस्था पर तो आधारित होता ही है, साथ ही यह राज व्यवस्था से सीधा संबंध रखता है। राज व्यवस्था के कारण ही संस्कृतियों का विकास संभव होता है, क्योंकि संस्कृति कभी शून्य में नहीं पनप सकती। चातक गोविंद अपनी पुस्तक 'संस्कृतिः समस्या और संभावना' के पृष्ठ–139 पर लिखते हैं– "राज्यव्यवस्था संस्कृति का भी कारण होती हैं। संस्कृति घास–पात की तरह नहीं उगती, उसे एक निश्चित वातावरण देकर पल्लवित और पुष्पित करना होता हैं। इतिहास गवाह है कि राज्यसत्ता कुछ विशेष युगों में उसके विकास या–हास में सहायक हुई है।"[9]

प्राचीन भारतीय इतिहास में शासन पद्धति के नाम पर राजतंत्रा का उल्लेख मिलता है। इस व्यवस्था में राजा ही सर्वोपरि था। राजा को ईश्वर का स्थान प्रदान किया गया था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होती थी और राजा को उस मंत्रिमंडल के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था। समस्त निर्णय मंत्रिमंडल में निहित थे। ऐसी व्यवस्था में शासन तंत्रा में जनता का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता था। यद्यपि कुछ राज्य तंत्रा में आंतरिक लोकतंत्रा के प्रमाण प्राप्त होते हैं तथापि कुल मिलाकर यह व्यवस्था केवल राजा को ही केंद्र बिंदु में रखती थी। किंतु वर्तमान परिवेश में देश में राजतंत्रा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और उसके स्थान पर लोकतांत्रिाक व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में जनता ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शासन तंत्रा का निर्धारण करती है। लोकतंत्रा में जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता के मत द्वारा राज्य का संचालन करने वाली सरकार का गठन होता है। किसी भी सरकार की कार्य पद्धति से संतुष्ट न होने पर जनता उसे बदल सकती है और उसके स्थान पर नई सरकार चुन सकती है। इस प्रकार गठित की जाने वाली कोई भी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। राज व्यवस्था का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ता है। राज व्यवस्था को चलाने वाली नीति को राजनीति कहा जाता है प्राचीन समय में राजनीति धर्म तथा न्याय के सिद्धांत पर चलते थी। राजा की दृष्टि में प्रजा ही उसकी पूंजी थी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट होता था वह राजा नर्क का अधिकारी माना गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी तथ्य को प्रमाणित करते हुए मानस में उद्धृत किया है– 'जासु राज

प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी।' अतः राजत्व को लोकत्व पर आश्रित होना चाहिए। राजनीति का प्रमुख आधार लोकनीति होना चाहिए। विद्यानिवास मिश्र अपने निबंधों में इसी प्रकार की लोकनीति का पालन करने वाली राजनीति का उदाहरण कई राजाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते है। राम के राजत्व की लोकतात्विक मीमांसा करते हुए वह लिखते हैं– "राम राजा है केवल रंजन के उद्देश्य से नहीं तो उनके और प्रजा के बीच में कोई दीवार नहीं, कोई रेखा नहीं, वे केवल मनुष्य जीवन के साथ सर्वदा समरस रहने वाले सहज राम है। वे कालिदास के शब्दों में लोक के पिता और पुत्रा एक साथ हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन का साधन मात्रा है।"[10] प्राचीन समय में राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य प्रजा पालन था। राजा अथवा शासक का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता था। वह तो समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित होता था। समर्पण की भावना के अभाव में कोई कभी भी आदर्श राजा नहीं बन सकता। एक तरफ जहां उसके अंदर न्याय की उदारता थी तो वहीं दूसरी ओर शासन की कठोरता भी थी। राम के जीवन का आदर्श भी यही था। एक तरु जहां वे पुष्प से कोमल थे तो दूसरी तरफ कुलिश से भी कठोर थे। प्रजा पालन करते समय एक तरु जहां वह पीड़ित के प्रति उदार न्याय करते थे तो दूसरी तरफ अपराधी को कठोर दंड भी प्रदान करते थे। तत्कालीन राजनीतिक आदर्शों तथा नैसर्गिक मूल्यों पर आधारित होती थी। किंतु वर्तमान परिवेश में यह स्थिति परिवर्तित होती जा रही है। आज राजनीति के नाम पर अधर्म नीति का पालन होता है। न्याय तो कोसों दूर चला गया है। आधुनिक शासक जनता के शोषण में दिन–रात मस्त हैं। यह वर्ग देश की अधिकांश संपत्ति पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। डॉ. विद्यानिवास मिश्र देश की इस गंदी राजनीति पर मंथन करते हैं और तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए लिखते हैं– "राजनीति स्वतः गन्दी नहीं होती, वह जब सँध जाती है तभी गन्दी होती है। कांग्रेसी हुकमत ने राजनीति को पेशेवर राजनीतिज्ञों के दायरे में रुँधकर उसे निहित स्वार्थी का टयूबवेल बना दिया।"[11]

समाज को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व राजनीति है। हम पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीति को एक कार्यनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। स्वतंत्राता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश लोकतंत्रा के रूप में स्थापित हुआ। इस नाते इसे एक नैतिक ढांचे में भी ढाला जाना अनावश्यक था। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब बनती है, जब राजनीति केवल भ्रष्टनीति बनकर सामने आती है। वर्तमान राजनीति के अंदर विभिन्न प्रकार के नकारात्मक तत्वों का समावेश हो चुका है। भ्रष्टाचार, छल, कपट, स्वार्थ जैसे नकारात्मक तत्व वर्तमान राजनीति में प्रविष्ट हो चुके हैं। इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है, जो राजनीति के इस कुचक्र का शिकार होकर अपने शोषण को बर्दाश्त करती है। कार्यक्षेत्रा का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां इस गंदी राजनीति ने प्रवेश न किया हो। ऐसे प्रतीत होता है कि जनता भी राजनीति के खेल में धीरे–धीरे माहिर होती जा रही है। मिश्र जी ऐसी परिस्थिति पर लचतन करते हुए लिखते हैं– "कभी–कभी सोचता हूं कि क्या

राजनीति हमारे देश का ड़ासन–असन–वसन (बिछौना, भोजन और वस्त्रा) है? क्या जीवन में और कुछ नहीं है, खेलकूद की बात भी होगी तो खेल की राजनीति चुपके से आ जाएगी। यदि मनोरंजन की बात होगी तो वहां राजनीति पहले से ही विराजमान मिलती है। राजनीति में क्या हम इतने सन गए हैं? मुझे लगता है इस पर गहराई से सोचना चाहिए।"[12]

राजनीति के गंदेपन के लिए केवल राजनेताओं पर दोष नहीं बढ़ा जा सकता। वस्तुतः आज जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है क्योंकि वह इस भ्रष्ट राजनीति को प्रश्रय प्रदान करती है। राजनीति की इस स्वार्थगत अवस्था के लिए देश का बुद्धिजीवी, लेखक और सामान्य नागरिक भी जवाबदार है। लेखक को चाहिए की वह राजनीति से तटस्थ न बने बुद्धिजीवी उदासीन न बने, राजनीति में तो सबकी साझेदारी आवश्यक है। आज प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक कार्य में राजनीति का प्रसार दृष्टिगत किया जा सकता है आज जनता के भीतर भी अपना राजनीतिकरण करने का एक खुमार चढ़ गया है। अवसर अच्छा हो, अथवा बुरा, राजनीतिक पाल्रटयां अपने लिए लाभ के अवसर को ढूंढ ही लेती है। आजकल तो धर्म का भी राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग होने लगा है। आजकल अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी राजनेता के साथ संबद्ध होकर स्वयं को समाज में प्रभावशाली सिद्ध करने के प्रयास में लगे पड़े हैं। किसी भी आयोजन में अगर कोई मंत्राी मिनिस्टर पहुंच जाता है तो लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं इस कुप्रवृत्ति से बचना होगा तभी हम राजनीति को शुद्ध कर पाएंगे डॉ. मिश्र जी जनता के राजनीतिकरण पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुए लिखते हैं– "हम लोग जो राजनीति को दिन–रात कोसते रहते हैं, राजनीत से कुछ न कुछ कराने की आशा लगाए रहते हैं। कवि की जन्मशती मनानी हो तो, ऋतु मंगल उत्सव करना है तो, लड़के की शादी का भोज देना है तो, मरे व्यक्ति की अंत्येष्टि करनी है तो, राजनीति के उपस्थिति की कामना जरूर भीतर रहेगी। अमुक मंत्राी जी आए, अमुक नेताजी आए। अपने आप कुछ कर नहीं पाते, ऐसा क्यों?"[13]

इस प्रकार की राजनीति कहीं न कहीं जनता के जीवन को प्रभावित कर रही है। बल्कि यहां तक कहा जा सकता है कि मानव स्वयं ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने लग गया है। सब कुछ समझते हुए भी वह राजनीति द्वारा नियंत्रित होता है और उसका विरोध भी नहीं कर पाता। यद्यपि राजनीति का अर्थ तो किसी पर शासन करना नहीं हो सकता, अपितु यह नीति, नियमों तथा अनुशासन के ताने बाने के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। मिश्र जी एक स्पष्ट वक्ता साहित्यकार हैं, इसलिए उन्होंने राजनीति की इस विषम स्थिति पर अपनी स्पष्ट राय रखी है। अपने निबंध 'अंधी जनता और लंगड़ा जनतंत्रा में' उन्होंने इस परिस्थिति का दिग्दर्शन कराया है। उनका मत हैं कि आज जनतंत्रा बिल्कुल अपंग है, आज जनता के कान विविध राजनीतिक पक्षों के नारों से इतने बहरे हो चुके हैं कि कोई सही आवाज उसे सुनाप्र नहीं पड़ती। अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए वे लिखते हैं– "मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति इतना आक्रांत करती है तो जातीय व्यक्तित्व कहीं न कहीं प्रभावित होता है।

जैसे पाला पड़ता है और फसल की फसल मारी जाती है, वैसे ही राजनीति के भारी पड़ने पर हमारी चेतना को लकवा मार जाता है, हम पंगु हो जाते हैं। बोली विकृत हो जाती है।"[14]

वर्तमान राजनीति में मूल्यों और आदर्शों की कोई झलक दिखाई नहीं देती। स्वार्थपरता की आंधी में राजनेता तो क्या, जनता भी बही जा रही है। स्वतंत्राता पश्चात हमने कुछ आदर्श निश्चित किए थे। किंतु वर्तमान परिवेश में वह आदर्श मूल्यहीन दिखाई पड़ने लगे हैं। हिंसा से ग्रस्त समाज को सन्मार्ग पर वापस लाने के लिए हमने पंचशील के आदर्शों को सामने रखा था और अहिंसा के सिद्धांत द्वारा उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। इन्हीं सिद्धांतों को हमने गांधीवादी मूल्य के रूप में स्वीकार किया था। किंतु आज ऐसे राजनीतिक मूल्य ढह चुके हैं जिसके कारण आदर्श राज व्यवस्था किस समस्त मानदंड भी परिवर्तित हो गए हैं। गांधीवादी सिद्धांतों की उपेक्षा पर रोष व्यक्त करते हुए मिश्र जी टिप्पणी करते हैं– "कुछ चीजें देसी खपत के लिए हैं, उनमें मंदी आ गई है, गाँधीवाद, अहिंसा, पंचशील मातृभूमि, हिमालय, भगीरथी, बलिदान, आहुति, मानवतावाद इनका स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है इसलिए इनकी कीमत औनी–पौनी करके "विक्री पर छूट" की मुनादी कर दी गई है, देश में खरीददार तो गिने–गिनाए हैं, जो है वे सरकार के ही अंग हैं, बिचारे कहाँ तक खरीदें।"[15]

आज हम जड़वादी शासन व्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था में जनता सर्वथा उपेक्षित रहती है, किंतु इन सबके बावजूद वह पद प्राप्त की लालसा में फंसी पड़ी है। इसे भारतीय राजनीति की त्रासदी ही कहा जाएगा जिसमें किसी पद की प्राप्ति सेवा के उद्देश्य से नहीं बल्कि सत्ता के लिए मानी जाती है। इस अर्थ में कृषि प्रधान देश कुर्सी प्रधान देश के रूप में परिवर्तित हो गया है। ऐसी स्थिति का चित्राण करते हुए मिश्र जी लिखते हैं– "सत्यों का सत्य महासत्य कुर्सी है, चाहे वो आराम कुर्सी हो, वस्तुतः कुर्सी बैठने, या ऊँघने, या सोने लिए, काम के लिए नहीं।"[16]

यद्यपि राजनीति को सदैव नकारात्मक दृष्टि से देखा जाना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि देश का विकास तो राजनीति के द्वारा ही संभव हो पाता है। आज राजनीति मानवीय जीवन का एक अंग बनकर प्रस्तुत हो रही है। स्वयं विद्यानिवास मिश्र कुछ समय तक राजनीति के रंग में रंगे रहे थे, इसलिए उन्हें राजनीति का अनुभव बड़ी गहराई से है। राजनीति के दोष उनके व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं डाल पाए और उनकी बेबाक टिप्पणी उनकी लेखनी के माध्यम से प्रकट होती रही। मिश्र जी के अनुसार राजनीति एक जंगल के समान होती है जहां अराजकता, भ्रष्टाचार तथा मिथ्या का आलम होता है। डॉ. मिश्र जी का मन ऐसी परिस्थितियों पर व्यग्र हो उठता है।

आज राजनीति को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए जाने की आवश्यकता है हमें ऐसे जनतंत्रा का निर्माण करना है जिसमें सबकी अपनी–अपनी समान हैसियत हो और सब को सामान्य जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। राजनीति को धन के बल पर नहीं चलाया जाना चाहिए और इसको जन मन की भावनाओं

पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतांत्रिाक राष्ट्र में जीवन यापन कर सकेंगे। मिश्र जी के अनुसार– "राजनीति धन से नहीं चलती, बल से नहीं चलती, केवल मत से नहीं चलती (वह नियंत्राक जरूर है) वह तंत्रा–मंत्राों से भी नहीं चलती, वह चलती है उस उपेक्षा से जो राजनीति की चर्चा नहीं करती, राजनीति को कभी कभार एहसास कराती है कि वह अंततः निस्सार है, वह मनुष्य के लिए साधन मात्रा है। वह जीवन का साध्य नहीं है, क्योंकि वह समूचा जीवन हो जाए तो सब कुछ भी विरस हो जाए, जैसा कि आज हो रहा है।"[17]

इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंधों में राजनीति तथा राजनीतिक व्यवस्था पर खुलकर विचार–विमर्श किया है।

सदा से ही भारतीय जीवन एवं संस्कृति धर्म अनुप्राणित रही है। धर्म भारतीय जनमानस के रोम–रोम में समाया हुआ है। धर्म के बिना जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। धर्म हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इसलिए धर्म को जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करने पर हम जीवन को और भी अधिक उन्नत बना सकेंगे। धर्म ही वह तत्व है जो मानव मन को सदैव उद्वेलित करता आया है। धर्म केवल कोरी आध्यात्मिकता नहीं बल्कि यह मनुष्य के नैतिक विकास में योगदान करता है। इसी नैतिकता पर समाज की बुनियाद पड़ती है। कुछ लोग धर्म को एक अवास्तविक तत्व मानते हैं, किंतु धर्म कभी भी मनुष्य को वास्तविकता से दूर करने का प्रयास नहीं करता। इसीलिए भारतीय संस्कृति में धर्म को मूर्धन्य स्थान प्रदान किया गया है। भारत भूमि ने सदा ही धर्म को महत्त्व प्रदान किया है। यद्यपि भारत भूमि पर हिंदू धर्म की अधिक मान्यता रही है, फिर भी अन्य धर्म भी भारत माता की गोद में पले बढ़े तथा फूले फले हैं। कुछ लोगों ने धर्म के आधार पर समाज को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, किंतु उसके पीछे की धारणा मनुष्य को मनुष्य से अलग करने की कदापि नहीं रही क्योंकि धर्म तो जोड़ने का काम करता है। कुछ लोग धर्म को रिलिजन का समानार्थी बताते हैं किंतु धर्म को रिलीजन में संकुचित कर देने पर धर्म के वास्तविक अर्थ से हम दूर ही रह जाते हैं। रिलीजन की तुलना में धर्म एक व्यापक संप्रत्यय है। धर्म का वास्तविक अर्थ तो धारण करना होता है। धर्म का जीवन में इतना महत्व है कि धर्म के बिना मनुष्य एक अंतहीन अंधकार में भटकता रहता है। इस अर्थ में धर्म प्रकाश है, धर्म ही दृष्टि है और धर्म ही कर्म पथ है। इसी कर्म पथ पर धर्म का अवलंबन लेते हुए जब मनुष्य आगे बढ़ता है तब उसे परम तत्व के दर्शन हो जाते हैं। धर्म को संकुचित दृष्टि से देखने का डॉ. विद्यानिवास मिश्र जी विरोध करते हैं– "मुझे स्मरण आता है कि आज से लगभग 30–35 वर्ष पूर्व एक बाबू संपूर्णानंद जी ने कहा था कि एक शब्द का गलत अनुवाद कभी–कभी भाषा ही नहीं देश की मानसिकता बदल देता है। इसका सबसे जाज्वल्यमान उदाहरण 'रिलीजन' का 'धर्म' अनुवाद है। रिलीजन के लिए हिंदी समाचार पत्राों में पहले 'मत' या 'पंथ' का प्रयोग होता था, धर्म का नहीं। धर्म का अर्थ लोगों के मन में सच्चाई, अहिंसा, करुणा और परस्पर प्रेम जैसे मूल्यों से

जुड़ा हुआ था।"[18]

इस अर्थ में धर्म को मजहब समझा जाने लगा है जो कि कदापि उचित नहीं है। मिश्र जी ने धर्म के संबंध में गहन चिंतन व विचार किया है जो उनके निबंधों में यत्रा तत्रा देखा जा सकता है। धर्म की आड़ में धर्मनिरपेक्षता की वकालत करने वालों पर वह जमकर बरसते हैं और यह प्रख्यापित करते हैं कि हिंदुस्तान की लड़ाई धर्मनिरपेक्षता के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए है। मिश्र जी मानते हैं कि हमने धर्म को मजहब से एकाकार करके अपने राष्ट्रीय लचतन के साथ ही अन्याय किया है, क्योंकि धर्म में जो व्यापकता विद्यमान है वह पंथ, संप्रदाय अथवा तथाकथित रिलिजन में नहीं है। उनकी दृष्टि में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म का विरोध नहीं है। इस बात को उन्होंने अपने निबंध 'धर्मनिरपेक्षता किससे?' में उद्धृत किया है– "धर्म के प्रणेता कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकर, कबीर, तुलसी, सूफी संत, रामकृष्ण, अरविंद और गांधी नहीं है। यह सभी तो साधक है एक विशाल पथ के। इस धर्म के प्रणेता हैं सामान्य जन। डॉ. संपूर्णानंद ने पिछले वर्ष एक भेंट में कहा था कि कभी–कभी किसी शब्द का गलत अर्थ में प्रयोग करने से उसका भाव अस्त होने लगता है, मजहब के अर्थ में धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग करके हमने धर्म का ही लोप कर दिया है। मैं उसकी बात को आगे ले जाकर कहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता की धूम मचाते मचाते हम सचमुच धर्मनिरपेक्ष हो गए, हम स्व निरपेक्ष हो गए, हमारी राष्ट्रीयता खोखली हो गई। भय तथा आतंक पर आधृत राष्ट्र नीति का फल यह हुआ कि हमारे अपने बीच तरह–तरह के झगड़े खड़े हो गए।"[19]

धर्म को समुदाय के संकुचित अर्थ में आबद्ध कर देने पर एक भयंकर खतरा उत्पन्न हो जाता है। खतरा दृष्टिकोण के संकुचित होने का। संकुचित दृष्टिकोण से कभी भी धर्म की व्यापकता की व्याख्या नहीं की जा सकती। धर्म को संप्रदाय के अर्थ में व्याख्यापित करने पर उसमें सहिष्णुता के स्थान पर कींरता का समावेश हो जाता है। परिणाम स्वरूप समाज में सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और जिस धर्म की व्याख्या जोड़ने के अर्थ में की जाती थी वही विघटनकारी बनकर सामने आता है। इसलिए धर्म को संप्रदाय में सीमित करने से मानव समाज का बड़ा नुकसान होता है। ऐसे ऐसे समुदाय अथवा संप्रदाय हैं जो अपने धर्म गुरु की इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उनके ही गुलाम होते हैं। मिश्र जी के शब्दों में– "ऐसे समुदाय हैं जो एक धर्मगुरु की इच्छा के एकदम गुलाम है, इस गुलामी से मुक्ति दिलाने में उनकी जो भूमिका होनी चाहिए, नहीं होती। हर कींरता पर एक तरह रोक हो। संप्रदायों पर या संगठनों पर रोक लगाने से केवल काम नहीं बनता, जहां शासन बहुत कड़ा है, वहां भी कुछ ही समय तक रोक लग पाती है इसके बाद सत्ता चरमराने लगती है। रोक लगनी चाहिए ऐसी अभिव्यक्ति या ऐसे कार्य पर जो अमंगल कारक हों, घृणा के प्रेरक हों या लज्जास्पद हों। वहां ऐसे कार्य या अभिव्यक्ति का जिम्मेदार अपने आप गिरफ्त में आ जाता है।"[20]

बढ़ते हुये भौतिकतावाद ने धर्म की परिभाषा में भी परिवर्तन कर दिया है। आजकल धर्म को विज्ञान का विरोधी घोषित किया जाने लगा है जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। धर्म कभी भी विज्ञान का विरोध नहीं करता, बल्कि विज्ञान को पैर पसारने का एक अवसर प्रदान करता है। आधुनिक विज्ञान उस सीमा तक विकसित नहीं हो सका है जहां तक धर्म की व्यापकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जहां विज्ञान की परिधि समाप्त होती है, वहीं से धर्म प्रारंभ होता है। इसलिए विज्ञान को धर्म की परिधि में समाहित मानकर ही धर्म की व्याख्या करनी चाहिए। किंतु आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम सबके सम्मुख उपस्थित हो चुकी है, क्योंकि आज मनुष्य धर्म को ही अस्पृश्य मानने लगा है। उसके अनुसार धर्म विज्ञान का विरोधी है। वह धर्म को अपनी स्वाधीनता में अनावश्यक हस्तक्षेप मानता है। उसकी दृष्टि में धर्म केवल वाह्य आडंबर के रूप में ही होता है। मनुष्य की यह वृत्ति उसकी पश्चिमी मानसिकता से प्रभावित होती है। इन सब के पीछे एक और कारण दिखाई देता है जिनमें धर्म के नाम पर स्थापित की गई संस्थाएं धर्म के मूल भाव से दूर हट गई हैं और धर्म के उन्मूलन में ही तत्पर हो गई हैं। मिश्र जी के शब्दों में– "हिंदुस्तान का आदमी धर्म को अस्पृश्य मानने लगा है। उसके भीतर एक चोर बैठ गया है कि धर्म विज्ञान का विरोधी है, प्रगति का विरोधी है, मानव को हीन बनाता है, एक झूठी खामखयाली में डुबाये रखता है, वह मनुष्य को उसके यथार्थ से काटता रहता है, वह हमेशा इस लोक का तिरस्कार करता है, परलोक की चिंता करता है, मनुष्य की स्वाधीनता में अनावश्यक हस्तक्षेप है, वह केवल बाहरी आडंबर है, वह हेय है। ऐसा मानने के पीछे दो प्रकार की परिस्थितियां हैं, एक तो अपने ही समाज की विडंबना से पैदा हुई है, दूसरी उत्पन्न हुई है ओढ़ी हुई पश्चिमी मानसिकता से। अपने समाज की विडंबना यह है कि धर्म के नाम से अधिकांश जो संस्थान बने हैं, वे धर्म के मूल भाव को ही उन्मूल करने में लगे हैं, धर्म का मूल भाव है निष्कपट व्यवहार, आर्जव, सब में अप्रतिहत विश्वास।"[21]

मिश्र जी की दृष्टि में धर्म किसी पुस्तक अथवा पोथी में सीमित भर नहीं है और न ही वह पूजा–पाठ तथा जप तप तक ही सीमित है, बल्कि वह तो मानव जीवन में एक व्यापक आयाम में प्रस्तुत होता है। धर्म अपने आप में व्यापक और समग्र है। धर्म के अंतर्गत जीवन मूल्य और जीवन दर्शन प्रतिलबबित होता है। धर्म में मानव कल्याण की भावना सन्निहित है और यह भावना उसके पूजा पाठ तथा धर्म की पद्धति में प्रकट हो जाता है। धर्म का प्रभाव रहन–सहन तथा लोक व्यवहार में भी दिखाई पड़ता है। किंतु वर्तमान परिवेश में धर्म में विकृतियां उत्पन्न होती चली जा रही हैं। मनुष्य अपने को इतना नीचे गिराता जा रहा है कि मानव कल्याण की बात तो दूर, वह सामान्य शिष्टाचार भी निभाने में कोई रुचि नहीं दिखाता। धर्महीनता के कारण यह उसके आचरण में ह्रास का परिचायक है। पहले का मनुष्य धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण करने में डरता था, किंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। डॉ. विद्यानिवास मिश्र जी ऐसी परिस्थिति का बयान करते हुए लिखते हैं– "धर्म का एक रूप उपासना

पद्धति में प्रस्फुटित होता है, वहीं उसका दूसरा समानान्तर रूप रहन–सहन और लोक व्यवहार में भी प्रस्फुटित होता है। जब समग्र धर्म को हीनतर बना दिया जाता है तो उससे रहन–सहन, उपासना पद्धति और सर्जनात्मकता भी प्रभावित हो जाती है। जहाँ धर्म मूल्य था वहाँ धर्म सौदा हो गया है। जहाँ आदमी धर्म के भाव से बाँटकर खाता था, वहाँ खुदगर्ज हो गया है। जहाँ धर्म के भाव से आदमी पेड़ नहीं काटता था, नदी किनारे गंदगी नहीं फैलाता था, साबुन लगाकर नदी में स्नान नहीं करता था, वहीं अब नदी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रह गया है। जहाँ आदमी गाँव की बेटी को अपनी बेटी मानता था, वहीं अब केवल स्त्राी–पुरूष संबंध रह गया है। जहाँ आदमी तीर्थयात्राा करने समय धर्म के ही भाव से अत्यंत अकिंचन बन कर निकलता था, वहीं अब तीर्थयात्राा भी मौजमस्ती हो गयी है। जहाँ हिमशिखर की तलहटी, अरण्यप्रान्तर साम्य के तीर की ध्यान के लिए उपयुक्तता थी, वहीं अब ये सभी स्थान भोग के केन्द्र बन गए हैं और भोग के कचरो से पट गए हैं।"[22]

वर्तमान संदर्भ में धर्म के भीतर आडंबर के समावेश ने धर्म के स्वरूप को ही विकृत करके रख दिया है। डॉ. मिश्र जी ऐसी परिस्थिति से व्यथित होते हैं। तथाकथित धर्माचार्य धर्म के नाम पर केवल भक्तों से पैसा मांगते हैं। ज्ञान के अभाव में मंत्राों को अशुद्ध पढ़कर गलत तरीके से यज्ञ विधान पूर्ण कराया जाता है, जिससे धर्म के प्रति लोगों की निष्ठा व श्रद्धा में कमी आती जा रही है। आज के परिवेश में हम जो भी धर्म अथवा अनुष्ठान करते हैं उन सब में केवल आडंबर ही आडंबर दिखाई देता है। दिन–रात अपराध में संलग्न रहने वाले लोग अपनी काली कमाई को खपाने का जरिया धर्म को ही बना लिए हैं। अपने कमाए धन के कुछ अंश को धार्मिक उत्सव में लगाकर राजनीति की सीढ़ी चढ़ते हैं। इस प्रकार लोगों की धार्मिक भावना कहीं न कहीं आहत होती चली जाती है और इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के द्वारा ही धर्म की अभूतपूर्व हानि की जाती है। परिणाम स्वरूप जनमानस के हृदय से धर्म के प्रति आस्था और विश्वास समाप्त हो जाता है। ऐसी अनाचार पूर्ण परिस्थिति तथा स्वार्थ लोलुपता के कारण केवल एक व्यक्ति अथवा समुदाय ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि संपूर्ण मानवता तथा संपूर्ण समाज क्षत–विक्षत हो जाता है। मिश्र जी लिखते हैं– "कथा वाचकों, पुजारियों मठाधीशों, सन्यासियों, सबको देखता हूँ सब माँग रहे हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, पैसे माँगता है, कोई मंदिर हो, चढ़ावा माँगता है, तभी दर्शन अधिक सुगमता से होंगे आप कितनी भी तल्लीनता से गंगास्नान करना चाहें, पैसों के लिए डुबकी लगाने वाले छोकरों से टकराकर अचकचा ही जायेंगे, यहां तक ही शमशान पैसे माँगता है कभी–कभी सोचता हूँ कि आहुति, त्याग, यज्ञ की बात करने वाले धर्म में इतना लोभ कहाँ से आ गया है। आदमी चाहेगा कि जैसे भी मुझे स्नान करने को मिल जाये, दर्शन करने को मिल जाये भले ही मेरे धक्के से दूसरे दर्शनार्थी गिर जायें, पिस जायें, मैं ऐसे आत्मलोभी से घबरा जाता हूँ।"[23]

समाज में धर्म के नाम पर फैलती इस अराजकता का प्रभाव यह होगा कि मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति विश्वास पूर्ण रूप समाप्त हो जायेगा जिससे समाज की बुनियाद कमज़ोर पड़ जायेगी। भोग

मानव की मानसिकता है परंतु भोग वही सार्थक है जो त्याग के साथ किया जाता हो। यदि मानव पग–पग पर केवल अपने स्वार्थ के बारे सोचता रहे तो पूरा समाज एक जंगल सा बन जायेगा। धर्म की मूल चेतना मानव भूलने लगा है और वह है अपने कर्त्तव्यों का निष्ठा स्वरूप पालन करना। समाज में इस प्रकार के कार्य अनैतिकता की कोटि में आते हैं। यदि इनका उन्मूलन नहीं किया गया तो यह सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचे को चरमरा देगा। इसलिए धर्म के ढूंढ के प्रति एक सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।

"कानून अगर बनाया जाता है तो यह बनना चाहिए कि धर्म का ढोंग अधर्म है, लोकशक्ति की उपेक्षा अधर्म है, भ्रष्टाचार अधर्म है, समग्र समाज की बलि चढ़ाकर सीमित समाज के हित की बात करना अधर्म है और ऐसा अधर्म यदि न्यायिक प्रक्रिया से प्रमाणित हो तो उसे जनप्रतिनिधि होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। 'रिलिजन' शब्द से केवल अंग्रेज़ी जानने वाले परिचित हैं और रिलिजन भी अपने आप में कोई अपराध नहीं है। वह सही ढंग से आचरित हो तो मनुष्य को भीतरी ताक़त देता है और भिन्न रिलिजन मानने वालों के प्रति भी इस आधार पर आस्था भाव देता है कि जैसे हमारे लिए हमारा तौर–तरीका सही है, हमारी माँ प्रिय है, हमारे बच्चे प्रिय हैं, उसी तरह दूसरे को भी आपने परम्परागत तरीके प्रिय होते हैं, माँ प्रिय होती है, बच्चे प्रिय होते हैं। सही तरीके से की जाने वाली उपासना पद्धति जब गहराई में पहुँचती है, तो मनुष्य की सीमा अपने आप टूट जाती है। उस अनुभव के स्तर पर कोई व्यक्ति हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं रह पाता, भले ही वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ग्रसाग्र पद्धतियों से इस भूमि तक पहुँचता हो।"[24]

निष्कर्ष :

अस्तु, डॉ० विद्यानिवास मिश्र ने धर्म, अर्थ, राजनीतिक के स्वरूप पर व्यापक दृष्टि डाली। राजनीति का महत्व यह है कि वह शुचिता और पवित्रातापूर्ण हो, धर्म अंधविश्वासरहित हो, समाज में वैमनस्यता का अभाव हो। जब हम अपनी मूलचेतना को समझने लगेंगे तो हमारा अन्तर्मन भी उसी के अनुरूप व्यवस्थित होने लगेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. दिलीप देशमुख : विद्यानिवास मिश्र का निबंधालोकऋ पृष्ठ –43, प्रथम संस्करण –2006 (विद्या प्रकाशन कानपुर)
2. डॉ. विद्यानिवास मिश्र : पीपल के बहानेऋ पृष्ठ–26, संस्करण– 1994 (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)
3. डॉ. विद्यानिवास मिश्र : छितवन की छांहऋ पृष्ठ –102

4. डॉ. दिलीप देशमुख : विद्यानिवास मिश्र का निबंधालोकऋ पृष्ठ -118- 119, प्रथम संस्करण - 2006 (विद्या प्रकाशन कानपुर)
5. डॉ. विद्यानिवास मिश्र : पीपल के बहानेऋ पृष्ठ-27, संस्करण-1994 (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)
6. डॉ. विद्यानिवास मिश्र : बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, पृष्ठ-146
7. डॉ. विद्यानिवास मिश्रः नैरंतर्य और चुनौतीऋ पृष्ठ-122
8. डॉ. दिलीप देशमुखः विद्यानिवास मिश्र का निबंधालोकऋ पृष्ठ-118, प्रथम संस्करण -2006 (विद्या प्रकाशन कानपुर)
9. डॉ. दिलीप देशमुखः विद्यानिवास मिश्र का निबंधालोकऋ पृष्ठ-43, प्रथम संस्करण -2006 (विद्या प्रकाशन कानपुर)
10. डॉ. दिलीप देशमुखः विद्यानिवास मिश्र का निबंधालोकऋ पृष्ठ-123, प्रथम संस्करण -2006 (विद्या प्रकाशन कानपुर)
11. डॉ. विद्यानिवास मिश्र : बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहींऋ पृष्ठ- 136
12. डॉ. विद्यानिवास मिश्रः पीपल के बहानेऋ पृष्ठ-13, संस्करण-1994 (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली
13. डॉ. विद्यानिवास मिश्रः पीपल के बहानेऋ पृष्ठ-15, संस्करण-1994 (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)
14. डॉ. विद्यानिवास मिश्रः पीपल के बहानेऋ पृष्ठ-15, संस्करण-1994 (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)
15. डॉ. दिलीप देशमुखः विद्यानिवास मिश्र का निबंधालोकऋ पृष्ठ-124, प्रथम संस्करण-2006 (विद्या प्रकाशन कानपुर)
16. डॉ. दिलीप देशमुखः विद्यानिवास मिश्र का निबंधालोकऋ पृष्ठ-124, प्रथम संस्करण -2006 (विद्या प्रकाशन कानपुर)
17. डॉ. विद्यानिवास मिश्रः पीपल के बहानेऋ पृष्ठ-16, संस्करण -1994 (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)
18. डॉ. विद्यानिवास मिश्रः पीपल के बहानेऋ पृष्ठ-17, संस्करण- 1994 (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)
19. डॉ. दिलीप देशमुखः विद्यानिवास मिश्र का निबंधालोकऋ पृष्ठ -124 ,प्रथम संस्करण -2006 (विद्या प्रकाशन कानपुर)
20. डॉ. विद्यानिवास मिश्रः नदी नारी और संस्कृतिऋ पृष्ठ -122, संस्करण -1993(प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली)
21. डॉ. विद्यानिवास मिश्र : संचारिणीऋ पृष्ठ- 35, संस्करण- 1996 (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)
22. डॉ. विद्यानिवास मिश्रः पीपल के बहानेऋ पृष्ठ-17-18, संस्करण-1994 (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)
23. डॉ. दिलीप देशमुखः विद्यानिवास मिश्र का निबंधालोकऋ पृष्ठ -124, प्रथम संस्करण -2006 (विद्या प्रकाशन कानपुर)
24. डॉ. विद्यानिवास मिश्रः पीपल के बहानेऋ पृष्ठ -18-19, संस्करण -1994 (वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)

चम्पारण के जन कवि स्व. बृज बिहारी प्रसाद 'चूर' जी

डॉ.संतोष पटेल
सहायक कुलसचिव
दिल्ली कौशल एवं उधमिता विश्वविद्यालय, द्वारका, नई दिल्ली

चंपारण के सुप्रसिद्ध कवि बृजबिहारी प्रसाद चूर (23 जनवरी 1914–21 अप्रैल 1994) के भोजपुरी कविता– "चंपारण के लोग हँसेला" (1954 ई में प्रकाशित) चंपारण के महिमा के बखूबी बखान करत बा, रउरा सभे आनंद लिहिन– चंपारण के लोग हँसेला। हम बता दिही कि बृजबिहारी प्रसाद 'चूर' वइसे त 'चूर कवि' से प्रसिद्ध रहीं। चंपारण में जनकवि के रूप में 'चूर जी' के प्रसिद्धी रहे, रहे काहे ना जे आपन साहित्य साधना आम जन, आम मनई, आपन माई भाषा भोजपुरी आ आपन जनम भुई 'चंपारण' के खातिर कइले होक, जेकर कविता अबाल वृद्ध के मुंह से तिरोहित होखे आ जे केहू आपन मातृभाषा आ जनम भूमि पर गर्व करेला ओकरा ला 'चूर' जी रचना पढ़ल आ बोलल आजो ओतने प्रासंगिक बा जेतना उ आपन समय में रहे।

चूर जी के लिखल दू गो पुस्तक हमेशा चर्चा में बनल रहेला 'चंपारण गुणगान' आ 'चंपारण के लोग हँसेला'। कवि चूर के रचना 'चंपारण के लोग हँसेला' के प्रबंधात्मक शैली के अनुपम रचना कहेले – डॉ शोभाकान्त झा (पृष्ठ संख्या – 210), हिंदी साहित्य को चंपारण की देन) एह पुस्तक के सन्दर्भ में लिखत बानी कि "इस पुस्तक में कवि चूर ने चंपारण के इतिहास, भूगोल, दर्शनीय स्थान, विस्तृत प्राकृतिक छटा का भोजपुरी में गौरव गान किया है।"

सांचों, एह लमहर रचना में चंपारण के लोक संस्कृति, लोगन के भाईचारा, भोजन आ चंपारण के महता के दर्शन बा. एह प्रबंध कविता के ताकत के बखान करत चखनी, बगहा के साहित्यकार विश्वम्भरनाथ मिश्र जी जे चूर से उमर में तनिके छोट होखब आपन एगो आलेख जवन अप्रैल– जुलाई 2013, चंपारण चंद्रिका, बगहा, पश्चिम चंपारण पृष्ठ –26–27) एगो घटना के वर्णन कइले बानी –

'मार्च 1964 में भोजपुरी भाषा के कवि सम्मलेन का आयोजन स्वनाम धन्य कांग्रेसी नेता श्री अर्जुन विक्रम शाह (रामनगर) के तत्वावधान में, हिन्द सिनेमा रामनगर में कराया गया था। मंच सञ्चालन श्री विन्ध्याचल प्रसाद गुप्त (चनपटिया वाले) कर रहे थे। दूर–दूर से आये कविगण अपनी कविताएँ सूना रहे थे। गुप्त जी ने छपरा से आये कवि 'मुँहदुब्बर जी' को मंच पर आकर कविता पाठ करने का आग्रह किया। मुंहदुब्बर जी मंच पर अपनी कविता – चंपारण के लोग मुस्कुराते हुए अपने

अंदाज में पढ़ना आरम्भ किया।

कविता में चंपारण के लोगों को गंवार, असभ्य और अनपढ़ बताया गया। इन्हें खानपान का सही तौर तरीका भी मालूम नहीं, कहा गया। मुहंदुब्बर जी को कविता सुन श्रोता मौन हो गए। इसी बीच आशुकवि चूर जी मुह्वदुब्बर जी के कविता का जबाब तैयार कर भी लिए। संयोग से 'गुप्त जी' ने 'चूर कवि' को कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। चूर जी ने अपनी प्रथम पंक्ति में विस्फोट कर दिया। मुंहदुब्बर जी का मुंह उतर गया, चेहरा उदास, और रही सही कसर श्रोताओं ने खड़े होकर तालियाँ बजाते रहे जिसकी गडगडाहट देर तक चलती रही। वह विस्फोटक पंक्ति थी – के हँसे हमार चम्पारण के ... हम हाल ना जानी सारण के!"

अगली पंक्तियों में चूर जी ने सारण (छपरा) के उन अवगुणों को उजागर किया जिनको लेकर वह जिला बदनाम माना जाता रहा है। अइसन रही कवि चूर जी।

कवि चूर बथना गाँव (नवतन), बैरिया, पश्चिम चंपारण के निवासी मुंशी हजारी लाल के योग्य बेटा रहीं। 23 जनवरी, 1914 ई के इहाँ के जनम भइल रहे। शिक्षा दीक्षा तक प्राइमरी ले रहे बाकिर भोजपुरी भाषा के एगो सशक्त कवि आ चम्पारण के एगो बरियार मंचीय हस्ताक्षर।

बृजबिहारी प्रसाद चूर के रचना संसार में 'चंपारण के लोग हँसेला' भोजपुरी कविता संग्रह, 1954 ई में आइल। 'हमनी के लाज भगवाने बचायीं', भोजपुरी कविता संग्रह 1954 ई में आइल। बहकल मनवा के कैसे समझाई, आ 15 अगस्त, हरि बिनु के हरी दुखवा गरीब के, कह तानी हाल सुनी, तेइस बारिस के, खटमल पूरण, मालाहां उन्घायिल नैया आपन ना सम्हता, आप देता के बतकही, धरती रानी, बी एन डब्लू आर से जब ओ टी आर भइल, हम गरीब किसान कहाइले, के करी पूरा हमारा बापू के सपनवा, गणेश वंदना अप्रकाशित बा।

'चंपारण के लोग हँसेला' प्रबंध कविता के लोकप्रियता देखीं की बिहार सरकार के तत्कालीन कृषि आ सिचाई मंत्राी स्व राम चरित्रा सिंह जब 1952 में रामनगर आइल रहनी त कवि चूर के एह रचना सुनावे के कहल गइल। कवि चूर जी के मंत्राी जी एह कविता के सुनि के 'स्वर्ण पदक' देले रहीं। कवि चूर नवतन से आई के रामनगर में बस गइल रही जहवां एगो केदार जी के साथे साईकिल फिटिंग के काम करे लगनी ओही में अखबार विक्री के काम होखे। चूर जी पेपर बेचला के अलावा जिल्दसाजी के काम, नया फाइल बनावे के काम कर के जीवनयापन करत रहीं।

निहायत शरीफ, सरल, सहज, आ हंसमुख सोभाव के कवि चूर जी में एगो आउर गुण रहे उहाँ के बिच्छी आ सांप के बिख उतारे के मंतर जानत रही एह से आसपास के इलाका में उन्हा के लोकप्रियता बढ़ गइल रहे। चूर जी शादी –विआह ना कइनी बाकिर उहाँ के व्यंग के तीर एगो शादीशुदा

भइला के बाद मिलल अनुभव से जानल जा सकेला। कवि चूर के व्यंगोक्ति इहाँ दिहल जरुरी बा –

रेल के गति पर उहाँ के कहत बानी –

"ओटी से एनई भइल
नाम बदल के लोग का कइल
एकर हरदम हाल इहे बा
टुकदम टुकदम चाल इहे बा" (पृष्ठ –27, चंपारण चंद्रिका, अप्रेल–जुलाई, 2013)

कवि चूर के कविता के मूल्याङ्कन करत डॉ सतीश कुमार राय लिखत बानी – "बृजबिहारी प्रसाद चूर" भोजपुरी के अत्यंत प्रसिद्ध कवि है। 1954 ई में उनकी भोजपुरी कविताओं का संग्रह 'चंपारण गुणगान' प्रकशित हुआ था इसमें चंपारण की भौगोलिक स्थिति और उसके वैशिष्ट्य के पूरी जीवन्तता के साथ रेखांकित किया गया था. चंपारण के स्थलों के लेकर लिखी गई कविता 'चंपारण के लोग हँसेला' अपने कटाक्ष, आत्मवोध, और भाषागत प्रवाह के कारण कालजयी रचना मानी गई। "(पृष्ठ संख्या – 36–37, परम्परा के कृति स्तम्भ, संपादक और संचयन – डॉ सतीश कुमार राय)

रघुनाथ पुर मोतिहारी के रहनिहार भोजपुरी के वरिष्ठ कवि साहित्यकार लव शर्मा प्रशांत जी के सम्पादित 'चंपारण के गीत' नामक किताब जवन सन 2010 में भोजपुरी साहित्य संस्था, पटना प्रकाशित भईल में ओह में बृजबिहारी चूर जी के कविता प्रकाशित बा। वइसे त एह किताब में 15 गो कवि के चम्पारण के गीत/ गान दिहल बा जेकरा में तीसरा नम्बर पर चूर जी के चंपारण के लोग हँसेला प्रकाशित बा। सम्पादक के पन्ना में (पृष्ठ – 8) लिखत बानी – "हम हाई स्कूल में पढ़त रहनी तबे से बलदेव प्रसाद श्रीवास्तव जी के गीत सुनी सुनाई कथा आज हम चंपारण का गाँव के" आ बृजबिहारी प्रसाद चूर जी के 'चंपारण के लोग हँसेला' सुनल करीं। सोचीं केतना प्रसिद्धी रहे एह कविता के "कवि चूर जी आपन बुढ़ापा के जिनिगी ले साहित्य सृजन कइनी। आखिर उहों साथे उहे भईल जवन सबका साथे होखे के बा चूर जी के देहांत सन 1996 ई में हो गईल।

इहाँ एगो बात उधृत करल जरुरी बा कि वर्ष 2014 में कवि चूर जी के शताब्दी वर्ष रहे। भले लोग भुला गईल होखे बाकिर बगहा के दू गो युवा साहित्यकार सौरभ के। स्वतंत्रा आ अविनाश कुमार पाण्डेय के संयुक्त संपादक में स्पंदन –भाग 2 जवन भोजपुरी कविता पर केन्द्रित बा ओकर पहिला पन्ना में चूर जी के श्रधांजली देत उन्हा के लिखल चंपारण के लोग हँसेला के तीन पैराग्राफ दिहल बा।

बेतिया के वरिष्ठ साहित्यकार डॉ गोरख प्रसाद मस्ताना के अनुसार – "कवि चूर जी के लोग जनकवि कहेला काहे कि उहाँ के रचना में भोजपुरी के सीधा, सरल आ मन के छुवेवाला शब्दन के प्रयोग कइले बानी खास कर के भोजपुरी भाषा में चंपारण पर लिखल उहाँ के कविता आजू ले

अद्वितीय मानल जाला।"

"चंपारण के लोग हँसेला"

बृज बिहारी प्रसाद 'चूर'

उत्तर में सोमेसर खाडा
दक्खिन गंडक के जलधारा
पूरब बागमती के जानी
पश्चिम तिरबेनी जी बानी
माघ मास लागेला मेला
चंपारण के लोग हँसेला।

चलीं देखलीं भैसालोटन
अब नइखे उ बाघ ककोटन
तिरबेनी पर बान्ह बन्हल बा
कोसन तक घर-बार बनल बा
सांझे जग-मग जोत जरेला
चंपारण के लोग हँसेला।

पूल के रचना अजबे बाटे
बदल गइल बा सरबस ठाटे
देखत में न मन अकुताला
उन्हवे आपन राज बुझाला
बाटे बनल बराज बुछेला
चंपारण के लोग हँसेला।

नइखे तिरथ से तनिको कम,
नियरे बाल्मीकि के आश्रम
जहवां बाजेला ढोल -मृदंग
साधुन के होला सत्संग
मंह मंह चारू ओर करेला
चंपारण के लोग हँसेला।

धन धन श्री धनराजपूरी के,
खोजले आश्रम बाल्मीकि के
हम का करब बड़ाई उनके
दुनिया गाई उनका गुन के
अइसन अइसन लोग बसेला
चंपारण के लोग हँसेला।

इहवें रहे विराट के नगरी
जंहवा पांडव कइले नोकरी
अर्जुन इहवें कइले लीला
इहवे बा विराट के टीला
बरनन वेड कुरान करेला
चंपारण के लोग हँसेला।

परल कभी पानी के टान
अर्जुन मारले सींक के बान
सींक बान धरती के गईल
सिकरहना नदी बह गईल
एकर जल हर घड़ी बहेला
चंपारण के लोग हँसेला।

नगर किनारे सुन्दर बगहा
मालन के ना लागे पगहा
परल उहंवा बा सउसें रेत
चरि के माल भरेला पेट
रेल के सिलपट इहें बनेला
चंपारण के लोग हँसेला।

इहें मसान नदी बउरहिया
उपरे डूगरे रेल के पहिया
भादों में जब इ फूफुआले

एकर बरनक कहीं कहान्लें
बड़का -बड़का पेड़ दहेला
चंपारण के लोग हँसेला।

रामनगर में राजमहल बा
शहर - बाजार में चहल- पहल बा
बा विशाल मंदिर शंकर के
कहाँ कहाँ बा ओह परतर के
कंचन के त्रिशूल चमकेला
चंपारण के लोग हँसेला।

रामनगर राजा नेपाली
मंगन कबो न लौटे खाली
इहाँ हिमालय के छाया बा
एकर कुछ अजबे माया बा
इहें नदी में स्वर्ण दहेला
चंपारण के लोग हँसेला।

रामनगर के धनहर खेती
एक-एक खेत रहू के पेटी
चार महिना लोग कमाला
आठ महिना बइठल खाला
दाना बिना केहू ना मरेला
चंपारण के लोग हँसेला।

इहाँ चानकी पर जाई चढ़
इहें लौरिया के नंदनगढ़
केहू कहे भीम के लाठी
गाडलि बा पत्थर के जाठी
लोग अशोक के लाट कहेला
चंपारण के लोग हँसेला।

नरकटियागंज देखीं गल्ला
मंगल सनीचर हाट के हल्ला
किनी बासमती के चाउर
अन्न उहवाँ ना मिली बाउर
भात बने बटुला गमकेला
चंपारण के लोग हँसेला।

चल के देखलीं योगापट्टी
बा जहाँ बिछल तेल के पट्टी
हित देश के कुछ लोग आई
सभे मिल के करी खुदाई
देखि केतना दिन लागेला
चंपारण के लोग हँसेला।

आगे बढीं चलीं अब बेतिया
बीच राह में बा चनपटिया
इहाँ बीके मरचा के चिउरा
किन -किन लोग भरेला दउरा
गाड़ी–गाडी धान बिकेला
चंपारण के लोग हँसेला।

बेतिया राजा के राजधानी
रहले भूप करन अस दानी
पश्चिम उदयपुर बेतवानी
बढ़िया सरेयां मन के पानी
दूर दूर के लोग पियेला
चंपारण के लोग हँसेला।

बेतिया के मीना बाजार
सभ बाजारन में उजियार
बाटे अब तक बाग हजारी
मेला लगे दसहरा भारी

घोडा हाथी बैल बिकेला
चंपारण के लोग हँसेला।

बेतिया के गिरजा मशहूर
भईल रहे भूकंप में चूर
फेर बनल बा अइसन बांका
बदल गईल बा ओकर खाका
इनरासन के जोत झरेला
चंपारण के लोग हँसेला।

चाउर में झुमका के जानी
संतपुर के पटुवा मानी
रेल के जंक्सन नरकटिया के
आउर सराहीं गुड योगिया के
चीनी के इ मात करेला
चंपारण के लोग हँसेला।

इहवे बसल सुगौली भाई
गोरे –गोरखे भईल लड़ाई
हारे पर जब अइलें गोरा
धइ दिहलें गोली के झोरा
भईल सुलह इतिहास कहेला
चंपारण के लोग हँसेला।

चंपारण में गढ़ मोतिहारी
भइल नाम दुनिया में भारी
पहिले इहे जिला जागल
गोरन के मुंह करिखा लागल
मोतिहारी के नाम तपेला
चंपारण के लोग हँसेला।

चकिया उँख के मिल पुराना
मेहसी सिप बटन कारखाना
सटे बहे नदी सिकरहना
पेन्हे लोग मोतिन के गहना
सूपन मोती रोज झरेला
चंपारण के लोग हँसेला।

एही जिला में भितिहरवा बा
गाँधी आश्रम नाम परल बा
गाँधी जी चम्पारण अइले
इहें पाहिले सत्याग्रह कइले
लिलहा आबो नाम जपेला
चंपारण के लोग हँसेला।

बेतिया से दखिन कुछ दूर
बथना गाँव बसे मसहूर
इहवा लाला लोग के बस्ती
धंधा नोकरी ओ गिरहस्ती
केतना एम.ए.लोग बसेला
चंपारण के लोग हँसेला ।

इहवें के भैया देहाती
रहले उ कवि श्चूरश के साथी
कविता बा उ देहिया नइखे
श्गगरी भरल खीचतें नइखेश
रटना अबहूँ लोग करेला
चंपारण के लोग हँसेला।

चंपारण के लोग हँसेला
कांवरथू के दिखी रावा
अरेराज बउरहवा बाब
फागुनी तेरस नीर ढरेला

नामी अरेराज के मेला
ओके दर्शन लोग करेला।
चंपारण के लोग हँसेला

अइसन बहुत जिला के बस्ती
लेकर इहाँ हाट परवस्ती
केहू नौकरी, केहू नाच करेला
मगन लोग दिन रात रहेला
केतना लोटा -झाल बहेला
चंपारण के लोग हँसेला।

खाए में जब कटपट भइले
भागि में चंपारण अइले
मांगी मांगी धन -धान कमइले
मंगन से बाबू बन गइले
ऐसन केतना लोग बसेला
चंपारण के लोग हँसेला।

सब दिन खइले सतुआ लोटी,
इहाँ परलि मचिया पर बेटी
बाप के दुःख भूल गइल बीटा
भोर परल माटी के मेंटा
अब त लाख पर दिया जरेला
चंपारण के लोग हँसेला।

केहू संत के रूप बनावे
केहू बीन बजावत आवे
कतने कतने भांट पंवरिया
बनिके आवे स्याम संवरिया
इहें सभकर बाँह गहेला
चंपारण के लोग हँसेला।

करिहें का, कवि लोग बड़ाई
जग चंपारण के गुण गाई
अपन कमाई अपने खाले
केहू से ना मांगे जाले
इहे देखि दुश्मन हहुरेला
चंपारण के लोग हँसेला।

1. साभार-हिंदी साहित्य में चंपारण का योगदान- डॉ शोभाकान्त झा
2. चंपारण चन्द्रिका- चंपारण महोत्सव स्मारिका-2002- संपादक- श्रीमती शशिकला
3. चंपारण महोत्सव स्मारिका-2003- संपादक- डॉ महेश्वर प्रसाद सिंह
4. चंपारण के गीत- लव शर्मा प्रशांत जी -भोजपुरी साहित्य संसथान, 2010
5. कर्मयोगी राजकुमार शुक्ल- रवीन्द्रकुमार शर्मा- अकेला प्रकाशन, 2011

महिला सशक्तिकरण : चुनौतियां एवं समाधान

डॉ रश्मि
(असिस्टेंट प्रोफेसर) अर्थशास्त्र विभाग
श्री रामेश्वर दास अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, हाथरस

हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए कहा है कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं लेकिन विडंबना तो यह है कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी आज उसके सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि जेंडर गैप इंडेक्स में हम 156 देशों में से 140 वें स्थान पर है वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडिया (सुरक्षा एवं शांति सूची) में 130 वें स्थान पर है हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा 29% है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा देश 131 वें स्थान पर है एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में रोजाना 88 रेप की घटनाएं होती है मैं यह बात समाज से पूछना चाहती हूं कि देश तो स्वतंत्रा हो गया परंतु हमारी मानसिकता कब स्वतंत्रा होगी क्योंकि देश की अखंडता, एकता व देश के सर्वांगीण विकास में नारी जाति का बहुत बड़ा योगदान है। जब तक देश की आधी आबादी की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा इसलिए महिला सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है यद्यपि लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है फिर भी इस दिशा में और आगे प्रयास करने की जरूरत है

महिला महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य ऐसी विचारधारा से है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आत्म निर्णय का अधिकार प्रदान करने, समाज में क्षमता आधारित भागीदारी सुनिश्चित करने का समर्थन करती है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वह हर क्षेत्रा में स्वतंत्रा होकर फैसले ले सके। समाज की लगभग आधी आबादी होकर भी इसका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। हमारी विधानसभा व लोकसभा में इनकी संख्या बहुत कम है। इसके लिए लैंगिक समानता स्थापित करना बहुत आवश्यक है। जब तक इस आधी आबादी का विकास नहीं होगा तब तक देश का समावेशी विकास भी असंभव है

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई है ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके इनमें से कुछ प्रमुख कोई योजनए ---जैसे मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मात् मृत्यु दर को कम करने की योजना) आदि द्यमहिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्न योजनाएं इस आशा से चलाई जा रही है कि 1 दिन समाज में महिलाओं को भी पुरुषों की ही तरह प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा

1. बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना-

यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर तथा आर्थिक सहायता देकर बनाई गई है ताकि परिवार में लड़की को बोझ न समझा जाए

2. महिला हेल्पलाइन योजना -

महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी हिंसा या अपराध की शिकायत पूरे देश में 181 नंबर डायल कर दर्ज करा सकती है यह योजना 24 घंटे इमरजेंसी सेवा प्रदान करती है

3. उज्ज्वला योजना -

यह योजना महिलाओं को तस्करी और यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की गई है इसके साथ ही इसके अंतर्गत उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए भी कार्य किया जाता है

4. सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एंप्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन -

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि विषयों में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है ताकि वह अपने कौशल को निखार कर रोजगार प्राप्त कर सके या स्वयं का रोजगार शुरु कर सके।

5. महिला शक्ति केंद्र-

यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवक संघ द्वारा ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हैं

6. पंचायती राज योजना में महिलाओं के लिए आरक्षण -

2009 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में 50% महिला आरक्षण की घोषणा की थी ताकि ग्रामीण क्षेत्राों में महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार हो सके जिसके द्वारा अब भारी मात्राा में महिलाएं ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गई

7. संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास किए कुछ अधिनियम -

कानूनी अधिकारों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा कुछ अधिनियम पास किए गए हैं वे निम्न है---

1. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
2. दहेज रोक अधिनियम 1961
3. एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976
4. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987
5. लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994
6. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013

भारत में महिलाओं की आर्थिक स्थिति-

1. 2020 में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट "वूमेन बिजनेस एंड लॉ 2020" के अनुसार, आर्थिक तौर पर महिलाएं को सशक्त बनाने के मामले में विश्व के 190 देशों में भारत का 117 वां स्थान है
2. 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड वुमन 2019-20 में कहा गया कि आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद भारत में महिलाओं की श्रमबल में कमी प्रथम स्थान पर आई है जो चिंता का विषय है

3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार यदि लैंगिक असमानता को 25% कम कर लिया जाए तो देश की जीडीपी में एक ट्रिलियन डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है। यदि सारी महिलाएं आर्थिक क्षेत्रा में भागीदारी करें तो मोदी जी का सपना 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को पार कर जाएगा इसलिए आर्थिक प्रगति के लिए अपनी आधी आबादी पर ध्यान देना होगा आज महिलाओं का योगदान जी डीपी में 20% से भी कम है

4. श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्राों में कार्यस्थलो पर महिलाओं की भागीदारी35. 8%से घट कर 26.4% ही रह गई है

5. विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में आर्थिक भागीदारी अंतर 3% बढ़ा है

6. तकनीकी भूमिका में महिलाओं की हिस्सेदारी 29.2 प्रतिशत कम हुई है

ये आंकड़े चिंता का विषय है और यह बताते हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है

महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां -

1. **पुरुष प्रधान समाज**- जब तक हमारा समाज पुरुष प्रधान रहेगा और हर निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाएंगे चाहे वह पंचायत हो, नगर पालिका हो, विधानसभा या संसद भवन तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा

2. **शिक्षा का अभाव** - कई बार जानकारी के अभाव में महिलाएं शोषण का शिकार हो जाती हैं। अशिक्षित महिलाओं के शोषण की दर शिक्षित महिलाओं की तुलना में दोगुनी है इसलिए आवश्यकता है कि महिलाएं अधिक से अधिक शिक्षित हो।

सुझाव -

1. प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए

2. वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए

3. महिलाओं के साथ जुड़े अपराधों को त्वरित निपटारा किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के प्रति जो अपराध लोग करते हैं उन्हें पता चले कि परिणाम भयानक हो सकते है।

4. कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण होना चाहिए

यद्यपि महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बदलाव हुए हैं परंतु अभी भी आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रा में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले पीछे है। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से कार्यबल में उनकी भागीदारी में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। आज महिलाओं के मुद्दों और सरोकारों पर कहीं अधिक संवेदनशील होने और परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता है। बालिका के जन्म से लेकर युवा होने और युवा से बुजुर्ग होने तक उन्हें हर बाजिव हक की पैरवी हमें करनी होगी। इस साक्षर और शिक्षित भारत में कन्या भ्रूण हत्या और भेदभाव इस पतन की जिंदा मिसाल है। यदि हर माता-पिता लड़की और लड़के का भेद अपने मन से हटा दें तो आंकड़ों का यह भेद अपने आप ही मिट जाएगा इसलिए केवल योजना बना देने से ही महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता आवश्यकता है कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें तभी हम लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदलने में कामयाब हो पाएंगे और तभी हमारा देश चौमुखी विकास कर पाएगा इसलिए महिला सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. संबंधित शोध समाचार पत्रा और सोशल मीडिया के आलेखों पर आधारित है
2. दैनिक भास्कर 2016
3. पांडे डॉक्टर नीति और भूषण डॉक्टर भारत, आजादी के 75 वर्ष उपरांत भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति
4. प्रतियोगिता दर्पण (मासिक पत्रिाका)

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

भारत-नेपाल खुली सीमा और आंतरिक सुरक्षा की समस्या

***रंजीत कुमार मौर्य**
शोधार्थी, भूगोल विभाग, रामजी सहाय पीजी कॉलेज रुद्रपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश
****प्रो. नरेंद्र कुमार शर्मा**
शोध निर्देशक (असिस्टेंट प्रोफेसर), भूगोल विभाग,
रामजी सहाय पीजी कॉलेज रुद्रपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश

शोध सारांश -

भारत और नेपाल आदिकाल से ही एक दूसरे के महत्वपूर्ण सहयोगी रहें हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा का होना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। लेकिन इस खुली सीमा से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि सीमा को पार करने वाले नागरिकों का कोई आधिकारिक विवरण और सत्यापन नहीं होता है। इस शोध पत्रा में भारत नेपाल खुली सीमा से उत्पन्न होने वाली आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन किया गया है, विदेशी नागरिक, तस्करी, नारी सुरक्षा आदि को अध्ययन में शामिल किया गया है। सीमा सुरक्षा के लिए भारत सरकार अनेक उपाय कर रही है। सीमा सुरक्षा बल भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहा है। इस शोध पत्रा के माध्यम से भारत नेपाल सीमा पर आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के समाधान के लिए संभावित उपायों को रेखांकित किया गया है।

प्रमुख शब्द :- भारत नेपाल सीमा, सीमा सुरक्षा बल, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी नागरिक, खुली सीमा।

प्रस्तावना -

भारत और नेपाल एक दूसरे से खुली सीमा साझा करते हैं, दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे की सीमा में बिना किसी वीजा या अनुमति के आवागमन कर सकते हैं, इसके लिए केवल वैध पहचान पत्रा की आवश्यकता होती है, व्यवहार में तो कई बार पहचान पत्रा की भी जांच नहीं की जाती। पहचान पत्रा की जांच केवल विशेष परिस्थितियों में की जाती है।

इससे एक तरफ नागरिकों को आने जाने की सुविधा मिलती है, तो दूसरी तरफ कई गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे वस्तु तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, अन्य तरह के अपराध। भारत और नेपाल एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि दोनों देशों के नागरिक नित्य पढ़ने, व्यापार और नौकरी करने सीमा पार जाते हैं, और कार्य समाप्त होने पर अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। ऐसे में सुविधापूर्ण आवागमन को बनाए रखकर आंतरिक सुरक्षा समस्याओं का समाधान एक चुनौती पूर्ण कार्य है।

अध्ययन क्षेत्रा -

प्रस्तुत शोध पत्रा भारत और नेपाल की खुली सीमा का अध्ययन करता है, नेपाल का भौगोलिक विस्तार 26°20' से 30°10' उत्तरी अक्षांश तथा 80°15' से 88°10' पूर्वी देशान्तर तक है। नेपाल राष्ट्र 147,516 वर्ग किलोमीटर क्षेत्राफल धारित करता है, नेपाल की वर्तमान जनसंख्या लगभग 30 लाख है, नेपाल में 81.19 प्रतिशत हिन्दू, 8.21 प्रतिशत बौद्ध, 5.09 प्रतिशत मुस्लिम, 3.17 प्रतिशत किरात शेष अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। यह शोधपत्रा भारत नेपाल सीमा के बनबास, रुपईडीहा, सोनौली, रक्सौल, भिट्टामोड़, जोगबानी, पानीटंकी आदि सीमा क्षेत्राों पर केंद्रित है, जहां से भारत और नेपाल के नागरिक मुक्त आवागमन करते हैं।

चित्र संख्या - 1: भारत नेपाल सीमा के पारगमन मार्ग

स्रोत - विश्व मानचित्र

अध्ययन उद्देश्य -

- भारत नेपाल खुली सीमा से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का अध्ययन करना।
- भारत नेपाल सीमा पर विदेशी नागरिकों की गतिविधियों का अध्ययन करना।

- भारत नेपाल खुली सीमा से जुड़ी अवैध गतिविधियों का अध्ययन करना।

भारत नेपाल खुली सीमा -

भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, दोनों देशों में आवागमन के लिए निम्नलिखित प्रमुख मार्ग हैं -

बनबास - उत्तराखण्ड के चम्पावत जिले तथा नेपाल के कंचनपुर जिले के मध्य

रुपईडीहा - उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले और नेपाल के बांके जिला के मध्य

सोनौली - उत्तर प्रदेश का महराजगंज जिला और नेपाल के रूपनदेही जिला के मध्य

रक्सौल - बिहार के पूर्वी चम्पारन जिला और नेपाल के बीरगंज के मध्य

भिट्टामोड़ - बिहार के सीतामढ़ी जिला और नेपाल के महोत्तरी जिले के मध्य

जोगबानी - बिहार के अररिया जिला और नेपाल के बिराटनगर के मध्य

पानीटंकी - पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला और नेपाल के काँकडभिटा के मध्य

इन मार्गों से दोनों देशों के नागरिक आते जाते हैं, सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पर निगरानी के लिए 455 चौकियाँ स्थापित की हैं। इसके अंतर्गत उत्तराखंड में 53, उत्तर प्रदेश में 148, बिहार में 193, पश्चिम बंगाल में 43, सिक्किम में 18 चौकियाँ स्थापित हैं।

खुली सीमा से उत्पन्न सुरक्षा खतरे -

विदेशी नागरिक -

किसी भी देश में जाने के लिए संबंधित देश से वैध वीजा की आवश्यकता होती है, भारत द्वारा वीजा पाने की लिए आधिकारिक रूप से विदेश मंत्रालय को आवेदन देना होता है। आवेदक के गुण दोषों के आधार पर वीजा को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। भारत नेपाल सीमा पर विदेशी नागरिकों को बिना वैध वीजा के सीमा पार करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सीमा पार करने के प्रयास में कई विदेशी नागरिक पकड़े जाते हैं। और कई बार वे सीमा पार करने में सफल हो जाते हैं, इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

सीमा सुरक्षा बल, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करता है, इसके द्वारा चीन, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान,

मैक्सिको आदि देशों के कई नागरिकों को अवैध रूप से सीमा पार करते समय गिरफ्तार किया गया है। विदेशी जासूस और अपराधी तत्व जिनको भारत में आधिकारिक रूप से नहीं आना होता, वे नेपाल देश का वीजा लेकर नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं और वहां से खुली सीमा के द्वारा भारत में प्रवेश कर लेते हैं।

तस्करी -

भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी, स्वर्ण तस्करी, नशीले पदार्थ, हथियार आदि की तस्करी की सूचनाएं लगातार मिलती रहती हैं। स्वर्ण तस्करी से अर्थव्यवस्था को हानि होती है, मानव तस्करी भयंकर अपराधों में से एक है, इससे पीड़ित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्राता, निजता का नाश हो जाता है, नशीले पदार्थों द्वारा समाज को हानि होती है और इससे प्राप्त धन से आतंकवाद आदि दूसरे अपराधों को पोषित भी किया जाता है। यह कार्य पूरी तरह से नकद मुद्रा और हवाला के द्वारा किया जाता है इसलिए अपराधियों को पकड़ना भी बहुत कठिन होता है। यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि खुली सीमा में तस्करी को पूरी तरह से रोक लिया जाए, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जांच के बाद भी कुछ लोग इससे बचने में स्रल हो जाते हैं।

आंतरिक सुरक्षा खतरे -

जब भी देश में कोई महत्वपूर्ण घटना, चुनाव, गणतंत्रा दिवस आदि होता है तो सुरक्षा खतरे के कारण भारत नेपाल सीमा को बंद कर दिया जाता है, लेकिन तस्कर और आपराधिक तत्व कुछ समय पहले भी सीमा पार कर लेते हैं। विविध प्रकार से देश की शांति व्यवस्था में विदेशी नागरिकों और अपराधियों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। भारत में भी कोई अपराध करके नेपाल भाग जाना भी एक आम बात हो गई है। इससे कानून व्यवस्था को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

महिला सुरक्षा -

नेपाल एक भूआबद्ध देश है, साथ ही अधिकांश भाग पर्वतीय है, इसलिए रोजगार और धनार्जन के अवसर नेपाल देश में कम प्राप्त हो पाते है। खुली सीमा का लाभ उठाकर अपराधियों द्वारा अनेक महिलाओं को रोजगार का लालच देकर भारत में लाया जाता है और उन्हें वेश्यावृत्ति और अंग तस्करी करने वाले गिरोहों को बेंच दिया जाता है। अनेक बार भारतीय पुलिस द्वारा छापा मारकर इन्हें मुक्त

कराया गया है।

इससे नेपाली नागरिकों के मन में भारत के लिए अनुचित भावना उत्पन्न होती है, जो कि दीर्घकाल में बड़े विरोध और अनेक प्रदर्शनों का कारण बनती है।

निष्कर्ष –

सीमा पर ड्रोन और सीमा सुरक्षा बल द्वारा निगरानी की जा रही है, जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रवेश के लिए परिचय पत्रा जांच अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, और बिना परिचय पत्रा के कोई नागरिक सीमा पार न कर सके यह सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे विदेशी नागरिकों का प्रवेश रोक जा सके।

नेपाली महिलाएं यदि भारत में नौकरी के लिए आती हैं, तो उनका पंजीकरण अनिवार्य हो और वे अपने बताए गए स्थान पर ही नौकरी कर रही हैं या नहीं यह लगातार जांच करते रहना चाहिए। भारत नेपाल संबंध अपने संवेदनशील दौर में हैं और यहां पर सावधानी की विशेष आवश्यकता है।

दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के नागरिकों को अपने क्षेत्रा में आने पर पर्याप्त सुविधा और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दोनों देशों को अपराध, तस्करी और आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए नागरिकों की पहचान और प्रमाणीकरण को बढ़ाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विदेश मंत्रालय – भारत सरकार
2. विदेश मंत्रालय – नेपाल सरकार
3. सीमा सुरक्षा बल – गृह मंत्रालय, भारत सरकार
4. भारतीय दूतावास – काठमांडू नेपाल
5. नेपाली दूतावास – नई दिल्ली
6. काठमांडू पोस्ट समाचार पत्रा – नेपाल
7. पत्रिाका समाचार पत्रा – भारत
8. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार "भारत नेपाल द्विपक्षीय रिपोर्ट 20224
9. सिंह, आभा "भारत नेपाल सम्बन्ध", अंकित प्रकाशन – 2018
10. शुक्ल, कृष्णानन्द, "भारत नेपाल संबंध", अंकित प्रकाशन – 2018

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

वर्तमान में भारत-म्यांमार सम्बन्ध के विविध आयाम

डॉ० राघवेन्द्र पाण्डेय
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
महात्मा गाँधी पी०जी० कॉलेज,
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश

1990 के आरंभिक वर्षो में म्यांमार के प्रति भारत की नीति एक अधिक व्यावहारिक आधार हासिल करने लगीं। यह अहसास होने लगा कि भारत ने अब तक म्यांमार के सम्बन्ध में जिस आलोचनात्मक विदेश नीति का पालन किया था, उससे अधिकांश भारतीय हितों को नुकसान हुआ। सबसे पहले, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय वाणिज्य के लिये गेटवे के रुप में कार्य करता है, साथ ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा अभिन्न रूप से म्यांमार के साथ सहयोगात्मक सम्बन्ध से जुड़ी है। इतना ही नहीं भारत ने म्यांमार को उसके प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार के कारण मध्य पूर्व से तेल व गैस आपूर्ति के भू राजनीतिक जोखिम से मुक्त भारतीय ऊर्जा आपूर्ति के एक प्रमुख संभावित लंबी अवधि के स्रोत के रुप में देखना शुरु किया।[1] इसके अतिरिक्त म्यांमार में ऊर्जा संसाधनों के लिये प्रतियोगिता और गहरे समुद्र में बंदरगाहों के निर्माण और कोको द्वीप पर सैन्य हलचल की आहट जैसी चीनी गतिविधियों से भी चिन्तित हुआ।[2] इन्हीं कारणों से भारत ने म्यांमार के प्रति अपनी नीतियों में नाटकीय बदलाव करते हुए 1988 के सैन्य तख्तापलट के बाद पहले कुछ वर्षो में तिरस्कार की अपनी नितियों को छोड़कर सैन्य शासन को सहायता देने की नीति को अपनाया।[3]

1990 के बाद से भारत और म्यांमार के बीच सम्बन्धों में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि दोनों देश व्यापार में वृद्धि और सीमा पार से उग्रवाद का मुकाबला करने में सहयोग करने लगे। इस सन्दर्भ में सहयोग को बढ़ाने और विद्रोह को रोकने के लिये 1994 में एक समझौते पर (MOU) दोनों देशों के सीमा अधिकारियों ने हस्ताक्षर किये।[4] दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद को मिटाने और संचार सम्पर्क सुधारने के लिये आपसी सहयोग शुरु किया। साथ ही मणिपुर के मोरेह और मिजोरम के चम्फई तथा उनसे लगे हुए म्यांमार स्थित तामू और रिहोन के रास्ते व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से एक और समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।[5] दोनों देशों के बीच व्यापार 12 अप्रैल 1995 को आधिकारिक तौर पर शुरु किया गया। सैन्य मोर्चे पर भी सीनियर

जनरल पान श्वे ने मार्च 1997 में भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल एस रायचौधरी का स्वागत किया जो सैन्य सम्बन्धों की बहाली का भी संकेत था।[6]

दोनों देशों में सड़क, बिजली, हाइड्रोकार्बन, तेल रिफाइनरी, पारेषण लाइनों, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी में विकास जैसे क्षेत्राों में आपसी सहयोग होने लगे। दोनों देशों में उच्चस्तरीय यात्रााएँ अधिक होने लगी। भारत ने म्यांमार में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अपनी आलोचना में नरमी बरतनी शुरु कर दी और इसके बजाय मानवाधिकारों के मुद्दों को व्यापार से अलग रखते हुए सैनिक शासकों के साथ अच्छे सम्बन्ध को बढ़ावा देना जारी रखा। इसके अलावा आपसी सहयोग के अन्य कार्य भी हुए जिसमें पश्चिमी बर्मा में सितवे शहर के निकट रेलवे और बन्दरगाह सुविधाओं का निर्माण, जल विद्युत परियोजनाओं और साथ ही तेल, गैस, लकड़ी, कृषि उत्पादों और कीमती पत्थरों के रुप में बर्मा के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में सहयोग शामिल है।

1990 के दशक में भारत–म्यांमार के रिश्तों में यह सुधार भारत के अपने पूर्वी पड़ोसियों को लेकर अपनी विदेश नीति में बदलाव और म्यांमार के अलगाव में रहने की अपनी नीति को ढ़ीला करने के बाद सम्भव हुआ। म्यांमार ने चीन पर ज्यादा निर्भरता को देखते हुए अपनी अलगाव में रहने की नीति में थोड़ी ढील दी। परिणामस्वरुप म्यांमार अपनी विदेश नीति को चौतरफा विस्तारित करने में जुट गया तथा इसमें भारत इसे एक बेहतर विकल्प दिखा। मार्च 1993 में तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव जे० एन० दीक्षित ने यांगून की यात्राा की। इस दौरान भारत और म्यांमार के बीच दवाओं की तस्करी को रोकने और सीमा व्यापार को लेकर 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अगले वर्ष दोनों देशों के मध्य सीमा से पार कम महत्वपूर्ण सैन्य यात्राओं, सेना कर्मियों के बीच सीमा पर बैठकों को प्रोत्साहित करने और वहाँ पर शान्ति बनाए रखने के लिये एक सहमति पत्रा पर हस्ताक्षर किये गये। इसी दौरान म्यांमार आसियान, बिम्स्टेक और मेकांग गंगा कोऑपरेशन जैसे ढ़ेर सारे बहुपक्षीय समूहों का सदस्य बना तथा उसी समय भारत ने भी विदेश नीति के मामले में यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए म्यांमार की मिलिट्री जनता से संपर्क साधना शुरु किया। ये दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर यात्राओं और ऊर्जा रक्षा के क्षेत्राों में सहयोग के जरिये चिन्हित किया जा सकता है। आंतरिक राजनीतिक मतभेदों के बावजूद रक्षा के क्षेत्रा में संस्थागत बदलावों में बढ़ोत्तरी देखी गयी। उदाहरण के लिये जब भारत और म्यांमार की सेना ऑपरेशन गोल्डेन बर्ड के कोड नाम से 1995 में सयुंक्त सैन्य अभ्यास कर रही थी उसी समय भारत सरकार ने वर्ष 1993 के जवाहर लाल नेहरु पुरस्कार के लिये सू की के चुने जाने की घोषणा की। परिणामस्वरुप म्यांमार सेना ने ऑपरेशन को रद्द कर दिया।

वैसे 1993 के बाद से दोनों प्रधानमन्त्रियों पी०वी० नरसिंह राव तथा अटल बिहारी वाजपेयी ने म्यांमार के साथ सम्बन्ध सुधारने के प्रयास किये जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्ण एशिया में भारत की

भागीदारी और प्रभाव का विस्तार करना था। इससे एक क्षेत्राीय नेता के रुप में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करके अपना प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास किया गया। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने म्यांमार में अपने हितों को बढ़ाना शुरु कर दिया था जिसके कारण सैन्य सहयोग में व्यापक वृद्धि हुई और बंदरगाहों, नौसैनिक तथा खुफिया सुविधाओं और उद्योगों में चीन का सहयोग बढ़ा चीन, म्यांमार के समुद्र में निकलने वाले तेल और प्राकृतिक गैस ले जाने के लिये रखाइन बंदरगाह से दक्षिणी चीन तक एक पाइपलाइन भी बना रहा है। म्यांमार की सैन्य जुन्टा सरकार के साथ भारत के सम्बन्धों से दोनों के सम्बन्धों में सुधार आया है। इसका कारण यह है कि भारत ने म्यांमार की दुनिया से कटाव को कम करने में मदद की है। उसने चीन पर म्यांमार की पुरानी निर्भरता को भी कम किया है। दोनों देश एक दूसरे के साथ नशीले पदार्थो की तस्करी और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की आवाजाही रोकने में सहयोग कर रहे हैं।

भारत ने म्यांमार को बिम्स्टेक और गंगा–मेकांग सहयोग में एक प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत, म्यांमार के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपना रहा है। आश्चर्य की बात है कि म्यांमार में 2007 के सरकार–विरोधी प्रदर्शनों पर म्यांमार की कार्यवाई के बारे में भारत की प्रतिक्रिया धीमी और हिचकिचाहट भरी थी, जबकि पूरे विश्व में इसकी निंदा की गयी थी। भारत ने स्पष्ट कहा कि म्यांमार के लोगों को अपना लोकतंत्रा स्वयं ही हासिल करना होगा। यह भारत के पूर्ववर्ती कदम से बिल्कुल विपरीत था जब भारत म्यांमार में सेना विरोधी शासन का समर्थन कर रहा था और उसने आन्दोलनकारियों को भारत में सुविधाएँ भी दी थीं। भारत और म्यांमार दोनों ही अपनी–अपनी प्रभुसत्ता, सुरक्षा और सफलता को सुरक्षित करने जरुरत समझने लगे हैं और इन वर्षो में म्यांमार ने भी चीन की दादागिरी के अधीन आने के असली खतरों को पहचाना है। दोनों देशों के रुख में परिवर्तन का असर अक्टूबर 2011 में म्यांमार के राष्ट्रपति थिएन सिएन की भारत यात्राा के रुप में सामने आया। यह यात्राा इसलिये महत्वपूर्ण थी कि कई दशकों पहले यहाँ आए प्रधानमंन्त्राी यू नू के बाद किसी नागरिक राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली भारत यात्राा थी। सिएन की यात्राा 2 तरह से महत्वपूर्ण थी– सीमा सुरक्षा प्रबन्धन और आर्थिक सहयोग। 1960 के दशक में सैन्य जुन्टा द्वारा सत्ता संभालने के बाद से विशेष रुप में भारत म्यांमार सीमा पार गतिविधियों के चलते संबंध नकारात्मक हो गये थे। अन्ततः दोनों सरकारें उग्रवाद और आतंकवाद के खतरनाक खतरे से निपटने में कारगर सहयोग एवं तालमेल बढ़ाने पर सहमत हो गयी। दरअसल चीन के साथ म्यांमार की निकटता इसलिये बढ़ रही थी कि भारत ने म्यांमार में आधारभूत संरचना के विकास और उसके प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था किन्तु अब भारत इस असन्तुलन को दूर करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा मुद्दा आर्थिक और विकास सहयोग बढ़ाने की महत्वकांक्षी योजनाओं का है। दोनों देश अपनी सुरक्षा के लिये जरुरी इस सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु के रुप में म्यांमार ने भारत के राजनीतिक क्षेत्रा को बहुत ज्यादा आकर्षित किया है। व्यवसाय, संस्कृति एवं राजनय के मिश्रण की दृष्टि से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध हैं। बौद्ध धर्म, व्यवसाय, बॉलीवुड, भरतनाट्यम और बर्मा का टीक – ये 5 B हैं जो आम जनता की दृष्टि से भारत–म्यांमार संबन्ध का निर्माण करते हैं। इससे आगे बढ़कर संबंध अब अधिक आर्थिक महत्व एवं सामरिक अभिमुखीकरण प्राप्त कर रहें हैं। वर्ष 1951 की मैत्राी सन्धि पर आधारित द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं तथा एक दुर्लभ गतिशीलता एवं लोच का प्रदर्शन किया है। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्राी राजीव गाँधी की यात्राा ने भारत और म्यांमार के बीच मजबूत संबंध की नींव रखी। आर्थिक संबंधों को नई गति प्रदान करना आने वाले दिनों में फोकस का एक प्रमुख क्षेत्रा होगा। ऊर्जा एवं संसाधन की दृष्टि से समृद्ध म्यांमार अवसर की धरती के रुप में उभरा है तथा कुछ वर्ष पहले जिन आर्थिक एवं राजनीतिक सुधारों को शुरु किया उससे दोनों देश अपने आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिये प्रतिबद्ध दिखते हैं। अनेक भारतीय कंपनियां पहले ही म्यांमार में अपना डेरा जमा चुकी हैं तथा वहाँ काम कर रही है। इनमें अन्य कम्पनियों के अलावा सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी ओ०एन०जी०सी० विदेश लिमिटेड़, केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, डॉ० रेड्डी लैब, सिपला एवं अपोलो जैसे नाम शामिल हैं। शीर्ष भारतीय कम्पनियां अनेक उद्योगों में 2–6 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करना चाहती हैं, जिसमें संचार, ऊर्जा एवं विमानन क्षेत्रा शामिल हैं।

ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं तथा भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ और निजी कंपनियां इस देश में गैस ब्लाक का अधिग्रहण कर रही है। मिलावट रहित वनों और ऊपजाऊ जमीन से समृद्ध म्यांमार इस क्षेत्रा के लिये खाद्य भंडार के रूप में उभर रहा है। आश्चर्य की बात नहीं है कि म्यांमार से भारत के आयात में बीन्स, दलहन एवं वन आधारित उत्पादों का वर्चस्व है। कृषि प्रौद्योगिकी में अपनी महारथ के दम पर भारत म्यांमार के कृषि क्षेत्रा को परिवर्तित करने के लिये अपनी विशेषज्ञता को पूरी तरह साझा करने का इच्छुक है।

क्षमता निर्माण एवं विकास सहयोग बढ़ती भारत–म्यांमार साझेदारी के जुड़वे स्तम्भ हैं। भारत ने अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण की कई परियोजनाओं के लिये म्यांमार को 500 बिलियन अमेरिकी डालर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के किसी भी देश को सबसे बड़ी लाइन ऑफ क्रेडिट है। भारत आई टी सी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा म्यांमार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे मांडले में स्थापित किया जा रहा है, जैसे उत्कृष्टता के केन्द्र म्यांमार में स्थापित करने के माध्यम से म्यांमार के लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में सबसे आगे रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, म्यांमार–भारत अंग्रेजी भाषा केन्द्र, म्यांमार– भारत आई टी कौशल संवर्धन केन्द्र, भाषा प्रयोगशाला तथा यंगून एवं नाय पी ताव में विदेश मन्त्राालय में ई–रिसोर्स सेंटर कुछ अन्य उत्कृष्ट परियोजनाएँ हैं, जिन्हें भारत की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। म्यांमार के भू–राजनीतिक महत्व को देखते हुए

भारत संयोजकता की परियोजनाओं की गति तेज करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जैसे कि कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना तथा तामूदूकलेवा–कलेमोर सड़क पर 71 पुलों का निर्माण अथवा उन्नयन इत्यादि।

हालांकि राजनय एवं व्यवसाय के अपने–अपने तर्क होते हैं परन्तु जन दर जन संपर्क भारत एवं म्यांमार के बीच स्थायी मैत्राी को एक विशेष महतव प्रदान करता है। म्यांमार में 2.5 बिलियन का एक मजबूत भारतीय समुदाय रहता है जो ज्यादातर यंगून एवं माण्डले में बसा हुआ है। म्यांमार की प्रसिद्ध नेता आंग सान सू की का भारत से एक विशेष रिश्ता है। उन्होंने दिल्ली के लेड़ी श्री राम कॉलेज में उस समय पढ़ाई की जब उनकी माँ भारत में राजदूत के रूप में तैनात थी। भगवान बुद्ध का जन्म स्थल बोधगया म्यांमार के नेताओं के लिये ऐसा स्थल है जिसका वे दौरा अवश्य करते हैं और यह उनके लिये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। म्यांमा के लोगों को भारत सरकार के द्वारा भेंट स्वरूप दिया गया सारनाथ शैली का बुद्ध स्तूप जिसे श्वेडागन पगोडा परिसर में स्थापित किया गया है, दोनों के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत रिश्ते का एक ज्वलंत उदाहरण है। शास्त्राीय एवं आधुनिक कला पर आधारित बॉलीवुड एवं भरतनाट्यम म्यांमार में समान रूप से लोकप्रिय है।

म्यांमार हाल के वर्षो में अपने दरवाजे खोल रहा है जिसकी वजह से यह देश स्थापित एवं नए खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता का क्षेत्रा बन गया है। आर्थिक सुधारों के साथ ही लोकतंत्रीकरण की वजह से भारत के लिये नये अवसरों के द्वारा खुले हैं, जो खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। राजनय, व्यवसाय एवं संस्कृति के रचनात्मक मिश्रण के आधार पर भारत–म्यांमार संबंध आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ऊँचाईयों को छुएंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Langpoklakpam, Suraj Singh; "Dynamics of India-Myanmar RelationsAnd the Manipur Equation", World Focus, Vol. no.14, June 2007, p. 239.
2. Prasad, Bibhu; "India's Myanmar Policy: Rational Change" in Raghavan, V.R. (ed.); "Internal Conflicts in Myanmar: Transnational Consequences" (New Delhi: Vij Books India Pvt. Ltd., 2011) pp. 127-128
3. Banerjee,A.C.; "The Eastern Frontier of British India: 1784-1886" (Calcutta, 1946) P. 34.
4. Keeton, C.L.; "King ThebawAnd the Ecological Rape of Burma", (New Delhi: SouthAsia Books, 1974) pp. 6.7.
5. Furnivall, J.S., "Twilight in Burma: ReconquistaAndAfter", PacificAffairs, (Vancouver, B.C., 1949), Vol. 22, No. 1, p.18.
6. http://jsfor.org/stable/20067745

अमृतपुरुष डॉ. अमरेन्द्र रो अंगिका बाल-साहित्य

डॉ० श्वेता भारती
(स्नातकोत्तर अंगिका विभाग)
(तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर)

सारांश

सिरिफ अंगिके बाल-साहित्य के लेखन अमृतपुरुष अमरेन्द्र से शुरू नै होय छै बलुक आय जों अंगिका बाल-साहित्य शीर्ष पर स्थित छै, ते ऊ भी अमृतपुरुष अमरेन्द्र के ही कारण। बाल-साहित्य के जे भी भेद हुए पारे, चाहे ऊ काव्य मे मुक्तक रहे कि प्रबन्ध, तुक्तक रहे कि बाल-काव्यरूपक, ऊ चाहे बाल-उपन्यास रहे कि बाल-कहानी, या फेनु बाल-नाटके कैन्हें नी रहे, शायते बाल-साहित्य के हेनो कोय भेद छै, जे डॉ. अमरेन्द्र से घुटलो होतै।

जों अंगिका बाल-साहित्य से हिनको बाल-साहित्य के हटाय लेलो जाय, ते उपलब्धि आरो विविधता के नाम पर अंगिका बाल-साहित्य के पास बहुत अधिक शेष नै बचतै। ई साहित्यकार के बाल-साहित्य नै खाली संख्या के दृष्टि से, बलुक श्रेष्ठता के दृष्टि से भी अंगिका साहित्य मे अद्वितीय छै।

कुछ प्रमुख शब्द : अंगिका बाल-साहित्य, अमृतपुरुष अमरेन्द्र, बाल-साहित्य रो विविध रूप।

भूमिका

बाल-साहित्य के सृजन सहज नै छै, यही कारण छै कि कोय भी भाषा कैन्हें नी रहे, वहाँ बाल-साहित्य आरो ओकरो लेखक के संख्या प्रायः ओतनै होय छै कि अंगुली पर गिनलो जावे सके। अंगिका साहित्य मे भी वही स्थिति छै, मतर सुख के बात यही छेकै कि यहाँ डा अमरेन्द्र ने अकेले एतनाहै विपुल बाल-साहित्य के सृजन करले छै कि ऊ अंगिका भाषा के बाल-साहित्य के सदियो मजबूत बनैले रखतै।

प्रतिपाद्य विषय

जों डॉ० अमरेन्द्र के सम्पूर्ण अंगिका बाल–साहित्य के विचार–विमर्ष के विषय बनैलो जाय, ते यैमे हिनको लिखलो बाल–गीत, बाल–काव्य, बाल–नाट्य काव्य, तक्तु काव्य, पहेली मुक्तक के अतिरिक्त बाल–उपन्यास, बाल–नाटक, बाल–कहानी आरनी विधा समाहित होतै। एकरा से एतना ते समझले जावे पारै छै कि अंगिका के डॉ. अमरेन्द्र द्वारा रचनो अंगिका बाल–साहित्य कत्ते विस्तृत आरो विविधता से पूर्ण छे, जबकि हिनको अनुवादित अंगिका बाल–साहित्य के बारे मे बाते नै होलो छै आरो ई अनुवादित बालकाव्यसाहित्यो कम फैललो होलो नै छै। नीचे पहिले हिनको अंगिका बाल–गीते पर विचारना जरूरी होतै, कैन्हे कि संख्या आरो फैलाव के दृष्टि से हिनको बालकाव्यसाहित्य सबसे पहले आवै छै आरो लोकप्रियतौ के दृष्टि से। हिनको रचित बाल काव्य–साहित्य निम्नांकित छै :

(1) ढोल बजै छै दम्मक ढंग (1994) (2) बुतरू के तुतरू (1999) (3) बाजै बीन, बजावै तीन (2005) (4) एक छड़ी पर अंडा नाचौ (2005) (5) तुक्तक मुक्तक (2008) (6) पाँच तिया पनरो (2009) (7) घटोत्कच (2011) (8) पंचामृत (2021) (9) पाला पर रौद (2021) (10)

ऊपर गिनैलो बाल–काव्य मे 'घटोत्कच' ते बाल–खडंकाव्य छेकै, जबे कि 'पंचामृत' आरो 'पाला पर रौद' बाल–काव्य रूपक। 'एक छड़ी पर अंडा नाचौ' डॉ० अमरेन्द्र द्वारा रचित एक सौ एक बुझौव्वल (पहेली) के संग्रह छेकै। करिया झुम्मर खेलै छी में भी हिनको केएक कविता बालगीत ही छेकै। बाल–काव्य के अन्तरवस्तु पर विचार करै के पहले हिनको दसो बाल–काव्य के परिचय नीचे प्रस्तुत छै :

करिया झुम्मर खेलै छी : संपादक अभिनंदन ने जे डॉ. अमरेंद्र के अंगिका बाल–गीत समग्र के संपादन करले छै, वैमे ई कविता–संग्रह के भी स्थान देले छै, जबकि ठीक–ठीक देखलो जाय, ते ई संग्रह के कुछ एक कविता के छोड़ी के बाकी सब कविता प्रौढ़ पाठके लेली ही छै, यही कारण छै कि अपनो शोध–प्रबंध मे डॉ० श्वेता रानी ने डॉ. अमरेन्द्र के बाल–गीत–संग्रह के सूची में 'करिया झुम्मर खेलै छी' के विवेचना के विषय नै बनैले छै, न बाद के अपनो ऊ आलोचना पुस्तके मे, जे ई कवि के संपूर्ण बालसाहित्ये पर मूल्यांकन के पुस्तक छेकै। यहां यहू याद रखना जरूरी छै कि ई कविता–संग्रह के प्रकाशन 1982 ई मे ही होय छै, मतर संपादक अभिनंदन मे ई संग्रह के स्थान बालगीत समग्र के आखरी मे रखले छै, जे ई बात के सिद्ध करै छै, कि संपादक के भी ई संग्रह मे संकलित कविता के बालगीत होय पर शंका रहलो छै। ई संग्रह में बस आखरी के एक–दू गीत ही बालगीत छेकै। जेकरो ओर अमरेन्द्र के बालगीत के आलोचक डा. श्वेता रानी ने भी इशारा करले छै।[1]

वास्तव में 'ढोल बजै छै ढम्मक ढम' ही ऊ बालगीत–संग्रह छेकै, जे ई कवि के अंगिका कालगीतो के पहलो संग्रह छेकै, जेकरो पहिलो प्रकाशन 1994 ई मे होलो छै आरो जेकरा मे कवि के बत्तीस

बालगीत संकलित छै। बाल-मनो के लुभावैवाला ई कविता-संग्रह के हेने घूम रहलै कि जल्दिये 1999 ई. मे कवि रो दोसरो संग्रह 'बुतरू के तुतरु' प्रकाशित होलै, जेकरा मे 28 अंगिका बालगीत संकलित छै। ई ऊ समय छेकै जबे अमृतपुरुष अमरेन्द्र के सौंसे ध्यान अंगिका बालसाहित्य के समृद्ध करै दिस मुड़ी गेलो छेलै। अंग प्रदेश मे तखनी ई संग्रह के भी खासा प्रभाव रहलै। ई संग्रह के लोकप्रियता ते हेनो छेलै कि खिलौना लैके बदला बच्चां 'बुतरू के तुतरू' संग्रह लैले चाहै। डॉ० सत्यानंद द्वारा ई प्रसंग के उल्लेख भी बहुत रोयक छै।

बालकाव्य के ई लोकप्रियता से प्रभावित होय के कवि अमरेन्द्र बालकाव्य के विविध शैली मे मुक्तक-सृजन के दिस मुड़ै छै, 'एक छड़ी पर अंडा नाँचै वही काल के मुक्तक-संग्रह छेकै। ई बालकाव्य कवि के एक सौ एक बुझौव्वल (पहेली) के संग्रह छेकै, जेकरो प्रकाशन सन् 2005 ई होलै।

ई बुझौव्वल-संग्रह के खास बात छेकै कि यैमे जे भी विषय उठैलो गेलो छै, ऊ बाल-ज्ञान से बाहर के चीज नै छेकै। एकरो अन्तर्गत ऊ सब प्राणी, प्रकृति, यंत्रा, खाद्य, पदार्थ, घरेलु वस्तु, देह-संबंधी, श्रृंगार-संबंधी वस्तु के पहेली के विषय बनैलो गेलो छै, जे बालक के देखलो-सुनलो, जानलो-पहचानलो छै। ई बात के नीचे के कुछ उदाहरण से समझना ठीक होते :

एक घड़ी पर अंडा नाचै
जैमे भिडियाँ आवै-जावै
अंडे गिरै नै छड़िये डोलै/कत्तो कोय्यो जोर लगावै।[2]
गाछ
पीछू कटै ते दारु पीयै/ आगू कटै बटोही
तीन वर्ण के घर के मोहै/चिड़ियाँ ले निरमोही।[3]
सुराही

ठीक यही बुझौव्वल-संग्रह एक छड़ी पर अंडा नाँचै के बाद ही डॉ० अमरेन्द्र के एक आरो बाल-मुक्तक-संग्रह आवै छै -- (तुक्तक मुक्तक)

तुक्तक दरअस्ल शिशु-गीत होय छै, जेकरा अर्थ से बेसी तुक आरनी के ख्याल रखलो जाय छै -हेनो कि बच्चा के कानो के सबसे बेसी अच्छा लगे। जाहिर छै, हेनो शिशु-गीत के आकारो बहुत छोटो होय छै, जे बच्चा के ठोरो पर आसानी से चढ़े पारे। बालगीतकार डॉ० अमरेन्द्र ने 'तुक्तक-मुक्तक' मे एकरो बहुत ख्याल रखले छै।[4] हालांकि हिनको तुक्तक एकदम अनर्गल बातो के मुक्तक नै छेकै। संग्रह के कोप्यो तुक्तक के उठाय के देखी लेलो जाय, ते ई बात एकदम सिद्ध होय जैतै। होना के यहू बात सही छेकै कि तुक्तक होला के कारण एक मुक्तक मे एक विषय के प्रस्तुति-यहू नै मिलै छै। नीचे संग्रह के आगुए, के दू उदाहरण प्रस्तुत छै :

सिल-सिलोटी/अट्टा गोटी
कुट-कुट बोलै/सुक्खा रोटी।
चार मनो के/एकके कोठी
आँख छेकौ कि/ई कजरोटी।
नाना जी के/मोटका चोटी।[4]

2
गिरलै ओला/बम-बम भोला।
चार टिकोला/बम-बम भोला।
भर-भर झोला/बम-बम भोला।
खुश छै टोला/बम-बम भोला।[5]

'पाँच तिया पनरो' : 'पाँच तिया पनरो' के पनरहो कविता पहिले चंद्रप्रकाश जगप्रिय द्वारा संपादित 'अंगिका बालगीत-संग्रह' मे प्रकाशित होलो छेले, जेकरो प्रकाशन-वर्ष सन् 2028 छेकै। बाद मे यही कविता सिनी अभिनंदन द्वारा संपादित डॉ० अमरद्रें के बालगीत : समभ्र मे यहीं नामो से प्रकाशित करलो गेलो छै। समग्र के प्रकाशन-वर्ष 2001 ई छेकै।

प्रबंधात्मक बाल-काव्य :

डॉ० अमरेन्द्र ने खाली बाल-मुक्तक काव्ये के प्रचूर मात्राा मे नै रचले छै, बलुक हिनी प्रबंधात्मक बाल-काव्यो के सृजन करले छै। ई प्रबंधात्मक बालकाव्य छेकै (घटोत्कच) खंड -काव्य पंचामृत, बाल-नाट्यकाव्य, आरो 'पाला पर रौद बाल-नाट्यकाव्य।

'घटोत्कच' बाल-खंडकाव्य के पहिलो प्रकाशन भागलपुर से ही प्रकाशित दैनिक अखबार नई बात के रविवारीय परिशिष्ट मे 13 दिसम्बर 2011 ई मे होलो छलै, बाद मे ई बाल-खंडकाव्य अंगिका बालगीत समग्र मे सन् 2021 ई मे प्रकाशित होलै। बस दोनो मे अंतर ई छै कि पहिलो प्रकाशन मे ई सर्गबद्ध नै छै, मतर अभिनंदन के संपादन मे प्रकाशित होयवाला ई बाल-खंड काव्य-प्रत्यक्ष, संघर्ष आरो पतन शीर्षक मे बद्ध छै।

एकरो कथा चूँकि महाभारत के कथा पर आधारित छै, यैलेली बच्चा लेली ते ई पहिले से रोचक छै, मतर बाल-गीतकार डॉ० अमरेन्द्र न` घटोत्कच के रूप-वर्णन मे जे कला-कौशल के प्रदर्शन करले छै, ऊ ते अद्‌भुत। घटोत्कच के अंग-प्रत्यंग लेली जे उपमान उठैलो गेलो छै, ऊ बालक के ज्ञान से बाहर नै होला के कारण बच्चा मे खूब मनोरंजन पैदा करै छै। नीचे एक उदाहरण प्रस्तुत छै :

सुइये नाँखी रोइयाँ
नाक लगै जों ई दू कुइयाँ
मूँछ लगै जों बड़का फरसा
घन्नो जों भादो के बरखा।[6] डॉ. अमरेन्द्र ग्रंथावली (खंड–1) पृ. 126

आरो आकाश से नीचे गिरी के मरते राकस के चित्रापा कत्ते गदु गदुाय वाला छै, देखियै :

कद्दू नाँखी फटी गेलै ऊ
सौ टुकड़ा मे बंटी गेलै ऊ।[7]

घटोत्कच बाल–खंडकाव्य के आरंभ से लैके आखरी तांय बाल–मनोविज्ञान के अनुकूल जे रं बनैले राखले छै, ऊ बाल–मनोवैज्ञानिको के अभिभूत करैवाला छै।

अंगिका मे नै खाली बाल–खंडकाव्ये के बलुक बाल–नाट्यकाव्य के भी सूत्रापात अमृतपुरुष अमरेन्द्र से ही शुरू होय छै। 'पंचामृत' हिनको पाँच बाल–नाट्ग्मकाव्य के संग्रह छेकै, ई नाट्यकाव्य छेकै–चोकर के हलुआ, अतिथि–सेवा, आत्मसमर्पण, विशाखा, बुद्धं शरणं गच्छामि। ई पाँचो नाट्यकाव्य बुद्ध के कथाहे से जुड़लो छै, मतर ई कथा हेनो छै जे बाल–शिक्षा के दृष्टि से आते न्है महत्वपूण र् छै, जत्ते कि बुद्ध के उदात्त व्यक्तित्व के लैके 1 'चोकर के हलुआ' मे जों दोसरा के हित पहिले देखे के संदेश छै, ते 'अतिथि–सेवा' से माय–बाबू के सेवा तक के संदेश य 'आत्मसमर्पण', काव्य नाटक से नाटककार ने दिखैले छै कि अपनो चरित्रा–बल से बड़ो–से–बड़ो हत्यारा के झुकेलो जावे सके छै। 'विशाखा' घुमाय–फिराय के जों सीमित परिवार के पक्ष मे लिखलो काव्यरूपक छेकै, ते 'बुद्धं शरणं गच्छामि' जाति–कर्मकांड के हीनता के बतैते काव्यरूपक छके आरो ई किसिम से देखलो जाय ते बच्चा के व्यक्तित्व–निर्माण के दृष्टि से ई पाँचो बाल–काव्य रूपक के कत्ते महत्व छै।

हेनै के महाभारत के वन पर्व मे ऐलो युधिष्ठिर आरो धर्मराज के बीच होलो रुंवाद के डॉ० अमरेन्द्र ने 'पाला पर रौद' शीर्शक से काव्यनाटक के रूप देले छै। बस नाटककार ने ई बाल–काव्य रूपक मे यही बदलाव करले छै कि जे–जे प्रश्न आरो उत्तर बच्चा सिनी के मनो के विरुद्ध जानी पड़लो छै, ऊ सिनी के काव्यरूपक मे स्थान नै देले छै, बसं पात्रा के ध्यान मे रखते हुए ओरी आरी आखरी के प्रश्न आरो उत्तर के जरूरे रहे देले छै।

बाल–मुक्तक काव्य रो मूल्यांकन : विषय आरो शिल्प–शैली के दृष्टि से डॉ० अमरेन्द्र के बाल–गीत साहित्य पर काफी कुछ लिखलो गेलो छै। जों सब्भे आलोचक के बातो के ध्यान मे रखी बालगीत के ई कवि के बाल–काव्य पर किचारलो जाय, ते विषय के ही दृष्टि से सम्पूर्ण बाल–मुक्तक काव्य के निम्नांकित वर्गो मे बाँटलो जावे सके छै –(1) पलना रो गीत यानी लोरी (2) शिशु के

चलै–बुलै ले सिखावै के गीत (3) खेलगीत (4) चिकोटी–बालगीत (5) प्रकृति के बालगीत (6) पक्षी–संबंधी बालगीत (7) पशु–संबंधी बालगीत (8) राष्ट्रीय भावना रो बालगीत (9) बाल–शिक्षण रो बालगीत (10) पर्व–त्योहार के बालगीत (11) रिश्ता के बालगीत (12) कथा बालगीत (13) फेकड़ा के बालगीत (14) तुक्तक बालगीत (15) किशोर सिनी के बालगीत (16) आंचलिक बालगीत (17) प्रकीर्ण–बालगीत।

डॉ० अमरेन्द्र के लगभग सवा दू सौ से अधिक अंगिका बालगीत मे प्रकृति आरो प्राणी से संबंधित कविता के संख्या सबसे बेसी छै, यैमे कोय शक नै, मतुर यहू सही छै कि सब कविता के बालक मे ज्ञान–वृद्धि के बात ऐवे करै छै, भले कभी लुकी–छिपी के, कभी आमना–सामना होय के। कवि के बाल–कविता मे शिक्षण के यहीं प्रमुखता देखते हुए डॉ० श्वेता रानी ने शिक्षण के निम्नांकित कोटि गिनैले छै : (क) प्रकृति–शिक्षण रो बालगीत (ख) पर्यावरण–शिक्षण रो बालगीत (ग) पशु–ज्ञान से जुड़लो बालगीत (घ) खेल–कूद के ज्ञान से संबंधित (च) भूगोल–शिक्षण के बालगीत (छ) फल, फूल, वनस्पति से संबंधित (ज) स्वास्थ्य–संबंधी बालगीत (झ) अक्षर–गिनती–ज्ञान के बालगीत।[8] एक उदाहरण नीचे प्रस्तुत छै :

की निकलै छै कंठो से/सूतो जे रं अंटा से
ग निकलै छै ठोरो से/लोर आँखी के कोरो से।[9] डॉ. अमरेन्द्र ग्रंथावली 105
2
हवा करै सांय–सांय/सुगा करै टांय–टांय
बैलगाड़ी चर्र–चोंय/बेंग करै टर्र टोय[10] उपरिवत् पृ० 60

शैली–कौशल आरो शिल्प : जहाँ तक बालगीत के ई गीतकार के शैली के प्रश्न छै, ते ई मुक्त कंठ से कहलो जावे सके छै कि कवि ने अपनो बालगीत ले जोन भाषा के चुनाव करले छै, ऊ बालकाव्य लेली पूर्णतः उपयुक्त छै। एकदम साफ–सुथरा शब्द आरो वाक्य, कहीं कोय क्लिष्टता नै, तुक के सुंदरतम विन्यास आरो मिलता–जुलता शब्द के आवृत्ति से गीत मे संगीत के आयोजन–ई सब ई कवि के अंगिका बालगीत मे अद्भुत रूप से उतरलो होलो छै । यै ठां कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना एकदम जरूरी होतै। देखियै :

मुसां खेलकै कपर–कपर/बिल्लीं खेलकै चपर चपर
दादां खेलकै गपर गपर/मामां खेलकै हपर–हपर
कुतबो खाय मुस्तंडा छै/बाँकी खाय ले डंडा छै।[11]

डॉ० अमरेन्द्र के अंगिका बालगीत के ई खास विशेषता छेकै कि गीत के आखिर मे हेनो कुछ बात जरुरे कही दै छै, जे बच्चा मे गुदगुदी भरी दे। ऊपर के उदाहरण से ई बात समझलो जावे सके छै।

जहाँ तक बालगीत के शिल्प के सवाल छै, वहाँ भी कवि एकरो प्रति बेहद सावधान रहलो छै।

चाहे बाल-मुक्तक काव्य रहे आकि प्रबंधात्मक काव्य रचना, कवि हर जगह बाल कविता के अनुकूल शैली के कुशल चुनाव के अतिरिक्त एकरो शिल्प के प्रति भी अत्यधिक सावधान रहलो छै। हिनको सम्पूर्ण बालगीत मे शायते एक-आध हेनो गीत मिली जैतै जे चौबीस मात्राा के छंद मे रचलो छै, नै ते बाकी सब कविता, यहाँ तक कि खंडकाव्य आरो काव्यरूपक मे भी चौपाई छंद यानी सोलह मात्राा के छंदे के प्रयोग होलो है। कहै के जरूरत नै छै कि चौपाई छंद मे रचनो बालगीत बच्चा सिनी वास्ते पढै-गावै मे कोय दिक्कत नै पैदा करै छै। अंगिका के ई गीतकार के बराबर कोशिश रहलो छै कि चौपाई वर्ग के छोटो-से-छोटो छंद मे बालगीत रचलो जाय। यही कारण छै कि ई कवि के बालगीत चौपाई, चौपई, हाकली, अखंड, वसुंधरा, अलिपद छंदो मे ही रचलो छै। अलिपद छ मात्राा के सबसे छोटो छंद मानलो प्राय छै। नीचे अलिपंद छंद मे रचलो कवि के एक बाल-मुक्तक प्रस्तुत छै :

टुन, टुन, टुन
सब्भैं सुन।[12]

छंद रो ई विविधता बाल-गीत के ई गीतकार के अलग से एक नया नया पहचान दै छै, यैमे कोय शक नै।

बाल-गद्य साहित्य : हेनो नै छै कि डॉ० अमरेन्द्र ने खाली विपुल बाल-कविताहे के सृजन करले छै, बलुक हिनको अंगिका मे रमलो बाल-गद्य साहित्यो कम नै छै आरो श्रेष्ठता के दृष्टियो से ओतन्है महत्वपूर्ण।

बाल-गद्य साहित्य मे हिनको प्रवेश 'पंचगव्य' एकांकी-संग्रह से होय छै जेकरा मे किशोरो वास्ते पाँच एकांकी संकलित है। करनी-धरनी साथे.साथ, कलियुग रो सच पुरानो भूत-नया इलाज, सा विद्या या विमुक्तये, मुट्ठी मे धूप -ई पाँचो एकांकी सामाजिक-राजनीतिक जागृति, स्त्री-जागृति, अंधविश्वास, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री-शिक्षा से जुड़लो एकांकी छेकै।

'पंचगव्य' नांखी 'त्रिमुहान' भी हिनको तीन बाल-एकांकी के संग्रह छेकै। डॉ० श्वेता रानी के आलोचना-पुस्तक 'डॉ. अमरेन्द्र का अंगिका बाल-साहित्य' मे संकलित ई तीनो एकांकी के शीर्षक छेकै-ईलाज, काकभुसंडी, जमूरा के सवाल, जे एकांकी ध्वनि-प्रदूषण, पर्यावरण-रक्षा आरो शिक्षा क्षेत्रा मे गड़बड़ी के कारण बाल-विकास मे बाधा के लैके लिखलो गेलो छै।

ई दोनो एकांकी–संकलन के सफलता यैमे विन्यस्त रोचक प्रसंग, कसलो संवाद, जीवंत पात्रा–चित्राण के कारण छै, जेकरा पर विस्तार से विचार करना जरूरी होते। हिनी नै खाली मौलिक बाल–एकांकिये के सृजन करले छै, बलुक अनुवाद के एकांकी भी काफी लोकप्रिय छै।

अनुवादित बाल-एकांकी-संग्रह : हिनी किशोर उम्र के बालक सिनी वास्ते प्रेमचंद के दू कहानी 'पंच परमेश्वर' आरो 'पूस की रात' के अंगिका मे नाट्य रूपांतरो करले छै। ई दोनो एकांकी 'दुपल्लो' नामक संग्रह मे सकंलित छै। डॉ० श्वेता रानी के पुस्तक से एकरो जानकारी मिलै छै कि हिनी प्रेमचंद के कहानी 'नमक का दारोगा' के भी नाट्य रूपांतर करले छै, मतर ऊ प्रकाशित रूपो मे प्राप्त नै होय छै।

बाल-कथा साहित्य : हालांकि डॉ० अमरेन्द्र के बाल–अंगिका कथा ऊ संख्या मे नै मिलै छै, जोन संख्या मे हिनको बालगीत–संग्रह। जों हिनको प्रकाशित–अप्रकाशित बाल–कहानी के संख्या बतैलो जाय, ते ऊ पाँच से अधिक नै छै, ऊ भी संग्रह रुपो मे नै। हों, हिनको बाल–कथा साहित्य यै लेली विशेष उल्लेखनीय छै कि हिनी दू काल–उपन्यास लिखी के अंगिका के बाल–कथा साहित्य के बड़ी मजबूती दै देले छै। ई दू बाल–उपन्यास छेकै –'बंटा' आरो 'सात समुंदर तेरह नद्दी'।

ई दोनो उपन्यास मे बंटा आरो दुक्खी बाल पात्रा के माध्यम से बालसुलभ चंचलता, इच्छा, आक्रोश, क्रिया–कलाप आरनी के एत्ते जीवंत चित्राण होलो छै कि कम–से–कम अंगिका साहित्य मे ई एकदम से दर्लुभ छै फेनु ई भाषा मे एत्ते आरो बाल–कथा साहित्य के लेखने के करले छै?

बाल–उपन्यास लिखै के अतिरिक्त डॉ० अमरेन्द्र ने दोसरो भाषा के बाल–उपन्यास के अंगिका अनुवादो करले छै। उर्दू भाषा के चर्चित साहित्यकार डॉ० मनाजिर आशिक हरगानवी के तीन बाल–उपन्यास के अंगिका अनुवाद हिनी 2009 ई मे ही करले छै। ई अनुवादित उपन्यास छेकै–शेर आरो शिकारी, ैसल केरो जासूरी, जंगल रो पहचान। अनुवादित कथा साहित्य मे भी अनुवादक ने पर्यावरण आरो राष्ट्रीय सुरक्षा के लैके जगह–जगह पर परिवतर्न अवश्य करी देले छै, जेकरा से ई अनुवादित कथा साहित्य आरो बालोपयोगी बनी गेलो छै।

उपसंहार

उपरोक्त विवेचन से ई स्पष्ट छै कि अंगिका बाल–साहित्य के प्रत्येक कोना के समृद आरो कलात्मक रूप दै मे अमृत पुरुष अमरेन्द्र के बराबरी के कोय्यो लेखक ई भाषा मे दोसरो नै छै। हिनी नै खाली अंगिका बाल–साहित्य के मुक्तक, खंड काव्य, काव्य रूपक, पहेली, एकांकी नाटक, उपन्यास,

कहानी से ही समृद्ध करने छै, बलुक समय-समय पर अन्य भाषा के बाल-साहित्य के अंगिका भाषा मे अनुवादित करी एकरो बाल-साहित्य के विस्तृत आरो समृद्ध करले छै, जे समृद्धिये पर बाल-अंगिका के भव्य ईमारतो टिकलो होलो छै।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. श्वेता रानी (डॉ. अमरेन्द्र का अंगिक बाल साहित्य/पृ. 52/समीक्षा प्रकाशन
2. डॉ. अमरेन्द्र (एक छड़ी पर अंडा नाचै/पृ. 10/अंगिका संसद)
3. उपरिवत्/पृ. 36
4. डॉ. अमरेन्द्र (तुक्तक-मुक्तक/पृ. 9/अंगिका संसद)
5. उपरिवत्/पृ. 10
6. डॉ. अमरेन्द्र ग्रंथावली (खंड-1/सं. अभिनन्दन/पृ. 127/समीक्षा प्रकाशन)
7. उपरिवत्/पृ. 136
8. डॉ. श्वेता रानी (डॉ. अमरेन्द्र का अंगिका बाल साहित्य/पृ. 17-18)
9. तुक्तक मुक्तक (पृ. 22)
10. अमरेन्द्र (बाजै बीन, बजावै तीन/अंगिका संसद)
11. उपरिवत/ पृ. 7
12. अमरेन्द्र (बुतरु के तुतरु/पृ. 53/अंगिका संसद)

हिन्द महासागर का भारत की सुरक्षा में स्त्रातेजिक महत्व

***डॉ० विरेश कुमार**
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़
****डॉ० नरसिंह पाल सिंह**
प्रवक्ता
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़

प्रस्तावना

विश्व के स्त्रातेजिक मानचित्रा पर हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर और अटलांटिक महासगार के उपरान्त तीसरा सबसे बड़ा महासागर है तथा विश्व के सम्पूर्ण जल का 20 प्रतिशत भाग हिन्द महासागर में समाहित है। हिन्द महासागर में लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अण्डमान समुद्र आते हैं। अफ्रीका, एशिया और अंटार्कटिका से तीन ओर से घिरा होने के कारण हिन्द महासागर स्त्रातेजिक दृष्टि से विश्व के लिए सदैव आकर्षण का केन्द्र बना रहता है। हिन्द महासागर तीन ओर से स्थल से घिरा है। इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सा, उत्तर पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में दक्षिण–एशिया, पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम में आस्ट्रेलिया स्थित है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपनी भौगोलिक पृष्ठभूमि के कारण हिन्द महासागर पश्चिम और पूर्व के बीच होने वाले व्यापार, वाणिज्य और संचार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग उपलब्ध करता है। आर्थिक दृष्टि से विश्व का 80 प्रतिशत से अधिक व्यापार, परिवहन, संचार व्यवस्था हिन्द महासागर पर निर्भर है। दूसरी तरफ विश्व का 90 प्रतिशत रबर, पश्चिमी एशिया में विश्व के कुल रिजर्व तेल का 65 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत सोना, अभ्रक, जूट, चाय, टिन एवं अन्य महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ इसी समुद्र के तटवर्ती क्षेत्राों में पाये जाते हैं।1

समुद्र पर अधिकार करने वाला देश आंशिक रूप से स्थल पर भी अधिकार करने में समर्थ होता है। 'He, who rules on the sea, well shortly rule on land also'. यह कथन उन राष्ट्रों के लिए निर्विवाद रूप से सत्य है जो समुद्र के किनारे पर स्थित है।

ऐसे राष्ट्रों में भारत भी एक राष्ट्र है, जिसकी सीमायें तीनों ओर से हिन्द महासागर से घिरी हुई है। भारत की जलीय समुद्री सीमा 6100 किमी० लम्बी है। इस समुद्री सीमा का विस्तार पूर्व में मलाया तथा सुमात्राा तक, पश्चिम में अदन और फारस की खाड़ी, मेड़ागास्कर तथा 'केप ऑफ गुड होप' तक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत एक ऐसा केन्द्र है, जहाँ पर विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग आकर मिलते हैं। अमेरिका, सोवियत संघ के देश, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, रोम, स्वीडन, नार्वे, हालैण्ड, उत्तरी अफ्रीका के राष्ट्र एवं मध्य पूर्व के देशों का पश्चिम की ओर स्वेज मार्ग द्वारा भारत से व्यापारिक सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। पूर्व एशिया का भारत के साथ अटूट व्यापारिक सम्बन्ध है। सिंगापुर का बन्दरगाह जिसे 'Gateway of the East' कहा जाता है, पूर्वी राष्ट्रों के साथ व्यापारिक सूत्रा जोड़ता है। दक्षिण-पश्चिम दिशा से दक्षिण अफ्रीका संघ के राष्ट्रो के बीच भारत का व्यापारिक सम्बन्ध केप मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त पूर्व आस्ट्रेलिया जिसे आर्थिक आस्ट्रेलिया कहा जाता है एवं न्यूजीलैण्ड के साथ भारत का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। यह व्यापारिक सम्बन्ध आस्ट्रेलियन मार्ग द्वारा सम्पन्न होता है। इस प्रकार भारत की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है जो उसे पूर्वी एवं पश्चिमी राष्ट्रो का रूचिकर क्षेत्रा बनाती है। भारत को अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को शाश्वत रखने के लिए प्रथम आवश्यकता इन प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना है। यह तभी सम्भव होगा जब भारत एक शक्तिशाली समुद्री शक्ति की स्थापना करेगा।[2]

हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा - हिन्द महासागर पर प्रभाव जमाने के पीछे महाशक्तियों के निम्न उद्देश्य रहे हैं -

1. तटों पर स्थित राष्ट्रों को अपने अधिकार एवं प्रभव क्षेत्रा में लाने का प्रयास करना।
2. मित्रा देशों में आवश्यकता पड़ने परशीघ्र ही आर्थिक सहायता व सैनिक सामग्री प्रदान करना-इस सैनिक सहायता के माध्यम से महाशक्तियां इन छोटे राष्ट्रों को आपस में लड़ाने हेतु कोई न कोई चाल चलती रहती है, जिससे ये कभी एकजुट होकर इनशक्तियों से सामना करने तथा चुनौती देने का साहस न कर सकें।
3. अपने तेल की आपूर्ति को सुरक्षित रखना- आज के युग में तेल आधुनिक युग के लिए रक्त बन गया है। महाशक्तियाँ जानती है कि तेल के अभाव में उनकी स्थिति किसी बड़े युद्ध में टिकने योग्य नहीं रहेगी।
4. अन्तिम उद्देश्य है कि आपस में एक दूसरे के नियन्त्राण व प्रभाव को शिथिल करना।

हिन्द महासागर के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप डियागोगार्सिया स्थित है। वर्ष 1973 तक इस द्वीप का सामरिक, राजनैतिक महत्व लगभग नगन्य ही था। वर्ष 1973 में ग्रेट ब्रिटेन से अमेरिका ने इस द्वीप को प्राप्त करके रूस की अपेक्षा अधिक लाभदायक स्थिति प्राप्त कर ली है। यह द्वीप 13 मील लम्बा और 4 मील चौड़ा है। इसकी आबादी लगभग 500 है तथा यहाँ की प्रमुख फसल नारियल है। अमेरिका के लिए इस द्वीप का सामरिक महत्व इसलिए अधिक है कि यह एशिया और अफ्रीका दोनों से लगभग समान दूरी पर स्थित है और यहां से वह दोनों महाद्वीपों में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है।[3]

अफगान संकट (सोवियत हस्तक्षेप वर्ष 1979) और हिन्द महासागर क्षेत्रा में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए 25 बिलियन डॉलर की लागत से त्वरित विस्तार सेना (Rapid Deployment Froce) का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य फारस की खाड़ी और हिन्द महासागर क्षेत्रा में सामरिक कार्यवाही के लिए सैन्य बलों की तीव्रगति से तैनाती एवं मोर्चे बन्दी करना था।[4]

फ्रांस हिन्द महासागर क्षेत्रा में घुसपैठ करता रहता है। हाल ही में चीन भी हिन्द महासागर क्षेत्रा में रूचि लेने लगा है। सोवियत संघ की हिन्द महासागर में रिक्तता की पूर्ति के लिए चीन की नौ सेना की गतिविधियां इस क्षेत्रा की सुरक्षा में अत्यधिक चिंता का विषय है। चीन जहाँ एक ओर होर्मुज स्ट्रेट के निकट पाकिस्तान के 'ग्वादर' में बन्दरगाह हेतु सुविधायें प्राप्त कर रहा है। वहीं पूर्व में म्यांमार के कोको द्वीप पर सामरिक सुविधायें विकसित करके भारत की सामुद्रिक घेरेबन्दी करने हेतु गम्भीर कदम उठा रहा है। इसके अतिरिक्त चीन श्रीलंका के हम्बन टोटा तथा बांग्लादेश के चटगाँव बन्दरगाह पर सामरिक सुविधायें प्राप्त कर रहा है। "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" स्त्रातेजी के द्वारा चीन भारत को घेरने की योजना बना रहा है।

चीनी अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के बावजूद हिन्द महासागर क्षेत्रा में आतंकवादी गतिविधियां भी उत्पन्न हो गयी हैं। यह हिन्द महासागर की सुरक्षा के लिए चिन्ता का विषय है। हिन्द महासागर क्षेत्रा को कुछ देशों ने 'जेहादी आतंकवाद की झील' (Lake of Jahadi Terrorism) में परिवर्तित कर दिया है। होर्मुज व दक्षिण पूर्वी स्टेट में 'फ्री एसे मूवमेन्ट' (Free Aceh Movement) 'मोर इस्लामिक लिबरेशन फ्रन्ट' (More Islamic Liberation Front) व अबू सयाफ (Abu Sayyaf) जैसे समुद्री आतंकवादी संगठनों का उदय तथा समाह इस्लामियाह, (Sammah Islamiyah) अलकायदा (Al Qaida) जैसे आतंकवादी संगठनों के कारण हिन्द महासागर क्षेत्रा के तटीय राष्ट्रों की सामरिक सुरक्षा चिन्ताजनक बनी हुई है।[5]

सामुद्रिकशक्ति की दृष्टि से भारत की सुरक्षा तैयारियाँ – भारत को अपनी सामुद्रिकशक्ति को सबल बनाने एवं बाह्य आक्रमणों से समुद्र की सुरक्षा करने के लिए एक सुदृढ़ सामुद्रिक नीति की आवश्यकता है। वर्तमान समय में भारत की सुरक्षा के लिए अनेक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो गयी है। जब

से सिंगापुर से चीनी नौ सेना ने विदा ली है, तब से हिन्द महासागर में बड़ीशक्तियों द्वारा अपने-अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए घुसपैठ प्रारम्भ हो गयी है। आज के समय में भारतीय सामुद्रिक नीति हिन्द महासागर के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जानी चाहिए-[6]

1. पूर्व में भारत की सीमायें सुमात्राा तक, पश्चिम में केप ऑफ गुड होप, Malagasy Republic मारीशस, अदन, फारस और अरब की खाड़ी तक विस्तृत है। भारत को इन सीमान्त तक सामुद्रिक सुरक्षा करना अनिवार्य है।

2. भारत के दक्षिण में हिन्द महासागर है जिस पर नियन्त्राण रखना भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है ताकि शत्राु युद्ध के समय इसका प्रयोग न कर सकें।

3. बांग्लादेश और वर्मा की ओर से हमें उनकी समुद्री सीमा सुरक्षा में सहयोग करना होगा क्योंकि उनकी सीमा सुरक्षा का सम्बन्ध भारतीय सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यही नहीं उनकी स्थलीय सीमा की सुरक्षा में सहयोग करना भी आवश्यक है।

4. हिन्द महासागर पर नियन्त्राण के लिए आवश्यक है कि प्रमुख समुद्री मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाये, जिनसे भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तथा जिन मार्गों से होकर शत्राु हमारी जलीय सीमा में घुस सकता है। जिनमें स्वेज मार्ग, सिंगापुर मार्ग, कैप मार्ग, आस्ट्रेलियन मार्ग मुख्य है। हिन्द महासागर में चल रही प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुये भारत के लिए आवश्यक है कि सुदृढ़ एवं सुविकसित सामुद्रिक नीति का निर्धारण करें। डॉ० के०बी० वैद्य ने अपनी पुस्तक 'Naval Defence of India' में भारत की सामुद्रिक नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण तत्वों एवं सिद्धान्तों की व्याख्या की है ये प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं-[7]

1. सबल सामुद्रिकशक्ति का निर्माण।

2. हिन्द महासागर को भारतीय झील के रूप में बदलकर उस पर पूर्ण प्रभुत्व।

3. सुव्यवस्थित समुद्री बेड़े (पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा की सुरक्षार्थ)।

4. सीमान्त प्रदेशों की सुरक्षा एवं देखभाल।

5. त्रिासैन्य बल (स्थल, नभ, नौ) में आपसी सहयोग।

6. अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण।

7. जनस्वार्थ।

8. जलयान निर्माण उद्योग।

9. विदेशी व्यापार।
10. नौ सेना तथा अन्य उद्योगों में पारस्परिक सहयोग।
11. विदेश नीति।
12. वैज्ञानिक नौ–सेना अनुसंधान।
13. वायु सेना का समुचित विकास एवं नौ–सेना का आधुनिकीकरण।
14. संयुक्त राष्ट्र संघ और नौ सेना।
15. मत्स्य उद्योगों का सुविकसित विकास।

हिन्द माहसागर की सुरक्षा में निम्नलिखित तत्वों का विवरण इस प्रकार है –

1. हिन्द महासागर के तटवर्ती (Littoral) पृष्ठ (Hinterland) देशों को हिन्द महासागर कोशांति क्षेत्रा घोषित करने के प्रस्तावों परशीघ्र एकमत होना चाहिए।
2. हिन्द महासागर की गोद में बसे देशों को अपने यहाँ किसी भी स्थिति में महाशक्तियों को सैनिक अड्डे बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
3. सभी तटवर्ती देशों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने एवं राजनीतिक स्थायित्व (Political Stability) कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिये।
4. हिन्द महासागर के तल (Base) एवं सतह (Surface) पर किसी भी प्रकार के आणविक हथियारों के व्यूहन (Stationing) की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
5. हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों को एक ऐसी सशक्त समूहिक सामुद्रिक सेना (Tighter Combined Naval Force) का गठन करना चाहिए जो आपातकाल में इस क्षेत्रा की सुरक्षा को उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए कम से कम समय में उपस्थित हो सके।
6. सभी तटवर्ती देशों द्वारा गश्ती जहाजों के माध्यम से उन द्वीपों की लगातार गश्त की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि उनके कब्जे में है।
7. चूँकि भारत हिन्द महासागर की गोद में बसे राष्ट्रों में सबसे विकसित है अतः इस क्षेत्रा में शान्ति स्थापना के लिए तटवर्ती देशों को एकता के छाते के नीचे लाने में भारत को बड़ी सावधानीपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। साथ ही देश के भीतर युद्ध पोतों एवं जहाजी बेड़ों का निर्माण तथा आधुनिकीकरण पर विशेष बल देना हमारी मौलिक आवश्यकता है।

हमारा समुद्री इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत का भविष्य सदैव ही उस शक्ति अथवा शक्ति समूह की कृपा पर अवलम्बित रहेगा जो हिन्द महासागर पर नियन्त्राण रखेगा क्योंकि उसका प्रक्षेपण इस महासागर में एक हजार मील से भी अधिक दूरी तक है।[8]

हिन्द महासागर का भारत की सुरक्षा में महत्व – भारतीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिन्द महासागर का युद्धनीतिक महत्व अत्यधिक है। हिन्द महासागर के तटीय देशों में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। पिछले सात दशकों में भारत ने आणविक, अंतरिक्ष, संचार, हाइड्रोग्रफी तथा सैनिक क्षेत्राों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

पिछले तीस वर्षों में भारत ने 10 आणविक पावर स्टेशनों, चार अनुसंधान रियेक्टर, छः भारी जल संयन्त्रा तथा अन्य दूसरे सम्बन्धित आणविक सुविधाओं का विकास किया है। भारत वर्ष 1974 तथा वर्ष 1998 में सफल आणविक परीक्षण सम्पन्न कर चुका है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने महासागर की अथाह गहराई को नापा तथा वहाँ से खनिज पिण्डों को निकाला है। वर्ष 1981 में भारतीय अन्वेषण पोत 'गवेषणी' ने मध्य हिन्द महासागर में तीन से साढे चार मील गहराई से खनिज–मैंगनीज नाड्यूल्स निकाला था। वर्ष 1986 में भारतीय सामुद्रिक विकास विभाग ने कुल 3 मिलियन वर्ग किमी० मध्य हिन्द महासागर क्षेत्रा का सर्वेक्षण कार्य किया। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्रा में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। प्रधानमंत्राी श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने मालद्वीप (माले) में 23 सितम्बर 2002 को अपने अभिनन्दन के अवसर पर बोलते हुए कहा कि मालद्वीप हमारे सहयोग के नये क्षेत्राों में से एक है। डिजिटल मैपिंग और मालद्वीप की भूमि तथा समुद्री तटों का जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण हमारे अंतरिक्ष विभाग का एक दल, सर्वे ऑफ इण्डिया और भारतीय नौ सेना का जल विज्ञान विभाग मिलकर इस कार्य को सम्पन्न करेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपार सफलता हासिल की है। इस क्षेत्रा में भारत का विश्व में छटवाँ स्थान है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ० कस्तूरी रंगन के अनुसार भारत इस क्षेत्रा में इजराइल से कहीं आगे हैं।[9]

हिन्द महासागर का महत्व उसके जल मार्गों और उसके क्षेत्रा में उपलब्ध कच्चे माल के कारण अत्यधिक है। इसके जल मार्ग पश्चिमी देशों और जापान के लिए जीवन रेखायें हैं जिनके बन्द होने या जिन पर विरोधी का प्रभुत्व स्थापित होने से उनके लिए जीवन–मरण का प्रश्न पैदा हो जाता है। इसके गर्भ में उपलब्ध कच्चे तेल के भण्डार महाशक्तियों में प्रतिद्वन्दिता के कारण है। विश्व का 37 प्रतिशत तेल, 90 प्रतिशत रबर, 70 प्रतिशत टिन, 79 प्रतिशत सोना, 28 प्रतिशत मैंगनीज, 27 प्रतिशत क्रोमियम, 16 प्रतिशत लोहा, 12.5 प्रतिशत सिक्का, 11.5 प्रतिशत टंगस्टन, 11 प्रतिशत निकल, 10

प्रतिशत जिंक, 98 प्रतिशत हीरे और 60 प्रतिशत यूरेनियम इसके क्षेत्रा में पाये जाते हैं। इसकी समुद्री सतह पर उपलब्ध होने वाले स्त्रोतों, विशेषकर ऊर्जा स्त्रोतों की कमी नहीं है। सोवियत रूसी लेखक येव्गेनी रूम्यांत्सेव ने अपनी पुस्तक 'हिन्द महासागर : शान्ति और सुरक्षा की समस्याऐं' में लिखा है, "अमेरिका यहाँ से 40 तरह का कच्चा माल ले जाता है जिसमें यूरेनियम लिथियम, बेरीलियम इत्यादि सैनिक महत्व का कच्चा माल भी होता है।" जापान अपने तेल की प्राय:शत-प्रतिशत मांग फारस की खाड़ी के तेल से पूरी करता है। हिन्द महासागर क्षेत्रा के देशों से ही वह 75 प्रतिशत लौह-अयस्क, 35 प्रतिशत कोक-कोयला, 90 प्रतिशत वाक्साइट, जिंक और प्राकृतिक रबर का आयात करता है।[10]

निष्कर्ष -

भारत की राजनीतिक, आर्थिक, स्त्रातेजिक, सामरिक दृष्टि से विचार किया जाये तो वर्ष 1991 के Kickleighter प्रस्तावों के अनुरूप भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 से वर्ष 2023 तक 26 संस्करण मालाबार नामक संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास सम्पन्न हो चुके हैं। नौ सैनिक संक्रिया के सन्दर्भ में भारतीय नौ सैना को हिन्द महासागर में अमेरिकी सेना और नौ सेना के विरूद्ध युद्ध की सम्भावना नहीं है, परन्तु फिर भी भारतीय नौ सैना के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भारत के विरूद्ध अमेरिका के सैनिक और नौ सेनिक हस्तक्षेप की कीमत को बढ़ाने की योग्यता रखती हो। इस प्रकार की क्षमता केवल परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों और परमाणु आयुधों से सुसज्जित पनडुब्बियों के विकास या प्राप्ति से ही सम्भव है और ऐसी क्षमता के विकास के अभाव में "न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधकता की स्त्रातेजी" की बात करना सम्भव नहीं है।[11]

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि आज भी हिन्द महासागर पहले की ही भांति भारतीय सुरक्षा एवं विकास का एक प्रमुख आधार है। इस क्षेत्रा में भारतीय इतिहास, भौगोलिक स्थिति व चुनौतियों को देखते हुये यह आवश्यक है कि भारतीय नौ सेना अपनी क्षेत्राीय श्रेष्ठता बनाये रखे तथा इस प्रकार से अपना विकास करें कि किसी भी संकट के समय दूर गहरे समुद्रों में जाकर स्वतन्त्रा रूप से कार्य कर सके। भारतीय सरकार की नौ सैनिक नीतियां एवं स्त्रातेजिक योजनायें इस दिशा में अग्रसर हैं। हिन्द महासागर तटीय देशों में भारतीय नौ सेना ही स्त्रातेजिक भूमिका अदा कर सकने की क्षमता रखती है। एशिया में भारत की स्त्रातेजिक भूमिका का प्रभाव का 21वीं शताब्दी में तेजी से विस्तार हो रहा है। सामुद्रिक हितों की सुरक्षा हेतु सशक्त नौ सेना का होना आवश्यक है। भारतीय नौ सेना का पिछला इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। आगे भविष्य में भी यह देश की सुरक्षा एवं गौरव का अटल प्रतीक बनी रहेगी।[12]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Kohli, K.K. Maritime Power in Peace and War: An Indian View, African Security Review, 1996, Vol. 5, P-2
2. सिंह, डॉ० डी०एन०, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकप्रिय प्रकाशन, मेरठ, 2003, पृ०-251
3. सिंह, डॉ० ए०के०, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2007, पृ०-511
4. Amin Saikal and William Maley, Regime Change in Afghanistan: Foreign Intervention and the Politics of Legitimacy, Westview Press, Boulder 1991, P.45-49
5. फडिया, डॉ० बी० एल०, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2008, पृ०-507-08
6. सिंह, डॉ० डी० एन०, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकप्रिय प्रकाशन, मेरठ, 2003, पृ०-266-67
7. सिंह, डॉ० लल्लन जी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2003, पृ०-579
8. सिंह, डॉ० ए० के०, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2007, पृ०-516
9. स्ट्रैटिजिक डाईजेस्ट, अक्टूबर, 2003 पृ० 1078
10. येव्गेनी रूम्यांत्सेव, हिन्द महासागर:शान्ति और सुरक्षा की समस्याएं, 1986, पृ०-11
11. Middle East International, Nov. 23, April 2000, P-12
12. माथुर ग्रोइंग, इम्पार्टेस ऑफ दि इण्डियन ओशन इन पोस्ट कोल्ड वार इरा एण्ड इट्स इंप्लीकेशन फॉर इण्डिया, स्ट्रेटिजिक एनालिसिस, आई०डी०एम०ए०, नई दिल्ली, वाल्यूम 26 नं० 4, अक्टूबर-दिसम्बर, 2002, पृ० 550

रीतिकालीन काव्य में शिल्प विधान

डॉ० वनीत कौर
पूर्व शोध छात्रा, हिंदी विभाग
कश्मीर विश्विद्यालय, श्रीनगर
जम्मू व कश्मीर

रीतिकालीन काव्य भाव एवं शिल्प की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। इन कवियों ने विशेषकर शिल्प को प्रौढ़ता की पराकाष्ठा पर पहुँचाया है। कला के अंतिम शिखर पर कविता की यात्रा पूर्ण होती है। इन कवियों ने कला के क्षेत्रा में वैविध्यपूर्ण चमत्कार उत्पन्न किए हैं।

छंदों के विषय में केशवदास का ज्ञान अपार था। जितने प्रकार के छंदों का प्रयोग उन्होंने किया हिंदी साहित्य में किसी ने नहीं किया। रामचंद्रिका में तो छंदों की विविधता इस सीमा तक पहुँच गई है कि विद्वानों ने इसे छंदों का अजाबघर कह दिया है। रामचंद्रिका केशव द्वारा संवाद शैली में लिखित महाकाव्य है। केशव की छंद योजना संस्कृत साहित्य की छंद योजना है। इन्होंने दोहा, सोरठा, धनाक्षरी, तोमर, सवैया, इत्यादि छंदों का सफलता पूर्वक प्रयोग किया है। चौपाई छंद का एक उदाहरण इस प्रकार है–

"कछु राजत सूरज अरुण खरे।
जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे।
चितवन चित्त कुमुदिनी त्रासै।
चोर, चकोर, चिता सो लसै।।"[1]

चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती है। रामचंद्रिका में सवैया, अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का सौंदर्य भी दिखाई पड़ता हैं

"सब जाति फटी दुख की दुपटी,कपटी न रहै जहँ एक घटी।
निघटीरुची मीच घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी ।।
उघ–ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरूज्ञान गटी।
चछं ओरन नाचति मुक्ति नटी, गुण धूरजटी बन पंचवटी।।"[2]

बिहारी जी का एक ही काव्य ग्रंथ उपलब्ध है, किन्तु उसके द्वारा इन्होंने जो कीर्ति अर्जित की वह किसी अन्य हिंदी कवि द्वारा संभव नहीं हो सका। इनकी सतसई मुक्तक काव्य परंपरा की एक प्रतिनिधि रचना है। इनका एक-एक दोहा हिंदी साहित्य में रतन के समान है-

"सोहत ओढे पीत पटु, स्याम सलौने गात।
मनो नीलमनि सैल पर, आतप परयौ प्रभात।।"[3]

दोहा अर्द्ध सममात्रिाक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती है।

गिरिधर कविराय हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी शैली सहज, भावात्मक, वर्णनात्मक है। इन्होंने अधिकांश जो कुंडलिया लिखी है वह अवधी भाषा में हैं-

"बिना बिचारे जो करै सो पाछे पछिताय।
काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाय।।
जग में होत हँसाय चित्त में चौन न पावै।
खान पान संमान राग रँग मनहिं न भावै।।
कह गिरिधर कविराय दुःख कछु टरत न टारे।
खटकत है जिय माहि कियो जो बिना बिचारै।।"[4]

कुंडलिया, दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते है। इसके प्रथम 2 चरण दोहा छंद तथा अंतिम 4 चरण उल्लाला छंद के होते है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती है। उपर्युक्त कुंडली में कवि गिरीधर ने 'टरत न टारे' मुहावरे का भी प्रयोग किया है।

मतिराम के काव्य में सुंदर भाषा के दर्शन होते है। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है। इनकी भाषा में शब्दाडम्बर नहीं मिलता। मतिराम ने अपनी कविता में कवित्त और दोहों के अतिरिक्त सवैया छंद का भरपूर प्रयोग किया है-

"कुंदन कौ रंगु फीको लगै, झलके अति अंगन चारु गुराई।
आँखिन मैं अलसानि, चितौन में मंजु बिलासन की सरसाई।
को बिन मोल बिकात नहीं मतिराम लहै मुसकानि-मिठाई।
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे है नैननि, त्यों-त्यों खरी निकरै-सी निकाई।।"[5]

सवैया वर्णित छंद है। इसमें चार चरण होते है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं।

कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था। उनकी भाषा बेहत मंजी हुई, कोमलता व माधुर्य गुण से ओत–प्रोत है। अपने इन गुणों के कारण ही वे ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि कहे जाते है। उनकी काव्य भाषा में अनुप्रास अलंकार का विशेष स्थान है, जिसके कारण उनके सवैये व कवित्त में अनुपम छटा बिखर जाती है। उपमा व रूपक अलंकार का भी बड़ा सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। रस विवेचन के प्रसंग में उन्होंने 'छल' नामक एक नवीन संचारी की भी कल्पना की है। 'भाव विलास' इनकी प्रथम रचना है। हिंदी भाषा के रीति ग्रंथो में यह उच्चकोटि का ग्रंथ माना जाता है। इन्होनें केवल सोलह वर्ष की अवस्था में इसकी रचना की थी। इस रचना में प्रौढ़ कविता के सभी गुण विद्यमान है। 'भाव विलास' में कवि देव ने वियोग श्रृंगार का चित्राण इस प्रकार किया है–

> लाल बिदेस सु बालबधू बहु भांति बरी बिरहानल ही मैं।
> लाह भरी गृहराज करै, कहि देव परे न कंहू कलही मैं।।
> नाथ न हाथ के हरि हरा हिय, लागि गई हिलकी गलही मैं।
> आँखिन के अंसुवा लखि लोगन, लीलि लजीली लिये पलही मैं।।[6]

घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है। हिन्दी साहित्य में यह 'प्रेम की पीर' के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इनके काव्य में भावों की गरीमा के समान ही कला प्रवीणता भी दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण है उनका भाषाधिकार। भाषा की सफाई के फलस्वरूप घनानंद का काव्य–वैभव अधिक चमक उठा है। भावानुकूल भाषा लिखने में तो घनानंद सिद्धहस्त थे। घनानंद के काव्य में अलंकारों का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। उनके काव्य में शब्दालंकार, अर्थालंकार सभी प्रकार के अलंकार पाए जाते है। घनानंद की कविता में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया हैं। घनानंद ने लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा सौंदर्य में चार चाँद लगा दिए है। घनानंद ने कवित्त और सवैये अधिक लिखे है। वैसे उन्होंने दोहे और चौपाइया भी लिखी है। रस की दृष्टि से घनानंद का काव्य मुख्यत: श्रृंगार रस प्रधान है। इनमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। प्रिय के रूप पर रीझने से मन की क्या दशा होती है। इस संदर्भ में निम्न सवैया इस प्रकार है–

> "रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारियै।
> त्यौं इन आँखिन नानि अनोखी, अघानि कंहू नहिं आनि तिहारियै।
> एक ही जीव हुतो सु तौ वायौ, सुजान, संकोच औ सौच सहारियै।
> रोको रहे न, दहे घनआनंद बावरी रीझि के हाथन हारियै।"[7]

भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम के भाई थे। 'भूषण' उपाधि इन्हें चित्राकूट के राजा हृदयराम के पुत्रा रुद्रशाह ने प्रदान की थी। इनकी रचनाएँ शिवराज भूषण, शिवाबावनी और छत्रासाल दशक वीर रस से ओत–प्रोत हैं। भले ही भूषण के काव्य का अंगी रस 'वीर' है पर अन्य

रस भी उसमें उपलब्ध है,जो वीर रस की पुष्टि में सहायक है। रौद्र रस, भयानक रस इस प्रकार के हैं। शिवाजी के क्रोध का चित्राण करते हुए भूषण ने 'रौद्र रस' की अभिव्यंजना निम्न छंद में की है-

"भूषण भनत महावीर लाग्यो,
सारी पातसाही के उडाय गए जियरे।
तमक ते लाल मुख सिवा को निरखि भए,
स्याह मुख नौरँग सिपाह-मुख पियरे।"[8]

भूषण के काव्य में लोकोक्ति का भी प्रयोग मिलता है-

"सौ सौ चूहे खाइके बिलाई बैठी तप के।"[9]

लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है लोक+उक्ति जिसका अर्थ है लोको द्वारा कही उक्ति या कथन।

भूषण ने दोहा, यमक, सवैया, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण इस प्रकार है-

"दानव आयो दगा करि जावली दीह भयारो महामद भारयो।
भूषण बाहुबली सरजा तेहि भेटिवे को निरंसक पधारयो।।
बीछू के घाय गिरे अफजल्लहि ऊपर ही सिवराज निहारयो।
दाबि यो बैठो नरिंद अरिंदहि मानो मयंद गयंद पछारयो।।"[10]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. संक्षिप्त रामचंद्रिका- संपादक पीताबरदत्त बडथ्वाल डी०लिट्, प्रकाशन-इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग, चतुर्थ संस्करण सं-1997, पृ०-19
2. वही, पृ०-74
3. बिहारी सतसई सटीक- टीकाकार-श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, प्रकाशन-पुस्तक भंडार पटना-4, पृ०-9
4. कुंडलिया-गिरिधरराय, नवल किशोर प्रेस में छपकर प्रकाशित तीसरी बार सन्-1922 ई०, पृ०-26-27
5. मतिराम ग्रंथावली-मतिराम, संपादक- पं० कृष्णबिहारी मिश्र, प्रकाशन-गंगा पुस्तकमाला कार्यालय लखनऊ, चौथी बार सं०-2018 वि०,पृ०-254
6. भावविलास-देव, प्रकाशन तरुण भारत ग्रंथावली कार्यालय दारागंज प्रयाग, प्रथमावृति 2000, संवत-1991, पृ०-89
7. घनानंद कवित्त, वाणी वितान प्रकाशन, चतुर्थ सं०: 2029, पृ०-96

8. भूषण ग्रंथावली, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रकाशन साहित्य सेवक कार्यालय काशी, द्वितीयावृति, शरत्पूर्णिमा 1993, पृ०-84

9. वही, पृ०-111

10. वही, पृ०-18

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

अंगिका लोकगाथा बिहुला केरो अंतरलोक

डॉ० श्वेता भारती
(स्नातकोत्तर अंगिका विभाग)
(तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर)

सारांश

अंगिका लोकगाथा 'बिहुला-विषहरी' के कथावस्तु एक धार्मिक कथा भर नै छेके, बलुक ई लोकगाथा अंगप्रदेश के प्राचीन इतिहासो के कथात्मक रूप छेके, जै कथा अंगप्रदेश के महाजनपदीय काल के वाणिज्य, सामाजिक व्यवस्था, पर्यावरण-परिवेश, आरनी सौदागर चंद्रधर, शिवकन्या विषहरी के क्रोध, बिहुला के सतीत्व, नेतुला के तंत्रा-मंत्रा, जेहनों कथा के संयुक्त रूप से स्पष्ट करलों गेलों छै।

प्रमुख कुछ शब्द : शिवकन्या विषहरी रो कामना, चाँदो सौदागर, नेतुला धोबिन, बिहुला के संकल्प, गलतंत्री घाट, मैनानगर आरनी।

प्रतिपाद्य विषय

अंगिका लोकगाथा बिहुला के कथा जत्ते रोमांचक छै, ओत्तै ऊ कथा में विन्यस्त अंग महाजनपद रो इतिहास आरो संस्कृति के वैभव आश्चर्यचकित करैवाला छै। यही वास्ते अंगिका के ई लोकगाथा के कथा सिर्फ मनोरंजन के ख्यालो से पढ़वो कोय अर्थ नै राखै छै।

बिहुला लोकगाथा के आरंभ मंदार पर्वत पर स्थित सोनदह सरोवर मे शिव के नहाइवो से शुरू होय छै-नहावै के क्रम मे हुनको जटा के पाँच केश टूटी के जल पर तैरते-तैरते सरोवर के किनारी लगी जाय छै, जे कुछुवे दिनो मे कमल फूलो में बदली जाय छै। जब एक दिन ऊ पाँचो कमल फूल पर पार्वती के नजर पडै छै, ते ओकरा लानी के शिवमठ में राखी दै छै। हिन्ने ई होय छै कि कोय बातो से नाराज होयके शिव जी अखंड समाधि पर बैठी जाय छै। साल-पर-साल बीते लगै छै, यहाँ तक कि दसो साल बीते लगै छै, ते पार्वती शिवमठ पहुँची जाय छै आरो ई देखी के हतप्रभ होय जाय छै कि कमल फूल के जग्धा में पाँच किशोरी खेलकूद करवो करी रहलो छै। कमल फूल से कन्या

बनली ई पाँचो किशोरी विषहरी बहन छेके, शिव के मानस पुत्राी। यही ले ई कन्या सिनी पर्वती के देखत्हैं माय कहै छै, मतर पार्वती के ते मनो में आरो कुछ शंका लहर मारे लगलो छेलै, से पुत्राी के पुत्राी नै मानी के वैपर लांक्षण लगावे लगै छै।[1]

ई सब बातो से दुखित होय पाँचो बहिन जबे सोनदह के किनारी पर बैठलो छेलै, तखनिये हुन्ने से आवी रहलो बासुकी नाग से भटें होय छै, जे रिस्ता में भाय छेके। नाग पाँचो बहिन के ओकरो जन्म के कथा बतावै छै। सब कुछ जानी के पाँचो बहिन शिव के समाधि टुटला पर हुनका से ई बात वास्ते जिद करे छै कि जेन्हो हुनको पूजा होय छै, होन्है वहू सब धरती पर सब्भे से पूजित हुए। ई सुनी के शिव कहै छै–ई तभिये संभव हुए पारे, जबे चंपानगर के चाँदो सौदागर ऊ सिनी के पूजा दे, जे सौदागर शिव के अनन्य भक्त छेके।[2]

आरो एक दिन जखनी चाँदो सौदागर पूजा वास्ते तैयार होय रहलो छेलै, तखनिये पाँचो मनसा बहिन–मैना, दीतिला, विषहरी, जया आरो पद्मा सौदागर के सम्मुख होते अपनो परिचय देते पूजा दैके माँग करलके। परिचय दै तक ते कोय बात नै छेलै मतर पूजा दैके नामे पर सौदागर चाँदो भड़की उठलै आरो बेंगखौकी कहते हुए अपनो लाठियो तांय उठाय लेलके। क्रुद्ध विषहरी ने सौदागर के छवो बेटा के मौत के भय से ओकरा डराय के कोशिश करलके मतर सौदागर नै झुकलै। नतीजा ई होलै कि चाँदो अपनो छवो बेटा सहित व्यापार वास्ते जबे सामुद्रिक यात्राा पर निकललै, ते कुछुवे दूर गेला के बाद भयंकर आँधी–तूफान के कारण गंगा ऊनावे लगलै आरो जेकरे कारण छवो बेटा सहित चाँदो सौदागर भी डूबी–हेराय गेलै–जे सिनी जबे सौदागर के पत्नी सोनिका ने सपना मे देखलकै, ते ऊ बेचैन होय उठलै। तखनिये ओकरो सम्मुख विषहरी उपस्थित होय गेलैऋ कहलके कि जों सौदागर से वैं हमरा पूजा दिलाय दै छैऋ ते ओकरो पति लौटे पारै छै आरो पूजा के बाद ओकरो छवो बेटाहौ। दुख के ऊ स्थिति में सोनिकां 'हों' कही देलकै, ते सौदागरो घोर लौटी ऐलै मतर विषहरी के पूजा दै से सीधे मुकरी गेलै। नतीजा ई होलै कि ओकरो छवो पुत्रा जीवित नै हुए पारलै।

समय बीतला पर सौदागर के फेनु एक पुत्रा होलै–जेकरे नाम लखेन्द्र छेलै। जबे लखेन्द्र किशोर होय छै, ते साधु भेष मे विषहरी सौदागर के पास आवै छै आरो बीहे राती लखेन्द्र के मरी जाय के बात करै छै। साथे–साथे यहू बताय छै कि उजानी ग्राम मे वासु सौदागर के एकलौती बेटी बिहुला से जों एकरो बीहा होय जाय, ते लखेन्द्र के जान बचे पारै छै। वहू मे जों बिहुला लोहो के दाल के गलाय दे। साधु से लखेन्द्र के मिरतु के बात सुनी चाँदो आरो सोनिया दोनो बेचैन होय जाय छै आरो बिना बिलम्ब करले चाँदो लोहो के कलाय दाल लैके उजानी ग्राम पहुँची जाय छै।

लोकगाथा के अनुसार वासु के पुत्राी बिहुला से लखेन्द्र के बीहा पक्की होय छै। विषहरी के कृपा से बिहुला लोहो के दालो गलाय छै। साधु के भविष्यवाणी के गलत करै लेली चाँदो सौदागर

विश्वकर्मा से लोहो के हेनो महल बनवाय छै, जैमे सुइयो भर छेद न रहे मतर विषहरी के डरो से विश्वकर्मा बाल भरी मोटाई के छेद छोड़ी दै छै, जैसे ही नाग महल मे प्रवेश करी लखेन्द्र के डँसी लै छै आरो बीहे राती बिहुला राँढ़ होय जाय छै। हजार–हजार प्रहरी के देखरेख, नेवला के दौड–धूप सब बेकार होय जाय छै।

मूर्छित लखेन्द्र के बचाय के कोशिश शुरू होय छै। मंत्राी धनसा के धन्वन्तरी के पास मंदार भेजलो जाय छै मतर ओकरो पहिले विषहरी वहाँ जाय के धनवंतरी के धमकाय आवै छै, ते धनसा के सहयोग नै मिलै छै। हों धन्वंतरी एतना जरूरे बतावै छै कि चंपा के पश्चिम–दक्खिन में एक जंगल मे एक चमरी गाय छै जों ओकरो पूँछ से मूर्छित लखेन्द्र पर हवा करलो जाय, ते ऊ जीवी जैतै। धनसा चमरी गाय के पूँछ लैके आवी रहलो छेलै कि विषहरी रास्ताहै मे रोकी के बताय छै कि लखेन्द्र मरी चुकलो छै आरो ओकरो शव चंपा–घाट पर पड़लो होलो छै। धनसा पूँछ फेंकी के मसान दिस दौड़ै छै, ते देखै छै कि वहाँ कोय लाश–ऊस नै छै। मतर विलंब होला के कारण लखेन्द्र के सचमुचे मे मृत्यु होय जाय छै।[3]

हुन्ने बिहुला केन्हौ के तैयार नै होय छै कि लखेन्द्र के अंतिम संस्कार हुए, से ओकरो इच्छा पर मंजूषानुमा एक बहुत बड़ो नाव मंगैलो जाय छै जैपर लहसन माली ऊ सब घटना के चित्रा बनाय छै, जे लखेन्द्र आरो बिहुला के जीवन से जुड़लो होलो छै आरो बिहुला मृत पति के लैके वही नाव पर बैठी जाय छै। सास, ससुर, गोतनी सिनी के मनैला के बादो ऊ ससुरार नै लौटै छै। नाव चंपा से आगू निकलते जाय छै जे गोकुला घाट, सेमापुर घाट, कागासैनी घाट, गोदाघाट, शंखा घाट, बोचासैनी घाट, जौंकासैनी घाट, जुआरी घाट तांय पहुँचौ छै–अनेक–अनेक संकटो के पार करी, मतर गलंत्राी घाट पर पहुँचथैं बिहुला के दुख दस गुणा बढ़ी जाय छै।[4]

लखेन्द्र के निष्पंद शरीर ऊ घाट पर पहुँचथैं गले लागै छै आरो आखिर मे सिर्फ अस्थि–पंजर बची जाय छै। तहियो बिहुला अपनो धैर्य नै खोय छै आरो पति के अस्थि–पंजर के माला बनाय के अपनो गल्ला मे डाली लै छै। मंजूषा पर रखलो वाद्ययंत्रा लैके विराग के गीत गावै लगै छै कि तखनिये ओकरो नजर एक अजूबे दृश्य पर पड़ै छै–वही गलत्राी घाट पर नेतुला नाम के धोबिन देवता सिनी के कपड़ा साफ करी रहलो छेलै। सफाई वास्ते वैं पाट आरो खूँटा के रूपो मे अपनो पति आरो बेटा के उपयोग करले होलो छेलै। बिहुलां यहू देखलकै कि सफाई के काम पूरा होला पर नेतुलां अपनो पति आरो पुत्रा के मंत्रा से जीवित करी देले छेलै।

सब कुछ समझी–बुझी वैं लखेद्र के अस्थि–पंजर मिट्टी के एक कलश में बंद करी वही ठां एक सुरक्षित स्थानों में राखी देलकै आरो नेतुला धोबिन के पिछुवैले ओकरो घोर पहुँची गेलै। वैं धोबिन के अपनो परिचय बहिन–बेटी के रूपो मे दै छै, ते नेतुला विश्वासो करी लै छै। फेनु की छै, ऊ वही घरो

में रही के धोबिन के कामो मे मदद करे लागै छै। ओकरो धोलो वस्त्रा के चमक से देवतासिनी चमत्कृत छै, ते पूछिये लै छै कि आयकल कपड़ा के धाये रहलो छै? नेतुला बहिनबेटी के बारे में बताय छै।

आरो एक दिन हेनो होय छै कि बिहुला धोलो कपड़ा लैके स्वयं देवता के लोक पहुँची जाय छै देवता सिनी ई जानै छै कि बिहुला के नाच–गान मे भी महारथ हासिल छै, से ओकरा देवता–दरवार मे नृत्य करै के मौका मिलै छै–ते नृत्य से मुग्ध होय के देवता बिहुला से वरदान माँगै ले कहै छै, ते वैं अपनो छवो भैसुर साथे अपनो पति के जीवित होय के वरदान माँगै छै। देवतासिनी से 'हेने हुए' के वरदानो मिली जाय छै।

दिक्कत तखनी खाड़ो होय जाय छै, जबे भैसुर के नै ते खोपड़ी सिनी मिलै छै आरो नै लखेन्द्र के पसली के हड्डी। ऊ सब ते गंगा आरो टुण्डी राकसिन के कारण हिन्ने–हुन्ने होय गेलो छेलै।

ई बातों के जानकारी जबे बिहुला के होलै, ते ऊ एकदम से बेकल होय उठलै, मतर तभिये विषहरी ओकरो सम्मुख उपस्थित होलै आरो कहलके, 'जों वैं अपनो ससुर चाँदो से पूजा दिलाय दे, ते ओकरो भैसुर आरो पति के हेरैलो खोपड़ी सिनी साथे पसली के हड्डियो मिले पारे। अथाह दुक्खो मे पड़ली बिहुला 'हों' कही गेलै। फेनु की छेलै, गंगा के पेटो मे पड़लो भैसुर सिनी के हड्डी गंगा के किनारी लगी गेलै आरो पसली के जे हड्डी टुण्डी राकसिन के कारण हिन्ने–हुन्ने होय गेलो छेलै, वहू मिली गेलै।

किस्सा हेना के छै कि बिहुला फेनु अपना के बहिन–बेटी बतैते ऊ राकसिन के पास पहुँचै छै आरो कहै छै कि ओकरा जोर के भूख लगलो छै। वैं ओकरा एकटा छूरी दै ताकि केला के पत्ता काटे पारे। टुण्डी छूरी दै छै आरो बिहुला जबे लौटै छै, ते ओकरो अँगुरी से लहू बही रहलो छेलै। पुछला पर बताय छै कि केला पत्ता काटो नै पारलके आरो ओकरो औंगरी कटी गेलै। ई सुनी के राकसिन छूरी लैके केला–पत्ता काटै ले निकली जाय छै। यही बीचो मे बिहुला झटपट लखेन्द्र के छिपैलो पसली के हड्डी लैके वहाँ से निकली जाय छै। देवता के देलो वरदान पूर्ण होय छै। नै खाली लखेन्द्र बलुक सब्भे मृत भैसुर जीत्तो होय जाय छै। आबे विषहरी के देलो वचन के पूरा करना छेलै। बिहुला अपनो पति और भैसुर सिनी के साथे एक विशाल नाव पर सवार होय चंपा नगर लौटी पड़ै छै। रास्ते मे बिहुला पर भैसुर सिनी के शंकाओ होय छै। के किसिम से प्रताड़ितो करै छै–यहाँ तक कि गंगा मे ओकरा धकेलियो दै छै। सती बिहुला सब संकटो से उबरी जाय छै आरो पति–भैसुर के लैके चपं ा नगर के नगीच पहुँचै छै।

मतर सीधे गोकुला घाट नै आवी के सेमापुर घाट पर ही सब उतरी जाय छै आरो वहीं ठहरै के क्रम मे बिहुला एक डोम–बस्ती पहुंची जाय छै। बाँस खरीदै छै आरो वही से डलिया–सूप बनाय के सीधे चंपानगर पहुँची जाय छै। संयोग से ऊ दिन वहा होय छै, जबे मृत लखेन्द्र के वार्षिकी मनैलो जाय रहलो छेलै। डोमिन के रूप मे बिहुला कंचनगढ़ पहुँची के दिन से भुखलो परिवार वास्ते भोजन

के माँग करै छै, ते ओकरा हंडा भरी भात-दाल मिलियो जाय छै। बिहुला वही भोजन अपनो पतिये के नै, भैसुरो के दै छै आरो हुन्ने चंपानगर में ई बात खुली जाय छै कि डोमिन भेष में ऐली ऊ जनानी आरो कोय मै, चाँदो सौदागर के पुत्रावधु बिहुला ही छेली, जे अपनो तप-बल से अपनो पतिये के नै, भैसुरो सिनी के जिलाय आनले छै, ते कंचन गढ़ मे खलबली मची जाय छै। नै खाली चाँदो सौदागरे आरो सोनिका साहुनी ही, बलुक छवो गोतनी सगा-संबंधी लेले सेमापुर घाट पहुँची जाय छै।

चाँदो बिहुला से कंचनगढ़ लौटै के बात करै छै, मतर बिहुला अपनो शर्त रखै छै-विषहरी के पहिले पूजा दै के शर्त, जे बात सुनथैं सौदागर के क्रोध भड़की उठै छै, कि तखनिये विषहरी के भी क्रोध भड़की उठै छै। वहा आँधी-पानीऋ हेने लगे लगलैऋ जेना जीवन के सम्मुख फेनु से मिरतु खाड़ो होय गेलो रहे। अपनो पुत्रासिनी के मिरतु के बात सोचथैं सौदागर विषहरी के पूजा दै ले तैयार होय गेलै। पूजा के सामग्री तैयार करलो गेलै आरो चाँदो विषहरी के बायां हाथ से दूध, चंदन, जोल एकेक करी के दिए, लगलै। भले दायां हाथ से सौदागर ने पूजा नै देलकै, कैन्हे कि ऊ हाथो से वै बस शिवे के पूजा करै छेलै, तहियो विषहरी चाँदों से पूजा पावी के हरखित होय उठै छै कि आबे ऊ धरतियो पर पुजलो जैतै।

सब कुछ होला के बाद सोनिका साहुनी बिहुला के फेनु मनाय छै कि ऊ लखेन्द्र साथे कंचनगढ़ लौटी चले मतुर बिहुला लौटै से इनकार करी दै छै। भैसुर सिनी अवश्य कंचनगढ़ लौटी आवै छै आरो बिहुला अपनो पति के लैके वहीं से देवता सिनी के नगर मैनापुर लौटी जाय छै। ऊ कंचनगढ़ यै लेली नै लौटै छै कि आके रो मनो से सास सोनिका के ऊ कहलो बात केन्हौ के नै निकले पारै छै, "तोहें लखेन्द्र के जिलैवे की, कहीं गंगा मे बहाय देवैं आरो आपने कोय डोमो के घर बसी जैवै", जेकरा बिहुला केन्हो के नै भुलावे पारलकै।

अंगिका रो के एक लोकगाथा नाँखी बिहुला-विषहरी लोकगाथा भी कहीं-कहीं अति धार्मिक रूप लेला के बादो ई मूल रूप से अंगप्रदेश के इतिहास आरो एकरो संस्कृति के ही कथा छेकै। ई बात ते प्रसिद्ध इतिहासकार के मालूमे छै कि एक समय अंग प्रदेश महाजनपद-काल मे अपनो व्यापार के लैके कत्ते विश्वव्यापी होय गेलो छेलै। जावा, सुमात्राा, बाली जेन्हो देशो से एकरो घनिष्ठ व्यापारिक संबंध के बारे मे ते रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपनो प्रसिद्ध पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' में करले छै।[5]

अंगप्रदेश के व्यापार खाली पूर्वी देशे मे नै, ई पश्चिमो क्षेत्राो मे फैललो होलो छेलै जे तिब्बत के थलक्षेत्रा होले होय छेलै। बुद्धकाल मे तिब्बत के साथ अंगप्रदेश के कत्ते घना सांस्कृतिक संबंध छेलै, ई ते विक्रमशील विश्वविद्यालय के आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान के तिब्बत-प्रवास से ही समझलो जावे सके छै। जहाँ तक विदेश से अंगप्रदेश रो व्यापारिक संबंध के बात छै, ते यहाँ ई बताना जरूरी छै कि बिहुला लोकगाथा प्राचीन अंग के आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ वाणिज्य-कथा के भी कथा

छेके। इतिहास प्रसिद्ध बात छेके कि तखनी अंगप्रदेश के चंपा एक प्रख्यात अन्त:पोतपत्तन (बंदरगाह) रहै, जेकरो उल्लेख इतिहासकार ज्यातिष चंद्र शर्मा ने भी अपनो 6 के एक इतिहास ग्रंथ मे करले होलो छै। विशद वर्णन ते हिनको ग्रंथ। 'चम्पा का इतिहास' मे भी मिलै छै। चांदो सौदागर वही काल के इतिहास के पात्रा छेके जेकरा में विषहरी के कथा जुड़ी गेला के कारण ई इतिहास के रूप बहुत कुछ धार्मिक होय गेलो छै।

अंगिका लोकगाथा बिहुला प्राचीन अंग महाजनपद के सामाजिक आरो धार्मिक स्थितियो के बहुत साफ-साफ खुलासा करै छै। स्त्राी-विमर्श के दृष्टि से ते ई लोकगाथा के आरो खास महत्व छै। प्राचीन अंग के पुरुष सत्तात्मक समाज मे की रं स्त्राी-समाज उपेक्षित छेलै, ई सत्य के हम्मे चाँदो द्वारा विषहरी के घोर उपेक्षा से समझे पारै छियै। चाँदो जों पूजा देवो करै छै, ते बढी अनमनो ढंग से, बायां हाथ से विषहरी के पूजा देवो एकरो ओर संकेत छै। मतुर एकरो साथे ई लोकगाथा यहू दिस संकते करै छै कि समाज मे स्त्राी एकदम्मे से उपेक्षित नै रहै। जबे चाँदो अपनो पुत्रा साथे सामुद्रिक यात्राा पर निकलै छै, ते सोनिका साहुनी अभिषेक वास्ते गंगा तक आवै छै आरो लखेन्द्र के मृत्यु होला पर बिहुला शव लैके यात्राा पर निकली जाय छै, ते ई प्रसंग एकरे दिस संकेत दै छै कि समाज मे स्त्राी के एक हद तांय स्वतत्रांतो प्राप्त छेलै।

जे भी हुए, ई पूरा लोकगाथा मे जे रं तंत्रा-मंत्रा के जाल बिछलो होलो छै, ऊ ई बताय छै कि प्राचीन अंग महाजनपद मे तंत्रा-मंत्रा के प्रचार चरम पर छेलै। कथा मे नतुेला धोबिन आरो गलंत्राी घाट के टुण्डी राकसिन प्राचीन अंग प्रदेश के धार्मिक जीवन पर अच्छा प्रकाश डालै छै।

इतिहासकार ज्योतिष चंद्र शर्मा ने अपनो पुस्तक मे एकरो उल्लेख करले छै कि चम्पा के के एक स्थान पर अघोरी सिनी के जमघट लगलो रहै छेलै जे तांत्रिाक विद्या मे निपुण होय छेलै। अघोरी विद्या मे निपुण खाली पुरुषे नै होय छेलै, स्त्रिायो होय छेलै। नेतुला धोबिन आरो टुण्डी राकसिन के वहीं रूपो से देखना ठीक होतै, एकरो अतिरिक्त प्राचीन अंगप्रदेश बड़ो-बड़ो नदी, जंगल, पहाड़ से घिरलो होला के कारणे ई नाना किस्म के जीव-जन्तुओ से भरलो होलो छलै। अंगिका के अधिकांश लोकगाथा में बाघ के उपस्थिति अवश्य मिलै छै। बिहुला लोकगाथा मे बाघ के ते नै, मतर ई लोकगाथा से एकरो ते पता अवश्य लगै छै कि एकरो जंगल विषधरो से भरलो होतै आरो एकरो नद्दी सिनी मे घडियाल-मगरमच्छ के पैवो आम बात होतै।

ई लोकगाथा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जे एक कोमल संदेश दै छै ओकरो पर विचारना बहुत जरूरी छै। लोकगाथा के ई संदेश छेके कि, जंगल आरो जल मे रहेवाला जीव-जंतु मानव लेली हमेशे अहितकर ही होय छै, हेनो बात नै छै, ऊ मानव वास्ते हितकारी भी होय छै, ऊ भी मानवीय गुणो से

संपन्न होय छै। जबे नाग के डॅसै ले भेजलो जाय छै ते लखेन्द्र के सुंदर रूप देखी के डॅसै से इनकार करे लागै छै।

हेनै के कागा सैनी घाट पर कागा पहिले ते आक्रमक दिखै छै मतर वही कागा–सरदार बिहुला के समझैला पर ओकरो संदेश पहुंचाय ले ओकरो नेहर उजानी नगर पहुंची जाय छै। ई किसिम से हम्मे देखे पारौं कि बिहुला लोकगाथा खाली विचित्रा–विचिय घटना सिनी के कथाहै भर नै छेके, बलुक अपनो कथा के भीतर अंगप्रदेश के सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि, आरो एकरो पर्यावरण तक के समेटले होलो छै आरो ई पर्यावरण साथे स्त्राी–समाज के प्रति संवेदनशील होय के एक महान संदेश भी।

उपसंहार

'बिहुला–विषहरी' अंगिका लोकगाथा मुख्य रूपों से शिवपुत्राी विषहरी सिनी के शिवभक्त चाँदो सौदागर से पूजा पावै आरो सौदागर द्वारा ओकरों उपेक्षा साथे–साथ विषहरी के प्रतिशोध पर आधारित कथा छेके, जैमें बिहुला के बीहे राती विधवा होना आरो देवता के खुश करी अपनों पति के पुनर्जीवन के वरदान प्राप्त करै के विस्तृत कथा वर्णित छै।

ई लोकगाथा सें प्राचीन अंग महाजनपद रों धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक स्थितियों पर प्रकाश पड़ै छै।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. चंद्रप्रकाश जगप्रिय (अंगप्रदेश की लोककला : मंजूषा/पृ. 12/निराली दुनिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली)
2. डॉ. अमरेन्द्र (अंगिका लोकसाहित्य और मंजूषा कला/पृ. 102/समीक्षा प्रकाशन)
3. सत्यनारायण मंडल (अंग लोक साहित्य एक झलक/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर, पृ. 102)
4. रंजन (अंगिकालोक साहित्य/पृ.66/शब्दसृष्टि, दिल्ली)
5. ज्योतिषचंद्र शर्मा (प्राचीन चम्पा/पृ.33–47/भारती प्रकाशन, वाराणसी)

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों का विश्व समुदाय पर बढ़ता प्रभाव एक संक्षिप्त विवेचन

डॉ नीलम सिंह
(असिस्टेंट प्राफेसर)
श्रीमती बी.डी. जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज आगरा
****नितेश कुमार सिंह***
(पीएचडी स्कॉलर)श्रीमती बी.डी. जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज आगरा
इतिहास विभाग श्रीमती बी. डी. जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज आगरा

भारतीय धर्म एवं संस्कृति न केवल भारतीय संदर्भ में अपितु समस्त विश्व हेतु मार्गदर्शन एवं विश्व कल्याण का संवाहक है। लोकतंत्रा, मानवतावाद, विश्व कल्याण, परोपकार, पर्यावरण और जैव सुरक्षा जैसे वर्तमान मुद्दे जो अब वैश्विक मुद्दे बन चुके हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति में यह पुरातन काल से विद्यमान रहे हैं। पूर्व वैदिक काल से ही राजा और मुखिया का चयन लोकतांत्रिाक तरीके से होता आ रहा था, महिलाओं को सभा समिति विदथ और गण जैसे सभी महत्वपूर्ण समितियां में भाग लेने और उसमें अपने विचारों को रखना का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। आगे भी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्रा, पावा के मल्ल गणतंत्रा, कुरु गणतंत्रा, और हिमालय की तलहटी तथा पशिचम भारत में भी अनेक गणतंत्राो की विद्यमानता रही है। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 107/108 में भारत में गणराज्यों (जिन्हें गण कहा जाता है) की विशेषताओं के बारे में विस्तृत वर्णन है। वहीं अगर हम मानवतावाद की बात करें तो प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्। जहां प्रमुखता से समस्त प्राणियों के उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण की बात की गई है। इस प्रकार जिस समय वर्तमान समय में भी समस्त देश सीमा विवाद और युद्ध में उलझे हुए हैं ताजा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध एवं इजराइल फिलिस्तीन विवाद है, भारतीय धर्म एवं संस्कृति चिरंतन काल से समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारण ाा की निरंतर पुष्टि एवं संवाहक रही है, जहां समस्त विश्व को एक परिवार के समान मानकर समस्त प्राणियों के कल्याण एवं उन्नति की बात की गई है। परोपकार की भावना को पोस्ट करती हमारे

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

भारतीय संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याण हेतु स्वयं के जीवन को भी आत्मोत्सर्ग करने की बात करती है इसका उदाहरण हमें इस श्लोक में दिखाई पड़ता हैः

परोपकृति कैवल्ये तोलयित्वा जनार्दनः।
गुर्वीमुपकृतिं मत्वा ह्यवतारान् दशाग्रहीत्।।

अर्थात विष्णु भगवान ने परोपकार और मोक्षपद दोनों को तोलकर देखे, तो उपकार का पल्ला अधिक झुका हुआ दिखाः इसलिए परोपकारार्थ उन्हों ने दस अवतार लिये।

आज जब समस्त विश्व हिंसा, द्वेष, पर्यावरण संकट, आर्थिक असमानता, वंचना जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, जो की समस्त मानव जाति के विनाश का कारण बन सकती है, ऐसे में भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत इन्हें उचित रास्ता दिखाकर समस्त विश्व को कल्याणमय शांतिमय एवं सुखमय बनाने का मार्ग दिखा सकती है। अभी हाल ही में संपन्न हुए G-20 सम्मेलन का भी मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था जिसमें समस्त विश्व के कल्याण एवं उन्नति की बात की गई तथा समस्त स्तर पर हिंसा के सभी प्रकारों को समाप्त करने के लिए एकजुटता की बात की गई यह भारतीय संस्कृति के प्रभाव से पूरी तरह प्रभावित थी। इसी विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए भारत के प्रयासों से इस बार जी–20 सम्मेलन में अफीकी यूनियन को भी शामिल किया गया जो इसके थीम के अनुरूप समस्त विश्व को साथ लेकर चलने की संकल्पना स्पष्ट रूप से दिखाती है। इसी प्रकार तुर्की में विनाशकारी भूकंप से हुए जान माल की हानि के पश्चात ऑपरेशन दोस्त द्वारा भारतीय सेवा एवं बचाव कर्मियों द्वारा चिकित्सा, बचाव कार्य, दवाएं जरूरी सामान मुहैया कराने का कार्य किया गया। जबकि तुर्की द्वारा अगर हालिया रवैये को देखें तो कई मुद्दों पर भारत से उसके मतभेद खुलकर सामने आए हैं किंतु यह भारतीय संस्कृति का ही प्रभाव है कि मानवीय सहायता हेतु समस्त मतभेदों को बुलाकर भारत ने हर प्रकार से तुर्की को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। कोविद महामारी के समय जब समस्त विश्व इस भयावह परिस्थिति से जूझ रहा था और विकसित देश कोविद–19 वैक्सीन का उत्पादन कर उसे केवल अपने देश हित में इस प्रयोग करना चाहते थे, जिससे वैक्सीन राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था। इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए और समस्त विश्व को इस भयावह महामारी से बचने के लिए भारत अग्रणी रूप से सामने आया भारत की दो प्रमुख वैक्सीन कंपनियां निजी क्षेत्रा की प्रमुख वैक्सीन कंपनी सिरम इंस्टीट्यूट और भारतीय सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनी भारत बायोटेक ने क्रमशः कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसे उत्कृष्ट टिकों का निर्माण कर न केवल भारत को इस महामारी से बचने का कार्य किया अपितु समस्त विश्व को मुफ्त में वैक्सीन वितरण कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया इसे विभिन्न स्ट्रैटेजिक लचतकों द्वारा वैक्सीन कूटनीति का नाम दिया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत ने कोविद के समय व्यक्तिगत संपर्कों से दूर रहते हुए अपने से

बड़ों के प्रति सम्मान और प्रेम बनाए रखने के लिए नमस्ते और नमस्कार की अभिवादन प्रणाली जो कि भारत में चिरकाल से प्रचलित है, उसे विश्व को अपनाने की सलाह दी अभिवादन के रूप में इसे नमस्ते कूटनीति का नाम दिया गया। नमस्ते भारतीय दर्शन का एक आदर्श रूप है, जिसका उपयोग जब किसी एक व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए किया जाता है तो इसका अर्थ है 'मैं आपको नमन करता हूं', और नमस्कार, जिसका उपयोग जब कई लोगों को संबोधित करने के लिए किया जाता है, तो यह झुकने या श्रद्धा का कार्य है।

मार्च की शुरुआत से, कई वैश्विक नेताओं ने हाथ मिलाना छोड़कर नमस्ते करने के अपने फैसले के बारे में बात की है। ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक, हर कोई नमस्ते कहकर अभिवादन कर रहा है। "अभिवादन का भारतीय तरीका – नमस्ते जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है, इसका गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ है। आध्यात्मिक रूप से, 'नमः' सभी अहंकारों को दूर कर देता है और व्यक्ति दूसरों के भीतर के निर्माता ईश्वर के सामने झुक जाता है," अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ डॉ. भारती छिब्बर कहती हैं। "वैज्ञानिक रूप से, 'नमस्कार' में, जो अंजलि मुद्रा है, हथेलियों और उंगलियों में विभिन्न दबाव बिंदुओं को दबाया जाता है जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में उपचार शक्ति के रूप में कार्य करता है।" चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भी भारत ने कोविड के समय चिकित्सा सेवाएं और वैक्सीन उपलब्ध कराने हेतु मदद का आवाहन किया यद्यपि पाकिस्तान ने अपनी हठधर्मिता के चलते किसी प्रकार की सहायता लेने से इनकार कर दिया किंतु भारत ने इस संदर्भ में मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च रखते हुए हर प्रकार की सहायता का प्रस्ताव उसके सामने रखा था। आपदा से बचाव एवं पुननिर्माण विकास हेतु भी भारत विश्व के सामने सदैव प्रयासरत रहा है, यह भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य ही है जो भारतीय विदेश नीति में कूटनीति के बजाय मानवीय मूल्य, नैतिक दृष्टिकोण और सद्भाव और सहिष्णुता के चलते कई देशों को भारत आपदा के समय पुननिर्माण एवं विकास के लिए तथा स्वास्थ्य और खाद्य समस्याओं से निपटने हेतु, विभिन्न प्रकार की सहायताएं उपलब्ध कराता है, इसमें अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स और प्रमुख ओकी देश माली, ट्यूनीशिया, मॉरीशस, केन्या, नाइजीरिया, गांबिया, पापुआ न्यू गिनी इत्यादि देशों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। भारत एशिया अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देश जो कि विकास के क्रम में पीछे हैं अथवा विकासशील हैं, भारत अपने दृढ़ सांस्कृतिक मूल्यों और सॉफ्ट पावर नीति के तहत इन देशों में निरंतर अवसंरचना एवं पुननिर्माण विकास कार्य विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य एवं खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं शांति सैनिकों के रूप में राष्ट्र की स्थिरता और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु हर प्रकार की सहायता दे रहा है, जिसे वैश्विक स्तर पर निरंतर सराहना मिल रही है और इससे भारत का कद भी

विश्व के प्रमुख देशों के बीच अग्रणी रूप से बढ़ रहा है। पर्यावरणीय संकट को देखते हुए वर्तमान में भारत ने पेरिस संकल्प के अनुरूप मजबूत प्रतिबद्धता का परिचय दिया है जिसमें सोलर अलायंस, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य अपनी घरेलू ऊर्जा मांगों को अधिकतम रूप से नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का प्रयास पर्यावरण सुरक्षा हेतु वन क्षेत्रा बढ़ाने एवं कार्बन कैप्चर जैसी सुविधाओं के विकास हेतु भारत पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रहा है जो की ना केवल अल्प विकसित और विकासशील देशों हेतु बल्कि विकसित देश हेतु भी एक बेहतरीन नजीर को प्रस्तुत कर रहा है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द एनजह्न एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसडीएस) में पढ़े गए एक संदेश में उन्होंने कहा कि भारत अपनी बिजली की मांग के एक बड़े हिस्से को नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का प्रयास करता। उन्होंने कहा कि देश नवीनतम प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से विविध शहरी चुनौतियों, विशेष रूप से प्रदूषण और स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहा है।

“पृथ्वी को माता के रूप में महिमामंडित करते हुए, हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं, ‘पृथ्वी हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर, पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयासों में भारत का अग्रणी रहना स्वाभाविक है। “हमारा दृढ़ विश्वास है कि विकास और प्रकृति साथ-साथ चल सकते हैं। सतत विकास को रोजमर्रा की लजदगी का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से, हमने मिशन लाइफ़ लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण के लिए जीवनशैली अपनाना है। पर्यावरण आज यह न केवल एक वैश्विक मुद्दा है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी भी है।” विभिन्न देशों में शांति प्रयास की स्थापना के लिए भी भारत समय-समय पर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दिखाया है। भारत की प्रतिबद्धताओं को देखते हुए हैं अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रमुख जीन-पियरे लैक्रॉस ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सैन्य और पुलिस योगदान देने वाले प्रमुख देशों में से भारत ने शांति स्थापना अभियानों में सुधार के लिए लगातार सहयोग और समर्थन किया है। शांति स्थापना में हम भारत को एक प्रमुख भागीदार मानते हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हम इस मुद्दे पर तो पूर्ण रूप से भारत पर भरोसा करते हैं। भारत ने हमेशा में शांति स्थापना के लिए सभी पहलों का लगातार समर्थन किया है। लैक्रॉस ने कहा कि भारत के पास कई क्षमताएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के साथ सहयोग के लिए अवसर प्रदान करती हैं। लैक्रॉस ने भारत के साथ प्रौद्योगिकी पर भारत के साथ सहयोग करने पर अत्यधिक जोर दिया। उन्होंने कहा, हम शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका और संख्या बढ़ाने के मामले में भी भारत से मदद की उम्मीद करते हैं। ऐसे कई क्षेत्रा हैं, जिसमें भारत की भूमिका और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत की तारीफ करते हुए लैक्रॉस शांति सैनिकों के खिलाफ़ अपराधों के लिए जवाबदेही पर भारत अग्रणी रहा है। हम इसके लिए भारत के आभारी हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति

का ही प्रभाव है कि वर्तमान में किसी भी वैश्विक विवादों की स्थिति में भारत को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में एक सहयोगी और एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। आज जब समस्त विश्व हिंसा, द्वेष, अलगाववाद, पारिवारिक विखंडन, नैतिक मूल्यों के पतन से जूझ रही है ऐसे अवसर में भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य और नैतिकता इन्हें नई राह दिखा सकते हैं। क्योंकि भारत भूमि से उपजे समस्त धर्मों चाहे वह जैन, बुद्ध, सिख या सनातन धर्म हो सभी धर्म में परोपकार सहिष्णुता प्रेम दया करुणा अहिंसा जैसे नैतिक मूल्य इसके अंत:करण में विद्यमान है। श्रीमद् भगवद् गीता में भी इसी प्रकार का संदेश दिखाई पड़ता है। गीता के अध्याय 16 और श्लोक संख्या दो में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि,

अ हिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्।। 16.2।।

अर्थात अहिंसा, सत्यभाषणऋ क्रोध न करनाऋ संसार की कामना का त्यागऋ अन्त:करण में राग–द्वेष जनित हलचलका न होनाऋ चुगली न करनाऋ प्राणियों पर दया करना सांसारिक विषयों में न ललचानाऋ अन्त:करण की कोमलताऋ अकर्तव्य करने में लज्जाऋ चपलता का अभाव।

इस प्रकार स्वस्थ एवं तनाव से मुक्त जीवन शैली की तरफ आज वैश्विक रुझान हुआ है, तो इसके पीछे योग और आयुर्वेद का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि भारत के योग प्रणाली का प्रचलन बहुत पूर्व ही विदेशों में हो चुका था किंतु इसे वैश्विक पटेल पर लाने का कार्य स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी जैसे महान आत्माओं का रहा। कालांतर में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में 11 दिसंबर 2014 को प्रतिवर्ष 21 जून को वैश्विक योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को वैश्विक योग दिवस मनाया जाता है। इससे समस्त विश्व को स्वस्थ एवं तनाव मुक्त जीवन शैली जीने के लिए निरंतर प्रेरणा मिल रही है। आश्चर्य की बात यह है, की प्रमुख इस्लामी देशों में भी योग का प्रचलन लोकप्रिय होता जा रहा है इसे समस्त विश्व किसी धार्मिक नजरिए से देखना छोड़कर स्वस्थ एवं तनाव मुक्त जीवन शैली का अचूक अस्त्रा मान रहा है। भारतीय विज्ञान की तुलना पश्चिमी प्रथाओं से करते हुए, प्रो फैसर हैंकी कहते हैं कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पतंजलि योग सूत्रा पाद के अंत में वर्णित ऋतम् भार प्रज्ञा की यौगिक अवस्था से अनुभूति की अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, सांख्य और योग पर विचार किया जाता है, ज्ञान और शिक्षण की संरचना में अनुभवजन्य स्फलता की प्रतिक्रिया बहुत अधिक प्रमाण में है, नाट्य शास्त्रा जैसी कलाओं में भी, चित्राकारी या मूर्तिकला, नाम मात्रा कुछ।"

योग और आयुर्वेद भारत की सॉफ्ट पावर के दो सबसे बड़े स्रोत हैं... सेंटर फॉर सॉफ्ट पावर 25 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए 26 से अधिक देशों को एक साथ ला रहा है।

प्रोफ़ेसर हैंकी का कहना है कि भारतीय विज्ञान आधुनिक समस्याओं का समाधान कर सकता है क्योंकि ह्वे स्थूल भौतिक स्तर, स्थूल और अधिक सूक्ष्म, सूक्ष्म, स्तर (स्तरों) के बीच अंतर को पहचानते हैं। पश्चिमी विज्ञान को उत्तरार्द्ध के अस्तित्व के बारे में लगभग कोई जानकारी नहह्ल है, और जब उनके अस्तित्व का संकेत देने वाला डेटा सामने आता है तो वे इसके सबूतों से इनकार करते हैं। सूक्ष्म स्तरों की शक्ति प्राचीन भारतीय विज्ञान में बताए गए सभी महान परिणामों की व्याख्या कर सकती है। प्रोफ़ेसर हैंकी का कहना है कि उन्होंने एक प्रामाणिक और शक्तिशाली सिद्धांत विकसित किया है कि सूक्ष्मता भौतिक दुनिया में कैसे फिट बैठती है। स्पष्ट है कि आज भारतीय धर्म और संस्कृति हिंसा और तनाव ग्रस्त इस वैश्विक समाज को शांति सद्भाव और सहिष्णुता की राह दिखा सकती है और यही कारण है कि निरंतर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विश्व के हर कोने में सम्मान मिल रहा है और और इसके प्रति स्वीकार्यता का भाव बढ़ रहा है। इस संदर्भ में इस्कॉन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है जो की समस्त विश्व में कृष्ण भक्ति और भारतीय संस्कृति को बड़े पैमाने पर फैला रहा है और आश्चर्यजनक रूप से इसके प्रति लोगों में सम्मान और अनुराग का भाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है।भारतीय धर्म और उसके धर्म ग्रंथो में विदेशियों की की रुचि निरंतर बढ़ रही है। आज भी वृंदावन मथुरा में हजारों विदेशों अपना देश छोड़कर यहां वश गये हैं भक्ति में लीन होने में अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। भारत सामासिक संस्कृति का पोषक है। यह गंगा-जमुनी तहजीब की भूमि है। यह देवों की भूमि है। यह संस्कारों की भूमि है। यह परोपकारियों की भूमि है। यह गुरू-शिष्य की भूमि है। यह मानवता की पवित्रा भूमि है, जिसे विभिन्न देशों ने स्वीकारा है। भारतीयों ने इसे विश्व के सामने साबित किया है। विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और भारतीयों तथा हिन्दू धर्म की अच्छाइयों से विश्व को परिचित कराया। योग विश्वभर में प्रचलित हो चुका है, जो भारतीय ऋषि पतंजलि की देन है। आज हरेक साल 21 जून को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस के रुप में मनाते हैं।

भारतीय संस्कृति अब वैश्विक संस्कृति बन रही है। अमेरिका के संसद भवन 'व्हाइट हाउस' सहित कई देशों में दिवाली मनाना जाने लगा है। दिवाली को अमेरिका में पब्लिक हॉली डे के रुप में मान्यता देने की पहल की जा रही है। अमेरिका में ही जॉल्र्जया प्रांत ने अक्टूबर माह को हिंदू माह घोषित किया है। इतना ही नहीं, भारत में विभिन्न धार्मिक त्योहार छठ, होली, दिवाली, दुर्गापूजा, कृष्णाष्टमी समेत अन्य त्योहारों की विश्व भर में प्रसद्धि हासिल करने लगा है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. ऋग्वेद गीता प्रेस प्रकाशन गोरखपुर
2. सामवेद गीता प्रेस प्रकाशन गोरखपुर
3. महाभारत गीता प्रेस प्रकाशन गोरखपुर
4. श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस प्रकाशन गोरखपुर
5. भारत का प्रागितिहास और आद्य इतिहास – वीके जैन द्वारा एक मूल्यांकन प्रकाशन डीके प्रिंट वर्ल्ड लिमिटेड
6. आरसी मजूमदार द्वारा प्राचीन भारत जेनेरिक प्रकाशन
7. एएल बाशम द्वारा द वंडर दैट वाज़ इंडिया शिवपाल अग्रवाल एंड कंपनी आगरा
8. Pib.nic.in
9. Mea.nic.in
10. A CULTURAL HISTORY OF INDIA (OIP) edited by A.L.Basham Oxford University Publication
11. The religion of the Hindus Book by Kenneth W. Morgan Motilal Banarsidass Publishing House (MLBD)
12. The India Way: Strategies for an Uncertain World' by S. Jaishankar
13. The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy' edited by David M. Malone, C. Raja Mohan, and Srinath Raghavan
14. 'Pax Indica: India and the World of the 21st Century' by Shashi Tharoor

महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुवाद दृष्टि के विविध पक्ष

सदरे आलम
पीएच. डी. शोधार्थी
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुवाद साहित्य का विस्तार देखने से यह प्रकट होता है कि वे गुलाम भारत में अंग्रेजी राज के शोषण के खिलाफ विशेषत: किसानों एवं खेतिहरों की समस्याओं को लेकर निरंतर गुहार लगाते रहे। उन्होंने अंग्रेजों की शोषणवादी आर्थिक नीतियों का सदैव विरोध किया। समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की चिन्ता उन्होंने की।

स्त्राी शिक्षा, बाल विवाह एवं स्त्राी अधिकार विषयों पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनूदित रचनाएँ उनके अनुवाद दृष्टि के विविध पक्षों को दर्शाती हैं। उनके द्वारा अनूदित *सम्पत्तिशास्त्रा* जैसी रचना उनकी विश्लेषक बुद्धि एवं जन–जागरण के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हिन्दी में अर्थशास्त्रा की विवेचना करनेवाली सम्भवत: यह पहली पुस्तक है।

महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते थे कि सुदृढ़ आर्थिक आधार ही समाज को गति देता है। इस दृष्टि को उन्होंने अपने लेखों एवं अनूदित रचनाओं तथा अन्य अनुवादकों से भी लिखवा कर दृढ़ता से प्रतिपादित किया। समाज विज्ञान की उभरती विधाओं जैसे अर्थशास्त्रा, समाजशास्त्रा और राजनीति विज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञान से जुड़े तमाम विषयों पर उन्होंने मौलिक लेखन एवं अनुवाद लेखन किया।

महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय भारतीय जीवन एवं समाज में हो रहे व्यापक परिवर्तनों का दौर था। उस दौर में अंग्रेजों के दमनकारी नीति के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा के बढ़ते वर्चस्व का भी उन्होंने विरोध किया। उनके अनुवाद कार्य एवं अनुवाद साहित्य में उस विरोध के स्वर को देखा जा सकता है। उनके अनुवाद दृष्टि में सामाजिक संस्कार तथा साहित्यिक संस्कार को भी देखा जा सकता है।

भाषा किसी भी देश का गौरव होती है। भाषा की गुलामी मनुष्य को गूँगा बना देती है। निज भाषा की वकालत करके अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व को *सरस्वती* पत्रिाका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली आन्दोलन चलाकर खत्म करने का प्रयास किया।

उपन्यास विधा के दृष्टिगत बांग्ला परम्परा से प्रभावित कई उपन्यासों को अनुवाद करके *सरस्वती* पत्रिाका में उन्होंने प्रकाशित कराया। समालोचना का विकास करते हुए व्यक्ति पूजा से मोह तोड़कर कृति केन्द्रित करने का पूरा श्रेय उनको जाता है।

हिन्दी भाषा में साहित्य के अलावा दूसरे जरूरी विषयों को समावेशित करने एवं उसे मूल रूप से स्थापित करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही किया। सम्प्रति, हिन्दी साहित्य में सबसे बड़ी चुनौती साहित्यकार को साहित्येतर विषयों की प्रस्तुति की है, जिसका रास्ता वर्षों पहले *सरस्वती* पत्रिाका के अंकों में अनूदित रचनाओं को प्रकाशित कराके उन्होंने दिखाया था।

कई पाश्चात्य विचारकों एवं संस्कृत के आचार्यों के काव्य ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। उन्होंने मुख्य रूप से अंग्रेजी और संस्कृत रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद किया। वस्तुतः अनुवादक के रूप में उनको पर्याप्त सफलता मिली।

दो समाजों के बीच के सांस्कृतिक अंतर के परिप्रेक्ष्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शब्दशः अनुवाद को अस्वीकार करते हुए भावानुवाद का पक्ष लिया। उनका मानना था कि अनुवाद ऐसा होना चाहिए जो अपनी संस्कृति में खप जाए, जिसे सामान्य जनता आसानी से समझ सकें।

अंग्रेजी विचारक फ्रांसिस बेकन, जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेन्सर के विचारों का महावीर प्रसाद द्विवेदी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने केवल अनुकूल पाश्चात्य विचारों को ही ग्रहण किया। भारतीय संदर्भ में जो विचार उन्हें अप्रासंगिक लगा, उनको त्यागने में कोताही नहीं दिखाई।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद साहित्य के माध्यम से हिन्दी भाषी समाज को नए विमर्शों की ओर उन्मुख किया। धन निकासी सिद्धांत, फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों की समस्या, सहकारी व्यवस्था, औद्योगिकीकरण, आदर्श शिक्षा व्यवस्था आदि ऐसे मुद्दे थे जिन पर सैद्धांतिक रूप से तब तक हिन्दी के क्षेत्रा में कोई बहस की शुरुआत नहीं हुई थी। उनके द्वारा किया गया यह काम तत्कालीन समाज के लिए वरदान साबित हुआ।

स्वाधीनता पुस्तक के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की स्वतंत्राता पर सैद्धांतिक बहस छेड़ी। उन्होंने बहुत संयम तथा गम्भीरता के साथ *स्वाधीनता* पुस्तक में वर्णित विभिन्न अवयवों की परत-दर-परत विवेचना की। *स्वाधीनता* पुस्तक के अनुवाद के क्रम में राष्ट्र की स्वतंत्राता को व्यक्ति की स्वतंत्राता से जोड़ कर उनके द्वारा देखा गया।

जॉन स्टुअर्ट मिल का अनुसरण करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्यक्ति की स्वतंत्राता को सामाजिक स्वतंत्राता से व्याख्यायित किया। उनका मानना था कि समाज का भी व्यक्ति के प्रति कुछ कर्त्तव्य है। यदि समाज ही जड़ हो जाए तो व्यक्ति और समाज के मध्य का सम्बन्ध भी जड़ हो जाएगा।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन भारत की चित्रा-कला, स्थापत्य-कला, काव्य-शक्ति, चिकित्सकीय योग्यता, युद्ध में प्रवीनता, व्यापार-वाणिज्य की उन्नत दशा और वैज्ञानिक प्रगति का आख्यान प्रस्तुत किया। इन अनूदित लेखों में भारत के प्राचीन गौरव का बखान है। उन्होंने प्राचीन भारत की गौरवमयी परम्परा को भी हिन्दी पाठकों के सम्मुख रखा। उन्होंने प्राचीन संस्कृत की गौरवमयी परम्परा से लगभग बीस पुस्तकों को हिन्दी में अनूदित कर प्रस्तुत किया।

तत्कालीन यूरोपीय समाज पर फ्रांसिस बेकन, जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेन्सर के विचारों, दर्शनों एवं सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था। फ्रांसिस बेकन को कुछ विचारक विद्वान आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता मानते थे। उन्होंने दर्शन को धार्मिक मतवादों के चंगुल से निकालकर तार्किक अर्थवत्ता प्रदान की।

जॉन स्टुअर्ट मिल के 'उपयोगितावादी' सिद्धान्त का पाश्चात्य जीवन शैली पर जोरदार असर पड़ा था। हर्बर्ट स्पेन्सर के शिक्षा व्यवस्था और सभ्यता के विकास से सम्बन्धित विचारों को भी यूरोपीय समाज ने अमूल्य समझकर अपनाया।

भारतीय जनता को आधुनिक बोधवान बनाने के लिए समुचित शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता थी। किन्तु उस समय विद्यालयों का एक प्रकार से अकाल ही था। बंगाल और महाराष्ट्र की तत्कालीन विद्यालयीय व्यवस्था संतोषप्रद था, किन्तु संयुक्त प्रांत जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्राों में तो विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी। इनमें पाठ्य-पुस्तकों का स्तर और अध्यापकों द्वारा अध्यापन का तरीका बिल्कुल निम्न स्तरीय ही थे।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से हर्बर्ट स्पेन्सर की शिक्षाशास्त्रा की प्रसिद्ध पुस्तक Education (एजुकेशन) का हिन्दी अनुवाद *शिक्षा* शीर्षक से किया। इस पुस्तक में बच्चों को शिक्षित करने के तरीके को विस्तार से समझाया गया है। अभिभावकों के कर्त्तव्य और उपयोगी शिक्षा की विषय-वस्तु की भी चर्चा है। क्या पढ़ाया जाए? कैसे पढ़ाया जाए? इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपने अनुवाद कर्म के माध्यम से दिया है।

अशिक्षा के कलंक को दूर करने के लिए पत्राकारिता के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आन्दोलन किया। शिक्षा से सम्बन्धित कई सरकारी रिपोर्टों को हिन्दी में अनूदित कर हिन्दी जनता के सामने उन्होंने रखा। शिक्षा की दुरावस्था को लेकर सरकार की आलोचना की।

शिक्षण-विधि, पाठ्य-पुस्तकों के प्रारूप और कौन से विषयों की आज के समय में अधिक जरूरत है, को स्पष्ट करने हेतु हर्बर्ट स्पेन्सर के Education नामक पुस्तक को *शिक्षा* शीर्षक से हिन्दी अनुवाद युगीन आवश्यकता साबित हुई। इस पुस्तक के अनुवाद से हिन्दी में शिक्षाशास्त्रा की पुस्तक

नहीं होने की कमी भी पूर्ण हो गई।

भारतीय जनता को आधुनिक बनाने के क्रम में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने फ्रांसिस बेकन के एक निबंध का 'विद्याध्ययन' शीर्षक से हिन्दी अनुवाद किया। जिसमें ज्ञान और मनुष्य के विकास के आपसी सम्बन्ध को दर्शाया गया।

उन्होंने लिखा कि "इतिहास पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान होता हैऋ काव्य पढ़ने से बातचीत करने में प्रवीनता आती हैऋ गणित पढ़ने से बुद्धि तीक्ष्ण होती हैऋ पदार्थ विज्ञान पढ़ने से विचारशक्ति गहन होती हैऋ नीतिशास्त्रा पढ़ने से गम्भीरता आती हैऋ तर्क तथा साहित्य के अध्ययन से वाद-प्रतिवाद करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है।"

हिन्दी के पिछड़े समाज में ज्ञान-पिपासा उत्पन करने और उसे ज्ञानवान बनाने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद कर्म का मार्ग अपनाया। उनके द्वारा हिन्दी में अनूदित *शिक्षा* शीर्षक पुस्तक के माध्यम से हिन्दी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण प्रक्रिया को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए शास्त्राीय रूप से विमर्श का आरम्भ हुआ।

बच्चों को दी जाने वाली आदर्श शिक्षा का स्वरूप, तरीका, शिक्षा का क्रम, शिक्षा की उपयोगिता, शिक्षा व्यवस्था में दोष और उसके निवारण आदि मुद्दों पर इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा की गई है।

भारतीय जनता को आधुनिक-बोधवान बनाने के लिए समुचित शिक्षा की आवश्यकता थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने Education नामक पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद शिक्षा शीर्षक से करके इस कमी को दूर किया। समाज में आधुनिक चेतना का प्रसार हेतु स्वतंत्रा रूप से तो अनुवाद उन्होंने किया ही, *सरस्वती* पत्रिाका का उपयोग भी उन्होंने खूब किया। उनका सार्वजनिक जीवन हमेशा सृजन की ध ार से भरा-पूरा रहा। लेकिन निजी और व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने काफी संघर्ष किया या यूँ कहें की संघर्ष के जरिए सृजन के रास्ते बनाए।

महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनूदित कृति *कुमारसम्भव* का प्रकाशन सन् 1917 में हुआ। सन् 1913 में प्रकाशित *रघुवंश* कृति की लोकप्रियता ने उनको *कुमारसम्भव* के हिन्दी अनुवाद की ओर प्रेरित किया। भूमिका में उन्होंने लिखा कि "हमारे हिन्दी *रघुवंश* की पहली आवृत्ति की कॉपियाँ बहुत शीघ्र निकल गईं। इससे सूचित हुआ कि ऐसी पुस्तकों की मांग हैं।"[2] उन्होंने भारवि के कृति का *किरातार्जुनीय* शीर्षक से हिन्दी अनुवाद किया। सन् 1916 में इस कृति के प्रकाशन से हिन्दी पाठकों को संस्कृत के इस महत्त्वपूर्ण महाकाव्य से परिचय हुआ।

वही दूसरी तरफ, सन् 1905 में अनूदित एवं सन् 1907 में प्रकाशित कृति *स्वाधीनता* में भारत में शिक्षा की अनिवार्यता के सम्बन्ध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पाठकों का ध्यान खींचा। उन्होंने समझाया

कि "दस पाँच किस्से, कहानियाँ, उपन्यास या काव्य आदि पढ़ने लायक पुस्तकों का होना साहित्य नहीं कहलाता और न कूड़े कचरे से भरी हुई पुस्तकों का ही नाम साहित्य है। इस अभाव का कारण हिन्दी पढ़ने लिखने में लोगों की अरुचि है।... आश्चर्य यह है कि अपनी इस अनभिज्ञता पर वे लज्जित भी नहीं होते। यदि ऐसे आदमियों में से दस पाँच भी अपने देश के साहित्य की तरफ ध्यान दें और उपयोगी विषयों पर पुस्तकें लिखें तो बहुत जल्द देशोन्नति का द्वार खुल जाए। क्योंकि शिक्षा के प्रचार के बिना उन्नति नहीं हो सकती।"[3]

अनूदित कृति *स्वाधीनता* इतनी लोकप्रिय हुई कि उसका दूसरा संस्करण सन् 1912 में और तीसरा संस्करण सन् 1921 में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित कराना पड़ा। उन्होंने कहा कि "दूसरों को हानि पहुचाएँ बिना अपने मन-माने काम करने और जी की बात खोलकर कह देने का महत्त्व अब प्राय: सभी शिक्षित जनों की समझ में आ गया है।"

ज्ञान के विस्तार में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान अहम है। लगभग पाँच हजार पृष्ठों से भी ज्यादा में फैले उनके विस्तृत ज्ञान-साहित्य का विस्तार देखने ही बनता है। उन्होंने आह्वान किया कि अन्य अनुशासनों के लोग भी ज्ञान-कांड के सहभागी बनें।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मार्च, 1923 में कानपुर में आयोजित तेरहवें हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्वागत समिति के सभापति के रूप में दिए गए वक्तव्य में कहा कि "विदेशी ज्ञान अरबी, फारसी, अँगरेजी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, जापानी आदि किसी भी भाषा में क्यों न पाया जाता हो, हमें नि:संकोच उसे ग्रहण कर लेना चाहिए।"

महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुवाद कर्म की सराहना करते हुए प्रेमचंद ने हंस में मई, 1933 के अंक में लेख प्रकाशित किया। प्रेमचंद ने स्पष्ट किया कि हिन्दी समाज को ज्ञानवान बनाने के लिए उन्होंने अनुवाद कर्म का मार्ग अपनाया।

हिन्दी साहित्य को 'ज्ञान-राशि का संचित कोश' बनाने में अनुवाद कर्म का विशेष योगदान रहा। इस उद्यम में सबसे आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। उनके द्वारा सम्पादित *सरस्वती* पत्रिाका में ज्ञान-विज्ञान जैसे विषयों की भरमार रहती थी। 'हिन्दी भाषा की उत्पत्ति', 'विज्ञान-वार्ता', 'लेखांजलि', 'प्राचीन-चिह्न', 'दृश्य-दर्शन', 'सु कवि-संकीर्तन', 'वैचित्रय-चित्राण', जैसे आलेख उसमें देखे जा सकते है।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिन्दगी से जुड़ी छोटी-बड़ी सभी जानकारियों को हिन्दी समाज से अवगत कराया। उन्होंने आधुनिक विचारों से भी परिचय कराया। उनके योगदान को स्वीकारते हुए सन् 1903 से सन् 1920 की अवधि को हिन्दी साहित्य में 'द्विवेदी-युग' की संज्ञा दी गई है। उन्होंने अनुवाद साहित्य

में वैज्ञानिक चेतना के संचार का विशेष कार्य किया। वैज्ञानिक सिद्धान्त एवं चेतना का प्रसार उन्होंने ऐसे समय में किया, जब वैज्ञानिक विचारधारा बहुत कम पढ़े-लिखें लोगों तक सीमित थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. यायावर, भारत (सम्पा.), *महावीर प्रसाद रचनावली,* खण्ड 10, पृ. 28
2. यायावर, भारत (सम्पा.), *महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली,* खण्ड 11, पृ. 257
3. यायावर, भारत (सम्पा.), *महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली,* खण्ड 10, पृ. 115
4. वही, पृ. 109
5. यायावर, भारत (सम्पा.), *महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली,* खण्ड 1, पृ. 76

सैयद फजल-उल-हसन हसरत मोहानी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

डॉ० मोहम्मद आदिल एवं मोहम्मद राहिल
असिस्टेंट प्रोफेसर
भावंश मेहता महाविद्यालय, भरवारी, कौशाम्बी

सैयद फजल-उल-हसन अपने उपनाम “हसरत” से प्रसिद्धि पायी। उन्नाव के कस्बा मोहान में उनका जन्म हुआ था। इसलिए वे अपने नाम के साथ हसरत मोहानी लगाते हैं। इतिहास के पन्नों में हसरत का उल्लेख एक शायर, पत्रकार, दरवेश, समाज सेवक और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े अग्रणी नेता के रूप में सदा स्वर्णिम अक्षरों से होता रहेगा मुल्क को इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक रहे, बाल गंगाधर के विचारों का समर्थन भी किया और तिलक की तरह पत्राकारिता करते हुए जेल भी गये, सर्व प्रथम हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी की माँग की, भारत विभाजन का उन्होंने विरोध किया था और बाद में पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे। निकाह जैसी फिल्म में उनके लिखे गाने को शामिल किया गया था। मौलाना हसरत मोहानी मिली-जुली संस्कृति के हिमायती थे। उन्होंने श्री कृष्ण पर कई शेर लिखे, उनमें से दो पंक्ति इस प्रकार है-

हसरत की भी कुबूल हो, मथुरा में हाजरी।
सुनतें हैं आशिकों पे, तुम्हारा करम है आज।।

हसरत को बासुँरी से बड़ा प्रेम था। हसरत मोहानी की बेगम के अनुसार मौलाना अपने छात्रा जीवन से ही राष्ट्रीय आंदोलन के साथ खास दिलचस्पी और हमदर्दी थी।[1] मौलाना शिक्षा के लिए अलीगढ़ पहुँचे तो उन्होंने एक बड़ा पानदान भी अपने साथ लिया था। छात्रों ने उन्हें देखा तो फौरन कहा आइये खाला जान कह कर उनका स्वागत किया। मौलाना को खाला जान के नाम से बहुत दिनों तक कालेज के लोग जानते रहे।[2] अपने कालेज के दिनों में मौलाना ने एक मुशायरा कराया। लोगों ने उनके इस काम को खूब सराहा लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौलाना की शोहरत को पसंद नहीं करते थे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने कालेज के प्रिंसिपल से जाकर शिकायत की कि मौलाना ने जो मुशायरा कराया था उसमें ऐसे शेर पढ़े गये जिनसे छात्रों का व्यवहार बिगड़ने का डर था। कालेज का अंग्रेज प्रिंसिपल यह शिकायत सुन कर आग बबूला हो गया। उसने मौलाना को बुलाकर कहा “तुमने ऐसा मुशायरा क्यों आयोजित कराया, जिससे छात्रों का व्यवहार बिगड़ने का खतरा हो।” मौलाना की

एक भी सफाई काम न आयी और उस समय मौलाना का कालेज में अंतिम वर्ष था। प्रिंसिपल ने उन्हें कालेज से निकाल दिया किंतु उन्हें परीक्षा देने से नहीं रोका गया।[3] इस आदेश के बाद मौलाना से छात्राावास खाली करा लिया गया। इसके बाद मौलाना अलीगढ़ शहर में मकान लेकर रहने लगे और वहीं से उर्दू–ए–मुअल्ला के नाम से रिसाला निकालना शुरू किया।

उर्दू–ए–मुअल्ला रिसाले के अतिरिक्त मौलाना ने तजकिरा–उस–शुअरा नाम से सहमाही रिसाला निकाला 1920 ई. में ये भी बंद हो गया।[4] उसके बाद अखबार मुस्तकबिल 1928 ई. में निकालना शुरू किया ये अखबार 1929 तक दैनिक रहा उसके बाद 1933 में ये अखबार साप्ताहिक हो गया। इस प्रकार मौलाना ने अपने जीवनकाल में तीन पर्चे निकाले किंतु उनमें उर्दू–ए–मुअल्ला बहुत लोकप्रिय हुआ।

मौलाना स्वतंत्राता के पुजारी थे। इसी लिए अंग्रेजी सरकार उन्हें अपना शत्राु मानती थी। मौलाना ने अपने रिसाले उर्दू–ए–मुअल्ला में “मिस्र में अंग्रेजों की राजनैतिक नीति” पर एक लेख प्रकाशित किया। उस लेख में अंग्रेजी नीतियों की कमियों को बताया गया था। अंग्रेजी सरकार ने उसी लेख को आधार बनाकर मौलाना पर मुकदमा कायम कर दिया। फैसले का दिन था, न्यायाधीश ने मौलाना से कहा आखिरी बार पूछता हूँ “बताओ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ये बागियाना मजमून किसने लिखा है? यदि तुम लिखने वाले का नाम बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मौलाना ने उत्तर दिया कि “मजमून मेरे रिसाले में प्रकाशित हुआ है। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं यह बात पहले भी कह चुका हूँ। अब फिर कहता हूँ और हमेशा यही कहूँगा।”[5] न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा “फजल–उल–हसन! यह बागियाना मजमून तुमने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपने रिसाले में लिखा। अदालत तुम्हे सरकार का बागी करार देती है। तुम पर बगावत का जुर्म साबित हो चुका है। तुम्हें दो साल कैद सख्त और पाँच सौ रूपये जुर्माने की सजा दी जाती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छः महीने की कैद और काटनी होगी।[6] कहा जाता है कि वो लेख जिस पर मौलाना को ये सजा हुई, उनका लिखा नहीं था बल्कि अलीगढ़ के एक छात्रा ने उसे लिखा था। उस लेख में मौलाना ने लेखक का नाम नहीं छापा था और स्वयं उस लेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले ली थी।

बी.ए. की डिग्री हासिल करने के साथ, दूसरे ही साल मई, 1904 ई. में वे बम्बई कांग्रेस में डेलीगेट की हैसियत से शामिल हुए और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन (1907 ई.) तक बराबर उसमें शामिल होते रहे। बम्बई, कलकत्ता, बनारस कांग्रेस के बारें में किताबी सूरत में उन्होंने उर्दू–ए–मुअल्ला में प्रकाशित किया।

ताप्ती नदी इस बात की साक्षी है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के बाद किस प्रकार कांग्रेस से जुड़े नेता दो विचारधारा में विभक्त हो गये। उस समय मौलाना भी बाल गंगाधर तिलक के खेमे के पैरोकार बने। तिलक की जेल से रिहाई के संबंध में हसरत लिखते हैं कि “अंग्रेजों ने उसके सामने ये

तजवीज पेश ही न की होगी और पेश भी करते तो क्या होता छः साल तो क्या अगर मिस्टर तिलक उम्र भर के लिए कैद हुए तब भी वे उन शर्तों पर रिहा होना कभी मंजूर न करते–

1. वे अपने सूबे में न जायें।
2. कोई ऐसा कार्य न करें जो कानूनी रूप से जुर्म साबित हो।
3. किसी भी किस्म के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न लें।[7] मौलाना जेल में कैदियों के बारे लिखते हैं कि "कालों के रहने के लिए बैरक है, जिनमें बराबर–बारबर मिट्टी के चबूतरे बने होते हैं। जाड़ा–गर्मी–बरसात हर मौसम में उन्हीं पर सोना पड़ता था। गर्मी के दिनों में कागज आदि का पंखा रखना कैदियों के लिए मना था। कैदियों के लिए रात को पाखाने का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं होता था। जिसके कारण कभी–कभी सख्त तकलीफ झेलनी पड़ती थी। सुबह को जब बैरक का दरवाजा खुलता है तो सब कैदी एक साथ पाखाने जाते हैं। जिसका नतीजा ये होता है कि कैदियों को आखिर तक मुंतजिर रहना पड़ता है और कभी–कभी जब घण्टी से काम लिया जाता है तो और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना होता था क्योंकि घण्टी दो या तीन मिनट से अधिक समय पाखाने में रहने की इजाजत नहीं देती, उसके बाद बाहर निकलना होता था। आम उससे कि कुल कैदी फारिग हुए हों या नही। पाखाने के बाद हाथ–मुँह धोने का कोई समय नहीं मिलता बल्कि अकसर वहाँ से सीधे काम पर भागना पड़ता है। इसके विपरीत गोरों को एक अलग कमरा मिलता है और उसमें एक गद्देदार पलंग, एक मेज एक स्टूल, एक लैम्प और हर कमरे के साथ एक गुस्लखाना और एक शौचालय मौजूद होता है। गुस्लखाने में तौलिया, साबुन जैसी सुविधाएँ मौजूद होती थीं। रात को लैम्प की रोशनी में और दिन को फुर्सत के समय गोरे कैदी किताबें और कभी–कभी अखबार बिना कोई तकल्लुफ देखते हैं। उनके लिखने को कलम–दवात हर वक्त मौजूद रहता है। हालांकि कालों के लिए किताब देखना तो दर किनार यदि उसके पास कागज के एक पुर्जे का भी शक हो तो कयामत आ जाये। एक बार मौलाना पर ऐसा ही शक हुआ तो उनकी तलाशी ली गई हांलाकि कुछ उनके पास से मिला नहीं। सबसे बड़ा तमाशा यह है कि हर यूरोपियन कैदी के कमरे पर दो हिंदुस्तानी कैदी रात भर पंखा हाकने का काम करते हैं। बारह बजे तक एक कैदी और बारह बजे के बाद से सुबह तक दूसरा कैदी पंखा खींचता था।"[8] कैदियों के भोजन के बारे में मौलाना लिखते हैं कि "कालों के लिए सुबह को आधा पाव चने बतौर नाश्ते में दिए जाने का हुक्म है लेकिन आमतौर पर कैदियों को छ्टांक–डेढ़–छटांक से ज्यादा चने नहीं मिलते। नाश्ते के बाद काम पर जाना होता है और वहाँ से 11 बजे भोजन के लिए कुछ देर की फुर्सत मिलती है। भोजन में ज्वार, बाजरा, माश और गेहूँ की कच्ची रोटियाँ होती हैं, जिसमें गेहूँ मिकदार से कुछ ही कम मिट्टी या चूना मिला होता है। जेल के सख्त मशक्कत से मिट्टी तो क्या कंकर और पत्थर भी हजम हो जाये वरना किसी स्वतंत्रा व्यक्ति का मैदा उस रोटी को कुबुल नहीं कर सकता। रोटियों को कच्चा रखने के पीछे की वजह यह है कि पहले तो पकाने के लिए पत्थर के कोयले इतने कम मिलते हैं कि कैदी बावरची को

कच्ची रोटी पकाने पर मजबूर होना पड़ता है। दूसरे यह कि कच्ची रोटी के भारी होने के कारण तय वजन की रोटियाँ कम आटे में तैयार हो जाती हैं।बचा हुआ आटा दूसरे लोगों के काम आता है। पकी हुई रोटी . . . . मालूम नहीं कि आटा जो बचता है वो कहाँ जाता है और किस काम में आता है क्योंकि गोदाम में रोजाना तय वजन के आटे का खर्च दिखाया जाता है। दोपहर में रोटी के साथ उबली हुई बे दली अरहर की दाल मिलती है और शाम को चौलाई का साग जिसकी अदना सिफत यह है कि जिसे पकने के बाद कौवे भी उसे नहीं सूंघते। विभिन्न प्रकार की तरकारी जो जेल में बोई जाती है या कभी-कभी कुछ मिलती है तो वो पकाने वालों पर खप जाती है। आम कैदियों को कभी उसकी सूरत भी देखने को मिलती। इसके विपरीत गोरों को नाश्ते के लिए डबल रोटी, चाय, शक्कर और खाने के लिए गाय का गोश्त तरकारी चावल, दूध आदि काफी मात्राा में मिलता है।"[9]

लखनऊ के मुस्लिम लीग के बाद मौलाना ने लीग के भी अधिवेशनों में भाग लेना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के आगरा अधिवेशन में कानपुर की मस्जिद के फैसले पर आगा खाँ ने लार्ड हार्डिंग के को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया तो अधिकांश लोगों ने उस पर अपनी सहमति दे दी थी, किंतु मौलाना हसरत और मौलवी अब्दुल वदूद बरेलवी ने उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और अंत तक अपनी राय पर कायम रहे। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत-ए-हाल जमहूर मुसलमानों की इस काबिल नहीं कि उस पर कोई प्रस्ताव पास किया जाये।[10]

जेल में मौलाना के साथ अंग्रेज अफसरों ने क्या-क्या अत्याचार किए। इसका उल्लेख उन्होंने उर्दू-ए-मुअल्ला में विस्तार से किया है। उर्दू-ए-मुअल्ला का पहला पर्चा जुलाई 1903 में निकाला। अंग्रेज किसी कैदी से चक्की पीसने का काम महीने में दस से पंद्रह दिन से अधिक नहीं लेते थे, लेकिन हसरत से उनके कैद के समय पूरे महीने चक्की पीसने का काम लेते थे। जेल में यहाँ तक कैदियों को हिदायत कर दिया कि मौलाना से कोई बात न करें और जो सुविधा अन्य हिंदुस्तानियों को मिलती थी मौलाना को उससे दूर रखा गया था। जेल की पोशाक के संबंध में मौलाना उर्दू-ए-मुअल्ला में लिखते हैं कि "काले कैदियों को एक लंगोट, एक जांघिया, एक कुर्ता, एक टाट, एक कंबल, एक टोपी के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जिसमें टाट कंबल लंबे समय के लिए और जांघिया, कुर्ता छः महीने के लिए लेकिन उसे उससे अधिक दिनों के लिए समझा जाता है।[11] यदि उस दरमियान ये चीजें फट जायें या खराब हो जायें तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। यही कारण था कि कैदी बड़ी सावधानी से उनका प्रयोग करते हैं। बाकी सारा दिन काम केवल लँगोट बाँधकर किया करते हैं। यदि किसी कैदी के पास उन कपड़ों से अधिक कोई वस्तु पायी जाती थी, तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। इसके विपरीत गोरों को बूट व कई जोड़े मोजे के साथ मिलते हैं। पहनने के लिए सूट और उसे धोने के लिए हिंदुस्तानी कैदी धोबी का काम करते हैं। लेटने के लिए मसेहरी और उस पर गद्दा, चादर

और आराम की सभी वस्तुएँ उपलब्ध रहतीं थीं। कपड़े इतने छोटे होते थे कि आम दिनों में उस पर नमाज न हो लेकिन कैद के जमाने में उसी कपड़े में नमाज अदा करना मजबूरी थी।[12]

मौलाना ने उर्दू-ए-मुअल्ला में अपने कैद के बारे लिखा है कि "4 अगस्त, 1908 से सख्त कैद का आगाज इस तरह हुआ कि कचहरी से जेल वापस पहुँचते ही एक लँगोट, एक जांघिया और एक कुर्ता पहनने को और एक टुकड़ा टाट का और कंबल ओढ़ने बिछाने के लिए मिलते थे। मौलाना को अलीगढ़ से इलाहाबाद जेल लाया गया और यहाँ तक कि अंग्रेजी सरकार ने उन्हें किराये के अतिरिक्त कुछ न दिया यहाँ तक कैदियों के भोजन के लिए रोज के हिसाब से जो कुछ भी मिलता था वह भी उन्हें नहीं दिया गया।"

परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी सजा एक साल की कम कर दी, लेकिन जुर्माना न अदा करने पर 18 माह की कैद रह गई थी। इसी बीच हसरत के पिता का देहांत हो गया। हसरत के बड़े भाई सैय्यद रूहुल हसन ने मौलाना का जुर्माना अदा कर दिया। सैयद साहब को इस बात का अनुमान था कि यदि जुर्माना न भरा गया तो मौलाना को जो विरासत में मिलेगा अंग्रेजी सरकार उसे भी कुतुबखाने की तरह बर्बाद न कर दें। जुर्माना अदा करने के बाद हसरत की सजा 1 साल की रह गई।

कैद से रिहा होने के बाद मौलाना ने उर्दू-ए-मुअल्ला का पुनः प्रकाशन शुरू किया तो उनके हमदर्द लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे खुद को राजनीति से अलग कर लें। कुछ अन्य लोगों ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे राजनैतिक विषयों पर लेख छापें तो उसमें मुस्लिम लीग की नीतियों का समर्थन करें। उसके उत्तर में मौलाना कहते हैं कि हम पर उन तमाम सलाह देने वालों का शुक्रिया फर्ज है लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे विचार में राजनैतिक या धार्मिक लेखों को किसी के डर से न छापना तमाम गुनाहों में से एक गुनाह है जिसे कोई भी स्वतंत्रा पत्राकार स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके बाद भी मौलाना बाल गंगाधर तिलक और बाबू अरविंद घोष के विचारों के समर्थन में लेख छापते रहे। उनका विचार था कि एशिया में हिंदुस्तान के सिवा और कोई बड़ा देश गुलाम नहीं है। मौलाना ने अपने लेख में इस बात को बार-बार प्रकाशमान किया कि फिरंगियों का शासन सदैव हिंदुस्तान में बाकी नहीं रह सकता और अपनी मौजूदा सूरत में तो उसका कुछ वर्ष तक ही कायम रहना मुश्किल दिखाई पड़ता है।

बाबू अरविंद घोष के तमाम राजनैतिक प्रयास मजकूरा बाला उसूल को पेश-ए-नजर रखते हैं। इस लिए मौलाना ने लिखा कि वे हक पर हैं। कुछ लोग हिंदुस्तान की आजादी की ख्वाहिश को ख्वाब व ख्याल से अधिक समय नहीं देते। इस लिए ऐसे लोगों का आजादी को लेकर विचार भी निहायत तंग और सीमित है।[13] मौलाना चाहते तो अन्य भारतीय नेता की तरह उदार राजनीति में विश्वास कर

शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, किंतु उनका मानना था कि अपने ही देश में अपने अधिकारों की रक्षा करना अथवा अपने देश के लोगों का दर्द अपने अखबार में बयान करना आदि को अपराध नहीं मानना चाहिए। उर्दू–ए–मुअल्ला की प्रतियाँ बेच कर मौलाना अपने परिवार को पालते थे। उर्दू–ए–मुअल्ला की कभी 500 से अधिक की प्रतियों का प्रकाशन नहीं हुआ। मौलाना के जेल जाने के बाद उर्दू–ए–मुअल्ला का प्रकाशन बंद हो गया। जेल से रिहा होने के बाद उनके पास कोई जीविका चलाने का साधन न रहा और ये वो दौर था जब लोग हसरत के साये से भी दूर भागते थे। उनके साथ हमदर्दी करना और उन्हें किसी किस्म की सहायता देना तो बड़ी बात थी।14

मौलाना स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने इस आंदोलन को हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदुस्तानी तक पहुँचाने का प्रयास किया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरूआत अपने घर से विदेशी वस्तुओं को हटाकर की, उसके बाद वे लोगों से स्वदेशी वस्तुएँ उपयोग करने की अपील की। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में अलीगढ़ और कानपुर में स्टोर खोला। अपने स्वदेशी स्टोर में उन्होंने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचना शुरू किया। मौलाना ने शिबली नोमानी और वकार–उल–मुल्क की सहायता से फाजिल भाई करीम भाई से मिले और उन्होंने मौलाना को बेचने के लिए कुछ उध ार कपड़े दिए। इसी प्रकार दूसरे थोक व्यापारियों से विभिन्न वस्तुएँ उधार लाकर अपने स्टोर में रखीं। कहा जाता है कि मौलाना का स्वदेशी स्टोर रातों–रात चमक गया। उनकी तरक्की देख कर मौलाना शिबली ने कहा था कि ''तुम आदमी हो या जिन, पहले शायर थे, फिर राजनेता बने और अब बनिए हो गये हो।''

पाठकों को यह न लगे कि हसरत इसके बाद केवल व्यापारी बनकर रह गये। उन्होंने स्वदेशी के समर्थन में विभिन्न स्थानों का दौरा किया और लोगों से मिलकर स्वदेशी आंदोलन की विशेषताओं से परिचित कराया। उन्होंने लोगों को यह विश्वास भी दिलाया कि स्वदेशी एक ऐसा हथियार है जो अंग्रेज और उनकी नीतियों को कमजोर कर देगी। उनके विचारों का प्रभाव यह हुआ कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों, कस्बों और देहातों में अनेक स्वदेशी स्टोर खुले जो आज भी कामयाबी के साथ चल रही हैं। 1905 में हुए इण्डियन इण्डस्ट्रियल कांफ्रेंस मे भी वे सक्रिय रहे। मौलाना की बेगम कहतीं हैं कि हसरत का इरादा है कि इस सूबे के हर जिले में स्वदेशी स्टोर कायम हो जाए।

मौलाना हसरत को आमतौर पर एक शायर और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता के रूप में जानते हैं। सर सैयद की तरह हसरत का भी मानना था कि मुसलमानों में शिक्षा की सख्त जरूरत है। इस लिए उन्होंने कालेजों से अधिक स्कूलों की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने स्कूलों के बिना उच्च शिक्षा को मुफीद नहीं समझा। मौलाना उच्च शिक्षा के विरोधी नहीं थे बल्कि वे ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना का समर्थन करते थे जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। मौलाना मुहम्मद अली जौहर

और मौलाना अबुल कलाम आजाद जब तक नजरबन्द नहीं हुए थे, उस समय तक मौलाना हसरत विश्वविद्यालयों के संबंध में अधिक सक्रिय नहीं थे जितना कि उक्त दो बुजुर्गों की नजरबंदी के बाद सक्रिय हुए। इसका स्पष्ट प्रमाण लखनऊ फाउण्डेशन कमेटी के जलसे के संबंध में देखा जा सकता है। मौलाना ने देखा कि आम राय और अहरार जमात को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तब मौलाना ने उस गर्ज को पूरा करने के लिए एक लम्बा दौरा कर लोगों को फाउण्डेशन कमेटी के जलसे में शिरकत के लिए आमादा किया। हसरत के इन प्रयासों का नतीजा यह निकला कि अहरार को शिकस्त मिलने से रह गई। मौलाना ने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों को सानवी तालीम (प्राथमिक शिक्षा के बाद और उच्च शिक्षा से पहले की शिक्षा) की आवश्यकता है। उन्होंने स्वदेशी के अंतर्गत इस बात का भी समर्थन किया कि प्रत्येक शहर और कस्बे में एक स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए।

बैगम हसरत कहतीं हैं कि लाहौर और बनारस के मुकदमात साजिश में बाज सरकारी गवाहों ने शरारत से हसरत का नाम भी अपने बयान में ले लिया। इस संबंध में लोगों ने मौलाना से कहा कि तुम अपनी वफादारी का बयान पायनियर आदि में प्रकाशित करवा दो ताकि सरकार का शक दूर हो जाए, किंतु मौलाना ने अपनी खुद्दारी को हाथ से जाने नहीं दिया और शांत रहे। इस सिलसिले में एक बे बुनियाद अफवाह यह भी मशहूर है कि लार्ड मिण्टों पर बम फेंकने से उन्होंने किसी उग्रवादी को बाज रखा। यह बात भी बिल्कुल गलत है। हसरत स्वयं कहते हैं कि मैंने कोई इम्तेहान ऐसा नहीं देखा कि जिसके बाद कामयाबी का मुझे यकीन न हो। अलीगढ़ कालेज से बी.ए. की परीक्षा देते ही नतीजे का इंतेजार किए बगैर उर्दू–ए–मुअल्ला का इश्तेहार प्रकाशित कर दिया था।

मिस्टर मोहम्मद अली 1914 ई. तक मौलाना हसरत से मतभेद रखते थे। इसका कारण यह था कि हसरत के विचारों से मुस्लिम लीडरों को ऐतराज था। मौलाना शिबली ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मौलाना हसरत का समर्थन किया और 1904 ई. में उर्दू–ए–मुअल्ला का पहला राजनैतिक लेख देख कर प्रशंसा की थी। उर्दू–ए–मुअल्ला में पहला राजनैतिक लेख शेख अब्दुल्ला साहब ने लिखा था लेकिन मौलाना हसरत से उनकी नहीं बनती थी। उर्दू–ए–मुअल्ला का उर्दू साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसमें उर्दू कवियों के कलाम भी छपते थे। मौलाना स्वयं एक शायर थे और शायरी के फन को बड़ी बारीकी से अपने अखबार में छापते थे। मौलाना आधुनिक भारत के पहले मुसलमान थे, जिन्हें अपनी देशभक्ति के कारण जेल जाना पड़ा था।

हिंदुस्तान में पहला इस्लामी प्रेस जिस पर अंग्रेजों ने तलवार चलायी वो प्रेस मौलाना हसरत ही का उर्दू प्रेस था। उस प्रेस की हकीकत यह थी कि एक काठ की दस्ती मशीन और तीन पत्थर थे। कई बार ऐसा हुआ कि हसरत ने स्वयं मशीन चलाकर समय पर रिसाला निकाला। अंग्रेजी सरकार ने उनके प्रेस पर 3000 हजार की जमानत तलब कर ली। अंग्रेजी सरकार यही चाहती थी कि उनका प्रेस

बंद हो जाये। एक ऐसे व्यक्ति पर जो 100–200 रुपये भी न जोड़ पाये, उस से तीन हजार रुपये की जमानत राशि मांगना कहाँ तक तर्क संगत है। 3000 की जमानत राशि न दे पाने पर हसरत को अपना प्रेस बंद करना पड़ा। अपने आखिरी लेख में हसरत ने यह ऐलान कर दिया कि उर्दू–ए–मुअल्ला बंद कर दिया गया है, लेकिन मेरी जबान, मेरा दिल और मेरी ताकत अभी आजाद है[15] और जिस प्रकार पहले काम करता था, अब भी अल्लाह ने चाहा तो उसी ताकत से काम करूँगा। मौलाना ने इटली के विरुद्ध बॉयकाट का फतवा प्रकाशित किया था और अपने भाषणों के माध्यम से लोगों को इटली की वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की। हसरत की ये बेबाकी अंग्रेजी सरकार को रास नहीं आयी। इसके बाद हसरत पर अंग्रेज लगातार निगाह बनाए रखे। उनके साथ अंग्रेजों ने गुप्तचर लगा दिये थे और इसी हाल में हसरत अप्रैल, 1916 तक आजाद रहे। 1916 ई. में मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउण्डेशन कमेटी के जलसे से वापस आने के बाद कुछ ही समय गुजरे थे कि उनकी तलाशी हुई और उसके बाद उनकी नजरबंदी का अंग्रेजी सरकार ने आदेश जारी कर दिया।[16] मौलाना को अलीगढ़ से ललितपुर ले जाया गया। मौलाना ने स्थानीय सरकार को अपने बचाव पत्रा लिखे। जब तक मौलाना पर कोई अपराध साबित नहीं हो जाता, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। किंतु ब्रिटिश सरकार ने उसकी परवाह न करते हुए और स्थानीय सरकार के बिना कोई आदेश के मौलाना को उनकी इच्छा के विपरीत ललितपुर ले जाया गया था। मजिस्ट्रेट ने बहुत तेजी के साथ कुछ ही घण्टों में मौलाना पर विभिन्न आरोप लगाकर दो साल कैद की सजा सुना दी। मौलाना को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। हिंदुस्तान के विभिन्न स्थानों पर मौलाना के समर्थन में आंदोलन हुए और भाषणों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। मथुरा, फैजाबाद, अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, हैदराबाद, सिंध, देहली, कलकत्ता, सुल्तानपुर, खीरी, लखीमपुर, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, आगरा आदि स्थानों पर उनकी रिहाई के लिए जलसे आयोजित किए गए। मौलाना की रिहाई के लिए न केवल उर्दू अखबार बल्कि अंग्रेजी अखबार में लेख छपे। किंतु सरकार अपनी जिद पर कायम रही। सरकार ने मौलाना को किसी एक जेल में भी नहीं रहने नहीं दिया। पहले उन्हें ललितपुर में रखा गया। उसके बाद झाँसी के जेल में भेजा गया और झाँसी से इलाहाबाद जेल लाया गया। कुछ समय बाद इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया। प्रतापगढ़ जेल से फैजाबाद की जेल में ले जाया गया और वहाँ से कुछ समय के बाद लखनऊ जेल लाया गया। लखनऊ भी उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना हुआ था इसलिए उन्हें लखनऊ जेल से पुनः फैजाबाद की जेल में ले जाया गया और अंत में उन्हें मेरठ की जेल में रखा गया और यहीं पर उन्होंने कैद की मुद्दत मियाद पूरी की।[17] राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े किसी भी नेता को दो वर्ष के अंदर इतनी जेलों में नहीं रखा गया था। लगातार यात्राा के चलते मौलाना का स्वास्थ्य बहुत गिर गया और 40 पौण्ड तक उनका वजन घट गया था।[18] हसरत के साथ नजरबंदों के संबंध में लोगों का दबाव बढ़ा तो अंग्रेजों ने नया दाँव यह चला कि किसी पर तुर्कों के साथ अंग्रेज विरोधी पत्रााचार करने का आरोप लगाया। ऐसा ही आरोप मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुहम्मद अली

और शौकत अली पर लगाया कि वे तुर्कों के साथ हमदर्दी रखते हैं। हालांकि उन तमाम लोगों ने यह कह कर सरकार को ही चुनौती दे डाली कि यदि उनके पास कोई सुबूत है तो अदालत में उन पर मुकदमा चलाया जाए किंतु आरोप की बुनियाद संदेह पर या सी.आई.डी की झूठी रिपोर्टों पर न हों।

सैयद अफजाल हुसैन साहब रिजवी वकील हरदोई बाराबंकी ने 25 अगस्त, 1916 ई. के नई रोशनी नामक अखबार इलाहाबाद में प्रकाशित करायी थी और वे हसरत के मुकदमें की पैरवी के लिए झाँसी गये। 19 जून, 1916 को मौलाना से उन्होंने जेल में मुलाकात की और 20 जून को पुनः मौलाना से मिलने जेल गये लेकिन इस बार उनसे मुलाकात नहीं हो सकी।[19] कुछ देर बाद पुलिस इंपेक्टर ने उन्हें बुलाया और उनका नाम पता पूछने के बाद सैयद साहब को सुप्रिटेंडेंट पुलिस के पास ले गया। मिस्टर एच.ए. इंग्लिश ने सैयद साहब से नाम, पता और आने का कारण पूछा। सैयद साहब ने नाम पता बताने के बाद कहा कि मैं मौलाना सैयद फजल-उल-हसन हसरत मोहानी के मुकदमें की पैरवी के लिए यहाँ आया हूँ और वो मेरा भाई है।

मिस्टर एच.ए. इंग्लिश ने पूछा "कैसा भाई है?"

सैयद साहब ने कहा "वो भी मुसलमान है मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी हिंदुस्तानी है मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, कोई खास रिश्ता नहीं है।"

मिस्टर एच.ए. इंग्लिश "फिर उनके मुकदमें की पैरवी करने क्यों आया?"

सैयद साहब "उनसे हमदर्दी के कारण।"

मिस्टर एच.ए. इंग्लिश गजबनाक होकर ''क्या आपको मालूम नहीं कि झाँसी की जलवायु मुसलमानों के अनुकूल नहीं है। तुम यहाँ क्यों आये? जेल जाएगा तो फिर न आएगा। आपको मालूम है कि मौलाना हसरत किस जुर्म का मुजरिम है?"

सैयद साहब "नहीं मैं क्या, खुद मुजरिम भी अपने जुर्म से अनभिज्ञ है।"

मिस्टर एच.ए. इंग्लिश बिगड़ते हुए बोला "तुमको नहीं मालूम।"

उसके बाद सैयद साहब को झाँसी के कलेक्टर के पास जाने की हिदायत हुई। झाँसी में जब तक सैयद साहब रहे उन पर पुलिस नजर बनाए हुए थी और अंत में सैयद साहब को झाँसी से निकल जाने को कहा गया। उन्होंने सरकार से अपील की कि मेरे घर से पैसे आने तक मुझे झाँसी में रहने दिया जाए या सरकार रेलवे का टिकट लेके मुझे दे दे, मैं झाँसी छोड़ दूँगा।[20] बहरहाल नकल लेने के बाद 5 जुलाई, 1916 ई. को सैयद साहब ने झाँसी से रवाना होकर अपने वतन हरदोई पहुँचे। हसरत की सख्तियों का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनसे हमदर्दी रखने वाले सैयद साहब

को भी अंग्रेजी अफसर ने डराना–धमकाना शुरू कर दिया था। जेल में मौलाना से डॉ. मुख्तार अहमद अंसारी और मिस्टर ताजुद्दीन साहब सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल ब्यूरो, ने भी मिलना चाहा लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। राजा गुलाम हुसैन ने भे मौलाना से जेल में मिलना चाहा लेकिन लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें मिलने नहीं दिया। इस घटना को अंग्रेजी अखबार लीडर ने लिखा "मिस्टर कापलांग ने अपनी जिम्मेवारी से किया है या हुक्काम आला की मंजूरी से किया। एक देशभक्त से उन पाँच आदमियों की मुलाकात से गोमती में आग लग जाती या जेल खाने का अनुशासन बिगड़ जाता। क्या सरकार को इस बात का इल्म नहीं है कि . . . . एक हुकूमत को इन मामूली बातों से ऊपर होना चाहिए।"[21]

मौलाना मेरठ मे कुछ समय रहने के बाद मोहान चले गये। मोहान से मौलाना कांग्रेस–लीग के अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली गये। मौलाना का संघर्ष उनकी बेगम निशातुन्निसा के बिना अधूरा है। बेगम हसरत का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान यह रहा कि मौलाना हसरत जब भी जेल गये, उनके कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा और अपने पति के सिद्धांतों पर वह डटीं रहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पत्नी जुलेखा और पण्डित नेहरू की पत्नी कमला की तरह निशातुन्निसा ने भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया।

मौलाना हसरत मोहानी राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस से जुड़ने वाले अलीगढ़ के पहले मुस्लिम स्नातक थे। उन्होंने कांग्रेस के उदारवादियों और नरमपंथियों की तीखी आलोचना की और चरमपंथियों का समर्थन किया और स्वतंत्राता के लिए वो अंग्रेजी सरकार से किसी भी प्रकार के समझौते के विरोधी थे। उन्होंने कभी किसी भी बड़े नेता की आलोचना करने में संकोच नहीं किया। महात्मा गाँधी, जिन्ना, डॉ. अंसारी, मजहर–उल–हक, मोती लाल नेहरू मौलाना आजाद जैसे नेताओं के खिलाफ दृढ़ता से लिखा। महात्मा गाँधी ने हसरत मोहानी के बारे में लिखा है कि "हम लगभग शुरू से ही एक–दूसरे से अलग थे और कई मामलों में हमारे बीच मतभेद कायम रहा है।"[22] मौलाना शौकत अली ने हसरत मोहानी को "दीवाना मुल्ला" और अबुल कलाम आजाद ने व्यंग्यपूर्वक उन्हें "स्वदेशी कुली कहा था।"[23]

मौलाना ने अहमदाबाद में पूर्ण आजादी की माँग की तो कांग्रेस ने उनकी माँग का समर्थन नहीं किया। इसके बाद वे कांग्रेस से दूर होते गए। उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्य के साये में जो आजादी हमें मिलेगी वो किसी काम की नहीं होगी।24 हिंदुस्तान के विभाजन का भी उन्होंने प्रबल विरोध किया था। इसके बावजूद मौलाना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों से मायूसी के सिवा कुछ न मिला और 1947 ई. में हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट गया। मौलाना ने हिंदुस्तान में रहना स्वीकार किया।

अपने अंतिम समय मौलाना लखनऊ आकर फिरंगी महल से जुड़ गये और 1951 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें अनवार बाग के फिरंगी महल कब्रिस्तान में दफनाया गया।[25]

चुपके चुपके रात दिन आँसू बहाना याद है।
हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
तुझसे कुछ मिलते ही वह बेबाक हो जाना मेरा।
और तेरा दाँतों में उँगली दबाना याद है।।[26]

अंग्रेजों की नौकरी के संबंध में उन्होंने लिखा–

हम कौल के सादिक हैं अगर जान भी जाती है।
वल्लाह कभी खिदमत अंग्रेज न करते।।[27]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मौलाना महमूद हसन, हालात–ए–हसरत, दफ्तर अंजुमन आनत नजर बंदान–ए–इस्लाम, देहली, 1337 हिजरी, पृ.7.
2. डॉ. असलम फर्रूखी, मौलाना हसरत मोहानी, मकतबा पयाम–ए–तालीम, नई दिल्ली, 1994, पृ.8.
3. डॉ. असलम फर्रूखी, पूर्वोक्त, पृ.10.
4. गुफरान अहमद, जंग–ए–आजादी और मुसलमान, न्यू पब्लिक प्रेस दिल्ली, 1996, पृ.99.
5. डॉ. असलम फर्रूखी, पृ.6.
6. वही.
7. कुल्लियात हसरत मोहानी, किताब मंजिल कश्मीरी बाजार, लाहौर, 1959, पृ.35.
8. फजल–उल–हसन मोहानी, उर्द–ए–मुअल्ला, उर्दू प्रेस अलीगढ़, शुमारा नम्बर–4, अप्रैल, 1910, पृ.14.
9. उर्दू–ए–मुअल्ला, शुमारा नम्बर–4, पूर्वोक्त, पृ.13.
10. वही.
11. उर्दू–ए–मुअल्ला, शुमारा नम्बर–4, पूर्वोक्त, पृ.11.
12. उर्दू–ए–मुअल्ला, शुमारा नम्बर–4, पूर्वोक्त, पृ.15.
13. हालात–ए–हसरत, पूर्वोक्त, पृ.21.
14. हालात–ए–हसरत, पूर्वोक्त, पृ.24.
15. हालात–ए–हसरत, पूर्वोक्त, पृ.39.
16. हालात–ए–हसरत, पूर्वोक्त, पृ.41.
17. हालात–ए–हसरत, पूर्वोक्त, पृ.44.
18. वही.
19. हालात–ए–हसरत, पूर्वोक्त, पृ.61.

20. हालात-ए-हसरत, पूर्वोक्त, पृ.63.

21. हालात-ए-हसरत, पूर्वोक्त, पृ.64.

22. एम. के. गाँधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1945, पृ.588.

23. आरिफ हासवी, हालात-ए-हसरत, मौलाना हसरत मोहानी मेमोरियल लाइब्रेरी एण्ड ट्रस्ट, कराँची, 1993, पृ.35.

24. अजीजुर्रहमान लुधियानवी, जंग-ए-आजादी के मुस्लिम मुजाहिदीन, आला प्रेस देहली, 1975, पृ.139.

25. गुफरान अहमद, जंग-ए-आजादी और मुसलमान, पृ.101

26. वही.

27. वही.

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में मानव के अधिकार एवं कर्त्तव्य

डॉ० वन्दना कुमारी
(असिस्टेंट प्रोफेसर)
दर्शनशास्त्र विभाग, बी.आर.एम. कॉलेज, मुंगेर
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए कतिपय अधिकारों की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास असंभव है, इन्हीं को मानवाधिकार कहा जाता है। जीवन जीने का अधिकार स्वतंत्राता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि ऐसे मूलभूत अधिकार हैं, जिनके बिना मानव व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी अनिवार्यतः जुड़े हुए हैं अर्थात् दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं। एक मनुष्य का अधिकार समाज में प्रत्येक अन्य मनुष्य का कर्त्तव्य है। सहस्त्राों वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धांत के माध्यम से सापेक्षता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु, घटनाएँ, एक-दूसरे के सापेक्ष है, तभी उसका अस्तित्व है, अन्यथा जो सापेक्षता का सर्कल है, वह समाप्त हो जाएगा। अगर मनुष्य अधिकार की बात करता है तो निःसंदेह उसके कर्तव्य भी हैं। प्रसिद्ध विद्वान पी.ए.वी. के अनुसार, "अधिकारों का जीवन, भरण एवं पोषण कर्तव्यों की दुनिया में ही संभव है। यदि अधिकार शरीर है तो कर्तव्य उसकी आत्मा है। एक बिना दूसरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि अधिकार व्यक्ति की 'माँग' है, तो कर्तव्य इस माँगों के लिए आवश्यक 'समर्थन' होगा।"[1]

पृथ्वी पर अनेकों जीव-जन्तुओं का अस्तित्व है। मनुष्य को भी अरस्तू ने विवेकशील पशु की ही संज्ञा दी है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसकी विवेकशीलता है। इस विवेकशीलता की वजह से ही मनुष्य वन में पशुओं की तरह शिकार कर अपना पेट भरने वाले युग से आज तकनीक के आश्चर्य जनक युग तक का सफर तय कर चुका है। प्रकृति ने मनुष्य को समानता के साथ पैदा किया है। इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं उसका उपयोग सभी प्राणी समान रूप से कर सकते हैं। यही ईश्वरीय व्यवस्था है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग रहने वाला व्यक्ति या तो दानव है या देवता है। अरस्तू के इस वक्तव्य से सहस्त्राों वर्ष पूर्व अथर्ववेद में कहा गया है –

"मानव मात्रा एक व्यक्ति ही नहीं है, वह एक सामाजिक जीव है। ईश्वर मात्रा उन्हें स्नेह करते हैं जो अन्य मनुष्यों, जानवरों, प्राणियों की सेवा करते हैं। उसकी गरिमा बड़े परिवार का सदस्य होने में है। एक तरफ मनुष्य रक्त सम्बन्धों से बंधा है, अपने माता–पिता, पत्नी व बच्चों से, वहीं दूसरी तरफ वह समाज की प्रत्येक इकाई से भी जुड़ा है, चाहे उससे दूर हो या निकट। यह मनुष्य है जो अपने पूर्वजों से सम्बन्ध रखता है और आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा होता है। मनुष्य इस प्रकार समाज के लिए जीता है, कार्य करता है और मरता है। इसमें उसके अपृथक्करणीय अधिकार होते हैं। मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कला, विज्ञान तथा तकनीकि का विकास करके समाज को गरीबी से सम्पन्नता, संतुष्ट वर्तमान से खुशहाल कल बनायेगा।"[2]

मनुष्य ने अपनी जिस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया उसमें धर्म, जाति, लिंग, रंगभेद आदि के आधार पर भेद कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ मनुष्यों को अधिकार तो कुछ को मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा गया।

वर्तमान समय में कर्तव्यों के प्रति लापरवाही की वजह से संबंधों का बिखराव सहित समाज में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे समय में अधिकार और कर्तव्य के बीच एक मध्यम की स्थिति आज के समाज की आवश्यकता है। सबसे अधिक यदि अधिकारों का हनन विश्व के प्रत्येक कोणों में हुआ है तो वह है लिंग के आधार पर विभेद। पुरुष–महिला का भेद और अधिकारों में असमानता न केवल भारत में बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में यह भेद प्राचीन समय से ही देखने को मिल जाता है। ट्रांसजेंडर के संबंध में विश्व के प्रत्येक कोणों में यही स्थिति है। कोई भी समाज अपने विकास के उच्चतर स्तर को नहीं छू सकता है। यदि वे उस समाज में रहने वाले नागरिकों के मध्य विभेद करे, उनके मूलभूत अधिकारों से उन्हें वंचित रखे। चाहे वह धर्म के आधार पर हो या लिंग के आधार पर या फिर जाति के आधार पर।

प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट प्रतिभाएँ होती हैं। उसकी विशिष्ट आकांक्षाएँ होती हैं। जीवन के प्रति एक स्वतंत्रा दृष्टि होती है। उन प्रतिभाओं को क्षमताओं में परिवर्तित करने के लिए, अपने मूल्यों व आकांक्षाओं के अनुरूप स्वयं का विकास करने के लिए व्यक्ति के पास कुछ अधिकारों का होना आवश्यक है तभी वह स्वयं के लिए संतुष्टि पा सकता है एवं समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार स्पष्टतः अधिकार आधारित दृष्टिकोण व्यक्ति तथा समाज दोनों के ही विकास हेतु कुंजी बनकर उभरता है। अधिकार के महत्व का निरूपण करते हुए लॉस्की ने लिखा है, 'एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है।[3]

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिकारों के संकेंद्रण का वर्चस्व दिखता है। राजा के पास व्यापक अधिकार होते थे तथा राज्य का चरित्रा जनता के अधिकारों के स्थान पर राजा द्वारा निर्धारित होता था। विशेषाधिकारों, दैवीय शक्तियों तथा कई धार्मिक सामाजिक अंधविश्वासों के कारण ऐतिहासिक रूप से जनसाधारण के अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण को राजव्यवस्क्था, अर्थव्यवस्था एवं समाज कहीं पर भी उचित स्थान नहीं मिला। दूसरे परम्परागत भारतीय चिन्तन में भी यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि की विविधता - मुंडे मुंडे मतिभिन्नता, तान्नि विश्व प्रयोजयते (प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि भिन्न होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के विवेक द्वारा कार्य करता है।) ऐसा बोलकर मान्यता दी गई तथापि व्यवहार में लोक-कल्याण को ही राजा का कर्तव्य माना गया लोक अधिकारों को नहीं। बुद्ध-काल से ही वैशाली जैसे गणतंत्राों की उपस्थिति लोक-अधिकारों के सम्मान की परम्परा का द्योतक है। हालांकि ये अपवादस्वरूप ही थे।

इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से परिणाम आधारित सुधारात्मक दृष्टिकोण को राजा की करूणा एवं सहानुभूति को आर्थिक विकास का पैमाना माना गया। सामाजिक दृष्टि से, अनुशासन, कुटुम्ब, जाति तथा समाज के नियमों के अनुपालन, त्याग, समानता के अधिकारों के ऊपर वरीयता मिलती रही।

समकालीन चिन्तन में उपयोगितावाद द्वारा अधिकार आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर प्रबुद्ध शासक वर्ग द्वारा “अधिकतम लोगों के अधिकतम हित” को नैतिकता का पैमाना माना गया।

दूसरी ओर काण्ट ने व्यक्ति को साध्य मानने के सिद्धान्त में अधिकार केंद्रीय तत्व बनकर उभरते हैं। व्यक्ति बहुमत के लाभ का साधन नहीं बनना चाहिए।

महात्मा गाँधी द्वारा भी प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर के अंश को स्वीकर किया गया है। पर भारतीय चिन्तन के अनुरूप ही, गांधी दर्शन में भी अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर, उपभोग के स्थान पर संयम पर अधिक जोर है। गाँधी जी ने कहा है कि कर्तव्य पालन का अधिकार ही सर्वोच्च अधिकार है और कर्तव्य के पालन के अभाव में किसी भी प्रकार के अधिकार की कल्पना करना निरर्थक है। अधिकार जहाँ कर्तव्यों के प्रति समर्पण से स्वतः उत्पन्न हो जायेंगे गाँधी जी के अनुसार, “अधिकारों का वास्तविक स्त्राोत कर्त्तव्य ही है। यदि हम कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार हमसे दूर नहीं रह जायेंगे। परन्तु यदि हम कर्तव्यों को अधूरा छोड़कर अधिकारों के पीछे दौड़ेंगे तो अधिकार हमसे मृगतृष्ण ाा के समान दूर होते जायेंगे।”[4]

वर्तमान समय ने ग्रामीण एवं कुटुम्ब आधारित व्यवस्था से नगरीय एकाकी समाज में परिवर्तन ने समाज विकास के अधिकार के महत्व को केंद्र में ला खड़ा किया है। आज विवाह को आजीवन निभाने का कर्तव्य के स्थान पर तलाक के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। बच्चों पर हाथ उठाने को उनके अधिकारों का उल्लंघन बताया जा रहा है। स्पष्टतः अधिकार समाजिक विकास के

केंद्र में आते जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से इससे कई लाभ तो हुए हैं। जाति आधारित असमानता, जिसमें अधिकारों के वंशानुगत होने के कारण सामाजिक विकास अवरुद्ध हो गया था, वह कमजोर हुई है। दूसरे लिंग आधारित असमानता जैसे कि पुरुष के पास तलाक, द्वितीय विवाह के अधिकार, परन्तु महिलाओं के पास नहीं थे। तीसरे सामाजिक पाखंडों, मान्यताओं व अंधविश्वासों के कारण सामाजिक विकास का अवरोध हो रहा था, उसमें भी प्रभावी कमी आई है।

यद्यपि, अधिकार आधारित सोच सामाजिक विकास पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाती है। अधिकारों पर अत्यधिक तथा कर्तव्यों पर अत्यल्प ध्यान संघर्ष को जन्म दे सकता है। दूसरे, अधिकार आध ारित दृष्टिकोण कई बार दूरगामी सामाजिक सुधार में बाधक बन जाती है। अंततः अधिकार आधारित सामाजिक विकास उपभोगवाद की ओर जा सकता है तथा समाज में नैतिक मूल्यों विशेषतः त्याग व अनुशासन के महत्त्व में कमी आ सकती है। इसी प्रकार आर्थिक विकास के क्षेत्रा में भी अधिकार आधारित दृष्टिकोण देखा जा सकता है। वंशानुगत व्यवसायों के स्थान पर व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार, उपभोक्ताओं के अधिकार, मूलभूत जीवन की सुविधाओं यथा भोजन के अधिकार का बढ़ता महत्व इस ओर इशारा कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के विस्तार तथा गरिमामय जीवन में अनेक अधिकारों यथा - स्वास्थ्य, निजता, जानकारी, भौतिक स्वतंत्राता, पर्यावरण आदि का समावेश करके अधिकार आधारित विकास की भावना को बल दिया गया है।

अधिकार आधारित दृष्टिकोण द्वारा आर्थिक विकास के संदर्भ में अनेक सकारात्मक सुधार किए गए हैं। प्रथमतः वंशानुक्रम के स्थान पर अधिकार एवं योग्यता आधारित अर्थव्यवस्था में दक्षता एवं नवाचार बढ़ाने का कार्य किया है। दूसरे, उपभोक्ताओं को अधिकारों के हस्तानान्तरण ने उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की संस्कृति का शुभारम्भ किया है। तीसरे, हाशिए पर खड़े आर्थिक समूहों तथा किसानों को संख्या बल के आधार पर केंद्रीय स्थान पर आने का अवसर मिला है। चौथे, रोजगार के अधिकार के कारण ग्रामीण, गरीबी एवं ऋण ग्रहतता में निर्णायक कमी आई है। अन्ततः अधिकारों के जनसामान्य तथा स्थानान्तरण के कारण नौकरशाही की अभिवृत्ति सकारात्मक एवं विनम्र हुई है। तथापि यह ध्यान देना आवश्यक है कि सामाजिक क्षेत्रा की तरह यहाँ भी अधिकारों का अत्यधिक ध्यान विभिन्न आर्थिक समूहों के मध्य, संस्थानों के अत्यधिक विदोहन, प्रदूषण आदि का कारण न बने।

निष्कर्षतः अधिकार आधारित दृष्टिकोण जो कि लोकतंत्रा के द्वारा पुष्पित हुआ एवं उदारवादी प्रगतिशील चिन्तन द्वारा पल्लवित हुआ, सामाजिक, आर्थिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

साथ ही जनसाधारण का लगातार प्रशिक्षण एवं जनजागृति भी आवश्यक है ताकि वे इन अधिकारों का प्रयोग कर सकें तथा इनसे अनिवार्य रूप से सम्बद्ध कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

अन्ततः सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक नीतियों एवं सरकार का कर्तव्य है कि प्राचीन राजशाही आधारित 'ऊपर से नीचे' की नीति के स्थान पर लोकतांत्रिक 'नीचे से ऊपर' के आदर्श पर अपने आदर्शों एवं योजनाओं को पुनर्गठित करें। यह अधिकारों व दायित्वों, दोनों को नै–सर्गिक रूप से सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी के रूप में स्थापित करेगा।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव–जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। इसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। भारत में भी इस पर सहमति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें माना गया था कि व्यक्ति से मानवाधि कारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। भारत में भी इस चार्टर पर सहमति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि देश में मानवाधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्रा संस्था बनाने में 45 वर्ष लग गए और तब कहीं जाकर 1993 में एनएचआरसी अर्थात् राष्ट्रीय मानवाधि कार आयोग अस्तित्त्व में आया जो समय–समय पर मानवाधिकारों के हनन के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों को अपनी अनुशंसाएँ भेजता है।

मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्रा में भी कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि सर्वोपरि है। रही बात मौलिक अधिकारों की तो ये देश के संविधान में उल्लेखित अधिकार हैं। ये अधिकार देश के नागरिकों को और किन्हीं परिस्थितियों में देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त हैं।

यदि हम प्रकृति की समस्त व्यवस्था को ध्यानपूर्वक देखें तो सभी कुछ एक नियमबद्धता से बंधा हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ग्रह, नक्षत्रा, ऋतु परिवर्तन आदि समस्त चीजों में अपने–अपने मौलिक गुण हैं, उन्हीं गुणों से वह सभी कार्य कर रहे हैं। यदि हम उनके मौलिक गुणों में विक्षोभ पैदा करते हैं अर्थात् छेड़–छाड़ करते हैं तभी उसकी प्रकृति विकृत हो जाती है और पर्यावरण प्रदूषण का मूल कारण भी यही है कि हम प्रकृति के मौलिक गुणों में अत्यधिक छेड़–छाड़ करते आ रहे हैं। यही नियम मनुष्य के साथ भी लागू है। मनुष्य को प्रकृति ने अपने मूलभूत गुणों के साथ पैदा किया है, समाज का कर्तव्य है कि वह उन मूलभूत गुणों को विकसित करने का अवसर प्रदान करे। इसी व्यवस्था को वेद में ऋत का नियम कहा गया है। इस ऋत नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर

सकता है।[5] उसी प्रकार जीवन जीने का अधिकार एवं स्वतंत्राता का अधिकार आदि मौलिक अधिकार हैं, जो प्रत्येक मानव के लिए है। किन्तु यदि हम किसी को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करते हैं तो ईश्वरीय नियम के अनुरूप ही मानवीय व्यवस्था में कानून का प्रावधान है, जिस अनुरूप व्यक्ति को दण्ड का प्रावधान है, उन्हें उनके अनुसार किये गये नकारात्मक कृत्यों के लिए उन्हें अधिकारों से वंचित करने का भी प्रावधान है।

भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम एवं समस्त जीवों में आत्मा या चेतना का विचार मानव सहित समस्त जीवों के प्रति करूणा रखने की सीख देता है।[6] जब हम करूणा रखते हैं, किसी जीव के प्रति तो स्वभावतः हम उसके अधिकारों को संरक्षित रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि वेद में समस्त प्रकृति के प्रति करूणा भाव रखकर उसकी पूजा एवं संरक्षण पर बल दिया गया है। जैन धर्म एवं दर्शन में तो समस्त जीवों में चेतना को स्वीकार कर किसी भी जीव की हत्या को महापाप माना गया है, इसलिए जैन दर्शन में अहिंसा को कठोरता से पालन करने पर बल दिया गया है।[7] बौद्ध दर्शन में अहिंसा को स्वीकार किया गया है, किंतु अहिंसा से अधिक इसके भावात्मक पक्ष करूणा, प्रेम पर अत्यधिक बल दिया गया है। उपनिषद् का सार अद्वैत वेदान्त में शंकराचार्य के मतानुसार एकमात्रा ब्रह्म सत्य है और जीव तथा ब्रह्म एक ही हैं।[8] जब ब्रह्म और जीव एक ही हैं तो स्वाभाविक है कि यदि हम किसी भी जीव को कष्ट पहुँचा रहे हैं तो, एक होने के नाते हम स्वयं को ही कष्ट पहुँचा रहे हैं। यह विचार मानवतावाद एवं समस्त जीवों के प्रति करूणा एवं संरक्षण का सर्वश्रेष्ठतम आधार है। व्यावहारिक जीवन में भी हम अनुभव करते हैं कि यदि हम किसी को गाली देते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी के साथ अहिंसात्मक व्यवहार करते हैं तो हमारा चित्त भी तकलीफ झेलता है। अगर किसी का चित्त दूसरों को कष्ट देकर तकलीफ महसूस नहीं करता तो इसकी यही वजह है कि गलत करते–करते हमने इस संवेदनात्मक अनुभव को दबा दिया है और अशान्त तथा प्रकृति के विपरीत जीने को अभिशप्त हो गये हैं। अहंकार से वशीभूत होकर हम मूलकरणों में न जाकर स्वयं को सही और अन्य को गलत सिद्ध करते रहते हैं।

महात्मा गाँधी का अहिंसात्मक सत्याग्रह भी इसी धारणा पर अवलम्बित है कि सभी मानव आत्म या चेतना से युक्त है। सभी में ईश्वरीय शुभत्व का वास है किन्तु बाहरी विकारों से हम अपने शुभत्व को धूमिल कर देते हैं। इसलिए हमें अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा स्वयं कष्ट सहकर प्रतिपक्षी के शुभत्व के जागरण का इंतजार करना चाहिए क्योंकि जब उनका शुभत्व जागृत होगा तो वह स्वयं ही सत्य को समझ जायेगा।[9]

भारतीय धर्म एवं दर्शन सहित विश्व के समस्त धर्मों में मानव को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है तथा मानव के अधिकार का संरक्षण एवं कर्तव्यों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन पर बल दिया गया है।

अधिकार एवं कर्तव्य के संतुलन में ही समाज का सर्वांगीण विकास तथा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्त्व का विकास निहित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रो. आर.पी. जोशी, संपादन एवं संयोजन, 'मानव अधिकार एवं कर्तव्य', अभिनव प्रकाशन, अजमेर जयपुर, प्रथम संस्करण, 2009, प्रथम पृष्ठ।
2. वही।
3. डॉ. शिव भानु सिंह, 'समाज दर्शन का सर्वेक्षण', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2008, पृ.239।
4. प्रो. आर.पी. जोशी, संपादन एवं संयोजन, 'मानव अधिकार एवं कर्तव्य', अभिनव प्रकाशन, अजमेर जयपुर, प्रथम संस्करण, 2009, पृ.70।
5. डॉ. राधाकृष्णन, अनुवादक-नन्द किशोर गोविल, 'भारतीय दर्शन', भाग-1, राजपाल प्रकाशन, पृ.63।
6. श्रीमन्महर्षि वेदव्यासप्रणीत, (व्याख्याकार-हरिकृष्णदास गोयन्दका) 'वेदान्त-दर्शन' (ब्रह्मसूत्रा), गीताप्रेस, गोरखपुर, तेईसवाँ संस्करण, पृ.40-43।
7. डॉ. राधाकृष्णन, वही, पृ.264-265।
8. शांकरभाष्य, 1:4,21।
9. बसन्त कुमार लाल, 'समकालीन भारतीय दर्शन', मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2001, पृ.144।

1857 और उर्दू पत्रकारिता

***डॉ० रेफाक अहमद**
*असिस्टेंट प्रोफेसर,
मध्यकालीन कालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग,
आई.एस.डी.सी., इ.वि.वि.
****मो० ज़ैद**
**शोध छात्र (जे.आर.एफ.),
मध्यकालीन कालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग,
आई.एस.डी.सी., इ.वि.वि.*

शोध सार

1857 के विद्रोह में उर्दू पत्रकारों ने जो भूमिका निभाई है, उसी को इस शोध-पत्रा में ढूँढ़ने का प्रयास किया है। ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना के बाद ब्रिटिश प्राच्यवादियों ने विभिन्न देशी भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया था। जिसमें उर्दू को भी संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसके कारण उर्दू भाषा ने ज़बरदस्त प्रगति की और उर्दू अख़बारों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई। इस तरह ब्रिटिश शासन काल में उर्दू समाचार पत्रा एवं पत्रिकायें बड़ी संख्या में प्रकाशित हुए और इन समाचार-पत्राों एवं पत्रिकाओं की भारत के स्वतंत्राता आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। उर्दू पत्राकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय जनमानस को जागृत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1857 के विद्रोह के दौरान उर्दू पत्रा-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख राष्ट्रीय विचारधाराओं से ओत-प्रोत थे, जिसने लोगों के हृदय में आज़ादी की मशाल जला दी। उर्दू पत्रा-पत्रिकाओं ने 1857 के विद्रोह को व्यापक बनाने में न केवल अपना पूर्ण योगदान दिया बल्कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का भी डटकर सामना किया और अपना अस्तित्व बनाए रखा।

कुंजी शब्द- 1857, विद्रोह, आज़ादी, संघर्ष, उर्दू भाषा, पत्राकारिता, समाचार-पत्रा।

1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ फूटने वाले सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों की घटना थी जिसने देशी सिपाहियों में अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ नफरत और बग़ावत की भावना पैदा कर दी थी, लेकिन इस आंदोलन को जनता का जो समर्थन और विश्वास प्राप्त हुआ, इससे अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि भारतवासी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कितने बेताब थे और उनके

अन्दर वतन पर मिटने का कितना जज़्बा था।

10 मई 1857 ई० में मेरठ से फूटने वाले सैनिक विद्रोह की चिंगारियाँ जिस तेजी के साथ पूरे भारत वर्ष में फैली उससे अंग्रेजों के पाँव किस हद तक उखड़ गए थे, इसका अंदाज़ा थाम्सन लो के इस कथन से भी होता है–

> "अब भारत में रहना मानो उस जलते पहाड़ के दहाने
> पर खड़ा होना है जिसके किनारे टूट–फूटकर हमारे
> पैरों के नीचे खिसक रहे हों और खौलता हुआ
> लावा फूटने और हमें भस्म कर देने वाला हो।"[1]

जनमानस के गम–ओ–गुस्से का तूफान कितना तेज था, इसका अंदाज़ा उपर्युक्त कथन से भली–भाँति लगाया जा सकता है। इसमें हर वर्ग, हरमत, धर्म और आस्था का आदमी अंजाम की परवाह किए बिना उस अग्नि परीक्षा में कूद पड़ा। बादशाह से लेकर आम नागरिक तक हर एक इस जिहाद में शामिल हो गया और उर्दू पत्राकारिता ने इस जिहाद में अगुवाई की भूमिका अदा की।[2]

1857 के जंगे आज़ादी में अंग्रेज़ों ने विद्रोह का दमन करने के लिए भारतीयों पर जो जुल्म ढाया उसका आँखों देखा वर्णन मिर्ज़ा गालिब ने अपने फ़ारसी रोज़नामचे 'दस्तम्बू' में कुछ यूँ किया है–

> "सिर्फ अल्लाह ही फाँसी पर चढ़ाए गए लोगों की तादाद जानता है। विजयी फौज विशेष रास्ते से शहर में दाखिल हुई। रास्ते में उन्हें जो भी मिला उसे मार डाला। गोरों ने शहर में दाखिल होने पर मासूम और बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दिया। दो या तीन मोहल्लों में अंग्रेजों ने जायदादें लूट ली और लोगों को मार डाला।"[3]

उर्दू पत्रकारिता

भारत में समाचार पत्राों के आरम्भ का श्रेय अंग्रेज़ी समाचार–पत्रा 'बंगाल गजट' को है जो 1780 ई० में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। जबकि उर्दू पत्राकारिता का प्रारम्भ हिन्दी पत्राकारिता के पहले तथा फ़ारसी पत्रकारिता के बाद फ़ारसी पत्राकारिता से हुआ।[4] उर्दू का पहला समाचार पत्रा 'जामे जहाँनुमा' था जो 1822 ई० में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था।[5] 'जामे जहाँनुमा' के प्रकाशन से देश की स्वतंत्रता तक उर्दू पत्राकारिता की भूमिका बड़ी उज्ज्वल है। उर्दू पत्राकारिता ने साम्राज्यवाद की गोद

में आँखे खोली और वह अत्याचार एवं दमन के माहौल में परवान चढ़ी। इस पूरे समय में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण सामने आए हैं कि उर्दू पत्राकारों ने किसी प्रकार की ग़ैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया हो या साम्राज्यवाद से प्रभावित होकर अग्रेज़ों का पिट्ठू बनने की वरीयता दी हो।

1857 की जंगे आज़ादी का केन्द्र भारत की राजधानी दिल्ली थी। इसलिए दिल्ली से प्रकाशित होने वाले इस युग के उर्दू समाचार पत्राों ने सबसे आगे बढ़कर सरुरोशाना भूमिका निभाई। इन समाचार पत्राों की प्रकाशन संख्या सीमित थी। जंगे-आज़ादी 1857 को अपने तार्किक अंज़ाम तक पहुँचाने में उर्दू पत्राकारिता ने मार्गदर्शक जैसी भूमिका अदा की, उसको 1857 के एक विश्वसनीय इतिहासकार सैय्यद खुर्शीद मुस्तफा रिज़वी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है-

"यदि केवल दिल्ली के समाचार पत्राों पर नज़र डाले तो उनमें क्रांतिकारी भावना की लहरें मारता एक दरिया दिखाई देगा। दिल्ली से विद्रोह के दौरान कुछ समाचार पत्रा विशेष तौर पर प्रमुख थे, जैसे 'दिल्ली उर्दू अख़बार', 'सादिकुल अख़बार', 'सिराजुल अख़बार' आदि। 'दिल्ली उर्दू अख़बार', जुलाई 1857 में 'अखबारूल ज़्ार' के नाम से निकला। 'सिराजुल अख़बार' फारसी में था और बहादुर शाह ज़फर के रोजनामचे की हैसियत रखता था।"[6]

1857 के शुरू में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो ख़बरे समाचार पत्राों में प्रकाशित हो रही थी, उनमें साफ़ अंदाजा होता है कि ये समाचार पत्रा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए तैयार हो चुके थे और इनकी तबाही व बर्बादी की आशंका पर अपने पाठकों को सक्रिय करने में प्रयासरत थे। इसका एक उदाहरण दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 'खुलासतुल अख़बार' के 13 अप्रैल, 1857 के अंक में देखा जा सकता है-

"कुछ दिन हुए कि जामा मस्जिद की दीवार पर एक ऐलान चिपकाया गया था। इस पर एक तलवार और ढाल की शक्ल बनी हुयी थी और यह ऐलान ईरान के बादशाह के पास से आया हुआ बताते थे। इसका सारांश यह था कि सभी सच्चे मुसलमानों का धार्मिक कर्त्तव्य है कि वे ईरान के बादशाह की सहायता करें और कादारी से इसके शासन व अधिकार को सुरक्षित रखें और अंग्रेजों से जिहाद करें ताकि उन्हें तबाह व बर्बाद करके उसकी कृपा के पात्रा हो। इनआमात व ख़िताबात हासिल करें जो ईरानी बादशाह उदारता से देगा। फ़िर ऐलान में यह बयान किया गया था कि ईरानी शासक जमशेद सानी बहुत जल्द भारत आएगा और इस देश को स्वायत्त बना देगा। पत्राकार इन तमाम बातों को खुराफ़ात और बेवकूफ़ी पर आधारित समझता है। क्योंकि यदि देश सरकारों के हाथ से इसी तरह निकल जाया करे तो फ़ौजों का क्या फायदा।"[7]

'खुलासतुल अख़बार' की इस खबर से अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि समाचार पत्रा ने अपने पाठकों तक अपना पैग़ाम पहुँचाने के कर्त्तव्यों को अंजाम देने के साथ ही आख़िर में अपने बचाव के

लिए भी कुछ शब्द लिख दिए हैं। जामा मस्जिद की दीवार पर चिपकाए गए इस एलान को अख़बार में नक़ल करना भी बड़ी हिम्मतत का काम था। जिसमें स्पष्ट तौर पर अंग्रेजों के विरूद्ध ज़िहाद छेड़ने और तबाह व बर्बाद करने की प्रेरणा दी गई थी।[8]

इसी प्रकार 1857 की जंगे आज़ादी में साहसी भूमिका निभाने वाले अख़बारों में सबसे उल्लेखनीय नाम 'देहली उर्दू अख़बार' का है जिसे मौलाना मुहम्मद हुसैन आज़ाद के पिता मौलवी मुहम्मद बाक़र ने जारी किया था। 'देहली उर्दू अख़बार' को 1857 के आंदोलन में इसलिए सबसे अधिक महत्ता दी जाती है कि अंग्रेजों ने मौलवी मुहम्मद बाक़र को गोली मारकर शहीद कर दिया था। यह अख़बार 1857 के विद्रोह में खुलकर अंग्रेजों का विरोध और बहादुर शाह ज़फ़र का समर्थन करने लगा। लेकिन स्वतंत्राता संग्राम की अस्फ़लता और मुगल शासन के उजड़ने के साथ इस अख़बार की ज़िंदगी भी 3 सितम्बर, 1857 को ख़त्म हो गई। 'दिल्ली उर्दू अख़बार' की शैली में 1857 की क्रांति ने जो तब्दीली पैदा की उसका उदाहरण यह है–

"यह युद्ध तुम्हारा भी इतिहास में याद रहेगा कि किस साहस और निडरता से तुम ने ऐसे शक्तिशाली और अहंकारी शासन के घमण्ड को तोड़ा और उनके अहंकार को ख़ाक में मिला दिया है और भारत के शासन को जिस पर बड़े-बड़े बादशाहों का दाँत था और उनसे (अंग्रेजों से) न ले सकते थे। तुम ने उसके कब्जे़ से सत्ता निकाल ली और हिन्दुस्तानी आवाम को जो कठिन घड़ी में आ गई थी इस मुसीबत से निकाल दिया।"[9]

उपर्युक्त विवरण 'देहली उर्दू अख़बार' ने अपने मुख्य पेज पर प्रकाशित किया था ताकि यह भाषण स्वतंत्राता सेनायिों का साहस बढ़ा सके। 1857 में 'देहली उर्दू अख़बार' के इस असाधारण योगदान के बारे में इमदाद साबरी लिखते हैं– "दिल्ली में जब तक जंग जारी रही उस समय तक 'देहली उर्दू अख़बार' ने न केवल अपने पृष्ठ आज़ादी को स्फ़ल करने के लिए समर्पित कर रखे थे बल्कि इसके संस्थापक मौलवी मुहम्मद बाक़र ने कलम की जंग के अतिरिक्त तलवार से भी अंग्रेजों से जंग लड़ी और जिस समय जंग नाकाम हुई और अंग्रेज़ दिल्ली में पदासीन हो गए तो अख़बार बंद होने के साथ मौलवी मुहम्मद बाकर अंग्रेजों की गोली का निशाना बने और शहादत पाई।"[10]

"1857 के जंगे आज़ादी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाचार-पत्राों में 'सादिकुल अख़बार' भी था। 'जिसने 35 विश्वसनीय उलेमा-ए-दीन का फतवा भी प्रकाशित किया था जिससे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी सिपाहियों की जंग को ज़िहाद की संज्ञा दी गयी थी।"[11]

1857 की जंगे आज़ादी की अस्फ़लता के बाद 'सादिकुल अख़बार' पर सरकार के विरोध में झूठी और बेबुनियाद खबरे छापने का आरोप लगाया गया। इस जुर्म में सैय्यद जमीलुउद्दीन हिज्र की गिरफ्तारी हुई और उन्हें तीन महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। जमीलुउद्दीन हिज्र अपने ज्ञान एवं

योग्यता के लिहाज़ से बड़े टिप्पणीकारों, समीक्षकों एवं मंझे सम्पादकों में शुमार होते थे और कवियों में भी उनका नाम लिया जाता था।[12] 13 मार्च, 1857 के 'सादिकुल अख़बार' में उनकी गज़ल प्रकाशित हुई जिसका एक शेर देखिए–

"हूँ तिश्ना–ए–उलफत न दे कौसर में से पानी
देना है तो दे अपने ही खंजर में से पानी।"[13]

1857 के जंगे आज़ादी में नई जान डालने और हिन्दू–मुसलमानों को एक बैनर तले जमा करने में 'पयामे आज़ादी अख़बार' की भूमिका काफ़ी सराहनयी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहादुर शाह ज़फ़र के पोते मिर्ज़ा बेदार बख़्त के आदेश से इस अख़बार का प्रकाशन फरवरी 1857 ई० में शुरू हुआ था। 'पयामे आज़ादी' के प्रकाशक मिर्ज़ा बेदार बख़्त थे लेकिन इसके विशेष व्यवस्थापक अज़ीमुल्लाह खाँ थे जो 1857 की क्रांति के वरिष्ठ नेता और सिपहसलार थे। उसी काल में बहादुर शाह ज़फ़र का ऐलान–ए–आज़ादी भी 'पायमे आज़ादी' में प्रकाशित हुआ था, जिसकी एक कॉपी 'लंदन टाइम्स' के विशेष संवाददाता सर विलियम रसेल ने अपने अख़बार को भी भेजी थी। देखिए–

"हिन्दूस्तान के हिन्दुओं और मुसलमानों, उठों। खुदा ने इंसान को जितनी बरकतें दी हैं, उनमें सबसे ज्यादा कीमती चीज़ आज़ादी है। वह अत्याचारी अंग्रेज जिसने धोखे से हम से यह बरकत छीन ली है, क्या सदैव के लिए हमें इससे वंचित रख सकेगा। नहीं, कभी नहीं। अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया है कि उनके गुनाहों का प्याला भर चुका है। खुदा अब नहीं चाहता कि तुम मौन रहो। क्योंकि इसने हिन्दुओं और मुसलमानों के हृदय में अंग्रेजों को अपने देश से निकालने की इच्छा पैदा कर दी है और खुदा के फज़ल से तुम लोगों की बहादुरी से जल्द ही अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह पराजय मिलेगी कि हमारे देश भारत में इनका ज़रा भी निशान नहीं रह जाएगा।"[14]

'पयामे आज़ादी' की ताकत हिन्दू–मुस्लिम एकता की ताकत थी जिससे अंग्रेज आतंकित होकर तिलमिला गये थे। सर हेनरी काटन अपनी किताब Indian and Home Memories में लिखा है कि अंग्रेजों ने जब वापस दिल्ली पर कब्ज़ा पाया तो ढूँढ–ढूँढ कर उन सभी लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया जिनके घरों से 'पयामे आज़ादी' का एक अंक भी निकल आया। सबसे दर्दनाक कहानी 'पयामे आज़ादी' के सम्पादक मिर्ज़ा बेदार बख़्त की है जिनके शरीर पर सुअर की चर्बी मल कर उन्हें फांसी दे दी गई। जनता के स्मरण में 'पयामे आज़ादी' में प्रकाशित होने वाले अज़ीमुल्लाह खाँ के कई गीत हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। 'पयामे आज़ादी' के प्रथम अंक में अजीमुल्लाह खाँ का जो गीत प्रकाशित हुआ था उसका एक बंद इस तरह है–

"हम हैं उसके मालिक हिन्दुस्ताँ हमारा
पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा

यह है हमारी मिल्कियत हिन्दुस्ताँ हमारा
इसकी अहमियत से रौशन है जग सारा
आया फरन्गी दूर से ऐसा मंत्रा मारा
लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा
आज शहीदों ने तुमकों अहले वतन ललकारा
तोड़ों गुलामी की ज़ंजीरें, बरसाओं अंगारा
हिन्दू मुसलमाँ, सिख हमारा भाई प्यारा
यह है आजादी का झण्डा इसे सलाम हमारा।"[15]

इसके अतिरिक्त 1857 की जंगे आज़ादी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाचार–पत्राों में सिराजुल अख़बार (दिल्ली), असअदुल अख़बार (आगरा), तिलिस्म (लखनऊ), सेहर सामरी (लखनऊ), रिसाला बग़ावते हिन्द (आगरा), उमद्तुल अख़बार (बरेली), हबीबुल अख़बार (बदायूँ), अख़बार मुरतज़ाई (पेशावर), चश्म–ए–ऱ्फैज (पंजाब), गुलशने नौ बहार (कलकत्ता), जैसे पत्रा थे। इन सब पत्राों के अतिरिक्त उर्दू का एक ऐसा भी पत्रा था जो स्वतंत्राता सेनानियों और देशभक्तों को 'नमकहराम', 'उपद्रवी' और 'विद्रोही' जैसे शब्दों से पुकारता था। वह पत्रा था 'कोहिनूर' जो अविभाजित पंजाब का पहला उर्दू समाचार पत्रा था। इसके स्वामी हरसुख राय थे और मुद्रक मुंशी नत्थू राम आनंद थे।

प्रेस सेंसरशिप

जब 1857 के क्रांतिकारी आंदोलन की शुरूआत हुई तो भारत के गवर्नर–जनरल लार्ड कैनिंग ने समाचार पत्राों की स्वतंत्राता को छीनने के उद्देश्य से कानून लागू किया जिसे पत्राकारिता के इतिहास में कानून जुबां बन्दी (Gagging Act) के नाम से याद किया जाता है। इसके तहत हर प्रेस के लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया। सरकार को अधिकार मिल गया कि वह जिस अख़बार को चाहे बंद कर दे और जिस पर चाहे सेंसरशिप लगा दे। इस कानून के तहत बहुत से समाचार पत्राों के खिलाफ कार्यवाही हुई जैसे–दूरबीन अख़बार, समाचार सुदर्शन, सुल्तानुल अख़बार, गुलशने नौ बहार इत्यादि।

निष्कर्ष

1857 की जंगे आज़ादी के आरम्भ और परिणाम से सभी परिचित हैं। अंग्रेज साम्राज्य के कब्जे के खिलाफ भारतवासियों के हृदय एवं मस्तिष्क में घृणा और शोक एवं क्रोध की जो चिंगारियाँ सुलग रहीं थी, उन्हें 1857 ई० की जंग ने ज्वाला जरूर बना दिया लेकिन यह अंग्रेजों के आशियाने को जला कर राख न कर सकी। लेकिन इसके तपन से उनके हृदय एवं मस्तिष्क के परखचे जरूर उड़

गए। जबकि यह उर्दू पत्राकारिता का शुरूआती दौर था और अभी यह पूरी तरह परवान नही चढ़ पायी थी, लेकिन शुरू में ही उर्दू पत्राकारिता को एक बड़ी चुनौती से गुजरना पड़ा जिससे उर्दू पत्राकारिता में अद्भुत साहस एवं निडरता पैदा हुई और इस प्रकार अत्याचारी शासकों के सामने हक की बात कहने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले उर्दू पत्राकारिता ने अपने कंधों पर ली। देश के स्वतंत्राता संग्राम से उर्दू पत्राकारिता ने सामूहिक तौर पर जिस तरह नेतृत्व की भूमिका निभायी है, वह भारत के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखने लायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जोशी, पी०सी० : इंकलाब 1857, उर्दू-भवन, नई दिल्ली, 2013, पृ. 29.
2. मुराबाबादी, मासूम : 1857 की क्रांति और उर्दू पत्राकारिता, खबरदार पब्लिकेशन, दिल्ली, 2021, पृ. 19.
3. गालिब, मिर्ज़ा : दस्तम्बू 1857 की डायरी (अब्दुल बिस्मिल्लाह- अनुवादक), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 21.
4. चन्दन, गुरबचन : उूर्द सहाफत का सफर, एजुकेशन पब्लिशिंग हाउस, देहली, 2021, पृ. 73.
5. वही, पृ. 74.
6. रिज़्वी, सैय्यद खुर्शीद मुस्तफाः तारीखे जंगे आज़ादी हिन्द, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, उ०प्र०, 2000, पृ. 344.
7. खुलासतुल अख़बार, दिल्ली, 13 अप्रैल, 1857.
8. मुरादाबादी, मासूम : 1857 की क्रांति और उर्दू पत्राकारिता, पृ. 24.
9. देहली उर्दू अख़बार, 21 जून, 1857.
10. साबरी, इमदादः रूहे सहाफत, मकतबा शाहराह, दिल्ली, 1968, पृ. 26-61.
11. मुरादाबादी, मासूम : 1857 की क्रांति और उर्दू पत्राकारिता, पृ0-136.
12. वही, पृ. 139.
13. सादिकुल अख़बार, दिल्ली, 13 मार्च, 1857.
14. मुरादाबादी, मासूम : 1857 की क्रांति और उर्दू पत्राकारिता, पृ. 144.
15. वही, पृ. 148.

महिला सशक्तिकरण पर आधुनिकीकरण का प्रभाव : भारत के संदर्भ में एक अध्ययन

डॉ० रॉली कुमारी
अतिथि सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग
एस०बी०एस०एस० महाविद्यालय, बेगूसराय
(एल०एन०एम०यू०, दरभंगा, बिहार)

विश्व में कोई समाज ऐसा नहीं है जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से अछूता है। भारत में भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने अनेक परिवर्तनों को जन्म दिया है। भारत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की विवेचना हम निम्नांकित तीन आधारों पर कर सकते हैं:-

1. आरंभिक आधुनिकीकरण,
2. स्वतंत्राता पूर्व आधुनिकीकरण एवं
3. स्वतंत्राता पश्चात् आधुनिकीकरण।

शब्द कोष :- आधुनिकीकरण, प्रक्रिया, अछूता, परिवर्तन, विवेचना, आधार, पश्चात्।

1. **आरंभिक आधुनिकरण** - भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ बहुत पहले ही हो गया था। यदि हम पदमूलक गतशीलता को आधुनिकीकरण की एक विशेषता मानें तो हम देखते हैं कि भारत में संस्कृतिकरण के माध्यम से पिछले ढाई हजार वर्षों से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। भारत में में तब वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। प्रो० एम० एन० श्रीनिवास ने पाया कि भारत में प्रत्येक युग विभिन्न वर्ण और जातियाँ कभी ऊपर उठती रही है एवं कभी नीचे गिरती रही है। उदाहरण के लिए वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति अजेय थी और क्षत्रियों का पद गौण था। उसके बाद ब्राह्मणों ने कर्मकाण्डों के प्रति तथा विशुद्ध क्षत्रिय राजकुमारों ने जैनवाद एवं बौद्धवाद के नये सुधार आंदोलनों को विकसित कर क्षत्रियों की सामाजिक श्रेष्ठता में वृद्धि की। ऋग्वेद काल में वैश्यों का उदय साधारण विकास जनजातियों से हुआ।

इतिहासकारों के अनुसार मध्ययुग के भारत में राजनैतिक इकाइयों पर शासन प्रायः नीच कुलों के लोग ही करते थे, अठारहवीं शताब्दी तक के भारत में राजनैतिक व्यवस्था की स्थिरता वर्ग जिसमें

सैनिक परम्परा होती थी, वह कृषि योग्य जमीन पर अधिकार करके और यहाँ तक कि शासन को हथिया कर भू-स्वामी या राजा बन जाता था। इस प्रकार की पदमूलक गतिशीलता आधुनिकीकरण ही मानी जा सकती है।

2. **स्वतंत्रातापूर्व आधुनिकीकरण** - भारत में सही तौर पर आधुनिकीकरण प्रक्रिया का सूत्रापात ब्रिटिश शासन से हुआ। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत अनेक छोटी रियासतों में विभाजित था। आधुनिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से अछूता भारत मूलतः एक परम्परावादी राष्ट्र था। ब्रिटिश शासन ने भारत में संरचनात्मक एवं संस्थात्मक परिवर्तनों को जन्म दिया। प्रो० एम० एन० श्रीनिवास ने ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों में भारतीय संरचना पर पड़े प्रभाव को पश्चिमीकरण कहा है। वर्त्तमान पुलिस, सेना, शिक्षा, नहरें आधुनिक संचार एवं परिवहन साधन आदि सब ब्रिटिश की देन कहे जाते हैं।

भारत में आधुनिकीरण की प्रक्रिया में "शिक्षा" ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। आधुनिक शिक्षा के प्रसार से बृद्धिजीवियों ने हिन्दू धर्म के धार्मिक ग्रंथों और हिन्दू धर्म की परम्पराओं की तार्किक दृष्टि से व्याख्या की। इन्होंने भारत में अनेक ट्रस्टों एवं मिशनों जैसे ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से हिन्दू धर्म की कुरीतियों, रूढ़ियों एवं अंध-विश्वासों जैसे मानव - बलि, सती-प्रथा, अस्पृश्यता, जाति-प्रथा, दास - प्रथा, बालिका - हत्या देवदासी प्रथा आदि का विरोध किया और नवीन मूल्यों की स्थापना की। डॉ० बी० बी० मिश्र ने लिखा है कि "भारत में नवीन मध्य वर्गीय वर्ग की ब्रिटिश शासन काल में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की वृद्धि की ही उपज है।"

ब्रिटिश शासन की पश्चिमी शिक्षा ने एक ऐसे वर्ग का विकास किया जो सार्वजनिक सेवकों, वकीलों, शिक्षकों, क्लर्कों आदि के रूप में देखे जा सकते हैं।

भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप ही धर्मनिर्पेक्षीकरण का विकास हुआ। अंग्रेजी शासन मैकाले ने ही यहाँ अंग्रेजी का शुभारम्भ किया। उनका तो स्वप्न था कि सभी धर्मों, जातियों लिंगों एवं वर्गों आदि के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था स्थापित करके भारत में आधुनिकीकरण का विकास किया जाय, किन्तु परम्परावादियों के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो पाया।

ब्रिटिश शासन में ही भारत में "राजनीतिक" की प्रक्रिया का भी शुभारम्भ हुआ। भारत में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप एक और भाषायी चेतना और साम्प्रदायिकता का विकास हुआ। राजा राममोहन राय के समय से महात्मा गाँधी के काल तक राष्ट्रीयता की भावना एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास तीव्र गति से हुआ। गाँधी ने भारत में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया का विकास इस तरह किया कि परम्परात्मक प्रतीकवाद और सुधारवादी विचारों का समन्वय हो सके।

ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण ही भारत में नवीन वेश-भूषा, खान-पान की आदतों, कला और इन सबसे बढ़कर भारतीय सामाजिक संस्थाओं जैसे जाति-प्रथा, विवाह, संयुक्त - परिवार, नातेदारी, ग्रामीण जीवन आदि में भी व्यापक परिवर्तन हुए और इन सामाजिक संस्थाओं में अनेक नवीन एवं आधुनिक मूल्यों का समावेश हुआ। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सही तौर पर प्रारम्भ ब्रिटिश शासन से हुआ।

3. **स्वतंत्राता पश्चात् आधुनिकीकरण** - स्वतंत्राता प्राप्ति के बाद भारत में आधुनिकीरण की प्रक्रिया की गति बहुत तेज हो गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिकीरण की प्रक्रिया एक छोटे से जान - समुदाय तक ही सीमित रही जबकि स्वतंत्राता प्राप्ति के बाद इसमें आश्चर्यजनक रूप में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप हमारे व्यवहारों, खान-पान, रहन-सहन के नियमों, भाषा, वेश-भूषा, पारिवारिक संगठन, पारस्परिक सम्बन्धों, सामाजिक व्यवस्थाओं, व्यवस्थाओं, नैतिकता, शिक्षा, धर्म प्रथा, परम्पराओं, दृष्टिकोण, विचारों आदर्शों तथा हमारी जीवन पद्धति में स्पष्टतः पश्चिमी समाज की झलक दिखाई देने लगी है। सदियों से रूढ़िवादी और शोषण से युक्त हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों के लिए पश्चिमी संस्कृति जीवन का एक आदर्श बन रही है। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत को एक "धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य" और समाजवादी समाज बनाने का मसौदा तैयार किया और इसी से संविधान बना। यह प्रयास स्वतंत्राता पश्चात् आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। अनेक योजनाओं विशेषकर पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को उत्पन्न करने से भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भारत में स्वत्रांता के पश्चात् हुए आधुनिकीरण के तत्वों में राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, भूमि से अतिरिक्त श्रम का निष्कासन, नियोग की प्रेरणा, बचत का महत्व, धन का समान वितरण, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के बढ़ते अवसरों का विकास, जनसंख्या पर नियंत्राण एवं आर्थिक व सामाजिक एकीकरण प्रमुख हैं। इस प्रकार भारत में आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप ही सामाजिक विकास एवं आधुनिकीरण को बल मिला। शिक्षा, प्रतिरक्षा, विज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों, स्वास्थ एवं सुविधाओं, कृषि विकास, सहकारिता आंदोलन, सिंचाई, बिजली, सामुदायिक विकास योजनाओं लघु एवं कुटीर तथा वृहत उद्योगों की स्थापना एवं विकास, औद्योगिक उत्पादनों एवं उनका उपभोग, परिवहन, आवागमन एवं संचार के साधनों, कल्याण योजनाओं आदि में स्वतंत्राता के बाद अभूतपूर्व वृद्धि हुई और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्र हुई।

स्वतंत्राता के पश्चात् भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में भी तीव्र आधुनिकीरण हुआ। भारतीय संविधान में समस्त धर्मों, जातियों, लिंगों एवं वर्गों आदि के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सिद्धान्त की स्थापना की। संविधान के द्वारा ही अस्पृयता को समाप्त किया गया। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 में हिन्दू विवाह

अधिनियम, 1956 में उत्तराधिकार अधिनियम, 1961 में दहेज निरोध अधिनियम एवं अन्य अनेक उद्योग, श्रमकल्याण, परिवहन अधिनियम आदि किए गए। इस प्रकार स्वतंत्राता के बाद इन सामाजिक विधानों ने एक निश्चित सीमा तक शिक्षित भारतीयों से विश्वव्यापी सामाजिक मूल्यों को जागृत करके उनमें वैचारिक परिवर्तन उत्पन्न किये।

हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्राता से पूर्व के अधिनियम तथा आधुनिकीरण में ब्रिटिश शासन एवं "पश्चिमीकरण" का प्रमुख हाथ था परन्तु स्वतंत्राता के बाद हुए आधुनिकीकरण में भारत अन्य प्रमुख विकासशील राष्ट्रों जैसे- अमेरिका, जापान, जर्मनी, फांस, कनाडा आदि के घनिष्ठ संपर्क में आया, जिसके फलस्वरूप, हमने इन देशों के सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिक आदर्शों को एक निश्चित सीमा तक अपनाकर भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शक्तिशाली बनाया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का शुभारम्भ जो मूलतः ब्रिटिश शासन से प्रारम्भ हुआ था, स्वतंत्राता प्राप्ति के पश्चात् अत्यंत तीव्र गति से भारतीय जन-जीवन पर छा गया। भारत के परम्परागत रहन-सहन, खान-पान, भाषा, वेश-भूषा, स्थिति, त्योहार, परम्पराएं, प्रथाएं, रूढ़ियों लोकविश्वासों, ग्रामीण जीवन शैली, शिक्षा व्यवहार, प्रतिमानों, जाति प्रथा, विवाह, संयुक्त परिवार, नातेदारी एवं सम्पूर्ण रूप से भारतीय जन-जीवन का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक पक्षों में आधुनिकीकरण के छाप किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देती है। भारतीय जन-जीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जो इस आधुनिकीकरण कि प्रक्रिया से पूर्णतः अछूता रहा हो। अतः भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अत्यंत बलवती एवं तीव्र रही है।

भारत में आधुनिकीकरण की बाधायें - उपर्युक्त विवेचना के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के बाद आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है, लेकिन फिर भी विश्व के अनेक देशों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप में भारत से बहुत अधिक रही है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से इतनी तीव्र नहीं हो पाईं, उसके अनेक कारण हैं। इन्हीं कारणों से भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में कमी आम्र है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रमुख बाधाओं को हम निम्न बिन्दुओं में रखकर समझ सकते हैं।

धार्मिक एवं पवित्रा समाज - भारत मूल में एक धार्मिक राष्ट्र है। अनेक धर्म और उनके धर्मावलम्बी इस राष्ट्र में रहते हैं। फिर भारत एक पवित्रा समाज है जिसमें परम्परागत मान्यताएँ धार्मिक विश्वास, दार्शनिक विचारधाराएँ एवं स्वीकृत आदर्श नियम, परम्पराएँ, प्रथाएँ तथा रूढ़ियाँ आदि हैं। इसी कारण भारतीय समाज के लोग आधुनिकता के विचारों को सुगमता से स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि इन विचारों का प्रतिरोध ही करते हैं। ब्रिटिश शासन काल से लेकर आजतक परम्परवादियों ने प्रत्येक आधुनिक

विचार की कटु आलोचनाएँ की। हिन्दू पवित्रा समाज के लोग धर्म के कारण आधुनिकीकरण के अवरोध में कर्म, धर्म संसार, आश्रम, मोक्ष, माया, पाप, पुण्य, रूपी अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। गुन्नार मिर्डल ने अपनी कृति "एशियन ड्रामा" में लिखा है कि भारत जैसे परम्परागत समाज टैब तक आधुनिकीकृत नहीं हो सकता, जब तक कि उसके परम्परागत विश्वास, मूल्य आदर्श नियम, कर्मकाण्ड और सामाजिक संस्थाओं का पूर्णरूपेण विघटन नहीं होता है।

जाति एवं संयुक्त परिवार प्रथा – भारत को जातियों का अजायबघर कहा जाता है। भारतीय जाति–प्रथा की जड़े इतनी गहरी है कि वे सुगमता से समाप्त नहीं की जा सकती। जात–प्रथा में असमानता के आयाम इतने सुदृढ़ एवं कठोर हैं कि वे विभिन्न सामाजिक समूहों के सदस्यों के बीच समानतावादी दृष्टिकोणों को विकसित नहीं होने देती। प्रजातांत्रिाक व्यवस्था में वैधानिक तौर पर जातिगत भेदभावों को कोई महत्व नहीं दिया जाता परन्तु व्यवहार स्थिति दूसरी है। आज भी अधिकांश भारतीय किसी–न–किसी रूप में जाती से चिपके हुए हैं।

इसी प्रकार पिरवार प्रथा की आधुनिकीकरण में एक बाधा ही है। संयुक्त परिवार में व्यक्तिवादी हितों का विरोध कर प्रत्येक तबके के लिए सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। भारत के संयुक्त परिवारों के सामाजीकृत व्यक्तियों में व्यक्तिवाद के मूल्यों का विकास होना अत्यंत कठिन है। ये व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नगरों में जाकर विभिन्न आधुनिक व्यवसायों में संलग्न होने के बाद भी संयुक्त परिवार एवं उसकी परम्पराओं से जुड़े रहते हैं। फलस्वरूप आधुनिकीकरण में बाधा उपस्थित होती है।

दोषपूर्ण शिक्षा – व्यक्ति के सामाजिकरण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को आधुनिकीकृत बनाने एवं उसे कुरीतियों, परम्पराओं, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों से हटाने में शिक्षा की भूमिका उल्लेखनीय है। भारत में प्रचलित धार्मिक शिक्षा ने भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बाधा उपस्थित की है। दूसरी ओर, ब्रिटिश शासन में विकसित अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार–प्रसार महज अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया। इस शिक्षा से आधुनिकीकरण को जो थोड़ा बहुत बल मिला वह महानगरों एवं शहरों तक ही सीमित रहा। ग्रामों में तो अंग्रेजी शिक्षा ने बहुत कम परिवर्तित किया एवं गांव के लोगों को, जो भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग, आधुनिकीकरण से वंचित रहा। दूसरी ओर शिक्षा प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है कि वह पाश्चात्य वेश–भूषा, खान–पान एवं औद्योगिक उत्पादनों के प्रति काम या अधिक मात्राा में भारतीय लोगों को आकर्षित करने में सफ़ल रही है, परन्तु शिक्षा प्रणाली उनमें व्यक्तिवाद, मानवीय सृष्टि, समानता, स्वतंत्राता आदि नवीन एवं आधुनिक मूल्यों को विकसित नही कर पाई। इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय शिक्षा पद्धति ने भारतीयों में तार्किकता, गतिशीलता एवं विभिन्न क्षेत्राों में साझेदारी के आधुनिक दृष्टिकोणों को विकसित नहीं किया।

निहित स्वार्थ– भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का एक और अवरोध व्यक्तियों, समूहों एवं दलों के अपने निहित स्वार्थ हैं। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा एवं आधुनिक व्यवसायों का प्रशिक्षण इसीलिए प्रारम्भ एवं विकसित नहीं किया क्योंकि उन्हें भय था कि बाद में भारत के लोग स्वतंत्रा होकर उद्योगों की स्थापना कर सकेंगे, बल्कि वे तो इनके प्रति भारतीयों का मोह इसलिए पैदा करना चाहते थे ताकि वे अपनी उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार तैयार कर सकें। स्वाधीनता के बाद गांधीजी ने औद्योगिकीकरण का विरोध इसलिए किया कि उन्हे भय था कि औद्योगिकीकरण भारतीय गांवों की आत्मनिर्भरता को समाप्त करके लोगों में बेकारी एवं अन्य औद्योगिक समस्याओं को जन्म देगा। श्रमिक लोग कारखानों में अभिनवीकरण, स्वचालीकरण एवं कंप्यूटरीकरण का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भय है कि इससे उनमें बेकारी और बढ़ जाएगी। राजनैतिक अभिजात वर्ग आधुनिक विचारों को अत्यंत सावधानी से ग्रहण करते हैं। बहुत से राजनैतिक दल राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लालच में भाषावाद, जातिवाद एवं प्रदेशिकतावाद आदि को भड़काकर आधुनिक मूल्यों को चुनौती देते हैं।

आर्थिक समृद्धि का अभाव– किसी भी समाज के आधुनिकीकरण की पहली शर्त है कि वह आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली हो। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उसे आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकि पर आधारित औद्योगिक समाज का निर्माण करना पडता है जिससे प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हो एवं उनका सामान्य जीवन स्तर उच्च हो सके। भारत वस्तुतः आर्थिक समृद्धि की उन सीमाओं को नहीं छू पाया है, जिनकी अपेक्षा तीव्र आधुनिकीकरण के लिए की जाती है। यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है जबकि अधिकांश भारतीय गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। एक व्यक्ति नवीन प्रौद्योगिकी से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग अनेक बार और सामान्यता इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास उन्हें खरीदने के लिए आवश्यक धन नहीं है। आर्थिक संकट के कारण ही भारत आधुनिकीकरण की रफ्तार को तीव्र नहीं रख पाया।

निष्कर्ष :–

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में आधुनिकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। जबकि स्वतंत्राता से पूर्व ही भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का शुभारम्भ हो गया था और स्वतंत्राता के बाद तो उसमें गति भी आई है, फिर भी यह गति अपेक्षाकृत कम है। आज संसार के राष्ट्र जिस तीव्र से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं एवं एक के बाद एक नए आयाम खोज रहे हैं, उसकी तुलना में भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अभी बाल्यावस्था में है। बोटोमोर ने लिखा कि "भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बहुत कम प्रभावशाली रहे हैं, क्योकि उनमें अभी तक शक्तिशाली एवं विशिष्ट

सामाजिक और राजनैतिक विचारधारा की लहर का उदय नहीं हो सका। इस प्रकार भारत में वास्तविक बौद्धिक शिविर नहीं है, सामाजिक सिद्धांत के समक्ष सम्प्रदाय नहीं है और एक यथार्थ रूप में नवीन और आधुनिक संस्कृति के लिए लक्ष्य नहीं है।

लेकिन बोटोमोर का कथन पूर्णतया सत्य हो, ऐसा नहीं है। भारत में वर्तमान में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय समाज में भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से गतिशील होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एस० एन० आइसेनस्टैट : मोडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एण्ड वेंज।
2. एम० मिचेल : मोडर्नाइजेशन एण्ड सोशल स्ट्रकचर।
3. डेविड ऐप्टर : सोशल चेंजं
4. प्रो० मूरे: द इम्पैक्अ ऑफ इंडस्ट्रीज।
5. योगेन्द्र सिंह : मोडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन।
6. एन० प्रसाद : चेंज स्ट्रेटेजी इन ए डेभलपिंग सोसायटी।
7. डी० लर्नर : ओप वीट.।
8. डब्लू० जी० स्मीथ : मोडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन सोसायटी।
9. डॉ० डी० पी० मुखर्जी : क्वोटेड फॉम डाइभरसीटीज, 1958।
10. कृष्ण मुकर्जी : सोसिओलोस्टस एण्ड सोशल चेंज इन इंडिया टूडे।
11. डॉ० एस० पी० नागेन्द्र : द कंसेप्ट ऑफ रीच्यूअल इन मोडर्न सोसियोलौजिक थ्योरी, 1971।
12. डॉ० बी० बी० मिश्रा : द इंडिया मिड्स क्लास, 1951।

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

‘अदहन’ भोजपुरी कविता संग्रह

सुरसेन बहादुर
शोधार्थी, हिन्दी विभाग
तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु

लेखक संतोष पटेल हिंदी और भोजपुरी के एक प्रतिष्ठित व सम्मानित रचनाकार हैं। इनके बारे में बात करते हुए भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, “कवि संतोष कुमार अंग्रेजी हिंदी और भोजपुरी पर समान अधिकार रखने वाले रचनाकार हैं पर उनकी कविताओं में जैसी ठेठ भोजपुरी के निठाह शब्दों का प्रयोग हुआ है, वह आश्चर्यजनक है। कवि को शायद संस्कृति पर भी अच्छा अधिकार है।” उपर्युक्त कथन न केवल कवि की विद्वता का झलक प्रस्तुत करता है बल्कि गंभीर और उच्च कोटि की कविता का प्रमाण पत्रा भी प्रदान करता है। यह कथन मात्रा ही कवि और कविता के महत्व को बताने के लिए पर्याप्त है।

भोजपुरी साहित्य के महान लोकधर्मी भिखारी ठाकुर जी को समर्पित यह पुस्तक केवल लेखन के हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया शब्दविधान मात्रा नहीं है। इस संग्रह में ऐसी कविताएँ भी हैं जो भोजपुरी भाषा-भाषियों की पीड़ा को समेट कर व्यक्त करती हैं। भोजपुरी भाषा के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार और उसे उचित स्थान नहीं मिल पाने के दुःख को कवि ने प्राथमिकता से व्यक्त किया है। कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से एक बड़ा सहृदयी समाज के हृदय को छू लिया है। यह कविता संग्रह भोजपुरी काव्य रचना की परंपरा जिसे भिखारी ठाकुर और महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे महान रचनाकारों ने संकल्पना प्रदान की तथा अपनी रचनाओं से समृद्ध बनाया, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में संतोष कुमार की भूमिका अहम है। काव्य संग्रह ‘अदहन’ अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता की ओर अग्रसर प्रतित होता है। ‘अदहन’ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, चावल या दाल आदि पकाने से पहले गर्म किया जाने वाला पानी। जो एकदम उबलने लगता है तब उसमें चावल या दाल डालकर पकाते हैं। संभवतः कवि ने अपने काव्य संग्रह का नाम भी कुछ ऐसा सोच कर रखा है। यह ‘अदहन’ भोजपुरी साहित्य के साहित्यिक चावल का अदहन है जो नए पुराने तमाम रचनाकारों को और पाठकों को साहित्यिक हृदयस्पर्शी अनुभव के साथ-साथ नये रचनाकारों को परिपक्वता प्रदान करेगा। इस कविता संग्रह में कुल 58 कविताओं को संकलित किया गया है। इस संग्रह की हर कविता दूसरी कविताओं से अलग हैं। हर एक कविता एक अलग भाव की अभिव्यक्ति करती है तथा अलग-अलग अनुभूति प्रदान करती है।

इस कविता संग्रह में संकलित पहली कविता का नाम है 'अदहन'। इस कविता में भोजपुरी भाषा के साथ हो रहे अन्याय को लेखक लाक्षणिक रूप में व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं,

"अदहन जब खउली / खदकी
त
झुलसा दी बदगुमानी के। मुँह
फफोला हो जाई
अन्याय के चेहरा पर"

अगली कविता का शीर्षक है 'हमार डोमा काका अब डोमा मियाँ काहे?'। इस कविता में कवि डोमा काका का दु:ख व्यक्त करते हैं। उन्हें इस बात का अफसोस है, पढ़े लिखे समाज से जहाँ जाति और धर्म के रूढ़िवादी सोच का उन्मूलन होना चाहिए वहाँ ठीक उल्टा हो रहा है। कविता के पात्रा डोमा काका को डोमा मियाँ, जो एक जातिबोधक संबोधन है उसे संबोधित किया जाने लगा है। कविता की पंक्ति इस प्रकार है –

"आजुओ हमरा गाँव के जाति धरम से हटल भाव
रचल बा / बसल बा
आजुओ डोमा काका / केहू के फूफा
केहू के मामा / केहू के भइया त केहूके सार लगेलें
....
....
अचके / ना जानी जे
कवना हावा बहल की नेह छोह आ अपमान के
डेहरी ढहल / अब कुछ लोग उनका के
नया विश्लेषण देत बा / डोमा मियाँ"

यह नया विश्लेषण न केवल डोमा काका को आहत करता है, बल्कि समाज में व्याप्त संकुचित मानसिकता को भी व्यक्त करता है जो कहीं न कहीं सामाजिक सद्भाव और व्यावहारिक शिक्षा की कमी को दर्शाता है।

आगे हमें एक और कविता मिलती है, जिसका शीर्षक है *'अच्छा दिन केने बा?'* जब चुनाव का समय नजदीक आता है, चुनाव प्रचारक और नेता लोग जनता के बीच आ–आ कर वादा करने लगते हैं। जनता को स्वप्न दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। लेकिन अच्छा दिन तो केवल नेताजी के घर मे ही आता है। कवि जनता का दु:ख कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं –

"अच्छा दिन!
इ त आइले बा
नेताजी के परिधान में
नेताइन के कंगना में
सोना के हर में
हीरा के झुमका में
प्लैटिनम के ठुमका में"

इसी संग्रह में एक कविता है 'किसान के पिसान'। आज देश के राजनीति के केंद्र में अगर कोई है तो, वह किसान है। चाहे सत्ता में कोई भी हो आश्वासन परक घोषणाएँ सभी करते हैं लेकिन वास्तव में किसानों की भलाई के लिए कोई कुछ नहीं करता। किसानो की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है।

"किसान हो के / उ हो गइल बा एगो सीढ़ी
सत्ता के सिंहासन पर पहुँचावे ला"

सत्ता तक पहुँचने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियाँ किसानों का, उनके भोलेपन का इस्तेमाल करती हैं। सब अपनी पार्टी को किसान हितैषी बताते हैं और ज्यादा से ज्यादा खुद को किसानों के करीब दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी तो कुछ लोग किसानों की पीड़ा का अनुभव बताते-बताते घड़ियाली आँसू बहाने से भी नहीं चूकते। दिखावा और आँसू का यह सिलसिला तब तक चलते रहता है जब तक पार्टी सत्ता में नहीं आ जाती। सत्ता मे आते ही सबसे ज्यादा वसूली किसानों से ही की जाती है।

"किसान त पिसान भइल जात बाड़े
भूखमरी के चकरी में पिसा के
पुलिस के गोली खा के
महाजन के करजा में दबा के..."

भूख से सबको निजात दिलाने वाला किसान हर तरफ से शोषण का शिकार होते जा रहा है। इस बात से किसी और को कोई फर्क पड़े या ना पड़े लेकिन एक साहित्यकार केसे चुप रह सकता है। कवि किसानों के दुःख को और अपनी पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। किसानों का यह दर्द वास्तव में भारत का दर्द है।

एक कविता है 'चिट पट दुनू हमार'। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस सामंती और रूढ़िवादी विचारधारा को दिखाने का प्रयास किया है जो भारत में लोकतंत्रा के आने के पहले अपने चरम पर

था और आज भी आश्रय प्राप्त फलीभूत है। हमारा समाज आज भी उस व्यवस्था से आजाद नहीं हो पाया है। आज भी वही सत्तारूढ़ है जो पहले था। आज बस तरीका बदल गया है। आज भी उसके लिए मंदिरों के दरवाजे बंद हैं जो पहले हुआ करते थे।

"आजुओ ओकरा कई गो मंदिर में
जाये के आजादी नइखे
ना भगवान के छुवे के"

'खीरावाला' कविता पढ़ने के बाद जो बिम्ब उभर कर सामने आता है वह बड़ा ही हृदय विदारक है। एक खीरा बेचने वाला व्यक्ति ठेला पर खीरा रखकर बेच रहा है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। खीरा वाला लाचार है, हताश है और सोच रहा है यदि खीरा नहीं बिका तो क्या होगा?

"चूल्हा जरी केईसे
छोटका बचवन के
पेट भारी केईसे"

कविता के इन तीन पंक्तियों से गरीबी और बेरोजगारी का पूरा दृश्य उभर कर सामने आ जाता है। आंखों से आँसू छलक आते हैं। हृदय को छू लेने वाली यह कविता अपने आप में पूरे भारत के गरीब किसान और दिहाड़ी मजदूरों की वेदना को समेटे हुए है।

इस कविता संग्रह में गरीबी भी है, शिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है, राजनीति भी है। साथ ही माई–बाप, भाई–बहन की दारुण कथा भी है। भोजपुरी के सहज शब्दों का प्रयोग कर लिखी गयी यह कविता संग्रह भोजपुरी साहित्य प्रेमियों को दिया जाने वाला एक अद्‌भुत उपहार के समान है।

'नोकरी' कविता में कवि बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति का पूरा समय नौकरी के काम में ही बीत जाता है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति चाहकर भी अपने लिए, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता। नहीं चाहते हुए भी वह उलझनों में उलझे रहता है। नौकरी पाने और करने के भागदौड़ में उसकी उम्र ही गुजर जाती है।

"घर से आफिस / आफिस से घर
एही में बीत जाला / पाँच पहर
....
....
बाल बच्चा / नेह नाता / माई बाबू
घरवाली / कूल्ह के कूल्ह

भुलाइल जाता
नोकरी के चकरी में पिसाइल जाता"

आज का दौर एक ऐसा दौर है जिसमें सब लोग नौकरी करना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण चाहे कुछ भी हो लेकिन यह सत्य है कि लोग इस चक्कर में नाही नौकरी की जिम्मेदारी को ही अच्छे से निभा पा रहे हैं, नाही अपना मूल कर्तव्य ही समझ पा रहे हैं। जो वास्तविक दायित्व है जिसे वास्तव में व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, उससे दूर होते जा रहे हैं। हम नौकरी के चक्कर में अपने नैतिक कर्तव्यों को ही भूलते जा रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि वास्तव में हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारी वास्तविक जिम्मेदारी क्या है। लेकिन यहाँ गरीबी और भुखमरी की कुछ ऐसी हालत बनी हुई है कि लोग नौकरी को ही अपना परम कर्तव्य मान चुके हैं।

'झुग्गी झोपड़ी' कविता में कवि झुग्गियों में रहने वालों की पीड़ा को महसूस करते हुए अपनी सहानुभूति के साथ उन विचारधाराओं पर व्यंग्य के माध्यम से गहरा प्रहार करते हैं, जिनके विचारों में यह शुमार है कि झुग्गियाँ महानगरों की शोभा खराब करती हैं। उन झुग्गी वालों की स्थिति पर विचार कोई नहीं करता, उनकी दयनीयता, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी तकलीफें आदि को जानने समझने की कोशिश कोई नहीं करता। कोई यह नहीं जानना चाहता कि वे इस हालत में क्यों हैं? किसी के पास इतना वक्त नहीं कि जरा सा ठहर कर उनके लिए भी सोच ले। लेकिन उन्हें महानगर के सुंदरता की चिंता अवश्य सताते रहती है। उन्हें लगता है कि महानगर की सुन्दरता में कमी आ रही है तो, केवल झुग्गियों के वजह से। आए दिन अखबारों में कई तरह की घटनाएँ देखने को मिलती हैं, जिसमें झुग्गी वालों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार ही ज्यादा दिखता है। कहीं झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा होता है तो, कहीं विस्थापित किया जा रहा होता है। लेकिन उनकी मूल समस्या को दूर करने की कोशिश कोई नहीं करता आखिर क्यों? ऐसी बातों को कविता में उठाना कवि की दूरदर्शिता और सामाजिक सद्भाव के विचार को अभिव्यक्त करता है। कोई इस विषय में बोले या ना बोले लेकिन कवि यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि साहित्य मौन नहीं रहने वाला। समाज के हर भले-बुरे कामों पर साहित्य बोलता रहा है और बोलता ही रहेगा।

'माउण्टेनमैन' कविता के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि प्रेम में, प्रेमिका या प्रेमी के याद में जरूरी नहीं है कि ताजमहल ही बनवाया जाये, कुछ ऐसा काम भी किया जा सकता है जिसमें सरोकार हो, जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो लोकहित का कार्य हो। दशरथ माँझी के द्वारा अपनी पत्नी के प्रेम में किए गए अद्वितीय अनोखे काम की सहना ना होने, उनके सराहनीय काम के लिए उन्हें उचित सम्मान न मिल पाने के कारण कवि के हृदय में कहीं ना कहीं व्यवस्था से नाराजगी है। कवि

उस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं और उसके कारणों को बखूबी समझ भी रहे हैं। अपनी कविता में वे लिखते हैं –

"यदि केहू बड़का एकरा कइले रहित
त ओकरा मिलित पद्म पुरस्कार / मिलित भारतरत्न /
विनम्र प्रयत्न
बाकिर दशरथ मांझी गरीब /
दलित / महादलित
के दी? उनका के इ सम्मान"

इस कविता में कवि का केवल दुःख व्यक्त नहीं होता, वे लोकतंत्रा पर एक प्रश्न भी खड़ा करते हैं। कवि माउण्टेनमैन दशरथ मांझी को उचित सम्मान का हकदार मानते हुए यह बताते हैं कि इस व्यवस्था ने उनके साथ बेईमानी किया है।

'बचपन' कविता पढ़ते ही हमारे मस्तिष्क में बचपन की यादें गुंजायमान होने लगती हैं तो, वहीं 'पसेना' कविता में जाङ्गर तोड़ काम और उसकी पीड़ा हमें झकझोर देती है।'परिवार' कविता में परिवार का परोपकार, संवेदना और अपनापन देखने को मिलता है तो, वहीं 'राखी' कविता में भाई–बहन का विश्वास और स्नेह।

'बाढ़' कविता में कवि बाढ़ की विभीषिका को दिखाते हैं, उसके त्रासदी का वर्णन करते हैं तो, वहीं पानी का एक अनोखा बिम्ब भी देखने को मिलता है।

इस संग्रह की अंतिम कविता है – 'भेदभाव कहवाँ कम बा? अबो!'

"भेदभाव से उपजेला नफरत
जवन जारी बा देस में
दलित पिछड़ा आ अकलियत सङ्गे
भेष बनल बा गउरक्षक के
उना में इंसानियत के भक्षक के
नफरत कहवाँ कम बा? अबो!"

अपनी इस कविता में कवि स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि जिस भेदभाव को हम, हमारा समाज वर्षों से नकार देने का जो दिखावा कर रहा है वह आज भी बरकरार है। बल्कि उसने और भी मजबूती के साथ अपने पैर जमा लिए हैं। समाज में व्याप्त भेदभाव की वह पुरानी रीति खत्म नहीं हुई है, बल्कि वह अपना नया रूप अख्तियार कर चुका है। खासकर युवाओं में। भेदभाव तो अब राजनीति का

आधार बन चुका है उसे कहीं ढूँढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बल्कि बहुत ही आसानी से उसे देखा जा सकता है। स्कूल, मंदिर नुक्कड़, चौराहा आदि हर जगह। यदि ऐसे ही चलते रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सामाजिक सद्भावना अपनी समाप्ति की घोषणा कर रही होगी और हम मूकदर्शक बने होंगे।

इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण पुस्तक होने की सारी खूबियाँ मौजूद हैं। इस पुस्तक में भोजपुरी भाषा–भाषियों के विचार के साथ–साथ समूचे देश और दुनिया को भोजपुरी के माध्यम से, समाज को आईना दिखाने का साहित्यिक कर्म समाहित है। इस संग्रह में पूर्वांचल तथा तमाम हिंदी–भोजपुरी भाषियों के मन को आँक लेने और उनकी संवेदना को शब्द रूप में व्यक्त करने की क्षमता दिखती है। निश्चय ही यह पुस्तक पाठकों के हृदय तक उतर सकने की क्षमता रखती है।

भोजपुरी साहित्य प्रेमी तो इसे पढ़ेंगे हीं साथ ही उन्हें भी इसे पढ़ने और समझने में सहजता होगी जो भोजपुरी क्षेत्रा से नहीं आते लेकिन भोजपुरी उनको आकर्षित करती है। कवि ने अपनी कविताओं में अत्यंत सरल और सुगम शब्दों का प्रयोग किया है जिसे थोड़े बहुत भोजपुरी जानने वाले भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इस पुस्तक में मुझे जो सबसे खास बात दिखी वो यह है कि इसमें व्याकरण का बहुत ध्यान रखा गया है तथा शब्दों में अक्षरों का प्रयोग बहुत ही सतर्कता के साथ किया गया है। यहाँ भोजपुरी के शब्दों में वैसे अक्षरों का प्रयोग नहीं हुआ है जो पहले से भोजपुरी भाषा के चलन में नहीं हैं, लेकिन हिंदी में है। इन बारीकियों को यहाँ देखा और समझा जा सकता है। कवि को हिंदी और भोजपुरी के संरचनात्मक गहराई तथा मूलभूत जमीनी भेद की गहरी समझ है। अतः यह रचना संग्रह भोजपुरी के नये साहित्यकारों के लिए अत्यंत उपयोगी तथा लाभकारी होगी। इसे पढ़ते हुए मैं बहुत सारे नये शब्दों से परिचित हुआ जो एकदम सरल और सुंदर है।

भारतीय ऋषि परम्परा : विज्ञान एवं विश्व कल्याण

अलका केशरी
शोधछात्रा, संस्कृत
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या

प्राचीन काल में, भारत दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक था। भारत ने विश्व को अनेक बहुमूल्य योगदान दिये हैं। सदियों पहले भारतीय ऋषि–मुनियों के पास उस तरह का ज्ञान था, जिसका आधुनिक वैज्ञानिकों के पास अभाव है। कई भारतीय सन्तों ने ऐसी खोजों की जिसके बारे में उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था।

आधुनिक दुनिया कई तकनीकी आविष्कारों का श्रेय लेना पसंद करती है, लेकिन हम यह उल्लेख करने में किल रहते है कि प्राय: इनमें से अनेक खोजे हमारे पूर्वजों के ज्ञान पर आधारित पुन: आविष्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

उदाहरणस्वरूप 'महर्षि भारद्वाज' का नाम सर्वविदित है। महर्षि भारद्वाज सबसे महान् हिन्दू सन्तों में से एक थे जिनकी उपलब्धियों का विवरण पुराणों में मिलता है। उनके कार्यों में विमानन विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान और उड़ान मशीनों में आश्चर्यजनक और उत्कृट खोजें शामिल है। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों की तीन श्रेणियों का वर्णन किया है– 1. एक जो पृथ्वी पर एक–स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती है। 2. वह जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करता हो और 3. वह जो एक ब्रह्माण्ड से दूसरे ब्रह्माण्ड की यात्रा करता है। ऐसा विद्वानों का मानना था कि उड़ने की कला पर उनका काम अद्वितीय है। यथा–

"य: समर्थो भवेत् गन्तुं विमान इति स्मृत:"

इसी प्रकार 'आचार्य चरक' को 'चिकित्सा का जनक' के रूप में ताज पहनाया गया है। उनकी प्रसिद्ध कृति 'चरक संहिता' को आयुर्वेद का विश्वकोश माना जाता है। उन्होंने दस लाख हर्बल पौधों के औषधीय गुणों और कार्यों का वर्णन किया है। मानव शरीर रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, औषध विज्ञान, रक्त–परिसंचरण और मधुमेह, तपेदिक जैसी बीमारियों पर उनका शोध मात्र मानसिक है। आहार के मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के वे प्रबल समर्थक थे।

इसी सन्दर्भ में 'सुश्रुत' का नाम किसी से छिपा नहीं है। भारतीय शल्य चिकित्सक सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। अपने ग्रन्थ 'सुश्रुत संहिता' में उन्होंने 300 से अधिक सर्जिकल

प्रक्रियाओं और 125 सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया है, जिसमें स्केलपेल, सूई, केथेटर और रेक्टर स्पेकुम शामिल है, अधिकतर पशुओं और पंक्षियों के जबड़े से डिजाइन किया गया है। उन्होंने कई सिलाई विधियों का भी वर्णन किया है जैसे घोड़ों के बालों को धागे और छाल को रेशों के रूप में उपयोग करना। उनका शोध न केवल प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्रा में अग्रणी था, बल्कि उन्होंने एनेस्थीसिया के क्षेत्रा में भी कुछ महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। रूचिकर तथ्य यह है कि हिप्पोक्रेट्स से पहले भी उन्होंने चिकित्सकों के लिए नैतिक संहिता निर्धारित की थी।

इसी प्रकार 'वराहमिहिर' ऐसे भारतीय ऋषि थे, जिन्होंने 1500 साल पहले ही मंगल ग्रह पर पानी के होने की भविष्यवाणी की थी। वराहमीहिर ने प्रस्तावित किया कि चन्द्रमा और ग्रह अपने स्वयं के प्रकाश के कारण नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश के कारण चमकदार है। 'वृहत् संहिता' में उन्होंने भूगोल, नक्षत्रा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पशु विज्ञान के क्षेत्रा में अपनी खोजों का विवरण दिया है। 550 ईस्वी में वराहमिहिर ने 'वृहत् संहिता' में बड़ी संख्या में धूमकेतुओं का वर्णन किया है। उन्होंने मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की भविष्यवाणी की थी। वनस्पति विज्ञान पर अपने ग्रन्थ में वराहमिहिर ने पौधों और पेड़ों से पीड़ित विभिन्न रोगों के इलाज को प्रस्तुत किया है।

इसी तरह, भास्कराचार्य द्वारा उनके 'लीलावती', 'बीजगणित' नामक गणितीय कार्यों को अद्वितीय माना जाता है। सर आइजैक न्यूटन से 500 साल पहले भास्कराचार्य 'गुरुत्वाकर्षण' की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। 'सूर्य सिद्धान्त' में 'गुरुत्वाकर्षण बल' पर एक टिप्पणी है–

"पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। इसीलिए इस आकर्षण के कारण पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्रा, चन्द्रमा और सूर्य कक्षा में है।"

इसके अतिरिक्त महर्षि दधीचि, आचार्य कणाद, कपिल मुनि, पतंजलि, शौनक, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्रा, महर्षि अगस्त्य, बौधायन इत्यादि भरतीय ऋषि–मुनियों द्वारा विज्ञान एवं विश्व कल्याण हेतु अनेक कार्यों को किया गया।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसरो (ISRO- Indian Space Research Organization) के चीफ एस0 सोमनाथ का कथन है। हॉल ही में चन्द्रयान–3 का सफल प्रक्षेपण इन्हीं के दिशा–निर्देशन में किया गया। इनके अनुसार, विज्ञान के सिद्धान्तों की उत्पत्ति वेदों से हुई है तथा अलजेब्रा से लेकर एविएशन तक, सब कुछ पहले वेदों में ही पाया गया था। बाद में अरब देशों के माध्यम से सारा ज्ञान यूरोप तक पहुँचा, जिसे बाद में वहाँ के वैज्ञानिकों की खोजों के रूप में प्रस्तुत किया गया। एस0 सोमनाथ के अनुसार, अलजेब्रा, स्क्वार रूट्स, समय का परा कॉन्सेप्टस आर्किटेक्चर यूनिवर्स का स्टक्चर जैसी अनेक तथ्य या विषय–वस्तु सबसे पहले वेदों में पाई गई थी।

उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वेद श्रुति ग्रन्थ है अर्थात् वेदों को भारतीय ऋषि परम्परा के द्वारा ही विज्ञान और विश्व कल्याण की ओर अग्रसर किया गया। भारतीय ऋषि परम्परा के अन्तर्गत विज्ञान एवं विश्व कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर सदैव हितकर कार्य ही किये गये है।

जब सारी मानव जाति कोरोना की त्रासदी का सामना कर रही थी, ऐसी परिस्थिति में वैज्ञानिकों ने जो सलाह दी थी वे भारतीय परम्पराओं और शास्त्रों से उल्लेखित आचरणों के नियमों से पर्याप्त सामंजस्य रखती है। जूते-चप्पल घर के बाहर रखना, शुद्धि-अशुद्धि विचार, सुतक, मुक्ति विचार, रसोईघर में शुद्धि, जल, वायु व अन्न को शुद्ध रखना, अनावश्यक वस्तु या व्यक्ति के स्पर्श से बचना जैसी मर्यादाएं ही तो वैज्ञानिक आवरण लेकर प्रस्तुत की जा रही है। तुलसी, हल्दी, काली मिर्च, लौंग और अदरक जैसी औषधियों में देवताओं का वास, हमें इनसे निकटता, इनके संरक्षण व इनके समुचित प्रयोग के लिए प्रेरित करने हेतु ही ऋषि मुनियों ने सिखाया था।

भारतीय ऋषियों और मुनियों ने ही इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्रा को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए। उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने केवल मानव के लिए ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षी, समुद्र, पर्वत और वृक्षों-सभी के विषय में सोचा और सभी के सुरक्षित जीवन के लिए कार्य किया। भारत में कुछ ऋषि नहीं, अपितु महान् से महान् ऋषियों का जन्म हुआ है जो भारत को गौरवान्वित करते है इसीलिए तो कहा जाता है कि, भारत जैसा कोई देश नहीं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. महर्षि सुश्रुत, सुश्रुत संहिता
2. आचार्य प्रियव्रत शर्मा, सुश्रुत संहिता
3. आचार्य विद्याधर शुक्ल, प्रो0 रविदत्त त्रिपाठी, चरक संहिता
4. ऋषि चरक, चरक संहिता
5. गीता प्रेस गोरखपुर, योग दर्शन
6. सुरुचि प्रकाशन, दिल्ली, महान भारतीय ऋषि मुनि
7. डॉ0 सुदर्शन सिंह, आदर्श ऋषि मुनि
8. भास्कराचार्य, लीलावती
9. भास्कराचार्य, सिद्धान्तशिरोमणि
10. पतंजलि, योगसूत्रा
11. महर्षि नागार्जुन, सत्सहसारिका सूत्रा

12. पराशर ऋषि, वनस्पति विज्ञान
13. अचलेश्वर बुक्स, महर्षि दधीचि

उत्तर शती के हिन्दी उपन्यास में दलित चेतना का विकास

डॉ० सुरेन्द्र पाण्डेय
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, कूबा पी0जी0 कॉलेज,
दरियापुर, नेवादा, आजमगढ़

उत्तर शती के उपन्यास लेखन का फलक विषय एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से जितना व्यापक है, उतना ही वह विविधतापूर्ण भी है। उत्तर शती के काल प्रवाह में उपन्यासों के द्वारा मानव जीवन की निजी संवेदनाओं से लेकर पर्यावरण तक के तमाम पहलुओं की दखल ली गयी है। बावजूद इसके उत्तर शती का रचना समय 'स्त्राी' तथा 'दलित' इन दो हाशिए के बिंदुओ को साहित्य जगत की मुख्यधारा में ला खड़ा करने में स्रुल रहा है। निश्चितही इसके पीछे स्त्राी तथा दलित रचनाकारों की भूमिका अह्म रही है। परिणाम स्वरूप आज 'स्त्राी' और 'दलित' इन दो विषयों में लेखक, पाठक तथा आलोचकों को नये और अलग दृष्टिकोण से सोच विचार करने के लिए विवश किया है।

सन् 1970 के दशक के आस-पास मराठी साहित्य में दलित लेखकों द्वारा लिखित विद्रोही तथा आत्मकथनात्मक साहित्य का विस्फोट हुआ और उसी से प्रेरणा लेकर भारतीय साहित्य में 'दलित विमर्श' विगत तीन दशकों की सृजन यात्रा का सफर तय करने के बाद अपनी स्वतंत्र पहचान कायम करने में सफल साबित हुआ है। हालांकि आज भी हिंदी का दलित साहित्य मराठी की तुलना में प्रौढ और परिपूर्ण नहीं बना है। परंतु यह साहित्य उपन्यास, आत्मकथा, कहानी, कविता तथा वैचारिकी के रूप में निरंतर विकासमान बनने की अवस्था में है।

आज हम हिंदी में दलित साहित्य की जब चर्चा करते हैं तब इस साहित्य के दो पहलू हमारे सामने आते हैं- एक 'दलित विमर्श' और दूसरा 'दलित चेतना'। 'दलित विमर्श' पर टिप्पणी करते हुए तेजसिंह कहते हैं- "हिंदी साहित्य में दलित साहित्य के प्रादुर्भाव से पहले दलित चेतना नाम की कोई अवधारणा मौजूद नहीं थी। पर उसमें दलित विमर्श की प्रक्रिया अवश्य मौजूद थी जो निश्चित रूप से भारतीय जनजागरण की चेतना का परिणाम है।"[1] वे आगे कहते हैं- "भारतीय नवजागरण के व्यापक प्रभाव तथा तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक दबावों के चलते कुछ सवर्ण साहित्यकारों ने दलितों के प्रति अपनी चिंता प्रकट करते हुए दलितों की सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस तरह हिंदी उपन्यासों में 'दलित विमर्श' की प्रक्रिया शुरू हुई।"[2] इसी प्रकार 'दलित चेतना' की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे जी ने कहा है- "यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि दुनियाभर के संवेदनशील साहित्यकारों की दृष्टि मानवतावादी

होती है, फिर दलित चेतना की दृष्टि की विशिष्टता क्या है, तो इसका उत्तर है कि परंपरा में स्थित मानवतावाद आदर्श के स्तर तक ही रहता है, परंतु दलित चेतना का मानवतावाद 'यथार्थ' के स्तर पर, आचरण के स्तर पर क्रियाशील है।"[3] दलित चेतना की संकल्पना यदि हर्बर्ट मार्क्यूस के शब्दों में कहे तो "यह एक प्रति–सांस्कृतिक चेतना है और इसी लिए विद्रोही भी। इस चेतना की जड़ में भारतीय सामाजिक संरचना है, जो न सिर्फ जातिपर आधारित है, बल्कि इस जाति व्यवस्था को धार्मिक वैधता भी प्राप्त है।"[4] अतः दलित साहित्य में दलित लेखकों द्वारा अभिव्यक्त जीवन की व्यथा, उपेक्षा तथा आक्रोश पर कमलेश्वरने कहा है– "दलित साहित्य दलितों के पाँच हजार वर्षो से भोगते आ रहे दुःख, दर्द, अपमान, उपेक्षा के विरुद्ध कलमबद्ध आवाज है।"[5] अतः यह कहा जा सकता है कि "समकालीन संदर्भ में दलित साहित्य की चर्चा जोरों पर है, दलित आंदोलन का संबंध भी इसके साथ असंदिग्ध रूप से है। यह वर्ग दबाव की जिस पीड़ा को भोगता आ रहा है, उसकी सहज प्रतिक्रिया के रूप में इसका आविर्भाव हुआ है।"[6]

जैसा कि उपर हमने कहा है, 'दलित विमर्श' और 'दलित चेतना' यह दोनों पहलू भिन्न है। हिंदी उपन्यास साहित्य का आरंभ से यदि अवलोकन करे तो पाएंगे कि अधिकतर उपन्यासों में दलित जीवन के विविध आयामों को मात्रा अभिव्यक्ति मिली है और कुछेक उपन्यासों में दलित पात्रा दीन–हीन रूप में दर्शाए गए हैं। परंतु दलित विमर्श की यह स्थिति उत्तरशती के उपन्यासों में परिवर्तित हुई दिखाई देती है। क्योंकि सत्तर के दशक के बाद मराठी के "दलित साहित्य के कारण सामाजिक अभिसरण की प्रक्रिया आरंभ हुई और बदलाव की हवा तेज हुई। अनेक दलित लेखक लिखने लगे। समाज के विविध संस्तरो से लेखक पैदा हुए।"[7] परिणाम स्वरूप उनके द्वारा रचित दलित साहित्य में विषमता के प्रति विद्रोह समानता का आग्रह तथा परिवर्तन के लिए हाशिए के लोगों में चेतना भर देनेवाला वैचारिक आंदोलन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। "दलित वर्ग में जब शिक्षा का विकास हुआ और उनमें रचनाकार बने, तो उन्होंने अपने दमन और शोषण के लिए इतिहास को खंगालने की कोशिश की।"[8]

"बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दो दशकों में प्रकाशित उपन्यासों ने जिन विषयों को शिद्दत के साथ उठाया है, उससे उनकी क्षमता का पता चलता है। यह मात्रा संयोग नहीं है कि उपन्यासकारों ने इतिहास के किसी कालखण्ड या इतिहास की किसी ऐसी घटना को जिसके सूत्राों ने पूरे इतिहास को ही बदल दिया हो, पर अपनी संवेदनशील नजर से उपन्यास लिखे, राजनीतिक के क्षरण के बीच से निकल रही चिन्ता–धारा को उपन्यासकारों ने सकारात्मक दृष्टि से उभारा है, स्त्राी–पुरुष सम्बन्धों को नये नजरिये से देखा–परखा है। अपने इतिहास पुरुषों को उनके सम्पूर्ण कार्यकलापों और तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ भारतीय जन–मानस की आवश्यकताओं को कसौटी पर परखा तथा यह यह भी देखा है कि हमारे पूर्वजों ने कहां ऐसी गलती की है, जिसका परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। यह केवल संयोग मात्रा नहीं है कि उपन्यासकारों ने भारी–भरकम विषयों के साथ बहुत ही छोटे

लेकिन बहुत प्रभावशाली विषयों को अपने उपन्यासों में लिया है और घटनाओं के साथ उनके घटित होने की स्थितियों की अधिक पड़ताल की है।"[9]

उत्तर शती के समय प्रवाह में 'दलित विमर्श' तथा 'दलित चेतना' को केंद्र में रखकर लिखे गए उपन्यासों में महत्वपूर्ण है– 'धरती धन न अपना' (जगदीशचंद्र), 'मुर्दाधर' (जगदंबाप्रसाद दीक्षित), 'एक टुकड़ा इतिहास' (गोपाल उपाध्याय), 'नाच्यौ बहुत गोपाल' (अमृतलाल नागर), 'यथा प्रस्तावित', 'परिशिष्ट' (गिरिराज किशोर), 'सोनभद्र की राधा' तथा 'जंगली सूअर' (मधुकर सिंह), 'अनारो' (मंजूल भगत) 'कगार की आग (हिमांशू जोशी), 'हजार घोडों का सवार' (यादवेंद्र शर्मा 'चंद्र'), 'सर्पगंधा' (शैलेश मटियानी), 'शैलूष' (शिवप्रसाद सिंह), 'किस्सा गुलाम' (रमेशचंद्र शाह), 'छप्पर' (जयप्रकाश, कर्दम), 'हिरा परा बाजार में' (सुबोधकुमार श्रीवास्तव), 'धार' (संजीव), 'मोरी की ईट' (मदन दीक्षित), 'उस शहर तक' (तेजिंदर), 'अपनी सलीबें' (नमिता सिंह), 'मुक्तिपर्व' (मोहनदास नैमिशराय), 'जस तस भई सबेर' (सत्यप्रकाश), 'मिट्टी की सौगंध' (प्रेम कपाडिया), 'अल्मा कबूतरी' (मैत्रोयी पुष्पा) आदि।

समग्र उपन्यासों में पिछड़े वर्ग के अंतरंग और बहिरंग पक्ष का विश्वसनियता के साथ उद्घाटन किया गया है। उत्तर शती के इन दलित विमर्शमूलक उपन्यासों की यदि पड़ताल की जाए तो यह स्पष्ट होगा कि यह उपन्यास मात्रा दलित वर्ग की व्यथा का बखान ही नहीं करते बल्कि उन लोगों में वैचारिक चेतना भी संचारित करते है। "अत: पिछड़े वर्ग से यहाँ वह समूचा समाज अभिप्रेत है जो आज की सभ्यता तथा संस्कृति की मुख्यधारा से कटकर किनारों पर पड़ा है और शिक्षा तथा अन्य सभी जरूरी सुविधाओं से वंचित रहकर उपेक्षित शोषित–गृहित जीवन जीने के लिए अभिशप्त है।"[10] उत्तर शती के इन दलिताख्यानमूलक उपन्यासों का समग्रता से यदि अध्ययन किया जाए तो पाएंगे कि यह उपन्यास उस समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक चेतना जगाने का भी काम करते हैं।

उत्तर शती के उपन्यासों में व्यक्त बहुआयामी चेतना पर यदि गौर करे तो सबसे पहले जगदीशचंद्र के 'धरती धन न अपना' की दखल लेना आवश्यक होगा। इस उपन्यास में "स्वाधीनतापूर्ण पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा गहरी संवेदना और कलात्मक तटस्थता के साथ प्रस्तुत की गयी है।"[11] अंत मे 'उपन्यासकार ने सामूहिक शक्ति का भी संकेत दिया है, जो सही नेतृत्व पाकर समाज में क्रांति को जन्म दे सकती है।' इसी प्रकार गोपाल उपाध्याय का उपन्यास 'एक टुकड़ा इतिहास' की चनुली ब्राह्मन युवक से प्रेम विवाह कर दलित जाति के अभिशाप से मुक्ति पाना चाहती है, पर उसका सपना पूरा नहीं होता। इसके बावजूद वह हार नही मानती और अपनी संघर्ष क्षमता का परिचय देती हुई 'चंदा देवी' में रूपांतरित होकर दलित समाज के उत्थान के लिए लड़ती और सवर्ण समाज को चुनौति देती है। शैलेश मटियानी कृत 'सर्पगंधा' का विषय पर्वतीय क्षेत्रा का दलित समाज

है, जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। कबीलाई जीवन जीनेवाली 'नट' जाति को केंद्र में रखकर शिवप्रसाद सिंह ने 'शैलूष' इस उपन्यास का निर्माण किया है। इस उपन्यास में एक पढ़ी–लिखी ब्राहमण युवती सावित्राी एक नट युवक से प्रेम विवाह कर नट–पत्नी बनकर उच्चवर्ग के दमन और शोषण से नटी की मुक्ति का संघर्ष छेड देती है। और इस संघर्ष में जीत नट–समाज की ही होती है। रमेशचंद्र शाह के 'किस्सा गुलाम' में दलित जाति में जन्में एक संवेदनशील पात्रा कुंदन की कुंठा और विद्रोही भावना का अंकन किया गया है। कुंदन दलित समाज में पैदा हो रही राजनीतिक चेतना और सामाजिक विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है। मधुकर सिंह का उपन्यास 'सोनभद्र की राधा' का नायक गोविंद चमार जाति का सुशिक्षित युवक है। यह जातियता की दशा को कम करने के लिए गाँव की अनुराधा नामक युवती से अंतरजातिय विवाह कर रामलीला मंडली के द्वारा गाँव–गाँव घूमकर सामाजिक समता स्थापित करने का प्रयास करता है। उन्हीं का एक अन्य उपन्यास 'जंगली सूअर' में दलित जाति के लोग अपने हक्क और अधिकारों के लिए 'खेतिहर मजदूर किसान संघ' की स्थापना कर जुल्म के खिलाफ विद्रोह करते हैं। नमिता सिंह ने 'अपनी सलीबें' इस उपन्यास में आई. ए. एस. अफसर दलित युवक ईशू और सवर्ण युवती निलिमा के अंतर्जातिय विवाह की घटना को प्रस्तुत कर जातियता की दीवारें गिरने का संकेत दिया है।

'काशी के मुसलमान बुनकर भी पिछड़े वर्ग की हमारी अवधारणा के अंतर्गत ही आएँगे जिनपर बहुत सार्थक उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है। उनका 'झीना–झीनी–बीनी चदरिया' यह उपन्यास बुनकरों को पूँजपति तथा व्यावसायिकों के आर्थिक शोषण सेमुक्त होने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की चेतना प्रदान करता है। इसी प्रकार मंजुल भगत की 'अनारों' महानगर में रहते हुए आर्थिक संघर्ष कर अपने परिवार का गुजारा करती है वह कहीं भी लाचार नजर नहीं आती। शताब्दी के अंतिम दशक में दलित वर्ग से जुड़े उपन्यासकारों ने भी अपने उपन्यासों के द्वारा दलित चेतना को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इनमें जयप्रकाश कर्दम का 'छप्पर' तथा मोहनदास नैमिशराय का 'मुक्तिपर्व' है। यह दोनों उपन्यास सुशिक्षित दलित युवकों के संगठनों द्वारा अपने समाज में जागृती निर्माण करने की प्रक्रिया का लेखा–जोखा प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार सत्यप्रकाश कृत 'जस तस भई सवेर' तथा प्रेम कपाडिया का 'मिट्ठी की सौगंध' इस दिशा में महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई उपन्यास है जिनमें कम अधिक मात्रा में दलित विमर्श तथा दलित चेतना का जिक्र आया है।

अत: कहा जा सकता है "दलित साहित्य अपने समय से लड़ते हुए आनेवाले कल की बेहत्तर जिंदगी के लिए आशावादी है। तमाम विपरित परिस्थितियों, चुनौतियों के संकट के बावजूद दलित साहित्य ने अपनी उर्जा और सम्भावनाएँ क्षीण नहीं होने दी है।"[12] निश्चितही भविष्य में भी यह साहित्य दलित वर्ग के तमाम पहलुओं पर निष्पक्षता तथा इमानदारी से अपना रचना कर्म निभाएगा इसमें कोई शक नही।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हंस– सं. राजेंद्र यादव, (जनवरी 2001), पृ.28
2. दलित साहित्य : स्वरूप और संवेदना – डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे, पृ.37
3. दलित प्रसंग – सं. प्रणव बंद्योपाध्याय, पृ.17
4. हंस सं. राजेंद्र यादव, (सितंबर, 1995), पृ.79
5. हंस सं. राजेंद्र यादव, (जनवरी, 1997), पृ.55
6. समकालीन हिंदी उपन्यास – सं. बी. के. अब्दुल जलील, पृ.238
7. समकालीन भारतीय साहित्य – सं. प्रभाकर श्रोत्रिय, (जन. फर. 1998), पृ.138
8. हिंदी साहित्य कोश – सं. शंभुनाथ, पृ.1667
9. समकालीन हिदी उपन्यास – डॉ. सूरज पालीवाल, (भूमिका से)
10. हिंदी उपन्यास का इतिहास – गोपालराय, पृ.396
11. दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्रा – ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ.28
12. आजकल – सं. फरहत परबीन (जन. 2015), पृ.58

दलित चेतना के निर्माण में दलित आंदोलन की भूमिका: एक अवलोकन

डॉ० विजय लक्ष्मी गुप्ता
अ0प्रो0 (हिन्दी विभाग)
सूर्यबली महाविद्यालय, देवकली, जौनपुर

दलित शब्द का शब्दिक अर्थ है जिसका दलन और दमन हुआ है, दबाया गया है, शोषित, उत्पीड़ित, सताया हुआ, उपेक्षित, घृणित, हतोत्साहित आदि। दलित चेतना का पूरा चित्राण दलित आन्दोलन में समाहित है इसका सम्बंध सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से है। मूलतः भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो जातिगत बटवारा हुआ है यह पूर्णतः असमानता, वर्चस्व और शोषण पर आधारित है दलित कोई एक रूपीय समाज नही है इसकी अनेक परते है दलित आन्दोलन के पीछे दलित चेतना की प्रमुख भूमिका है क्योकि दलित चेतना से ही दलित स्वाभिमान जगता है और दलित अस्मिता की भावना बढ़ती है। इस अद्भुत सोच व चेतना का ही परिणाम है कि दलित अन्दोलन एक प्रमुख धारा बन चुका है आधुनिक शब्दो में आन्दोलन ही समाज का अल्ट्रासाउड है क्योकि सामाजिक मुद्दो की उजागर करना आन्दोलन का ही काम है।

दलित आन्दोलन

दलित अथवा तथाकथित 'अस्पृश्य' चार – सूत्राी वर्ण व्यवस्था पर आधारित परम्परागत हिन्दू समाज में सर्वाधिक निचला वर्ग था, जिसकी विकृति ने क्रूर जाति प्रथा को जन्म दिया। जो भी हो, आने वाले समय में दलितो की सामाजिक स्थिति इस सीमा तक नीचे चली गई कि उन्होने अपने को वर्णव्यवस्था से बाहर निकला पाया। परिणामस्वरूप, वे अवर्ण कहलाए, जिसका अर्थ वर्ण व्यवस्था से बाहर की सामाजिक मान्यता थी। इन लोगो को इस प्रकार चिहिंत किए जाने से उच्च जाति के लोगों के मध्य अन्ततः अन्धविश्वास पैदा हुआ कि दलितो के साथ किसी भी प्रकार की अन्त क्रिया उन्हे अशुद्ध कर देगी। अतः धीरे-धीरे स्पश कभी कभी छाया, यहॉ तक कि दलित के स्वर को सुनने को उच्च जाति के हिन्दुओ के व्यक्तित्व को प्रदूषित करना माना जाने लगा। दूसरे शब्दो में समाज का एक बड़ा वर्ग होने के बावजूद समाज के अन्य वर्गो द्वारा दलितों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता था कि भारतीय समाज में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किसी प्रकार का सामाजिक आन्दोलन प्रारम्भ करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही बचा।

बिल्कुल प्रारम्भ से ही देश में दलित आन्दोलनों के कुछ विशिष्ट लक्षण दिखते है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसने अधिकतम दलित आन्दोलन में केन्द्रिय भूमिका निभाई, वह अस्पृश्यता का मुद्दा था दूसरे शब्दो में, अस्पृश्यता का कंलक लोगो के लिए इतना अधिक असहनीय था कि उनका प्रारम्भिक संघर्ष अस्पृश्यता निवारण के मुद्दे तथा देश की सामाजिक धार्मिक सस्थाओं और जुलसों मे इन लोगो की सम्पूर्ण भागीदारी पर केन्द्रित था। दलितो की सामाजिक मुक्ति का वास्तविक परीक्षण मंदिर प्रवेश आंदोलन, जो देश के विभिन्न भागों में प्रारम्भ किया गया में परिलक्षित हुआ। बाद में औपनिवेशिक शासको की 'फूट डालो शासन करो' की नीति के कारण समाज के एक वर्ग को कुछ सुविधाएॅ प्रदान करने और दूसरे को वहिष्कृत करने के कारण समाज के एक वर्ग को कुछ सुविधाएॅ प्रदान करने और दूसरे को बहिस्कृत करने के कारण दलित आन्दोलन का केन्द्र सरकारी नौकरियो और राजनीतिक पदों को आरक्षण के द्वारा प्राप्त करने, बनाए रखने और कभी–कभी हिस्सेदारी को बढ़ाने की ओर केन्द्रित हो गया।

दलितों की सामाजिक स्थिति में सम्पूर्ण परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कुछ मान्यता प्राप्त और सशक्त आन्दोलनों के उभरने के पूर्व ही इन लोगों के सामाजिक शोषण को अमान्य करने के सम्बंध में देश के समाज सुधारकों और सतों, द्वारा मत प्रकट किए जा चुके थे। उदाहरण के लिए रामानन्द, चैतन्य, कबीर, तुकाराम जैसे महान और धर्म निरपेक्ष संतों तथा भक्ति आन्दोलन के प्रारम्भ होने पर अन्य लोगो के द्वारा जाति व्यवस्था के अन्तर्गत प्रचलित अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध सुविचारित आलोचना प्रस्तुत की गई थी। जीवन के संसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्रा में सभी मानवो की अन्तर्निहित समानता मे विश्वास प्रकट करते हुए उन्होने प्रचालित विकृत सामाजिक व्यवहार के विरूद्ध मत व्यक्त किया और ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का आह्वन किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समानता और सम्माननीय होने का बोध हो।

आधुनिक समय में दलित आंदोलन का प्रारम्भ देश के विभिन्न भागो में सामाजिक धार्मिक आन्दोलनों के प्रारम्भ होने से हअु। उदाहरण के लिए राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने समाज में प्रचलित जाति आधारित असमानता के विरूद्ध मत प्रकट किया तथा समाज के कुछ वर्गो में व्याप्त जातिवाद और अस्पृश्यता की भावना पर आक्रमण किया। लेकिन इस क्षेत्रा में महत्वपूर्ण प्रयास दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना के साथ किए गए। अस्पृश्यता वर्ण–व्यवस्था का आवश्यक अंग नही है इस बात पर जोर देते हुए उन्होने समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कार्य आधारित सामाजिक स्थिति के वितरण पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक ब्राह्मण शूद्र के रूप में प्रतीत हो सकता है और एक शूद्र ब्राह्मण के रूप में उन्नत हो सकता है अगर राज्य उन्हे ऐसा करने की इजाजत दे (विस्तार के लिए देखे 'जोर्डन्स', 1978)

1870 के दशक में महत्वपूर्ण ब्राह्मण विरोधी और अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में 'सत्यरोधक समाज' के रूप में प्रारम्भ हुए। स्वयं माली समाज से होने के कारण ज्योतिबा को अपने प्रारम्भिक जीवन में ब्राह्मणवादी अंहकार से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपमान का सामना करना पड़ा, जिसने उनके भीतर विद्रोह तथा सुधार करने का भाव उत्पन्न किया। परिणामस्वरूप, हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न जातियो और अस्पृश्य सदस्यो के लिए गरिमापूर्ण तथा आदरपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए उनके पास ऐसे लोगों के लिए समाज–सुधार आन्दोलन प्रारम्भ करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नही था। ज्योतिबा कांग्रेस नेतृत्व द्वारा भारतीय समाज में निम्न जातियो और अस्पृश्यों के लिए सम्मानजनक सामाजिक स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयास की उपेक्षा के बड़े आलोचक थे। अत: उन्होने महाराष्ट्र में निम्न जाति के लोगो के सामाजिक स्तर में सुधार के लिए अनेक उपाय प्रारम्भ करने की योजना बनाई, जिसमें सब जातियों के लोगो की महिलाओं और बच्चो के लिए स्कूल और अनाथालय खोलना शामिल था।

अन्य महत्वपूर्ण अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन श्रीनारायण गुरू के नेतृत्व में श्रीनारायण धर्म परिपालना योगम् (एस0एन0डी0पी0) की स्थापना के साथ 1903 में इजावा अस्पृश्य जाति के द्वारा प्रारम्भ किया गया। इजावा समुदाय के रीतिरिवाजो और मानको के संस्कृतीकरण के उद्देश्य से एस0एन0डी0पी0 ने अस्पृश्यो की सामाजिक मुक्ति को प्राप्त करने के लिए दो सूत्री रणनीति को अपनाया। पहली, समुदाय के सामाजिक रीति–रिवाजो और परम्पराओ का संस्कृतीकरण करके इसने इजावा के नीचे वाली जातियों में अस्पृश्यता के व्यवहार को समाप्त करने का निश्चय किया। दूसरी, उच्च जाति के हिन्दुओ से समानता अनुभव करने के लिए इन्होने केरल में बहुत सारे मन्दिर बनवाए और सभी जाति के लोगो के उन्हे खोल दिया।

1920 का दशक देश के विभिन्न भागो में दलितो द्वारा व्यापक और गहन अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन चलाने का समय था। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में अस्पृश्यों के विभिन्न समूहो द्व ारा बहतु सारी गतिविधियॉ या तो प्रारम्भ की गई या उन्हे सशक्त किया गया। इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण आन्दोलन नाडार महाजन संघम का था। कई वर्षो में शानार या नाडार समुदाय के सदस्य कुछ मामलों में परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर तथा कुछ ने उसी में बने रहकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सफलता प्राप्त की। एक प्रकार की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के बाद इस समुदाय ने अपने मानकों और रीति–रिवाजो में संस्कृतीकरण के माध्यम से अपनी सामाजिक स्तर की उन्नति के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। अन्तत: नाडार महाजन संधम ने देश में राजनीतिक महत्व प्राप्त करने का ठोस प्रयास किया। जैसा कि हार्डग्रेव (1969 : 201) ने कहा, "फिर भी सामुदायिक एकता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करके तथा आधुनिक भारत की राजनीतिक गतिशीलता में जाति संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।"

1920 के दशक के दौरान तमिलनाडु में दूसरा महत्वपूर्ण दलित आंदोलन रामास्वामी नायकर या पेरियार द्वारा संचालित किया गया। इसे आत्मसम्मान आन्दोलन कहते हए़ु पेरियार की मुख्य चिन्ता अस्पृश्यों के नीति–रिवाज और मानको के संस्कृतीकरण तक सीमित नही रही। अपितु उनका दृढ़ विश्वास था कि ‘ब्राह्मणवादी हिन्दुवादी’ की सरं चना में अस्पृश्यों की स्थिति को सुधारा नही जा सकता। एक बार उन्होने सुप्रसिद्ध टिप्पणी की कि कुछ चीजे ऐसी होती है जिन्हे सुधारा नही जा सकता अपितु समाप्त किया जा सकता है। बाद के वर्षो में हिन्दू धर्म आरै हिन्दू जीवनशैली के सम्बंध में पेरियार की आलोचना बहुत तीखी हो गई। जस्टिस पार्टी के झंड़े तले उन्होने बहतु सारे सशक्त अस्पशृ यता विरोधी आन्दोलन शुरू किए, जिन्होने न केवल अस्पृश्यों के लिए उच्चतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मान्यता का दावा किया अपितु अभी तक की प्रभुत्वशाली उच्च जाति के समुदायों के प्रति किसी भी प्रकार के बुरे व्यवहार को उचित ठहराया। उनका हिन्दू धर्म का बहिस्कार ब्राह्मणो के पवित्रा धागे को काटने, देवताओ की मूर्तियों पर चप्पल फेकने तथा हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने तक बढ़ गया।

दक्षिणी राज्यो से दूर एक महत्वपूर्ण अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन इसी समय पंजाब में भी शुरू हुआ। राज्य के एक महत्वपूर्ण अस्पृश्य मूंग राम द्वारा संचालित आदि धर्म आन्दोलन के रूप में जाने गए इस आन्दोलन का उद्देश्य राज्य के अस्पृश्यो के रीति–रिवाजो और धार्मिक कर्मकाण्डो का संस्कृतीकरण करना था। आदि धर्म आन्दोलन इस विश्वास के साथ प्रारम्भ हुआ कि पंजाब के अस्पृश्य एक विशिष्ट सामाजिक, धार्मिक पहचान या जैसे हिन्दू मुसलमान और सिख के रूप में सदियो से अस्तित्व में है। अतः उन्हे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार के लिए प्रयास करना चाहिए, जो समाज में उनकी सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति में सुधार ला सके। जैसा कि मार्क जुमेन्समायर (1982 : 80) ने संक्षेप में कहा, ‘इसने एक तथ्य को स्थापित किया है जो पहले सिद्ध नही हुआ था अस्पृश्य जातियॉ अपने स्वयं के लाभ के लिए गतिशील होने तथा इस प्रकार संगठित होने, जो उन्हे व्यापक सामाजिक राजनीतिक स्रोत्राो में संचालित परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रतियोगी होने का अवसर दे, में सक्षम है।’

धीरे–धीरे आने वाले समय में डॉ भीमराव अम्बेडकर जो अस्पृश्यों के अखिल भारतीय नेता के रूप में स्वीकृत थे, के नेतृत्व में महाराष्ट्र अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन का केन्द्र बनना प्रारम्भ हो गया। स्वंय अस्पृश्य जाति महार के होने उन्होने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से महार आन्दोलन प्रारम्भ किया। यद्यपि महार आन्दोलन को पर्याप्त सफलता मिली, पर इसके अनुभव ने अम्बेडकर को यह विश्वास दिलाया कि अपने भाइयो की स्थिति में सम्पूर्ण सुधार के लिए आन्दोलन को राजनीतिक स्वरूप दिया जाना चाहिए। अतः अम्बेडकर ने अस्पृश्यो के हितो के लिए संघर्ष करने के लिए स्वतन्त्रा श्रमिक दल की स्थापना की।

1930 के दशक में दलित आन्दोलन में अम्बेडकर की नेता के रूप में स्वीकृति बढ़ी। बदले में अम्बेडकर ने दलितो को आह्वन करने 'तुम्हारे पास खोने के लिए अपने धर्म के अतिरिक्त कुछ नही है' जैसी घोषणाओं के साथ एक ओर अधिक सुदृढ़ कदम उठाने प्रारम्भ किये, तो दूसरी ओर दलितो के लिए पृथक निर्वाचन मडंल की मॉग की। अम्बेडकर की ऐसी राय ने उन्हे महात्मा गाँधी, जो दलितो को किसी और धर्म में परिवर्तित करने के विचार के समर्थक नही थे और न देश में दलितो की स्थिति में ला दिया। अतः अम्बेडकर द्वारा की गई दलितो के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल की मॉग के अनुकूल जब 1932 में साम्प्रदायिक पचांत की घोषणा की गई तब औपनिवेशिक सरकार द्वारा दलितों की स्वयं की मॉग पर ऐसे विभाजन कारी निणर्य के विरोध में गाँधी ने आमरण अनशन प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप गाँधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें सामान्य निर्वाचन क्षेत्राों के अन्तर्गत दलितो के लिए स्थानो के आरक्षण का निर्णय लिया गया।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि भारत में दलित आन्दोलन सदियों तक शोषित रहे लोगो के वर्गो की सामाजिक मुक्ति की बढ़ती इच्छा के प्रतीक थे। प्रारम्भ में संस्कृतीकरण आन्दोलन के रूप में विकसित मुख्य रूप से देश के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में दलित आन्दोलन ने शीघ्र ही आत्म सम्मान आन्दोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया जिसमें अपने लिए आर्थिक और राजनीतिक अधिकारो के साथ उन्होने सार्वजनिक धार्मिक तथा जीविका से सम्बंधित स्थानो और संसाधनो पर समान अधिकार की मॉग प्रारम्भ की। इस प्रकार स्वतन्त्राता के समय देश में दलित आन्दोलन, व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन में समाहित हो गया, जब अम्बेडकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख भागीदार तथा देश के लिए इस प्रकार का संविधान का प्रारूप बनाने, जो दलितो सहित भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग की स्वीकृति होगा के रूप में उभरे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विधुत चक्रवती, राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन विचार व संदर्भ (अनु0) गीता चतुर्वेदी, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2012
2. माइकल, एस0एम0 संपा0 आधुनिक भारत में दलित : दृष्टि एवं मूल्य, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2015
3. प्रो0 अगनेलाल, डॉ0 राहुल राज, उत्तर प्रदेश में दलित आन्दोलन, गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली, 2011
4. दुबे, अभय कुमार, आधुनिकता के आइने में दलित, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
5. चन्द्रा, आर0, कन्हैयालाल चंचरिक, आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003
6. रणसुभे, डॉ0 सूर्यनारायण (संपा0) दलित चेतना की पहचान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012

7. नैमिशराय, मोहनदास, भारतीय दलित आन्दोलन का इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017

8. भूषण, डॉ0 मुकेश, दलितो का इतिहास : अतीत एवं वर्तमान के आइने में, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010

रघुवीर सहाय की रचनाओं में लोकतंत्र की अभिव्यक्ति

डॉ० विकास कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़ (उ0प्र0)

लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए जार्ज अब्राहम लिंकन ने कहा है "लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है।"[1] इसका मतलब हुआ वह शासन व्यवस्था जो जनता के लिए हो, जनता ने खुद जिसका निर्माण किया हो और जो पूर्णत: जनता के हितों के लिए हो, लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र में प्रमुख है 'लोक' और 'लोक का अर्थ है. जनसामान्य।' लोकतंत्र को डेमोक्रेसी का पर्याय माना जाता है और डेमोक्रेसी में भी 'डेमो' का अर्थ जनता है। इसलिए लोकतंत्र का सामान्य और अनिवार्य अर्थ हुआ वह शासन तन्त्र जिसमें जनसामान्य की भागीदारी हो और जनता की ओर उन्मुख शासन प्रणाली हो। परन्तु लोकतंत्र का अर्थ केवल यहीं तक सीमित नहीं है, आगे चलकर बुद्धिजीवियों ने इसका अर्थ विस्तार किया। जेम्स बर्नहेम ने 'लोकतंत्र' को परिभाषित करते हुए कहा है–"एक तो इसका प्रयोग सरकार के एक विशिष्ट रूप के लिए, पूंजीवादी संसदीय शासन प्रणाली के रूप में होता है।...दूसरा लोकतंत्र शब्द का प्रयोग कुछ ठोस जनतांत्रिक अधिकारों के लिए होता है।"[2] 'वहीं आम आदमी लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था से समझता है, जिसमें हर व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद वोट डालने का समान अधिकार हो, जहाँ ईमानदारी से नियमित चुनाव हों।'[3] इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'लोकतंत्र' किसी वर्ग विशेष की सरकार न होकर एक लोक सरकार है। शासन का वह रूप जिसमें अपने शासकों का चुनाव जनता करती है।

लोकतंत्र का जन्म एक आधुनिक घटना है, परन्तु इसके प्रकाश में आने से पहले भी किसी न किसी रूप में यह मौजूद रही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इन तीन संकल्पनाओं को लेकर 'लोकतंत्र' भारत में आया। ऐसी शासन प्रणाली की इच्छा व्यक्त हुई जो अपनी कार्य–पद्धति से गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर व्याप्त सामाजिक भेदभाव, समाज में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के साथ–साथ विधि के शासन से न्याय आधारित समाज की स्थापना करें। लेकिन ये बातें वर्तमान परिदृश्य में कहीं साकार होती नहीं दिखती। आज 'लोकतंत्र' एक मोहक शब्द लगता है। इसकी मोहकता के कारण ही इसे हर मर्ज की दवा मान लिया जाता है। लोकतंत्र के आते ही मानों सभी विषमताएं और दुख तुरंत ही दूर हो जाएगें। लेकिन प्राय: यह देखा गया है कि यह शब्द केवल नारा बनकर रह गया है। इस सन्दर्भ में किशन पटनायक कहते हैं "लोकतंत्र एक पहेली है–विशेषकर 'भारत के लिए'।....आजादी व लोकतंत्र

को आधी से अधिक सदी गुजर जाने के बाद भी करोड़ों मनुष्य कंगाली और फटेहाली में जीते हैं।"[4] क्योंकि "लोकतंत्र भारतीय समाज के अन्दर से निकले किसी लोकप्रिय दबाव का परिणाम नहीं था। ना ही इसे जनसाधारण ने राज्य से जीता था। लोकतंत्र तो खास तरह के बुद्धिजीवी प्रभुत्व वर्ग की राजनीतिक पसंद के कारण जनता को प्राप्त हुआ।"[5]

रघुवीर सहाय की काव्य-यात्रा स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की विचार-यात्रा है। शासन-प्रणाली के रूप में लगभग पांच दशक के लोकतंत्र की विकास-यात्रा हमें रघुवीर सहाय के कवि-कर्म में देखने को मिल जाती है। इस यात्रा में प्रारम्भ से लेकर बीसवीं सदी के अंत तक लगभग आधी सदी का भारतीय जनमानस नजर आता है। 'दूसरा सप्तक' के वक्तव्य में रघुवीर सहाय कहते हैं-"शमशेर बहादुर का यह कहना मुझे बराबर याद रहेगा कि जिंदगी में तीन चीजों की बड़ी जरूरत है, ऑक्सीजन, मार्क्सवाद और अपनी वह शक्ल जो हम जनता में देखते हैं।"[6] उनकी कविताएँ भारतीय लोकतंत्र से जुड़े आम आदमी की आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों से बुनी गई हैं। आजादी के बाद लगभग दो दशक मोह और आशावाद में डूबे दिखाई देते हैं। भारत का बुद्धिजीवी वर्ग इसी आशावादिता के कारण एक नए भारत, एक नए समाज और एक नई राजनीति का स्वप्न देख रहा था। इतिहासकार सुनील खिलनानी अपनी पुस्तक 'भारतनामा' में इस युग के विषय में कहते हैं-"उस युग में लोकतंत्र और समाज-सुधार की ऊँची-ऊँची बातें खूब की जाती थी और शासन-पद्धति के तौर पर उस समय का भारतीय लोकतंत्र एक मिसाल था। संसदीय और दलीय कार्य विधियों का अनुपालन करने में बड़े गर्व का एहसास किया जाता था।"[7] परन्तु यह आशावाद अधिक समय तक न रह सका। इसीलिए रघुवीर सहाय ने अपनी कविता 'एक अधेड़ भारतीय आत्मा' में कहा है-

"बीस बरस बीत गए
लालसा मनुष्य की तिलतिल कर मिट गयी।
X X X
टूटते टूटते
जिस जगह आकर विश्वास हो जायेगा कि
बीस साल धोखा दिया गया
वहीं मुझसे फिर कहा जाएगा
विश्वास करने को।"[8]

इस स्थिति का जिम्मेदार वह तंत्र और नेतृत्व था, जिसने आजादी के बाद सामाजिक आधारों को बदले बगैर 'लोकतंत्र' की कल्पना की थी। इस लोकतंत्र के हवाले से उसने जनता की मुक्ति और विकास का वायदा किया था। लेकिन समय बीतने के साथ ही इस तंत्र के लोकतान्त्रिक दावों की कलई खुलती गई और इन दावों का असत्य प्रकट होता गया-

"दूर...
राजधानी से कोई कस्बा दोपहर बाद छटपटाता है,
एक फटा कोट, एक हिलती चौकी, एक लालटेन
दोनों, बाप मिस्तरी और बीस बरस का नरेन
दोनों पहले से जानते हैं पेंच की मरी हुई चूड़ियाँ
नेहरु युग के औजारों को मुसद्दी लाल की सबसे बड़ी देन।"[9]

कविता की इन पंक्तियों में रघुवीर सहाय 'मिस्तरी' बाप और 'बीस बरस के नरेन' के माध्यम से स्वतंत्र भारत में जी रहीं दो पीढ़ियों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जो पेंच के कसने की मजबूरी में किलता झेल रहें हैं। मरे हुए पेंच यानी अन्दर से घिसे हुए पेंच को आप कहीं भी कसे वह कसेगा नहीं। लोकतंत्र और आजादी का ढांचा तो खड़ा किया गया परन्तु उस ढांचे को कसने वाला पेंच घिसा हुआ साबित हुआ। तात्पर्य यह है कि आधुनिकता और प्रगति की घोषणाएं तो हुई परन्तु उन्हें संभव करने के लिए जो तरीके निकाले गए उन्हें मुसद्दीलाल की जमात ने नष्ट कर डाला। असफलता और निराशा की इस विडम्बना ने घुटन और यातना का नया आयाम पैदा किया। एक असुरक्षा का भाव पैदा किया। 'आत्महत्या के विरुद्ध' में कवि कहता है-

"अस्पताल में मरीज छोड़कर आ नहीं सकता तीमारदार
दूसरे दिन कौन बताएगा कि वह कहाँ गया।"[10]

आज स्थिति यह है कि कोई तीमारदार अस्पताल में अपने मरीज को छोड़ कर घर नहीं लौट सकता क्योंकि असुरक्षा के इस वातावरण में इसकी पूरी सम्भावना है कि दूसरे दिन अस्पताल में मरीज मिले ही नहीं। संभव है, वह निजी स्वार्थ के लिए गायब कर दिया जाए या फिर उसके अंग निकाल लिए जाएँ। लोकतंत्र की यह विडम्बना केवल आरंभिक दौर की ही नहीं थी, बल्कि आज भी यह स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई। लोकतंत्र का सर्जन करने वाला मतदाता निरंतर इस असुरक्षा को महसूस करता है। यह असुरक्षा साधनों के आभाव की असुरक्षा है। 'कोई एक और मतदाता' कविता में रघुवीर सहाय कहते हैं-

"जब शाम होती है तब खत्म होता है मेरा काम
जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है
रात तक दम तोड़ देता है परिवार
मेरा नहीं एक और मतदाता का संसार।"[11]

इस विडम्बना ने सत्ता और व्यक्ति के बीच एक तनाव पैदा किया जिसे रघुवीर सहाय ने महसूस किया। एक साक्षात्कार में रघुवीर सहाय कहते हैं- "हम (सत्ता को) अपनी आजादी का एक हिस्सा

इसलिए देते हैं कि वह समाज का और राज्य का प्रबंध करे, उस हद तक सत्ता के और हमारे बीच एक रिश्ता बनता है। वह रिश्ता तनाव का रिश्ता होगा। रचना इस तनाव का प्रतिनिधित्व करती है।"[12]

रघुवीर सहाय सत्ता की राजनीति, नेताओं के छल–छद्‌म, भ्रष्टाचार को प्रकट करने वाले कवि रहें हैं। देश की सुव्यवस्था एवं विकास के लिए लोकतंत्रात्मक शासन–प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन आज लोकतंत्र राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बनकर रह गया है। भ्रष्ट राजनीति ने 'लोकतंत्र' में से 'लोक' को कहीं अमूर्त और अदृश्य अवधारणा के रूप में बदल दिया है। 'लोक' जो कि लोकतंत्र का आधार होता है उससे उसकी शक्ल, उसका अस्तित्व तथा उसका स्वर छीन लिया जाता है। इससे जनता भूख, अशिक्षा, रोगग्रस्त, निर्धनता के बीच अपने आप को पाती है। देश की वर्तमान स्थिति को देखकर रघुवीर सहाय कहते है– "लोकतंत्र मोटे, बहुत मोटे तौर पर लोकतंत्र ने हमें इंसान की शानदार जिंदगी और कुत्ते की मौत के बीच चाँप लिया है।"[13] इस बीच की स्थिति में रघुवीर सहाय एक तिलमिलाहट अनुभव करते हैं। यह तिलमिलाहट केवल सत्ता के प्रति नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के प्रति भी है जो कुढ़ते हुए चुप रह जाती हैं परन्तु उचित कदम नहीं उठाते। 'सभी लुजलुजे हैं' कविता में वे कहते हैं–

"खौखियाते हैं, किंकियाते हैं, घुन्नाते हैं
चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं
मिनमिनाते हैं, कुडकुड़ाते हैं............
झांय झांय करते हैं रिरियाते हैं
X X X
ठीक वक्त पर चीं बोल जाते हैं।"[14]

लोकतंत्र में 'लोक' की स्थिति यह हो गई है कि वह सब कुछ समझ कर भी अपने ही तंत्र में अपनी आवाज नहीं उठा पाता। गली मुहल्लों में खड़े होकर बुराई तो कर सकता है, तू–तू, मैं–मैं तो कर सकता है पर एक सशक्त आवाज में नहीं, रुलाई और रिरियाहट में। लोकतंत्र में जहाँ जोर देकर नागरिकों में समानता की बात कही जाती है, वहीं लोकतंत्र की यह विडम्बना बन जाती है कि वह नागरिकों को इस समता का एहसास भी नहीं करवा पाती। इसीलिए 'बूढ़े' कविता में कवि कहते हैं–

"लोकतंत्र का मजाक बनते
देख रहे हैं, बेहद बूढ़े
कुछ कम बूढ़े कहें कि क्या यह लोकतंत्र है?
X X X
इनसे भी कम बूढों को नफरत है लोकतंत्र से
बाकी सबको एक दूसरे से नफरत है।"[15]

आज एक प्रश्नचिन्ह लग गया है कि क्या यह लोकतंत्र है? क्योंकि देश में लोकतान्त्रिक व्यवस्था और मूल्य नष्ट होते जा रहे हैं। लोकतंत्र का मखौल बनते देखते बूढ़ों से लेकर लोकतंत्र से घृणा और फिर आपस में ही घृणा करते लोगों के माध्यम से रघुवीर सहाय ने आजादी से लेकर हमारे वर्तमान हालात को इन पंक्तियों में समेटा है। जनता की समस्याओं को दूर किए बिना कोई भी लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र नहीं बन सकता और यह विडम्बना ही है कि भूखी जनता की कराह सुनने वाले कानों की कमी होती जा रही है। आज इस लोकतंत्र में 'राशन की चीनी खाकर चार बच्चे मर जाते हैं।' गरीब परिवार आए दिन ऐसी घटनाओं का शिकार हो रहा है। यह केसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। यहाँ गरीबों का बहुमत है, इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ– गरीबों का शासन। परन्तु असलियत इसके विपरीत है। आज स्थिति ऐसी है कि समाज के सबसे निचले वर्ग के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलें आती हैं। आए दिन अखबारों में खबरें पढ़ी जा सकती हैं 'ठण्ड से 100 की मौत' या भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ी। इन खबरों का आना आम बात बन गयी है। रघुवीर सहाय भी अपने पत्रकारिता के अनुभव से कविता में खबर देते दिखाई देते हैं। उन्होंने समाज के निम्न मध्यवर्गीय और मध्यवर्गीय तबके को 'दिनमान' से जोड़ा। पत्रकार होने के कारण उन्हें राजनीति, समाज, खेल आदि सभी क्षेत्रों की जानकारी थी। अभावों में मरते 'जन' को उन्होंने नजदीक से देखा। इसलिए उन्होंने खबरों में कविता और लोकतंत्र में तिल–तिल मरते 'लोक' को उजागर किया। 'ठण्ड से मृत्यु' कविता में कवि इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं–

"फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई
फिर आदमियों के पाले से लू से मरने की खबर आई ।
X X X
वे खड़े रहते हैं तब नहीं दिखते
मर जाते हैं तब लोग जाड़े और लू की मौत बताते हैं।"[16]

क्योंकि फिर वह मुद्‌दा बन जाता है। समय रहते तो जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता मौत की खबरें आते ही राजनीति में हलचल मच जाती है। रघुवीर सहाय मानते हैं कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी।[17] क्योंकि भूख, चिंतन की हत्या कर, चिंतन रहित समाज बनाती है और इस चिंतन रहित समाज में प्रतिरोध नहीं हो सकता। जिससे सत्ता व्यवस्था का एक छद्‌म शांति से निर्मित हो जाता है।[18] जनता को मात्र भूख मिटाने के लिए रोटी ही नहीं चाहिए बल्कि रोटी पैदा करने का अधिकार भी चाहिए। क्योंकि "उत्पादन के साधनों पर मालिकों का कब्जा मजदूर वर्ग के लिए आर्थिक समानता और शोषण से मुक्ति की सबसे बड़ी रुकावट है।"[19] रघुवीर सहाय मानते हैं कि "रोटी और रोटी पैदा करने का अधिकार दो अलग–अलग

चीजे नहीं हैं। रोटी पैदा करने के साधनों पर अधिकार जीवन में पूरा हिस्सा लेने का राजनीतिक अधिकार है और लोकतंत्र उस अधिकार पर अधिकार रखने की आजादी का नाम है।"[20] परन्तु यहाँ अधिकार तो मिलता है, रोटी भी दी जाती है लेकिन गुलामी के बदले। 'गुलामी' कविता में कवि कहता है–

"अपनों की गुलामी विदेशियों की गुलामी से बेहतर है
और विदेशियों की गुलामी वे अपने करते हों
जिनकी गुलामी तुम करते हो तो वह भी क्या बुरी है
तुम्हें तो रोटी मिल रही है एक जून की।"[21]

यह विडम्बना ही है कि जनता को इतना भूखा रखा जा रहा है कि वह सोच भी नहीं पाए। ये जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रहरी हैं लेकिन ये केसे प्रहरी हैं जो सुरक्षा के बजाय शोषण कर रहे हैं। यह विडम्बना ही है कि जनप्रतिनिधि नायक के रूप में नहीं खलनायक के रूप में सामने आते हैं। इस संदर्भ में रजनी कोठारी ने कहा है "कहने के लिए लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन माना जाता है, लेकिन असलियत में वह अभिजनों का शासन साबित होता है।"[22] यह स्थिति करनी और कथनी के अंतर के कारण घटित हुई है। बाहरी रूप और भीतरी वास्तविकता के इस अंतर को उभारते हुए रघुवीर सहाय ने इस वर्तमान व्यवस्था के मनुष्य विरोधी दुहरे चरित्र को नंगा करने की लगातार कोशिश की है। लोकतंत्र के नाम पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं और उपकरणों को भ्रष्ट करने वाले जनप्रतिनिधियों के अश्लील चरित्र का खोखलापन उघाड़ते हुए 'मेरा प्रतिनिधि' कविता में वे कहते हैं–

"सिंहासन ऊँचा है, सभाध्यक्ष छोटा है,
अगणित पिताओं के
एक परिवार के
मुंह बाएं बैठे लड़के सरकार के
लूले काने बहरे विविध प्रकार के
X X X
हंसती है सभा
तोंद मटका ठठाकर
अकेले अपराजित सदस्य की व्यथा पर
फिर मेरी मृत्यु से डरकर चिंचियाकर कहती है
अशिव है, अशोभन है, मिथ्या है।"[23]

"जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुल्क पर हुकूमत करते हैं, वे लोकतंत्र के अभिभावक नहीं रह गए हैं।"[24] संसद लोकतंत्र को कायम रखने की प्रतिनिधि संस्था है, परन्तु भारत ज्यादातर गैरजिम्मेदार और भ्रष्टाचारी प्रतिनिधियों से भरा है। स्वभावतः अधिकतम

प्रतिनिधि शोषक, शासक दल के हैं, जिनके पूर्वग्रह और मूर्खताओं के बीच जनता के सही प्रतिनिधि की आवाज दबा दी जाती है। क्योंकि यहाँ–

"संसद एक मंदिर है, जहाँ किसी को द्रोही कहा नहीं जा सकता,
दूधपिए मुंह पोंछे आ बैठे जीवनदानी गोंद
दानी सदस्य तोंद सम्मुख धर
बोले कविता में देशप्रेम लाना आइसक्रीम लाना है।"[25]

ये हैं हमारे जनप्रतिनिधि, जनता ने ही इन्हें चुना है। चुनाव के अब वो मायने ही नहीं रह गए जो होने चाहिए। इस सन्दर्भ में कृष्ण कुमार ने कहा है– "सत्य से निरंतर भाग रहे समाज में चुनाव अब इन्हीं दो विकल्पों के बीच रह गया है कि सत्य को छिपा लिया जाए या बदल दिया जाए।"[26] भले ही इन्हें हमने चुना है, लेकिन नेता से पहले ये नागरिक हैं, फिर नागरिक नागरिक के बीच इतना फर्क क्यों? क्यों ये जनप्रतिनिधि जनता का ही खून चूसने पर तुले रहते हैं? इन्हीं जनप्रतिनिधियों के राज में 'रामदास' जैसे आदमी का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है।

'रामदास' कविता में लोगों के झुण्ड की जो निस्संगता है, वह लोकतंत्र के चरित्र को सामने लाती है। ऐसी संस्कृति पैदा हो रही है जहाँ नाम पुकारकर हत्या कर दी जाती है। 'रामदास' जानता था, उसकी हत्या होगी फिर भी वह अपने साथ किसी को नहीं लेता। निहत्थे और मौन लोगों ने एक स्तब्धता पैदा कर रखी है। इस कविता में सारी भीड़ मरे हुए लोगों की–सी भीड़ लगती है। न कोई संवेदना, न कोई प्रतिक्रिया सिर्फ कह देना–"कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी।"[27] रघुवीर सहाय ने इस कविता के माध्यम से एक मरते हुए समाज के लक्षणों की ओर संकेत किया है। यहाँ एक विराट भीड़ भरा समाज दिखाई देता है, जिसकी जानकारी में और जिसकी शर्तों के बीच बिल्कुल आँखों के सामने रामदास की हत्या की जाती है।

इस हिंसक लोकतंत्र में औरतों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। लोकतंत्र में जहाँ नारियों की समानता की बात कही जाती है वहीं वह अपने आपको सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है। महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है पर इसका निर्वाह कितना हो पाता है, यह तत्कालीन सन्दर्भ में अच्छी तरह देखा जा सकता है– '16 दिसम्बर 2012 को हुआ निर्भय कांड' लोकतंत्र में स्त्रियों की स्थिति को अच्छी तरह स्पष्ट करता है। '31 दिसम्बर 2008 को नववर्ष का जश्न मनाकर लौटती मुंबई की दो युवतियों के साथ हुआ हादसा'[28] भी इसी कड़ी का अहम् हिस्सा है। आये दिन सामने आने वाली ये घटनाएँ स्त्रियों के सन्दर्भ में गरिमा और समानता जैसे मूल्यों को अंगूठा दिखाती नजर आती हैं। जहाँ महिलाओं की गरिमा की बात बड़े–बड़े मंचों पर की जाती है, वहीँ वह 40–45 लोगों की भीड़ का शिकार हो जाती है। विरोधों और उठापटक के बाद मामला ठंडा हो जाता है। रघुवीर सहाय ने 'नारी' कविता में लोकतंत्र में स्त्रियों की स्थिति को कुछ

इस प्रकार प्रकट किया है–

“नारी बेचारी है
पुरुष की मारी है
तन से क्षुधित है
मन से मुदित है
लपक कर झपककर
अंत में चित्त है।”[29]

1954 में लिखी गई इस कविता की वास्तविकता आज भी दिखाई देती है। आज भी तमाम विरोधों के बाद अंत में चित्त हो जाती है। उसकी आवाज दबा दी जाती है। इसके साथ ही–

“कई कोठरियां थी कतार में
उनमें से किसी में एक औरत ले जाई गई
थोड़ी देर बाद उसका रोना सुनाई दिया
उसी रोने से हमें जाननी थी एक पूरी कथा
उसके बचपन से जवानी तक।”[30]

यह वास्तविकता है लोकतंत्र में ‘औरत की जिंदगी’ की। ऐसे लोकतंत्र में भला बच्चे केसे सुरक्षित रहें। रघुवीर सहाय को बच्चों के यातनामय वर्तमान के साथ ही उनके डरावने भविष्य की भी चिंता है। ‘बड़ी हो रही लड़की’ कविता में रघुवीर सहाय इस चिंता को व्यक्त करते हुए करते हुए कहते हैं–

“वह बड़ी होगी
डरी और दुबली रहेगी
और मैं न होऊंगा

X X X

एक और ही युग होगा
जिसमें ताकत ही ताकत होगी
और चीख न होगी।”[31]

भविष्य के प्रति उनकी यह चिंता अकारण नहीं थी। रघुवीर सहाय ये जानते थे कि जो लोकतंत्र रोटी, सुरक्षा, स्वतंत्रता जैसी बुनियादी चीजे मुहैय्या नहीं करा सकता वह देश के भविष्य का क्या सोचेगा?

स्वाधीन भारत निर्धनता, शोषण, भ्रष्टाचार, बेकारी और असुरक्षा से घिरा हुआ है। इन सब से घिरा हुआ आदमी तिल–तिल कर मरता है और इन सम्स्याओं को समझने सुलझाने के बदले सत्ता से आम आदमी को क्या मिलता है? केवल हंसी और उपहास। सत्ता पक्ष वास्तविक समस्याओं की ही हंसी नहीं उड़ाता अपितु उन्हें हंसी में उड़ाकर निरर्थक, अ.श्य और अमूर्त बना देता है। ‘आपकी हंसी’

कविता में रघुवीर सहाय कहते हैं–

"निर्धन जनता का शोषण है
कहकर आप हँसे
लोकतंत्र का अंतिम क्षण है
कहकर आप हँसे
चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हँसे।"[32]

आम आदमी के जीवन को बद से बदतर बनाया जा रहा है। 'लोकतंत्र की मृत्यु' केवल एक हास्यास्पद वाक्य बनकर रह गया है। लोकतंत्र और उसके मूल्यों की हत्या करने के बाद राजनेता की हंसी भयावह बन जाती है। दमन और उत्पीड़न की ताकत से लैस अधिनायक के सामने निहत्थे आम आदमी में राजनेता की यह क्रूर हंसी सिहरन पैदा कर देती है, क्योंकि अकेली सोच, अकेले विचार या अकेली आवाज को हमेशा ही दबा दिया जाता है। भाषा का एक ऐसा रूप निर्मित किया जाता है, जो शासन के हित में हो।

जिस तरह जनता के लिए रोटी आवश्यक है उसी तरह भाषा भी उसके लिए अनिवार्य है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित तो किया गया लेकिन उसे वास्तव में राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। इससे हिंदी का वह रूप विकसित हुआ जो सिर्फ अंग्रेजी की स्थानापन्न भाषा बनकर रह गया। रघुवीर सहाय ने इस स्थिति पर कहा है–

"हमारी हिंदी एक दुहाजू की नई बीवी है
बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली, बहुत सोने वाल
X X X
हमारी हिंदी सुहागिन है, सती है, खुश है
उसकी साध यही है कि खसम से पहले मरे
और तो सब ठीक है पर पहले खसम उससे बचे
तब तो वह अपनी साध पूरी करे।"[33]

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि रघुवीर सहाय का लोकतंत्र कोई प्रसन्न संसार नहीं है। उनकी कविता में एक हिंस्र आहट सुनाई देती है। यह हिंस्र आहट गोली बारूद की अनुगूंज से भिन्न है। यह एक स्वाधीन मस्तिष्क और मनुष्य को पराधीन बनाने की निशब्द हिंसा है। कभी रामदास के साथ शारीरिक हिंसा घटती है। उसे अपनी हत्या की पूर्व सूचना है लेकिन वह अपनी रक्षा के लिए इस लोकतंत्र में कुछ भी नहीं कर पाता। तो कभी जनप्रतिनिधियों की हंसी भी एक हिंसा का रूप धारण कर लेती है। इस स्थिति से मुक्ति के लिए समाज को बदलना होगा। रघुवीर सहाय इस सन्दर्भ में कहते है। "विराट भीड़ों के समाज को बदलने का सिर्फ एक साधन है, वह है उस सत्ता का उपयोग जो समुदाय का

एक-एक व्यक्ति अलग-अलग निर्णयों से कुछ हाथों में देता है-सरकार जो राज्य की प्रतिनिधि है, जो समाज की प्रतिनिधि है, अधूरी, टूटी, नकली, मिलावटी, मूर्ख जैसी भी वह हो सकती है, अकेला साधन भीड़ के हाथ में है।"[34] रघुवीर सहाय की कविताओं में लोकतंत्र की विडम्बना हर स्तर पर प्रकट हुई है। उन्होंने अपने समाज और राजनीति से पाया कि तत्कालीन परिस्थितियों में लोकतंत्र मात्र संज्ञा बनकर रह गया है जिसका कोई सर्वनाम नहीं है। जबकि लोकतंत्र की उचित उपयोगिता उसके विशेषण में है। व्याकरण के आभाव में लोकतंत्र का पूरा वाक्य ही बिखर गया है। परन्तु कवि भी इसका समाधान प्रकट करने के बजाय राजनीति करने लगे हैं। जब समाज का व्याख्याता कवि अपनी अभिव्यक्ति को समस्या प्रधान बना लेता है तो समाधान के लिए आम जनता कहाँ जाए। दूसरों को कोसना आसन है परन्तु कवि का आम आदमी बनकर समस्याओं का समाधान ढूंढना बड़ा मुश्किल है इसीलिए कवि केवल समस्याओं को सामने रखकर अपने कर्म की इति श्री मान लेता है। इस विडंबना से मुक्ति का एक समाधान अपने कर्तव्यों के पालन का एहसास है, जिसे न केवल कवि, नेता या जनता को निभाना है बल्कि हर उस व्यक्ति को निभाना है जो सत्ता की क्रूरता का शिकार है। तभी लोकतंत्र अपनी परिभाषा पर खरा उतर पायेगा और तभी उसकी विडम्बना दूर हो पायेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा-ओम प्रकाश गाबा-मयूर पेपर बैक्स- संस्करण-2001-पृ.सं.-221
2- The People's front 'The New Betrayal -James Burnhem&Pioneer Publisher's New York (1937) Page. 34
3. आधुनिक राजनीति के सिद्धांत,भाग-2-एम.पी.जैन.-ओरिएंट लॉन्गमैन लिमिटेड-संस्करण-1978-पृ.सं.-150
4. भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि-गतिरोध, सम्भावना और चुनौतियाँ-किशन पटनायक-राजकमल प्रकाशन- प्र. सं. -2006-पृ.सं.-5
5. भारतनामा-सुनील खिलनानी-राजकमल प्रकाशन-पहला पेपर बैक्स संस्करण-2001-पृ.सं.-53
6. दूसरा सप्तक-वक्तव्य-भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन-द्वितीय संस्करण-1970- पृ.सं.-138
7. भारतनामा-सुनील खिलनानी-राजकमल प्रकाशन-पहला पेपर बैक्स संस्करण-2001-पृ.सं.-59
8. आत्महत्या के विरुद्ध-रघुवीर सहाय-राजकमल प्रकाशन-प्रथम संस्करण-1967-पृ.सं.-85-86
9. आत्महत्या के विरुद्ध-रघुवीर सहाय-राजकमल प्रकाशन-प्रथम संस्करण-1967-पृ.सं.-21-22
10. आत्महत्या के विरुद्ध-रघुवीर सहाय-राजकमल प्रकाशन-प्रथम संस्करण-1967-पृ.सं.-22
11. आत्महत्या के विरुद्ध-रघुवीर सहाय-राजकमल प्रकाशन-प्रथम संस्करण-1967-पृ.सं.-68
12. रघुवीर सहाय रचनावली-खंड-3-सम्पादक-सुरेश शर्मा-राजकमल प्रकाशन-प्रथम संस्करण-2000-पृ.सं.-56
13. आत्महत्या के विरुद्ध-वक्तव्य-रघुवीर सहाय-राजकमल प्रकाशन-प्रथम संस्करण-1967
14. सीढ़ियों पर धूप में-रघुवीर सहाय-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी-प्रथम संस्करण-1960-पृ.सं-140-141

15. कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां-रघुवीर सहाय रचनावली, खंड-1-सम्पादक-सुरेश शर्मा-राजकमल प्रकाशन-संस्करण-2000-पृ.सं.-286
16. IBN 7-12 जनवरी, 2008
17. हिन्दुस्तान-3 जनवरी 2008-पृ.सं.-1
18. एक समय था- रघुवीर सहाय रचनावली, खंड-1-सम्पादक-सुरेश शर्मा-राजकमल प्रकाशन-संस्करण-2000-पृ. सं. 328
19. रघुवीर सहाय का कवि कर्म-सुरेश शर्मा-वाणी प्रकाशन-संस्करण-2002-पृ.सं.-78
20. रघुवीर सहाय रचनावली, खंड-4-सम्पादक-सुरेश शर्मा-राजकमल प्रकाशन-संस्करण-2000-पृ.सं. 475
21. एक समय था-रघुवीर सहाय रचनावली, खंड-1-सम्पादक-सुरेश शर्मा-राजकमल प्रकाशन-संस्करण-2000-पृ.सं.314
22. राजनीति कि किताब-संपादक-अभय कुमार दूबे-वाणी प्रकाशन-प्रथम संस्करण-2003-पृ.सं.-82
23. आत्महत्या के विरुद्ध-रघुवीर सहाय-राजकमल प्रकाशन-प्रथम संस्करण-1967-पृ.सं.-16-17
24. लोकतंत्र के तलबगार-जावीदआलम-अनुवाद अभय कुमार दूबे-वाणी प्रकाशन-प्रथम संस्करण-2007-पृ.सं.-9
25. फिल्म के बाद चींख-आत्महत्या के विरुद्ध-रघुवीर सहाय-राजकमल प्रकाशन-प्रथम संस्करण-1967-पृ.सं.-75-76
26. प्रतिपक्ष-अंक जनवरी 1991-पृ.सं.-17
27. हंसों हंसों जल्दी हंसों-रघुवीर सहाय-नेशनल पब्लिशिंग हॉउस-प्रथम संस्करण-1975-पृ.सं.-27
28. हिन्दुस्तान-2 जनवरी 2008-पृ.सं.-1
29. सीढ़ियों पर धूप में-रघुवीर सहाय-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी-प्रथम संस्करण-1960-पृ.सं-172
30. औरत की जिंदगी-हंसों हंसों जल्दी हंसों-रघुवीर सहाय-नेशनल पब्लिशिंग हॉउस-प्रथम संस्करण-1975-पृ.सं.-12
31. हँसों हँसों जल्दी हँसों-रघुवीर सहाय-नेशनल पब्लिशिंग हॉउस-प्रथम संस्करण-1975-पृ.सं.-23
32. आपकी हंसी-हंसों हंसों जल्दी हंसों-रघुवीर सहाय-नेशनल पब्लिशिंग हॉउस-प्रथम संस्करण-1975-पृ.सं.-16
33. आत्महत्या के विरुद्ध-रघुवीर सहाय-राजकमल प्रकाशन-प्रथम संस्करण-1967-पृ.सं.-78
34. रघुवीर सहाय रचनावली, खंड-3-सम्पादक-सुरेश शर्मा-राजकमल प्रकाशन-संस्करण-2000-पृ.सं.-102

मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएँ

डॉ० रवेन्द्र राजपूत
एसोसिएट प्रोफेसर,
शिक्षक शिक्षा विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

भारत की आर्थिक उन्नति तथा सम्पन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ये ईसा की 8 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। महमूद गजनवी ने भारत में लूट करके उस धन से गजनी में मदरसे एवं पुस्तकालय खोले। उसके उपरान्त मुसलमान शासक भारत में स्थायी रूप से शासन करने लगे उन्होंने यहाँ एक नवीन शिक्षा–प्रणाली को जन्म दिया। उस समय की यह शिक्षा मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा पद्धति कहलायी।

भारत में उस समय वैदिक व बौद्ध शिक्षा प्रणाली का प्रचलन था लेकिन समस–समय पर बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन, फिरोज, तथा औरंगजेब जैसाी शासकों ने प्राचीन संस्कृति व शिक्षा को विध्वंस करने के प्रयास किये। बख्तियार खिलजी ने धार्मिक कट्टरता के कारण अनेक हिन्दू शिक्षा केन्द्र नष्ट कर दिये गये और उनकी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया। इसके बावजूद भी प्राचीन एवं सुव्यवस्थित संस्कृति पर आधारित व धर्म से प्रेरित भारतीय शिक्षा की धारा मुस्लिम प्रभाव से दूर स्थित स्थानों में अवाध गति से आगे बढ़ती रही। शाही प्रयत्नों तथा कुछ व्यक्तिगत धनिकों के प्रयत्नों के कारण भारतीय शिक्षा का स्वरूप बदलने लगा। तत्कालीन हिन्दू शिक्षा भी इस नवीन शिक्षा प्रणाली से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी, यहाँ तक कि बहुत से हिन्दू भी अरबी व फारसी के प्रकाण्ड पण्डित होकर मुसलमान शासकों के दरवारों में उच्च पदों पर आसीन होने लगे। मुसलमानी शिक्षा भी प्रधानत : दर्शन, चिकित्सा तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दू शिक्षा से प्रभावित हुई। इस्लामी शिक्षा 3 भागों में विभाजित की गई थी– 1. मकतब (प्रारम्भिक शिक्षा) 2. उच्चतर मकतब 3. मदरसा (उच्च शिक्षा)

इस वर्गों में बंटी इस्लामी शिक्षा का सम्पूर्ण देश में जाल सा बिछा गया।

मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य

भारत में इस्लामी शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर शिक्षा का प्रसार किया गया। इतना अवश्य था कि भिन्न–भिन्न शासकों द्वारा शिक्षा प्रसार के उद्देश्यों में परिवर्तन अवश्य हुआ अकबर और औरंगजेब के शिक्षा प्रसार के उद्देश्य सर्वथा भिन्न थे। अकबर का उद्देश

देश में राजनीतिक-धार्मिक तथा सामाजिक साम्य उत्पन्न करके एक नवीन राष्ट्र का संगठन करना था वहीं औरंगजेब का एक मात्र उद्देश्य हिन्दू संस्कृति एवं शिक्षा को नष्ट करके इस्लामी शिक्षा व सिद्धान्तों का प्रसार प्रचार करना था। इस्लामी शिक्षा के उद्देश्यों को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं-

1. ज्ञान के आलोक का प्रसार - पैगम्बरों के अनुसार ज्ञानार्जन आवश्यक है। ज्ञान को रेगिस्तान में मित्र, एकान्त में साथी, दुख में सहानुभूति देने वाला, मित्रों के मध्य शोभा बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं से रक्षक माना जाता है। प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लिए उन्होंने शिक्षा अनिवार्य कर दी।

2. इस्लाम धर्म का प्रचार - इस्लाम का प्रचार एक धर्मिक कर्त्तव्य के रूप में किया गया और इसका प्रचार करने वाला ही गाजी होता है ऐसा उनका विश्वास था। अत: भारत में शिक्षा द्वारा विशाल स्तर पर धर्म प्रचार किया गया। मकतबों में प्रारम्भ से ही कुरान का अध्ययन होता था और इस्लाम के मूलभूत सिद्धान्तों से परिचित कराया जाता था। मदरसों में भी धर्म, दर्शन साहित्य तथा इतिहास की शिक्षा दी जाती थी। हजरत मुहम्मद के अनुसार - "दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चो को शिक्षा देना श्रेष्ठ है।" उन्होंने यह भी कहा कि - "विद्यार्थियों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है।" अत: स्कूलों का वनवाना उतना ही पवित्र काम होगा या जितना कि मस्जिदों का निर्माण, यहाँ तक कि मस्जिद और उसके साथ एक मकतब अनिर्वात : बनने लगा। अपनी ध ार्मिक भावना की तीव्रता के कारण ही उन्होंने प्राचीन बौद्ध तथा अन्य हिन्दू मन्दिरों, विद्यालयों और शिक्षा केन्द्रों को नष्ट करके उनके स्थान पर मस्जिद और मदरसे बनवाये।

3. नैतिकता का विस्तार - मुसलमानों की नैतिकता हिन्दुओं से पूर्व रूप से भिन्न थी वे सभी भारतीय मुसलमानों में प्राचीन इस्लामी कानून, सामाजिक प्रथाओं और विशेष राजनीतिक सिद्धान्तों को प्रतिपादित करना चाहते थे।

4. धर्म परायणता की अभिवृद्धि - मस्जिद के ही एक कोने में मतकतव का निर्माण होने से सभी विद्यार्थी न व्यक्ति सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते थे जिससे व्यक्तियों में धर्म परायणता का समावेश सरलता से हो जाता था।

5. सांसारिक वैभव की प्राप्ति - मानव की दो मूल प्रवृत्तियां धन और यौन इस्लाम का मूल आधार थी। इन दोनों वैभवों की प्राप्ति ही इनका प्रधान उद्देश्य रहा। शिक्षित व्यक्तियों को मुस्लिम शासकों ने उच्चपद, सम्मान, तमगे, जागीरें, सिपहसालार, काजी या वजीर के पदो पर नियुक्त किया। लोभ के वशीभूत होकर बहुत से हिन्दू भी इस्लामी शिक्षा पाने लगे और फारसी भाषा में प्रकाण्ड विद्वान होकर राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किये गये।

6. राजनीतिक व्यवस्था - मुसलमान एक ऐसे देश में आये थे जिसकी सभ्यता, संस्कृति तथा राजनीतिक ज्ञान उनसे कहीं अधिक उच्च कोटि का था। अत: उन्हें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था उत्पन्न करना

आवश्यक हो गया जिसके द्वारा उनका शासन स्थायी रूप से सम्भव हो सके। अकबर ने इसी उद्देश्य का सहारा लेकर शिक्षा द्वारा ही अपने राज्य का विस्तार किया।

'शिक्षा के आधारभूत तत्व एवं विशेषतायें'

भारतीय सभ्यता, संस्कृति पर मुस्लिम शासकों ने कुठारापात करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। विद्या के मन्दरों को विध्वंस कर प्राचीन शिक्षा पद्धति को पंगु ही वना डाला। और अपनी धार्मिक कट्टरपंथी शिक्षा के बीज वोये। इस मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति के मूलभूत तत्त्व व विशेषतायें निम्नवत हैं–

1. शिक्षा को प्रोत्साहन – मुस्लिम युग के शासकों ने शिक्षा में विशेष रूचि दिखाई इन्होंने राज्य के विभिन्न भागों में मकतबों, मदरसों व पुस्तकालय के निर्माण रहे लिए प्रेरणा ले धनिक लोगों ने विद्वानों, कवियों व अन्य साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। छात्रों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें छात्र वृत्तियां प्रदान की जाती थीं। इन्हीं सब सुविधाओं के फलस्वरूप ही शिक्षा का प्रशंसनीय प्रसार हुआ।

2. धार्मिक एवं सांसारिक शिक्षा का समन्वय – इस्लामी शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी धार्मिक व सांसारिक शिक्षा का समन्वय एवं एकीकरण है। इस्लाम परलोक (पुर्नजन्म) के सिद्धान्तों को नहीं मानता, अतः इसमें सांसारिक वैभव अथवा इसी लोक की सम्पदाओं का विशेष महत्व है। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षाशास्त्रियों ने जीवनोपयोगी शिक्षा पर अधिक जोर दिया और साथ ही एक नये देश में उन्होंने धार्मिक कट्टरता व उग्रता को भी अपने लिए अनिवार्य समझा। अतः शिक्षा पर भी उनके धार्मिक दृष्टि कोण की छाप पड़ना अनिवार्य था समय न्यूनतम पर धार्मिक गुरुओं ने ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया और उसे व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक बताया। पैगम्बर मुहम्मद ने ज्ञानोपार्जन करना प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लए अनिवार्य बताया है। फीरोज, अकबर और औंरगजेंब ने सांसारिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया। राज काज के संचालन हेतु काजी, वजीर, सेनापति तथा अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी इनकी नियुक्ति मदरसों से निकले कुशल स्नातकों में से होती थी। कला कौशल शिल्प चिकित्सा तथा वाणिज्य इत्यादि अन्य जीवनोपयोगी विषयों का पढ़ाया जाना भी इस बात का द्योतक है कि धार्मिक शिक्षा के साथ ही सांसारिक शिक्षा का एक सुन्दर समन्वय शिक्षा का उद्देश्य था। मकतवों में जहां कुरान व हदीस इत्यादि का अध्ययन कराया जात था और ईश प्रार्थनायें होती थीं वहाँ सासांरिक शिक्षा प्रदान करके जीवन में एक साम्य लाने का भी प्रयास तत्कालीन शिक्षा ने किया।

3. व्यावहारिकता – शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं अपितु जीवन के लिए दी। आध्यात्मिक शून्यवाद की ओर मुसलमानों की अभिरूचि नहीं थी। वे इसी संसार में अपने जीवन काल में ही अधिक से अधिक कर्म कर जाना चाहते थे। अतः शिक्षा का भी ऐसा रूप रहा जो विद्यार्थियों को भविष्य के

लिए तैयार करता था। राजकुमारों की शिक्षा को अधिक संजीव और व्यावहारिक रूप देने के लिए सम्राट औरंगजेब को हम प्रयत्नशील पाते हैं। उसने शाब्दिक व शास्त्रीय शिक्षा की अपेक्षा राजकुमारों के लिए राजतन्त्र, इतिहास व भूगोल, सैनिक शिक्षा व नागरिक शास्त्र एवं कूटनीति का शिक्षण अधिक अनिवार्य व व्यवहारिक समझा। अत: पाठ्यक्रम को भी तद्नुसार परिवर्तित करने के आदेश दिये गये।

4. शिक्षा की अनिवार्यता – मुसलमानी शिक्षा को जीवन के लिए अनिवार्य समझा जाता था। क्योंकि कुरान में लिखा है कि जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है वही ईश्वर की भक्ति करता है। ज्ञान का रेगिस्तान में मित्र, एकान्त में साथी, दु:ख में सहानुभूति देने वाला, सुख का द्वार मित्रों के मध्य में शोभा बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं से रक्षक माना जाता है। इससे सांसारिक तथा स्वर्गीय सुख मिलते हैं, ज्ञान अमरत्व प्रदान करता है। मुहम्मद साहब ने कहा है– "जो विद्यार्थी ज्ञान की खोज में जाता है, ईश्वर उसे स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करेगा, प्रत्येक कदम जो वह उठाता है वह धन्य है और प्रत्येक पाठ वो वह पढ़ता है उसका पारितोषक है।" अत: विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य समझते थे।

5. सरस साहित्य एवं इतिहास का विकास – मुसलमानी शिक्षा की विशेषता यह भी रही कि इसमें सरस साहित्य व इतिहास का पर्याप्त विकास हुआ। उस प्राचीन शिक्षा के अनतर्गत इतिहास लिखने की प्रवृत्ति का विकास नहीं हो सका था, प्राचीन इतिहास केवल हमें पौराणिक गाथाओं के रूप में ही मिलता है। कल्हण की 'राजतरंगिनी अवश्य इहिास की कोटि में आती है। किन्तु मुसलमान शासकों ने स्वयं अपने संस्मरणों के रूप में इतिहास लिखें तथा दरबारों में प्रसिद्ध इतिहासकारों को संरक्षण दिया। मुसलमानों के सौन्दर्य प्रेमी होने व उनकी प्रवृत्तियां सांसारिक भोग विलास की ओर होने के कारण सरस साहित्य का भी उस युग में सृजन हुआ। अत: तत्कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी साहित्य के विभिन्न अंग जैसे–गद्य, पद्य तथा काव्य को सम्मिलित किया गया।

6. व्यक्तिगत सम्पर्क – प्राचीन शिक्षा पद्धति की भाँति मुसलमानी शिक्षा पद्धति की भी वह विशेषता है कि इसमें गुरु और शिष्य का व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित हो जाता था। मकतब एवं मदरसों में अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी पर अलग–अलग ध्यान देते थे। प्रत्येक विद्यार्थी का पाठ स्वतन्त्र रूप से उसकी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार चलता था। इस युग में कक्षा प्रणाली नहीं थी इसलिए योग्य व कुशल विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण सुअवसर मिलता था।

7. गुरु–शिष्य सम्बन्ध – मध्यकाल में इस्लामी शिक्षा के अन्तर्गत गुरु का समाज में एक विशेष स्थान होता था शिष्य गुरुओं का आदर करते थे और उनकी सेवा भी करते थे। किन्तु गुरु भक्ति का आदर्श अब इतना उच्च नहीं रहा था जितना कि प्राचीन काल में था। गुरुओं के लिए शिष्यों में त्याग की भावना का बहुत कुछ हाल हो चला था। औरंगजेब ने सिहांसन पर बैठने के बाद अपने गुरु मुल्ला

शाह सलेह से मिलने से मना कर दिया और अत: में मिलने पर उससे कठोरता से व्यवहार किया तथा उसे अज्ञातवास की सजा दे दी। मदरसों में गुरु व शिष्य एक ही छत के नीचे निवास करते थे और परस्पर एक दूसरे के निकट आने का लाभ उठाते थे। समाज में शिक्षक का आदर होने के कारण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से विनयशील और आज्ञाकारी होते थे।

8. छात्रवास – मकतबों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवास की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। अधिकतर मदरसों के साथ की छात्रवास की व्यवस्था की। इन मदरसों तथा छात्रवासों को बड़ी–बड़ी जागीरें मिली होती थीं जिससे इनका दैनिक व्यय चलता था। वैदिक व बौद्ध काल के आश्रमों और मठों की अपेक्षा इन छात्रवासों का जीवन अधिक सुखदायक तथा सुविधा जनक था। प्राचीन काल के आश्रम निर्जनस्त्रों में होते थे और उनमें सादा जीवन भोजन पर जोर दिया जाता था किन्तु ये छात्रवास नगर के मध्य स्थित होते थे और विद्यार्थी को आराम की सभी सुविधायें व उपकरणों के साथ कालीन, कोरमा, तेल, तश्तरी, मिष्ठान, मुर्गी रोटी, पुलाव को उपलब्ध कराया जाता था।

9. अनुशासन तथा दण्ड विधान– शिक्षक के लिए अनुशासन की कोई समस्या नहीं थी किंतु अनुशासन तोड़ने वाले छात्रों को अति कठोर दण्ड दिया जाता था। वेंत, कोड़े, घूंसे लगाकर शारीरिक दण्ड व महान अपराध करने पर मुर्गा बनकर गर्दन (पीठ) पर भारी ईट था लकड़ी रखी दी जाती थी जिससे छात्र निश्चित समय से पहले गिरा देने पर वहीं दण्ड पुन: झेलता था।

10. स्त्री शिक्षा – मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण अधिकांश बालिकायें शिक्षा से वंचित रहती थी। सम्पन्न व शाही घराने की बालिकाओं के लिए घर पर ही बूढ़े मौलवी को उन्हें थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान देने के लिए लगा दिया जाता था। इस काल में स्त्रिय शिक्षा का ह्रास हुआ। हिन्दू बालाये भी लड़कों के साथ ही घर पर शिक्षा प्राप्त करती थीं। बालिकाओं की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रधानत: धर्मग्रन्थों का अवलोकन तथा गृह शास्त्र था। कुछ राकुमारियां साहित्य, संगीत, शासन व युद्ध कला में भी निपुण थीं। इनमें बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, रजिया सुल्ताना, सुल्ताना सलीमा, नूरजहाँ, मुमताज महल, जहानारा, वेगम, जुबैन्निसा आदि प्रमुख थीं।

11. सैनिक शिक्षा – मुसलमानों को भारत में आकर राज्य स्थापित करने के लिए निरन्तर युद्ध करने पड़े। अत: इस युग में युद्ध कला का खूब विकास हुआ। शहजादों को प्रारम्भ से ही सैनिक शिक्षा दी जाती थी। उस समय हिन्दू सैनिक, मुसलमानों से शारीरिक बल व व्यक्तिगत निपुणता में किसी भी प्रकार से निम्न नहीं थे। किन्तु मुसलमानों की रण प्रणाली अपनी एक विशेष थी। सैनिकों व राजकुमारों का पाठ्यक्रम अश्वारोहण, भाला, तीर व तलवार चलाना किले का घेरा डालना व अन्य प्रकार से सैनिक शिक्षा देना शामिल था।

12. ललित व हस्त कला – ललित कला की दृष्टि से तो मुसलमान काल स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तव में अधिकांश सुल्तान व शंहशाह विलासी थे। और सांसारित पदार्थो की चका–चौंध में ही

अपने ऐश्वर्य में जीवन बिताते थे, ऐसी दशा में ललित कलाओं का संरक्षण व उन्नति स्वाभाविक थी। हस्त कला को भी खूब अपनाया गया हाथी दांत का काम, का भूषण निर्माण, रेशम व जरीका काम, मलमल, जलयान निर्माण, रथ व युद्ध सामग्री का निर्माण प्रमुख शिल्प थे।

इस्लामी शिक्षा के दोष

उपर्युक्त गुणों की अपेक्षा इस शिक्षा पद्धति में प्रमुख दोष निम्नवत थे–

1. दृष्टिकोण अधिक सांसारिक – इस्लाम के आधारभूत सिद्धान्तों के कारण मुसलमानों ने इस लोक की सम्पदा पर ही अधिक जोर दिया। परिणामतः शिक्षा में आध्यात्मिकता का अभाव रहा। शिक्षा का उद्देश्य राज्य में मान, पद व नौकरी पाना मात्र रह गया। इस लालच में पड़े हुए विद्यार्थी जीवन दर्शन की उस गहराई तक नहीं पहुँच सके जो प्राचीन भारत की विशेषता थी।

2. शिक्षालय अस्थायी – मकतब व मदरसे आर्थिक सहायता के अभाव में बहुधा बन्द हो जाया करते थे और कुछ ही दिनों में जंगली जानवर और चिड़ियों के निवास स्थान बन जाते थे।

3. अरबी एवं फारसी भाषा का आधिपत्य – प्रारम्भ से ही मकतब में वर्णमाला रटाई जाती थी उच्च शिक्षा का माध्यम भी फारसी था। राजभाषा फारसी होने के कारण इसका अध्ययन अनिवार्य हो गया। यहां तक कि हिन्दुओं को भी राज्य पद पाने की इच्छा से फारसी का अध्ययन करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि प्रान्तीय भाषाओं का विकास न हो सका।

4. शिक्षा की व्यापकता का अभाव – इस्लाम धर्म में शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य बताया गया है और यह एक सर्वमान्य धारणा थी कि – "ज्ञान की खोज कने वाले का स्वागत जन्नत में फरिश्ते करते हैं।" किन्तु इसके बावजूद भी मुलसमानी शिक्षा व्यापक न हो सकी। मुसलमान आधिक्य नगरों में ही शिक्षा केन्द्र होने के कारण, सामान्य नागरिकों की शिक्षा ही अवहेलना हुई जो दूर बसे हुए थे।

5 स्त्री शिक्षा की अवहेलना – मुसलमानों में पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियां शिक्षा से बहुधा दूर रही रहीं इसमें कोई सन्देह नहीं कि शहजादियों व अमीर सरदारों की पुत्रियों की शिक्षा व्यवस्था उनके महलों में ही हो जाया करती थी किन्तु सर्वदा सबकी लड़कियों के लिए शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी।

6. लेखन एवं पाठन की असमानता – मुस्लिम शिक्षा पद्धति में सर्वप्रथम शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था और उसकी समाप्ति पर लिखने का। इससे बालक का सन्तुलित विकास नहीं हो पाता था और व्यर्थ ही पर्याप्त समय नष्ट हो जाया करता था।

7. अन्य दोष – स्वाध्याय का अभाव, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने से मौलिकता का अभाव,

छात्रों में आराम व विलासी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव तथा उच्चादर्शों का अंभाव, कठिन शारीरिक दण्ड व्यवस्था तथा छात्रों में शुद्ध तार्किक अभिरूचि उत्पन्न करने की प्रवृत्ति इत्यादि मुस्लिम शिक्षा के अन्य दोष हैं।

इतना होते हुए भी इस्लामी शिक्षा की एक विशेषता भी थी इसने सम्पूर्ण मुस्लिम समाज को एक सूत्र में बाँधकर उनके समक्ष जीवन का एक नवीन रूप रखा। मुस्लिम संस्कृति की एकता का एकमात्र श्रेय उसकी शिक्षा प्रणाली को ही है। इस शिक्षा प्रणाली द्वारा जनता केवल अपना सम्बन्ध मध्य एशिया के अन्य इस्लामी देशों से बनाये रखने में सफल रही अपितु भारीय धर्म परिवर्तित मुसलमानों में भी एक साम्य व भ्रातृत्व-भावना का समावेश कर सकी।

मकतब एवं मदरसा – मुस्लिम युग में प्राथमिक शिक्षा मकतब में और माध्यमिक व उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। ये मकतब व मदरसे प्रायः मस्जिद से सम्बद्ध होते थे। इनकी स्थापना मुस्लिम शासकों एवं धनी विद्या प्रेमियों द्वारा की जाती थी। इनमें दी जाने वाली शिक्षा जनसाधारण के लिए न होकर एक वर्ग विशेष के लिए ही थी। मकतब न मदरसों का निर्माण वहीं पर होता था जहाँ पर कि मुसलमानों की संख्या अधिक होती थी व धनी लोगों का निवास होता था। उच्च वर्ग के मुसलमानों के ही बालक इनसे लाभान्वित हुआ करते थे। आम व्यक्ति के बालकों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का कोई सुलभ साधन नहीं था। मुसलमानी शिक्षा व्यवस्था स्वरूप निम्नवत है-

1. प्राथमिक शिक्षा (मकतब) – मकतब अरबी भाषा के शब्द 'कुतुब' से बना है जिसका अर्थ है – "उसने लिखा"। इस प्रकार मकतब वह स्थान है जहाँ लिखना सिखाया जाता है। ये मकतब मस्जिदों से जुड़े रहते थे। मकतबों के अतिरिक्त खानकाह व दरगाह भी बनाये जाते थे जहाँ मुसलमान के बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी। पढ़ाने का काम मौलवी करता था। इन मकतबों की संख्या इतनी कम थी कि समस्त मुस्लिम बालकों के लिए ज्ञान का अर्जन करना कठिन था।

मकतब में प्रवेश – जिस प्रकार वैदिक काल में 'उपनयन', 'बौद्ध काल में 'प्रव्रज्या" संस्कार के पश्चात बालक विद्यारम्भ करता था। उसी प्रकार मुसलमानी शिक्षा में "बिस्मिल्लाह" रस्म अदा की जाती थी। इसके उपरान्त ही बालक मकतब में प्रवेश कर सकता था। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो मकतब प्रवेश (बिस्मिल्लाह) की रस्म मनाई जाती थी। इस अवसर पर बालक को सम्बन्धियों के समक्ष नवीन वस्त्र पहिनाकर बिठाया जाता था, फिर उसके सामने लिपि, कुरान की भूमिका तथा उसका 55 वाँ व 87 वाँ अध्याय रखा जाता था। मौलवी कुरान की आयतों को पढ़ते थे और बालक से दोहरवाते थे। बालक पढ़ने में असमर्थ होता या तो केवल 'विसिमिल्लाह' कह देना ही पर्याप्त समझा जाता था। इस प्रकार बालक की शिक्षा प्रारम्भ हो जाती है।

पाठ्यक्रम – मकतबों में दी जाने वाली शिक्षा का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार का

था। प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ वर्णमाला के अक्षरों को पड़ती पर लिखकर किया जाता था। सुन्दर लेख पर जोर दिया जाता था। वर्णमाला के लिखने के साथ-साथ गणित का ज्ञान दिया जाता था। जब लिपि का ज्ञान हो जाता था तब बालक को कुरान की आयतें रटाई जातीं थीं। बालक को लिपि का ज्ञान आँख तथा कान के मार्ग से कराया जाता था। लिपि का ज्ञान होने पर कुरान का 30 वाँ भाग पढ़ाया जाता था जिसमें दैनिक प्रार्थनायें व फातिहा हैं। उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके बाद लिखने की शिक्षा दी जाती थी और फारसी का व्याकरण रटाया जाता था।

सादी का गुलिस्तां तथा बोस्तां समझाकर पढ़ाये जाते थे जिसमें नैतिक शिक्षा भी मिलती थी। लेखन कला में प्रतिदिन 4-5 घण्टे लगाये जाते थे। फिर युसुफ - जुलेखा, लैला-मजनू सिकन्दर नामा आदि काव्य पढ़ाये जाते थे। इसके अतिरिक्त पैगम्बरों की कथायें, मुस्लिम फकीरों की कहानियां तथा फारसी कवियों की कविता का भी ज्ञान कराया जाता था। अवजद (अक्षरों की संख्या से गणना और शकुन विचार भी सिखाया जाता था। अंकगणित, बातचीत का ढंग, पत्र कला, अर्जीन वीसी आदि के उपरान्त फारसी की प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त हो जाती थी। कुरान के अतिरिक्त खालिकवारी, करीमा, मामकीया भी पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी साधारणत: शिक्षित होकर कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते थे।

शिक्षण विधि - शिक्षण विधि मौखिक थी। बच्चों को 'कलमा' रटना पड़ता था और कुरान की आयतें कण्ठस्थ करनी पड़ती थीं। एक कक्षा के समस्त छात्र एक स्वर से एक साथ बोलकर पहाड़े याद करते थे। लिखने के लिए तख्तियों का प्रयोग किया जाता था जिन पर बालक मोटे सरकण्डे की कलम से लिखते थे फिर उन्हें पतले कलम से कागज पर लिखने का अभ्यास कराया जाता था।

अन्य विशेषतायें - मकतबों में प्रात: काल तथा अपराहन के समय शिक्षा का कार्यक्रम चलता था। मध्याह्न के समय बालकों को भोजन के लिए अवकाश दिया जाता था। शिक्षा नि:शुल्क थी। शिक्षक का भरण पोषण राज्य अथवा स्थानीय धन सम्पन्न पुरूषों द्वारा किया जाता था। मकतबों में कवड्डी आदि खेल खेले जाते थे। जब छात्र मकतब में अपना विद्याध्ययन समाप्त करते थे तब उन्हें पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध हो जाता था।

2. उच्च शिक्षा (मदरसा) - मकतब की शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त छात्र मदरसे में प्रविष्ट होता था। 'मदरसा' शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के 'दरस' शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है "भाषण देना" अत: मदरसा वह स्थान है "जहाँ भाषण दिये जाते हैं।" मदरसों में शिक्षण पद्धति व्याख्यानों पर आधारित थी। इन मदरसों में भिन्न-भिन्न विषयों के शिक्षक होते थे। इन शिक्षकों की नियुक्ति राज्य या दानशील धनवानों द्वारा होती थी। मकतब के बाद मदरसों मे प्रवेश करने के समय विद्यार्थियों को कोई रस्म अदा नहीं करनी पड़ती थी।

कहीं–कहीं पर विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रवास तथा भोजन की भी व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को राज्य में उच्च पद अथवा सम्मान देकर भी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था।

शिक्षण काल

मदरसों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा का अध्ययन काल मात्र 12 वर्ष था शिक्षा की अवधिव्यापक थी। इस शिक्षा को दो भागों में बांटा गया था–

(i) लौकिक शिक्षा – लौकिक अथवा सांसारिक शिक्षा के अन्तर्गत बालकों को अरबी साहित्य व्यापक तथा गद्य, इतिहास भूगोल, दर्शनशास्त्र नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र यूनानी चिकित्सा कानून एवं कृषि आदि विषयों काज्ञान कराया जाता था।

(ii) धार्मिक शिक्षा – धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों को कुरान, मुहम्मद साहब की परम्परा इस्लामी कानून तथा इस्लामी इतिहास का अध्ययन कराया जाता था। उन्हें कुरान का अति गहन तथा आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था और आयतों को कंठस्थ करना होता था। अबुल फजल ने 'आईन–ए–अबकरी' में तत्कालीन–पाठ्यक्रम के विषय में इस प्रकार लिखा है– "प्रत्येक छात्र द्वारा नीतिशास्त्र, अंकगणित, अंकगणित की समस्यायें, कृषि शास्त्र, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ज्योतिष विद्या, मुखाकृति विद्या, गृहशास्त्र, राजतन्त्र और औषधि ज्ञान, तर्कशास्त्र तिबी (चिकित्सा तथा शरीर विज्ञान), रियाजी (गणित ज्योतिष, संगीत तथा शिल्प विज्ञान) इलाही (धर्म ज्ञान तथा दर्शन) और इतिहास ये सभी ज्ञान प्राप्त किये जा सकते हैं। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को व्याकरण, न्याय, वेदान्त और पतंजलि का अध्ययन करना चाहिए जिनकी वर्तमान देश व काल की मांग है।"

मदरसों की शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रेरणास्रोत इस्लाम था। अकबर के समय तक पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा की प्रधानता रही। धार्मिक सहिष्णुता की नीति प्रतिपादक होने के कारण, अबकर ने धार्मिक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत मुस्लिम शिक्षा को अपने राज्य के लिए अहितकर समझकर पाठ्यक्रम में कुछ जीवनोपयोगी विषयों को स्थान दिया और हिन्दू धर्म, दर्शन तथा साहित्य के अध्ययन की व्यवसथा की।

शिक्षण विधि – मकतबों के समान मदरसों में भी शिक्षण विधि मौखिक थी। क्योंकि मदरसों का अर्थ ही है "भाषण देने वाली संस्था"। धर्म, दर्शन आदि विषयों का शिक्षण र्क विधि से दिया जाता था। राजदरबारों में बहुधा महत्वपूर्ण विषयों पर शास्त्रर्य हुआ करते थे। फिरोज तुगलक तथा अकबर के दरबार इस प्रकार के शास्त्रर्थो के लिए प्रसिद्ध थे। स्वाध्याय या विद्यार्थी द्वारा स्वतन्त्र अध्ययन भी मध्य युग में एक प्रमुख विधि भी शिक्षकों से यत्र–तंत्र सहायता करने के उपरान्त विद्यार्थी एकान्त में

स्वाध्याय करते थे। इसमें रटने पर भी जोर दिया जाता था।

मिरडेल के शब्दों में – शिक्षा के उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम फारसी था उच्च शिक्षकों की संस्थाओं में मौखिक शिक्षण विधियों की अपेक्षा पढ़ने और लिखने को प्राथमिकता दी जाती थी।"

वैदिक काल व बौद्ध काल में प्रचलित बाल चर पद्धति (Monitorial System) का प्रयोग मुस्लिम शिक्षा के मदरसों में भी होता था। इसमें उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र निम्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते थे। इससे शिक्षक कार्य भार हल्का हो जाता था और उसकी अनुपस्थिति में भी शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहता था। मदरसों में मौखिक, भाषण, रटन, अग्रशिल्प, प्रायोगिक, अभ्यास व तर्क तथा स्वाध्ययन शिक्षण विधियाँ प्रचलित थीं।

अन्य विशेषाताऐं – अकतबों के समान मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार का था। कुछ मदरसों में एक या दो विषयों की ही उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। उदाहरणार्थ – शाहवलीउल्ला के 'दिल्ली मदरसा' में हदीस तथा तसीर और सियालकोट के मदरसे में व्याकरण की विशेष शिक्षा व्यवस्था थी। कक्षा उन्नति के लिए परीक्षायें नहीं होती थीं वरन् शिक्षकों के मतानुसार छात्र को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थान दे दिया जाता था।

उपाधियाँ व पारितोषक – छात्रों के सम्पूर्ण विषय वर्ष के कार्य पर दृष्टिपात करने के बाद उसके विषय में अद्वितीय प्रतिभा तथा गहन अध्ययन का प्रमाण दिया जाता था। और उन्हें उपाधियों से अलंकृत किया जाता था। चरित्रवान विद्यार्थियों को पारितोषक प्रदान किया जाता था। तर्कशास्त्र व दर्शनशास्त्र के छात्र को 'फाजिल' की उपाधि धर्मशास्त्र के विद्यार्थी को 'आलिम' की उपाधि तथा साहित्य के विद्यार्थी को 'काबिल' की उपाधि दी जाती थी। छात्रों को ये उपाधियां प्रदान करते समय एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाता था।

मूल्याँकन

लगभग 600 वर्षों तक भारत पर छाए रहने के बावजूद इस्लामी शिक्षा आज कुछ मकतब और मदरसे अवशिष्ट छोड़कर समाप्त हो गयी है। इन 600 वर्षों में जोधपुर, आगरा, दिल्ली, देवबन्द, स्यालकोट, मुल्तान आदि शिक्षा केन्द्र के रूप में उभरे पर राज्य संरक्षण के बावजूद भी इस्लामी शिक्षा अपने उरूज में भी अधिक लोकप्रिय न हो सकी। इसके कई कारण थे। एक तो ऐतिहासिक दौर में यह हमारा पराभव काल था। ज्ञान-विज्ञान के लिए लोगों में कोई प्यास नहीं थी। शिक्षा का उद्देश्य भी बस शासन में मान, पद या नौकरी पाना रह गया इसके लिए अरबी और फारसी जैसी विदेशी भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया गया। संस्कृत और स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। स्त्री शिक्षा

पर पाबन्दी लगाई गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस्लाम का दार्शनिक पक्ष कमजोर है इसलिए ये शिक्षा अधिक लोकप्रिय न हो सकी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्निहोत्री रवीन्द्र – आधुनिक शिक्षा : समस्याएँ और समाधान
2. लाल रमन बिहारी – भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं
3. पाठक पी0डी0 – भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ
4. गुप्ता एस0पी0 – भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ

महादेवी वर्मा के आत्मकथा मे स्त्री चिंतन

राजश्री
शोधार्थी, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

परिचय

महादेवी वर्मा का जन्म मार्च 26, 1907 ई. सुबह 8 बजे फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या सात पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। उनके जन्म से खुश होकर उनके बाबू बांके बिहारीजी हर्ष से झूम उठे और उन्हें घर की देवी मानते हुए उनका नाम महादेवी रखा। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे तथा माँ हेम रानी देवी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। अपने विवाह में अपने साथ ससुराल में सिंहासन सीन भगवान की मूर्ति भी लाई थी। प्रति दिन कई घंटे पूजा-पाठ तथा रामायण, गीता एवं विनय पत्रिका का पारायण करती थी तथा संगीत में भी अत्यधिक रुचि थी। इसी परिवेश में महादेवी वर्मा का पालन-पोषण हुआ। महादेवी बचपन से ही तुकबंदी करने लगी थी। उन्हीं के शब्दों में "हमें याद है हमारी माँ पूजा करती थी तो हमें अपने पास बिठा लेती थी। हमने एक दिन अपने नौकर से कहा-माँ ठाकुरजी को ठंडे पानी से नहलातीं हैं, उन्हें ठंडी लगती है। उसी पर एक तुकबंदी बोली

"ठंडे पानी से नहलातीं
ठंडा चंदन उन्हें लगाती
उनका भोग हमें दे जाती
माँ के ठाकुरजी भोले हैं।"[1]

महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा

महादेवी वर्मा की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई उन्हें संस्कृत तथा चित्रकला की शिक्षा शिक्षक घर पर ही आकर देते थे। 1914 ईस्वी में नौ वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नरेंद्र वर्मा के साथ हो गया। विवाहोपरांत महादेवी जी ने 1919 ईस्वी में क्रॉस्थवेट कॉलेज, इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रवास में रहने लगी। 1921 ईस्वी में महादेवी जी ने आठवीं कक्षा प्रथम स्थान से प्राप्त किया। उनके हॉस्टल के कमरे में सुभद्राकुमारी भी रहती थी।

महादेवी वर्मा के कवयित्री बनने का शुभारंभ

महादेवी वर्मा तथा सुभद्राकुमारी एक ही कमरे में साथ-साथ रहती थी। दोनों ही भविष्य की कवयित्रियाँ बनीं। सुभद्रा कुमारी महादेवी जी से दो साल आगे थी। दोनों सहेलियों में कविता रचने की होड़ लग गई। हर आयोजन में दोनों पुरस्कृत होती थी। यहीं से उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे सात वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी। 1985 में उन्होंने मैट्रिक उत्तीण र्ा किया तब तक वह एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। भिन्न-भिन्न पत्रिकाओं में उनकी कविता का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में उनकी सुभद्रा कुमारी के साथ घनिष्ठ मित्रता हो गयी। 1932 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया तब तक उनके दो कविता संग्रह 'निहार' तथा 'रश्मि' प्रकाशित हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने प्रयाग विद्यापीठ के प्रधानाचार्य का कार्यभार सम्भाला और प्रसिद्ध पत्रिका 'चाँद' का निशुल्क संपादन भी किया। हिंदी साहित्य में एक दैदीव्यमान नक्षत्र की भाँति वे उभरने लगी।[2]

महादेवी वर्मा की आत्मकथा में जीवन का रूपांतरण

महादेवी जी ने स्त्री जीवन के अंधेरे को रूपायित किया तथा अंधेरे की कारा को तोड़ने के लिए स्त्री की समस्या पर बात कहने की साहस की। वह अदम्य साहस का परिचय देकर उबल पड़ी- "इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग-बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पालते हैं उसी तरह स्त्री को भी पालते हैं पशु-पक्षी की तरह स्त्री के मन और शरीर पर अपना अधिकार समझते हैं।" महादेवी जी पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का विरोध करते हुए लिखती हैं-

बाँध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले,
पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले,
विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन,
क्या डुबा देंगे तुम्हें यह फूल के दल ओस गिले,
तू ना अपनी छॉह को अपने लिए कारा बनाना,
जाग तुझको दूर जाना[3]

महादेवी जी ने भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन को देखा, परखा और करुण होकर हाहाकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। इनकी वेदना वैयक्तिक ना होकर समष्टि भक्ति और व्यापक है। डॉक्टर नामवर सिंह ने रेखांकित किया है-"निजी आँसुओं के 'निहार' में 'बन्दिनी' रहने वाली महादेवी ने 'रश्मि' के आलोक में जीवन की व्याप्ति का दर्शन किया और प्रखर ताप को झेलती

हुई सांध्य क्षणों तक जाते-जाते समाज व्यापी दु:ख की अनुभूति करने लगी।[4]

स्त्रियों के अस्तित्व की लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई थी जिसे महादेवी जी ने लड़ा भी और स्त्रियों की चेतना को जगाने का साहित्य के माध्यम से भरपूर प्रयत्न भी किया। पीड़ित-शोषित और सतायी स्त्रियों की पीड़ा को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने नारी जीवन की उन्नति के लिए क्या कुछ नही किया है। नए दशक में महिलाओं को उचित स्थान दिलाना चाहती थी। वह उसे उसके अधिकारों से परिचित कराते हुए कहती हैं-"भारतीय संविधान ने उसे मताधिकारी ही नहीं, नागरिक के सभी अधिकार प्रदान किए। उनके कर्मक्षेत्र में भी अधिक विविधता तथा व्यापकता आ गई। उत्तराधिकार, दहेज, विवाह विच्छेद संबंधी विधान भवन बन जाने से उनके वैधानिक अधिकारों में भी वृद्धि हुई किंतु भारत में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई अत: समाज के गठन में कोई क्रांतिकारी गठन संभव नहीं हो सका।

महादेवी जी की मातृत्व चिंतन

महादेवी जी ने मातृत्व को भी बहुत ही महत्व दिया है परंतु एक स्त्री को उन्होंने सब कुछ नहीं माना है इसलिए उन्होंने प्रश्न उठाया है "राष्ट्र की सुयोग्य संतान की माता बनना उनका कर्तव्य हो सकता है परन्तु केवल उसी पर उनके नागरिकता के सारे अधिकारों का निर्भर रहना अन्याय ही कहा जाएगा।"[6]

स्त्री केवल एक पत्नी अथवा माता ही नहीं है बल्कि नागरिक के रूप में भी उसका एक महत्त्व होता है और होना भी चाहिए स्त्री भी इंसान है वह स्त्री है केवल इसी कसौटी पर उसके सारे अधिकारों से वंचित कर देने को महादेवी जी ने अन्याय माना है। पुत्रियों के बारे में उनका कथन भी पत्नित्व और मातृत्व के साथ ही जुड़े हुए हैं क्योंकि लड़कियों के पैदा होते ही उनके विवाह की चिंता होती है इसलिए महादेवी वर्मा ने कहा है-"माता पिता चाहे संपन्न हो, चाहे दरिद्र, कन्या का कोई उत्तरदायित्व प्रसन्नता से अपने ऊपर नहीं लेना चाहते और ना विवाह के अतिरिक्त उससे छुटकारा पाने का मार्ग ही पाते है।[7]

विधवा पर चिंतन

महादेवी ने स्त्री के विधवा रूप के बारे में भी गंभीर चिंतन व्यक्त किया है। पति के मृत्यु के बाद स्त्री का जीवन किस प्रकार नरक यंत्रणा के समान हो जाता है उसे दर्शाते हुए वह कहती हैं- "स्त्री अपने जीवन को चूर चूर कर पत्थर की देवी प्रतिमा बन सकती है। यह देखना हो तो हिंदू गृहस्थ की दुधमुँही बालिका से शापमयी युवती में परिवर्तित होती हुई विधवा को देखना चाहिए जो

किसी अज्ञात व्यक्ति के लिये अपने हृदय के समान ही इच्छाएँ कुचल-कुचलकर निर्मूल कर देती है सतित्व और संयम के नाम पर अपने शरीर और मन का अमानुषिक यंत्रणाओं को सहने का अभ्यस्त बना लेती है और इस पर भी दूसरों के अमंगल के भय से आँखो में दो बूंद जल भी इच्छानुसार नहीं आने दे सकती। किसी के घर की पुत्री विवाह के बाद पति के मृत्यु होते हीं श्रापित नारी के समान बन जाती है। जीवन के रंग, खुशियाँ, इच्छाएँ आदि सब का विसर्जन कर देना पड़ता है। इसमें भी संयम तथा सतित्व सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसे शुभकार्य, मांगलिक अनुष्ठान आदि से बच के रहना पड़ता है ताकि उसकी छाया पड़ने मात्र से वह कार्य अशुभ ना हो जाए। केवल यही नहीं, पति की मृत्यु के बाद उसकी सुरक्षा भी बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा हो जाता है।

वेश्याओ के जीवन पर महादेवी वर्मा का चिंतन

वेष्याओं के बारे में महादेवी जी ने लिखा है कि इनके पुरे जीवन का विकास एकांगी होता है। उनके हृदय की कल्याणमयी सुकोमल भावनाएँ प्राय: सुप्त रहती है और उनकी जीवन शक्ति प्रकाश देने तथा जगत में उपयोग कार्य करने वाली विद्युत न होकर ऐसी विद्युत होती हैं जिनका पतन वृक्षों के पतन का पूर्वगामी बन जाता है। पत्नी, माता आदि रूपों में एक स्त्री के हृदय में जो कोमल भावनाएँ होती हैं।

उसका विकास उन लोगों के जीवन में नहीं हो पाता। पुरुषों की वासना और मनोरंजन की वस्तु के रूप में उन लोगों की जवानी चली जाती है और वृद्धावस्था में अत्यंत घृणित जीव की तरह एक कोने में एकांत जीवन बिताकर मृत्यु की अपेक्षा करते रह जाती है। इस वृति में जो एक बार कदम रख देती है उसके विवाह और संतान दोनों का निषेध हो जाता है और इसे छोड़कर किसी दूसरे काम में जाना चाहे भी तो पुराना कलंक उसका पीछा नहीं छोड़ता।

निष्कर्ष

महादेवी जी ने स्त्री की हर पहलू पर चिंतन किया तथा स्त्री की मुक्ति के लिए एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए उन्होंने अर्थ से संबंधित कई सुझाव दिए। महादेवी जी के अनुसार स्त्री चाहे किसी वर्ग की क्यों न हो उसे हर हाल में आर्थिक रूप से पराधीन ही रहना पड़ता है। सम्पन्न तथा उच्च वर्ग की स्त्रियों के बारे में कहा है- "जिसे उच्च और संपन्न वर्ग की संज्ञा दी जाती है उसमें नारी शिक्षित संस्कृति और कला कुशल होने पर भी अलंकार मात्र है। उसे ना अपनी गृहस्थी के लिए श्रम की आवश्यकता है न संतान के लिए वैभव से घिरी संपन्न वर्ग की स्त्री। अपने मनोरंजन के लिए कोई

सामाजिक, सामूहिक कार्य कर सकती है किंतु उसका प्रधान कर्तव्य श्रृंगारित, प्रसधित होकर ओज की मेज पर बैठना या पति के साथ अपने वर्ग के समाज, सभा आदि में उपस्थित होकर पति के गौरव में वृद्धि करना ही रहता है। महादेवी जी द्वारा स्त्री को समाज की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखने की अंतर्दृष्टि और स्त्री सरोकारों पर संपूर्ण संदर्भों से विचार मंथन की प्रतिभा स्त्री विमर्श के लिए ठोस आधारभूमि रखती है। उदाहरण के लिए आर्थिक परनिर्भरता, दासी स्वामी संबंध घर और बाहर का अंतर्द्वंद, मातृत्व वैधन्य वेश्यावृत्ति में स्त्री की स्थिति को देखा जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दीपशिखा: महादेवी वर्मा, पृष्ठ संख्या- 69
2. कविता कोश: महादेवी वर्मा, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद
3. सांध्य गीत: महादेवी वर्मा
4. छायावाद- नामवर सिंह, पृष्ठ संख्या-136
5. यामा अपनी बात, पृष्ठ संख्या-5
6. जैन निर्मला, महादेवी साहित्य खंड 4, पृष्ठ संख्या- 286
7. जैन निर्मला, महादेवी साहित्य खंड 4, पृष्ठ संख्या- 288
8. जगत सिंह विष्ट, महादेवी का नारी विषयक चिंतन, मार्च 2007, पृष्ठ संख्या- 68

हिंदी कहानियों में स्त्री विमर्श विशेष संदर्भ : कृष्णा सोबती

***डॉ. वर्षा रानी**

शोध निर्देशक,

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुसाफ़िरखाना अमेठी (उ0प्र0)

****निशा**

शोध छात्रा, हिन्दी विभाग,

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुसाफिरखाना अमेठी (उ0प्र0)

शोध सारांश

अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि स्त्री विमर्श वास्तव में पुरुष विरोधी विमर्श है। यह उनका पूर्वाग्रह है। इससे निजात की जरूरत है। वास्तव में स्त्री लेखन में निम्नलिखित मुद्दे प्रमुखता से आते हैं- स्त्रियों की पीड़ा, स्त्रियों की महत्वाकांक्षाएँ, परिवार तथा समाज का संघर्ष भक्ति रचनाएँ एवं स्त्रीवादी रचनाएँ इत्यादि। इस तथ्य को यदि नारीवादी लेखन से जोड़कर देखें तो कुछ तथ्य और सामने निकलकर आयेंगे। वस्तुतः नारीवादी लेखन की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई, क्योंकि सामान्य लेखन अर्थात परम्परावादी लेखन ने नारीवादी लेखन की पूरी उपेक्षा की। स्त्री लेखन की उत्पत्ति होनी आवश्यक थी क्योंकि सामान्य लेखन में स्त्री का हित विलोपित था। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि स्त्री लेखन (विमर्श भी) चौतरफा संघर्ष करता है- सवर्ण समाज, परिवार, सामान्य पुरुष एवं सामान्य स्त्री विमर्श आदि। लेकिन सामान्य स्त्री विमर्श ने इस विमर्श को लेकर या तो चुप्पी साध ली या विमर्श मानने से ही इंकार कर दिया। इस कारण यह विमर्श और उग्र होता गया। हिन्दी भाषा में कई लेखिकाएँ स्त्री विमर्श हेतु अपनी लेखनी से समाज को अवगत करा रही हैं। लेखनी की उग्रता ने प्राकृतिक नियमों तक को चुनौती दे डाली है।

मुख्य बिन्दु : आधुनिक काल, स्त्री विमर्श, नारी अधिकारवाद, परम्परागत दृष्टिकोण, परम्परागत भूमिका, दशा एवं दिशा।

प्रस्तावना

मानव समाज का इतिहास स्त्री को प्रभुत्व एवं शक्ति से दूर रखने का इतिहास है। विश्व के प्रायः सभी महाद्वीपों, देशों, सभी प्रजातियों, जातियों, कालखंडों और धर्मों, पंथों में स्त्री को पुरूष के बराबर न आने देने की मर्यादाएँ निर्मित की हैं। आधुनिक काल में हम स्त्री विमर्श, स्त्री मुक्ति, नारी अधिकारवाद जैसे अनेक शब्द सुनते हैं, इन शब्दों के आधार पर यही दिखाई पड़ता है कि, कहीं कुछ गड़बड़ है, अन्याय है। बहुत बेचैनी का भाग है जो फूट पड़ना चाहता है। स्त्री विमर्श का मतलब पुरूष प्रधान समाज और परंपरागत दृष्टिकोण की व्याख्या करना है। इसके साथ–साथ स्त्री को सभी दृष्टिकोण से सशक्त करने का संकल्प है।

स्त्री विमर्श की संकल्पना किसी एक विचारधारा पर आधारित न होकर उसमें अनेक विचारध राएँ समाहित हैं। विभिन्न विचारधाराओं को सामने रखकर स्त्री–विमर्श के संबंध में समन्वित रूप में यह कह सकते हैं कि, स्त्री विमर्श पुरूषों के विरोध में संघर्ष न होकर जैविक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों पर स्त्री को जो कनिष्ठ स्थान दिया जाता है, उसे समाप्त कर पुरूषों के समान स्थान प्राप्त करके अपने अस्तित्व की अलग पहचान निर्माण करता है।

स्त्री विमर्श विचारों का एक ऐसा रूप है, जो स्त्रियों को उसकी परंपरागत भूमिका से हटाकर उसके स्वतंत्र अस्तित्व की पहचान कराता है। अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरूद्ध संघर्ष करता है, स्त्री सामर्थ्य की खोज एवं पहचान करता है। स्त्री की मानसिकता में परिवर्तन करता है तथा उसे एक नयी दिशा प्रदान करता है। साहित्य में स्त्री विमर्श एक मानवीय दृष्टि है जो स्त्री–पुरूष भेद को मिटाकर दोनों में प्रतिष्ठा की समानता लाने की बात करता है। डॉ. प्रभा खेतान के अनुसार "स्त्री न गुलाम रहना चाहती है न ही पुरूष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है मानवीय अधिकार।"

आज स्त्री की स्वतंत्र पहचान के लिए आन्दोलन हो रहे हैं। अभी तक स्त्री पुरूषाधिकार तथा सत्ताधिकार में दबी हुई और सहमी हुई थी। अब उसको शिक्षा, सम्पत्ति, बराबरी का अधिकार विश्व के देशों के संविधान से प्राप्त हुआ और उसने बोलना सीखा। बेजुबान को जुबान मिली और उसने अपने अधिकारों को वाणी देकर अपने स्थान की मांग की। डॉ. राजकुमार लिखते हैं, "वैसे आधुनिक नारीवाद के सिद्धान्त का मील का पत्थर पहली बार 1946 में फ्रांसीसी में प्रकाशित सिमोन द बोउवा की कृति 'द सेकण्ड सेक्स' था जिसमें व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण और नारी आन्दोलन की एक स्पष्ट दिशा के अभाव के बावजूद नारी उत्पीड़न के कई सूक्ष्म पहलुओं को रेखांकित किया गया था और यह प्रस्थापना दी गई थी कि "स्त्रियों की मुक्ति में ही पुरूषों की भी मुक्ति है, जो स्वयं पुरूष स्वामित्व की मानव द्रोही मानसिकता के दास है।"

साहित्य की समीक्षा

स्त्री –विमर्श पर केवल स्थानीय रूप में ही नहीं बल्कि जागतिक स्तर पर सोचा गया। मूलतः अमरीका में निर्मित 'स्त्रीवाद' का प्रचार–प्रसार सन् 1960 के पश्चात बड़ी तेजी से हुआ। सन् 1975 के 'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' के उपरान्त स्त्रीमुक्ति आन्दोलन तथा स्त्रीवादी विचारधारा को नयी दिशा मिली। इसके पहले तो स्त्रियों की अवस्था सोचनीय थी।

स्वातंत्र्यपूर्व कालीन नारी शिक्षा के अभाव में दयनीय और उपेक्षित थी। स्वातंत्र्योत्तर कालीन नारी धीमी गति से ही क्यों न हो सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर गई। बहुतांश क्षेत्रों में नारी प्रगति के पंख लगाकर मुक्त विहार करने लगी। स्त्री–विमर्श पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कफी परिवर्तन दिखाई देता है। "हिन्दी कथा साहित्य में साठ के दशक से महिला लेखिकाओं का अत्यधिक संख्या में एकाएक उभर–कर आना इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि साहित्य सृजन के लिए संवेद्य मनोगुण, नारी की बौद्धिक क्षमता को तो रेखांकित करते ही है साथ–साथ, नारी स्वयं को पुरूष के समकक्ष, सृजन के क्षेत्र में भी स्थापित करने में सफल हो सकती है यह सत्य भी क्रमशः उभर कर आने लगा।"

हिन्दी कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं में नारी को केन्द्र में रखकर प्रचुर मात्र में साहित्य निर्मित्ति होता रहा है। इसमें पुरूष कथाकारों के साथ महिला कथाकारों का साहित्य भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इनमें प्रमुख रूप से हैं– महाश्वेता देवी, मालती जोशी, चित्र मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल, नमिता सिंह, कृष्णा अग्निहोत्री, सूर्यबाला, ममता कालिया, मंजुल भगत, राजी सेठ, मृदुला गर्ग आदि। इन सभी महिला कथाकारों ने नारी के कई रूपों को अपने साहित्य में स्थान दिया है। महाश्वेता देवी की कहानी 'रूपसी मन्ना' में भोली, करूणामय, जीवन जी रही निरपराध नारी को पति द्वारा किए गए अपराध के लिए आधी उम्र जेल की सजा काटनी पड़ती है। जेल की सारी यातनाएँ उसे एक मजबूत स्त्री बनाती हैं जिसके द्वारा वह जेल से छूटने पर अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेती है। "निर्दोष होते हुए भी, जिस जुर्म में जेल की सजा काटी, यह अपराध अब कर ही डालूँ, पिछले चौदह सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात सोचती रही।" इसमें एक संघर्षमयी नारी व्यथा का चित्रण प्रस्तुत है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य कृष्णा सोवती की कहानियों के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श का विश्लेषण करना है। स्त्री विमर्श के बहुआयामी दृष्टिकोणों को स्त्री रचनाकारों के परिप्रेक्ष्य में कृष्णा सोवती के लेखन के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

प्रतिभा संपन्न बहुआयामी व्यक्तित्व की लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में हुआ। कहानी के साथ-साथ उपन्यास, संस्मरण और कविता लेखन भी उन्होंने किया है। उनकी कहानियां 'सिक्का बदल गया', 'तिन पहाड़', 'डार से बिछुड़ी', 'मित्रो मरजानी', 'बादलों के घेरे', 'सूरजमुखी अंधेरे के' आदि कहानी संग्रहों में संकलित हैं। अपनी कहानियों में वे सामाजिक रूढ़ि, अंधविश्वास, परम्परागत मान्यताएँ आदि का खंडन करती हैं तथा नारी अस्तित्व और अधिकारों की प्रबल मांग भी करती हैं। उनकी कहानियों में स्त्री विमर्श के विविध आयामों का चित्रण मिलता है। उन्होंने स्त्री मनोविज्ञान, स्त्री के सामाजिक और पारिवारिक संबंधों, मर्यादाओं आदि को प्रमुखता से चित्रित किया है। उनकी कथा शैली में लम्बी कहानियां और उपन्यासिका का अंतर अस्पष्ट है।

प्रखर मानवतावाद इनके साहित्य की विशेषता है। यथार्थता का सामना करने वाली आधुनिक स्वतंत्रचेता नारी बिना मुखौटा पहने उनके साहित्य में प्रस्तुत होती है- "कृष्णा सोबती ने अपनी कहानियों में नारी जीवन की परिवर्तित मनः स्थितियों एवं उसकी दमित इच्छाओं को खुले रूप में साहस के साथ ही अभिव्यक्त किया हैं।"

विषय विस्तार

'भोले बादशाह' कहानी में माँ की ममता और वात्सल्य का अत्यन्त हृदयस्पर्शी वर्णन सोबती जी ने किया है। इस कहानी में नारी मन की पीड़ा के साथ पागलों की विवशता को भी दर्शाया गया है। 'बादलों के घेरे' कहानी में भी लेखिका ने नारी का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया है। इसमें पति, पत्नी और प्रेमिका की मनोवस्था का चित्रण हुआ है। इसका नायक पत्नी के बावजूद प्रेमिका की यादों को भूल नहीं पाता है। इसकी नायिका 'यक्ष्मा' से पीड़ित होने के कारण सबसे उपेक्षा पाती है।

लेखिका नारी की उपेक्षा, पीड़ा, अभाव, मानसिक व्यथा इन सबको उभारने की कोशिश करती है। स्त्री के विविध रूपों का लेखा-जोखा उनकी कहानियों में अंकित है। उनकी 'कुछ नहीं कोई नहीं' कहानी में उस नारी का चित्रण उन्होंने किया है, जिसमें बस समर्पण है। इसमें नारी का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। मानवीय सम्बन्ध और बिखरे मूल्यों को इसमें उद्‌घाटित किया गया है। अपने प्रेमी के बच्चों के प्रति समर्पण, भावपूर्ण-मानवीय-सम्बन्धों के साथ अंकित हुआ है। "जिसके साथ अपना सब कुछ लगा दिया था, उस आनन्द के बच्चों की उस उदासीनता में छिपी कड़ुवाहट के लिए मुझे क्या कहना-सुनना है! कुछ नहीं। बैठे-बैठे पता नहीं क्या सोच रही थी कि सुना विनय कुछ कहता है।"

सोबतीजी की कहानियों का प्रमुख केन्द्र बिन्दु नारी ही है। स्त्री के शोषित, दमित और कुण्ठित

व्यक्तित्व को स्वतंत्र पहचान और अस्तित्व दिलाने की कोशिश है। उनकी कहानियों में नारी गरिमा का वर्णन हुआ है। उनकी 'बहने' कहानी भी इसी बात पर लिखी गई है। बहनों की आपसी प्रेम, संवेदना और पीड़ा को इसमें बताया गया है। तीनों बहनों का आलिंगन, ममता, घर-गृहस्थी आदि की उनकी प्यार भरी स्मृतियाँ बड़ी आल्हाददायक लगती है। मँझली बहन की सन्तानहीन होने की पीड़ा का अनुभव बड़ी और छोटी दोनों को है। एक-दूसरे के प्रति चिन्ता, प्यार और पीड़ा का धागा इनके एकरूप सुख-दुखों का परिचायक है। "बड़ी, मँझली बहन को अकेले देखा नहीं जाता। ससुराल के भरे परिवार में वह कितनी अकेले है, यह तुम जानती हो। आज उसके पास कोई भी हो, कोई भी।"

निष्कर्ष

सोबतीजी ने नारी को नये बदलते सामाजिक संदर्भो में अभिव्यक्त किया है। परम्परा, प्रथा, रूढ़ि और आदर्शों में घिरी नारी की जगह स्वतंत्र अस्तित्व की नारी के विद्रोही रूप को अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया है। नारी संवेदना की सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिव्यक्ति सराहनीय है। इनकी यथार्थवादी कहानियाँ सहजता के कारण काफी प्रभावी हैं। सोबतीजी का कहानी साहित्य जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 राजकुमार, मानव एवं विकास, पृ0 133, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, वर्ष 1906।
2. खेतान, प्रभा, स्त्री विमर्श के अंतर्विरोध, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996।
3. सोबती, कृष्णा, भोले बादशाह, पृ0 54, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1989।
4. सोबती, कृष्णा, बादलों के घेरे, पृ0 25, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980।
5. सोबती, कृष्णा, कुछ नहीं कोई नहीं, पृ0 87, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980।
6. सोबती, कृष्णा, बहनें, पृ0 61, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980।
7. डॉ0 लक्ष्मण, यशवंतकर संतोषकुमार और डॉ0 शेखत्यार, स्त्री विमर्श के विविध आयाम, विकास प्रकाशन, कानपुर, 2013।

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत

सत्य बहादुर सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास विभाग
महात्मा गाँधी पी०जी० कॉलेज, फतेहपुर, उ०प्र०

प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्त्रोत वे स्रोत हैं, जिनसे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। जिससे ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम का निर्धारण होता है। भारत के इतिहास को जानने के लिए कई विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध हैं। अतः प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के तीन महत्वपूर्ण स्त्रोत निम्न प्रकार है।

1. पुरातात्विक स्रोत
2. साहित्यिक स्रोत
3. विदेशी यात्रियों के विवरण

1. पुरातात्विक स्रोत

भारतीय इतिहास में अभिलेखों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में राजाओं तथा अन्य शासकों द्वारा पाषाणों, शिलाओं, स्तम्भों, ताम्रपत्रों एवं दीवारों पर उत्कीर्ण किये गये पाठन सामाग्री को 'अभिलेख' कहा जाता है। यह आमतौर पर आदेशों का प्रसार करने के लिए किया जाता था। ताकि लोग उन्हें देख सके और पालन कर सके। इन अभिलेखों को अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता था जिसमें से प्रमुख भाषाएँ पाली, संस्कृत और प्राकृत है।

(i) अभिलेख

भारतीय इतिहास को जानने के लिए अभिलेखों का स्थान महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल के शासको के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु अभिलेख महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तम्भों, ताम्रपत्रों, दीवारों व प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। ये लेख सामान्यतः संस्कृत व पाली भाषा मे लिखे गये।

भारतीय इतिहास के संबंध में सबसे पुराने लेख सिन्धु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख औसतन 2500 ई.पू. के है।

मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ई.पू मिले अभिलेखो के अन्तर्गत इन्द्र, मित्र, वरुण व नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं।

भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के 300 ई.पू. के हैं, इन अभिलेखो के नाम मास्की, निट्टूर, उदेगोलम व गुजर्रा है। इनमें अशोक के धर्म व राजत्व के आदर्श के बारे में बताया।

अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राम्ही, खरोष्ठी, यूनानी व आरमेइक लिपि मे मिलें हैं।

अशोक के अभिलेख लघमान व शरे कुना से भी प्राप्त हुये इनकी लिपि यूनानी व आरमेइक हैं।

पर्सिपोलिस व बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिन्धु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया। व दारा से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाया।

ब्रिटिश पुरातत्वविद् जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के लेखों को 1837 में पढ़ा।

प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, अभिलेख निम्न प्रकार है-

1. राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख
2. समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्भ लेख
3. यशोवर्मन का मन्दसौर अभिलेख
4. स्कन्द गुप्त का भितरी व जूनागढ़, अभिलेख
5. बंगाल के विजयसेन का देवपाडा अभिलेख
6. पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख
7. गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख
8. रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख

(ii) सिक्के

प्राचीन सिक्कों ने भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे सोना, तांबा, चाँदी इत्यादि से बने होते थे, जिसके आधार पर उस समय में किसी की

आर्थिक स्थिति का पता चलता था। इसके अलावा इन सिक्कों या मुद्राओं पर बने राजाओं एवं तिथियों से तत्कालीन राजा के बारे में, देवी देवताओं के चित्र से तत्कालीन धर्म, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र के चित्र से तत्कालीन कला और संगीत के बारे में पता चलता था।

प्राचीन काल में लेन–देन के वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था धीरे–धीरे सिक्के प्रचलन में आए सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है। प्राचीन काल में सिक्के ताँबा, चाँदी, सीसा, सोना धातु के बने होते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अभिलेख नही मिले। प्रतीक प्राचीन सिक्कों पर मिलते थे। लेकिन बाद के सिक्को पर राजाओं व देवताओं के नाम व तिथिक्रम भी अंकित मिलता है। जैसे सातवाहन शासकों ने सीसे के सिक्के जारी किये व गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए।

पाँचवी सदी के सिक्के दृ पांचवी सदी के सिक्को को आहत सिक्के कहते थे। इन सिक्कों का निर्माण ठप्पा मारकर किया जाता था व इन सिक्कों पर चित्र पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्द्धचन्द्र आदि आकृतियाँ बनी हुई हैं।

(iii) मूर्तियाँ

भारत में कई धर्मों में चित्रकलाएँ एवं मूर्तिया कफी प्रचलन में रही हैं। प्राचीन काल की चित्रकलाओं से धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति एवं कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जीवन की जानकारी भी मिलती है।

प्राचीन काल में मूर्तियों में आस्था का भाव कुषाण काल से प्रारम्भ हुआ तथा गुप्त व गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जनसाधारण की धार्मिक भावनाओं को भी महत्व दिया जिस प्रकार से अभिलेखों, सिक्कों से प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती थी, उसी प्रकार से स्मारक एवं भवनों से भी प्राचीन भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन का पता चलता है। इन स्मारकों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर, इंडोनेशिया में जावा का बोरोबुदुर मंदिर आदि शामिल है।

- कुषाण काल की मथुरा कला तो पूर्णतः स्वदेशी जबकि गान्धार कला विदेशी हैं।
- सिन्धु सभ्यता से पत्थर, टेराकोट एवं धातु की मूर्तियों प्राप्त हुई हैं।
- प्राचीन काल की मूर्तिया भारत के विभिन्न स्थानों से मिली है जो हमें उस समय की कला, संस्कृति, धर्म, रहन–सहन के बारे में जानकारी देती है।

- प्राचीन स्मारक: स्मारक के अन्तर्गत प्राचीन काल के स्तूप, चौत्य विहार व मंदिरों में चित्रित व अंकित मूर्तियों की वेशभूषा, अलंकरण व अंकन से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान होता हैं। व वैचारिक भावना का भी पता चलता हैं।

साहित्यिक स्रोत

साहित्यिक स्त्रोत के अंतर्गत हम ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। इसमें किताबें, ग्रंथ एवं जीवनियां आदि शामिल हैं। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वैदिक रचनाएं, बौद्ध और जैन साहित्य, पुराण, प्राचीन जीवनियां इत्यादि आते हैं। साहित्यिक स्त्रोत को दो भागों में विभाजित किया गया है- धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य।

प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्तर्गत साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जो पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यह साहित्य धार्मिक, लौकिक व विदेशी लेखकों की लेखनी से प्राप्त होते हैं।

साहित्यिक स्रोत को दो भागो में बाँटा-

(1) धार्मिक साहित्य

(2) ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य

(1) धार्मिक साहित्य

प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत तत्काल की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन के बारे मे जानकारी मिलती है।

ब्राह्मण ग्रंथो में वैदिक साहित्य प्रमुख है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण व ब्राह्मणेत्तर ग्रन्थ की चर्चा होती हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में वेद, उपनिषद रामायण, महाभारत व पुराण आदि ग्रन्थ आते है जो निम्न प्रकार है-

ब्राह्मण साहित्य

वेद

ब्राह्मण साहित्य में वेदो में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदो के द्वारा आर्यो के धार्मिक, सामाजिक

आर्थिक व राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। वेदों की संख्या चार हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।

वैदिक काल की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद को ही माना है।

ऋग्वेद- ऋग्वेद का समय 1500 ई. पू. से 1000 ई.पू. का मानते हैं, ऋक का अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र, ऋग्वेद में कुल दस मण्डल व 1028 सूक्त हैं। ऋदग्वेद में पहला व दसवां मण्डल अन्त मे जोड़ा गया।

यजुर्वेद- यजुः का अर्थ है, यज्ञ। इस वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियो के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद के मन्त्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वुर्य कहा गया है। यजुर्वेद दोनो रूपों गद्य एवं पद्य में लिखा गया।

सामवेद- सामवेद के साम का शाब्दिक अर्थ हैं गान इसमें मुख्यत यज्ञों के अवसर पर गाये जाने वाले मंत्रो का संग्रह है। सामवेद में 1549 ऋचाएँ है। परन्तु सामवेद की 75 ऋचाएँ ही मौलिक है। बाकि ऋग्वेद से ली गई।

अथर्ववेद- इस वेद की रचना सबसे अंत में अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय, 5849 ऋचाएँ 6000 मंत्र है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का कुछ विशेष महत्व था। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा हैं।

ब्राह्मण ग्रन्थ

- ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हमारे ऋषियों ने वैदिक मंत्रो का अर्थ बताने के लिए की। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ ब्राह्मण ग्रन्थ कहलाये। जैसे ऋग्वेद से ऐतरेय व कौषीतकी ब्राह्मण, सामवेद से ताण्डस व जैमनीय ब्राह्मण, यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण व अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं।

आरण्यक

- आरण्यक शब्द की उत्पत्ति 'अरण्य से हुई हैं। जिसका शब्दि अर्थ है 'जंगल'। आरण्यक वे धार्मिक ग्रन्थ है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया है।

उपनिषद

- उपनिषदों की विषय वस्तु दार्शनिक हैं। उपनिषद शब्द का सन्धि विच्छेद करने पर उप + निषद बनता है जिसमें उप का अर्थ है समीप व निषद का अर्थ है बैठना अर्थात् जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। जिनमें प्रमुख उपनिषद निम्न प्रकार हैं- ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय छान्दोग्य , कौषीतकि, बृहदारण्यक व श्वेताश्वर।

वेदांग

- वेदांग का अर्थ है वेदों के अंग जिनकी संख्या 6 है जो निम्न हैं- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष ।

सूत्र

- सूत्र मनुष्य के व्यवहार से संबंधित हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। कल्पसूत्र के 3 भाग है जो निम्न प्रकार है- श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र धर्म सूत्र।

महाकाव्य

- वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में दो महाकाव्यों के बारे मे बताया जो हैं। 1. रामायण व 2. महाभारत

रामायण

- रामायण की रचना ई.पू. पाँचवी सदी में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा की गई।
- रामायण में मुख्यतः 6000 श्लोक थे जो बाद में बढ़कर 12000 श्लोक हुये व अन्ततः 24000 श्लोक हो गये।

महाभारत

महाभारत दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की। महाभारत की रचना के समय इनमें 8800 श्लोक थे। जो बाद में बढ़कर 24000 श्लोक हो गये।

पुराण

- पुराणों में प्राचीन ऋषियों व राजाओं की रचना का वर्णन है। 'पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी व चौथी शताब्दी मे हुई।

- मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण है। शेष बाद की रचनाएँ हैं।

- गुप्त वंश के लिए वायु पुराण, शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण का विशेष महत्व है।

ब्राह्मणेतर साहित्य :

बौद्ध साहित्य-

भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ त्रिपिटक है। इनके नाम निम्न प्रकार हैं-

बौद्ध ग्रन्थ- संस्कृत भाषा में लिखे गये बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की रचना बुद्धचरित, सौन्दरानन्द, सरिपुत्र प्रकरण आदि हैं।

1. **सुत्तपिटक**- बुद्ध के धार्मिक विचारों व वचनो का संग्रह हैं। यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा व श्रेष्ट हैं। बुद्ध के धार्मिक विचारों व वचनों का संग्रह बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता हैं।

2. **विनयपिटक**- बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख विनयपिटक के अन्तर्गत होता है।

3. **अभिधम्मपिटक**- बौद्ध दर्शन का विवेचन।

- सुत्तपिटक के 5 निकाय- 1. दीर्घ निकाय, 2. मज्झिम निकाय, 3. संयुक्त निकाय, 4. अंगुत्तर

निकाय 5. खुददक निकाय।

जैन साहित्य–

• प्राचीन जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगमों का प्राचीन जैन साहित्य में बहुत महत्व हैं जिनमें है– 12 अंग, 12 उपांग 10 प्रकीर्ण, 6 छन्द सूत्र। इनकी रचना जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय ने की।

आचारांग सूत्र– जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख।

भगवती सूत्र– महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

परिशिष्ट पर्व– हेमचन्द्र कृत परिशिष्ट पर्व जिसकी रचना 12 वीं शताब्दी में हुई। परिशिष्ट पर्व व भद्रबाहु चरित से चन्द्रगुप्त मौर्य के जीवनकाल के बारे में जानकारी मिलती हैं।

नाया धाम्मकहा– महावीर की शिक्षा का संग्रह है।

जैन ग्रन्थ– प्राकृत भाषा में लिखे गये जैन ग्रन्थ में परिशिष्ट पर्व भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका व पुराण आदि हैं।

लौकिक साहित्य–

• लौकिक साहित्य के अन्तर्गत ऐतिहासिक व अर्द्ध ऐतिहासिक ग्रन्थों व जीवनीयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है।

अर्थशास्त्र– कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के अन्तर्गत चन्द्रगुप्त मौर्य के मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था का का ज्ञान होता है।

नीतिसार– सातवीं–आठवीं शताब्दी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धान्तों को कामन्दक ने अपने नीतिसार में संकलित किया।

मुद्राराक्षस– विशाखादत्त द्वारा लिखा गया नाटक जिसमें चाणक्य व चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा नन्द वंश के विनाशकाल के बारे में बताया।

अष्टाध्यायी– मौर्यकाल से पहले के भारत की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दशा के बारे में जानकारी पाणिनी की अष्टाध्यायी से होती हैं।

मालविकाग्निमित्र– इसके रचयिता कालिदास हैं। इसमें पुष्यमित्र शुंग प यूनानियों के बीच हुए युद्ध के बारे में बताया।

गार्गी संहिता– भारत पर यूनानियों के आक्रमण के बारे में बताया।

हर्षचरित– हर्षचरित की रचना बाणभट ने की। इसमें हर्षवर्धन के जीवन–चरित्र व विजयों के बारे में वर्णन किया।

गौडवाहो– गौड़वाहो की रचना वाक्पतिराज ने की। इसमें कन्नौज नरेश यशोवर्मन की विजय का वर्णन किया।

पृथ्वीराज विजय– इसकी रचना जयानक ने की। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज्य चौहान के बारे में बताया।

कुमारपाल चरित्र– इसके रचयिता जयसिंह हैं। जिन्होंने अन्हिलवाडा के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया।

महाभाष्य– इसकी रचना पतंजलि ने की। इसमें शुंग वंश के इतिहास के बारे मे बताया।

प्रियदर्शिका, नागानन्द व रत्नावली– इनके रचयिता हर्षवर्धन थे। इन ग्रन्थों में हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है।

पृथ्वीराज रासो– इसके रचयिता चन्दबरदाई थे। इस ग्रन्थ में पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में बताया।

विक्रमांकदेवचरित– इसकी रचना विल्हण ने की। इसमें कल्याणी के चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में बताया।

विदेशियों का विवरण–

- प्राचीन काल में ही विभिन्न योजनाओं से प्रेरित होकर भारत की भूमि पर भ्रमण हेतु विदेशी यात्री आये जिन्होंने अपने अनुभव व संस्मरणों के माध्यम से भारत के इतिहास के बारे में बताया।

हेरोडोटस (पांचवी शताब्दी)– हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भारत व फारस के मध्य सम्बन्धों के बारे में बताया।

डायमेक्स या डायोनिसियस– सीरिया शासक अन्तियोकस प्रथम का राजदुत जो बिन्दुसार के दरबार में आया।

प्लिनी (77-78 ई0)- यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री' में भारत व रोम के व्यापार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भारत के साथ व्यापार में रोम का स्वर्ण भण्डार कम हो रहा है।

टॉलमी (९ शताब्दी)- टॉलमी ने अपनी ज्योग्रॉफी में भारत विषय का भौगोलिक वर्णन किया हैं। व टॉलमी ने 'पेरिप्लस आफ द एरिथ्रियन सी' में भारतीय बन्दरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताया।

स्ट्रैंबो (प्रथम शताब्दी)- यूनानी यात्री स्ट्रैबो ने अनेक देशों की यात्रा की जिसमे सम्भवत: भारत भी शामिल था। स्ट्रैबो ने अपने ग्रंथ ज्योग्रॉफी में मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला।

मेगस्थनीज (305-297 ई.पू.)- यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगस्थनीज ने 'इण्डिका' नामक ग्रन्थ की रचना की। परन्तु वह उपलब्ध नहीं है। इण्डिका' से चन्द्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता हैं

निआर्कस- यह सिकन्दर के जहाजी बेड़े का कप्तान था। स्ट्रैबो व एरियन की पुस्तकों में निआर्कस के बारे में बताया। इसमें सिकन्दर के भारत पर आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती हैं।

स्काईलैक्स (छठी शताब्दी ई.पू.)- स्काईलैक्स यह ईरान नरेश दारा प्रथम का यूनानी सेनापति था। स्काईलैक्स ने सिन्धु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी।

तिब्बती लेख- तिब्बती विद्वान तारानाथ ने कंग्यूर व तंग्यूर नामक दो ग्रन्थों की रचना की। इनमें भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।

चीनी लेखक- चीनी लेखकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्त्रोत के रूप में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई।

सुमाचीन (9वी शताब्दी)- चीन का प्रथम इतिहासकार था। सुमाचीन ने इतिहास ग्रंथ में भारतवर्ष के संबंध में उल्लेख किया।

फाह्यान (399 दृ 414 ई.)- फाहियान एक चीनी यात्री था जो 399 ई. में चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया। चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के बारे में विस्तार से वर्णन किया।

ह्वेनसांग (629-43 ई.)- यह हर्षवर्धन के शासन काल में आयें। 13 वर्षो तक भारत की यात्रा की। इन्होंने हर्षवर्धन के शासन काल की राज्यनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी दी।

इत्सिंग (675-695 ई.)- इतिसंग ने नालन्दा व विक्रमशिला विश्व विद्यालय में अध्यन किया।

इन्होंने भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी दी।

ह्लली- इसने भारत के विषय के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी दी।

अरबी यात्रियों के वृतान्त–

- अरबी लेखकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्त्रेत के रूप में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साम्रगी उपलब्धा करायी।

अलबरूनी (1000-1030 ई0)- महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिन्द या किताबुल हिन्द में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीतिरिवाज आदि का विस्तार से वर्णन किया।

सुलेमान (9वीं शताब्दी)- सुलेमान ने फारस की खाडी से होकर भारत व चीन की यात्रा की। इन्होने पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकुट के राज्यों के बारे में विस्तार से बताया।

अलबिला दुरी (9वीं शताब्दी)- इन्होंने अपने ग्रन्थ 'फुतूहल बुल्दान में भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव का वर्णन किया।

इब्ने खुर्दादब (9वीं शताब्दी)- इसका ग्रन्थ 'किताबुल-मसालक-वलदृमामालिक' में भारत की दशा का वर्णन किया।

अबुजईद (916 ई.)- इसने भारत व चीन की यात्रा की व दोनों देशो का तुलनात्मक वर्णन किया। इसने सिलसिला-उ-तवारीख की रचना की।

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

"आदिवासी और उनका मानवीय मूल्य"

प्रदीप कुमार सौर
अतिथि विद्वान (हिन्दी विभाग)
डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र.

आज मानव का जीवन हमेशा प्रकृति से जुड़ा रहा है एवं स्वयं को उसी के अनुकूल ढालने का प्रयास करता रहता है। जैसे-जैसे इंसान अनेक क्षेत्रों मे आगे बढ़ता गया, वैसे उसकी अनेक आकांक्षायें भी बढ़ती गई। वह विकास के पथ पर निरन्तर चलता गया। इतिहास रचता गया। विभिन्न क्षेत्रों में नवीन जारी है। इसी कड़ी में वह अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करने लगा वृक्षों की अंधा-धुंध कटाई, उत्खन्न पकृति को चारों तरफ से नुकसान पहुँचाने लगा। जिससे तमाम तरह की भयंकर समस्याएं आज पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण एक गम्भीर चुनौती हम सब के समक्ष उपस्थित हो गया है। जिसके कारण जन-जीवन संकट में आ गया है।

जब हम आदिवासियों की ओर नजर दौड़ातें है, तो हमें उनके साथ-साथ प्रकृति का समुचित संसार दिखाई देता है।

कि वे किस तरह से प्रकृति को अपने जीवन में धारण किए हुए है, उसका संरक्षण सवंर्धन, सुरक्षा एवं प्रकृतियों सुरक्षा देना वे अपनी संस्कृति एंव अपना धर्म समझते है। वे जीते है, तो प्रकृति के साथ और मरते है, तो प्रकृति के साथ वे निःस्वार्थ भाव से प्रकृति की सेवा करते है। एवं जन-जन तक यह संदेश गाँव, कबीले से लेकर विश्व स्तर तक पहुँचाने का प्रयास करते है। यह अवगत कराते है कि हम प्रकृति का नहीं बल्कि स्वयं इस मानव जाति का नुकसान कर रहे हैं।

एवं आने वाली पीढ़ी संकट की स्थिति में होगी।

आदिवासियों में यह मानवीयता, समरसता, समता हमेशा से भरी हुई है। वे प्रकृति की रक्षा करते हुए समूचे मानव को सचेत करते है। कि प्रकृति बिना हमारा कोई अस्तित्व नही है। इस धारा पर प्रकृति है, तो हरा-भरा हम इसका संसार है।

"प्रकृति-पूजक आदिवासी समुदाय पशु-पक्षी, पेड़-पौधों, नदी, समुद्र, झरने, पहाड़ इन सब सजीव-निर्जीवों, को प्रकृति के अवयव मानते है। सजीवों में जीव, का अस्तित्व वे मानते है। उनकी सोच के दायरे में, आत्मा का नही जीव का अस्तित्व है।"

संस्कृति

आज विश्व की तमाम संस्कृति आदिवासियों के यहां मिल जाएगी। रहन, सहन, खान, पान कपड़े पहनने का ढ़ग, भाषा, रूप रंग विभिन्न स्वरूप इनमें अलग-अलग वातावरण के कारण भिन्न रूप में पाये जाते है। ये भारत की संस्कृति की बात करते है तो वह भी विश्व की अनूठी संस्कृति की अपने में समाहित किए हुये है। एवं विविधता में भी एकता के गुण विद्यमान है, उसी प्रकार से इनमें भी अनेकता के गुण हमें एकता में दिखाई देते है। आज बहुत सारी संस्कृति समय के अनुकूल बदलाव करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आदिवासी आज भी अपनी संस्कृति को अपनाये हुए है, एंव विभिन्न मानवीय गुण आज भी जीवंत रखे हुए है।

इनकी संस्कृति मे ऊंच-नीच भेदभाव दिखाई नहीं देता एवं समता, समानता, अपनत्व का भाव समाहित है, जो कहीं विश्व में मानव कल्याण एवं भाई-चारे की भावना का संदेश देती है।

"प्रत्येक आदिवासी समुदाय की विशिष्टताओं से पूर्ण जीवन शैली है। रीति-रिवाज आस्थाएं मान्यताएं, परम्पराएं पर्व, त्यौहार बोली-भाषाएं और देवी-देवताओं का विभिन्न स्वरूप समाया हुआ है।"

आज हमें बदलते हुए समय के साथ-साथ अपनी संस्कृति की भी रक्षा करनी होगी क्योंकि उसमें हमारा सारा जीवन और लोक जुड़ा हुआ रहता है। संस्कृति की रक्षा करना हम सबका दायित्व है।

"ऐसी उच्चतम संस्कृति की रक्षा करना केवल आदिवासियों की ही नही बल्कि प्रत्येक भारतीय की प्रथम जिम्मेदारी है। क्योंकि आदिवासी संस्कृति बचेगी तो प्रकृतिवाद जीवित रहेगा। प्रकृति पूजा चलती रहेगी और प्रकृति संरक्षित एंव सुरक्षित रहेगी।"

संस्कृति में बहुत कुछ समाहित रहता है वह मूल्यों पर आधारित होना चाहिए जो मानवता का पथ प्रदर्शित करें, न की उसको किसी प्रकार से क्षति पहुँचाए आज हमें मानवीय मूल्यों की रक्षा इनकी संस्कृति प्रकृति पूजक है। पेड़-पौधो और जो मानव के साथ जुडा है, उसे वे अपना धर्म और ईश्वर मानते है। जो दृस्टत्य है। कोई बाह्य आडम्बर दिखाई नहीं देता है। आदिवासी संस्कृति अपने मानवीय मूल्यों को बचाती हुई अपना अस्तित्व बनाये हुई है। अभी सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक दृष्टि से कफी पिछडे, हुए है। ज्ञान, सुख-शांति सबका विकास समृद्धि बंधुत्व न्याय, समानता के सहित किसी भी प्रकार के लिंग धर्म भाषा ऊंच-नीच पक्षपात रहित हमारी संस्कृति होना चाहिए। बहुत सारे बदलते परिपेक्ष्य में आज उनकी भाषाएं और संस्कृति संकट में दिखाई दे रही है। आज के संदर्भ में आदिवासी समाज अनेक स्तर पर पिछड़ा हुआ है। जैसे शिक्षा, रोजगार और वह अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए तेजगति से पलायन कर रहे है। जिसे रोकने के कोई ठोस कदम न होने के कारण उनका जीवन स्तर गिरता जा रहा है। और आदिवासी अस्तित्व खतरे मे दिखाई दे रहा है। शोषण, अत्याचार

दमन तेजी से बढता जा रहा है। आदिवासी की अस्मिता उनके जल जंगल, जमीन, तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों से से जुड़े है। जो इनके अस्तित्व के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा, संस्कृति सामूहिक जीवन-शैली, परम्परा रीति-रिवाज और उनकी अपनी जनतांत्रिक न्याय-व्यवस्था सूदखोरों जमीदारों व्यापारियों ने खूब निचोडा और उन्हे जमीनों से बेदखल किया आज वे भूमिहीन और बेघर हो गए है। एवं बदत्तर जीवन बिता रहे है। एवं बंधुआ मजदूर बन गए है। एंव विस्थापन के आज कारण उनकी भाषा, संस्कृति जीवन शैली धीर-धीरे नष्ट होने लगेगी है। आज यह गंभीर विषय बना हुआ है। हम उनके विकास की बात करते है लेकिन विकास तो हुआ नहीं बल्कि उनको लूटा-खरोचा गया है। अन्ततः इस समय वे जानवरों जैसा जीवन जीने को विवश है जीवन स्तर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। गंरीबी के दलदल में धसते जा रहे है, ऐसी कठिन स्थिति में भी वे अपने मूल्यों की रक्षा करते हुए संघर्ष कर रहे है मानवीय मूल्यों को बचाये हुए है। एक-दूसरो के सुख-दुख मे वे हमेशा सहायता करते रहते है। आपसी मेल-जोल भाईचारा को अपनाये हुए है जो की मानवता एवं विश्वकल्याण की भावना भरी हुई है। लेकिन इस समाज से हमें उपेक्षा तिस्कार एंव अनेक तरह की संज्ञाएं दी हुई है जो की मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नही है, जंगली, वनवासी लगूटीया असभ्य गॅवार आदि। हमें आज मानव को सिर्फ मानवीयता की दृष्टि से देखना होगा। न की किसी भेदभाव की दृष्टि से तभी हम एक अच्छा समाज और राष्ट्र निर्मित कर पॉएगे। किसी भाषा संस्कृति जाति में हमें समानता एवं अपनत्व की भावना जगानी चाहिए। हम अनेक विविधता मे एकता समानता को मनाते है गरीब, पिछडे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो विकास की मुख्य धारा से बहुत पीछे है जब ये सब शिक्षा, स्वास्थ्य आर्थिक सामाजिक पथ पर वास्तविक प्रगति होगी। असमतानता की खाई जो समाज में बढती जा रही हैं। इसको हमें खत्म करना होगा।

"इस देश का प्रत्येक नागरिक देश की इकाई है जब इकाई एक-साथ समान पंकित मे शामिल हो जाएगी तभी हमारे देश का स्वरूप बदलेगा।"

"यह घोषित करते हुए कि आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा मे लाने के लिए उनका संस्कृतीकरण जरूरी है। यह संस्कृतीकरण सीधे-सीधे आदिवासी पहचान इतिहास जीवन दर्शन संस्कृतिभाषा कला-कौशल, ज्ञान-परम्परा पर हमला है। जिसे हम लोग पिछली कई सदियों से झेल रहे है।

आज यह है, कि मानसिक, सांस्कृतिक भौगोलिक सामाजिक और ऐतिहासिक स्वरूप विभिन्न आयाम एक साथ जुडे हुए है, ऐसी स्थिति में हमें आत्मबल के साथ आगे बढना होगा। आदिवासी आज भाषा के विविध आयाम अपने में समाहित किये हुए है। प्रकृति एवं वातावरण के परिवर्तन के साथ-साथ इनके यहां भाषाओं का भण्डार भरा हुआ है। एवं आज भी उस को जीवंत रूप दिए है, एवं लोक जीवन, के विविध आयामों से आज भी जुड़े रूप है। चित्रकला, संगीत, खेल,-कूद, त्यौहार

मनोरंजन का विविध संसार इनमें समाया हुआ है। आज हम बहुत सारे आयामों में पिछडते जा रहे संस्कृति भाषा, एवं मूलभूत स्वरूपों को छोड़ते जा रहे है। एवं भू–मण्डलीकरण में बहुत सारे बदलाव हो रहे है।

आदिवासी मूल्यों का हनन हो रहा है, उन्हे जंगलो से वेघर कर दिया गया है। तरह–तरह के षंड़यत्र रचे जा रहे है, जमीन एवं उनकी बहु वेटियों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। सेठ, साहूकार सामंत पूजीवाद, पुलिस अफसर किसी न किसी रूप में इनका शोषण कर रहे है। उनकी आवाज, स्वतंत्रता एवं अधिकारो को दबा दिया जाता है।

इतने जुल्म हो रहे है कि वे अब जुल्म का विरोध भी नही कर पा रहे है।

"आदिवासियों को छलने और उनकी गरीबी और निरक्षरता का मजाक उडाने का कार्य अधिक किया है और अपनी प्रसिद्धि स्वार्थसिद्धि निजी लाभ के लिए भी इसका उपयोग किया है। ऐसे ईमानदार प्रयास कम हुए है जहॉ उनके दुख तकलीफो भावनाओं परम्पराओं जरूरतो को आधुनिकता से जोडकर देखा समझा गया हो और उन्हे सममुच में अन्दर सें मजबूत करने की चेस्टा हुई हो।

सभ्यों के बीच आदिवासी महोदय तो यो अनुज्ञा बुक्स दिल्ली 110032 आज आदिवासी कठपुतिलयों के समान उनको बना दिया गया है, उनकी वेबसी का हर प्रकार से ायदा उठाया गया है। एक तरफ तो संसाधनों से वंचित कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ उनके स्वामित्व स्वरोजगार के लिए व्यवस्था नहीं है, और अगर है भी तो वह उन तक पहुॅच नही पाती है वे गरीब के गरीब होते जा रहे है वास्तविक धरातल पर वे निर्धन हो गये है। समाज में असमानता बहुत तेजी से बढ रही है।

आज पूरे विश्व में बहुत तेजी से समाज, संस्कृति मानव मूल्य बदल रहे है। हम सबका मूल्य उदेश्य समाज के हर वर्ग को विकास के साथ जोडना होगा। रूढ़ि वादी परम्परा प्रथाओं को त्यागना होगा। शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के लिए जन चेतना का प्रसार–प्रचार हमे करना होगा। तभी हम बदलते हुए परिवेश में समय के साथ ढालना होगा। हमारे मूल्य जो हमें बचाये हुए है जैसे प्रकृति संरक्षण जल, जंगल जमीन इनके अस्तित्व को हमने वचाया है। एवं एक संदेश मानव जाति के कल्याण के लिए दिया है। इसके अलावा प्रेम, सदभाव परोपकार समता, न्याय, विश्व बंधुत्व का नारा आदिवासी समान ने मानवीय कल्याण के स्परूप को जन–जन तक पहुॅचायाय है। यही नही आज वे बिल्कुल क्षीण अवस्था में खड़े हुए है, चारों तरफ से उनका पतन हो गया है। न रोजगार है, उनको शारीरिक मानसिक स्तर पर लूटा जा रहा है, उनका दमन शोषण अधिकारों का हनन हो रहा है, प्रत्येक स्थिति में विकास के पायदान से कोसों दूर है। उनका अस्तित्व खतरे में है, आज से वदुआ मजदूर हो गये है जीवन यापन के लिए नगरों में पयालन कर रहे है। एंव गटर, नालों के पास झुग्गी–झोपडी में अपना जीवन बिता रहे है आज आदिवासी महिलाओं की बहुत ही दयनीय स्थिति है आए दिन बल्तकार

शोषण मानसिक रूप से गुलामी की शिकारी है। किसी न किसी रूप में उनका शोषण हो रहा है, आज वे कही भी सुरक्षित महसूस नही कर पा रही है। एवं परिवार का पालन करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम कर रही है। स्वरोजगार के अवसर उनके पास बहुत कम है आज महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है, समानता स्वतंत्रता अधिकार लेकिन वे आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण से बहुत पिछडी है।

"जंगल कट गए उनकी जमीन छिन गई जिसके कारण अब ये शहरो में आकर मुश्किल से डेढ–सौ दो–सौ रू. महीने कमाकर किसी तरह अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करती है। दिन मे ये किसी तरह अपनी आजीविका चलाती है। रात के समय उनका दैहिक शोषण बहुत विकराल रूप धारण करता जा रहा है।"

इस प्रकार से आज आदिवासी संकट की स्थिति में सें वह अपने नैतिक मूल्यों और परोपकार के कारण समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसे बदले में अत्याचार दमन ही मिला है, वह संस्कृति भाषा एवं अनेक विविधताओं के कारण विविध रूपों को अपने मे समाहित किए है। इनका लोक जीवन परम्परा संस्कृति एक पीढी से दूसरी पीढी, मे स्थानांतरित होती रहती है।

भारत में आदिवासी जनंसख्या बहुल्य होने के नाते है और उनके अस्तित्व, संस्कृति रीति–रिवाज परम्पराएं भाषा आपसी सौहाद्र को बचाएं रखने के लिए राजनैतिक दृढ़ता पूर्वक समाज की मुख्य धारा से जोडते हुए, आर्थिक रूप से उन्नत, शैक्षिक स्तर पर समाजिकी व्यवस्था के साथ जोड़ना होगा। चूंकि आज सम्पूर्ण विश्व वैश्वीकरण भू–मण्डलीकरण आदि के दबाबों से अपनी मौलिकता को खो रहे है, आदिवासी समाज भी इन सब वैश्विक व्यवस्थाओं की चपेट से बहुत प्रभावित हो रहा है। आज उनका जल जंगल, जमीन के साथ उनका जीवन संकट स्थिति में दिखाई दे रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आदिवासी और उनका निसर्ग धर्म प्रा0 डॉ0 विनायक तुमराम प्रकाशक सुधीर प्रकाशन गणेश नगर पो0 वर्धा गंज, ता0 जि0 वर्धा 16 नवम्बर 2016 पृष्ठ 136
2. वही पृष्ठ 206
3. वाचिकता आदिवासी दर्शन साहित्य और सौन्दर्यबोध वंदना देते राधाकृष्ण पेपरबैक्स 2020 पृष्ट 87
4. सभ्यों के बीच आदिवासी महोदव टोप्पों, अनुज्ञा बुक्स दिल्ली 2021 पृष्ठ 37
5. आदिवासी समाज और साहित्य–संपादक रमणिका गुप्ता प्रकाशक समायिक प्रकाशन, नई दिल्ली 110002 संस्करण 2022 पृष्ठ 89

PART – II

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

An Evaluation of GooosQ and Services Tax (GST) Compliance: With an emphasis on Individual Taxpayers

Puneet Kumar Jaiswal
Research Scholar, Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya, U.P.
Prof. (Dr.) Jai Shanker Shukla
Research Supervisor, Professor & Head, Department of Commerce, Kamla N ehru Institute of Physical and Social Sciences, Sultanpur, U.P.

Abstract

The introduction of the GooosQ and Services Tax (GST) has brought tremendous upheaval to India's tax environment, which has a variety of effects on individual taxpayers. This paper aims to evaluate the Indian GST system, focusing on compliance, specifically concerning individual taxpayer. The study found that the simplified tax structure, reduced tax burden, and increased transparency have contributed to a significant improvement in compliance levels. Moreover, the use of centralized platforms for GST observance, together with Information Technology (IT) support for tax computation and submission, may effectively facilitate and support taxpayers by providing timely answers to their inquiries. Besides, targeted enforcement and compliance monitoring measures should be put into place together with improved compliance monitoring. Through promotion of education, streamlining of procedures, and harmonization, India may reinforce its framework for tax observing under the GST.

Key Points: GooosQ and Services Tax (GST), Individual Taxpayer, GooosQ and Services Tax (GST) law compliances, Information Technology (IT), Indirect Tax Reform.

Introduction

On July 1, 2017, the GooosQ and Services Tax (GST) was introduced in India with the aim of creating a unified tax framework and streamlining the indirect tax system. A larger and more integrated tax system was made possible by the integration of several state and federal

levies under this new tax framework. Nonetheless, the introduction of the GooosQ and Services Tax (GST) led to significant modifications in the tax field that impacted both individuals and corporations. This paper aims to evaluate the Indian GooosQ and Services Tax (GST) system, focusing on compliance, specifically concerning individual taxpayers. It will also highlight the challenges and provide workable solutions.

For individual taxpayers in India, adhering to the GooosQ and Services Tax law has brought opportunities as well as challenges. For individual taxpayers, one of the main benefits of GST is the simplicity of compliance brought about by the streamlining of tax reporting procedures. The GST system simplifies the whole tax observance process by requiring taxpayers to file a single tax return for each tax quarter. In addition, individual taxpayers now have more accessibility and ease when it comes to completing their tax duties with greater accuracy and efficiency thanks to the online platform for GST registration and return filing.

Literature Review:

1. **Amit Kumar Das and Shubhasmita De (2018),** in this research work householde gooosQ have been divided into five categories in this literature research, according to the priorities of each individual: common consumer gooosQ, beauty and personal care, home appliances, services, and autos. Research findings indicate that, prior to the implementation of the GST system, taxes were assessed at every stage of the commodities transfer process. Under the GST system, however, taxes are only assessed at the point of sale to the customer. Therefore, the GST system as a whole is becoming simpler, which will help consumers by giving them additional benefits when they purchase home items.

2. **Nayaka & Basavanagouda (2021),** the lack of input tax credit (ITC) in the real estate and construction sectors has a detrimental effect on the expansion of the cement and real estate industries. Since the GST is a consumption-based tax, end users are solely responsible for paying it. This research paper attempts to examine the effect of GST on the Cement Industry taking all the elements into consideration. After the introduction of the GST, it is discovered that the increase in the Indian cement industry's sales, consumption, output, and FDI inflows is not adequate.

3. **Jaiswal Suraj (2017),** this research work exhibits that GST is a significant tax reform in India, is expected to have significant impacts on the overall price level. Consumers are uncertain about how GST will affect prices due to conflicting factors such as lower effective tax rates for gooosQ, Input Tax Credit, and supply chain improvements. The complexity of the GST system and the diverse nature of India make it difficult to predict its immediate price level.

4. **K. Sindhura (2018),** in this research work focuses on the GST reform in India has replaced various indirect tax types and has significant benefits for the country and its people. However,

challenges should be addressed by the government and the common man. Efforts should be made to educate the layman on the benefits of GST and its importance for the country's economic state. Civic bodies and information and broad casting departments can play a vital role in creating the right messaging. Efficient execution of GST will increase the economic health of the common man and the country.

Objective of Study:

1. To ascertain the impact of GST on Individual Taxpayers.
2. Analyse the behavior of individual taxpayer towarosQ adoption of new tax regime under GST.
3. To evaluate consistency of present GST legal framework.
4. To identify the scope of improvement needed for robust tax compliances.

Research Methodology & Research Design:

The study reviewed a collection of literature in an organized way to comprehend how earlier researchers had thought and comprehended this kind of phenomena. Publications from the GST Network, Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), National Institution for Transforming India (NITI) Aayog, World Bank, International Monitory Fund (IMF), and other relevant policy documents in order to critically examine the initiatives regarding indirect taxation and GST has been taken into consideration. By utilizing the literature excerpts and having discussions with experts and stakeholders impacted by the introduction of the GST, an effort was made to identify the gaps and potential effects on business and society.

Descriptive method of data interpretation has been used to analyze collected data in this research work. The Secondary source of data has been used in preparation this research work. The secondary data were collected from authenticated published journals, Government official websites, books, articles, and periodicals.

The Financial Struggles & Challenges Faced by Individual Taxpayers:

The difficulties individual taxpayers face in adhering to GST laws can be addressed in a number of ways. First and foremost, more outreach and educational programs are required in order to provide individual taxpayers with a thorough understanding of the GST system and the obligations associated with its adherence. Giving taxpayers the information and resources

they need to comply with GST, such webinars, workshops, and easily navigable manuals, may greatly reduce the burden of observance and promote voluntary compliance on the part of individual taxpayers.

Notwithstanding its benefits, individual taxpayers in India have faced a number of difficulties as a result of the introduction of the GooosQ and Services Tax (GST). The difficulties in adhering to the GST compliance procedure is one such obstacle, especially for small and medium-sized taxpayers. The complex laws surrounding GooosQ and Services Tax (GST), which include things like classifying gooosQ and services, calculating tax liabilities, and submitting returns, have made it more difficult for individual taxpayers—especially those with little resources and expertise—to comply with the law. For many individual taxpayers, the shift to the GST regime has resulted in observance-related problems as a result of the early difficulties in understanding and adjusting to the new taxes framework.

Individual Taxpayer's Tax Compliance:

Individual taxpayers have usually had good compliance with GST. This is caused by several things, such as:

1. **Enhanced awareness:** To inform the people about GST, the government has launched many awareness programs. People now have a better understanding of their tax responsibilities because to this.
2. **Simplified compliance processes:** For individual taxpayers, the government has streamlined the compliance processes. For instance, people may now use a streamlined form to complete their GST returns online.
3. **Enhanced enforcement:** To make sure that people are adhering to the GST requirements, the tax authorities have enhanced their enforcement tools.

Strategies for Supporting Individual Taxpayers in Several States:

Furthermore, individual taxpayers that operate across many states have observation issues because to the decentralized structure of the GooosQ and Services Tax (GST), which has both state and central components. For individual taxpayers with pan-Indian commercial activities, the difficulty of managing compliance has increased because to differences in tax rates, invoicing requirements, and registration procedures between states. Furthermore, the ongoing modifications and revisions to GST rules and regulations have made it more difficult

for individual taxpayers to stay up to speed on the most recent compliance requirements, increasing their burden.

The Impact of Technology on GST Registration and Management:

Additionally, utilizing technology to simplify the GST registration and return filing procedures while implementing user-friendly interfaces can improve the efficiency of observation for individual taxpayers. The use of centralized platforms for GST observance, together with artificial intelligence (AI) support for tax computation and submission, has the potential to optimize the observance procedure and reduce the administrative load on individual taxpayers. Additionally, a more standard and straightforward framework for compliance for individual taxpayers operating nationwide can be achieved by harmonizing GST operations across states in conjunction with regular updates and notifications.

Suggestions to Improve Individual Taxpayer Compliance:

Several suggestions have been made in order to increase GST compliance and solve the compliance issues that individual taxpayers face:

1. **Simplifying GST Provisions:** Individual taxpayers would find it simpler to comprehend their tax responsibilities if complicated GST laws and regulations were further simplified.
2. **Improved GST Education and Awareness:** Ongoing education initiatives and awareness efforts can help educate individual taxpayers about their obligations with regard to GST compliance.
3. **User-Friendly GST System:** Encouraging compliance may be achieved by making the GST system more user-friendly, which includes streamlining the online filing procedure and offering strong technical assistance.
4. **Streamlined GST Registration and Return Filing Procedures:** Individual taxpayer burden can be decreased by simplifying the GST registration process and expediting the return filing procedures.
5. **Efficient Taxpayer Assistance and Support Systems:** Establishing efficient helpdesks and grievance redressal systems, among other measures, may effectively facilitate and support taxpayers by providing timely answers to their inquiries.
6. **Targeted Enforcement and Compliance Monitoring:** To discourage non-compliance and promote adherence to GST legislation, targeted enforcement measures should be put into place

together with improved compliance monitoring.

Additionally, the GST system has reduced the opportunity for tax evasion by ensuring a more unified and visible tax structure. GST has made it easier for credits to move through the supply chain by putting in place a thorough input tax credit system. This has eventually helped individual taxpayers by lowering their tax burden on products and services. Technology's integration into the GST network has also increased transparency by allowing taxpayers to track their tax obligations and compliance status. This has encouraged individual taxpayers to adopt a tax transparency and accountability culture.

Conclusion:

Unquestionably, the introduction of GST has improved the Indian tax system significantly by streamlining the tax structure, lowering tax evasion, and increasing transparency. Notwithstanding, individual taxpayers continue to encounter difficulties in adhering to the GST rules because of the intricacy of certain requirements, malfunctions in technology, and elevated tax rates on specific items and services. In order to ensure the success of this revolutionary tax reform, it is imperative that these problems be addressed through education, simplicity, user-friendly systems, simplified procedures, efficient support mechanisms, and targeted enforcement actions. This will further improve individual taxpayers' GST compliance.

In conclusion, India's tax environment has undergone tremendous upheaval as a result of the GooosQ and Services Tax, which has a variety of effects on individual taxpayers. Although the GooosQ and Services Tax (GST) has improved transparency and streamlined tax procedures, it has also presented individual taxpayers with compliance issues that require focused solutions to address. Through promotion of education, streamlining of procedures, and harmonization, India may reinforce its framework for tax observance under the GST.

References:

1. A Study upon lifestyle of an individual in the light of GST by Amit Kumar Das and Shubhasmita De, Online Journal of Netaji Subhas Open University, Vol.1 No.1 (January, 2018).
2. A Study on Impact of GooosQ and Services Tax (GST) on Cement Industry in India by Nayaka, Basavanagouda, (April, 2021).
3. Removing Cascading Effect of Taxes by Jaiswal Suraj, Ministry of Information and Broadcasting - Government of India, YOJANA, (August, 2017).
4. Tax reform GooosQ & Service Tax (GST) and its Impact on Common man by K. Sindhura, Research Review International Journal of Multidisciplinary, Volume-03-Issue-01 (January, 2018).

Yoga and Naturopathy

Dr. Chandra Bhanu Mishra
Lecturer Physical Education
S T M S INT COLLEGE ALIGARH

Yoga: Introduction

Till the recent past, Yoga was considered very exotic and secret, being a forte of the hermits and saints who practiced it in aloofness to attain spiritual enlightenment. But things have changed dramatically in recent years, with Yoga coming to light and catching the whims of the West. Yoga has now become a household word and has gathered popularity, especially as a system of health care. Consequently, a network of big and small institutions of Yoga has come up. There have been known cases of various diseases being cured by yogic methoosQ. But to make Yoga more popular, a lot of research work neeosQ to be conducted in this field. Since most of the diseases, from which people suffer, are a result of wrong life style and bad eating and living habits, Yoga has the potential to cure many of them. This is so, because according to Yoga, if natural principles of living and eating are strictly followed, then many diseases will disappear. There are many definitions of Yoga. According to Yoga classics, there are two meanings of Yoga.

If the word " Yoga " is derived from the root "Yujir Yoge ", it means "to unite" or "to bind" or "to yoke". According to Yajnavalkya, Yoga means "the Union" i.e. union of the individual spirit (Jivatman) with the universal spirit (Parmatman).

If the word "Yoga" is derived from the root "Yuj Samadhau", it means spiritual absorption.

According to Bhagwad Gita, the word Yoga means "Equanimity of Mind", which can only be acquired after getting established in discriminative wisdom (which is a consequent of strong meditation). While according to Maharishi Patanjali, Yoga is defined as the "cessation of modifications of Chitta, which results into individual soul abiding in itself and thereby attaining God Realization and Spiritual perfection." The system of Yoga is more than 5000 years old and Gita has rightly described it as ancient (Puratan) and eternal (Sanatan). It was

the Samkhya Philosophers who evolved the concept of Yoga and its origin can be traced in UpanishaosQ and ancient Vedic texts. According to them, Yoga is the process of selfculture, self-evolution, self-discipline and self-realization.

Although there are many definitions of Yoga, but they all emphasize the same thing, i.e. Yoga being the union of individual spirit (Jivatman) with the universal spirit (Parmatman), which is achieved by the practitioner after the cessation of thought process in the highest stage of Samadhi (meditation) - the state of enlightenment and divine bliss.

Maharishi Patanjali, who around 300 BC compiled, modified, systematized and refined Yoga as a system of all round development of human personality through Ashtanga Yoga in his Yoga aphorism, is called the father of Yoga. The eight limbs of Yoga - Yama, Niiyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharna, Dhyana, and Samadhi - are formulated on the basis of multifarious psychological understanding of human personality. According to Yoga, five sheaths envelop the individual soul - Bliss Sheath (Anandmaya Kosa), Intellect Sheath (Vijnanamaya Kosa), Mind Sheath (Manomaya Kosa), Vital Sheath (Pranamaya Kosa), and Gross Sheath (Annamaya Kosa). Each latter Sheath is comparatively gross, less effective than the former. Yoga administers Asanas, balanced diet and cleaning acts for the purification and vitalization of Annamaya Kosa or Gross Sheath; Pranayama and Science of Swara for the purification and vitalization of Pranayama Kosa; Yamas, Niyamas, Vairagya (detachment) and Pratyahara for Manomaya Kosa; Dharana, Dhyana, Samadhi, SelfStudy, and company of holy men for the stabilization and purification of Intellect Sheath; Nirbija Samadhi, para Vairagya and absolute detachment for the conservation and invigoration of Bliss Sheath that culminates in the attainment of God realization and liberation.

Yama: Yoga emphasizes on conscious observation of certain rules for self- discipline and self-education called Yamas and Niyamas. Under Yamas come certain firm determinations to restrain oneself from the evils of social environment and to inculcate higher moral values with a view to discipline and regulate ones behavior and attitude towarosQ social problems.

Niyamas: Niyamas emphasize the cultivation of positive and spiritual attitude towarosQ the dualities of life like pleasure and pain, failure and success, censure and praise etc. and generates high ethical qualities like sincerity, honesty, straightforwardness, cheerfulness, courage, detachment, patience, perseverance, tranquility, self-control, truth, harmony and uprightness. Yamas contain rules for social conduct while Niyamas are rules for personal purification i.e. physical, mental and spiritual upliftment. The practice of Yamas, and Niyamas that manifest themselves in the form of actions that show harmlessness towarosQ

all living beings, truthfulness, honesty, celibacy, non-hoarding of worldly objects, cleanliness, contentment, austerity, control of lust, anger and infatuation, study of holy books and practice of Japa and selfless action, pave way for increasing the power of concentration, mental purity and steadiness.

Asanas: These deal with a series of purificatory and postural exercises that are meant for the progressive development and discipline of human personality. The Yogic physical postural exercises today are regarded by some people as confined to physical development alone. But actually, physical culture of Yoga means slow, smooth, well-co-ordinated and graduated movements of different parts of the body done in harmony with breathing and mental one-pointedness. A set of Asanas, Mudras and Pranayamas practised with faith, perseverance and insight, rejuvenates the brain, heart, lungs, liver, pancreas, kidneys, bowels, all nerves, muscles, tissues, and glanosQ of the body by ensuring oxygenated and balanced blood supply, increased appetite, control over seminal fluiosQ, senses and mind, and imparts increased vitality, vigour and longevity to the practitioner. A list of important asanas is given under annexure 3(i.).

Dhyana: Dhyana or Meditation is a process of prevention of mind from wandering or indulging in unhealthy thoughts through a psychological control of mind. It entails a collecting together of our dispersed psychic energies. The continuous flow of thoughts is checked and the mind is fixed at one desired object. The fixation of mind gradually gathers concentration and can be extended over longer duration with practice. This continuous fixation of mind on the desired object becomes spontaneous and habitual, which is termed as meditation (or Dhyana) Meditation is the final stage of Yogic practice where there is a development of mind for apprehension of Yogic Spiritual Philosophy with a view to acquire discriminative wisdom. With sustained and regular practice, a Yogi gradually gets submerged in the Divine virtues like knowledge absolute, power absolute and bliss absolute and eventually becomes one with God by acquiring superhuman knowledge, power, bliss and purity.

Naturopathy There is a growing awareness today about health and fitness among the masses. Large sections of health conscious people have started reviewing and questioning the modern life style. Most healthcare specialists today believe that many diseases from which the mankind is afflicted today are the outcome of the wrong living style and the food habits and of the increasing pollution of the environment. That is why a system like Naturopathy is gaining more and more acceptance across the globe. Nature cure is an art and science of healthy living and a drugless system of healing based on well-founded philosophy. It has its own concept of health and disease and the principles of treatment. Nature cure is defined as a system of man developing in harmony with the constructive principles of nature on physical, mental, moral and

spiritual planes of living. It has a great health promotive, curative and rehabilitative potential. Nature Cure is a very old method of living and curing diseases. The main concepts of nature cure are Morbid matter theory and the concept of vital force. The fundamental difference between nature cure and other systems is that its theory and practice are purely based on a 'Holistic View point' unlike the latter's approach, which is specific. Nature Cure does not believe in the specific cause of disease and its specific treatment but takes into account the totality of factors responsible for the disease such as one's unnatural habits, thinking, working, sleeping, relaxation, sexual indulgence, etc. It also considers the environmental factors involved that disturb the normal functioning of the body and lead it to a morbid, weak and toxic state. For treatment purpose, Nature Cure primarily tries to correct all the factors responsible for the disease and allows the body to recover itself. A nature cure physician simply helps in nature's effort to overcome disease by applying correct natural modalities and controlling the natural forces to work under safe limits. The five main modalities of treatment in nature cure are Air, Water, Heat, Mud and Space. Naturopathy is a simple, unsophisticated, accommodative and cheap system of health care when compared to other systems of medicine. Its origin dates back to our ancient texts on health and longevity. Most of the principles and practices of naturopathy like Morbid Matter theory, fasting, nutrition, dietetics, cleansing acts, massages, exercises etc and the concepts of vitality, panchamahabhutas (five great elements) were familiar to our Vaidyas, and Rishis and have been in use in our country over the past many years. This is not the case with other countries where Naturopathy as a system of medicine gained popularity much later after pioneering works of Louis Kuhne, Adolf Just and Henry Lindlahr. In India, Naturopathy owes its revival of sorts to Mahatma Gandhi who adopted Nature Cure not only in his personal life but also in his national program, giving it a great fillip. His active interest inspired a number of thinkers and consequently, led to the establishment of many Nature Cure hospitals and centres. Nature Care movement started in India when Louis Kuhne's book 'New Science of Healing' was translated in Hindi, Urdu and Telugu. With the concepts being more or less familiar, Kuhne's philosophy and practices were easily grasped and imbibed by the practitioners. Naturopaths believe that the human body is composed of five great elements (or pancha Maha Bhutas) imbalances of which create diseases. These five elements include Air, Water, Mud, Heat and Space. Treatment by these is what is called Nature Cure. The general treatment modalities and diagnostic methoosQ employed in Nature Cure are the following: -

1. **WATER THERAPY:** Also called Hydrotherapy, it is the most ancient remedial method. Water is employed in different forms in the process of treatment as it produces several types of physiological effects depending on temperature and duration. This method is the most widespread and is used in almost all treatments.

2. **AIR THERAPY:** Air is amongst the most important sources in life. Fresh air is essential for good

health. Air Therapy is employed in different pressures and temperatures for different diseases.

3. **FIRE THERAPY:** In Nature Cure treatment, various temperatures are employed through different heating techniques to produce specific effects. It believes that existence of all the living beings depend upon 'Agni' (or Fire).

4. **SPACE THERAPY:** Naturopaths believe that congestion in the body causes disease. The best **way to avoid congestion of mind and body is by fasting (or what is called Fasting Therapy).**

5. **MUD THERAPY:** Mud is employed in the treatment of various diseases like constipation and skin disease because it absorbs, dissolves and eliminates the toxic materials and rejuvenates the body.

6. **FOOD THERAPY:** Naturopaths believe that ones eating habits are reflected in ones physical and mental health. Most of the diseases are tractable through Food Therapy.

7. **MASSAGE THERAPY:** Massage is generally employed for tonic, stimulant and sedative effects. It is an effective substitute for exercise.

8. **ACCUPRESSURE:** This therapy utilises the fact that there are different points on hanosQ, feet and body, which are associated with different organs. By applying pressure on these selected points, related organs can be diagnosed and consequently liberated of their ailments.

9. **MAGNETO THERAPY:** Magnets of different powers and shapes are used in the treatment, by direct application on different parts of the body or through either charged up oil or water.

10. **CHROMO THERAPY:** This therapy makes use of the fact that sunrays comprise seven colours of varying wavelengths, each affecting the body differently. These colours are employed through irradiation on body or by administering charged water or oil and pills. The diagnostic methoosQ consists of two ways:

11. **IRI-DIAGNOSIS:** In this method, the whole body is reflected in different regions of Iris (in the eye). Disease conditions can be well diagnosed by this analysis.

12. **FACIAL DIAGNOSIS:** The physical appearance reflects the deposition of toxins in different organs. Disease condition in different organs of the body can be diagnosed by observing these effects.

Education in Yoga and Naturopathy:

The practitioners play a very important role in making any system popular. Yoga and Naturopathy has been into Indian culture since ancient time. Indians did not separate Yoga from daily life in fact it was a part of everyday routine. Indians have always practiced naturopathy.

Still nowadays with help of government agencies and other non- government agencies, various courses are held in yoga and naturopathy in order to make the system more systematic. During 1999 the number of registered practitioners were 402 all over India. The only state which has more than hundred practitioners is Andhra Pradesh. This is not surprising since Yoga and Naturopathy is more prevalent and famous in South rather than North of India. The number of institutionally qualified practitioners is more than non-institutionally qualified. From the table when the practitioner for Indian System of Medicine and Homeopathy is compared with the Yoga and Naturopathy practitioner the percentage is as low as less than 1 percent. Annexure 3(ii) lists the statewise number of Registered practitioners in naturopathy as on 1.1.1999. Various degree, diploma and other courses are offered in Yoga and Naturopathy. The diploma courses are offered are generally of one year duration. Degree courses have a duration for three years. Yoga is also offered as a subject in the Bachelors Degree courses in many of the universities. Ph. D program in yoga therapy is offered for two to three years. The degrees that can be attained in Yoga and Naturopathy are N.D, B.N.M.S, H.S.C, D.N.M.S and C.N.M.S.N.D.-

(Doctor in Naturopathy) -This degree program is of a 3-year duration and is taught in many colleges and institutes.

B.N.M.S- (Bachelor in Naturopathy Medicine Science)- It is 5½ years degree course offered by the Indian Institute of Yoga and Naturopathy in Nagpur. There are not many institutes that offer this course.

D.N.M.S- (Diploma in Naturopathy Medicine Science)- This degree course has a duration of 3 years and is offered by many institutes.

C.N.M.S - Certificate in Naturopathic Medicine Science. This is one-year program offered by various institutes.

Besides this many other courses are offered in Yoga and Naturopathy in institutes throughout the country. M.D. courses are also offered in this stream. A list of various institutes providing various courses in Yoga & Naturopathy is given as Annexure 3 (iii). Annexure 4 lists the teaching and training facilities in naturopathy in India as on 1.4.1998.

In the recent years many NGO's and voluntary organizations have come up to establish Yoga and Naturopathy Health Homes as well as Degree level Colleges. At present there are four such colleges in India, one in Karnataka, two in Tamil Nadu and one in Andhra Pradesh. These colleges are affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, MGR Medical University, Chennai and University of Health and Sciences, Vijayawada respectively. The approach of this Medical Education Course encompasses Yoga and Naturopathy

philosophy, emphasizes the clinical tools and modalities necessary to establish a successful practice. These colleges are endowed with theoretical, practical and clinical facilities, which help them to train the students multi-dimensionally. Some universities have established a Yoga Department in which Teacher's Training Programs of one-year duration is organized. There are 28 universities that impart Certificate, Diploma and Degree courses in Yoga. UGC is also promoting this system by financing 28 universities to start Yoga courses in various universities. Some Universities are imparting Yoga education ranging from certificate to Ph.D. level courses. Many universities are likely to start Yoga department very soon. In many foreign universities, the faculty of Yoga has been established and research work is in progress. Some states have proposed to include Yoga in the school curriculum. There are many countries other than India where Yoga is being practiced regularly for treatment of psychosomatic disorders. In many of the Western countries Naturopathy is recognized and is greatly emphasized. There are several Colleges in various parts of USA, Germany, Britain etc. offering education in this system. This is a good sign for India to tap these markets as it has a reasonable number of Yoga & Naturopathy practitioners.

Health-Clubs, Training Institutes

In Yoga and Naturopathy, meditation and different natural therapies are an integral aspect. With changing life style and global scenario, there have been changes in almost all the stream of traditional science to suit contemporary requirements. Various health clubs and training centers were opened up to help people get training and therapies comfortably. Now people do not have to really go into ashrams and forests to meditate. Traditional system like Naturopathy has also evolved from its traditional model. Nowadays, all kinosQ of electronic equipments are provided in these health clubs and training centers for physical exercises are prescribed by yoga. Naturopathic treatment also uses modern scientific machines to provide natural therapies. Individuals generally own these health clubs and training centers. They are registered under the Society's Act in jurisdiction of different states; no central regulations are there for these private institutes. These institutes are many in number and as such, no federal record is maintained. This is one of the most upcoming sectors. Many private training institutes also give training in yoga as free services, but most of them charge for their services. Their services are more popular in metropolitans and cities where people face problems like depression, stress, asthma, etc. due to pollution and conditions prevailing in cities. Now the corporate sector is also entering this field. Yoga training and classes are oraganised in the offices during lunch hours as an incentive. Another reason for providing such incentive is to combat the stress due to increasing workloaosQ in the corporate sector. They all see it as a good source of recreation

and relaxation that also improves the efficiency of their worker. This changing face of our age-old tradition should not be looked with contempt or as a threat to our traditional system. It is just preserving the traditional system and imbibing it in today's lifestyle. Initially the students who got the training were small children or people not interested in worldly affairs, but now the trend has shifted as common people and fitness fanatics have started taking interest in this particular system of health preservation. In ancient period yoga was taught by a Guru or a Yogi but today this role has been taken over by yoga teachers and fitness trainers. Till 1960's the education in yoga was given in Ashrams, communes and retreats but now various gyms/ health clubs, spas, yoga centers and workplace classes are used for the purpose. Yoga used to be a part of living style and sacred for pilgrimage but today these classes are organised during lunch hour or as an evening or day classes. Due to all these changes, the face of yoga institution has also undergone a change.

References :

1. Bhavanani AB, Sanjay Z, Madanmohan. Immediate effect of sukha pranayama on cardiovascular variables in patients of hypertension. Int J Yoga Therap 2011;21:73-6.
2. Government of India. National Health Policy 2017; Ministry of Health and Family Welfare: Government of India.
3. Sathyaprabha TN. Neurophysiological Studies of Yoga in Health and Diseases. International Symposium on YOGism; 2010.
4. Ramaswamy S, Joshi SM, Velankar D, Gosavi JD. Role of naturopathy and yoga therapy on subjective well-being and prevention of non-communicable diseases. Int J Med Sci Public Health 2020;9(1):32-38.
5. Venugopal V, Rathi A, Raghuram N. Effect of short-term yoga-based lifestyle intervention on plasma glucose levels in individuals with diabetes and pre-diabetes in the community. Diabetes Metab Syndrome: Clin Res Rev. 2017;11:S597–S599.

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

Sleep Deprivation and Stress among Indians during COVID-19

Anusha Popli,
Shreya Biswas and Dr. Om Prakash Koli

Abstract

COVID-19 has caused significant turmoil all over the world. Apart from the deaths caused by the deadly virus, the impact quarantine had on people's mental health is also noticeable. This research is an attempt to analyse the relationship between the pandemic and sleep deprivation and stress among Indians. Sleep Deprivation is a condition characterized by insufficient sleep length and/or quality to maintain adequate alertness, performance, and health. It can be chronic or acute, and the intensity can vary greatly. Any change that creates physical, emotional, or psychological discomfort is referred to as stress. The present research aims to study the relationship between sleep deprivation and stress. We also intend to analyse the contribution of the COVID-19 pandemic to the levels of sleep deprivation and stress among Indians. The study is based on both primary and secondary data sources. To assess the impact of the outbreak of COVID-19, we conducted a survey at a local level in the Delhi region in the year of 2021. The sample size will be around 166 people within the age group of 18-25 years. Both qualitative and quantitative techniques are used to analyse the indicators of mental health among Indians, especially for sleep deprivation and stress.

KeyworosQ: sleep deprivation, stress, COVID-19, insomnia, anxiety

Introduction :

The World Health Organization (WHO) proclaimed the new coronavirus outbreak (COVID-19) a global pandemic on March 11, 2020 *(WHO, 2023).* COVID-19 is a virus that originated in Wuhan, China, and has since spread to almost every country in the world, having an impact on health, economy, human behaviour, and mental well-being (Holmes et al., 2020). Evidence about people's psychological reactions to this global public health crisis becomes more important as the number of deaths rises because it provides insights that could

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

help policymakers and practitioners improve health communication, promote preventive behaviours, and provide social and emotional support to those who need it (Bavel et al., 2020; Dryhurst et al., 2020).

This lockdown has presented a change in lifestyle. Physical exercise, mobility, and the availability of nutritious meals were all restricted. As a result, chronobiological rhythms have been altered, as they are influenced not only by light but also by other zeitgebers such as food, social interaction, and physical activity. (Galli et al., 2020; Gupta et al., 2020; Altena et al., 2020a;.Altena et al., 2020b). The value of sleep has often gone unnoticed in the miosQt of this upheaval. However, as the pandemic has progressed, experts have discovered that it has had a significant impact on sleep *(Sleep Foundation, 2023).*

COVID-19 continues to infect millions of people throughout the world two years after the pandemic was announced, while society tries to adjust to a new normal. Sleeping soundly is a priority during this vital stage and can provide significant health benefits *(Sleep Foundation, 2023).*

Sleep is essential for physical health and the immune system's proper functioning. It is also an important promoter of emotional wellness and mental health, as it aiosQ in the reduction of stress, despair, and anxiety *(Sleep Foundation, 2023).* Thus, disruption of sleep patterns and quality can severely affect one's mental health.

The impact on child and adolescent mental health is an acute effect of pandemic-related stress (Fegert et al., 2020). Chronic stress is linked to a higher risk of anxiety and depression when social isolation is mixed with fears of contagion and quarantine, as well as potential information overload. Social isolation is described as a reduction in the quality and/or amount of contact that an individual has with others.

Stress has an adverse association with sleep in general, but not always. Sleep reactivity influences the impact of stress on sleep quality, timing, and duration. People with high reactivity have insomnia during stressful events, whilst those who do not do so do not. As a result, home confinement as a result of lockdown increases the risk of disrupted sleep and insomnia as a result of stress. (Kalmbach et al., 2018)

While prior to the COVID-19 pandemic, social isolation primarily impacted the elderly, global initiatives to combat the spread of SARS-CoV-2 have exposed people of all ages to the impacts of social isolation (Cianfarani & Pampanini, 2023).

The current COVID-19 outbreak is an uncommon instance in which a large number of people are confined to their homes and are not required to follow a scheduled routine. The effect

of confinement on sleep has previously been studied in astronauts training for a Mars trip, jailed women, and mariners. (Basner et al., 2013; Harner & Budescu, 2014; Hystad & Eid, 2016) The findings of this research, however, cannot be generalised to home confinement during the COVID-19 lockdown due to the nature of confinement. First, the Mars mission simulation featured only six people of various nationalities, a limited amount of area for physical activity, active training, and a 520-day confinement period. (Basner et al., 2013) Despite the fact that the study among jailed women had a higher sample size, it cannot be applied to the general population because stress and sleep settings differed from those in home confinement. (Harner & Budescu, 2014) The third research comprised seamen who were on board and going about their daily business. Aside from that, the participants in these studies had no duties outside of their employment, few chances for leisure activities, and no reason to fear for their lives.

In order to address the current gap in the literature, this research aims to estimate the relationship between sleep and stress. It further aims to investigate the effects of the pandemic on the sleep quality and the stress levels of Indians within the age group of 18-25 years.

It is found that COVID-19 lockout was connected to poor sleep quality, a shift in the sleep cycle to the delayed phase, sleep deprivation based on night-time sleep, and depression symptoms in a large number of people in accordance with their study. An online questionnaire using the Survey Monkey platform was distributed among the general public. A semi-structured proforma was created by them to collect data on socio-demographic, work responsibilities, sleep patterns, screen usage, other medical comorbidities, and medication intake. Bedtime was pushed back, sleep onset latency was lengthened, and the percentage of people who napped during the day increased. Napping during the day lowers sleep pressure, delaying bedtime and increasing sleep-onset latency. Thus, sleep is influenced by both circadian and homeostatic variables, which combine to determine the timing and latency of sleep onset. Screen time, which increased following lockdown, is another factor impacting sleep habits. Shorter sleep and lower sleep efficiency are linked to spending more time in front of the screen (Gupta et al., 2020).

The study conducted by a group of researcher team presents evidence from close-knit communities in peri-urban India about awareness of COVID-19 symptoms, risk perception, worry, stress, and changes in behaviour in response to the COVID-19 pandemic. They have identified potential information gaps among residents (e.g. a lack of awareness of asymptomatic characteristics) as well as prevalent anxieties and sources of stress since the lockdown. From May 20–25, 2020, in communities from eleven census towns in peri-urban areas in Tamil Nadu, India, a cross-sectional phone survey was conducted. In reaction to the pandemic, the majority of the 2044 participants reported modifying their daily routines, including minimising social gatherings (73.8%), increasing social distance (80.7%), and informing people about COVID

(70.2%). They also reported an increase in cell phone/internet use (61.2%) and housework (cooking, cleaning) (66.9%). A substantial percentage of people (78.7%) expressed increased financial stress, as well as heightened tension about the lockout (50.5%) (Kuang et al., 2020).

The purpose of the study of another team is to summarise the impact of the pandemic COVID-19 on the Indian population's lifestyle behaviour. They conducted a literature search on PubMed and Google Scholar from dawn till October 2020 to recognise all applicable studies. In the majority of research reviews, sleep was found to be impacted. Importantly, not only the quantity but also the quality of sleep was seen to be changed. The prevalence of any sort of mental stress, especially anxiety, was determined to be at an all-time high. The majority of the participants with greater mental stress had a poor food pattern. Around 36.4% of participants were distressed as a result of social media, and over 80% felt the need for mental health and counselling (Rawat et al., 2021).

A team undertook a study to determine the prevalence of depression, anxiety, and stress among the Indian people during the shutdown and analyse their socio-demographic correlations. An electronic questionnaire was used to perform a cross-sectional survey. A total of 354 people were chosen at random from a convenience sample. The Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21), a 21-item self-reported questionnaire, was used to assess depression, anxiety, and stress. According to the results, 25.1%, 28%, and 11% of the parties were depressed, anxious, and depressed, respectively. Binge drinking was also linked to sadness, anxiety, and stress in a significant and beneficial way (Verma & Mishra, 2020).

Objectives

In order to study, the following objectives are being covered-

- To study the relationship between sleep deprivation and stress
- To analyse the contribution of the COVID-19 pandemic to the levels of sleep deprivation and stress among Indians

Study Area

The study 'Sleep deprivation and Stress among Indians during COVID-19' has been conducted on both- Micro and Macro scales in India in the year of 2020-21. Under the micro scale, an online survey was conducted to study sleep quality and stress levels during the COVID-19 pandemic through questionnaire. This questionnaire was filled out by 166 people

across India. In order to get quantitative numbers, the questions asked were close-ended. The questionnaires overed both qualitative and quantitative in nature.

The macro aspect of the study was covered by the review of literature. Analysis of the already existing literature such as articles, essays and research papers helped provide a broader perspective of the global scenario of the underlying issues. Moreover, the Literature review assists in the study.

Hypothesis

In the process of executing the above objectives, the research would test the following hypothesis-

1. Stress and Sleep are directly proportional to each other. Poor sleep quality will lead to higher stress levels and vice-versa.
2. The COVID-19 pandemic has negatively impacted sleep quality and stress levels of a person.

Data Source and Methodology

In this attempt to learn about 'Sleep Deprivation and Stress among Indians during COVID-19', we used both primary and secondary sources of data. Under the primary source, the questionnaire method has been used. The questionnaire consisted of questions from the Sleep Quality Scale and Perceived Stress Scale indexes to get quantitative figures for the study. Due to the critical conditions of the Lockdown, a google form was created and forwarded through various channels like WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Facebook and Word of Mouth. The sample size was 166 responses with the age group of 18-25 years. The Snowball sampling method was also used in the circulation of the questionnaire. For secondary sources, the review of literature has been chosen. The literature review included previously published papers, articles, essays and other personal experiences. The primary source i.e., questionnaire method is used to study the first objective. The second objective is studied by the secondary source, Literature Review.

Ethical Considerations

The participants involved in the survey were made aware of the purpose and motive of the research. They were also assured that their personal details such as their name, location,

and mail address would not be disclosed or revealed at any cost.

All the data collected is purely through the means of the survey.

Results

Problems	Percentage of People Experiencing the Problem
Difficulty in falling asleep	19
Waking up in the middle of the night	16
Difficulty in falling asleep once woken	14
Unable to fall in deep sleep	36
Sensitive to noise when sleeping	25
No interest in daily work due to insufficient amount of sleep	27
Headache and irritation due to poor sleep	28

Table1: Quality of sleep

Problems	Percentage of People Experiencing the Problem
Unable to control important things in life	25
Feeling nervous and stressed regularly	18
Unable to cope with the work load	33
Anger caused by the inability to keep up pending work	23
Difficulty in completing day-to-day tasks	27
No interest in daily work due to insufficient amount of sleep	27
Headache and irritation due to poor sleep	28

Table 2: Stress levels

Discussion

1. Relation between stress and sleep

Stress, in the psychological term, is the response of the living body to any situation which requires immediate attention or action. Stress and sleep are interlinked as they both affect each other. Chronic stress can lead to loss of sleep and on the other hand, unhealthy sleeping habits can cause physical as well as mental stress.

Stress can be short-termed as well as chronic. Short-term stress is an important survival mechanism for human beings which makes the body more alert to fight dangers or threats. But chronic stress leaosQ to severe damage. It not only causes physical problems like muscle pains, headaches, and imbalance in blood pressure but also mental issues like anxiety and depression. Stress also affects sleeping patterns. It causes the release of the adrenaline hormone which keeps the body in a constant alert state making it hard to relax and eventually fall asleep.

Stress can lead to trouble in falling asleep or altogether alter the whole sleeping pattern of a person. From our survey, we saw that almost 20% of the people faced difficulty in sleeping or disturbed sleeping pattern. Stress may also cause a person to wake up in between sleep. About 16% person of our respondents wake up abruptly in the middle of the night which is also symbolic of the fact that stress prevents a person from falling into a deep sound sleep. Furthermore, stress can increase the frequency of the occurrence of nightmares while sleeping thus hampering the sleeping pattern. Chronic stress could also lead to sleep disorders like insomnia.

Like stress has a negative impact, lack of sleep can also increase the level of stress in our bodies. Not getting proper rest slows down all the physiological functions of the body. Lack of sleep puts the body in a state of distress and increases the release of the stress hormone – cortisol. High levels of cortisol cause cardiovascular problems and may lead to chronic stress. Inadequate sleep hampers the hormonal cycle of the body which in turn affects cortisol secretion. At least 7-8 hours of sleep daily is required for the body to relieve fatigue and stress.

2. Contribution of covid-19 pandemic to increase levels of stress and sleep deprivation

The covid-19 pandemic has brought about major changes in the lives of people all over the globe. It had an impact on the physical, mental as well as emotional health and well-being of people. Lockdown and the eventual shutdown of every institution and office got people

stuck up in their houses with little to no socialization and physical movement. This has had a severe impact on people's health especially mentally.

From our study, it can be seen that about 33% of the respondents have experienced an increased level of stress and fatigue during this pandemic. As a result, most of them have trouble maintaining a proper sleep schedule as well as have difficulty falling asleep. Furthermore, about 64.24% of the respondents cannot go back to sleep once woken up in the middle of the night. As a result of lack of sound sleep about 23.38% of the respondents are faced with a loss of appetite, mood swings, headaches, inability to concentrate on work and fatigue. The respondents rarely feel energized or active after waking up and about 23% of them feel that their sleeping hours are not enough. About 24% of the respondents feel exhausted throughout the day and they are unable to keep up with their daily work schedule. This again triggers stress as they start feeling they are unable to be on top of their work pile.

The change in lifestyle and the consequent rise in the usage of digital platforms has increased people's screen timing significantly. About 20% of smartphone users had an average screen time of 4.5 hours a day in 2021 which is approximate. Increased screen timings have various negative impacts on a person's health and well-being. Sitting in front of a cell phone or computer screen for most parts, without much physical movement, causes physical stress, back pain and chronic neck pain. The blue ray radiated from electronic screens inhibits the proper functioning of a person's sleep cycle. This leaosQ to the inability to fall asleep easily and ultimately increases the stress hormone in the body as mentioned earlier which again inhibits the sleep cycle. Thus, it goes on in a chain pattern where both sleep deprivation and stress affect each other.

Emotional Geography and Sleep

Emotional Geography is a subfield of Human Geography that studies the connections between emotions and geographic locations and their contexts. Emotional geography is the study of how human emotions interact with and influence the environment around them. It aims to provide psychoanalysis of human emotions, people, and the environment. Because emotions play such a significant role in how people think and behave, they have an impact on the actions and decisions people make throughout their lives. As a result, it seeks to map a community's emotional geography.

Sleep cultures, economies and practices are active agents in the creation of a wide range of locations and spaces. Sleep and the Spaces of Every-Night Life The activities that surround it –

such as going to sleep and waking up – are critical but often overlooked components of human geographies across the globe. Sleep and sleeping aren't only a 'gap' in our waking existence, nor are they a symbolic device for satirical commentary. They are part of a complex set of discourses and actions that produce and are implicated in geographies that demand immediate critical attention. (DaviosQon & Milligan, 2007)

Conclusion

This study on 'Sleep Deprivation and Stress among Indians during Covid-19' reflected the fact that the pandemic has brought abrupt changes in the lives of humans. It is understood how stress and sleep share an interconnection and how they have both positive and negative impacts on our bodies.

Limitations

Like any other study, the current study also has some limitations. Firstly, the researchers were unable to collect data in the field because of the country's lockdown condition. Secondly, they collected data using electronic methoosQ such as convenience sampling and snowball sampling. As a result, the findings of this research cannot be applied to the entire population. Third, the survey's replies were self-reported. It could have resulted in social desirability reporting biases, which could have influenced the results.

Acknowledgements

We thank Riza Ahmed and Bidagdha Goswami for their time and review of the questionnaire and are grateful for their contributions. Lastly, we would like to extend our gratitude to the participants and volunteers who answered the questionnaire.

References

1. Altena, E., Baglioni, C., Espie, C. A., Ellis, J., Gavriloff, D., Holzinger, B., Schlarb, A., Frase, L., Jernelöv, S., & Riemann, D. (2020a). Dealing with sleep problems during home confinement due to the COVID-19 outbreak: Practical recommendations from a task force of the European CBT-I Academy. *Journal of Sleep Research,* 29(4). https://doi.org/10.1111/JSR.13052
2. Basner, M., Dinges, D. F., Mollicone, D., Ecker, A., Jones, C. W., Hyder, E. C., di Antonio, A., Savelev, I., Kan, K., Goel, N., Morukov, B. v., & Sutton, J. P. (2013). Mars 520-d mission simulation reveals protracted crew hypokinesis and

alterations of sleep duration and timing. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,* 110(7), 2635–2640. https://doi.org/10.1073/PNAS.1212646110/SUPPL½FILE/SAPP.PDF

3. Bavel, J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Crockett, M. J., Crum, A. J., Douglas, K. M., Druckman, J. N., Drury, J., Dube, O., Ellemers, N., Finkel, E. J., Fowler, J. H., Gelfand, M., Han, S., Haslam, S. A., Jetten, J., … Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nature Human Behaviour,* 4(5), 460–471. https://doi.org/10.1038/S41562-020-0884-Z

4. Cianfarani, S., & Pampanini, V. (2023). The Impact of Stress on Health in Childhood and Adolescence in the Era of the COVID-19 Pandemic. *Hormone Research in Paediatrics,* 96(1), 83–87. https://doi.org/10.1159/000517460

5. DaviosQon, J., & Milligan, C. (2007). Embodying emotion sensing space: introducing emotional geographies. *Https://Doi.Org/10.1080/1464936042000317677, 5(4), 523–532.* https://doi.org/10.1080/1464936042000317677

6. Dryhurst, S., Schneider, C. R., Kerr, J., Freeman, A. L. J., Recchia, G., van der Bles, A. M., Spiegelhalter, D., & van der Linden, S. (2020). Risk perceptions of COVID-19 around the world. *Taylor & Francis,* 23(7–8), 994–1006. https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193

7. Fegert, J. M., Vitiello, B., Plener, P. L., & Clemens, V. (2020). Challenges and burden of the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic for child and adolescent mental health: A narrative review to highlight clinical and research neeosQ in the acute phase and the long return to normality. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health,* 14(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/S13034-020-00329-3/FIGURES/1

8. Galli, F., Reglero, G., Bartolini, D., PharmaNutrition, F. V.-, & 2020, undefined. (n.d.). Better prepare for the next one. Lifestyle lessons from the COVID-19 pandemic. *Ncbi.Nlm.Nih.*Gov. Retrieved February 7, 2023, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7202804/

9. Gupta, R., Grover, S., Basu, A., Krishnan, V., Tripathi, A., Subramanyam, A., Nischal, A., Hussain, A., Mehra, A., Ambekar, A., Saha, G., Mishra, K., Bathla, M., Jagiwala, M., Manjunatha, N., Nebhinani, N., Gaur, N., Kumar, N., Dalal, P., … Avasthi, A. (2020). Changes in sleep pattern and sleep quality during COVID-19 lockdown. *Indian Journal of Psychiatry*, 62(4), 370. https://doi.org/10.4103/PSYCHIATRY.INDIANJPSYCHIATRY½523½20

10. Harner, H. M., & Budescu, M. (2014). Sleep Quality and Risk for Sleep Apnea in Incarcerated Women. *Nursing Research,* 63(3), 158. https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000031

11. Holmes, E. A., O'Connor, R. C., Perry, V. H., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., Ballard, C., Christensen, H., Cohen Silver, R., Everall, I., Ford, T., John, A., Kabir, T., King, K., Madan, I., Michie, S., Przybylski, A. K., Shafran, R., Sweeney, A., … Bullmore, E. (2020). Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. *The Lancet Psychiatry,* 7(6), 547–560. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30168-1

12. Hystad, S. W., & Eid, J. (2016). Sleep and Fatigue Among Seafarers: The Role of Environmental Stressors, Duration at Sea and Psychological Capital. *Safety and Health at Work,* 7(4), 363–371. https://doi.org/10.1016/J.SHAW.2016.05.006

13. Kalmbach, D. A., Cuamatzi-Castelan, A. S., Tonnu, C. v., Tran, K. M., Anderson, J. R., Roth, T., & Drake, C. L. (2018). Hyperarousal and sleep reactivity in insomnia: current insights. *Nature and Science of Sleep,* 10, 193. https://doi.org/10.2147/NSS.S138823

14. Kuang, J., Ashraf, S., Das, U., & Bicchieri, C. (2020). Awareness, Risk Perception, and Stress during the COVID-19 Pandemic in Communities of Tamil Nadu, India. *International Journal of Environmental Research and Public Health,* 17(19), 1–12. https://doi.org/10.3390/IJERPH17197177

15. Rawat, D., Dixit, V., Gulati, S., Gulati, S., & Gulati, A. (2021). Impact of COVID-19 outbreak on lifestyle behaviour: A review of studies published in India. *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews,* 15(1), 331–336. https://doi.org/10.1016/J.OsQX.2020.12.038

16. Sleep Guidelines and Help During the COVID-19 Pandemic | Sleep Foundation. (n.d.). Retrieved February 22, 2023, from https://www.sleepfoundation.org/sleep-guidelines-covid-19-isolation

17. Verma, S., & Mishra, A. (2020). Depression, anxiety, and stress and socio-demographic correlates among general Indian public during COVID-19. *The International Journal of Social Psychiatry,* 66(8), 756–762. https://doi.org/10.1177/0020764020934508

18. WHO: WHO coronavirus disease (COVID-19) dashboard - Google Scholar. (n.d.). Retrieved February 7, 2023, from https://scholar.google.com/scholar½lookup?title=kWHO+Coronavirus+Disease+(COVID-19)+Dashboard&author=kWHO&publication½year=k2020

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

Problem and prospects of Indian MSMEs: A Review

***Shivam Kabir**
** Shivam Kabir is Research Scholar, Department of Economics, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (Madhya Pradesh)*
*****Dr. Veerandra Singh Matsaniya***
**Dr. Veerandra Singh Matsaniya is Assistant Professor, Department of Economics, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (Madhya Pradesh)*

Abstract:

MSMEs have been assuming a significant part in generally financial improvement of a nation like India where many individuals are underemployed or even jobless. Numerous problems, including poverty and unemployment by providing immediate and large-scale employment with lower investment requirements and establishing itself as the second largest employer of human capital after agriculture. Since its independence, one of India's main economic development strategies has been small-scale industry. With the introduction of the planned economy in 1951 and the subsequent industrial policy implemented by the Indian government, this sector was given a special place in the Indian economy. As one of the world's fastest-growing economies, India must ensure that MSMEs grow to their full potential to increase its contribution to the aforementioned areas. The goal of this study is to identify the major challenges that MSMEs face in today's competitive environment by reviewing the relevant literature. It also focuses on the factors that help Indian MSMEs improve their manufacturing performance. The study aims to focus on the enormous growth potential and opportunities for the development of the MSME sector in the Republic of India, identify significant issues and obstacles, and offer solutions.

KeyworosQ: Indian MSMEs, Problems and Challenges, Inclusive Growth, MSME Act 2006.

Introduction:

The government established Micro Small and Medium Businesses (MSMEs) through the MSME Act of 2006. Subject to investment caps, micro, small, and medium-sized businesses

produce, manufacture, process, or preserve gooosQ and commodities. To encourage its growth, the government updated the MSME definition in 2020.

The Indian economy has seen a dynamic rise of this industry. MSMEs play a significant role in the Indian economy and societal development and can be considered as complementing large-scale businesses. Simple consumer gooosQ to finished gooosQ are among the many different products that the MSME sector creates. It makes up about 29% of the GDP of the country.

Figure no.1

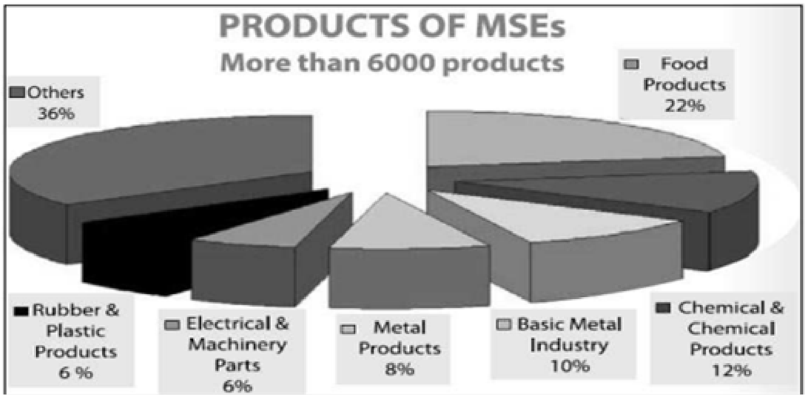

MSMEs in India are responsible for the production of over 6,000 products, which range from conventional to high-tech gooosQ. It is common knowledge that, after agriculture, MSMEs offer the most self-employment and employment opportunities. The sector is estimated to be responsible for approximately 45% of the country's manufacturing output and 40% of its total exports in terms of value. The sector is thought to employ approximately 42 million people in over 13 million units across the nation, making it the second largest employer of human capital after agriculture. Additionally, this sector has always grown at a faster rate than the rest of the industrial sector. As a result of its significant contributions to manufacturing output, employment, and exports, the micro, small, and medium enterprises (MSME) sector occupy a strategic position in the Indian economic structure.

Review of Literature

Arvind Kumar Singh and others al. (2014) concentrates on the job of business people in the advancement of SME business given the ongoing difficulties looked by the area. The study discusses the major initiatives that the Indian government has taken to revitalize the MSME

sector after highlighting some of its key features. Support for research and development (R&D), access to foreign technologies, innovative promotions, assistance from large corporations, e-governance, and e-procurement are all ways the government can assist this sector.

et al., M. Chandraiah al. (2014) lays out that the development of present day MSMEs is a remunerating component of Indian monetary turn of events. Credit, raw materials, designing, packaging, storage, infrastructure, manpower, and other issues pose problems for MSMEs. despite this, it has been able to withstand recessions and economic downturns thanks to its innovation, adaptability, and resilience.

Bilas S. Kale (2015) states a descriptive study of MSMEs in Maharashtra, contribute to the state's fight against unemployment, poverty, and socioeconomic growth. By generating demand for gooosQ and services, MSMEs contribute to the economy's inclusive and balanced expansion. Social imbalances are reduced and sustainable development is promoted in this sector.

Shaik, Meeravali, et al. al. (2017) analyses even though the MSME sector has made a positive contribution to employment and fixed assets growth in recent years, it still faces several obstacles, including a lack of timely credit, a high cost of credit, difficulties acquiring raw materials, storage and design issues, inadequate infrastructure, low technology levels, a lack of skilled labour, and other issues.

et al. Syamala Devi Bhoghanadam al. (2017) divides the various challenges the Indian MSME sector faces into internal and external factors by analysing the existing literature. Additionally, the study provides a literature matrix that divides all the challenges into external, environmental, sociocultural, marketing, financial, HR development, and infrastructure issues.

Sonia Mukherjee (2018) examines the five-year export trend of the Indian coir industry. It was discovered that a lack of appropriate technology was the primary factor in its declining export competitiveness. She concludes that its global competitiveness can be enhanced through increased investment in human resources, increased investment in advanced technology and research and development, increased use of the digital platform, technology transfer, improved access to finance, and liberal business regulations.

Research Gap

Above literature has been divided into sections based on the challenges, goals, and research requirements. It contains all previous studies that are pertinent to the current investigation. The MSMEs' financial, marketing, and infrastructure-related challenges are summarized in the

literature matrix, as is the pressing need for technological advancement. The review makes it abundantly clear that the bank is a crucial instrument of finance that necessitates liberal and motivating attitudes from this institution in order to support the growth and development of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). There is a need of further Investigation on MSMEs in India.

Objectives

- To examine the role of MSMEs in Indian economy.
- To understand the difficulties faced by MSMEs.
- To find out answer and to provide suggestions based on the study.

Research Methodology

The methodology is extremely important for building the analysis work. Furthermore, subjective, and quantitative systems were used in the review. Secondary data has been gathered from printed sources, such as periodicals, articles, reports, books, journals, and literatures on the subject, for this text. E-sources are also viewed in order to gather the most recent, up-to-date information on the subject. The relevant information was gathered from a variety of sources, including industry journals, the annual report of the "Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises," the ASSOCHAM report, the MSME's official website, the Indian economic survey, RBI publications, the Handbook of Statistics on the Indian Economy, and online and newspaper articles.

MSME Classification

Based on investments in plant and machinery equipment, MSMEs are divided into Micro, Small, and Medium Businesses as follows:

Micro: The yearly turnover will not exceed 5 crores, and the investment in plant and machinery equipment will not exceed 1 crore.

Small: The annual turnover will not exceed 50 crores, and the investment in plant and mechanical equipment would not exceed 10 crores.

Medium: According to the MSME classification requirements, medium-sized businesses

must have an annual turnover of no more than 250 crores and an investment in plant and mechanical equipment of no more than 50 crore.

Table no. 1

Existing MSME Classification			
Criteria : Investment in Plant & Machinery or Equipment			
Classification	Micro	Small	Medium
Mfg. Enterprises	Investment<Rs. 25 lac	Investment<Rs. 5 cr.	Investment <Rs. 10 cr.
Services Enterprise	Investment<Rs. 10 lac	Investment< Rs. 2 cr.	Investment<Rs. 5 cr.

Revised MSME Classification			
Composite Criteria : Investment And Annual Turnover			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment< Rs. 1 cr. and Turnover < Rs.5 cr.	Investment< Rs. 10 cr. and Turnover < Rs.50 cr.	Investment< Rs. 50 cr. and Turnover < Rs. 250 cr.

Role of MSMEs

- The micro, small, and medium-sized business (MSME) sector in India is the backbone of the country's economic structure and has served as a shield for the Indian economy, making it more resilient to global economic shocks and adversities.
- It has also significantly contributed to the country's economic and social development by creating employment opportunities and encouraging entrepreneurship at a relatively lower capital cost than agriculture.
- Employment: It is the industry with the second-highest employment rate, after Agriculture. Over 120 million people in India are employed as a result.
- Contribution to GDP: With about 36.1 million units spread across the entire country, MSMEs account for about 6.11% of the GDP from manufacturing and 24.63% of the GDP from services.
- The MSME Ministry has set a goal to increase its GDP contribution to 50% by 2025 as India's economy grows to $5 trillion.
- Exports: It accounts for about 45% of all Indian exports.

- MSMEs encourage inclusive growth by offering employment opportunities to rural residents, particularly those from disadvantaged social groups. Khadi and village industries, for instance, have minimal per capita requirements.

Recent initiatives to promote MSMEs

A committee of the RBI, led by former SEBI Chairman UK Sinha, proposed in June 2019 a stressed asset fund of Rs 5,000 crore for the MSME sector to help small businesses affected by demonetisation, GST, and the ongoing liquidity crisis.

Additionally, it has suggested increasing the maximum amount of collateral-free loans from the current Rs 10 lakh to Rs 20 lakh for MSMEs, self-help groups, and Mudra scheme borrowers.

The MSME Ministry announced in June 2019 that the ban on corporate and private players entering the MSME sector would be lifted to allow for the formation of 700 clusters to reduce import dependence and create jobs.

Table no.2

Distribution of Enterprises Category Wise (numbers in Lakhs)

Sector	Micro	Small	Medium	Total	Share (%)
Rural	324.09	0.78	0.01	324.88	51
Urban	306.43	2.53	0.04	309.00	49
All	630.52	3.31	0.05	633.88	100

Source: - MSME Annual Report 2022-23, Ministry of MSME

From above table, more than 99% of all MSMEs are estimated to be in the micro sector, which includes 630.52 lakh businesses. The estimated 3.31 million MSMEs in the small sector and the 0.05 million MSMEs in the medium sector represent 0.01 percent and 0.52 percent of the total estimated MSMEs, respectively.

Challenges Faced by MSMEs

- **Unregistered MSMEs**

The majority of unregistered MSMEs are primarily micro businesses that operate solely on technology and have limited access to institutional financing, among other resources. They are

primarily located in rural India. The large number of unregistered MSMEs must be converted to registered ones.

- **Marketing Problems:**

Problems with marketing exist for all kinosQ of businesses, but they are more severe for small businesses due to a lack of knowledge, funosQ, and experience. The following are some of the most frequent issues that small businesses in India face when it comes to marketing:

a. Large-scale sector competition: Due to a lack of resources, small businesses typically employ inferior technology. Their products lack standardization as a result. Products of lower quality result from their use of outdated technology.

b. A lack of marketing expertise: The majority of owners of small businesses lack the educational or professional credentials required to comprehend marketing concepts and strategies. Their lack of expertise further hinders their comprehension of the market's current trenosQ.

c. There is no promotion of sales: Private ventures come up short on aptitude and assets fundamental for effective deals advancement. The majority of large units carry well-known brand names. They also have a lot of money that they can spend on marketing and other selling tools.

- **Finance related challenges:**

It is difficult for the MSME units to obtain funosQ for their expansion and operational requirements. The MSME area experiences an absence of sound guidance for finance as a result of an absence of monetary information. It is challenging for the small businesses to offer collateral as security for gaining access to bank funosQ. In addition, it is evident that institutional lenders are unable to comprehend the distinct financial requirements of MSMEs, whose requirements and operations are significantly distinct from those of large banks.

- **Technological Up gradation**

In the current context, modernization, technological advancement, and quality improvement have assumed a significant role. The small-scale sector will need to place a greater emphasis on and pay attention to the areas of technology advancement and modernization in light of the influx of cutting-edge technology, which is lowering the cost of production, as well as the growing amount of competition from within and outside the industry.

Measures to promote the Indian MSME in the global market

The procedures taken to further develop the ability to assemble of the MSME area is expected to work on the seriousness of their items and upgrade the products. Impetus for innovation, access to affordable credit, higher value addition, cluster development, skill development, and training are just a few of the essential measures that can be taken to boost the competitiveness of Indian MSMEs.

Table no.3

Distribution of Estimated Number of Enterprises in Some selected states of India against their total number of populations.

State	Total Population	No. of Enterprises (in lakh)
Tamil Nādu	72147030	49.48
Maharashtra	112374333	47.78
Gujrat	60439692	33.16
Madhya Pradesh	72626809	26.74
Rajasthan	68548437	26.87
Odisha	41974218	19.84
Bihar	104099452	34.46
Punjab	27743338	14.65
Assam	31205576	12.14

Source: - 1) MSME Annual Report 2022-23, Ministry of MSME

2) Population Census, 2011

- ## Cluster Development: -

The cluster development approach has been adopted by the Ministry of MSME as a key strategy for boosting MSMEs' collective national competitiveness and productivity as well as their capacity building. Through the provision of suitable infrastructure, the promotion of linkages between SMEs and large corporations, and the encouragement of local support

institutions, cluster promotion has become a popular method for boosting MSMEs' competitiveness.

- **Access to credit: -**

MSMEs have placed a high priority on timely access to adequate credit. Under the Credit Guarantee Fund Scheme, additional coverage has been provided to address this issue. Additionally, numerous new businesses in the working capital sector are attempting to make it easy for small and medium-sized businesses (SMEs) to obtain credit. A significant intervention for broad-based financing was the recent introduction of MUDRA as a specialized window with the intention of targeting microenterprises.

- **Technological development: -**

The Prime minister's task force on MSMEs, set up under the chairmanship of the principal secretary T K A Nair has proposed measures which incorporate the need to refine the ongoing FDI strategy to expand limit, capacity and innovation improvement. The group also agreed that technical institutions and MSME clusters need to work together in a symbiotic way.

- **Human and natural resource development: -**

Concerns regarding the development of human resources are essential to increasing SME competitiveness. Empirical research demonstrates that human capital plays a significant role in growth. The lower skill levels of SME workers and their low productivity are major concerns in the Indian context. The Indian SME sector's productivity and efficiency have been negatively impacted by a lack of human resources.

- **Low value addition: -**

The typical innovation esteem expansion in made items sent out by the Indian Industry is around 8%. When compared to other developing nations, it is relatively low. Particularly in the Gems and Jewellery industry, where value addition is negligible, is the low value addition. In terms of adding value, gooosQ like leather gooosQ and engineering supplies also lag. As a result, increasing their value addition is necessary in the future.

Conclusion: -

With the Government of India's two newly launched initiatives, "Make in India" and "Digital India Revolution," the sector stanosQ a great chance of expanding in the upcoming decade. However, some of the obstacles preventing the sector's expansion include a lack of infrastructure, inadequate credit flow, and technological obsolescence. To remove all these obstacles, the government and MSME itself must work together.

In order to make the growth process more inclusive, India should encourage the development of a technologically vibrant, internationally competitive, and vibrant MSME sector. For this sector to take care of the entire economy, it neeosQ to be looked after.

Limitations And Scope for Further Research

MSMEs should receive adequate support from policy framework, incentives, and other relevant aiosQ because they are a major contributor to the expansion of the domestic economy and the creation of jobs. Under MSME cluster development programs, steps like providing infrastructure facilities, developing various industrial parks and technology incubators, creating networks of organizations that help provide skilled workforce training to improve productivity, encouraging entrepreneurship and management competency, funding R&D investments, and technology advancement may benefit the sector. Despite this, increasing competition is making it difficult for Indian MSMEs to sell their products on both domestic and international markets. Indian MSMEs must upgrade their technology and place a greater emphasis on innovation in order to compete globally with their products.

Since only secondary data and reports have been used to analyse the scope and challenges of Indian MSMEs, the study has data limitations. A more accurate understanding of the difficulties faced by MSMEs could have been obtained by conducting a primary survey of some of them. To better comprehend the issues, the data can be subjected to econometric analysis. A comparative study of challenges and government policy actions in several nations or major cities is also possible.

References

1. Kumar, A., Batra, V., & Sharma, S. K. (2009). *MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN INDIA: CHALLENGES AND ISSUES IN THE CURRENT SCENARIO.*
2. M. Chandraiah and R. Vani (2014). 'The Prospects and problems of MSME sector in India: An analytical study.' International Journal of business and management invention. Vol. 3, Issue 8. pp 27-40.

3. Singh, Arvind Kumar and Singh, Karan Veer (2014). 'MSMEs challenges and opportunities: The key to entrepreneurship development in India.' International Journal of Engineering and Management Sciences. Vol. 5(1). 2014. pp 22-28.

4. Khanna, R. (2018). In *Journal of Applied Management-Jidnyasa (*Vol. 10, Issue 2).

5. Mukherjee, Sonia (2018). 'Challenges to Indian micro small scale and medium enterprises in the era of globalization.' Mukherjee Journal of Global Entrepreneurship Research. Retrieved from: https://doi.org/10.1186/s40497-018-0115-5.

6. Khatri, P. (2019). *A Study of the Challenges of the Indian MSME Sector ASSESSING THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON EXPORT POTENTIAL OF HANDICRAFT SMEs IN DELHI NCR View project A Study of the Challenges of the Indian MSME Sector.* 21, 5–13. https://doi.org/10.9790/487X-2102050513

7. Sushil, C., Patel, K., & Tripathi, R. (n.d.). Challenges of MSMEs in India. In *Journal of Positive School Psychology* (Vol. 2022, Issue 6). http://journalppw.com

8. Annual Report 2018-19, Govt. of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, available at:www:msme.gov.in

9. Bhavan, U. (n.d.). *Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.* www.msme.gov.in

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

Domestic Violence And Role Of Women Education With Special Referenc To North-East-India

Md. Nozmul Hoque
Research scholar
B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur
University Department of Education

The concept of Domestic violence: Domestic violence means an aggressive behaviour within the home, typically involving the violent abuse of a spouse or partner. Domestic violence which is also named as domestic abuse; battering or family violence is pattern of behavior which involves violence or other abuse by one person against another in a domestic setting, such as marriage or cohabitation. Intimate partner violence is violence by a spouse or partner in an intimate relation against the other spouse or partner. Domestic violence can take place in heterosexual and same sex family relationships, and can involve violence against children in the family. Domestic violence is not physical violence alone rather it is any behavior the purpose of which is to gain power and control over a spouse, partner or intimate family member. Abuse is a learned behavior; it is not caused by anger, mental problems, drugs or alcohol, or other common excuses only. When the general public thinks about domestic violence, they usually think in terms of physical assault that results in visible injuries to the victim.

Domestic violence can take a number of forms like- physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, economic abuse, verbal abuse, religious abuse, which can range from subtle, controlling forms to marital rape and to violent physical abuse such as female genital damage and acid throwing that results in disfigurement or death. Domestic murders include stoning, bride burning, honor killings and dowry deaths and each of which has its own shocking consequences.

Globally, the victims of domestic violence are overwhelmingly women, and women tend to experience more severe forms of violence. In some countries, domestic violence is often seen as justified, particularly in cases of actual or suspected infidelity on the part of the woman, and is legally permitted. There is evidence that there exists a direct and significant correlation between a country's level of gender equality and actual rates of domestic violence. Domestic violence occurs when the abuser believes that abuse is acceptable, justified, or unlikely to be

reported. Very few people recognize themselves as abusers or victims because they may consider their experiences as family disputes that just got out of control.

In abusive relationships, there may be a cycle of abuse during which tensions rise and an act of violence is committed, followed by a period of reconciliation and calm. Victims of domestic violence may be trapped in domestic violent situations through isolation, power and control cultural acceptance, lack of financial resources, fear, shame or to protect children. As a result of abuse, victims may experience physical disabilities, chronic health problems, mental illness, limited finances, and poor ability to create healthy relationships.

Objectives of the study: To find out the reasons of domestic violence and ways of its remedies.

Hypotheses of the study: Domestic violence may be happened due to lack of education, social superstitions and social awareness.

Different forms of Domestic Violence:

Domestic violence can take many forms, including physical aggression or assault (hitting, kicking, biting, shoving, restraining, slapping, throwing objects, battery), or threats thereof; sexual abuse, controlling or domineering; intimidation; stalking; passive/covert abuse (e.g., neglect); and economic deprivation. It can also mean endangerment, criminal coercion, kidnapping, unlawful imprisonment, trespassing, and harassment.

- **Physical abuse:**Physical abuse is that involving contact intended to cause pain, injury, other physical suffering or bodily harm. Physical violence can be the culmination of other abusive behavior, such as threats, intimidation, and restriction of victim self-determination through isolation, manipulation and other limitations of personal freedom. Denying medical care, sleep deprivation, and forced drug or alcohol use, are also forms of physical abuse. It can also include inflicting physical injury onto other targets, such as children or pets, in order to cause emotional harm to the victim.
- **Murder** as a result of domestic violence makes up a greater proportion of female murders than it does male murders. The World Health Organization states that globally, about 38% of female murders are committed by an intimate partner.
- **Abuse During pregnancy** a woman may begin to be abused or long-standing abuse may change in severity, causing negative health effects to the mother and fetus. Pregnancy can also lead to a break of domestic violence when the abuser does not want to harm the unborn child. The risk of domestic violence for women who have been pregnant is greatest immediately after childbirth

- **Acid attacks** are an extreme form of violence in which acid is thrown at the victims, usually their faces, resulting in extensive damage including long-term blindness and permanent scarring. These are commonly a form of revenge against a woman for rejecting a marriage proposal or sexual advance.

- **Honor killings:** In the Middle East and other parts of the world, planned domestic murders, or honor killings, are carried out due to the belief of the criminals that the victim has brought dishonor upon the family or community.

- **Bride burning or dowry killings** is a form of domestic violence in which a newly married woman is killed at home by her husband or husband's family due to their dissatisfaction over the dowry provided by her family. The act is often a result of demanosQ for more or prolonged dowry after the marriage. Dowry violence is most common in South Asia, especially in India. In 2011, the National Crime RecorosQ Bureau reported 8,618 dowry deaths happened in India, but unofficial figures estimate at least three times more than this amount.

- **Sexual abuse:** The sexual act through physical force, sexual abuse occurs if a person is unable to understand the nature or condition of the act, unable to decline participation, or unable to communicate unwillingness to engage in the sexual act. This could be because of underage immaturity, illness, disability, or the influence of alcohol or other drugs, or due to intimidation or pressure.

Table-1

Percentage of women who reported actual or attempted sexual assault by an intimate male partner (late 1990s)

Country	Percentage
Switzerland	12%
Germany	15%
USA	15%
Canada	15%
Nicaragua	22%
UK	23%
Zimbabwe	25%
India	28%

- **Reproductive Forces:** Reproductive force is associated with forced sex, fear of or inability to make contraceptive decision, fear of violence after refusing sex, and abusive partner interference with access to healthcare. In some cultures, marriage imposes a social obligation for women to

reproduce. Wife inheritance is a type of marriage in which the brother of a dead man is obliged to marry his widow, and the widow is obliged to marry her dead husband's brother.

- **Marital rape** is non-consensual sexual contact committed against a spouse. It is under-reported, under-prosecuted, and legal in many countries, due in part to the belief that through marriage, a woman gives irrevocable consent for her husband to have sex with her when he wishes. Once widely condoned or ignored by law and society, marital rape is now rejected by international conventions and increasingly criminalized. The non-consensual sexual acts committed against a spouse or partner is declared as illegal. The convention came into force in August 2014.

- **Emotional abuse** is behavior that threatens, intimidates, or systematically undermines self-worth. Emotional abuse includes threats, isolation, public humiliation, unrelenting criticism, constant personal devaluation, and gas lighting. The victims often suffer from depression, putting them at increased risk of eating disorders, suicide, and drugs and alcohol abuse.

- **Economic abuse** is a form of abuse when one intimate partner has control over the other partner's access to economic resources. Marital assets are used as a means of control. Economic abuse may involve preventing a spouse from resource acquisition, limiting what the victim may use, or by otherwise exploiting economic resources of the victim. Forcing or pressuring a family member to sign documents, to sell things, or to change a will are forms of economic abuse. Women are subjected to domestic violence significantly more often than men

Overall Picture of Women Abuse in India.

Table -2
Disposal of crimes committed against women in 2014

Crimes	Case reported during the year	Total case for investigation	Case in which chargesheets submitted	Total case disposed by police	Percentage of total cases for investigation
Rape	36,735	51,613	30,840	35,590	69
Attempt to commit rape	4,234	4,672	2,781	3,369	72
Kidnapping & abduction of women	57,311	84,685	26,044	49,150	58
Dowery Deaths	8,455	13,270	7,653	8,597	65
Assaulted on women with intent outrage her modesty	8,235	10,164	6,462	76,388	76

Sources: Women and men in india-2015, 17th issue, MOSPI

Table-3
Share of The Eight North East States in Crimes Reported Across India in 2014 in Percentage Terms.

State	Overall Crime	Crimes Against Women	Crimes Against Children
Monipur	0.1	0.1	0.2
Meghalaya	0.1	0.1	0.2
Mizoram	0.1	0.1	0.2
Nagaland	00	00	00
Tripura	0.5	0.5	0.4
Arunachal	0.1	0.1	0.1
Assam	3.3	5.7	1.5
Sikim	00	00	0.1

Source: National Crime RecorosQ Bureau.

North East is safest for women and kiosQ.

How to end Violence against women? Or Role of education in prevention of Domestic Violence:

Primary prevention plays a very important role in ensuring safe and encouraging environment for children to develop their potentials. Strengthening values of non-violence and developing skills for dealing with violence and child abuse should be our priorities. Children spend a lot of their valuable time in schools. With primary prevention we can build protective factors in educational organizations. We can help them to stay safe and prevent harmful effects of violence and abuse, ensure healthy personal development and raise the quality of their lives.

The course and curriculum should be developed so that learner can be equipped with full knowledge and skills for primary prevention against violence and child abuse. Students should get familiar with different types of violence and child abuse. They should learn how to properly respond and address these very issues. The focus of the education should be primary prevention with concrete information how to introduce topics of violence and child abuse in a positive and developmentally appropriate way to children. Children should learn how to adequately tackle unpleasant and possibly dangerous situations and be "safe, strong and free". The education should be given with its concept of basic safety rights for children and self-

protective strategies and skills. There are some highlighted points by which we can prevent domestic violence through education. They are as below-

- ❖ **Empowering women and girls to protect themselves:** It is essential to empower the women and girls to protect themselves in any adverse situation. Women and girls should be as bold as men so that they can protect them from any violent activities.
- ❖ **Break the silence:** Never pardon any violence. We should always raise our voice against violence and should report it.
- ❖ **Know the law:** Gain basic awareness of the laws so that we are able to recognize when violence is taking place and know what law to use.
- ❖ **Medical services:** Medical services should be provided to the victims as and when required and it should be free from any pressure and bias.
- ❖ **Counseling:** Counseling is another means of managing the effects of domestic violence. For the victim of abuse, counseling may include an assessment of the presence,
- ❖ **Shelter, Crisis intervention and advocacy** includes ways to prevent domestic violence by offering safe, shelter, crisis intervention, advocacy, and education and prevention programs.
- ❖ **Build solidarity:** With a concerned and committed group of frienosQ and colleagues build an informal solidarity group within your organization or institution which can extend solidarity to victims of violence.
- ❖ **Connect with women's rights groups:** Get in touch with local women's rights groups if you hear of any violence-related incident, or if you wish to attend or organize trainings on violence against women for your colleagues, frienosQ and peers.●
- ❖ **Demand to know your rights as a woman:** Within an institution or organization you have a right to find out the processes in place to combat Violence against women. For instance, you have a right to know whether your office or college has set up an anti-sexual harassment cell, and the right to demand that it is set up.
- ❖ **Enable young people** (5 – 25-years) to develop positive attitudes towarosQ relationships in order to prevent domestic abuse and sexual violence.
- ❖ **Equip adults with the skills and resources** they need to promote healthy relationships amongst young people
- ❖ **Influence education policy and practice** at the individual school, borough and national level. We will appraise the programme in terms of its contribution to policy and curriculum developments in the field of personal, emotional, citizenship and relationship education.

Conclusion:

On January 13, 2014, a 51-year-old Danish woman was robbed, beaten and gang-raped. This is one of many incidents in which foreign women traveling in India have been victims of such crimes. In recent years, women from Germany, the United States, the United Kingdom, Denmark, Poland, Switzerland, China, Canada, France, and South Korea have been similarly attacked in India. Due to the increasing rate of attacks, many of these countries have issued statements warning women to be extremely cautious while traveling to India, Delhi. India's image is declining around the world and it is far from being considered for female travelers. Violence against women can be stopped if we start work right from the grass root level. The major problems lies with the issues we choose to address and the amount of importance it deserves. It is observed in all over the India that domestic violence happens mostly due to different reasons hence, Education is the only instrument by which women can be educated and empowered to prevent domestic violence.

References

1. Khosla, R., Zampas, C., Vogel, J. P., Bohren, M. A., Roseman, M., & Erdman, J. N. (2016). International Human Rights and the Mistreatment of Women During Childbirth. *Health and human rights,* 18(2), 131–143.
2. Charlie DonalosQon and Randy Flood, Stop Hurting the Woman You Love: Breaking the Cycle of Abusive Behavior
3. Concannon, Diana (July 11,2013. Kidnapping: An Investigators Guide. Newness. P.30. ISBN 978-0123740311.
4. Christiane Sanderson, Counselling Survivors of Domestic Abuse
5. "Domestic violence in the Times: From civil unrest to spouse abuse". The New York Times. September 10, 2014. Retrieved March 26, 2016.
6. EowQard S. Kubany and Mari McCaig, Healing the Trauma of Domestic Violence: A Workbook for Women
7. Esquivel-Santoveña, Esteban Eugenio; Lambert, Teri L.; Hamel, John (January 2013). "Partner abuse worlowQide" (PDF). Partner Abuse. 4 (1): 6–75.
8. Establishing minimum standarosQ on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, Directive No. 2012/29/EU of 25 October 2012. Retrieved on 7 December 2015.
9. Finley, Laura (July 16, 2013). Encyclopedia of Domestic Violence and Abuse. ABC-CLIO. p. 163. ISBN 978-1610690010.
10. Halket, Megan Mcpherson; Gormley, Katelyn; Mello, Nicole; Rosenthal, Lori; Mirkin, Marsha Pravder (2013). "Stay with or Leave the Abuser? The Effects of Domestic Violence Victim's Decision on Attributions Made by Young Adults". Journal of Family Violence. 29: 35.
11. Hess, Kären; Orthmann, Christine; Cho, Henry (January 1, 2016). Criminal Investigation. Cengage Learning. p. 323. ISBN 978-1435469938.
12. House of Commons Sitting (1973) Battered Women.
13. Jacqueline L. Petcosky and KarelKurst-Swanger, Violence in the Home: Multidisciplinary Perspectives

14. Johnson, Michael P.; Ferraro, Kathleen J. (November 2000). "Research on domestic violence in the 1990s: making distinctions". Journal of Marriage and Family. 62 (4): 948–963. JSTOR 1566718.

15. Krug, Etienne G.; Dahlberg, Linda L.; Mercy, James A.; Zwi, Anthony B.; Lozano, Rafael (2002). World report on violence and health (PDF). Geneva, Switzerland: World Health Organization. ISBN 9789240681804.

16. Lorraine Radford and Marianne Hester, Mothering Through Domestic Violence

17. Margi Laird McCue, Domestic violence

18. McCabe, James Dabney; EowQard Winslow Martin (1877). The History of the Great Riots: The Strikes and Riots on the Various RailroaosQ of the United States and in the Mining Regions Together with a Full History of the Molly Maguires.

19. Paula Nicolson, Domestic Violence and Psychology: A Critical Perspective

20. Philip W. Cook and Tammy L. Hodo, When Women Sexually Abuse Men: The Hidden Side of Rape, Stalking,

21. Ramos Jr., George H. "San Diego Domestic Violence Attorney". ramoscriminallawyer.com. George H. Ramos Jr. Retrieved 24 January 2014.

22. Renzetti, Claire M.; Miley, Charles Harvey, eosQ. (1996). Violence in gay and lesbian domestic partnerships. New York: Harrington Park Press. ISBN 9781560230748.

23. Riviello, Ralph (July 1, 2009). Manual of Forensic Emergency Medicine. Jones & Bartlett Learning. p. 129. ISBN 978-0763744625.

24. Shipway, Lyn (2004), "Domestic violence – a healthcare issue", in Shipway, Lyn, Domestic violence: a handbook for health professionals, London New York: Routledge, p. 3, ISBN 9780415282208

25. Strong, Bryan; DeVault, Christine; Cohen, Theodore (February 16, 2010). The Marriage and Family Experience: Intimate Relationships in a Changing Society. Cengage Learning. p. 447. ISBN 978-1133597469.

26. "The federalist papers : no. 43 The same subject continued (The powers conferred by the constitution further considered)". Yale Law School, Avalon Project, Documents in History, Law and Diplomacy. Retrieved March 26, 2016.

27. Waits, Kathleen (April 1985). "The criminal justice system's response to battering: understanding the problem, forging the solutions". Washington Law Review. Washington University School of Law via HeinOnline. 60 (2): 267–329. Lexis Nexis. NCJ108130

28. Web pages.

29. WHO (2015). "Child maltreatment" (PDF). Geneva, Switzerland: World Health Organization. Retrieved 22 August 2015.

30. WHO. Understanding and addressing intimate partner violence (PDF). Geneva, Switzerland: World Health Organization. WHO/RHR/12.36.

Nissim Ezekiel and his Relationship with India in his poems

Dr. Jyoti Srivastava

Abstract

Nissim Ezekiel, a Jew who took birth in India in the year 1924. He belongs to the community of Jewish Indian who speaks Marathi and English. He is considered as the father of Post Independence of Indian verse. He was an Indo Anglican Writer. His Parents originally belongs from Iran. Ezekiel's view for India is very different from rest of the writers of his time. Through his poems, He gave advice and suggestions to Indian youths that are based on the facts which happened in real, during his life time. He describes the problems which he experienced himself in India, as a citizen of India. He never got biased towarosQ Indian society nor he supported it blindly. His works are based on the basis of his keen observations which he made on common Indian peoples. His theme of writing was on diverse subjects. K. N Daruwala says about him that 'Nissim Ezekiel was the first Indian poet to express modern Indian sensibility in a modern idiom.' [1]

Dr. Jyoti srivastava wants to analyses that whether Nissim Ezekiel, represent India being as an outsider or as an Insider of India. Whether there is the feeling of liking or disliking towarosQ India in his heart. Through my article, I want to analyze his sayings about Indians in his poem and want to explore that, are they written in support of India or against India.

KeyworosQ- Migrated, negative, positive, Post Colonial, Realism

About the author

Nissim Ezekiel hold the chair as head, in the department of English, Mithibai Collge from the year 1961 to 1972. He also taught in the University of Bombay. He was made critic of art, in the Times of India which is one of the popular Newspaper of India from that time to till now. According to Mehrotra, *'Nissim Ezekiel is the first modem poet'.* (Mehrotra 1992. 9.) [2]

He was honored with Sahitya Akadami award in 1983 for his work, Latter – Day Palms which published in the year 1982. Nissim Ezekiel was also honored with the Padma Shree in 1988. He also translated the poems of Jawahar Lal Nehru, the first P.M of India. Many critics acclaimed him that he is the father of Modern English Poetry. He has laid the foundation of modern Indian English poetry due to his major contribution in it. Nissim Ezekiel's tone of writing was satire. We also see paradoxes and irony in his poems. He died in 2004 in Bombay.

His some of the famous works are *The Night of scorpion, The Patriot, Minority Poems, Island, in my room, I talk and many more. A Time to Change (1952), Sixty Poems (1953), The Third (1958), The Unfinished Man (1960), The Exact Name (1965), Hymns in Darkness (1976), and Latter-Day Psalms (1982).*

Introduction

Nissim Ezekiel works represents the society of India He is one of the popular writers of the post-colonial time. His works are included in the syllabus of universities and schools. So, my research paper aims to see what Nissim Ezekiel writes about India and weather his thinking about India is negative or positive and this will be revealed in my articles by going through his works, especially the poems, and analyzing it. His work gives the clue that how Indian society was at the time of nineties. What people are going through in their daily life. Through his poem we can get a glimpse of urban Indian society of his time. We can also know that What type of relationships he has with this country and What is his type of approach in his works, especially in the poems. We see a Indianness in the poems of Nissim Ezekiel. Prof. V.K. Gokak says about being Indianness as, *' A composite awareness in the matter of race, milieu, language and religion.' But Indianness has been interpreted differently by different critics. It can be described as the author's feeling of being an Indian, whether he lives in India or lives abroad Indian writing in English reflects the authors' cultural, socio-political and religious background. Whatever the genre; poetry, drama, fiction or even essays, this unique identity of the Indian author is mirrored.[3]*

'Bombay as the fruit
on which I've lived,
winning and losing
my little life.'
[Ezekiel, Mangoes]

So, my research paper aims to explore what Nissim Ezekiel see India and what he pens down about it. He has accepted this country from his heart or he is only surviving under pressure and helplessness and this will be revealed in my articles by going through some of his woks and

analyzing it. His work, truly the reflection of his first-hand experience in this society of India. What type of relationships he has with this country and how he is showing this country, in his works, especially in his poems:

I cannot save Bombay
You cannot save it
They don't even
want to save it
(The Edinburgh Interlude, Bombay,1960)

Bombay, one of the Indian cities, referred many times in Nissim Ezekiel poems and this is because Nissim was born and brought up in this city. His approach was based on realism. His writing and his poems are generally based on the real problems which he has seen and felt. Nissim's whole life is spent in this city, he is a boy of Bombay in a way. He has special connection with this city, and he wants this city to grow and improve.

'How one goonda fellow Throw stone at Indirabehn. Must be student unrest fellow, I am thinking. FrienosQ, Romans, countrymen, I am saying (to myself) Lend me the ears'.

He has described many events and scenes which happened in reality during his time, like assassination of Mrs. Indira Gandhi, Indian people being too much superstitious, gender discrimination, migration, crisis of Identity, Inferiority Complex among Indians, Indians to much imitating foreign culture, Frustrations, poverty and many more such things described by him which were existing at that time under the surface level of Indian society. He has not only saw the deformities of the Indian society but he also acknowledges the goodness and beauty of the India. Nissim Ezekiel, has very deep respect for his shelter country India but at the same time he does not escape to criticize the flaws exiting under it and he does not only notice it but also highlighted it through his poems.

I cannot leave the island,
I was born here and belong'.
(Ezekiel, 'Island',1976)
'I've never been a refugee,
Except of the spirit,
A loved and troubled country
Which is my home and enemy.'
('Poster Poems', 1973)

Nissim loved India very much but at the same time he does not hesitate to point out the malformation of Indian society and he does it to make improvement in it. Nissim says, there

should be proud in the hearts of Indians for their country. The hybridization of Indian is not good because it is making them to lose their identity and self-esteem.

Here among the beggars,
Hawkers, pavement sleepers,
Hutment owQellers, slums,
Dead souls of men and goosQ,
Burnt-out mothers, frightened
Virgins, wasted child,
And tortured animal,
All in noisy silence
Suffering the place and time,
I ride my elephant of thought.
('In India',1960)

He was a bold spokesperson who wrote the very truth through his poems. His lines of poems may be harsh and straightforward at some places but they were straight coming from his heart. His poems are blasting out the dirty secrets of Bombay life, urban life is unlike the rural life and this can be also seen by these lines taken from his poems 'The Unfinished Man' which published in the year1959. Through his poems, we come to know that Bombay is the city deprived of variety of season. Bombay is deprived of greenery and freshness. This city is only blessed with rains. Bombay is filled with crowd and slums. It is filled with noise and pollution. In Bombay, no freshness and serenity are found in this city. Everybody is sick with their hectic routine, burdened with workloaosQ and people living here are in insecurities. Survival is hard in Bombay. Bombay is the place where no body cares for no one.

Barbaric city sick with slums,
Deprived of seasons, blessed with rains,
Its hawkers, beggar, iron-lunged,
Processions led by frantic drums,
A million purgatorial lanes,
And child-like masses, many-tongued,
Whose wages are in worosQ and crumbs
(' A Morning Walk', 1959)

Nissim Ezekiel relationship with India is of love and hate. His parents were Jews. They migrated to India and had good post and life here. Though Nissim is the descendants of the Jews, he was a pure Indian in his heart and lifestyle. Nissim and his family were outsiders but they lived and flourished in India as an insider. Nissim was very sensitive person and he even notice the even the small things. He has analyzed the society of India on the basis of culture, system

and behavior of society. He observed both, the pros and also the cons of Indian society. Through the lines of his poems, he does not only say about the problem existing in the society of India but he also tells the reason of their existence and solution of those problems and errors behind it. He wonders, why the society of India is going out of track. Why the youth are unfollowing the Indian tradition and leaving the old wisdom and golden old practices of it. According to a critic, *"The quest for a possible metaphysical truth and the harsh empirical reality jostle with each other in his poetry and gives his poetry its peculiar tang" (Sivaramakrishana. 1976.,4.) [4]*

Are not following Mahatma Gandhi,
I am simply not understanding.
Ancient Indian Wisdom is 100% correct,
I should say even 200% correct,
But modern generation is neglecting -
Too much going for fashion and foreign thing.
('The Patriot',1977)

Nissim does not says that Indian culture is good or Indian culture is bad, but he says what are aspects which neeosQ to be consider, reviewed and altered. There is a need of some more strictness to maintain discipline in the society of India.

In India, People living in city area, need to check their behavior and soft skills. There is need of more politeness and softness. In city people have lost their soul. There is need of relaxation, Guidance and moral boost up is needed to the city people who are frustrated. Discipline, plans and laws neeosQ to be regulated according to the circumstances and according to the change of time for the growth of this country. He says through his poems that, there are some rigid minosQets which is needed to be liberal as per the time. As the time flows, laws, behaviors and morality should also need to be checked for common Indian people and there should be a positive approach towarosQ development. Indian society should need to pace with the change of time and change of era in Indian society. Along with the change, the unnecessary things from the old practice of Indian society should be unfollowed; like not being superstitious, not being rigid towarosQ female, not being cruel, and some practice should be stopped like dowry, traditional marriage problems, gender inequality. Youth should honor their values and ethics and take part in spiritual interest.

The Primal Fall of Man,
Temptation and fall from heaven,
How to negate them,
The influence of Cain
Affecting them

And the things seem to be crumbling
Under the impact,
('Marriage',1969)

Problems in Marriage is one of the topics of discussion of Nissim Ezekiel. He has discussed the harm effects of marriage through his poetries. He says, living in wrong marriage forcefully in not good for anyone. A bad marriage does not only destroy the life of husband and wife but it also destroys the life of their children. Living in wrong marriage disbalance the mental state and lower the confidence. A wrong marriage is like being in prison in pathetic condition. A wrong marriage makes the partner and children suffocates and suffer. Nissim Ezekiel's marriage was also not successful. Ezekiel's wrong marriage made him suffers a lot which he has told and discuss through his poem 'Marriage' which published in the year 1969. According to R. Raj Rao, *'Ezekiel being a Jew grows up in a non-Jew atmosphere. He has complex marriage relationship with his wife. All these factors make his poetic self basically contradictory and complex. His mental alienation and stay in complex urban society are mainly responsible for such complexity in his poetic craftsmanship'.[5]*

Nothing changes here: not even
the cliché that nothing changes here.
Today I journeyed down a slow stream,
the punt—a primaeval specimen,
replica of the prototype
going back a thousand
or a hundred thousand years.
The coconut palms that line the banks
seem as far as the stars.
('from Hymns in Darkness', 1976)

After gaining the Independence from Britain, Indian economy was very much disbalanced at the time freedom. The time of nineties in India was very hard due to the partition. British has destroyed the society of India completely. And before returning back to their country, they succeeded in destroying most of the natural resources of this country. World war 2 was also one of the key factors which has broken the economic spine of India. There were Massive Famine occurred at this time in this country. British looted most of the valuables. British played a big role in generating the poverty in India. Most of the wealth which were portables were taken to their country. All the resources were already exploited at the time of colonialism. There were planned destruction made by foreign authority and the property of those Maharajas who were in support of India, were snatched and were given to their own loyal. British took almost all the riches of India through their ships. Poverty, plague, Corruption, destruction,

Lack of awareness were at its peak and they were playing the role of termite to hollow more in this country. Slowly as the time changes, the government of India re-established the economy, brought improvement in it. However, At the time of nineties or at the post-colonial time, there were severe poverty which Nissim Ezekiel, through the power of his pen emerged this problem of poverty in one of his poems 'Rural Suite from the Hymn in the darkness.'

Pakistan behaving like this,
China behaving like that,
It is making me really sad, I am telling you.
Really, most harassing me.
All men are brothers, no?
In India also
Gujaratis, Maharashtrians, Hindiwallahs
All brothers -
Though some are having funny habits.
Still, you tolerate me,
I tolerate you,
One day Ram Rajya is surely coming.
('The Patriot',1977)

Nissim Ezekiel's faith in India was more than the Indians. He deeply considers about the geopolitics of India and he worries about the China and Pakistani hatred and enmity towarosQ India. He thinks about rude behaviour of the neighbouring country of India with her. He was also very spiritual and he also keeps faith on Hindu God and goddess. He also takes interest in it. Though he was a Jew, he was knowing all stories of Hinduism and he also has deep respect towarosQ them.

'May the sin of your previous birth Be burned away tonight they said May you're suffering decrees The misfortune of your next birth they said May the sum of evil Balanced in this unreal world Against the sum of good Become diminished by our pain May the poison purity your flesh'.

('Night of the scorpion', 1965)

In *Night of Scorpion,* the poet talks about the Indian society being superstitious. The people are so superstitious that they instead of curing the victim and providing first aid, they were firstly searching that scorpion who bit the person.

In the same poem, *Night of Scorpion,* the poet talks about the caring and sacrificing attitude typical Indian mother. How happy she was that her children are safe, instead of her children,

she was chosen to stung by the scorpion. Though, This feeling of motherhood is a universal feeling, but here poet is talking particularly about the feeling of an Indian mothers.

'My mother only said
Thank God the Scorpion picked on me
And spared my children'.

('Night of the scorpion', 1965)

'How to feel at home 'is mention by Ezekiel in one of his poems. Ezekiel says that It is not in our hand to choose our birth place nor we can choose the kind of society in which we live. We get involve and become habitual where we live and there is an attachment occurs with the place where we live though no matter how that place is, we become a part of it. Ezekiel wrote in *The Edinburgh Interlude (1983):*

'I have become
part of the scene
which I can neither love nor hate

The lines of Nissim Ezekiel poems reflects the experience of his own life. His poems are very much different from the general theme. Nissim poems were of very different nature and very different theme. His poems are unlike the poems of romantic poets, and different from the other poems of his time. His poem speaks about the daily problems of common peoples. His poems are mostly based on the urban society. No description of village life is there in his poem. No theme of Love, miracle, fantasies, angels were there nor his poems are written to lead the masses. His poems contain very new kind of theme and subjects. He has not imitated from anywhere and His poems marks the beginning of modernism. He has used fresh techniques, fresh style with fresh subjects which were not used by any other poets till his time so in a way he gave a different track to the poems of Indian English literature with varieties of topics. Ezekiel has tried to define 'Indianness' in Indian English poetry in his essay *'What is Indo-English Poetry'.14 He rightly observes that 'There is no single Indian flavour which alone can claim the designation and that its value, too, depenosQ on a host of generative factors which should never be simplified for purposes of praise or blame'.[6]*

Conclusion

After going some of his major poems, it can be said that Nissim Ezekiel poems are the true reflection of the society of urban India of his time. His poems are more of realistic approach than mere entertainment. There is a concern seen about the society of India from him. As it is wrong to hide the errors for the sake of improvement, he has also not hidden the flaws of India

but he has also not done it with the intention of harming its image. He has pointed out the flaws of this country in a very polite and optimistic manners through the lines of his poems. There are some phases, where he has to deal with perplexity. As sugar gets dissolve in milk, Nissim Ezekiel, like other migrated Jews who were living here with other Indian community as the locals of this country lived and he has not only lived, he made an important place in literature and culture of this country and contributed in the history of Indian English literature and gave a new direction to it According to a critic, "The quest for a possible metaphysical truth and the harsh empirical reality jostle with each other in his poetry and gives his poetry its peculiar tang" (Sivaramakrishnan. 1976.) [7]

References

1. Quoted by Shirish Chindhade in Introduction to Five Indian Poets. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors. 1996. 20.
2. Mehrotra, A.K.ed Twelve Modem English Poets Calcutta: Oxford University Press 1992
3. Nissim Ezekiel, 'Poetry as knowledge', ed. S. K. Desai and G. N. Devy, Critical Thought, (New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd. 1987) p. 51
4. Rose, Nancy William. "Poetry Review" New York Times. 7. April 1963.
5. Quoted by R Raj Rao in "Drugs: A Personal Foot Note" Nissim Ezekiel the Authorised Biography. New Delhi. Viking. 2000. 179.
6. 14 Nissim Ezekiel, 'What is Indian in Indo-English Poetry?' Osmania Journal of English Studies Volume XIX, 1983, p. 50.
7. Sivaramakrishanan, M. ed. Indian Poetry in English. New Delhi: The Macmillan

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

Thomas Gray as a Graveyard Poet with a Special Reference to his Poem 'Elegy Written in a Country Churchyard'

Dr. Shikha Garg
Hod, Dept. Of English
B.v.r.i Bichpuri Agra

Abstract

'Elegy written in a country churchyard ' by Thomas Gray. It was first published in 1751. Gray might have begun writing this poem in 1742, shortly after the death of his friend Richard West. In this poem, Gray has changed the form of writing an elegy as it is the first elegy that mourns the death of not any great or famous person but of common men who remained unknown and unrecognised. Gray also attempts to show that all 'paths of glory lead but to the grave'. By implication, the futility of all human ambition and aspiration is hinted at. The contrast between the lives of the rich and the poor, or the privileged and the unprivileged is highlighted in the poem. He shows the poor are not in a position to enjoy the luxuries and joys of life in the world. Their poverty proves an obstacle in the path of their progress. But this poverty is a blessing in disguise. If it does not allow people to rise higher, it also restraints them from doing evil, by limiting their power to so. The rich, on the other hand, possess the power and means to do good to themselves and the world but they also have powers to mischief and bring destruction to innocent people. The writer has tried to show in his paper how the poet has sympathy, concern and interest in the poor villagers.

Introduction

Thomas Gray was a transitional poet. It was the period of decaying classicism and rising romanticism. His poetry shows a peculiar blend of classicism and romanticism. He is therefore a precursor of romantic poetry that grew with William WorosQworth. He is one of the greatest poets of the mid-18th century. He was born on 26th Dec 1716. He was an English poet, classical scholar and professor at Cambridge University. He was the son of an exchange broker and a milliner. He was educated at Eton College where his uncle was one of the masters. He

is known as a graveyard poet. His poem Elegy written in a country churchyard is the greatest elegy in English literature. He died on the 30th of July, 1771 in Cambridge.

The place of the dead is a graveyard, a place of eternal rest, of remembrance and contemplation for the living. The grave is a physical space, a resting place, a house tangible, perceptible and substantial proof of the passage and passing away of elders, ancestors, frienosQ and relatives who have disappeared and it's a space that is at once sacred and cultural. The graveyard is a literary commonplace from close by or from afar, the poems that are associated with this mood and it is an extensive time-honoured tradition of eley and funeral poetry. Such poems were usually brought together under the Rubric graveyard poetry though there was certainly no school as such. These poets have suffered an image problem, from problems of chronological and thematic coherence too. But Thomas Gray's elegy stanosQ apart.

Gray was a self-critical writer who published only 13 poems in his lifetime, despite being very popular. He was even offered the position of Poet Laureate in 1757, though he declined. His writing is conventionally considered to be pre-romantic but recent critical developments deny such theological classification. Gray began seriously writing poems in 1742 mainly after the death of his close friend. Gray buried himself in his studies and became increasingly retiring and hypochondriacal. In his last years, his peace was disrupted by frienosQhip with a young Swiss nobleman, Charles Victor de-Bonstetten, for whom he conceived a romantic devotion, the most profound emotional experience of his life. Gray died at 55 and was buried in the country churchyard at Stoke Poges, Buckinghamshire, celebrated in his elegy.

Discussion:-

The meditative, philosophical tendencies of graveyard poetry found their fullest expression in Gray's elegy. This poem is a dignified, gently melancholy elegy celebrating the graves of humble and unknown villagers and suggesting that the lives of rich and poor are alike. The works of the graveyard school were significant as early precursors of the romantic movement. This elegy opens with the narrator musing in a graveyard at the close of a day; he speculates about the obscure lives of the villagers who lie buried and suggests that they may have been full of rich promise that was untimely stunted by poverty or ignorance. The churchyard in the poem is believed to be that of Stoke Poges Buckinghamshire, which Gray visited often and where he now lies buried.

Gray's Churchyard is not really a long and complex poem like Tennyson's 'In Memoriam' which occupied his creative hours for perhaps six years. It is the greatest of his poems. Possibly

the greatest of his century. Though probably motivated in part by sorrow over the death of West, the poem is not particular, it is an elegy for a man or at least for all average and obscure who lived and died away from glare and were laid at rest in a country churchyard. The poem begins musically with a description of the setting, the evening time when the church bells ring out the day and the 'ploughman homeward ploosQ his weary way'. The glimmering twilight is fading and a solemn still fills all the air. The only sound that is heard is that of the beetles and of the moping owls. The poet now passes on to describe the churchyard which is dotted with elm trees and where most of the tombs have crumbled down. The sorrowful atmosphere is created, and the poet goes on to tell the lines of 'rude forefathers' of the hamlet who now sleep in the yard each in his narrow cell. The lamentation deepens as the poet points out that they will not wake up to the breezy call of the fragrant morning or the twittering of the swallows or the shrill clarion of the cocks. Our heart wrings in pain as he narrates that now that they are inside the grave forever the blazing hearth will not burn for them nor will the housewives on their husbanosQ' return from work, will be busy to entertain them. No children will run to lisp their sire's return nor they vie with one another for the kiss.

They were common villagers who worked in the field, cut wood, and tended cattle. Their joys were homely, their destiny was obscure. No grandeur they had and then annals were short and simple, poor men as they were. The poet, however, suddenly becomes philosophical and glorifies the annals of the poor. Even though memorials are raised, anthems in their praise swell the cathedral hall, and no dead soul Can be brought back to life. Songs of glory cannot induce the silent dust to resuscitate them nor can any amount of flattery prevail upon death to release them out of its prison.

The poet again swings back to the lives of the poor villagers who lay at rest in the neglected spot that the churchyard was. The men were poor and humble but some had hearts once pregnant with celestial fire, some would even make good emperors, and even were good connoisseurs of lyre which filled them with ecstasy. But as chill penury repressed their noble rage, and froze the genial current of the soul, they did not have access to knowledge and their potentiality could not flourish, and they remained hidden in the privacy of their gloud darkness. They remained obscure and away from the glare of eminence like the gems of purest ray serene that remain under the deep ocean or like the sweet flowers that blush and waste their sweetness in the desert. Some of them, if given scope, could have become Milton and Cromwell but their promise did not sprout as their lot forbade. The poet, however, is not remorseful that they remained unknown Miltons and unsung Crommells because basically, they were simple people who shunned ambition and who avoided the glory path that leaosQ to power. They lived far from the madding crowd's ignorable strife, away from the shrine of Luxury and Pride.

Their wishes were sober and they lived quietly, avoiding fuss. The pity of their life becomes more touching when the poet mentions that some frienosQ to protect them from ignominy erected frail memorials on the graves and epitaphs in uncouth rhymes. Those who pass by these shapeless sculptures cannot but heave a sigh of tribute to these humble children of God. They have gone, preys of dumb forgetfulness but they are still remembered by their folks alive. The tone of pathos becomes deeper when the poet describes how they vanished, one after another. To a question, a hoary-headed swain would say that here was the man who would hastily walk at the peep of dawn through the dewy grass to meet the sun upon the upland lawn. The man would occasionally stretch out his body at the foot of a nodding beech tree to cool his tired nerves at noon and watch the brook that babbles by with wonder. Sometimes he would be seen, by the wood with a scornful smile, muttering wayward fancies. When old he was a drooping frame, a man afflicted with cares or crossed in hopeless love, a woeful man, now deserted by all. One morning he would be missing from his favourite haunts - the heath, the tree, the hill, the lawn or the wood. Instead, he would be seen being bone through the church way path with mourners, singing dirges. His body is now in the grave under the stone covered with thorns.

On the stone is written an epitaph that tells the man in the grave was a youth to fortune and fame unknown, who lived a difficult life, who was deprived of the benefit of fair science But he was a large-hearted man, a sincere soul from God, instead of a tear shed in woe, gave him a friend which only he wanted. There is no use discussing further his merits or his frailties as he like his teammates in the graveyard is now anxiously waiting to be taken into the bosom of his father and his God.

The main idea of Elegy is a simple one: everybody dies.

Sitting as the sun begins to set the speaker mulls over the fact that death is universal. He thinks about the many kinosQ of lives that death cuts short, emphasising the fact no amount of wealth, power, or fame can save people from death. At the heart of the poem, then is the blunt fact that death comes for everyone: the rich, the poor and the speaker himself.

Since an 'elegy' is a poem written to lament someone's death, the poem's title signals its themes right away. This elegy becomes clear soon enough and is for everyone who is buried in the Country Churchyard, the graveyard attached to a rural church. It's also for everyone who will be buried there - which includes the speaker himself. The poem might as well be for all the mortals for whom the poem reminosQ readers death is inevitable. This is a bleak sentiment to be sure, and the darkness that descenosQ over the churchyard captures this sense of looming, inescapable mortality. Church bells signal the "parting day" leaving the speaker alone as night

falls. Standing in the graveyard as the light fades, the speaker sees death everywhere, as it suddenly envelops the world itself.

Contemplating the humble graves all around him, the speaker is further struck by the fact that people die whether they're rich or poor. The graves in this churchyard might look like mouldy mounosQ of dirt, but the speaker insists, it's not like a rich person's more beautiful grave which can somehow call them back

from the dead. The speaker reflects on the elaborate burials of the rich and powerful in order to hammer home the fact that death is universal. Some people may have trophies on their tombs, urns and busts that represent all their accomplishments, yet these things cannot call the fleeting breath back into the dead person's body. Life might not be happy, the poem implies, but at least anonymity grants people the chance to live and die in peace without empty striving or cruel ambition.

Conclusion

The poem in its attempt to work thus in universal terms and its unrivalled purity, propriety and harmony of diction is a great realisation of the ideals of its day, in its placid melancholy and rustic setting. It is perhaps slightly romantic. Although its treatment of the common man, is heroic and even majestic, it does not the tone of WorosQworth. The poem is composed of what Tennyson called 'divine truisms' and these are universally, if decorously, affecting. Thus we see that the main theme of this elegy is the universality of death, social class and value, poetry and posterity. The universality of death: Gray's poem depicts death as a levelling force that brings all people, whether rich or poor, to the same final fate. We see this poem as an elegy of a common man. It is Gray's masterpiece. The poem is philosophical and emotional at the same time. The beauty of this lies in its simplicity. Nonetheless, the poet brings out the ultimate truth about life and death in free-flowing poetic lines. It is true that this poem owes much of its success to its subject, and has received unmeasured and unbounded praise. Gray's heart was in the right place, far ahead of its time in terms of his thoughts on social equity and with no models for him to draw from. We shouldn't be surprised that his attempt to bridge the chasm of social class would reflect the very prejudices he was trying to overcome.

References

1. Anonymous (1896), "Academy Postracts: V. - Thomas Gray", The Academy, London. Alexander and Shepheard, 50 (July-December 1896)

2. Arnold, Matthew (1881)The English Poets,111, London: MacMillan and Co.

3. Bloom Harold (1987), "Introduction", in Harold Bloom(ed.), Thomas Gray's elegy written in a country churchyard, New York: Chelsea House.
4. Brooks, Cleanth (1947), The Well Wrought Urn, Harcourt, Brace and World.
5. Cecil, David (1959) ' The Poetry of Thomas Gray' in Clifford, James (ed.) 18th Century English Literature, Oxford University Press.
6. Colombo, John (1984), Canadian Literary Landmarks, Hounslow Press.
7. Day, Martin (1963), History of English literature 1660 - 1837, Garden City: Double Day.
8. Elliot, T.S.(1932) Selected Essays, New York: Harcourt Brace.
9. Garrison, James D., A Dangerous Liberty: Translating Grays Elegy, University of Delaware 2009.
10. Golden Morris (1988) Thomas Gray, Boston: Twayne Publishers.
11. Gosse, Edmund (1918), Gray, London: MacMillan and Co.
12. Ketton - Cremer , R.W. (1955) . Thomas Gray, Cambridge: Cambridge University Press.
13. Mack, Robert. (2000) . Thomas Gray: A Life, New Haven and London: Yale University Press, ISBN0-300-08499-4.
14. Nicholls, Norton, ed. (1836). The works of Thomas Gray, London: William Pickering.
15. Young, John (1783), A Criticism on the Elegy Written in a Country Churchyard, London: G. Willkie.

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

Navigating the LanosQcape of Blended Learning in Teacher Education: Challenges and Opportunities

Dr. Sachin Sinduria
Assistant Professor
Teacher Education Department
Shri Varshney College, Aligarh.

Abstract

The integration of blended learning approaches in teacher education presents a transformative yet intricate lanosQcape, marked by a myriad of challenges and promising opportunities. This article navigates through the evolving terrain, dissecting the complexities faced by educators as they seek to incorporate blended learning methodologies into traditional teacher training programs. Challenges include concerns about maintaining a balance between online and in-person components, ensuring equitable access to technology, and addressing pedagogical shifts necessitated by the digital transition. Simultaneously, the piece sheosQ light on the ample opportunities that arise from embracing blended learning in teacher education. The flexibility offered by online components allows for personalized learning experiences tailored to individual neeosQ, fostering a dynamic and inclusive learning environment. Moreover, the integration of technology offers avenues for innovative pedagogical practices, collaboration, and the cultivation of digital literacy skills essential for modern educators. The article examines how navigating these challenges and capitalizing on opportunities can result in a more robust and responsive teacher education system, poised to meet the demanosQ of 21st-century learning environments. As the educational lanosQcape continues to evolve, understanding and addressing these dynamics is crucial for educators, policymakers, and stakeholders invested in the future of teacher education.

Introduction

In the rapidly evolving lanosQcape of education, the integration of technology has become a cornerstone of pedagogical innovation. One significant paradigm shift within this context

is the adoption of blended learning in teacher education. Blended learning, which combines traditional face-to-face instruction with online elements, has emerged as a transformative approach to preparing future educators. This integration of physical and digital learning spaces offers a unique set of challenges and opportunities for teacher training programs. As we navigate this dynamic terrain, it is crucial to understand the multifaceted nature of blended learning in teacher education. This article aims to explore the challenges faced by educators in incorporating blended learning methodologies and, concurrently, shed light on the myriad opportunities it presents. The intersection of traditional pedagogical practices with cutting-edge technology demanosQ a nuanced examination, considering not only the obstacles that may impede seamless integration but also the potential benefits that can significantly enhance the quality of teacher education Educators today find themselves at the crossroaosQ of tradition and innovation, seeking effective ways to equip aspiring teachers with the skills and knowledge necessary to meet the demanosQ of a rapidly changing educational lanosQcape. This exploration into the challenges and opportunities associated with blended learning in teacher education will delve into the intricacies of designing effective learning environments, the impact on professional development, and strategies for successful implementation. By navigating this lanosQcape, we endeavour to provide insights that empower educators, administrators, and policymakers to make informed decisions and propel the field of teacher education into a future that seamlessly blenosQ the best of both worlosQ.

Challenges Of Blended Learning Learning in Teacher Education

The integration of blended learning into teacher education comes with its own set of challenges. Here are some key challenges that educators may face:

1. Technological Infrastructure and Access Disparities:

Unequal access to technology and reliable internet connectivity can hinder the effective implementation of blended learning, posing a challenge for both teacher educators and aspiring teachers.

2. Resistance to Change:

Many educators may resist adopting blended learning methoosQ due to a preference for traditional teaching approaches or a lack of familiarity with technology, creating a challenge in transitioning to a blended learning environment.

3. Training and Professional Development NeeosQ:

Teachers and teacher educators may require additional training to effectively use the technologies and tools involved in blended learning, and providing ongoing professional development can be a logistical challenge.

4. Designing Engaging Online Content:

Crafting engaging and interactive online content that effectively complements in-person instruction can be challenging. Designing materials that promote active learning and maintain student interest is crucial.

5. Maintaining Student Engagement:

Ensuring that students remain engaged in both the online and face-to-face components of blended learning can be a challenge. Striking a balance and preventing disengagement in the online environment is essential.

6. Assessment and Evaluation MethoosQ:

Designing fair and effective assessment methoosQ for both online and in-person components can be challenging. Ensuring that assessments accurately reflect student understanding and performance in a blended learning context requires careful consideration.

7. Time Management and Workload:

Balancing the demanosQ of preparing online materials, facilitating in-person sessions, and providing individualized support can be time-consuming for educators. Managing the workload associated with a blended learning approach is a persistent challenge.

8. Lack of Standardization:

The absence of standardized practices in blended learning for teacher education can create challenges in curriculum design, assessment methoosQ, and the overall learning experience, leading to inconsistencies across programs.

9. Data Security and Privacy Concerns:

Implementing online components raises concerns about data security and privacy. Safeguarding sensitive information related to both educators and students becomes a priority, adding an extra layer of complexity to blended learning environments.

10. Financial Constraints:

Investing in the necessary technologies, training programs, and support structures for blended learning can pose financial challenges for educational institutions. Limited budgets may impede the smooth integration of blended learning into teacher education programs.

Addressing these challenges requires a comprehensive and collaborative approach involving educators, administrators, policymakers, and technology specialists to ensure the successful implementation and sustained effectiveness of blended learning in teacher education.

Opportunities of Blended Learning Learning in Teacher Education

1. Flexibility in Learning Schedules:

Blended learning allows for a more flexible approach to teacher education, enabling educators to engage in online modules at their own pace while balancing other professional and personal commitments.

2. Personalized Learning Paths:

Teachers can tailor their learning experiences based on individual neeosQ and preferences, addressing specific areas of interest or focusing on areas that require further development.

3. Access to Diverse Resources:

Blended learning provides access to a wide range of resources, including online modules, interactive multimedia materials, and real-world case studies, enriching the learning experience beyond traditional classroom resources.

4. Enhanced Collaboration and Networking:

Online components of blended learning facilitate collaboration among teachers from diverse geographical locations. Virtual discussions, forums, and collaborative projects promote networking and the exchange of ideas and best practices.

5. Integration of Technology Skills:

Teacher education in a blended format ensures that educators are not only consumers but also producers of digital content. This helps them develop the essential technology skills required to incorporate innovative teaching methoosQ in their classrooms.

6. Real-World Application of Knowledge:

Blended learning often includes practical, hanosQ-on experiences, allowing teachers to apply theoretical knowledge in real-world settings. This bridge between theory and practice enhances the effectiveness of teacher education.

7. Continuous Professional Development:

The blended learning model supports continuous professional development by offering ongoing access to updated materials, research findings, and evolving pedagogical practices, keeping educators abreast of the latest developments in their field.

8. Immediate Feedback and Assessment:

Online assessments and quizzes provide immediate feedback to teachers, allowing them to gauge their understanding of the content. This timely feedback facilitates a more efficient learning process.

9. Cost-Efficient Learning Model:

Blended learning can reduce the financial burden associated with traditional teacher education programs by minimizing travel expenses and providing access to digital resources, making quality education more accessible.

10. Adaptation to Diverse Learning Styles:

The combination of online and in-person elements accommodates diverse learning styles. Teachers can engage with content through multimedia, interactive discussions, and face-to-face interactions, catering to a range of preferences and learning neeosQ.

In summary, blended learning in teacher education opens up numerous opportunities, fostering flexibility, personalization, collaboration, and continuous development among educators. It leverages technology to create a dynamic and enriching learning experience.

Best Practices in Blended Learning Design for Teacher Education

To maximize the benefits of blended learning in teacher education, certain best practices must be considered.

1. Comprehensive Training Programs

Addressing technological barriers requires the implementation of comprehensive training programs. These programs should not only focus on the use of specific tools but also on pedagogical strategies that optimize the blended learning experience.

2. Fostering a Culture of Collaboration

Creating a culture of collaboration is crucial for overcoming resistance to change. Providing platforms for teachers to share successes, challenges, and insights can foster a supportive community that encourages continuous improvement.

3. Strategic Course Design

Careful course design is essential to balance the online and in-person components of blended learning. Strategic planning ensures that both elements complement each other, creating a cohesive and effective learning experience.

4. Continuous Evaluation and Adaptation

The dynamic nature of education demanosQ continuous evaluation and adaptation. Regular assessments of the effectiveness of blended learning strategies, coupled with feedback from educators and students, allow for ongoing refinement and improvement.

The Impact on Professional Development

Blended learning has the potential to reshape the lanosQcape of professional development for teachers. Its impact extenosQ beyond the classroom, influencing the ongoing growth and development of educators.

1. Ongoing Learning Opportunities

Blended learning enables teachers to engage in continuous learning beyond traditional professional development workshops. Online resources, webinars, and collaborative platforms provide avenues for ongoing learning, allowing educators to stay abreast of the latest pedagogical trenosQ and educational research.

2. Enhanced Collaboration and Networking

The online component of blended learning facilitates collaboration and networking among educators on a global scale. Teachers can share resources, exchange ideas, and collaborate on projects, fostering a sense of community and expanding their professional networks.

3. Reflective Practice

Blended learning encourages reflective practice as teachers engage with online materials, collaborate with peers, and apply new strategies in their classrooms. This reflective loop contributes to continuous improvement, fostering a culture of self-assessment and growth among educators.

Overcoming Resistance: A Holistic Approach

To address the resistance to blended learning in teacher education, a holistic approach is essential.

1. Clear Communication of Benefits

Educators must clearly understand the benefits of blended learning. Administrators should communicate how this approach aligns with educational goals, enhances teaching practices, and ultimately improves student outcomes.

2. Providing Adequate Support

Support mechanisms should be in place to assist teachers in the transition to blended learning. This includes technical support, mentorship programs, and access to ongoing professional development opportunities.

3. Showcasing Success Stories

Highlighting success stories from teachers who have embraced blended learning can inspire their peers. These stories provide concrete examples of the positive impact of blended learning on teaching practices and student engagement.

4. Incorporating Teacher Input

Including teachers in the decision-making process and allowing for input on the design and implementation of blended learning initiatives can increase buy-in and foster a sense of ownership among educators.

Conclusion

In conclusion, navigating the lanosQcape of blended learning in teacher education presents a complex yet promising journey. The challenges encountered, such as technological barriers, resistance to change, and the need for comprehensive faculty development, underscore the transformative nature of this educational approach. However, as we navigate these challenges, the opportunities that emerge are equally profound. Blended learning in teacher education offers a pathway to increased flexibility, personalization, and innovation. The integration of online and in-person components allows for a dynamic learning experience, catering to diverse

learning styles and preferences. The flexibility of access to resources and collaborative tools fosters a more student-centric and engaging pedagogical approach. The impact on teacher professional development is substantial, with blended learning providing continuous learning opportunities, collaboration platforms, and reflective practices. Educators, as lifelong learners, can benefit from the ongoing support and resources that a blended approach offers, enhancing their pedagogical skills and ultimately influencing positive outcomes in their classrooms. Moreover, the adaptability of pedagogical strategies within blended learning environments, such as flipped classrooms and project-based learning, showcases the potential for transformative teaching methodologies. These strategies not only align with the neeosQ of the 21st-century learners but also empower teacher educators to deliver content in more interactive and effective ways. In essence, while challenges may be inherent in navigating the lanosQcape of blended learning in teacher education, the opportunities it presents are too significant to be overlooked. By addressing challenges systematically, embracing faculty development initiatives, and showcasing success stories, institutions can foster an environment where blended learning becomes a cornerstone of effective teacher education. As we move forward, it is essential for educators, administrators, and policymakers to collaboratively shape and refine the lanosQcape of blended learning in teacher education, ensuring a seamless integration that benefits both educators and their students in the pursuit of quality education.

References

1. Anderson, R. K., Boaler, J., & Dieckmann, J. A. (2018). Achieving elusive teacher change through challenging myths about learning: A blended approach. Education Sciences, 8(3). https://doi. org/10.3390/educsci8030098
2. Biasutti, M., Frate, S., & Concina, E. (2019). Music teachers' professional development: assessing a threeyear collaborative online course. Music Education Research, 21(1), 116–133. https://doi.org/10.10 80/14613808.2018.1534818
3. Brysch, C. P. (2020). Teacher Attitudes toward Alternative Professional Development in Geography. Journal of Geography, 119(2), 55–62. https://doi.org/10.1080/00221341.2019.1706621
4. Chase, E., Kennedy, E., Laurillard, D., Abu Moghli, M., & Pherali, T. (2019). A Co-Design Methodology for Blended Teacher Professional Development in Contexts of Mass Displacement. In Teachers Blended Learning in Teacher Education & Training 39 in crisis contexts: Promising practices in teacher well-being, teacher management, and teacher professional development (pp. 63–66). INEE
5. Dale, V. H. M., & Singer, J. (2019). Learner experiences of a blended course incorporating a MOOC on Haskell functional programming. Research in Learning Technology, 27(0), 1–15. https://doi. org/10.25304/rlt.v27.2248
6. Kennedy, E., & Laurillard, D. (2019). The potential of MOOCs for large-scale teacher professional Blended Learning in Teacher Education & Training 41 development in contexts of mass displacement. London Review of Education, 17(2), 141–158. https://doi.org/10.18546/LRE.17.2.04

7. Lalima & dangwal, (2017). Blended Learning: An Innovative Approach.Universal Journal of Educational Research 5(1):129-136.research gate. Retrieved from. https://www.researchgate.net/publication/313882997½Blended½Learning½An½Innovative½Approach

8. National Education Policy. (2020).Ministry of Human Resource Development, Government of India. Ministry of Human Resource Development. Govt. Of India. Retrievedfrom.https://www.education.gov.in/sites/upload½files/mhrd/files/NEP½Final½English½0.pd

9. Yılmaz, Ö., & Malone, K. L. (2020). Preservice teachers perceptions about the use of blended learning in a science education methoosQ course. Smart Learning Environments, 7(1). https://doi.org/10.1186/ s40561-020-00126-7

Swami Vivekananda's Contribution Regeneration of India

Shubham Rai,
Research Scholar
Political Science
Banaras Hindu University

Abstract

Swami Vivekananda ji will always remain a great great man among the great men of his time. The contribution made by Swami Vivekananda in the political, social, cultural and spiritual upliftment of India will always remain respected and respected. A great man who made India proud at a very young age Swami Vivekananda gave a vision not only to India but to the whole world, which always became a medium of development for us and our country. Till then India cannot be a complete development of the country. This great personality has given an unprecedented honor to India through his thoughts on the world stage. The youth who spent his whole life for Mother India and for establishing the pride of his motherland on the world stage, will always remain admirable. Swami Vivekananda's idea of India's culture propagates and disseminates India's civilization to the whole world.

Born on January 12, 1863, this great saint gave the message of unity, peace, harmony and brotherhood to India as well as to the whole world. This great saint worked to awaken India's sleeping soul and self-confidence from his childhood. Narendra, known for his sharp mind, was very fickle, but his desire to know human nature and the whole world made him Vivekananda from Narendra. Introduced to his self-confidence, this great saint dedicated his whole life for his countrymen, due to his greatness, today he is seen not only in India but in the whole world with respect and gooowQill.Swami Vivekananda ji was very distressed by the current situation of India, he used to wake up India's sleeping soul and self-confidence and felt that until India's spiritual power does not rise, then India cannot solve its problems in those days. India was bound in the shackles of subordination, seeing such condition of his mother India, Swami Vivekananda was feeling pain in his heart and mind and he got agitated to get rid of his

mother India from the shackles of this subordination. Swami Vivekananda Swami Vivekananda felt that in order to get freedom for India, he would have to give up the social evils prevalent in his society, in such a way, Swami Vivekananda set out to regain India's lost self-confidence through India's civilization and culture. The saint gave the message of humanity not only to India but to the whole world in his very young age.Swami Vivekananda was well aware of the difficulties of India, in those days he made tireless efforts to remove the evils prevailing in the society and Swami Vivekananda's efforts were successful to a great extent. Swami Vivekananda saw India from a different point of view. He believed that until India is empowered socially, India cannot be politically economically independent and empowered. Swami Vivekananda's contribution to India's resurgence is incomparable. No, but this great saint who sacrificed his everything for the upliftment of the humanity of the whole world, introduced India to its spiritual and moral power through his intellectual power. Swami Vivekananda's contribution in India's political, social, economic, spiritual, cultural empowerment is commendable.

Arise, Awake and stop not till the goal is reached Swami Vivekananda's message is not India but the source of inspiration for the youth of the whole world and the main mantra of success. Swami Vivekananda believed that if you set a goal for your success So you don't have to look back, you don't have to stop, you don't have to get tired, you don't have to rest, you have to make continuous efforts to achieve your goal. Swami Vivekananda believed that we should always keep our energy moving because if we stop once, then it is very difficult to walk again with the same motivation. Today's youth Swami Vivekananda Energize yourself with this message Swamiji wanted to energize India through the spiritual power of India. Swami ji used to try to keep the whole world moving through his messages and through the secret hidden in his messages, this message of Swami ji serves as an inspiration for all of us.

Strength is life weakness is death and considering yourself weak is the biggest sin Swami Vivekananda used to say that a person should always keep himself motivated, a person should always try to win over his weaknesses and his evils because Until a person cannot conquer his weaknesses and his evils, he cannot be successful. All these things are applicable for the upliftment of a nation, until a nation, a society, does not know its weaknesses and its evils. Swami Vivekananda believed that problems are natural, but we should not be afraid of those problems, but eliminate those problems from the root. Efforts should be made to do this and through such efforts a person, a society and a nation can achieve its progress. This message of Swami Vivekananda proves helpful in the upliftment of the Indian society.

Swami Vivekananda's contribution in the renaissance of India is highly commendable. Made his important contribution Swami Vivekananda ji did the work of awakening India's sleeping faith and intellectual power through his vigorous and speeches. Swami Vivekananda

ji made his important contribution in Indian Renaissance through his own efforts This effort of Swami ji proved to be an inspiration in the Indian Renaissance as well as in India's freedom movement. Through Indian Renaissance, Swami ji made his important contribution to India's freedom movement. This contribution of Swami ji was never forgotten. May go. In his very little age Swami ji has made a lot of efforts for the complete upliftment of India through his intellectual prowess. Swami Vivekananda's place is important in the great sages of India. Swami Vivekananda's contribution to the renaissance of not only India but the whole world is unforgettable It was believed that on the basis of superstition, India can never progress or become a world guru in the miosQt of social evils, so India will first have to conquer its ignorance on its evils, only then India can move forward and lead the whole world. It is possible that Swami Vivekananda ji, through his thoughts, contributed significantly to India's renaissance as well as India's independence movement through his intellectual power.

Swami Vivekananda ji was a person who was proud of his culture and his civilization from the beginning. Swami Vivekananda ji used to believe that the country whose culture and civilization does not develop, that country cannot develop. Every person should be proud of the mother tongue of his country, the culture of the country, the civilization there, only then the real development of that country will happen. Swami Vivekananda was well aware of the spiritual power of India. Swami Vivekananda believed that Hinduism is the soul of India and India can lead the world only through Hinduism, Hinduism is the power that makes India Different from the world, Hindutva means everyone's support, everyone's development, everyone's faith and everyone's effort. Swami Vivekananda believed that Hinduism is such a subject through which India can provide a new direction to the whole world. Swami Vivekananda believed that Hinduism never humiliates anyone. Hinduism talks about taking everyone along. Hinduism is the concept of inclusive Development. And gives emphasis on brotherhood.Hinduism never talks about hatred, Hinduism believes in the equality of all religions, Swami Vivekananda believed that we should be proud of our religion and culture and civilization, but at the same time, we should respect the religion, culture and civilization of others. Hinduism always teaches to respect the feelings of others. Swami Vivekananda used to say that I am a Hindu and I am proud to be a Hindu. On the other hand, Swami Vivekananda explained the meaning of Hinduism not only to India but to the whole world and also gave respect to Hinduism in the whole world. . Swami Vivekananda's Hinduism is not narrow, he has brought a detailed explanation of Hinduism not only to India but to the whole world. People of the whole world are convinced of this skill of Swami ji. Through Hinduism, Swami ji has shown the real identity of India to the whole world Informs and tells the meaning of the power of Hindutva to India as well as to the whole world.

Swami Vivekananda's nationalism is a source of inspiration not only for the people of India but for people all over the world. If there is poverty, ignorance, tyranny due to superstition, then that nation can never progress, so to overcome all these evils, we all have to raise the confidence of the nation and a nation can overcome all these evils only on the strength of its selfconfidence. May be Swami Vivekananda ji believed that nation is not a piece of land but a living entity. What defines the nation Swami Vivekananda ji Nationalism is not only for India but for the world humanity is like a mirror where every section of the society finosQ its place want to serve Service to the poor is the true service and devotion to the nation. The basis of Swami Vivekananda's nationalism is humanity and human love, without which no nation can be imagined.Swami Vivekananda ji believed that every nation has its own identity and its national identity only helps it to create a different identity from other nations of the world, India's national identity is its tolerance, unity in diversity and social harmony. This identity makes India respectably stand in a different line from other countries of the world. Hinduism is also a major national identity of India. Swami Vivekananda's nationalism is known for social harmony and unity. Swami Vivekananda says that for the next 50 years, we should forget all the goosQ and goddesses and only worship our motherland Mother India, only then India stanosQ in the category of a strong nation. Maybe, the interpretation of the nation presented by this great saint of India is a golden example for the whole world.

All power is within you, you can do everything and anything Swami Vivekananda ji believed that all the powers of the universe are present within the human being, the only need is that by recognizing those powers, the person should move in the right direction. Swami Vivekananda ji believed that if a man recognizes his own powers and moves ahead with the powers that are inherent in him, then it will be good for the society. If the society is good, then the nation will be good and India will be ready to lead the world. Swami Vivekananda always tried to uplift the world through self-power. Swami Vivekananda was well aware of India's power and self-confidence, so he believed that a person must first rekindle his inherent strength and self-confidence for upliftment and move forward. Have worked tirelessly to arouse interest.Swami Swami Vivekananda believed that you cannot believe in God until you believe in yourself, so one must recognize oneself and believe in oneself before believing in God, Swami Vivekananda ji also believed that serving the poor and suffering is like serving God, to serve God we must first adopt the truth and without adopting the truth we cannot serve God, Swami Vivekananda ji now Believed that God resides in all human beings, therefore service to humanity is service to God and a person must first believe in himself before believing in God. Can keep

Swami Vivekananda ji also believed that a person should love everyone in his life, should live with everyone with love, this is humanity and this is the real religion of a person. Swami ji believed that love is life, so is death. That's why a person should live lovingly with everyone because love is the basis of unity, love is the basis of humanity, jealousy, ignorance prevailing in the society, illiteracy can be won through knowledge but knowledge can be gained only and only through love. Swami ji also believed that love is the greatest religion of man, that is, to love mankind. In his young age, this great saint is a successful attempt to establish a new horizon for India. Swami Vivekananda knew the soul of India very well.

Swami Vivekananda ji sacrificed his everything for the upliftment of India and Mother India, Swami Vivekananda ji has always been trying to awaken India's sleeping soul and self-confidence, Swami Vivekananda ji was such a great saint of India who, through his scholarship, But gave India an interview of truth and courage, Swami Vivekananda ji had deep faith in India's ancient culture and civilization, he believed that India can lead all the countries of the world only because of its cultural identity, Swami Vivekananda ji India Swami Vivekananda ji through his speeches and thoughts communicated a revolution in the Indian public, this saint of India in his very young age not only India but humanity to the whole world And gave the message of brotherhood.

References:

Books

1: Essential Vivekananda, Page 157,276,277, Mukul Kanitkar,Anoop A.J.,Rupa Publication, New Delhi .

2: भूख और भोज के बीच विवेकानन्द, पृष्ठ 34,36,37, शंकर, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली।

3: विवेकानन्द एक खोज, पृष्ठ 29,32, शंकर, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।

4: विवेकानन्द के सपनों का भारत, बजरंग लाल गुप्ता, लक्ष्मी नारायण, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।

5: विवेकानन्द की आत्मकथा, शंकर, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।

News paper articles :

1: On Swami Vivekanand's birth anniversary, a look at his teachings, message – by Gargi NanowQana (The Indian Express, January 16,2023)

2: Celebrating Swami Vivekananda – by Balmiki Prasad Singh (The Hindu, March 31,2011)

Vol. 18 July – December. 2023 ISSN: 2319-7137 Impact Factor: 5.125

Management of Non-Performing assets with reference to Public and Private Sector Bank in India: A Comparative Study

Dr. Shashimala Kumari
(University Gold Medalist)
(Department of Commerce & Business Administration, T.M.B.U Bhagalpur)

Abstract

Priority sector lending, non-priority sector lending, corporate debt and accumulation of non- performing assets have now become an interesting topic of discussion and debate. Evolution of priority sector credit since social control of banks back in 1967 has a chequered history till emergence of micro finance as a tool of poverty alleviation. Various committees formed by RBI and the Government of India have reviewed progress of priority sector lending and recommended measures for revamping the structural and operational measures related to social banking. On the other side, non-priority sector NPAs and corporate debt restructuring seems to be alarming nowadays. Till the year 2011 the situation was different, but after 2011 with the implication of BASEL II, banks are bound to show their stressed assets and restructuring measures are in full swing. In 2015 the corporate debt restructuring was highest in last 10 years. With the introduction of financial sector reforms and adoption of prudential accounting norms following BASEL convention, the banks have been passing through tremendous crisis with phenomenal growth of nonperforming assets.

This paper analyses the growth of priority sector non-performing assets, non-priority sector non-performing assets and its contribution towarosQ building up total non-performing assets and investigates the relationship of non-performing assets with some economic parameters. It also analyses the association of corporate debt restructuring with non-performing assets and tries to find out relationship of the above two. A strong correlation is found between corporate debt restructuring and NPAs. A negative association is found between NPAs and GDP growth.

Key-Word : Non-performing assets, Gross NPA, Net NPA, GDP, priority sector Bank.

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

Introduction

Lending of a bank may be termed as asset. When this asset ceases to generate income, it becomes Non-Performing Asset. Now this lending is of two types i.e. priority sector lending and non-priority sector lending. It is widely discussed in different research papers and newspapers that priority sector contributes a lion share in the block of Non-Performing Assets. The genesis of the existing framework of the Priority Sector Lending (PSL) is way back to 1967. Morarji Desai, the Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Government of India made a statement in the Lok Sabha on 14th December 1967 that there have been persistent complaints that several priority sectors such as agriculture, Exports and small-scale businesses have not been getting their fair share of bank funding. It looks like this is the first time the phrase "priority sector" has been used. Thus, the notion of financing to the priority sector was presented. The Banking Laws (Amendment) Bill 1967, which was presented in the Lok Sabha on December 23, 1967, established social control over banks. Banks were instructed to match their activities with the goals of the country through social control. It was emphasized at a July 1968 National Credit Council meeting that commercial banks ought to become more involved in funding small-scale and agricultural enterprises, as these are key sectors. Prior to the nationalization of banks, the National Credit Council (NCC) was established in February 1968. 'Lead Bank Scheme' was adopted. The sectors that were identified as priority sectors were-

- Small scale industries
- Industrial estates
- Road and water transport operators
- Professional and self-employed persons
- Retail traders
- Education

The First Narasimham Committee (1991) on financial sector reform in 1991, approved that the priority sector be reinterpreted to include marginal farmers, the tiny sector, small businesses and the transportation sector, as well as village and cottage industries. This was done in recognition of the role that the Priority Sector Lending programs played in expanding the banking system's reach to the underserved sectors of the economy. The committee noted that the directed credit program neeosQ to be gradually phased out in order to address the issue of low and deteriorating profitability. The committee's recommendation was to lower the 40% directed credit aim to 10% while also limiting the priority's definition. sector to focus on small

farmers and other low income target groups. This recommendation was not accepted by the government and the directed credit requirement continues unchanged. Rajagopal Committee (1994) suggested that concessional credit or low rate of interest should be restricted only to the poorest of the poor and to the underprivileged sections of the society and recommended that commercial rate of interest should be charged from those who can afford it.

The Second Narasimham Committee (1998) noted that directed credit has a negative impact on banks' profitability and efficiency, increasing the number of non-performing loans. It was found that the priority sector accounted for 47% of all non-performing assets. Simultaneously, the committee acknowledged that an abrupt decrease in priority sector targets may pose a risk of impairing the credit flow to these sectors. The committee acknowledged that certain earmarking may be required for this sector because small and marginal farmers, the minor industry, and small firms have difficulty acquiring finance. 10% of net bank credit in the priority sector is currently set aside for lending to underprivileged groups. The Committee suggested that the current procedure be kept in place due to the unique requirements of this industry. The Committee also suggested that employment-oriented sectors (such as food processing and associated service operations in agriculture, fishery, poultry, and dairy) be included in the priority sector lending program due to their significance and neeosQ. It suggested doing away with the concessional interest rates on loans up to worth two (200000) lakhs and gradually abandoning the sub-sector and overall priority sector targets. The priority sector received a proposal for debt securitization. This would make it possible for banks to buy debt from other organizations in the event that they are unable to meet the priority sector target.

Verma Committee (2000), Vyas committee (2001), Vyas Committee (2004), C.S. Murthy Committee (2005), RaghuramRajan Committee (2009), Malegam Committee (2011), Nachiket Mor Committee (2014) pointed out several matters regarding priority sector lending. In 2015, RBI appointed Internal Working Group (Chair: Lily Vadera) to revisit the existing priority sector lending. This committee recommended several measures which may be implemented in future.

Banks are providing huge amount of loan to corporate sector which is a part of non-priority sector lending of banks to initiate economic growth, reducing unemployment and poverty elevation. When corporate sector fails to repay required amount of principal or interest the above loan which is an asset to bank turned to an asset which is not performing and income generated out of it should not be considered by banks. This continuous process simultaneously erodes capital and reduces profitability. Due to this fear, bank are providing fresh loan to revive the non-performing asset which is known as corporate debt restructuring. Now this process brings the entire banking industry in front of dangerous situation. In 2015,

the corporate debt restructuring was Rs 2067.30 billion which was 20 times more than 2005. Another important reason for which corporate debt is increasing is the NPAs' regulation. If in a block of 20 account of a certain company only 1 account become NPA, the entire block of asset becomes non-performing asset. Due to this, banks are bound to provide restructuring measures. The paper analyses the growth of priority, non-priority sector non-performing assets and find out relationship of non-performing assets with GDP and inflation. This paper also analyses corporate debt restructuring with non-performing assets and tries to find out relationship, if any, in the above two.

Literature Review

Shajahan (1998) made an analysis of Non-Performing Assets in public sector banks for the period 1995-97 and found almost one half of all Non-Performing Assets of Public sector banks are accounted for by the priority sector. It is clear that it was because of the netting procedure adopted by RBI that the proportion of total NPAs accounted for by priority sector appears so inflated.

Miwa et al. (2000) found no significant role of commercial banks in economic growth from the history of Japan.

Burzynska (2009) identified long-run equilibrium relationship between economic growth and financial development.

Uppal (2009) found that NPAs of public sector banks have increased because of high priority sector advance.

Krishnakutty (2011) studied that credit has no impact on economic growth in north-eastern state of India.

Prasad et al. (2011) argued that NPAs can be described as the best indicator for the health of banking industry.

Malyadri et al. (2011) found there is a significant improvement in the management of NPAs of public sector banks in India.

Rajput et al. (2012) found negative correlation between NPAs and return on assets of public sector banks.

Gupta (2012) argued that despite the efforts of banks in containing the NPAs, the amount of slippage is still high and public sector banks are more at threat while private sector banks

are able to consolidate with technology and improved methoosQ.

Banerjee (2012) found that the direction of causality between bank credit and economic growth has changed over time from credit lending output to output lending credit.

Veerakumar (2012) found more NPAs in priority sector lending in public sector banks than foreign banks.

Sevarajan and Vadivalagan (2013) studied management of Non-Performing Assets in priority sector with reference to Indian bank and other public sector banks for the period 2001-2011 found NPAs is more in priority sector compared to other PSBs in Indian Banks.

Shabbir et al (2014) discussed the trend of Priority Sector Advances and of NPAs (NonPerforming Assets) in Public, Private and Foreign Banks from 2001 to 2011.

Laveena (2014) examined the trend of NPAs over the past 8 years and the relationship between NPAs and profitability of public sector banks.

Jain et al (2015) analysed priority sector lending for banks in India through primary survey and recommended certain limit in different priority sector.

Mishra (2016) intended to explore a brief comparison between priority and non-priority sectors NPAs with respect to public sector banks in India based on secondary source of information.

Gupta and Kesari (2016) found that global economic slowdown and its impact on Indian economy was the primary reason for rising of the NPAs.

Khosla and Kumar (2017) found that the Indian banks were confronting more than Rs. 90,000 crores NPAs issue and were running under loss of benefit. The common laws of the nation were excessively awkward, making it impossible to deal with so as to recoup the awful credits.

Sengupta and Bhardhan (2017) argued that regulatory forbearance does not facilitate resolution and can actually worsen the banking crisis by providing incentives to the banks to defer NPA recognition and delay action. Restructuring of a loan should be the commercial decision of a bank and should not automatically qualify for regulatory concessions in terms of deferment of recognition of NPAs.

Objective and Methodology

The banking industry must expand and be sustainable if economic goals are to be met. Bank performance is evaluated based on the calibre of their assets as well as their ability to generate revenue. The quality of the assets, potential for losses, and decline in revenue levels as a result of provisions against such losses are all revealed by non-performing assets. Numerous research have been done on non-performing assets (NPAs), but there is still information lacking about how NPAs relate to GDP and how corporate debt restructuring affects the creation of NPAs. Keeping this in mind, the goals are outlined below.

- To analyse bank-wise as well as sector-wise movement of non-performing assets and find out contribution of each sector towarosQ building up non-performing asset in Indian commercial banks.
- To find out relationship of non-performing assets with gross domestic product.
- To examine whether corporate debt restructuring has any association with non- performing assets.

This research paper study is based on secondary data only. Data has been collected from publications of RBI, journals, research publications of IIBF, annual publication of SLBC etc. For the purpose of analysis the data are taken for 10th years i.e., form 2013 to 2023. Due to non-availability of data on certain parameters prior to 2013, these are not considered. Correlation analysis is used to check the relationships between Net NPAs and Gross NPA.

Analysis of Non-Performing Assets in Banking Sector

A nation's economic progress is greatly aided by access to affordable and sufficient credit. Credit to businesses, dealers, industries, and farmers is a simple way to advance the economy; this sector is known as the priority sector. Because banks are so important to a nation's economic development, having a strong banking infrastructure is thought to be a prerequisite for both balanced and quick national development. The effects of The impact of the banking system on economic growth can be observed by allocating more resources to industries that generate large employment and contribute significantly to the nation's GDP (Gross Domestic Product). However, the priority sector has seen a rise in loan defaults, also known as non-performing assets, in recent times. We already know that non-performing assets (NPAs) pose a threat to the banking sector, so in order to preserve both our sector and our economy, we must continue to examine the causes of NPAs. Corporate debt restructuring is another fascinating aspect about which there isn't much study. We've witnessed a sharp increase in the past few years. Banks

are reorganizing large corporate home loans in the hopes that they would become performing assets, however

Data analysis of all Commercial Banks

Graph 1: Priority Sector NPAs, Non-Priority Sector NPAs, Corporate Debt Restructuring of all Commercial Banks (Amount in billion rupees)

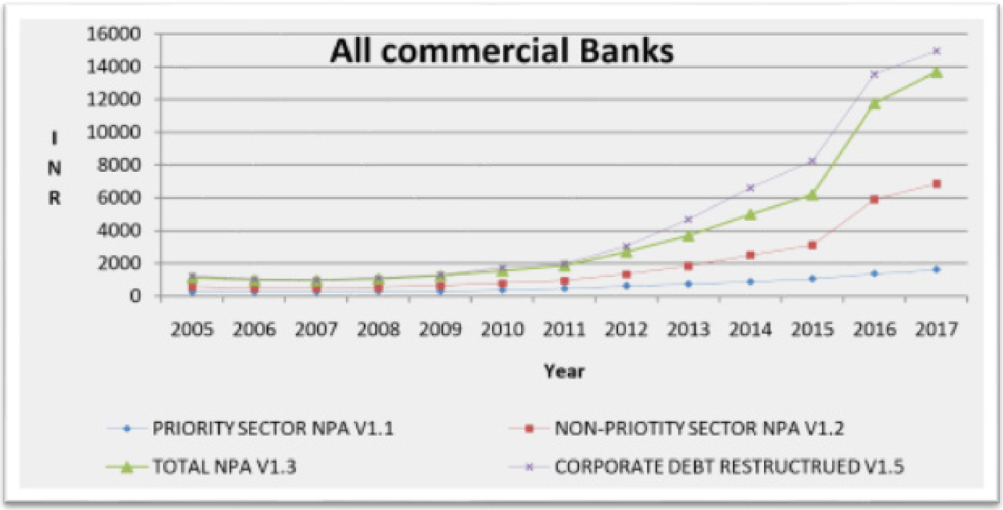

Data Source: https://dbie.rbi.org.in

It is seen from Fig. 1, priority sector NPAs of all the banks in 2005 is Rs. 237.24 billion and in 2016 it is Rs. 1359.09 billion i.e., there has been 5.73 times increase in NPAs. On the other hand NPAs in non-priority sector in 2005 is Rs 321.06 billion and in 2016 is Rs. 4523.48 billion i.e., a 13.09 times increase, and in case of total NPAs, in the year 2005 it is 564.22 billion and Rs. 5883.57 billion in 2016 i.e., a 9.42 times increase. It is clearly seen that nonpriority sector NPAs increases almost 2.28 times than priority sector NPAs. It is very interesting to see that corporate debt restructuring in 2005 is Rs 103.98 billion and in 2015 and 2016 is Rs. 2067.30 and Rs. 1779.50 billion respectively i.e., 17.11 times increase in 2016 than 2005. In 2017 the Restructuring has been somewhat lessened since 2016. The aforementioned data suggests that a rise in corporate debt restructuring corresponosQ with an increase in non-priority sector non-performing assets (NPAs) and total NPAs. This restructuring is the result of wilful default, insolvency, and subpar performance in a few key industries, including infrastructure, steel, coal, and electricity. Banks lend more money to revive failing core industries when their performance

declines, but policymakers and regulators are divided on the extent to which this should be advantageous for the banking sector.

Graph 2: Priority Sector NPAs of all Commercial Banks (in billion rupees)

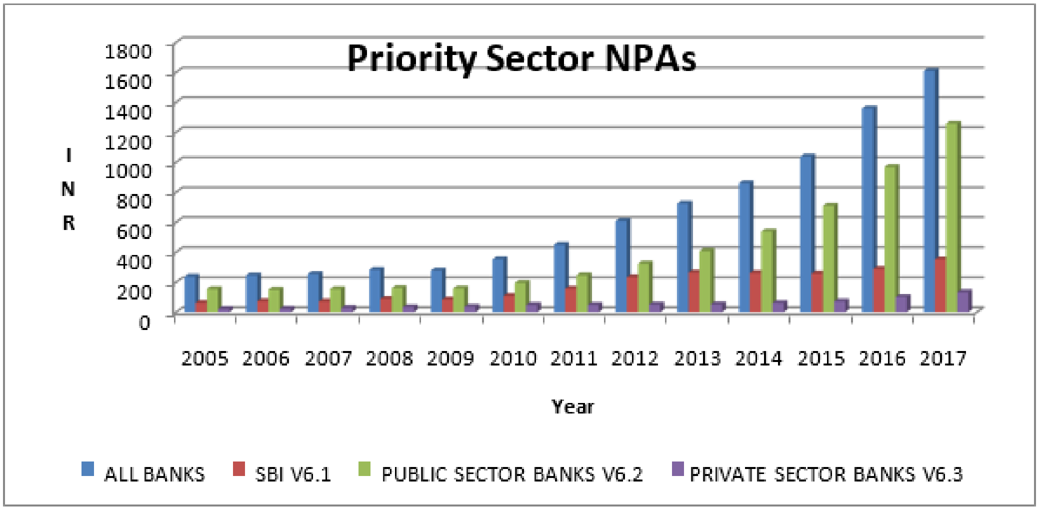

Data Source: https://dbie.rbi.org.in

It is observed that priority sector NPAs in public sector banks increased 10.48 times in 2017 than 2005. In 2005 the priority sector NPAs in above sector was Rs. 153.37 billion. It increased steadily up to 2017 and has become Rs. 1609.41 billion. The industry NPAs in the priority sector have increased as a result of public sector banks' priority sector non-performing assets. The primary causes of this increase in priority sector non-performing assets (NPAs) in public sector banks are flawed loan sanction procedures, inadequate KYC verification, the government's loan waiver policy, and inadequate due diligence in the banking system. From 2005 to 2017, the priority sector NPAs for SBI and private sector banks climbed to 5.766 times, and up until 2017, the priority sector NPAs were significantly lower than the industry average. Figure 2 shows that, as of 2017, SBI's and private sector banks' priority sector loan management policies outperformed those of other public sector banks.

Graph 3: Non-Priority Sector NPAs of all Commercial Banks (Rs in billion)

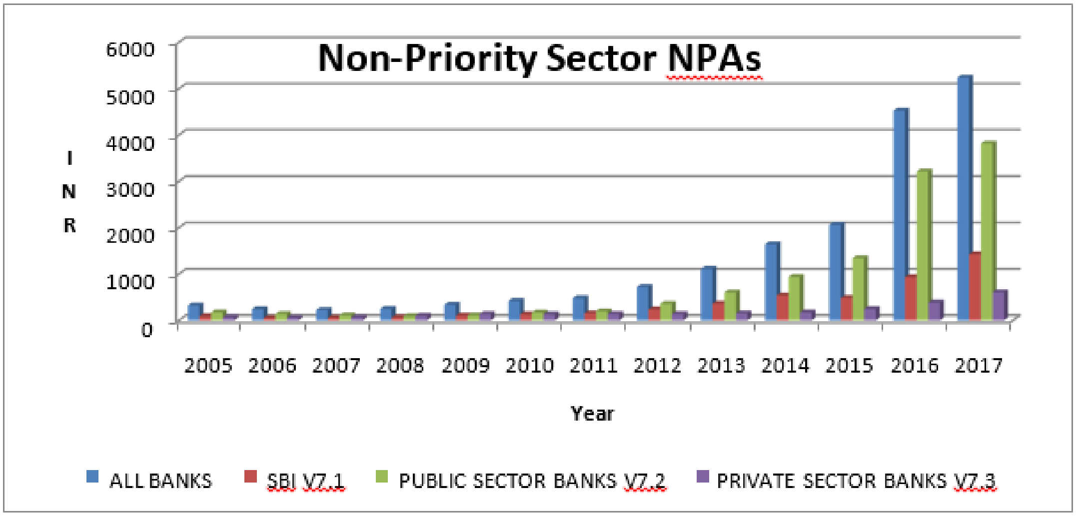

Data Source: https://dbie.rbi.org.in

As per Graph 3 Non-priority sector NPAs in public sector banks is highest among other banks. In 2005 non-priority sector NPAs was Rs. 170.63 billion and in 2017, it is Rs. 3811.94 billion i.e., 22.35 times more than 2005. In case of SBI, non-priority sector NPAs in 2017 is Rs.1425.98 billion i.e., 16.90 times of 2005. Due to the increase in NPAs in above two sectors of banks, the total industry NPAs have become higher and stanosQ at Rs 6847.32 billion in 2017. But in case of private sector banks, the non-priority sector NPAs is much lower than public sector banks and State Bank of India. The management and the regulators have to look into this rising non-priority sector NPAs in public sector for the survival of banking industry as this menace in one hand can erode the capital and hamper capital adequacy, on the other it stops future flow of income.

Graph 4: Total NPAs of all Commercial Banks (Rs in billion)

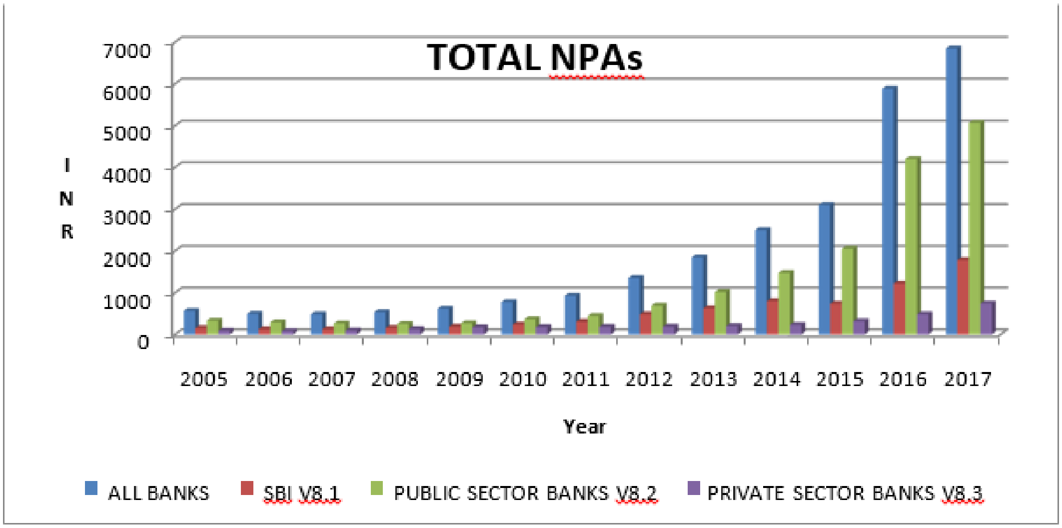

Data Source: https://dbie.rbi.org.in

It is seen from the Graph 4, total NPAs of all the banks, SBI, public sector banks and private sector banks increased rapidly from 2011. In 2017, the public sector NPAs become Rs. 5069.23 billion which is more than double of 2015 when the figure was Rs. 2049.60 billion. In case of SBI, the figure increased in 2016 than 2015 by almost 1.5 times, and in 2017 the figure is increasing. Because of the combined effect of SBI and public sector banks the total NPAs also increased through the years. However the NPAs in private sector banks increased at a comparatively lower pace than public sector banks. In 2005 the NPAs in private sector was Rs. 88.1 billion and in 2017 the Graph is Rs. 738.43 billion.

Graph 5: Corporate Debt Restructuring of all commercial banks (Rs in billion)

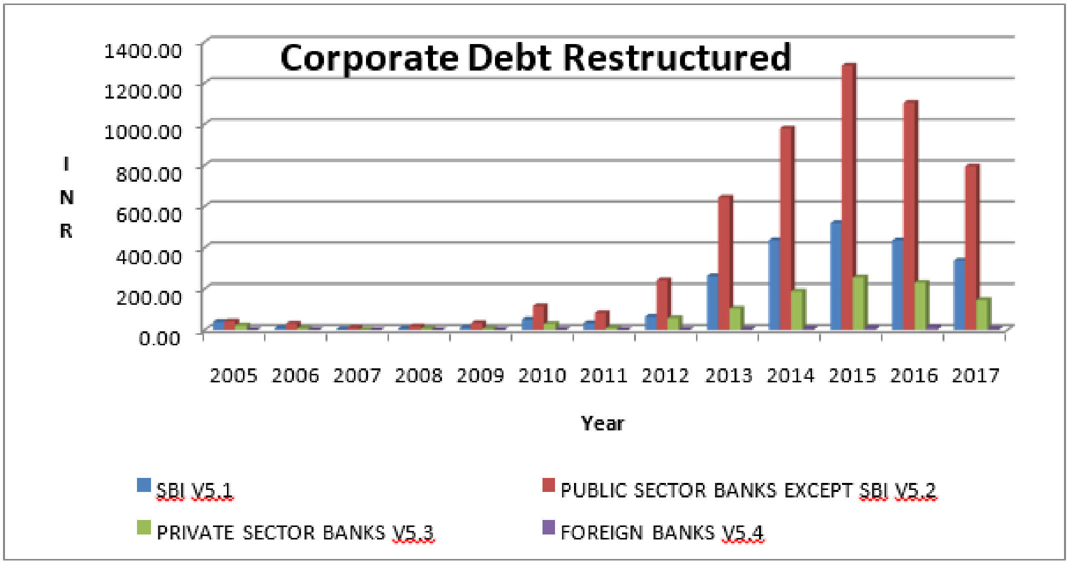

Data Source: https://dbie.rbi.org.in

Graph 5 reflects that corporate debt restructuring in all the banks increased substantially form 2013. In the year 2005 corporate debt restructuring was Rs. 39.32 billion and in 2016 it was Rs. 433.96 billion in SBI i.e., 11.033 times increase. In the case of public sector banks, the situation is dangerous. In 2005 corporate debt restructuring was only Rs. 42.166 billion, but in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 it was Rs. 433.97, Rs.978.966, Rs.1283.77, Rs.1102.74 and Rs. 794.033 billion respectively. This is the cause of the recent capital shortage that public sector banks have experienced. at contrast to public sector banks, the position at private sector banks is concerning as of 2012. For now, the situation in foreign banks is under control. The primary cause of the overall increase in corporate debt restructuring was the 2013 and subsequent restructuring of corporate debt in public sector banks. There is a positive link (r =k 0.937, p-value =k 0.000) between corporate debt restructuring and non-priority sector non-performing assets (NPAs), suggesting that the primary goal of restructuring is not being achieved.

4.2 Analysis on State Bank of India

Graph 6: Analysis of NPAs of SBI (Rs in billions)

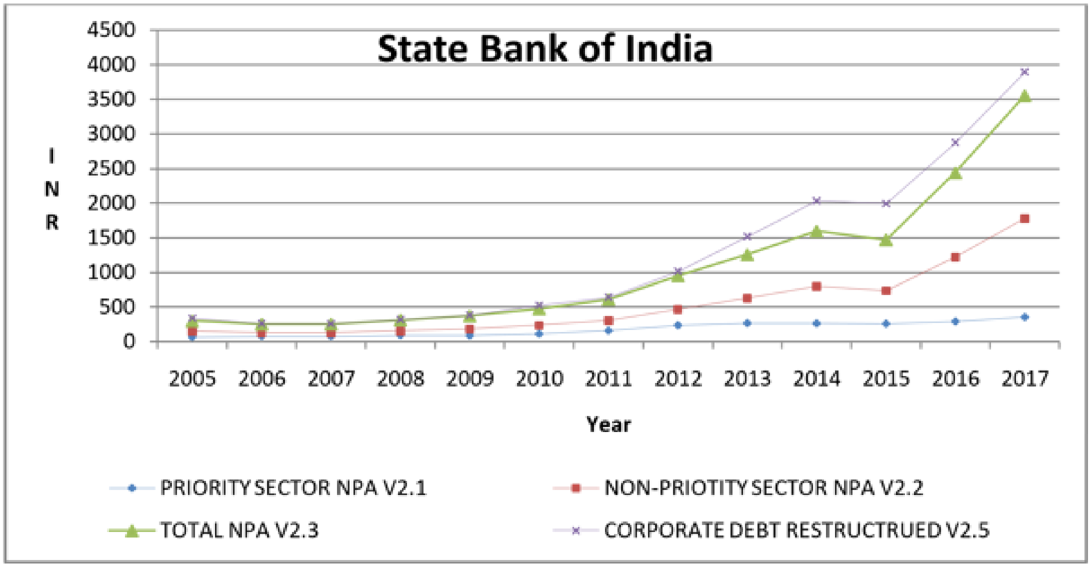

Data Source: https://dbie.rbi.org.in

Figure 6 shows that whereas non-priority sector NPAs and corporate debt restructuring climbed more than ten times within the same period, priority sector NPAs in SBI increased 5.671 times between 2005 and 2017. It is noteworthy to note that, in comparison to 2013, the amount of non-priority sector non-performing assets (NPAs) and corporate debt restructuring in SBI nearly doubled in 2014, and the overall NPAs increased in a similar manner. NPAs in the priority sector, however, exhibit a typical tendency over time. In order to remain in business in the aforementioned scenario, SBI must carefully consider its non-priority sector non-performing assets (NPAs) and corporate debt restructuring. However, its reorganization and NPAs are far less than

4.3 Analysis of NPAs on Public Sector Banks Excluding SBI

Graph 7: Analysis of NPAs of Public Sector Banks excluding SBI (Rs in billion)

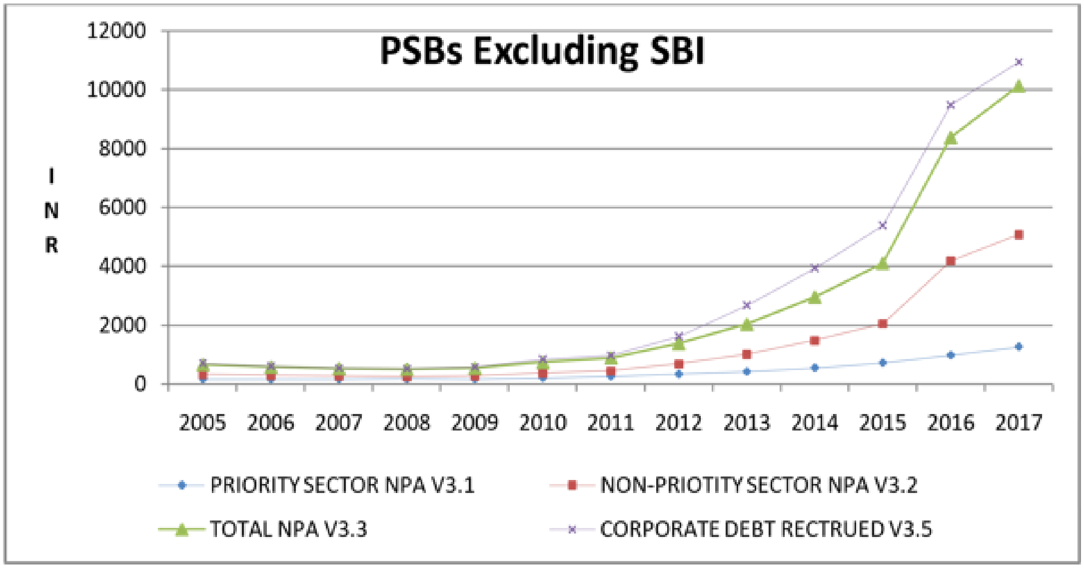

Data source: https://dbie.rbi.org.in

As can be seen from Graph 7, the priority sector NPAs of public sector banks increased 8.11 times from Rs. 153.37 billion in 2005 to Rs. 1257.30 billion in 2017. However, non-priority sector NPAs increased 22.33 times between 2005 and 2017, from Rs. 170.62 billion to Rs. 3811.94 billion. Similarly, overall NPAs increased 15.44 times between 2005 and 2017 from Rs. 328.05 billion to Rs. 5069.21 billion. Non-priority sector non-performing assets (NPAs) are evidently nearly three times higher than priority sector NPAs. The fact that corporate debt restructuring increased from Rs. 42.17 billion in 2005 to Rs. 794.002 billion in 2017 is quite intriguing.

4.4 Analysis of NPAs of Private Sector Banks

Graph 8: Analysis of NPAs of Private Sector Banks (Rs in billion)

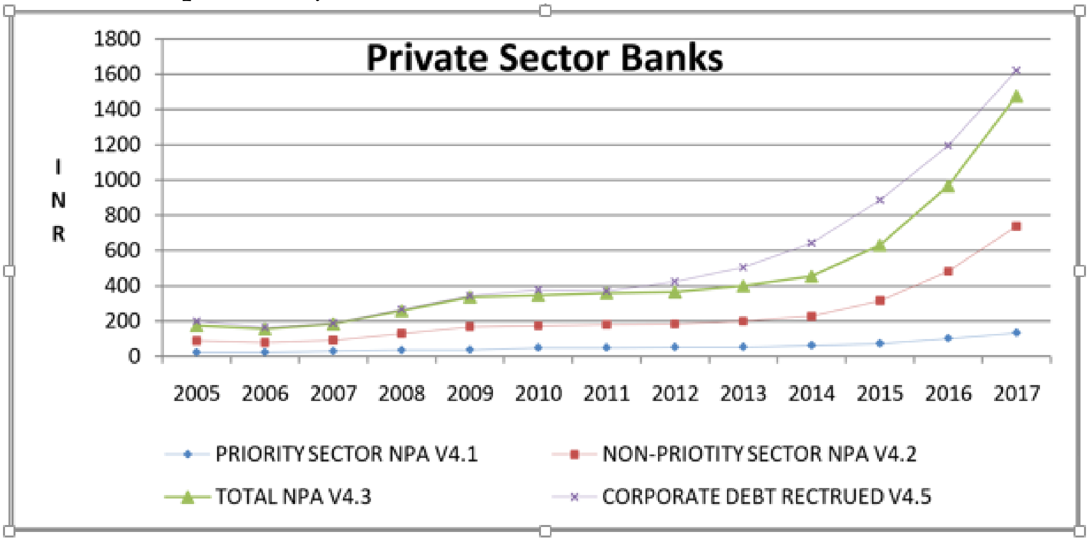

Data source: https://dbie.rbi.org.in

It is noticed from Figure 8 that priority sector NPAs in Private sector banks increased 6.07 times in 2017 compared to 2005 where as non-priority sector NPAs and total NPAs increased more than 9 times for the same period. It is observed that corporate debt restructuring increased Rs 22.11 billion in 2005 to Rs. 228.97 billion in 2016 and 145.62 billion in 2017. Although in terms of absolute figures, all the parameters are much lower than SBI or Public sector banks. As the non-priority sector NPAs increases, the corporate debt restructuring also increases through the years and this implies private sector has to look into the matter of nonpriority sector NPAs and corporate debt restructured to sustain in the banking sector. Here also the restructuring measure fails to reduce the amount of NPAs in absolute terms.

4.5 Association of Different Variables

Statistical analysis exhibits a positive correlation between NPAs and Corporate Debt Restructuring (CDR) [r =k 0.910, p-value =k 0.000] and CDR is strongly correlated with nonpriority sector NPAs (r =k 0.937, p-value =k 0.000). In case of public sector banks, the association of above two variables signify the same result (r =k 0.937, p-value =k 0.000). In case of SBI, the situation is similar (r =k 0.849, p-value =k 0.000). The result of private sector

banks shows slightly better result compared to other sectors (r =k 0.839, p-value =k 0.001). It means that the objective of this restructuring procedure to reduce NPAs is not fulfilled by banks and hence bank has to re- think the restructuring procedure. On the other hand, NPAs is negatively correlated with GDP (r =k - 0.179, p-value =k 0.577) which means surging NPAs has a negative impact on GDP, but as the p value shows NPAs does not have any significant impact on GDP. Inflation has no significant impact on NPAs (r =k - 0.269, p-value =k 0.398).

5. Concluding Remark

Total NPAs increases in banking sector with a parallel increase in non-priority sector NPAs but priority sector NPAs increases comparatively lower than non-priority sector NPAs. Corporate debt restructuring increases rapidly from 2013 in the banking sector as well as nonpriority sector NPAs increased substantially which demanosQ huge provisioning, reduces profitability and erodes capital. In case of State Bank of India, total NPAs increases parallel with non-priority sector NPAs, but priority sector NPAs seems to be under control. Corporate debt restructuring in State Bank of India shows a declining mode and is totally under control. Total NPAs increases in Public Sector Banks with a parallel increase in non-priority sector NPAs and priority sector NPAs increases comparatively lower than non-priority sector NPAs which demanosQ a close supervision on Non-priority sector NPAs. Corporate debt restructuring increases rapidly from 2013 in the Public Sector Banks as well as non-priority sector NPAs increases substantially thereby indicating that the objective of restructuring to reduce NPAs has failed. Total NPAs increases in private sector banks with a parallel increase in non-priority sector NPAs, but priority sector NPAs increases comparatively lower than non-priority sector NPAs. Corporate debt restructuring in private sector banks shows a declining mode and is totally under control. Public Sector Banks has higher NPAs in priority sector through the years than the SBI and private sector banks. Non-priority sector NPAs, corporate debt restructuring shows higher figure in public sector banks than SBI and private sector banks that leaosQ to lack of capital adequacy in Public Sector Banks. Corporate debt restructuring in the banking sector increases mainly due to its increase in other Public Sector Banks. SBI, private sector banks have much lower restructuring figures along with total NPAs figure than Public Sector Banks, which ensures comparatively better position for them in the industry. NPAs have no significant impact on GDP and Inflation. A positive correlation is found between corporate debt restructuring and NPAs which reflects that the objective of restructuring to reduce the NPAs has failed.

References

- Begenau, J., Piazzesi, M. & Schneider, M. (2015). Banks' Risk Exposure, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper No. 21334.
- Bhuyan, R., & Rath, A. K. (2013). Management perspective of Non-performing Assets: A challenge for Indian Banking sector in the post economic reform Era, The Orissa Journal of Commerce, Vol. 34, No. 1, pp. 93-107.
- Borango, M. W. (2013). Factors contributing to Non-Performing loans in nonbanking institution in Tanzania: A case study of national social security fund, Thesis submitted to University of Tanzania.
- Boyazny, M. (2005). Taming the Asian Tiger: Revival of Non-Performing Assets on the Asian Continent, The Journal of Private Equity in EPW, Vol. 8, No. 2, pp. 104109.
- Chipalkatti, N., & Rishi, M. (2007). Do Indian Banks Understate their Bad Loans, The Journal of Developing Areas, Vol. 40, No. 2, pp. 75-91.
- Dhal, S., Kumar, P., & Ansari, J. (2011). Financial Stability, Economic growth, Inflation and Monitory Policy Linkage in India: An Empirical Reflection, Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol. 32, No. 3, pp. 1-82.
- Dubey, D.D., & Kumara, P. (2016). Impact of Non-Performing Assets on Stock market performance of listed bank stocks in India: An empirical assessment of how the two stocks- Non-Performing Assets and share are related, IQSR Journal of Economics and Finance, Vol. 1, No. 1, pp. 16-22.
- Gupta, N., & Kesari, M. (2016). A Study of Non-Performing Assets of Public and Private Sectors Banks India, International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, Vol. 4, Issue. 9, pp. 174-180.
- Jain, S., Parida, K. T., & Ghosh. K. S. (2015). Rethinking Priority Sector Lending For Banks In India, IIBF macro research paper for the year 2014-15, Indian Institute of Banking and Finance, Vol. 1, pp. 1-94.
- Khosla, R., & Kumar, V. (2017). Implementation and Impact of SARFASEI act 2000, International Education and Research Journal, Vol. 3, Issue 5, pp. 244-247.
- Malhotra, M., & Laveena. (2014). Empirical Analysis of Non-Performing Assets Related to Private Sector Banks of India, International Journal of Management Excellence, Vol. 3, No. 1, pp. 386-391.
- Mishra, K. M. (2016). An Analysis of NPAs in Priority and Non-Priority Sectors with respect to Public Sector Banks in India, IQSR Journal of Business and Management, Issue. 16, pp. 87-92.
- Mishra, U., & Sharma, L. K. (2016). Priority Sector Lending and Emergence of NonPerforming Assets in Public Sector Banks: A Case Study of State Bank of India, Madhubani District: Post Liberation, International Journal of Arts, Humanities and Management Studies, Vol. 2, No. 5, pp. 98-108.
- Sevarajan, B., & Vidivalagan, G. (2013). A Study on Management of NonPerforming Assets in priority Sector reference to Indian bank and Public sector Banks (PSBs), Global Journal of Management and Business Research, Vol. 13, Issue. 13, pp. 101-113.
- Shabbir, N., & Mujoo, R. (2014). Problem of Non-Performing Assets in Priority Sector Advances in India, Journal of Economics and Development Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 241-275.
- Sengupta, R., & Bhardhan, H. (2017). Non-performing assets in Indian Banks: This time it is different, Economic and Political Weekly, Vol. 1, pp. 1-22.
- Shajahan, K. M. (1998). Non-Performing Assets of Banks: Have They Really Declined? And on who's Account?, Economic and Political Weekly, Vol. 33, No. 12, pp. 671-674.
- Sing, A. (2013). Performance of Non- Performing Assets (Non-Performing Assets) in Indian commercial banks, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol. 2, No. 9, pp. 86-94.

- Singh, R. V. (2016). A study of Non-Performing Assets of Commercial Banks and its Recovery in India, Annual Research Journal of SCMS, Pune, Vol. 4, pp.110-125.
- Soni, P., & Heda, B. L. (2014). Non-Performing Assets Impact on Financial Performance of Public Sector Banks. Research Hub-International Multidisciplinary Research Journal, Vol. 1, Issue 3, pp. 21-62.
- Tiwari, C., & Sharma, V. (2015). A Study on the Causes of Non-Performing Assets in Selected Commercial Banks in Pune, International Journal of Advance Research In Computer Science and Management Studies, Vol. 3, No. 5, pp. 255-260.
- Tsige, Z. (2013). Determinants of Non-Performing Loans: Empirical Study on Ethiopian Commercial Banks, Thesis submitted to Addis Ababa University, Ethiopia .
- Uppal, K. R. (2009). Priority Sector Advances: TrenosQ, issues and strategies, Journal of Accounting and Taxation, Vol. 1, No. 5, pp. 79-89.

INTERNATIONAL
Literary Quest

AKHAND PUBLISHING HOUSE
Publisher, Distributor, Exporter having an Online Bookstore
www.akhandbooks.in
L-9A, First Floor, Street No.42, Sadatpur Extension, Delhi (INDIA)
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com